. , 7 May, 1986

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

पांचवां सत्र

(आठवीं लोक सभा)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय-सूची

अष्टम माला, खंड 17, पाँचवां सत्र, 1986/1908 (शक)

अंक 47, बुधवार, 7 मई, 1986/17 बैशाख, 1908 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	1—29
*तारांकित प्रश्न संख्या : 949 से 954 और	
अल्प सूचना प्रश्न संख्या 2	30—32
प्रश्नों के लिखित उत्तर	32—206
तारांकित प्रश्न संख्या : 955 से 968	
अतारांकित प्रश्न संख्या : 9139 से 9318 और 9320 से 9336	
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	208—214
राज्य सभा से संदेश	215
विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 1986	215
याचिका समिति	215
दूसरा प्रतिवेदन	
याचिका समिति	215
कार्यवाही सारांश	
अधीनस्थ विधान संबंधी समिति	216
आठवां प्रतिवेदन	

*किसी नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति	216—224
पांचवां प्रतिवेदन	
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षण	224—248
संघ की राजभाषा के रूप में हिन्दी के प्रयोग के सम्बन्ध में संवैधानिक उपबन्धों के धीमी गति से कार्यान्वयन से उत्पन्न स्थिति के बारे में	224
श्री नरेश चन्द्र चतुर्वेदी	224
श्री राम निवास मिर्धा	225
श्री अजय मुशरान	235
श्री बालकवि बैरागी	238
श्री जय प्रकाश अग्रवाल	241
श्री हरीश रावत	242
विधेयक—पुरःस्थापित	249
(1) वन्यजीव (संरक्षण) संशोधन विधेयक	
(2) पर्यावरण (संरक्षण) विधेयक	
नियम 377 के अधीन मामले	250—255
(एक) राजस्थान के विभिन्न भागों में जलरोध के कारण जिन लोगों के मकानों तथा फसलों को क्षति पहुँची उन्हें मुआवजा तथा पुनर्वास अनुदान देने की आवश्यकता	
श्री बीरबल	250
(दो) रजस्थान की अरावली पहाड़ियों में राणकपुर जैन मन्दिर को वायुदूत सेवा से जोड़ने की आवश्यकता	
श्री मूलचन्द डागा	250
(तीन) त्रिवेन्द्रम और कोचीन को पश्चिमी घाट क्षेत्र स्थित कुमाली से जोड़ने के लिये वायुदूत सेवा शुरू करने की आवश्यकता	
प्रो० पी० जे० कुरियन	251

विषय	पृष्ठ
(चार) उड़ीसा के कालाहांडी जिले को "उद्योगहीन जिला" घोषित करने की आवश्यकता	
श्री जगन्नाथ पटनायक	251
(पांच) अग्रिम बाढ़ पूर्वानुमान डिवीजन को बुरला में ही रहने देने की आवश्यकता	
श्रीमती जयन्ती पटनायक	252
(छः) राजस्थान में चित्तौड़गढ़ इलाके में "सालर" पेड़ों के संरक्षण के लिये आवश्यक उपाय करने की आवश्यकता	
प्रो• निर्मला कुमारी शक्तावत	252
(सात) उड़ीसा में तलचेर में प्रस्तावित सुपर ताप-विद्युत परियोजना को शीघ्र मंजूरी देने की आवश्यकता	
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	253
(आठ) त्रिपुरा के शीघ्र आर्थिक विकास के लिये आवश्यक आधारभूत ढांचे का निर्माण करने की आवश्यकता	
श्री हन्नान मोल्लाह	254
(नौ) अखिल भारतीय केन्द्रीय विद्यालय संगठन को कानूनन मान्यता प्रदान करने की आवश्यकता	
सैयद शाहबुद्दीन	254
राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रारूप के बारे में संकल्प--जारी	255—344
श्री ए० सी० षण्मुख	255
श्री चन्दूलाल चन्द्राकर	261
श्री सोमनाथ रथ	264
श्री पराग चालिहा	266
श्री योगेश्वर प्रसाद योगेश	269
श्री के० एस० राव	271
श्री मूलचन्द डागा	274
श्रीमती गीता मुखर्जी	276

श्री अनूप चन्द शाह 279
श्री सुनील दत्त 281
श्री कैयूर भूषण 285
श्री रामेश्वर नीखरा 287
श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव 291
श्रीमती सुशीला रोहतगी 295
श्री वी० एस० विजयराघवन 300
प्रो० पी० जे० कुरियन 304
श्री अब्दुल रशीद काबुली 308
श्री राम प्यारे पनिका 316
श्री प्रताप भानु शर्मा 320
श्री विपिन पाल दास 322
श्री चित्त महाता 325
श्री आर०जीवरत्नम 327
श्री गिरधारी लाल व्यास 328
श्री मानवेन्द्र सिंह 331
श्री लाल विजय प्रताप सिंह 332
श्री सनत कुमार मंडल 334
श्री राम सिंह यादव 336
श्रीमती जयन्त पटनायक 337
श्री असलम शेर खां 339
श्री गिरधारी लाल डोगरा 340
श्री एन० वी० एन० सोमू 341

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

7 मई, 1986/17 वैशाख, 1908 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

विषय सूची, पृष्ठ (4), नीचे से पंक्ति 4, "श्रीमती जयन्त पटनायक" के स्थान पर "श्रीमती जयन्ती पटनायक" पढ़िये।

पृष्ठ 30, नीचे से दूसरी पंक्ति "श्री मानिकराव होडल्या गावोत" के स्थान पर "श्री माणिकराव होडल्य गावित" पढ़िये।

पृष्ठ 44, नीचे से पंक्ति 13, "डा0जी0 विजायरामाराव" के स्थान पर "डा0जी विजय रामा राव" पढ़िये।

पृष्ठ 48, पंक्ति 15, "श्री एस0पल्लाकोंड्रायुड" के स्थान पर "श्री एस0पलाकोंड्रायुडु" पढ़िये।

पृष्ठ 70, नीचे से पंक्ति 2, "श्री हुसैन दलवाई" नाम के दोनों ओर से कोष्ठक हटाइये।

पृष्ठ 71, पंक्ति 12, "पूतपूर्व" के स्थान पर "भूतपूर्व" पढ़िये।

पृष्ठ 82, पंक्ति 3, "श्री शरद विधे" के स्थान पर "श्री शरद दिघे" पढ़िये।

पृष्ठ 84, नीचे से पहली पंक्ति, "श्री तेजासिंह ददों" के स्थान पर "श्री तेजासिंह ददर्ी" पढ़िये।

पृष्ठ 88, नीचे से पंक्ति 7, "परता भूमि" के स्थान पर "परती भूमि" पढ़िये।

पृष्ठ 125, पंक्ति 4, "ग" के स्थान पर "ञ" पढ़िये ।

पृष्ठ 153, नीचे से पंक्ति 3, "ञ" के स्थान पर "ग" पढ़िये ।

पृष्ठ 188, पंक्ति 8, "दवार्टरों" के स्थान पर "क्वार्टरों" और "बसूली" के स्थान पर "वसूली" पढ़िये ।

पृष्ठ 206, पंक्ति 16, "श्री सैफुद्वीन चौधरी" के स्थान पर "श्री सैफुद्दीन चौधरी" पढ़िये ।

पृष्ठ 238, पंक्ति 20, "मैं इसी सदन में" से पहले "श्री बालकवि बैरागी" पढ़िये ।

पृष्ठ 276, पंक्ति 16, "पसेकुरा" के स्थान पर "पंसकुरा" पढ़िये ।

पृष्ठ 344, नीचे से पंक्ति 2, "11 बजे" से पहले "के" अंतःस्थापित करिये ।

लोक सभा

बुधवार, 7 मई, 1986/17 बैसाख 1908 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

स्वतन्त्रता सेनानियों को बढ़ी हुई दरों पर पेंशन देना

*949 **श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी मिली है कि बहुत से राज्यों में स्वतन्त्रता सेनानियों को बढ़ी हुई दरों पर पेंशन नहीं दी जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मन्त्री और गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामनिवास मिर्धा) (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

स्वतन्त्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना के अन्तर्गत जीवित स्वतन्त्रता सेनानियों और उनकी विधवाओं दोनों के मामले में पेंशन की राशि 1-6-1985 से 500 रु० तक बढ़ाई गई थी । यह सुनिश्चित करने के लिए कि स्वतन्त्रता सेनानियों को बढ़ी हुई पेंशन का शीघ्र लाभ प्राप्त हो, सभी महालेखाकारों को 10-10-1985 को सामान्य अनुदेश जारी किए गए थे जिनमें उनसे संशोधित पेंशन को लागू करने का अनुरोध किया गया था । भारतीय रिजर्व बैंक बम्बई ने भी सम्बन्धित ट्रेजरियों के माध्यम से पेंशन भुगतान आदेश संशोधित करवाने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों को दिसम्बर, 1985 में ऐसे ही अनुदेश जारी किए थे ।

2. फिर भी यह ध्यान में लाया गया था कि बैंकों द्वारा पेंशन प्राप्त करने वाले स्वतन्त्रता सेनानियों को बढ़ी हुई दरों पर पेंशन प्राप्त करने में कठिनाइयां हो रही हैं । महालेखाकारों को इस आशय के 6-2-1986 और पुन: 11-3-1986 को आगे अनुदेश जारी किए गए कि उन्हें बैंकों द्वारा पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशन प्राप्तकर्त्ताओं के सम्बन्ध में भी पेंशन भुगतान आदेश संशोधित करने के लिए तुरन्त कदम उठाने हेतु ट्रेजरी अधिकारियों को सलाह देनी चाहिए ।

3. बढ़ी हुई दरों पर पेंशन का भुगतान न करने के छुट-पुट मामले जो इस मंत्रालय के ध्यान में लाए जाते हैं उन्हें तुरन्त सम्बन्धित महालेखाकारों के साथ उठाया जाता है।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : महोदय, मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूँ कि मंत्रालय को ऐसे कितने मामलों का पता चला है कि जिन्हें उन्होंने बढ़ी हुई दर पर पेंशन का भुगतान न किये जाने के छुट-पुट मामले कहा है और सरकार ने सम्बन्धित महालेखाकारों को लिखने के अतिरिक्त और क्या कार्यवाई की है। यह एक अच्छा कदम है कि भारत सरकार ने स्वतन्त्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना के अन्तर्गत पेंशन की दर बढ़ाकर 500 रु० प्रति माह कर दी है लेकिन ऐसे आरोप लगाए जाते हैं कि कुछ स्थानों पर बैंक बढ़ी हुई दर पर भुगतान नहीं करते। यह अनुपालन का प्रश्न है। तो, मैं यह जानना चाहता हूँ कि सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए क्या किया है कि संबद्ध अधिकारियों, खजानों या राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं द्वारा सरकार के अनुदेशों का पालन किया जाता है।

श्री रामनिवास मिर्धा : महोदय, स्वतन्त्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना के अन्तर्गत 1-6-1985 से पेंशन की राशि बढ़ाकर 500 रुपये की गई थी और हमने ये अनुदेश जारी किये थे कि जिन खजानों या बैंकों से ये पेंशन आहरित की जाती हैं उन्हें स्वतः ही पेंशन की दर बढ़ा देनी चाहिए। जहाँ तक खजानों से भुगतान का सम्बन्ध है, हमें कोई शिकायत नहीं मिली है क्योंकि उन्होंने भुगतान आदेश में उचित संशोधन कर लिया है।

प्रो० एन० जी० रंगा : वे भी भुगतान में विलम्ब करते हैं।

श्री रामनिवास मिर्धा : लेकिन राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं में इन आदेशों के पालन में कुछ विलम्ब हुआ है। भारतीय रिजर्व बैंक ने, जो हमारी बैंकिंग प्रणाली को नियंत्रित करता है, इस सम्बन्ध में कई बार अनुदेश जारी किये हैं और मेरा अभिप्राय यह है कि हमें जो शिकायतें मिली हैं वे अधिक नहीं हैं। लेकिन मैं मानता हूँ कि अब भी कुछ ऐसी शाखाएँ हैं जिनमें ऐसा नहीं किया है। हमने इस मामले को फिर से रिजर्व बैंक के साथ उठाया है जो राष्ट्रीयकृत बैंकों पर प्रभाव डालेगा कि इन सभी प्रक्रियाओं को शीघ्र पूरा किया जाए और पेंशन-वृद्धि से जो लाभ स्वतन्त्रता सेनानियों को दिया जाना है वह यथाशीघ्र उन्हें दिया जाये।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि ऐसी पेंशन मंजूर करने हेतु कितने आवेदन-पत्र मंत्रालय के पास लंबित पड़े हैं और विलम्ब के क्या कारण हैं। यह बहुत आवश्यक है कि क्योंकि हमारे स्वतन्त्रता सेनानी बहुत वृद्ध होते जा रहे हैं इसलिए ऐसे मामलों के शीघ्र निपटारे को उच्चतम प्राथमिकता दी जानी चाहिए। अतः मैं जानना चाहता हूँ कि कितने मामले लम्बित पड़े हैं और उनके तत्काल निपटारे के लिए क्या कार्यवाई की गई है। केन्द्र के बारे में ज्यादा शिकायत नहीं है लेकिन कई राज्यों में काफी मामले काफी समय से लम्बित पड़े हैं। ऐसी पेंशन के पात्र स्वतन्त्रता सेनानियों के आवेदन-पत्र भी भारत सरकार को उचित समय पर नहीं भेजे जाते और राज्य-स्तर पर भी उन पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता। अतः, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या भारत सरकार अपने कुछ वरिष्ठ अधिकारियों को, मौके पर जाकर स्थिति की समीक्षा करने के लिए विभिन्न राज्यों में भेजेगी और मामले को तेजी से निपटाने के लिए शीघ्र कार्यवाही करेगी।

जब श्रीमती इन्दिरा गांधी प्रधानमन्त्री थीं तो उन्होंने स्वतन्त्रता सेनानियों को कुछ और सुविधाएं देने के लिए प्रशंसनीय कदम उठाये थे। मैं जानना चाहता हूं कि कौन-कौन सी सुविधाओं की घोषणा की गई थी और आज उनके कार्यान्वयन की वास्तविक क्या स्थिति है।

श्री रामनिवास मिर्धा : महोदय, 1972 की तथा 1980 की योजनाओं के अन्तर्गत कुल 4,36,568 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे। कुल 1,38,352 मामले मंजूर किये गए थे। कुल 2,26,134 मामले रद्द किये गए थे। 72,082 मामले लम्बित हैं। कुछ राज्यों में विशेषकर बिहार तथा बंगाल में, काफी संख्या में आवेदन-पत्र लम्बित हैं। उदाहरणार्थ, बिहार में 14,687 आवेदन-पत्र लम्बित थे। पश्चिम बंगाल में 26,548 आवेदन-पत्र लम्बित थे। पिछले वर्ष बिहार सरकार तथा वहां के बोर्ड इन लम्बित मामलों में से काफी मामलों को निपटा कर बहुत अच्छा कार्य किया। लेकिन पश्चिम बंगाल में स्थिति अभी तक बहुत असंतोषजनक है। हम पश्चिम बंगाल सरकार तथा अन्य प्रशासनों तथा सरकारों से सम्पर्क बनाये हुए हैं और हम अब ऐसी स्थिति में पहुँच गये हैं जहां मैं समझता हूं कि पश्चिम बंगाल के मामलों के बारे में केन्द्रीय स्तर पर एक पृथक समिति बनानी पड़ेगी क्योंकि राज्य के प्रशासन तथा वहां की समिति द्वारा वहां मामलों को शीघ्र नहीं निपटाया जा रहा है।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा की गई घोषणा के बारे में तथा मंजूरी के सम्बन्ध में वास्तविक स्थिति के बारे में मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला है। मन्त्री महोदय द्वारा इसका उत्तर दिया जाना है।

श्री रामनिवास मिर्धा : मैं समझ नहीं पाया कि माननीय सदस्य कौन सी विशेष घोषणा की बात कर रहे हैं। यदि वे मुझे लिखकर दें तो मैं इसका पता लगाकर निश्चित रूप से उन्हें लिख भेजूंगा।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : रेलवे पास, चिकित्सा सुविधा तथा ऐसी अन्य बातों के संबंध में।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। बीच में टिप्पणी करना बन्द करें।

डा० फूलरेणु गुहा : स्वतन्त्रता सेनानियों की विधवाओं के कितने आवेदन-पत्र लम्बित हैं? पश्चिम बंगाल में ऐसी कितनी विधवाओं को लम्बे समय से पेंशन नहीं मिल रही हैं? यह तो मेरा एक प्रश्न है। मेरा दूसरा प्रश्न यह है। मन्त्री महोदय ने समिति के बारे में वचन दिया था। वह समिति कब बनाई जाएगी?

श्री रामनिवास मिर्धा : पश्चिम बंगाल राज्य के स्वतन्त्रता सेनानियों के मामलों को निपटाने के लिए मैंने जिस समिति का उल्लेख किया है वह शीघ्र ही बनाई जाएगी। हम राज्य सरकार के साथ तथा ऐसे अन्य लोगों के साथ, जो इस विशेष मामले में हमारी मदद कर सकें, इस समिति के गठन आदि के बारे में बात कर रहे हैं। हम इसकी घोषणा शीघ्र ही करेंगे।

डा० फूलरेणु गुहा : मैंने पेंशन-भोगियों की विधवाओं के आवेदन-पत्रों के बारे में पूछा है।

श्री रामनिवास मिर्धा : हमारे पास इसका कोई पृथक रिकार्ड नहीं है ।

[हिन्दी]

श्री बिजयकुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि अभी मन्त्री जी ने कहा कि बंगाल और बिहार की हालत इस मामले में बहुत दयनीय है। क्या मन्त्री जी को इस बात की जानकारी है कि आपके सेक्रेटैरिएट लैवल में जो पेंशन के केसिज् पेंडिंग हैं, उसमें काफी गड़बड़ी है और खास तौर से जो बिहार के इन्वार्ज हैं, उनके बारे में बहुत सारी शिकायतें हैं । क्या इस सिलसिले में कोई ऐसी कार्यवाही की जायेगी जिसमें न्यायपूर्वक उन आवेदन-पत्रों का निष्पादन हो सके ? इसके साथ ही एक ही तरह के केस में जब एक को पेंशन मिल जाती है और दूसरे को नहीं मिल पाती है उस मामले में भी मन्त्री जी क्या कोई कदम उठाने जा रहे हैं जिससे कि स्वतन्त्रता सेनानियों के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार और गलत हरकत न हो सके ।

श्री राम निवास मिर्धा : श्रीमन्, इस प्रकार की शिकायतें सुनने को मिली हैं, लेकिन निश्चित तथ्य न होने की वजह से उनकी जानकारी या जांच नहीं हो सकती । अगर माननीय सदस्य 1–2 मिसाल ऐसी बतला दें जिसमें कि भेदभाव बरता गया हो तो हम अवश्य जांच करायेंगे ।

श्री बनवारी लाल पुरोहित : अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी गड़बड़ी इस डिपार्टमेंट में यह है कि एम० पी० जितने भी लैटर इस सम्बन्ध में लिखते हैं, उनका एग्नालेजमेंट तक नहीं आता है जबकि गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया के हर डिपार्टमेंट से लैटर का रिप्लाई आता है । मैंने कल ही तीन लैटर इस सम्बन्ध में लिखे हैं जबकि इससे पहले स्टेट गवर्नमेंट ने दो बार केसिज् को रिकमेंड किया है लेकिन अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है । मैं मन्त्री जी से जानना चाहूँगा कि इस प्रकार के जितने भी केसिज् हैं, उसके क्विक डिसपोज़ल के लिए क्या कार्यवाही करेंगे ? क्या कोई ऐसी हिदायत देंगे कि जो एम० पीज् के लैटर आते हैं, कम से कम उनका जवाब मिल सके ।

श्री राम निवास मिर्धा : श्रीमन्, जिस थोड़े समय में मैं इस मन्त्रालय में हूं, मैंने स्वयं बीसियों पत्रों के जवाब माननीय सदस्यों को दिये हैं । यह सच नहीं है कि उनका जवाब नहीं दिया जाता । यह हो सकता है कि जो बात वह चाहते हैं वह सम्भव न हो सके, मैं इस बात को समझ सकता हूँ क्योंकि जब तक निश्चित प्रमाण नहीं होते हम उनको मंजूरी नहीं दे सकते हैं । आज ही प्रातः दो संसद सदस्य महोदय आये थे कि इनका 6 महीने में दस दिन कम है, इनको माफ कर दीजिए ।

इस प्रकार के केसेज् में हमारी सीमा है । नियम बद्ध तरीके से अगर हम काम करें तो निश्चित रूप से इसमें कोई बाधा नहीं आने वाली है ।

[अनुवाद]

एक माननीय सदस्य : महोदय, ऐसा उत्तर मिलता है कि 'हम इस मामले की जांच कर रहे हैं, और वह अभी तक इन मामलों की जांच ही कर रही है, यह समाप्त नहीं हुआ है ।'

प्रो० एन० जी० रंगा : अध्यक्ष महोदय, श्रीमान्, मेरे माननीय मित्र का कहना है कि वे वहां केवल कुछ महीने ही रहे हैं। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण अनुभव रहा है। एक के बाद एक मन्त्री आए लेकिन परिणाम यह हुआ कि परिणाम इतने खराब निकले हैं। मैं उस सलाहकार समिति का सदस्य हूँ। मैंने त्याग-पत्र दिया लेकिन मेरे नेता और वित्त मन्त्री ने मुझे वापस बुला लिया। मुझे पत्र मिलते हैं। मैं उनके उत्तर देता हूँ। वे कहते हैं या आपके सचिव कहते हैं 'हां आपका पत्र अमुक तारीख को प्राप्त हुआ है।' इसके बाद परिणाम क्या होता है ? पता नहीं। यदि कोई उत्तर मिलता भी है तो उसमें केवल यही लिखा होता है कि 'वह रद्द कर दिया गया है'। इसी तरह चलता रहता है। यह दुःखद कहानी है यह हमारी सरकार और हम, स्वतन्त्रताओं सेनानियों को शोभा नहीं देता। हमें मात्र याचिकादाता बना दिया गया है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे माननीय मित्र तथा प्रधानमन्त्री महोदय भी इस पर विशेष ध्यान दें। जहां तक लोकनायक भवन का सम्बन्ध है, क्या वे अपने कार्यालय को नियंत्रित करने के लिए माननीय मन्त्री की सहायता करने हेतु एक समिति गठित करने के लिए तैयार होंगे ?

अध्यक्ष महोदय : प्रधानमन्त्री जी, वे कहते हैं कि समस्याओं का हल करने के लिए मन्त्री की सहायता हेतु आप किसी समिति का गठन करते हैं।

(व्यवधान)

श्री रामनिवास मिर्धा : माननीय अध्यक्ष महोदय पहले से ही एक उच्चशक्ति प्राप्त समिति विद्यमान है जिसका···

(व्यवधान)

प्रो० एन० जी० रंगा : यह एक अल्प-शक्ति प्राप्त समिति है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति।

श्री रामनिवास मिर्धा : महोदय, अत्यन्त विनम्रता के साथ मैं यह निवेदन करूंगा कि कुल आवेदन पत्रों के 83 प्रतिशत पर हम कार्यवाही कर चुके हैं। यदि कोई मामला अस्वीकार करने का है तो उसे अस्वीकार ही करना पड़ेगा और अधिकथित नियमों का कोई समिति उल्लंघन नहीं कर सकती। यदि यह छः महीने है तो यह छः महीने ही रहेगा, यह दस दिन कम नहीं हो सकता। **(व्यवधान)** तब इसे प्रथम दृष्टया ही अस्वीकार करना पड़ेगा।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : प्रो० रंगा ने प्रधानमन्त्री जी को कार्य जारी रखने का सुझाव दिया था। मन्त्रियों में बहुत ही जल्दी-जल्दी फेर-बदल नहीं किया जाना चाहिए ? यह एक सही सुझाव है जो उन्होंने दिया है।

[हिन्दी]

श्री अजय मुशरान : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि स्वतन्त्रता

संग्राम सेनानियों के इस पेंशन के लिए नये आवेदन पत्र जो पेंडिंग हैं, इनके अलावा जिनको पहले पेंशन मिलती थी, जब से यह पेंशन की राशि बढ़ी है तब से उस बढ़ी हुई पेंशन की राशि मिलने में भी जो देरी हो रही है उस प्रकार के जो आवेदनपत्र आते हैं, वह भी काफी मात्रा में हैं और उन पर भी अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हो रही है, तो इन दोनों प्रकार के आवेदन पत्रों पर अलग-अलग विचार करने की जरूरत है। एक पर तो नये सिरे से विचार करते हैं, लेकिन जिनको पेंशन मिली हुई हैं उनको बढ़ी हुई राशि देने राशि देने में क्यों देरी हो रही है? उसके लिए भी मैं चाहता हूँ कि जो प्रोफेसर रंगा जी ने सुझाव दिया है, उसके मामले में अगर जल्दी ये आवेदन पत्र निपटाये जायेंगे तो यह स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के प्रति ज्यादा सम्मान का प्रतीक होगा। क्या इस बारे में माननीय मन्त्री जी कोई पहल करेंगे?

श्री रामनिवास मिर्धा : कुछ राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा इसमें कुछ देरी हुई है। जो राष्ट्रीय ट्रेजरी से अपनी पेंशन पाते हैं उनमें कोई भी देरी नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं रिजर्व बैंक की मार्फत कि जो राष्ट्रीयकृत बैंक हैं वहां से भी जल्दी से जल्दी जो भी बढ़ी हुई पेंशन की राशि है वह उनको मिल सके।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

पिछड़े और पर्वतीय क्षेत्रों में परिवहन सम्बन्धी आधारभूत ढांचे का विकास

*950. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :** क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्वतीय क्षेत्रों सहित पिछड़े क्षेत्रों के आर्थिक विकास हेतु और क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए योजना आयोग और केन्द्रीय सरकार ने इन क्षेत्रों में नई रेल लाइनें बिछाने समेत वहां पर परिवहन सम्बन्धी आधारभूत ढांचे के विकास को कोई प्राथमिकता प्रदान की है :

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना में पूर्ण हुई या शुरू की गई नई रेल लाइनों के नाम क्या हैं और उनका संगत ब्यौरा क्या है, अर्थात ये किन राज्यों में हैं, उनकी अनुमानित लागत कितनी है, उनकी लम्बाई कितने किलोमीटर है और उनके पूरा होने की निर्धारित तारीखें क्या हैं,

(ग) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में, विशेषकर उन राज्यों/क्षेत्रों में, जहां स्वतन्त्रता के बाद कोई भी नई रेल लाइन नहीं बिछाई गई है, सभी अपूर्ण एवं निर्माणाधीन रेल लाइनों को पूरा करने के कार्य को प्राथमिकता दिए जाने का प्रस्ताव हैं :

(घ) यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) से (ङ) : एक विवरण सभा-पटल पर रखा जा रहा है।

विवरण

(क) योजना और विकास के प्रयोजनों के लिए पिछड़े व पहाड़ी क्षेत्रों पर परिवहन आधारभूत संरचनात्मक के प्रबोधन सहित उनके समग्र एकीकृत विकास के लिए विशेष ध्यान दिया जाता रहा है। क्रमिक पंचवर्षीय योजनाओं का आशय, अल्पविकसित राज्यों को केन्द्रीय सहायता के आवंटन में तरजीह देने, क्षेत्र विकास कार्यक्रमों तथा गरीबी दूर करने के कार्यक्रमों जैसे उपायों द्वारा क्षेत्रीय असंतुलन को कम करना रहा है। परिवहन आधारभूत संरचना का विकास इन कार्यक्रमों का महत्वपूर्ण घटक है। फिर भी यह बात स्वीकार की जाती है कि योजनागत विकास में जहां अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रकों के निकट समन्वय में विकसित होने की आशा की जाती है, परिवहन क्षेत्र विकास के एकीकृत योजना के तत्वों में से केवल परिवहन ही एक तत्व है। परिवहन आधार संरचनात्मक की योजना करते समय, अन्तःनिदर्श विकल्पों को उचित तरजीह देने की आवश्यकता है। इसका उद्देश्य न्यूनतम संसाधन लागत से क्षेत्र को परिवहन आवश्यकताओं की पूर्ति करना होता है। यद्यपि योजना परिवहन आधार संरचना, अन्तरनिर्दिष्ट विकल्प को उचित तरजीह दी जानी आवश्यक है। इसका उद्देश्य न्यूनतम संसाधन लागत से परिवहन आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। इसके लिए परिवहन के विभिन्न साधनों के समन्वित विकास की आवश्यकता है जिससे ऐसी व्यवस्था सृजित होती है जिसमें परिवहन के साधन एक दूसरे के पूरक होते हैं—प्रत्येक साधन तुलनात्मक लागत लाभ के आधार पर इसके लिए उत्तम उपयुक्त कार्य का निष्पादन करता है।

(ख) जारी नई रेलवे लाइन परियोजनायें तथा जिनमें छठी पंचवर्षीय योजना में आरम्भ की गई परियोजनायें शामिल हैं तथा उनकी वर्तमान स्थिति का विवरण संलग्न है।

(ग) से (ङ.) उपलब्ध संसाधनों का इष्टतम उपयोग करने की दृष्टि से तथा जारी रेलवे लाइन परियोजनाओं की बड़ी संख्या को ध्यान रखते हुए, परियोजना से संबद्ध रेलवे लाइनों, सामरिक महत्व की लाइनों जैसी चल रही अनिवार्य परियोजनाओं को पूरा करने के कार्य को प्राथमिकता दी जाती है।

विवरण

परियोजना का नाम	रेलवे निर्माण कार्यक्रम में समावेश का संदर्भ	लम्बाई (किमी०)	नवीनतम अनुमानित लागत (करोड़ रु०)	31.3.86 तक अनुमानित व्यय	स्थान	स्थिति/पूरा करने की प्रत्याशित तिथि
1	2	3	4	5	6	7
1. मंगलौर—हस्सन	1963-64	189	52.13	52.13	महाराष्ट्र	1979 में यातायात के लिए खोला गया अवशिष्ट कार्य छठी योजना में पूरा हुआ।
2. बसई रोड—दीवा	1972–73	42	30.00	29.76	महाराष्ट्र	यातायात के लिए 1983 में खोला गया।
3. तिरुनेलवेली—त्रिवेन्द्रम—कन्याकुमारी	1972–73	160	39.21	38.21	तमिलनाडु/केरल	यातायात के लिए 1980 में खोला गया। अवशिष्ट कार्य छठी योजना में पूरा हुआ।
4. हावड़ा—शीकला	1972–73	17	7.00	0.0004	पश्चिम बंगाल	आठवीं योजना
5. वानी—चनाका	1973–74	76	16.80	16.35	महाराष्ट्र	यातायात के लिए 1984 में खोला गया।
6. शाहदरा—सहारनपुर	1973–74	158	36.30	32.65	दिल्ली/उत्तरप्रदेश	यातायात के लिए 1980 में खोला गया।

1	2	3	4	5	6	7
7. चितौनी—बागहा	1974–75	28	23.59	3.01	उत्तरप्रदेश/ बिहार	कुछ भाग पूरा हुआ है। बागहा - वाल्मीकि नगर रोड (9 कि०मी०) 1978 में यातायात के लिए खोला गया।
8. बीबीनगर—नादीकुडे	1974–75	149	45.58	32.46	आंध्र प्रदेश	1990 बीबीनगर से मीरयालगुडा 1984 में यातायात के लिए खोला गया।
9. जाखापुरा—बंसपानी	1974–75	176	75.00	6.91	उड़ीसा	आठवीं योजना जाखापुरा से दैतारी यातायात के लिए 1981 में खोला गया।
10. रोहतक—भिवानी	1974–75	49	8.05	8.05	हरियाणा	1980 में यातायात के लिए खोला गया।
11. सकारी—हसनपुर	1974–75	75	20.85	5.01	बिहार	आठवीं योजना।
12. रामपुर—न्यू हल्दवानी	1974–75	84	30.41	3.55	उत्तर प्रदेश	आठवीं योजना।
13. हावड़ा—आमता	1974–75	74	31.78	15.13	पश्चिम बंगाल	आठवीं योजना सितरागावा से बारगचिया (24 कि० मी०) 1984 में यातायात के लिए खोला गया।

1	2	3	4	5	6	7
14. करैला रोड—जयंत	1977–78	33	25.75	24.10	मध्यप्रदेश/ आंध्रप्रदेश	1984 में यातायात के लिए खोला गया ।
15. भद्राचलम रोड—मानानुरु	1977–78	49	19.95	17.97	आंध्रप्रदेश	1983 में यातायात के लिए खोला गया ।
16. आप्टा—रोहा	1978–79	62	22.78	21.77	महाराष्ट्र	1986 आप्टा–नगोथाना (47 कि० मी०) 1985 में यातायात के लिए खोला गया ।
17. कापडवंज –मोदासा	1978–79	61	15.00	2.60	गुजरात	आठवीं योजना
18. गोहाटी—वर्नीघाट	1978–79	27	18.50	0.50	असम/ मेघालय	मेघालय सरकार द्वारा आपत्तियां की गई । रेलवे द्वारा समाप्त कर दिया गया ।
19. धर्मानगर—कुमारघाट	1978–79	33	29.59	20.66	त्रिपुरा	1987 धर्मानगर–पेचारताल (22 कि०मी०) 1986 में पूरा हुआ ।
20. सिलचर—जीरीबाम	1978–79	49	25.31	13.64	असम/ मणिपुर	1989
21. बालीपुरा—बालुकपोंग	1978–79	35	9.97	5.63	असम/ अरुणाचलप्रदेश	1989

1	2	3	4	5	6	7
22.	जमगुरी—तुली	1978–79	15	5.83	2.01	असम/ नागालैंड	असम और नागालैंड के बीच भूमि-विवाद के कारण कार्य रोक दिया गया।
23.	लालाबाजार—मैसाबी	1978–79	49	27.18	10.98	असम/ मिजोरम	1989
24.	एरणाकुलम—एलीपै	1979–80	57	35.10	16.66	केरल	1990
25.	दुपकादीह—तलगारिया	1979–80	33	13.80	10.94	बिहार	1990
26.	मानिकगढ़—चौदुर	1979–80	29	10.92	9.99	महाराष्ट्र	1985 में यातायात के लिए खोला गया।
27.	कोटा–चित्तौड़गढ़–नीमच	1980–81	235	97.87	32.44	राजस्थान	1990
28.	मोटमारी—जग्गयापेटा	1980–81	32	19.22	13.82	आंध्रप्रदेश	1987
29.	मिराज—सांगली	1980-81	8	2.40	0.01	महाराष्ट्र	रेलवे द्वारा बंद कर दिया गया।
30.	ओल्ड माधवानगर को मुख्य लाइन से मिलाना	1980–81	7	1.22	0.01	महाराष्ट्र	रेलवे द्वारा बंद कर दिया गया।
31.	जम्मू-तवी--ऊधमपुर	1981–82	53	69.76	7.80	जम्मू और कश्मीर	आठवीं योजना
32.	भुज—नलिया	1981–82	110	40.06	12.79	गुजरात	1989
33.	तेलापुर—पाटनचेरू	1981–82	8	7.00	2.59	आंध्रप्रदेश	आठवीं योजना
	करूर–डिंडीगुल–मनियाची —टूटीकुरिन/तिरूनलवेली	1981–82	324	95.90	23.63	तमिलनाडु	आठवीं योजना
	कोरापुट—रायगढ़	1981–82	174	260.00	33.04	उड़ीसा	आठवीं योजना

1	2	3	4	5	6	7
36. चित्रादुर्ग—रायदुर्ग	1981–82	100	20.20	3.16	कर्नाटक/ आंध्रप्रदेश	आठवीं योजना
37. नांगलडैम—तलवारा तथा मुकेरियन—तलवारा की तरफ से ले जाना	1981–82	113	37.68	4.60	पंजाब/ हिमाचलप्रदेश	आठवीं योजना
38. भटिंडा उपमार्ग	1982–83	8	4.28	2.46	पंजाब	1986
39. कालका—परवानू	1982–83	4	1.60	0.26	हिमाचलप्रदेश	रेलवे द्वारा समाप्त कर दी गई।
40. एलीपै—कायानकुलम	1982–83	43	16.00	0.62	केरल	आठवीं योजना
41. ब्रह्मपुत्र पर रेल तथा सड़क पुल तथा गोहाटी तथा जोगीघोपा के बीच ब्रोडगेज लाइन का निर्माण	1983–84	142	87.73	1.37	असम	आठवीं योजना
42. मथुरा—अलवर	1983–84	120	34.75	2.49	उत्तरप्रदेश/ राजस्थान	आठवीं योजना
43. अदिलाबाद—पिम्पलकोटी	1983–84	21	15.65	1.94	आंध्रप्रदेश/ महाराष्ट्र	आठवीं योजना
44. एकलाखी—बालूरघाट	1983–84	91	48.85	3.37	पश्चिमबंगाल	आठवीं योजना
45. तलचर—संबलपुर	1984–85	172	57.97	5.00	उड़ीसा	आठवीं योजना

प्रो० नारायणचन्द पराशर : महोदय मैंने विवरण को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है और प्रश्न छटी पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई चालू परियोजनाओं और नई रेलवे लाइनों के लिए योजना आयोग द्वारा धनराशि का आवंटन करने तक ही सीमित है। प्रश्न के भाग (ग) से (ङ) तक का उत्तर मन्त्री जी ने निम्नलिखित रूप में दिया है:—

> "उपलब्ध संसाधनों का इष्टतम उपयोग करने की दृष्टि से तथा चालू रेल लाइन परियोजनाओं की बड़ी संख्या को ध्यान में रखते हुए परियोजना से सम्बद्ध रेलवे लाइनों, सामरिक महत्व की लाइनों जैसी चल रही अनिवार्य परियोजनाओं को पूरा करने के कार्य को प्राथमिकता दी जाती है।"

मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान इस विषय के सम्बन्ध में इस वर्ष की ७ मार्च को पूछे गए एक प्रश्न का उनके द्वारा दिए गए उत्तरों की ओर भी दिलाना चाहूँगा। उन्होंने यह आश्वासन दिया था कि सातवीं पचवर्षीय योजना में चल रही लगभग सभी परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। इसे मद्देनजर रखते हुए मैं एक विशिष्ट प्रश्न पूछना हूँ कि ऐसे क्षेत्रों में जो अब तक उपेक्षित रहे हैं और जहां आजादी के बाद अब तक एक भी रेल लाइन पूरी नहीं की गई है, क्या ऐसे राज्यों में चल रही परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी ताकि समस्त देश का एकदम विवेकपूर्ण आधार पर क्षेत्रीय विकास भी सुनिश्चित किया जा सके।

श्री ए० के० पांजा : कुल मिलाकर 45 परियोजनाएं चल रही हैं। उनमें से कुछ परियोजनायें छठी योजना के दौरान पूरी हो चुकी हैं और कुछ सातवीं योजना अवधि में पूरी की जानी हैं। इनमें से हमने 45 को संसाधनों की कमी के कारण, दो क्षेत्रों में विभाजित कर दिया है। प्रथम क्षेत्र में वे परियोजनायें हैं जिन्हें उद्योग और अन्य वस्तुओं जैसी पहले से उपलब्ध कुछ संसाधनों के कारण उससे सम्बन्धित रखनी हैं, अर्थात् परियोजना उन्मुख परियोजनायें हैं। दूसरी हैं सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण लाइनें। कुछ परियोजनायें ऐसी हैं जिन्हें सामरिक कारणों की वजह से प्राथमिकता देनी पड़ेगी। मेरे पास वह सूची है जिसमें, जहां तक परियोजना उन्मुख लाइनों का सम्बन्ध है, कुल 9 रेल लाइनें हैं, चालू लाइनें, जिन्हें पूरा किया जाना है और इन्हें पूरा करने के लिए हमने धनराशि का प्रबन्ध किया है। जहां तक सामरिक लाइनों का सम्बन्ध हैं, यह दो हैं अर्थात् भुजनलिया और भटिण्डा उपमार्ग। उनको भी प्राथमिकता देनी चाहिए। इन सभी 45 परियोजनाओं में से, हमने ऐसा कोई मानदण्ड नहीं बनाया है कि जहां लाइनें नहीं हैं वहां लाइनें बिछाई जाएं। किन्तु निर्धारित मानदण्ड यह है कि सातवीं योजना की समग्र नीति के रूप में विकास प्रक्रिया में गति लाने के लिए जब विकास प्रक्रिया जारी रहती है तो रेल लाइन की आवश्यकता हो सकती है, इस मामले में हम कार्यवाही कर रहे हैं।

प्रो० नारायण चन्द पराशर : मेरा सुस्पष्ट प्रश्न यह है कि उनके मानदण्ड चाहे कुछ भी हों परन्तु रेलवे एक राष्ट्रीय उपक्रम है और इसे समस्त देश की देखभाल रखनी पड़ती है। इसीलिए, योजना आयोग ने इन लाइनों को स्वीकृति दे दी है, योजना आयोग की स्वीकृति पर तथा योजना आयोग द्वारा धनराशि आवंटित किये जाने पर छठी पंचवर्षीय योजना अथवा सातवीं पंचवर्षीय योजना में इन रेल लाइनों को बिछाने का कार्य शुरू किया गया था। इसे दृष्टिगत रखते हुए, क्या ऐसी रेल लाइनों को, जो कुछ राज्यों में केवल एक ही है, जिनमें आजादी

के बाद से अब तक कोई रेल लाइन नहीं बिछाई गई है, उन राज्यों में भी प्राथमिकता मिलेगी ? उदाहरण के लिए, हिमाचल में एक नांगल-डैम-तलवाड़ा रेल लाइन के लिए 1974 में आधार-शिला रखी गई थी। इसे तब श्रीमती इन्दिरा गान्धी द्वारा 1980 में स्वीकृति दी गई थी। अब, इसे बिछाने का कार्य शुरू किया गया है तथा आठवीं पंचवर्षीय योजना में इसे पूरा करने की लक्ष्य तारीख दी गई है। माननीय मन्त्री जी द्वारा उल्लिखित 45 रेल लाइनों में से 16 लाइनों को आठवीं योजना में पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। परन्तु रेल मन्त्री जी एक पहले पूछे गए प्रश्न के उत्तर में यही बल देते आ रहे हैं कि उन्हें सातवीं पंचवर्षीय योजना में ही पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। इसे मद्देनजर रखते हुए, पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों के विकास को दृष्टिगत रखते हुए, विशेषकर 5 मई 1986 के 'बिजनेस स्टेन्डर्ड' में छपे योजना आयोग के इस प्रतिवेदन को देखते हुए कि औद्योगिक विकास आदि के लिए राजसहायता असफल रही है और रेल लाइनों समेत परिवहन संसाधनों की व्यवस्था पर अब बल दिया जाएगा, क्या अब उन राज्यों में जहां पिछले 40 वर्षों के दौरान एक भी रेल लाइन नहीं बिछाई गई और जिन्हें भाग्यवश रेलवे बोर्ड की स्वीकृति प्रदान है, प्राथमिकता के आधार पर रेल लाइन बिछाने का कार्य पूरा किया जाएगा और इन लाइनों को प्राथमिकता दी जाएगी ?

श्री ए० के० पांजा : जहां तक हिमाचल प्रदेश का सम्बन्ध है, जैसा कि माननीय मन्त्री जी उस राज्य के हैं, वहां दो परियोजनायें हैं। प्रथम नांगल डैम–तलवाड़ा रेल लाइन है जो 113 किलोमीटर लम्बी है। आज उसकी लागत 37.68 करोड़ रुपये है। इसमें से 4.60 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं और 1986-87 के लिए भी 2 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। राज्य सरकार ने भूमि की कीमत वहन करना स्वीकार कर लिया था और लकड़ी के स्लीपर भी सप्लाई करना चाहती थी। परन्तु हम यह नहीं चाहते कि व्यवहार्यता निर्धारित करने के लिए भूमि देने और स्लीपरों की लागत को शामिल किया जाए। तथापि वित्तीय कठिनाई के कारण यह जारी है। परन्तु हम इसे पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। पूरा करने के लक्ष्य की तारीख आठवीं योजना है, हम कोई निश्चित तारीख निर्धारित नहीं कर सके हैं।

जहां तक अन्य दूसरी, लाइन, कालका–परमाणु, रेल लाइन का सम्बन्ध है (व्यवधान), इसे वास्तव में योजना आयोग द्वारा स्वीकृति दी गई थी। परन्तु इसके पश्चात् राज्य सरकार ने रेलवे को बताया कि यह योजना रद्द की जा सकती है और रेलवे ने इसे अव्यवहार्य समझकर और यह चूंकि अधिक समय लेगी, इसे वापस ले लिया। स्थानीय संगठन, परमाणु औद्योगिक संगठन ने भी यह निवेदन किया कि यह योजना आवश्यक नहीं है। इस कारण से योजना आयोग को यह बन्द करनी पड़ी। इसीलिए इसे बन्द कर दिया गया है। जहां तक दूसरी लाइन का सम्बन्ध है, हम इसे यथासम्भव शीघ्रअति शीघ्र पूरा करने के लिए प्राथमिकता दे रहे हैं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप लक्षद्वीप में रेल को ले जाना चाहते हैं, बोलिये सईद साहब।

[अनुवाद]

श्री पी० एम० सईद : मैं रेलवे लाइन के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय, मेरी हिन्दी में यह मेडन परफोर्मेन्स है। मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से यह कहना चाहता हूँ कि लक्षद्वीप जहां प्रधानमन्त्री जी भी गये थे, वहां पर ट्रान्सपोर्ट फैसिलिटीज की कमी विकास के बोटलनेक है। इसलिए प्रधानमन्त्री जी ने लोगों को आश्वासन दिया था कि आपके यहां यातायात का जो प्रश्न है टापुओं के बीच में या मैन लैंड या आइलैंड के बीच में, जो भी हो, या जहाज की व्यवस्था हो, एयर सर्विस की व्यवस्था हो, कुछ भी हो, उसके लिए बहुत ही अहम कंसिड्रेशन सरकार देगी। प्राईमिनिस्टर साहब के वहां जाने के बाद हालत यह हुई है कि वहां जो हैलीकोप्टर सर्विस थी, वह भी बन्द कर दी गई। प्रधानमन्त्री जी भी हमारे यहां आए थे और श्री पांजा भी उधर गये थे। मैं आपके माध्यम से इनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या अगती में एयरपोर्ट के लिए जो जगह दी है, वर्षों में बड़ी मुश्किल से वह जगह दी है, तो उसके बारे में सरकार ने क्या नीति अपनाई है। क्या वहां पर एयरपोर्ट बनेगा, यह मैं जानना चाहता हूँ। साथ ही साथ हैलीकोप्टर सर्विस जो है, एयरपोर्ट आने तक यह सर्विस बिल्कुल जारी होनी चाहिए, इसके बारे में स्पेसीफिक डाइरेक्शन्स सरकार को देनी चाहिए।

[अनुवाद]

श्री ए० के० पांजा : हमें सर्वप्रथम हिन्दी में प्रश्न पूछने के लिए माननीय सदस्य का धन्यवाद करना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री राजकुमार राय : धन्यवाद भी हिन्दी में दिलवाइए। ···(**व्यवधान**)····

[अनुवाद]

श्री ए० के० पांजा : मेरी यही कठिनाई है। मैं हिन्दी में उत्तर दे सकता हूँ। परन्तु मैं यह नहीं कह सकता कि उसका उचित अनुवाद होगा अथवा नहीं।

[हिन्दी]

श्री राजकुमार राय : घी का लड्डू टेढ़ा भी अच्छा होता है।

अध्यक्ष महोदय : हमारे यहां एक कहावत है कि गूंगे की भाषा गूंगे की मां जरूर समझती है। तो मैं इसका ट्रान्सलेशन कर दूंगा। ···(**व्यवधान**)···

[अनुवाद]

श्री ए० के० पांजा : जहां तक प्रधान मंत्री द्वारा दिये गये आश्वासनों का सम्बन्ध है हम उन्हें पूरा करेंगे। अगाट्टी, जो एक द्वीप-पट्टी है, को लगभग 4 करोड़ रुपये देने होंगे जिसके लिये योजना आयोग की मंजूरी आवश्यक होगी और यह राशि हवाई पट्टी के निर्माण हेतु दी जायेगी स्थल भूमि का चयन करने तथा उसे नापने का काम चल रहा है।

10 द्वीप ऐसे हैं जिनमें 40.249 की जनसंख्या है एक द्वीप में जिसका नाम बंगारा है, कोई नहीं रहता। ये द्वीप पर्यटन स्थल हैं इसलिए हेलीकोप्टर खरीदे गये हैं जो आबादी वाले दस और बिना आबादी वाले एक द्वीप को जोड़ने की स्थिति में हैं। (व्यवधान) अब हेलीकोप्टरों को उतारने के लिए हेलीपेड की आवश्यकता होगी। जो हेलीपेड वहां पहले से था वह सेना के हेलीकोप्टरों के लिए है। इस काम को पूरा करने के लिए नागर विमानन विभाग द्वारा नाप लिया जाना आवश्यक है। इस कार्य में जनता की सुरक्षा का भी ध्यान रखना है। क्योंकि इन द्वीपों के चारों ओर तूफानी समुद्र है। इस प्रकार सुरक्षा तथा अन्य बातों को भी ध्यान में रखना है। मुख्य भूमि से अगाड़ी जाने के लिए भी तूफानी समुद्र पार करना पड़ता है। परन्तु हवाई पट्टी का काम शुरू हो गया है और मुझे विश्वास है कि यह कार्य रिकार्ड समय में पूरा हो जायेगा।

[हिन्दी]

प्रधान मन्त्री श्री राजीव गान्धी : अध्यक्ष महोदय, मैं दो शब्द एड करना चाहता हूं। ···(व्यवधान)···हिन्दी ठीक है।

श्री राजकुमार राय : बहुत अच्छी है। बहुत ठीक है।

श्री राजीव गांधी : मेरे लक्ष्यद्वीप जाने के बाद हमने बहुत गम्भीरता से लक्ष्यद्वीप के सब आयलैंड के विकास का सोचा है। हमने एक आयलैंड डवेलपमेंट का कार्यक्रम बनाने को प्लानिंग कमीशन को कहा है। वे बना रहे हैं, तैयार होगा। हेलीकोप्टर के बारे में एयरस्ट्रीप के लिए पहले जमीन डिफेंस ने ली थी और उसे अब हमने सिविल एवियेशन को दिलवा दिया है बहुत ही जल्दी से एयरस्ट्रिप बनेगा और हमारी उम्मीद है, कायदा तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन उम्मीद है, कि जब तक अगला बजट सैशन कम्प्लीट होगा और सईद जो वापिस जाना चाहेंगे तो वायुदूत से जा पायेंगे।

अध्यक्ष महोदय : तब हम सईद साहब के साथ में लैंड करेंगे।...(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : अध्यक्ष महोदय, सईद साहब ने यह कहा था, प्रधान मंत्री जी के वहां जाने के बाद जो सुविधा थी, वह भी बन्द हो गई है। इसलिए उन्होंने कहा– फिर मत आना अगर यही करना है तो उसके बारे में उनकी क्या राय है।....(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री पी० कुलनडईवेलू : वक्तव्य के अनुसार आनुक्रमिक पंचवर्षीय योजनाओं में क्षेत्रीय असन्तुलन को कम करने का उद्देश्य है। यहां परिवहन उनमें से एक तत्व है लेकिन यह क्षेत्र के विकास के लिए एक एकीकृत योजना भी दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अब सातवीं पंचवर्षीय योजना चल रही है। लेकिन जिन परियोजनाओं को पांचवीं पंचवर्षीय योजना में सर्वेक्षण किया गया था उनका काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है। ऐसी एक परियोजना की ओर में मन्त्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूँ। यह परियोजना दक्षिण में दो राज्यों को जोड़ती है। यह तमिलनाडु में सत्यमंगलम और कर्नाटक में चामराजनगर के बीच एक रेल लाइन बनाने की परियोजना

है। इसका सर्वेक्षण पांचवीं पंचवर्षीय योजना में किया गया था लेकिन अभी तक इसका काम आरम्भ नहीं हुआ है। मैं जानना चाहता हूँ कि सरकार इस परियोजना को शुरू करेगी या नहीं।

श्री ए० के० पांजा : क्षेत्रीय असन्तुलनों को दूर करने के लिए परिवहन सुविधा के अतिरिक्त अन्य कई बातें हैं। बेशक यह उनमें से एक महत्वपूर्ण बात है।

ऐसे क्षेत्रों के अध्ययन से जिन पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। यह पता चलता है कि बिहार अत्यधिक कुप्रभावित क्षेत्र है। जहां तक गरीबी के स्तर की बात है बिहार में 49.[illegible] प्रतिशत है। दूसरा स्थान मध्यप्रदेश का है जहाँ 46.2 प्रतिशत है। तीसरे उत्तर प्रदेश में 45.3 प्रतिशत है। अतः उत्तर प्रदेश के अविकसित समझे जाने वाले क्षेत्रों में 826 किमी० मार्ग का काम किया जा चुका है। बिहार में 680 किलोमीटर और आसाम में जो.....

अध्यक्ष महोदय : ये आंकड़े हैं जिन्हें आप सभा पटल पर रख सकते हैं।

श्री ए० के० पांजा : महोदय, मैं इन्हें रखूंगा।

श्री० पी० कुलनदईवेलू : लेकिन मैंने एक विशेष परियोजना की बात की है।

श्री ए० के० पांजा : उस परियोजना के बारे में यदि माननीय सदस्य मुझे लिखते हैं तो मैं निश्चित रूप से स्थिति का पता लगाकर उन्हें लिख दूंगा।

श्री पी० कुलनदईवेलू : यह कार्य छठी पंचवर्षीय योजना में ही किया जाना चाहिए था।

[हिन्दी]

श्री रामसिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मथुरा–अलवर रेलवे लाइन जो मन्त्री जी ने अपने जवाब के एनैक्सचर आइटम–42 में उद्धृत किया है, कहा है 1983–84 में रेलवे में निर्माण कार्य शुरू किया था और अभी तक आपने केवल 2 करोड़ 49 लाख रुपए खर्च किए हैं। आपके अनुमान के अनुसार यह निर्माण कार्य 1995 में अष्टम पंचवर्षीय योजना में पूरा होना चाहिए। यदि यही रफ्तार इसके निर्माण कार्य को रुपये देने की रही, तो यह सन् 2000 तक भी पूरा नहीं हो सकता है। आपसे पहले जो मन्त्री जी थे उन्होंने आश्वासन दिया था कि अलवर से, मथुरा से, दोनों ओर से निर्माण कार्य होगा और उसके लिए राशि बढ़ायी जायेगी। मन्त्री जी क्या अलवर में भी और मथुरा में भी निर्माण कार्य शुरू करेंगे और इसके लिए जो डेढ़ करोड़ रुपया दिया है, उसकी बजाय इस साल दस करोड़ रुपया देने की कृपा करेंगे ?

[अनुवाद]

श्री ए० के० पांजा : मथुरा–अलवर रेल लाइन 120 किलोमीटर की है। परियोजना लागत 34.75 करोड़ रुपये होगी। इसमें 2.49 करोड़ रुपये–यह उत्तर प्रदेश और राजस्थान के बीच है। इसे निर्धारित समय में, आठवीं योजना के दौरान, पूरा किया जाना है।

पश्चिम बंगाल में बंगलादेश से लोगों का निरंतर आते रहना

+

*951 **श्री बालासाहेब विखे पाटिल** :

श्री के० वी० शंकरगौड़ा : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 2 अप्रैल, 1986 के "इण्डियन एक्सप्रैस" में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर आकर्षित किया गया है कि बंगलादेश से लोगों का आना निरन्तर जारी है और उनका पश्चिम बंगाल के मालदा, मुर्शिदाबाद और दीनाजपुर जिलों में जमाव हो रहा है :

(ख) यदि हां, तो इन सभी क्षेत्रों में घुसपैठियों की वास्तविक संख्या कितनी है : और

(ग) उन्हें तुरन्त वापस भेजने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

आंतरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) जी हां, श्रीमान। लेकिन समाचार सही नहीं है। वास्तव में घुसपैठ के आंकड़ों से मालूम होता है कि इनमें पिछले वर्षों की तुलना में 1985 में मालदा, मुर्शिदाबाद और दीनाजपुर जिलों में कमी आई है।

(ख) 1-1-1983 से 31-3-1986 तक की अवधि के दौरान पकड़े गए और वापस भेजे गए घुसपैठियों की संख्या पश्चिमी दीनाजपुर जिले में 1011, मालदा जिले में 234 और मुर्शिदाबाद जिले में 2194 है।

(ग) सरकार सीमा सुरक्षा बल की अतिरिक्त बटालियनें गठित करके सीमा बाह्य चौकियां, पर्यवेक्षण चौकी बुर्ज बनाकर और सीमा सुरक्षा बल को अतिआधुनिक उपकरणों से लैस करके, सीमा पर निगरानी बढ़ा रही है।

[हिन्दी]

श्री बालासाहेब विखे पाटिल : अध्यक्ष महोदय, यह तो ठीक है कि इंडियन एक्सप्रैस की न्यूज सही नहीं है। जो लोग वापस चले गये हैं या वापस भेज दिये गये हैं यह तो आपने बताया है लेकिन यह नहीं बताया कितने लोग आये थे, उनमें से कितने वापस भेज दिये, कितने बाकी हैं ? जो वापस भेज दिये हैं या चले गये हैं उनके फिगर तो आपने दिये हैं लेकिन कितने लोग आये उनके फिगर्स नहीं दिये हैं। इसके साथ-साथ जो यह हमेशा का प्रश्न बन रहा है और जिसके लिए आप क्या फैंसिंग करने जा रहे हैं या वाल बना रहे हैं परमानेंटली जिससे कि हमेशा के लिए सवाल हल हो जाए ?

श्री अरुण नेहरू : अगर हमें पूरा पता होता कि कौन लोग आ रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं तो उसमें कठिनाई नहीं होती। जो इल्लीगली आते हैं वे बता कर थोड़े ही आते हैं कि वे आ रहे हैं। दो तरह से लोग आते हैं। एक लीगल्ली बोर्डर को क्रोस करके आते हैं जिनके फिगर्स हैं। पिछले तीन सालों में बी० एस० एफ० ने करीब 21 हजार, 23 हजार और 30 हजार लोगों को बंगलादेश वापस भेजा। मगर समस्या इसलिए होती है कि इस समय विजा रेगुलेशन कोई नहीं

है । सन् 1972 का एक एग्रीमेंट बंगलादेश के साथ है उसके मुताबिक जो 180 दिन के लिए यहां आता है उसको रजिस्टर नहीं करना पड़ता है । जब कोई 180 दिन के लिए एक बार यहां आ जाता है तो उसके बाद पता नहीं लगता कि किस तरफ गया, कहां गया । समस्या यह है ।

श्री बालासाहेब विखे पाटिल : मेरा दूसरा सवाल यह है कि हमारे यहां विजा का कोई प्रावधान नहीं है । यह जो एग्रीमेंट है जिससे कि बोर्डर की सिक्योरिटी की प्राब्लम खतरनाक हो रहा है, क्या उसके बारे में दुबारा सोचा जायेगा ? आज हमने अखबार में पढ़ा है कि बार्डर पर एक्स सर्विसमैन को रिहेबलिटेट करने के लिए सरकार 40 करोड़ रुपया और उसके बाद 200 करोड़ रुपया खर्च करेगी । क्या यह सही है ? इसके साथ-साथ हमारे पडौसी राज्यों मणिपुर, सिक्किम और असम में इसके कारण जो आबादी बढ़ रही है, उनके आने के कारण आबादी बढ़ रही है, इसके बारे में क्या सोच रहे हैं ? क्या इसके लिए कोई परमानेंटली ठोस कदम उठाये जायेंगे ?

श्री अरुण नेहरू : सर, मुख्यमन्त्री वेस्ट बंगाल से भी इसके विषय में हम लोगों ने चर्चा की है । हम लोग सोच रहे हैं जो पूरा विजा सिस्टम है उसको फिर से देखना है और उसमें कुछ परिवर्तन लाने होंगे ।

[अनुवाद]

श्री के० बी० शंकरगौड़ा : महोदय, मन्त्री महोदय ने बताया है कि लोग आते हैं और चले जाते हैं । वे हमें कोई नोटिस नहीं देते, और न ही हमें इसका पता चलता है । मैं समझता हूँ कि मन्त्री महोदय द्वारा, जो कानून और व्यवस्था के प्रभारी हैं, ऐसा उत्तर दिया जाना उचित नहीं है । जब कभी आपसी समझौते का उल्लंघन किया जाये तो क्या हमें घुसपैठ को रोकने के लिए वीजा लागू करके वैकल्पिक व्यवस्था नहीं करनी चाहिए ।

मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूँ कि क्या इसका पता लगाने और वैकल्पिक व्यवस्था करने की जिम्मेदारी सरकार की नहीं है ? अन्यथा कानून और व्यवस्था का प्रश्न भी बिल्कुल वैसा ही हो जायेगा जैसा कि असम में भी है ।

आन्तरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण नेहरू) : मुझे नहीं मालूम कि माननीय सदस्य समस्या को सही ढंग से समझे भी हैं या नहीं । जैसा कि मैंने पहले बताया है कि भारत और बंगलादेश के बीच एक समझौता है । यह 1972 का समझौता कहलाता है जिसके अन्तर्गत लोगों को आने की इजाजत है, वे 180 दिनों तक यहां रह सकते हैं और इसके बाद उन्हें अपने आप को पंजीकृत कराना पड़ता है । व्यवहारिक कठिनाई यह है कि एक बार जब वे आ जाते हैं और भारत में 180 दिनों तक रह लेते हैं और अपने आपको पंजीकृत नहीं कराते तथा सारे भारत में घूमते फिरते हैं, तब उनका पता लगाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि 1972 से लेकर 1984 तक की अवधि के दौरान लगभग चार लाख बंगलादेशी लोग वैध वीसा के आधार पर भारत आ गये हैं जिन्होंने अपने आप को पंजीकृत नहीं कराया है और देश की आम जनता में मिलजुल गये हैं । इस समस्या को ध्यान में रखते हुए हमने सोचा है कि हम इस प्रणाली में संशोधन करेंगे । हम इस बारे में बंगलादेश के अधिकारियों से भी

बातचीत कर रहे हैं । हमने इस बारे में पश्चिम बंगाल के मुख्य मन्त्री से भी बातें की हैं और बहुत जल्दी ही हम यह प्रणाली बना लेंगे ।

श्री दिनेश गोस्वामी : माननीय मन्त्री महोदय शायद इस बात से सहमत होंगे कि पता लगाये गये व्यक्तियों की संख्या, चोरी-छिपे भारत में घुस आये व्यक्तियों की संख्या से कहीं कम है क्योंकि हमारी सीमायें उनके लिए एक खुली सीमा के रूप में हैं ।

1962 में भारत सरकार ने घुसपैठियों की सही संख्या का पता लगाने के उद्देश्य से, बंगलादेश उस समय यह पाकिस्तान था—और साथ ही साथ पाकिस्तान के आसपास के क्षेत्रों में आबादी का एक तुलनात्मक अध्ययन किया था, और एक निष्कर्ष पर पहुँची कि 1950–60 के दशक में लगभग 22 लाख लोग भारत में घुसपैठ कर चुके थे । इसलिए, इस संदर्भ में, क्या मैं यह पूछ सकता हूँ कि क्या सरकार घुसपैठियों की संख्या का मोटा-मोटा अनुमान लगाने के लिए आज भारत और बंगलादेश की आबादी के आंकड़ों का कोई तुलनात्मक अध्ययन करेगी ?

केन्द्रीय सरकार का एक दल सीमा सड़क पर तार लगाने के बारे में बातचीत करने के लिए असम गया था । क्या मैं जान सकता हूँ कि इसका क्या परिणाम निकला है ?

श्री अरुण नेहरू : सीमांत जिलों की 1971 और 1981 की जनसंख्या से सम्बन्धित आंकड़े हमारे पास हैं । हमने दो तुलनात्मक अध्ययन किये हैं । यदि हम सम्पूर्ण पश्चिम बंगाल को लें तो वहां आबादी में 22 प्रतिशत वृद्धि हुई है । परन्तु यदि हम आठों सीमांत जिलों का अध्ययन करें तो आबादी में वृद्धि का प्रतिशत 25 प्रतिशत से 35 प्रतिशत तक बैठता है । अतः इन आठों सीमांत क्षेत्रों में भारी संख्या में ऐसे लोग मौजूद हैं । यह आंकड़े हमारे अपनी इस जानकारी से मेल खाते हैं कि लोग सीमा पार करके आ रहे हैं । मेरा अर्थ है कि हमें इस बारे में पूरी-पूरी जानकारी है । इस सम्बन्ध में हमने पश्चिम बंगाल सरकार के साथ विस्तार से बातचीत की है । हमने उन्हें 165 और चौकियों की स्वीकृति दे दी है क्योंकि वहाँ एक ऐसा विभाग है जो भारत आने वाले विदेशी नागरिकों की घुसपैठ की छानबीन करता है । विगत तीन वर्षों में यह देखा गया है कि इसमें धीरे धीरे गिरावट आई है । लेकिन मैं यह नहीं कहूँगा कि घुसपैठ नहीं हो रही है । घुसपैठ तो जारी है ही । यदि हम एक वर्ष में 30000 लोगों को वापिस भेजने की स्थिति में हो जायें तो यह स्पष्ट है कि और भी अधिक लोग सीमा पार करके आ जायेंगे क्योंकि सीमा खुली हुई है । यह बहुत सुगम मैदानी इलाका है । हम उन्हें वापस भगाते रहेंगे और वे आते रहेंगे ।

इस प्रयोजन के लिए, हमने वास्तव में अपनी निगरानी व्यवस्था दो गुनी कर दी है । हम पश्चिम बंगाल में लगभग 2000 किलोमीटर सड़क की भी निगरानी कर रहे हैं । यह बहुत दुर्गम मैदानी इलाका है और जब तक आपके पास समुचित निगरानी व्यवस्था नहीं है तब तक आप इस तरह की घुसपैठ को नहीं रोक सकते जो हो रही है ।

प्रश्न के दूसरे भाग के सम्बन्ध में जो असम से सम्बधित है, मुझे इसके लिये एक अलग सूचना दीजिए ।

[हिन्दी]

श्री राजकुमार राय : अध्यक्ष महोदय, अखबारों की खबरों की हमारे देश में बड़ी महत्ता है और "इंडियन एक्सप्रेस" बहुत बड़ा अखबार है, बहुत बड़ा इसका सरकुलेशन है और लोग इस पर विश्वास करते हैं। अभी एक प्रश्न के उत्तर में माननीय मन्त्री जी ने बताया कि जो न्यूज आइटम है वह एकदम गलत पाया गया, सही नहीं था। मैं माननीय मन्त्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ और मुझे यह जानकारी है कि बहुत से ऐसे न्यूज आइटम्स इंडियन एक्सप्रेस में गलत प्रकाशित होते हैं जो अक्सर गलत होते हैं, मैं जानना चाहता हूँ कि गलत न्यूज देने के लिए इंडियन एक्सप्रेस पर क्या कोई कार्यवाही की गई, या कार्यवाही की जाएगी ?

[अनुवाद]

श्री अरुण नेहरू : हर अपने विचार प्रकट करने के लिए स्वतन्त्र है। परन्तु हम उस लेख के लेखक नहीं हैं और हम इस पर ज्यादा ध्यान भी नहीं देते।

श्री अजय विश्वास : क्या मन्त्री महोदय को यह पता है कि हाल ही में तीन चार दिन पहले चिटगांव पहाड़ियों में उपद्रवों के कारण लगभग 5000-6000 चकमा शरणार्थी त्रिपुरा में घुस आये हैं ? इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार क्या कर रही है ? क्या केन्द्र सरकार उनको भोजन तथा अन्य जरूरी चीजें उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार को सहायता देगी ?

श्री अरुण नेहरू : हालांकि यह प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है फिर भी इसका उत्तर देने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हमने इस मामले में बहुत गम्भीर दृष्टिकोण अपनाया है। मेरे सह-योगी विदेश मंत्री यहां उपस्थित हैं। हमने इस मामले में बंगलादेश सरकार से भी बात की है।

शरणार्थियों के दर्जे के बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ का अभिसमय

*952. **श्री अनादि चरण दास** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार से शरणार्थियों के दर्जे के बारे में 1951 के संयुक्त राष्ट्र संघ का अभिसमय तथा इसी बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ के शरणार्थियों संबंधी उच्चायुक्त के 1967 का प्रोटोकोल स्वीकार कर लिया है और उनका अनुसमर्थन कर दिया है :

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं :

(ग) क्या संयुक्त राष्ट्र संघ व्यवस्था में इस संगठन को एक महत्वपूर्ण संस्था माना जाता है, और

(घ) क्या निकट भविष्य में इस संगठन का भारत में एक स्थायी कार्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव है ?

विदेश मंत्री (श्री वी. आर. भगत): (क) जी नहीं।

(ख) अभिसमय और प्रोटोकोल सम्बन्धी संभव प्रभावों पर विचार हो रहा है।

(ग) और [घ] : 1949 के प्रस्ताव 319 (iv) द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ महा सभा द्वारा लिए गए निर्णय के फलस्वरूप 1 जनवरी, 1951 को यू. एन. एच. सी. आर. का कार्यालय खुला था जो आर्थिक सामाजिक आयोग के माध्यम से सभा को वार्षिक रिपोर्ट देता है।

यू. एन. एच. बी. आर. का एक शाखा कार्यालय 1969 में नई दिल्ली में स्थापित किया गया था परन्तु यू. एन. एच. सी. आर. ने 1975 में इसे बन्द कर दिया था। 1979 में यू. एन. एच. सी. आर. ने हमसे यह अनुरोध किया कि उन्हें भारत में एक कार्यालय खोलने की अनुमति दे दी जाए। हमने नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के यू. एन. एच. सी. आर. संघटक के रूप में कार्य करने के लिए यू. एन. एच. सी. आर. के एक प्रतिनिधि के लिए अनुमति दी है।

श्री अनादि चरण दास : मेरे प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में यह बताया गया है : "अभिसमय और प्रोटोकोल संबंधी संभव प्रभावों पर विचार हो रहा है।" क्या मैं जान सकता हूँ कि यह अध्ययन कब तक चलता रहेगा ? और इसे पूरा होने के बाद सरकार क्या कदम उठाने का विचार रखती है ?

श्री बी० आर० भगत : महोदय, इस समय मैं यह नहीं बता सकता कि यह कब तक रहेगा क्योंकि हमारे सामने कुछ बुनियादी कठिनाइयां पैदा हो गई हैं और उन कठिनाइयों को दूर करना आसान काम नहीं है।

श्री अनादि चरण दास : महोदय, संयुक्त राष्ट्रसंघ के शरणार्थियों संबंधी उच्चायुक्त का एक शाखा कार्यालय नई दिल्ली में स्थापित हो चुका है। क्या मैं जान सकता हूँ कि उसका दैनिक कार्य क्या है ?

श्री बी० आर० भगत : यह एक शाखा कार्यालय नहीं है। एक शाखा कार्यालय 1969 में स्थापित किया गया था परन्तु बाद में 1975 में इसे बन्द कर दिया गया था। उन्होंने एक दूसरा शाखा कार्यालय खोलने के लिए फिर से कहा था परन्तु हम इसके लिए सहमत नहीं हैं और संयुक्त राष्ट्र संघ के शरणार्थियों संबंधी उच्चायुक्त का केवल एक प्रतिनिधि ही संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम परियोजना के अन्तर्गत यहां है।

सैयद शाहबुद्दीन : मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि शरणार्थियों के वे कौन से वर्ग हैं जिनका कार्य यह कार्यालय कर रहा है। आज हम श्रीलंका से आये हुए शरणार्थियों की देखभाल से संबोधित बहुत भीषण समस्या का सामना कर रहे हैं। हमारे यहां कुछ अफगानी शरणार्थी भी हैं। इन शरणार्थियों की देखभाल करने के लिए इस कार्यालय द्वारा भारत सरकार की क्या सहायता की जा रही है या इन शरणार्थियों की देखभाल करने के लिए इनके द्वारा क्या भूमिका अदा की जा रही है ?

श्री बी० आर० भगत : महोदय, संयुक्त राष्ट्र संघ के शरणार्थियों सम्बन्धी उच्चायुक्त को यह बता दिया गया है कि हमें श्रीलंका के उन तमिलों को सहायता उपलब्ध कराने के लिए

उनकी सहायता की कोई जरूरत नहीं है, जिन्होंने भारत में शरण ली है। जहां तक तथाकथित अफगान शरणार्थियों का सम्बन्ध है यह कार्यालय सहायता प्रदान करने का इच्छुक था। लेकिन हम इसके लिए भी सहमत नहीं हुए।

सैयद शाहबुद्दीन : अतः वे भारत में किसी भी शरणार्थी की देखभाल नहीं कर रहे हैं तो उनका कार्यालय यहां क्यों है ?

श्री बी० आर० भगत : इसीलिए यहां केवल एक प्रतिनिधि है न कि कोई कार्यालय।

टेलीविजन सेट बनाने के लाइसेंस

*953. **श्री मोहनभाई पटेल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1985 तक प्रत्येक राज्य में सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र की कितनी कम्पनियों को देश में रंगीन टेलीविजन सैट और सादे टेलीविजन सेट बनाने के लिए लाइसेंस दिए गए;

(ख) क्या सभी टेलीविजन निर्माताओं को टेलीविजन सेटों के उपकरणों को आयात करने की सुविधा दी गई है; यदि हां, तो ऐसे उपकरणों के आयात की सीमा कितनी रखी गई है;

(ग) क्या यह सच है कि ऐसी बहुत सी कम्पनियां हैं, जिन्हें टेलीविजन सेट बनाने के लिए लाइसेंस दिए गए हैं और उन्हें आयात के लाइसेंस भी दिए गए हैं, किन्तु उन्होंने टेलीविजन सेट नहीं बनाए हैं;

(घ) क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच की गई है; और

(ङ.) यदि हां, तो ऐसे निर्माताओं की संख्या कितनी है तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ङ.) एक विवरण लोक सभा के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) दिनांक 30 अप्रैल, 1986 की स्थिति के अनुसार देश में रंगीन दूरदर्शन और श्याम तथा श्वेत दूरदर्शन रिसीवर सेटों का विनिर्माण करने के लिए, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों में जिन कम्पनियों को औद्योगिक लाइसेंस दिए गए हैं, उन कम्पनियों की संख्या अनुबन्ध में दी गई है।

(ख) दूरदर्शन सेटों का विनिर्माण करने के लिए आवश्यक अधिकांश पूंजीगत उपस्करों

को खुले सामान्य लाइसेंस (ओ०जी०एल०) के अन्तर्गत रखा गया है। अर्थात् उनका आयात करने के लिए किसी आयात लाइसेंस की जरूरत न पड़े। अतः इस प्रकार की कोई सीमा नहीं है। किन्तु परियोजना की स्थापना करने उनका पर्याप्त रूप से विस्तार करने के लिए आयातित पूंजीगत सामान पर सीमा-शुल्क में जो रियायत दी जाती है वह लाइसेंस शुदा क्षमता के लिए अनिवार्य समझी गई मात्रा तक सीमित है।

(ग) औद्योगिक लाइसेंस की प्रारम्भिक वैधता अवधि दो वर्ष है, इस अवधि के दौरान पार्टी से वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन आरम्भ करने की आशा की जाती है इस अवधि को उचित कारणों के आधार पर और बढ़ाया जा सकता है। अधिकांश कम्पनियों ने जिनके पास औद्योगिक लाइसेंस है, उत्पादन करना शुरू कर दिया है। शेष कुछ कम्पनियों के मामले में जिनके पास औद्योगिक लाइसेंस हैं लेकिन उन्होंने अभी तक उत्पादन करना शुरू नहीं किया है, उनके दो वर्ष की प्रारम्भिक वैधता अवधि अभी समाप्त नहीं हुई है।

(घ) और (ङ.) वर्ष 1986 में तीन कम्पनियों के औद्योगिक लाइसेंस रद्द कर दिए गए क्योंकि इन पार्टियों ने अपने औद्योगिक लाइसेंस लौटा दिए हैं। अधिक समय से उत्पादन न कर रही एक कम्पनी का औद्योगिक लाइसेंस अगस्त, 1985 में रद्द कर दिया गया था।

विवरण

श्याम तथा श्वेत/रंगीन दूरदर्शन सेटों का विनिर्माण करने के लिए सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र में जिन कम्पनियों के पास औद्योगिक लाइसेंस हैं, उन कम्पनियों की राज्य-वार सूची।

(30 अप्रैल, 1986 की स्थिति के अनुसार)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सार्वजनिक क्षेत्र	निजी क्षेत्र
1	2	3
1. असम	1	शून्य
2. आन्ध्र प्रदेश	2	1
3. बिहार	1	शून्य
4. चण्डीगढ़	शून्य	1
5. दिल्ली	शून्य	2
6. गुजरात	शून्य	4
7. गोवा	1	शून्य
8. हिमाचल प्रदेश	1	शून्य

1		2	3
9.	हरियाणा	1	4
10.	जम्मू तथा कश्मीर	1+1*	शून्य
11.	केरल	2	1
12.	कर्नाटक	1	3
13.	महाराष्ट्र	1	5
14.	मध्य प्रदेश	1	1
15.	उड़ीसा	1	शून्य
16.	पंजाब	शून्य	1
17.	राजस्थान	1	1
18.	तमिलनाडु	*1	3
19.	उत्तर प्रदेश	3	5
20.	पश्चिम बंगाल	*1	शून्य
	योग	18+3*	32

* संयुक्त क्षेत्र की इकाइयां।

श्री मोहन भाई पटेल : महोदय, टेलिविजन सैटों के निर्माण के लिए नये लाइसैंस जारी करने लिए कितने आवेदन पत्र बकाया पड़े हैं और उनके बारे में सरकार का क्या विचार है ? मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार विदेशी टेलिविजन सैटों के आयात पर कोई प्रतिबंध लगाने का विचार कर रही है ताकि स्वदेशी निर्माताओं को प्रोत्साहन मिल सके।

श्री शिवराज वी० पाटिल : हमने संगठित क्षेत्र में मुक्तहस्त से लाइसेंस दिये हैं। संगठित क्षेत्र में लाइसेंस उद्योग (विकास) मंत्रालय द्वारा दिये जाते हैं। लघु क्षेत्र के उद्योगों के लिये लाइसेंस दिये जाते हैं—छोटे लघु क्षेत्र के उद्योगों के लिए अनुमति राज्य सरकारों द्वारा प्रदान की जाती है और हम मुक्त रूप से लाइसेंस दे रहे हैं। अब जहां तक टेलिविजन सैटों के आयात को रोकने का सम्बन्ध है, सामान्यतः हम बाहर से टेलिविजन सैट नहीं मंगाते हैं। हम काफी मात्रा में श्वेत-श्याम टेलिविजन सैटों का उत्पादन कर रहे हैं और रंगीन टेलिविजन सैट भी काफी संख्या में उत्पादित किये जा रहे हैं और उन्हें ग्राहकों को उपलब्ध कराया जा रहा है।

श्री मोहन भाई पटेल : अनेकों विदेशी टेलिविजन सैट बाजार में बेचे जा रहे हैं। सैकड़ों आयातित रंगीन टेलिविजन सैट बाजार में बिक रहे हैं। अब मेरा दूसरा पूरक प्रश्न यह है कि क्या सरकार ने स्वदेशी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए देश में ही उत्पादित टेलिविजन सैटों के लिए सभी अपेक्षित उपकरणों का निर्माण करने के लिए कोई योजना बनाई है ? यदि

उत्तर 'हां' में है तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि देश इस सम्बन्ध में कब तक आत्म-निर्भर हो जायेगा ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : मैं उत्पादन में आंकड़े बता सकता हूँ। 1985 में 6.6 लाख रंगीन टेलिविजन सैटों का उत्पादन किया गया था और 18 लाख श्वेत-श्याम टेलिविजन सैटों का उत्पादन किया गया था। अब इस समय जहां तक श्वेत-श्याम टेलिविजन सैटों का सम्बन्ध है लगभग 90 प्रतिशत पुर्जे देश में ही बन रहे हैं। हमें श्वेत-श्याम टेलिविजन सैटों के लिए पुर्जों का आयात बाहर से नहीं करना पड़ता। जहां तक रंगीन टेलिविजन सैटों का सम्बन्ध है लगभग 20 प्रतिशत पुर्जे देश में उपलब्ध हैं और शेष बाहर से मंगाने पड़ते हैं। परन्तु हमें यह बताया गया है कि 1987 तक 60 प्रतिशत ऐसे पुर्जों का उत्पादन संभव हो जायेगा जिनकी जरूरत देश में ही रंगीन टेलिविजन सैटों का उत्पादन करने के लिए पड़ती है और तब इन्हें बाहर से आयात करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। पुर्जा उद्योग के विकास में कुछ समय लगता है और इस पर काम हो रहा है। और हमारे लिए यह संभव हो जायेगा कि हम स्वदेशी मांग पूरा करने के लिए सभी पुर्जों की व्यवस्था कर सकें।

[हिन्दी]

डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी : ब्लैक एण्ड व्हाइट टेलीविजन की तुलना में कलर टेलीविजन से से जो रेंज् निकलती हैं उससे मानव शरीर को खतरा उत्पन्न हो गया है, उससे शरीर पर हानियां पैदा होती हैं। क्या मन्त्री जी इसको मद्दे नजर रखते हुए इसको दूर करने का कोई उपाय कर रहे हैं या इसके बावजूद कलर टेलीविजन के प्रोडक्शन को एनक्रेज कर रहे हैं। क्योंकि यह दुनिया के एक्सपर्ट्स की ओपिनयन है कि इससे तमाम मानव शरीर पर हानियां पैदा होती हैं।

श्री शिवराज वी० पाटिल : हमारे पास ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है जिसकी वजह से यह कहा जा सके कि कलर टेलीविजन की वजह से मानव शरीर के रक्त में हानियां पैदा होती हैं। कलर टेलीविजन से दृष्टि पर कुछ इफेक्ट होता है, ऐसा कहा जा सकता है। रक्त में हानि होती है, इसकी हमारे पास कोई रिलाएबल रिपोर्ट नहीं है। इसलिए इसको बन्द करने का सवाल नहीं है।

[अनुवाद]

श्री चन्द्र प्रताप नारायण सिंह : महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर के भाग (ग) में यह बताया है कि शेष कुछ कंपनियों के मामले में दो वर्ष की प्रारम्भिक वैधता अवधि अभी समाप्त नहीं हुई है। इसके बाद उनके उत्तर के भाग [घ] और [ड.] में उन्होंने बताया है कि अधिक समय से उत्पादन न कर रही एक कम्पनी का औद्योगिक लाइसेंस अगस्त 1985 में रद्द कर दिया गया था।

मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि उनका भाग (ग) का उत्तर ठीक है या भाग [घ] और [ड.] में दिया गया उत्तर सही है।

दूसरे, मैं यह जानना चाहता हूँ कि वह कम्पनी कौन सी है जिसका लाइसेंस रद्द किया गया है और वह अवधि क्या थी जिसमें कम्पनी ने उत्पादन नहीं किया। उन कम्पनियों का क्या हुआ जिन्होंने यह लाइसेंस ले लिये और कुछ सामान आयात कर लिया और फिर उन्हें बाजार में बेच दिया है। प्रश्न यह पूछा गया है कि क्या कार्यवाही की गई है। क्या मन्त्री महोदय इसका उत्तर देंगे ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : जिस कम्पनी का लाइसेंस रद्द किया गया है इसका नाम है अम्बालाल साराभाई इंटरप्राइजेज, बम्बई। इस कम्पनी ने लाइसेंस प्राप्त करने के बाद 4-5 वर्षों तक टेलिविजन सैटों का निर्माण नहीं किया। इसलिए लाइसेंस रद्द किया गया है। तीन अन्य कम्पनियाँ और हैं जिन्होंने अपने-अपने लाइसेंस वापस कर दिये हैं और इन चारों कम्पनियों के पास इस समय कोई लाइसेंस नहीं है। इस बारे में वह और क्या पूछना चाहते हैं।

श्री चन्द्र प्रताप नारायण सिंह : माननीय मंत्री महोदय ने बताया है कि इस कम्पनी ने 4-5 वर्षों तक निर्माण नहीं किया। मैं यह जानना चाहता हूँ कि उनका भाग (ग) का उत्तर सही है या भाग (घ) और (ङ.) में दिया गया उनका उत्तर सही है। यदि यह सच है कि पिछले चार-पांच वर्षों से उन्होंने कोई उत्पादन नहीं किया तो भाग (ग) में आप यह क्यों कहते हैं कि लाइसेंस की प्रारम्भिक वैधता अवधि दो वर्ष है और इसे उचित कारणों के आधार पर और बढ़ाया जा सकता है। क्या विभाग यह समझता है कि पांच वर्षों तक अवधि बढ़ाना उचित था ?

श्री शिवराज वी० पाटिल : विद्यमान नियमों के अनुसार लाइसेंस दो वर्ष के लिए वैध होता है। दो वर्षों के बाद इस लाइसेंस को और दो वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है एक बार में एक वर्ष के लिये और दूसरी बार में एक और वर्ष के लिये। इस तरह से अवधि बढ़ाने की अनुमति प्रशासनिक मंत्रालय दे सकता है और इसके बाद यदि और अवधि बढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है तो वह अवधि औद्योगिक विकास मंत्रालय द्वारा बढ़ाई जा सकती है। इस मामले में एक कम्पनी ऐसी थी जिसने उत्पादन नहीं किया इसलिए हमने उसका लाइसेंस रद्द कर दिया।

उत्तर दक्षिण वार्ता के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन की मंत्री स्तर की समिति

+

*954. **श्री के० प्रधानी** :

डा० बी०एस० शंलेश : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने प्रस्ताव किया है कि उत्तर दक्षिण वार्ता में आए गतिरोध को समाप्त करने तथा गहरे एवं व्यापक दक्षिण-दक्षिण सहयोग (साउथ-साउथ कोआपरेशन) के सम्बन्ध में अध्ययन करने तथा इस सम्बन्ध में अपनाई जाने वाली नीति के बारे में सलाह देने के लिए गुटनिरपेक्ष आन्दोलन को मंत्री-स्तर की एक समिति का गठन करना चाहिए, और

(ख) यदि हां, तो अप्रैल, 1986 में नई दिल्ली में हुए गुट-निरपेक्ष समन्वय ब्यूरो के मंत्री स्तर के पिछले सम्मेलन में भारतीय प्रस्ताव पर हुए विचार-विमर्श के क्या परिणाम निकले हैं ?

विदेश मन्त्री (श्री बी० आर० भगत) : (क) जी हाँ, 16 से 19 अप्रैल तक नई दिल्ली में आयोजित गुट-निरपेक्ष ब्यूरो की मंत्रि स्तरीय बैठक में भारत द्वारा प्रस्तुत मसौदा घोषणा में एक प्रस्ताव शामिल किया गया था जिसमें अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के उद्देश्य से अपनी नीतियों और कार्यनीतियों को सुदृढ़ और समरस बनाने के लिए गुट-निरपेक्ष तथा अन्य विकासशील देशों की एक स्थायी मन्त्रिस्तरीय समिति की स्थापना की बात कही गई थी।

(ख) मन्त्रि स्तरीय ब्यूरो ने सिद्धान्त रूप में यह स्वीकार किया कि आर्थिक सहयोग सम्बन्धी एक मन्त्रि स्तरीय स्थायी समिति गठित की जाए और यह सुझाव दिया कि भारत की अध्यक्षता में न्यूयार्क स्थित गुट-निरपेक्ष आन्दोलन समन्वय ब्यूरो इस स्थायी समिति के गठन से सम्बद्ध तौर-तरीकों को अंतिम रूप दे।

श्री के० प्रधानी : मन्त्री महोदय ने अपने उत्तर में यह बताया है कि मंत्रि-स्तरीय ब्यूरो ने आर्थिक सहयोग सम्बन्धी एक स्थायी मन्त्रि-स्तरीय समिति के गठन को सिद्धान्त: स्वीकार कर लिया है और यह सुझाव दिया है कि भारत की अध्यक्षता में न्यूयार्क स्थित निर्गुट आन्दोलन समन्वयन ब्यूरो स्थायी समिति के गठन से सम्बन्धित प्रारूपों को अन्तिम रूप दे। 16 से 19 अप्रैल, 1986 को नई दिल्ली में आर्थिक सहयोग की चर्चा करते समय, मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या विकासशील देशों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ऋणों के परिणामस्वरूप पैदा होने वाली समस्याओं के बारे में और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष द्वारा विकासशील देशों से वसूल की जा रही ब्याज की अधिक दर के बारे में कोई चर्चा हुई थी।

श्री बी० आर० भगत : नई दिल्ली में हुई निर्गुट आन्दोलन के समन्वय ब्यूरो की मन्त्रि-स्तरीय बैठक द्वारा अपनाई गई आर्थिक घोषणा विश्वव्यापी आर्थिक मुद्दों के सभी पक्षों से सम्बन्धित है; ब्याज की दर, कर्ज की समस्या तथा अन्य समस्यायें भी इसमें शामिल हैं।

श्री के० प्रधानी : इसके बाद, मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि क्या विकासशील देशों में आर्थिक स्थिति के अतिरिक्त भी, गुट-निरपेक्ष देशों में से किसी देश की राजनीतिक स्थिति के बारे में भी कोई चर्चा हुई थी। मैं माननीय मन्त्री महोदय से विशेष रूप से यह पूछना चाहता हूँ कि क्या नामीबिया की स्थिति पर भी कोई चर्चा हुई थी।

श्री बी० आर० भगत : जी हां। राजनीतिक घोषणा में नामीबिया की भी चर्चा हुई थी। इसके बारे में तथा अन्य राजनीतिक मामलों के बारे में भी चर्चा हुई थी।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : अध्यक्ष महोदय, उत्तर-दक्षिण वार्ता में प्रमुख प्रश्नों में से एक प्रश्न है विकसाशील देशों, विशेष रूप से लैटिन अमरीकी और अफ्रीकी देशों, द्वारा विकसित देशों से उधार लिया गया कर्ज। यदि वे देश अपने-अपने देशों में विकास की एक न्यूनतम दर और अपने लोगों के जीवन का एक न्यूनतम स्तर बनाये रखना चाहते हैं तो उस समय लगाई गई कठोर शर्तों के अधीन अदा करने की स्थिति में नहीं हो सकते। इस संदर्भ में, विकासशील देशों विशेष रूप से लेटिन अमरीकी देशों द्वारा ये सुझाव दिये गये हैं कि कर्ज माफ कर दिया जाना चाहिये। और भी अन्य प्रकार के सुझाव दिये गये हैं। क्या मैं मन्त्री महोदय से यह जान सकता हूँ कि इन सुझावों के बारे में भारत सरकार का क्या रवैया है। दूसरे, मैं माननीय मन्त्री जीसे यह भी पूछना चाहता हूँ कि

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा तथा वित्त सम्बन्धी सम्मेलन के बारे में क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है जिसके बारे में स्वर्गीय प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गान्धी द्वारा 1982 के आस-पास न्यूयार्क में एक वार्ता शुरू की गई थी। यह सुनिश्चित करने के लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं कि यह अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा तथा वित्त सम्बन्धी सम्मेलन आयोजित हो ?

श्री बी० आर० भगत : हम यहां निर्गुट आन्दोलन के दृष्टिकोण से सम्बन्धित हैं। माननीय सदस्य यह जानते हैं। परन्तु सदस्य की सुविधा के लिए, मैं यह बता दूं कि इन मुद्दों पर भारत की स्थिति, तथा इन्हीं मुद्दों पर निर्गुट आन्दोलन की स्थिति एक समान ही है; वे बराबर हैं। जहां तक अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा तथा वित्त सम्बन्धी सम्मेलन बुलाने के प्रश्न का सम्बन्ध है, हम इस बारे में कार्यवाही कर रहे हैं और इस विगत बैठक में भी हम इस बारे में एक विशिष्ट सुझाव दे चुके हैं। परन्तु अभी तक, इस दिशा में कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं हो पाई है; इसका मुख्य कारण है उत्तर के कुछ देशों, अर्थात् अमीर देशों का नकारात्मक दृष्टिकोण।

प्रो० के० के० तिवारी : महोदय, माननीय विदेश मन्त्री जी जानते हैं कि लेटिन अमरीकी क्षेत्र तथा अन्य क्षेत्रों के देशों सहित अनेक देशों ने अपने-अपने कर्ज पूरी तरह से माफ करने की सिफारिश की है। इस प्रश्न के बारे में आपका क्या दृष्टिकोण है ?

दूसरे, टोक्यो में इस समय चल रही औद्योगिक राष्ट्रों की बैठक में की गई कुछ सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, क्या अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को पुनर्गठित करने में किसी सुधार की कोई सम्भावना है ?

श्री बी० आर० भगत : इन मामलों में निर्गुट आन्दोलन पहल कर रहा है और यह विश्व-व्यापी आर्थिक मुद्दों पर विचार करने का प्रयास कर रहा है। हमें कर्ज आदि जैसे विभिन्न मामलों के बारे में दिये गये विभिन्न सुझावों की जानकारी है। एक सुझाव यह भी है कि कर्ज माफ कर दिया जाना चाहिये।

प्रो० के० के० तिवारी : क्या आप इसके पक्षधर हैं ?

श्री बी० आर० भगत : मेरा इससे कोई सम्बन्ध नहीं है। भारत की स्थिति का निर्धारण करना वित्त मन्त्री का काम है। मेरा तो सम्बन्ध निर्गुट आन्दोलन की स्थिति से है। यह कुछ विशिष्ट मामलों में से एक मामला है जिस पर मन्त्रि-स्तरीय समिति में विचार किया जायेगा। यही सुझाव दिया गया है। अतः यह सरकार का दृष्टिकोण है।

प्रो० के० के० तिवारी : सिफारिशों के बारे में क्या·····

अध्यक्ष महोदय : अल्प सूचना प्रश्न।

अल्प सूचना प्रश्न

हिमाचल प्रदेश में भूकम्प

अ०सू०प्र० 2

श्री चिन्तामणि जेना : क्या प्रधानमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश तथा उत्तर भारत के अन्य क्षेत्रों में 26 अप्रैल, 1986 को भूकम्प के तेज झटके महसूस हुए थे,

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण थे,

(ग) क्या इसके कारणों का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन किया गया है,

(घ) यदि हां, तो कब और उसका क्या परिणाम निकला है,

(ङ.) क्या इस सम्बन्ध में कोई एहतियाती उपाय किये गये हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(च) क्या ऐसे भूकम्पों की पहले से ही जानकारी देने के सम्बन्ध में कोई व्यवस्था है और

(छ) यदि हां, तो क्या प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को चेतावनी दी गई थी ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (छ) सभा पटल पर एक विवरण रखा गया है ।

विवरण

(क) और (ख) : 26 अप्रैल, 1986 को भारतीय मानक समय के अनुसार 13.05 बजे हिमाचल प्रदेश में भूकम्प का मध्यम दर्जे का एक झटका महसूस किया गया था । भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा रखे गये भूकम्प लेखियों ने भी इसी दिन मध्यम दर्जे के भूकम्प के दो और झटके रिकार्ड किये (रिक्टर स्केल पर विस्तार 5.7), जिनके केन्द्र वर्मा में और अफगानिस्तान-पाकिस्तान सीमा पर थे । भूकम्प की ये सभी घटनाएं हिमालयी–बर्मा क्षेत्र में हुई हैं, जो कि भूकम्पीय दृष्टि से सुपरिभाषित सक्रिय क्षेत्र हैं ।

भूकम्प की इन घटनाओं का कारण भारतीय-यूरेशियन प्लेटों का टकराव बताया जाता है, जिससे हिमालय पर्वतों में क्षीण क्षेत्र बन गये । भू वैज्ञानिक मूल के बलों के कारण जैसे ही चट्टानें धरती के भीतर खिसक जाती हैं, भूकम्प आने लगते हैं ।

(ग) और (घ) जांच और पूछताछ का कार्य शुरू कर दिया गया है तथा इसका और विश्लेषण करने के लिए क्षेत्र आंकड़े इकट्ठे किये जा रहे हैं।

(ङ.) कोई एहतियाती उपाय नहीं किये जा सकते, क्योंकि भूकम्पों की पूर्व सूचना देना अभी सम्भव नहीं हो सका है।

(च) और (छ) भूकम्प की घटनाओं का पूर्वानुमान लगाने के लिए कोई प्रौद्योगिकी उपलब्ध नहीं है। अतएव, पूर्वसूचना देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री चिन्तामणि जेना : क्या मैं मंत्री महोदय से यह जान सकता हूँ कि क्या यह सच है कि विश्वविख्यात भूकम्प वैज्ञानिक और जल वैज्ञानिक डा० एच० टाइडमन ने अक्तूबर, 1985 में यह भविष्यवाणी की थी कि भारत में विशेषकर देश के उत्तरी तथा पूर्वोत्तर अंचलों में निकट भविष्य में भारी भूकम्प आने की संभावना थी। यदि ऐसा है तो आप इस सम्बन्ध में बचाव के क्या उपाय कर रहे हैं।

क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या यह सच है कि भारतीय मानक संस्था ने पूरे देश का भूकम्प-क्षेत्र मानचित्र प्रकाशित किया है जिसमें पूरे भारत को पांच क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। क्या इन मानचित्रों को आम जनता खरीद सकती है और क्या क्षेत्र 4 और 5 ऐसे हैं जिनमें आने वाले भूकम्पों से भारी क्षति होगी। यदि हां तो क्या हिमाचल प्रदेश और उसके आसपास के क्षेत्र संख्या 4 और क्षेत्र संख्या 5 में आते हैं और आप इन क्षेत्रों के लोगों को चेतावनी देने के लिए क्या उपाय कर रहे हैं।

श्री शिवराज वी० पाटिल : महोदय, भूकम्प के बारे में भविष्यवाणी करना बहुत कठिन है। विश्व में ऐसी वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकी जानकारी उपलब्ध नहीं है जिससे यह सही-सही अनुमान लगाया जा सके कि भूकम्प किस समय और किस स्थान पर आयेगा।

जहां तक भारत का सम्बन्ध है इसे पाँच क्षेत्रों में विभाजित किया गया है और माननीय सदस्य ने पूछा है कि क्या हिमाचल प्रदेश क्षेत्र 4 में है या 5 में। "हां" इसका कुछ हिस्सा क्षेत्र 4 में है और कुछ हिस्सा क्षेत्र 5 में आता है। इसके अलावा पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा पश्चिमोत्तर और हिमाचल के क्षेत्रों में भूकम्प अधिक आते हैं और हमने ऐसे क्षेत्रों में उपकरण लगा रखे हैं जिससे हम भूमि के कम्पन को माप सकें और कुछ पूर्वानुमान लगाने की कोशिश कर सकें। लेकिन यह प्रणाली अपने आप में पूर्ण नहीं है। यह पूर्णतः विकसित नहीं हुई है इसलिए इस सम्बन्ध में भविष्यवाणी करना असंभव है।

श्री चिन्तामणि जेना : महोदय, भूकम्प क्षेत्र मानचित्र के बारे में मैं यह जानना चाहता था कि क्या इस मानचित्र को आम जनता खरीद सकती है और क्या क्षेत्र 4 और 5 ऐसे हैं जिनमें भूकम्प से भारी क्षति होने की संभावना है। यदि हां, तो क्या हिमाचल प्रदेश और उसके आस-पास के क्षेत्र-क्षेत्र 4 या 5 में आते हैं और आप इन क्षेत्रों के लोगों को चेतावनी देने के लिए क्या उपाय कर रहे हैं।

मेरा एक और अनुपूरक प्रश्न है कि क्या भू–स्खलनों का, जो इस क्षेत्र में प्रायः होते रहते हैं, भारतीय और यूरोपियन प्लेटों के ऐसे टकराव से कोई संबंध है। जिसका उत्तर माननीय मंत्री द्वारा अपने वक्तव्य में दिया गया है। क्या मैं यह जान सकता हूँ कि हिमाचल प्रदेश, बर्मा, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के क्षेत्रों में हाल ही में आये भूकम्प अमरीका द्वारा किये गये परमाणु बम के बिस्फोट के कारण थे। और यदि हां तो क्या हमारी सरकार ने अमरीका की सरकार को इस सम्बन्ध में अपना विरोध प्रकट किया है।

श्री शिवराज वी० पाटिल : महोदय, मानचित्र प्रकाशित हो गये हैं और वे उपलब्ध हैं। इनकी एक प्रति मैं माननीय सदस्य को दे सकता हूँ। भूकम्प आते रहते हैं क्योंकि दबाव बढ़ जाता है। और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भूमि कुछ खिसक रही है। और ये क्षेत्र भूकम्प वाले क्षेत्र हैं। हम यह नहीं सोचते कि ये भूकम्प बम बिस्फोट के कारण आये हैं। इसलिए किसी प्रकार का विरोध प्रकट करने या कोई अन्य कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं है।

श्रीमती चन्द्रेश कुमारी : अध्यक्ष महोदय, श्रीमान्, मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहती हूँ कि क्या कांगड़ा घाटी में भूकम्प से हुई भारी क्षति को ध्यान में रखते हुए क्षति का मूल्यांकन करने के लिए कोई दल भेजा गया है। क्या माननीय मन्त्री वर्षा ऋतु आने से पहले लोगों को अपने घर फिर से बनाने के लिए कम से कम 10 करोड़ रुपये की मंजूरी सीधे देने पर तुरन्त विचार करेंगे।

श्री शिवराज वी० पाटिल : वहां हुई क्षति का अनुमान लगाया जा रहा है। यह कार्य राज्य सरकार कर रही है। जहां तक विज्ञान सम्बन्धी मन्त्रालयों का सम्बन्ध है मेरे लिये यह कहना कठिन है.....और यदि यह आवश्यक है तो वहां हुई क्षति का अनुमान लगाने के बाद इन बातों का हिसाब लगाया जा सकता है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

गुट निरपेक्ष देशों के विदेश मन्त्रियों की दिल्ली में बैठक

*955. **श्री जगन्नाथ पटनायक** :

प्रो० पी० जे० कुरियन : क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में नई दिल्ली में गुट निरपेक्ष देशों के विदेश मन्त्रियों के समन्वय ब्यूरो की बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो उस बैठक में किन-किन मामलों पर चर्चा हुई और उसमें क्या संकल्प पारित किए गए;

(ग) क्या प्रारूप संकल्प में दक्षिण अफ्रीका के लोगों के संघर्ष के समर्थन में गुट-निरपेक्ष देशों के प्रयत्नों को और अधिक तेज करने तथा नामीबिया पर गैर-कानूनी कब्जे बनाए रखने के सम्बन्ध में दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद वाले शासन की निन्दा करने की मांग की गई थी; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मन्त्री (श्री बी० आर० भगत) : (क) जी, हां । गुट निरपेक्ष देशों के समन्वय ब्यूरो की एक बैठक 16 से 20 अप्रैल, 1986 तक नई दिल्ली में हुई थी ।

(ख), से (घ) : सभापटल एक विवरण रख दिया गया है ।

विवरण

गुट निरपेक्ष देशों के समन्वय ब्यूरो की मन्त्रिस्तरीय बैठक 16 से 20 अप्रैल, 1986 को नई दिल्ली में हुई ।

इन मन्त्रियों ने वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय राजनैतिक और आर्थिक स्थिति के प्रमुख मसलों पर व्यापक रूप से विचार विनिमय किया । इन मसलों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित मसले शामिल थे—निरस्त्रीकरण, लीबिया के सम्बन्ध में हुई हाल की घटनाएं, भूमध्य सागर, दक्षिण अफ्रीका, मध्य अमरीका, मध्य पूर्व तथा फिलीस्तीन की स्थिति; ईरान-इराक युद्ध, अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद की समस्या; संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था के समक्ष प्रस्तुत संकट, बिगड़ती अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति, विशेष कर विकासशील देशों को पेश आ रही इन समस्याओं के संदर्भ में जैसे बाह्य ऋणों, उच्च ब्याज दरों, संसाधनों के अन्तरण में आई गिरावट, पण्य मूल्यों में गिरावट, संरक्षण देने की प्रवृत्ति में वृद्धि, अफ्रीका की चिन्ताजनक आर्थिक स्थिति आदि । इस बैठक द्वारा एक राजनैतिक और आर्थिक घोषणा जारी करने के अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ के संकट और बहुपक्षवाद की प्रक्रिया के समक्ष प्रस्तुत चुनौतियों पर एक वक्तव्य भी जारी किया गया ।

इस बैठक की राजनैतिक घोषणा में बलपूर्वक यह बात कही गई है कि जातीय पृथग्वासन दक्षिण अफ्रीका के संदर्भ में विशेष रूप से और पूरे संसार के संदर्भ में सामान्य रूप से शान्ति और सुरक्षा के लिए स्थायी खतरा बन सकता है । इसमें जातीय पृथग्वासन विरोधी संघर्ष के प्रति गुटनिरपेक्ष देशों का समर्थन और उनकी एकजुटता व्यक्त की गई है और यह कहा गया है कि अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस और पेन-अफ्रीकी कांग्रेस को पहले से अधिक नैतिक, राजनैतिक और सामग्रीगत समर्थन दिया जाए । इस घोषणा में गुटनिरपेक्ष देशों की ओर से फिर से यह अपील की गई कि दक्षिण अफ्रीका के जातिवादी शासन के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय–VII के अधीन व्यापक और प्रादेशात्मक आर्थिक प्रतिबन्ध लगाए जाएं ।

इस बैठक में, नामीबिया पर दक्षिण अफ्रीका के अवैध कब्जे की कड़े शब्दों में भर्त्सना की गई और यह कहा गया कि सुरक्षा परिषद् प्रस्ताव 435 (1978) को तत्काल तथा बिना शर्त क्रियान्वित किया जाए । इस बैठक में सभी राज्यों से यह अपील की गई कि वे नामीबिया की जनता द्वारा स्वापो के नेतृत्व में, जो उनका एकमात्र, प्रामाणिक और वैध प्रतिनिधि है, छेड़े गए

उचित सशस्त्र संघर्ष को अधिक से अधिक साज-सामान वित्तीय, राजनैतिक, राजनयिक और सैनिक सहायता दें।

हिन्द महासागर में विदेशी नौ-सेनाओं की विद्यमानता

*956. **श्री आनन्दसिंह :**

श्री महेन्द्रसिंह : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1986 को हिन्द महासागर में विभिन्न शक्तिशाली देशों की नौसेनाओं की उपस्थिति सम्बन्धी स्थिति क्या थी;

(ख) क्या हिन्द महासागर में उससे एक वर्ष पहले अर्थात् 1 अप्रैल, 1985 को नौसेनाओं की उपस्थिति की तुलना में इस समय इनकी संख्या बहुत बढ़ गई है;

(ग) यदि हां, तो इसमें किस सीमा तक वृद्धि हुई है; और

(घ) हिन्द महासागर को शांति-क्षेत्र बनाने के संदर्भ में सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मन्त्री (श्री बी० आर० भगत) : (क) से (ग) : पिछले कुछ वर्षों से हिन्द महासागर में विदेशी नौसैनिक जहाजों की उपस्थिति में धीरे-धीरे वृद्धि हुई है। पिछले वर्ष से अब तक इसमें लगभग 10% की वृद्धि हुई है।

(घ) हिन्द महासागर क्षेत्र में विदेशी सैनिक उपस्थिति भारत के लिए अत्यधिक चिन्ता का विषय है। अन्य तटवर्ती और पश्च राज्यों के साथ मिलकर भारत बराबर इस बात की कोशिश कर रहा है कि हिन्द महासागर क्षेत्र से बड़े देशों की सैनिक उपस्थिति को समाप्त किया जाए। इसी उद्देश्य से भारत ने महासभा के 1971 के संकल्प सं० 2832 (XXVI) का सदा समर्थन किया है, जिसमें यह कहा गया है कि हिन्द महासागर को शान्ति का क्षेत्र बनाया जाए और इससे बड़ी शक्तियों की सेनाओं की उपस्थिति वहां समाप्त हो जाएगी। इस विषय पर हमने संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रत्येक प्रस्ताव को सहप्रायोजित किया है और यह देखकर हमें निराशा हुई है कि हिन्द महासागर से सम्बन्धित सम्मेलन, जिसे 1985 में 1986 तक के लिए स्थगित किया था, अब पुनः स्थगित कर दिया गया है। इसी संदर्भ में हम इस बात से आश्वस्त हैं कि हिन्द महासागर सम्मेलन से सम्बन्धित सभी तैयारी कार्य 1986 के दौरान पूरा कर लिया जाए ताकि इसके तुरन्त बाद, परन्तु 1988 से पहले ही किसी दिन कोलम्बो में सम्मेलन आरम्भ किया जा सके।

राजनीतिक दलों के हेतु आचार संहिता

*957. **श्री ए० जे० बी० बी० महेश्वर राव :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय एकता परिषद् की हाल ही में हुई बैठक में राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता बनाने के किसी प्रस्ताव पर विचार किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास तथा गृह मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी नहीं, श्रीमान ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्रीलंका के तमिल शरणार्थियों की कठिनाइयां

*958. **श्री एन० डेनिस** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को श्रीलंका से तमिलनाडु में आए तमिल शरणार्थियों को श्रीलंका में वापस जाने में हो रही कठिनाइयों की जानकारी है; और

(ख) इन शरणार्थियों को श्रीलंका में वापस जाने में सहायता करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं ?

विदेश मंत्री (श्री बी० आर० भगत) : (क) शरणार्थियों की वापसी में मुख्य बाधा इस बात की है कि श्रीलंका में हिंसा और असुरक्षा की स्थिति बनी हुई है । भारत सरकार इस बात का स्वागत करेगी कि ये शरणार्थी स्वयमेव अपने घरों को लौट जाएं और उसने किसी को ऐसा करने से कहीं रोका है । लेकिन जब तक कि श्रीलंका में ऐसी उचित परिस्थितियां तैयार नहीं हो जातीं कि जिनमें ये लोग सुरक्षित और सम्मान के साथ श्रीलंका लौट सकें, तब तक सरकार द्वारा उन्हें जबर्दस्ती भेजने का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

(ख) सरकार इन शरणार्थियों की स्वदेश वापसी के मामले में सबसे बड़ी मदद उस देश की जातीय समस्या का राजनैतिक हल ढूंढने में श्रीलंका की मदद करके कर सकती है । इन शरणार्थियों की स्वदेश वापसी के मामले में प्रगति केवल तभी हो सकती है जबकि इस समस्या का समाधान हो जाए और श्रीलंका में इनकी वापसी के लिए उचित वातावरण बनाया जाए । इस संबंध में भारत सरकार श्रीलंका की सरकार के साथ बराबर प्रयास कर रही है ।

अमरीका द्वारा चीन को नौसैनिक जानकारी की संभावना

*959 **डा० वी० वेंकटेश** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 15 अप्रैल, 1986 के "टाइम्स आफ इंडिया" नई दिल्ली में चीन को अमरीकी नौसैनिक जानकारी की संभावना (यू०एस० नेवल नो–हाउ फार चाइना लाइकली) शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

विदेश मंत्री (श्री बी० आर० भगत) : (क) जी हां।

(ख) चीन अपनी प्रतिरक्षा सेना को आधुनिक बनाने के कार्यक्रम के एक अंग के रूप में संयुक्त राज्य अमरीका से नौसैनिक तकनीकी जानकारी हासिल कर रहा है। भारत सरकार ने इस सिलसिले, में चीन और अमरीका के बीच हुए कथित समझौते पर ध्यान दिया है।

"चन्दन के बागान लगाना"

*960. **श्री टी० बाला गौड़** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा चन्दन का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं और निजामाबाद तथा आदिलाबाद के वन-क्षेत्रों में जहाँ की जलवायु बढ़िया किस्म के चन्दन के पेड़ लगाने के लिये उपयुक्त है, और चन्दन के बागान लगाने की संभावनाएँ क्या हैं;

(ख) चन्दन के तेल की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिये चन्दन का उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से चन्दन के बागानों के विस्तार हेतु सातवीं योजना में कितना पूँजीनिवेश करने का विचार है;

(ग) कर्नाटक, कश्मीर, असम और अन्य राज्यों में हाल में लगाये गये चन्दन बागानों सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) आन्ध्र प्रदेश के अन्य जिलों में भविष्य में चन्दन के बागान लगाने की क्या संभावनायें हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री राजीव गांधी) : (क) सातवीं योजना में चन्दन के वृक्ष रोपण हेतु केन्द्रीय क्षेत्र अथवा केन्द्र द्वारा प्रायोजित कोई स्कीम नहीं है। तथापि कुछ राज्यों ने चन्दन के वृक्षों की संख्या को बढ़ाने के लिए कदम उठाये हैं। निजामाबाद और आदिलाबाद वन क्षेत्रों को चन्दन के वृक्षारोपण हेतु उपयक्त नहीं पाया गया।

(ख) और (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

(घ) आन्ध्र प्रदेश में अनन्तापुर, चित्तूर और रंगा रेड्डी जिलों में भविष्य में चन्दन के वृक्ष लगाने की संभावना विद्यमान है।

विवरण

भाग (ख) चंदन के वृक्षों के रोपण के विस्तार हेतु सातवीं पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित निवेश

क्र० सं०	राज्य	प्रस्तावित निवेश
1.	तमिलनाडु	1 करोड़ रुपये

क्र० सं०	राज्य	प्रस्तावित निवेश
2.	कर्नाटक	तेल की फैक्टरियों को मुहैया की गई चंदन की लकड़ी 2,000/–प्रति टन
3.	केरल	चन्दन की लकड़ी वाले क्षेत्रों में मुख्ययतया सघन संवर्धन प्रचालन हेतु 1 लाख रुपये
4.	आन्ध्र प्रदेश	कोई अलग प्रावधान नहीं किया गया।
5.	जम्मू और काश्मीर	शून्य
6.	असम	शून्य

भाग (ग) कर्नाटक, जम्मू और काश्मीर, असम और चन्दन के वृक्ष उगाने वाले अन्य महत्वपूर्ण राज्यों में हाल ही में किये गए चन्दन के वृक्षारोपण का विवरण

क्र० सं०	राज्य	अवधि	रोपित क्षेत्र (हैक्टेयर में)
1.	कर्नाटक	छठी पंचवर्षीय योजना	2630
2.	जम्मू और काश्मीर	छठी पंचवर्षीय योजना	शून्य
3.	असम	छठी पंचवर्षीय योजना	शून्य
4.	तमिलनाडु	छठी पंचवर्षीय योजना अवधि का अन्तिम समय	2993
5.	आन्ध्र प्रदेश	छठी पंचवर्षीय योजना	शून्य
6.	केरल	छठी पंचवर्षीय योजना	शून्य

अस्पृश्यता निवारण

*961. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी :** क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में अस्पृश्यता निवारण की दिशा में हुई उपलब्धियों और राज्य सरकारों द्वारा इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए निभाई गई भूमिका के बारे में कोई सर्वेक्षण किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है तथा उन राज्य सरकारों के नाम क्या हैं जो इस मामले में पीछे रहीं हैं और इसके क्या कारण हैं ?

कल्याण मंत्रालय की राज्य मन्त्री (डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी) : (क) और (ख) नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अन्तर्गत अस्पृश्यता से सम्बन्धित अपराधों के बारे में मूल्यांकन और अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए किये गये विभिन्न उपाय, नागरिक अधिकार सरक्षण अधिनियम के कार्यान्वयन सम्बन्धी वार्षिक रिपोर्ट में दिये गये हैं। वर्ष 1984 की रिपोर्ट को 26 फरवरी, 1986 को लोकसभा के पटल पर रखा गया था। इस रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ इस सम्बन्ध में सभी राज्य सरकारों द्वारा उस तारीख तक की गई कार्यवाही भी जो सूचित की गई थी निहित है।

पूर्वोत्तर राज्यों को धनराशि का आबंटन

*962. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर परिषद को अपने विभिन्न एककों में वितरण हेतु छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी धनराशि आवंटित की गई तथा प्रत्येक एकक को कितनी-कितनी धनराशि आवंटित की गई तथा वस्तुतः कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ख) धनराशि का आबंटन किन सिद्धान्तों के आधार पर किया जाता है;

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए कितनी धनराशि नियत की गई तथा उसका एकक-बार ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार का धनराशि के आबंटन सम्बन्धी नियमों पर नये सिरे से विचार करने का और यदि उनमें कोई असमानता है, तो उसे दूर करने लिए उपयुक्त संशोधन करने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास तथा गृह मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ग): छठी योजना के दौरान उत्तर-पूर्वी परिषद का अनुमोदित परिव्यय 340.12 करोड़ रुपये का था और वास्तविक व्यय 388.98 करोड़ रुपए का था। सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तर-पूर्वी परिषद के लिए अनुमोदित परिव्यय 675 करोड़ रुपए है। उत्तर-पूर्वी परिषद द्वारा धन योजनावार आबंटित किया जाता है न कि यूनिटवार।

(ख) और (घ) : उत्तर पूर्वी परिषद की योजनाओं के चयन का मुख्य सिद्धान्त यह है कि इनसे विशिष्ट क्षेत्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए ताकि क्षेत्र में असन्तुलन को दूर करने की प्रक्रिया में ये सहायक हों। स्थान-निर्धारण और अन्य भौतिक हितों को भी ध्यान में रखा जाता है। योजना की समीक्षा करते समय प्रबुद्ध प्रयत्न किया जाता है ताकि उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के संघटित राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को लाभ मिलता रहे।

विद्युत की अधिक खपत करने वाले उद्योगों की क्षमता वृद्धि पर रोक

*963. **श्री मानिकराव होडल्या गावोत** :
श्री कमला प्रसाद रावत : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग द्वारा किये गये बारहवें विद्युत सर्वेक्षण के अनुसार देश गंभीर विद्युत संकट का सामना कर रहा है और अधिक विद्युत की खपत करने वाले उद्योगों की स्थापना संबंधी नीति की पुनरीक्षण करने की आवश्यकता है; और

(ख) यदि हां तो "ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड" जैसे अधिक विद्युत की खपत करने वाले उद्योगों को अतिरिक्त क्षमता की मंजूरी देने के लिए बाध्यकारी कारण क्या है ?

योजना मंत्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) विद्युत विभाग की 12वीं विद्युत सर्वेक्षण रिपोर्ट, जिसे अगस्त, 1985 में अन्तिम रूप दिया गया था, उसमें विद्युत की कमी की स्थिति की परिकल्पना की गई है। सातवीं योजना के दस्तावेज के अनुसार अखिल भारतीय आधार पर ऊर्जा में कोई कमी नहीं हो सकती है हांलाकि 1989-90 तक कुछ अधिकतम कमियां हो सकती हैं। विद्युत की अधिक खपत करने वाले उद्योगों को लोकहित के अलावा, सामान्यतः हतोत्साहित किया जाता है।

(ख) मिनी इस्पात संयंत्र, अलौह और विशेष इस्पात, कास्टिक सोड़ा संयंत्रों आदि जैसे अनेक महत्वपूर्ण उद्योगों के लिए "ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड एक महत्वपूर्ण निवेश है। उनके विनिर्माण के लिए आवश्यक मुख्य कच्चा माल अर्थात् केल्साइन्ड पैट्रोलियम कोक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। देश में ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड के उत्पादन को (1) महत्वपूर्ण औद्योगिक आवश्यकता की पूर्ति करने और (2) केल्साइन्ड पैट्रोलियम कोक का इस्तेमाल करने, जिसको इस समय भरमार है, के लिए प्रोत्साहित किया गया है। इस समय देश ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड के निर्यात के जरिये विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहा है, इस वक्त, इसका निर्यात लगभग 3000 टन प्रतिवर्ष है।

अधिक सैनिक महाविद्यालयों की स्थापना

[हिन्दी]

*964. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सैनिक स्कूलों से उत्तीर्ण होने वाले सभी छात्रों को रक्षा सेवाओं में स्थान नहीं मिल पाता है;

(ख) यदि हां तो क्या अन्य राज्यों में भी भारतीय रक्षा अकादमी, देहरादून और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, खड़कवासला जैसे और अधिक सैनिक महाविद्यालय खोलने का सरकार का विचार है, जहां इन छात्रों को प्रवेश मिल सके; और

(ग) क्या राजस्थान राज्य के छात्रों को उच्च सैन्य प्रशिक्षण देने की दृष्टि से राज्य के चित्तौड़गढ़ सैनिक स्कूल का दर्जा बढ़ा कर उसे एक सैनिक महाविद्यालय बनाने का विचार है ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जी, नहीं।

सामाजिक वानिकी परियोजनाओं के लिए स्वीडन सरकार द्वारा सहायता

[अनुवाद]

*965. **श्री राधाकान्त डिगाल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "स्वीडिश इन्टरनेशनल डेवेलमेंट अथारिटी" कुछ राज्यों में सामाजिक वानिकी परियोजनायें कार्यान्वित कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं, जहां स्वीडन से प्राप्त सहायता द्वारा सामाजिक वानिकी परियोजनायें कार्यान्वित की जा रही हैं ?

प्रधान मन्त्री (श्री राजीव गांधी) : (क) और (ख) स्वीडिश इन्टरनेशनल डेवेलपमेंट अथारिटी बिहार, उड़ीसा एवं तमिलनाडु राज्यों में सामाजिक वानिकी परियोजनाओं को सहायता दे रही है ।

विकलांगता पेंशन के ढांचे और दरों में संशोधन

*966. **श्रीमती माधुरीसिंह** : क्या **रक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सशस्त्र सेनाओं के लिए विकलांगता पेंशन के ढांचे और दरों में संशोधन करने का सरकार का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुणसिंह) : (क) और (ख) यद्यपि चतुर्थ केन्द्रीय वेतन आयोग पेंशन लाभों के समस्त ढांचे की जांच कर रहा है फिर भी, सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ रक्षा सेनाओं के कार्मिकों को स्वीकार्य निशक्तता पेंशन के निशक्तता अंश के विद्यमान ढांचे/पैमाने की जांच करने और युक्तियुक्त ढांचे की सिफारिश करने के लिए एक समिति गठित की है । समिति को अपनी रिपोर्ट जुलाई 1986 के शुरू तक प्रस्तुत करनी होगी ।

[हिन्दी]

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के लिए आवंटित धनराशि का उपयोग

*967. **श्री मेवासिंह गिल** :
श्री बलवन्तसिंह रामूवालिया : क्या **योजना** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग के अनेक अध्ययन-दलों ने अपने अध्ययन प्रतिवेदनों में यह उल्लेख किया है कि कुछ राज्य सरकारों ने समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत उन्हें आवंटित की गई धनराशि का समुचित उपयोग नहीं किया है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना मन्त्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के सम्बन्ध में राज्य सरकारों द्वारा धनराशियों के उपयोग पर अध्ययन करने के लिए, योजना आयोग द्वारा कोई अध्ययन दल स्थापित नहीं किए गए हैं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

[अनुवाद]

"बोधघाट परियोजना से प्रभावित आदिवासी परिवारों का पुनर्वास"

*968. **श्री अरविन्द नेताम** : क्या **प्रधान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में बोधघाट परियोजना के निर्माण के कारण कितने आदिवासी परिवारों के कुप्रभावित होने की सम्भावना है; और

(ख) क्योंकि इन परिवारों को बसाने के लिए राजस्व भूमि उपलब्ध नहीं है, क्या भारत सरकार का विचार इस प्रयोजन के लिए वन भूमि उपलब्ध कराने का है ?

प्रधान मन्त्री (श्री राजीव गान्धी) : (क) राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार कुल प्रभावित आदिवासी जनसंख्या 6109 है । राज्य सरकार ने प्रभावित होने वाले आदिवासी परिवारों की संख्या को अलग से निर्दिष्ट नहीं किया है । प्रभावित कुल परिवारों की संख्या 1712 है ।

(ख) राज्य सरकार ने विस्थापितों के पुनर्वास हेतु 9501.89 हेक्टेयर गैर-वन भूमि का अभिनिर्धारण किया है । पुनर्वास योजना को सम्मिलित करते हुए, वन भूमि के दिक्परिवर्तन के प्रस्तावों का, अभी मूल्यांकन किया जा रहा है ।

संघ राज्य क्षेत्रों को अतिरिक्त प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियां देना

9139. **श्री शांताराम नायक** : क्या **गृह** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को संघ राज्य क्षेत्रों से उनकी सरकारों को अतिरिक्त प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियां देने के बारे में कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन संघ राज्य क्षेत्रों से इस प्रकार के अनुरोध प्राप्त हुए हैं और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस प्रयोजन के लिए संघ राज्य क्षेत्र अधिनियम, 1963 तथा अन्य वित्तीय नियमों में संशोधन करने का है ?

संचार मंत्रालय के तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) और (ग) अण्डेमान तथा निकोबार द्वीप-समूह अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली, गोवा, दमण तथा दीव, मिजोरम तथा पाण्डिचेरी । प्रशासक, दिल्ली को वित्तीय नियमों का प्रत्यायोजन के अधीन सम्बन्धित प्रशासनिक तथा वित्तीय शक्तियां प्रदान की गयी हैं । अन्य संघ शासित क्षेत्रों के सम्बन्ध में इस मामले पर विचार किया जा रहा है ।

प्रशासनिक न्यायाधिकरणों के बारे में उच्चतम न्यायालय का निर्णय

9140. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उच्चतम न्यायालय ने केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये प्रशासनिक न्यायाधिकरणों के बारे में 1-11-85 को एक निर्णय दिया था जिसके द्वारा केन्द्रीय सरकार पर कतिपय शर्तें लगाई गई है;

(ख) यदि हां, तो उन शर्तों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) सरकार ने क्या कार्यवाही की है तथा कब की है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) उच्चतम न्यायालय ने प्रशासनिक अधिकरणों के बारे में 1-11-1985 को कोई निर्णय नहीं दिया है । तथापि उच्चतम न्यायालय ने रिट याचिकाओं के एक समूह की प्रारम्भिक सुनवाई के लिए विचार करते हुए 31-10-1985 को एक अन्तरिम आदेश जारी किया था ।

(ख) उच्चतम न्यायालय के अन्तरिम आदेश की एक प्रति सभा पटल पर रखी जाती है ।

[ग्रन्थालय में रखी गयी । **देखिये** संख्या एल० टी०–2731/86]

(ग) तथा (घ) : उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 31-10-1985 के अपने आदेश में जो निर्देश दिए थे सरकार ने उन्हें कार्यान्वित कर दिया था । तदनुसार उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित कार्यवधि के अनुसार आवेदन पत्रों को निपटाने के उद्देश्य से अधिकरण का कम से कम एक सदस्य सर्किट आधार पर ऐसे उच्च न्यायालयों की प्रधान न्यायपीठों का दौरा करता रहा है, जहां अभी तक अधिकरण की कोई भी न्यायपीठ स्थापित नहीं हुई है । इसके अतिरिक्त, उच्चतम न्यायालय को दिए गए आश्वासन के अनुसार, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 में परिवर्तनों को शामिल करते हुए प्रशासनिक अधिकरण (संशोधन) विधेयक संसद के वर्तमान सत्र में पुरःस्थापित कर दिया गया था । इसे राज्य सभा द्वारा 11 मार्च, 1986 को तथा लोक सभा द्वारा 17 मार्च, 1986 को पारित किया गया था । राष्ट्रपति ने दिनांक 25 मार्च, 1986 को विधेयक पर अपनी सहमति प्रदान कर दी थी ।

उच्चतम न्यायालय द्वारा 9 दिसम्बर, 1985 को और आगे दिए गए निर्देशों के अनुसार, सरकार ने बंगलौर, चण्डीगढ़ तथा गुवाहाटी में अधिकरण की तीन और न्यायपीठें पहले ही स्थापित कर दी हैं। इन निर्देशों के अनुसार 30-6-1986 तक अहमदाबाद, कटक, इर्नाकुलम, जबलपुर, जोधपुर, हैदराबाद तथा पटना में अधिकरण की सात और न्यायपीठें स्थापित करने की कार्यवाही चल रही है।

कोचीन में म्यूजिक विद मीनिंग ग्रुप के सदस्यों की गिरफ्तारी

9141. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या म्यूजिक विद मीनिंग के नाम से विख्यात संगठन से संबंधित विदेशियों जिसमें महिलायें भी शामिल हैं, के एक ग्रुप को कोचीन में गिरफ्तार किया गया था; और

(ख) क्या उन्हें जासूसी अथवा नशीली वस्तुओं की गतिविधियों के सम्बन्ध में गिरफ्तार किया गया था ?

आंतरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण नेहरू) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) जी नहीं, श्रीमान। उन्हें, उनकी संदिग्ध गतिविधियों और उचित तथा वैध यात्रा कागजातों के न होने के कारण गिरफ्तार किया गया था।

जेलीआंगग्रोंग नागाओं के दर्जा सम्बन्धी रिपोर्ट

9142. **प्रो० मिजिन लंग कामसन** : क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मणिपुर, नागालैंड और आसाम के जेलीआंग्रोग नागाओं के दर्जे सम्बन्धी विस्तृत दर्जा पत्र तैयार करने हेतु तथ्यों का पता लगाने वाले पूर्वोत्तर परिषद के दल का गठन कब किया गया था और इसके क्या कारण हैं;

(ख) तथ्यों का पता लगाने वाले उक्त दल के मदस्यों के नाम क्या हैं;

(ग) उक्त दल ने तीनों राज्यों के जेलीआंगग्रोंग नागा क्षेत्रों का कब दौरा किया था और दल ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी;

(घ) उक्त रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या हैं और उसमें क्या सिफारिशें की गई हैं और उसमें उक्त क्षेत्रों के विकास के लिये क्या नीति अपनाने का सुझाव दिया गया है;

(ड.) रिपोर्ट में सुझाये गये उपायों के कार्यान्वियन के लिये सरकार द्वारा अब तक क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है; और

(च) इस सम्बन्ध में तीन सम्बंधित राज्यों (मणिपुर, नागालैंड और आसाम) से क्या उत्तर प्राप्त हुआ है और उनकी क्या प्रतिक्रिया है और उन्होंने उन उपायों के कार्यान्वियन के लिये क्या उपाय किये हैं ?

संचार मंत्रालय के तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) दल का गठन 23-2-1983 को जेलिआंग्रोंग क्षेत्र के विकास के लिए समेकित दर्जा-पत्र तैयार करने हेतु किया गया था।

(ख) दल में उत्तर-पूर्वी परिषद के तत्कालीन योजना सलाहकार श्री एन० पी० नवानी तथा नार्थ-ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, शिलांग के अर्थशास्त्र विभाग के प्रोफेसर डा० श्री प्रकाश शामिल थे।

(ग) श्री नवानी ने 7 तथा 8 अप्रैल, 1984 को मणिपुर के तमंगलोंग जिले का दौरा किया। डा० श्री प्रकाश ने नागालैण्ड का दौरा किया। दल ने 9 जुलाई, 1984 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

(घ) दल ने क्षेत्र में सड़कों के निर्माण, स्थायी खेतीबाड़ी के लिए भूमि का विकास, सिंचाई तथा पन-बिजली उत्पादन के लिए जल संसाधनों को बढ़ाना, पहाड़ी ढलानों का बागवानी कृषि-वानिकी तथा चरागाहों के लिए उपयोग करना और शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं के प्रावधान को अत्यधिक प्राथमिकता देने की सिफारिश की है।

(ङ) असम, मणिपुर तथा नागालैण्ड सरकारों को रिपोर्ट की सिफारिशों पर उचित अनुवर्ती कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया है।

(च) इस मामले में राज्य सरकारों के जवाब की प्रतीक्षा है।

राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड तथा उद्योगों के आन्तरिक (इन-हाऊस) अनुसंधान और विकास एककों को मान्यता

9143. **डा० जी० विजायरामाराव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयकर से छूट के प्रयोजन के लिये उद्योगों के आन्तरिक (इन हाउस) अनुसंधान और विकास एककों को मान्यता दी गई है;

(ख) क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा इस प्रयोजन के लिये राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड को भी एक "उद्योग" माना गया है; और

(ग) यदि हां, तो राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड को किन नियमों के अन्तर्गत एक "उद्योग" माना गया है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग द्वारा औद्योगिक और गैर-औद्योगिक क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास एककों को दी गयी मान्यता, अन्य बातों के अलावा, उन्हें वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत उपकरण, कच्ची सामग्री आदि का आयात करने का हक प्रदान करती है।

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग द्वारा दी गयी मान्यता ने औद्योगिक आन्तरिक (इन हाउस) अनुसंधान और विकास एककों को आयकर अधिनियम के अन्तर्गत व्यय और वैज्ञानिक अनुसंधान से सम्बधित रियायतों का लाभ दिया है। इसके फलस्वरूप, विभिन्न प्रकार की औद्योगिक अनुसंधान गतिविधियों में लगे 900 से भी अधिक आन्तरिक (इन हाउस) अनुसंधान और विकास एककों ने प्रति वर्ष 500 करोड़ रुपये से भी अधिक व्यय करना शुरू कर दिया है।

(ख) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग द्वारा दी गयी मान्यता अनुसंधान और विकास एककों को है, उद्योग को नहीं। राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड की अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला को ऐसी मान्यता दी गयी थी, जो कि 31 मार्च, 1986 तक मान्य थी।

(ग) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग ने राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड को "उद्योग" के रूप में मान्यता नहीं दी है।

भारत के बारे में एमनेस्टी इन्टरनेशनल की रिपोर्ट

9144. **श्री पी० आर० कुमारमंगलम** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मानव अधिकारों के प्रति भारत के अन्तर्राष्ट्रीय आश्वासनों, जिसमें भारत के सभी नागरिकों को जीने और व्यक्तिगत स्वतन्त्रता की गारंटी दी गई है, से सम्बन्धित एमनेस्टी इन्टरनेशनल रिपोर्ट 1985 देखी है; और

(ख) क्या एमनेस्टी इन्टरनेशनल की रिपोर्ट पर जहां तक इसका भारत से सम्बन्ध है, गौर किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग में भारत के विरुद्ध कोई बात न कही जा सके ?

आंतरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) सरकार ने जनवरी से दिसम्बर, 1984 तक की अवधि की एमनेस्टी इण्टरनेशनल रिपोर्ट 1985 देखी है।

(ख) फरवरी/मार्च 1986 में जेनेवा में हुए मानवीय अधिकार आयोग के 42वें सत्र के विचार विमर्श में भारत सम्मिलित नहीं था।

महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जले में कुडाल में डब्ल्यू. जी. फोर्ज एण्ड एलायड इन्डस्ट्रीज का कार्यकरण

9145. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में सिंधुदुर्ग जिले में कुडाल स्थित डब्ल्यू० जी० फोर्ज एण्ड एलायड इंडस्ट्रीज का रक्षोन्मुखी संयंत्र जो वाहनों के लिए क्रैंक शौफ्ट्स बनाता है, वित्तीय कठिनाइयों के कारण पूरी क्षमता से काम नहीं कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस रक्षोन्मुखी संयंत्र का उपयुक्त कार्यकरण सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या सहायता दी जा रही है ?

रक्षा उत्पादन और रक्षापूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री सुखराम) : (क) यह ज्ञात हुआ है कि बम्बई उच्च न्यायालय ने अक्तूबर, 1984 में एक कोर्ट रिसीवर की नियुक्ति की जिसके लिए अनुरोध डब्ल्यू० जी० फोर्ज कम्पनी के उन लेनदारों ने किया जिसकी बम्बई के पास थाणो में एक बड़ी यूनिट है और सिद्धदुर्ग में कुदाल में मशीन बनाने की एक छोटी यूनिट है। न्यायालय के अनुमोदन से कुदाल यूनिट को पांच सदस्यों की प्रबन्धक समिति द्वारा चलाया जा रहा है। इस मन्त्रालय को इस बात की जानकारी नहीं है कि कुदाल यूनिट में कर्मचारियों की संख्या पूरी है या नहीं। इस मंत्रालय को इस बात की भी जानकारी नहीं है कि यह यूनिट रक्षोन्मुखी है और कौन से अन्य ग्राहक यूनिट को सामान के लिए आर्डर दे रहे हैं।

(ख) रक्षा मंत्रालय ने डब्ल्यू० जी० फोर्ज कम्पनी को कई सप्लाई आर्डर दिए थे जिनके लिए कम्पनी को कुछ एडवांस दिए गए थे। अभी कई सप्लाई आर्डरों की सप्लाई प्राप्त की जानी है। लेकिन एक रक्षा उत्पादन यूनिट के लिए कार्य करने के लिए कुदाल यूनिट को सहायता देने के उद्देश्य से कुदाल यूनिट को फोर्ज क्रैंक शाफ्ट मशीनें बनाने के लिए एक आर्डर दिया गया है। आर्डर को अभी पूरा किया जाना है।

औषध एवं व्यसन-मुक्ति केन्द्रों की स्थापना

9146. **श्री कृष्णसिंह** : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 31 मार्च, 1986 को दिल्ली में सदर थाना रोड पर एक औषध एवं मदिरा व्यसन-मुक्ति केन्द्र ड्रग एण्ड एलकोहलिक-एडिक्सन सैन्टर का उद्घाटन किया गया था,

(ख) इन केन्द्रों के कार्य/उद्देश्य और कार्य-पद्धति क्या हैं,

(ग) क्या सरकार का विचार विशेषकर दिल्ली में और आमतौर पर सारे देश में नशीली दवाओं का सेवन करने वाले के लिए परामर्श केन्द्रों के एक तंत्र की स्थापना करने का है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) 31 मार्च, 1986 को दिल्ली में सदर थाना रोड पर एक औषध-व्यसन मुक्ति केन्द्र का उद्घाटन किया गया था।

(ख) गत दिसम्बर में स्वीकृत सात औषध-व्यसन-मुक्ति परामर्शी केन्द्रों को पुनर्वासव्यवस्था, अन्य पुनर्वास केन्द्रों से मिलकर समन्वित चिकित्सा-स्रोतों सम्बन्धी सूचना देना, आंकड़ों का संचयन तथा संग्रहण, आंकड़ों का वितरण, प्रवर्तन एजेंसियों से सम्पर्क तथा व्यक्तिगत और समूह चिकित्सा आदि जैसे व्यसन-मुक्ति से जुड़े कई पहलुओं का ध्यान रखना होता है।

(ग) और (घ) इन केन्द्रों के कार्य चालन पर नजर रखी जा रही है और परामर्शी केन्द्रों की स्थापना तथा बहुलकता वर्तमान केन्द्रों के कार्य-चालन पर निर्भर होगी।

गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोग

9147. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए प्रत्येक राज्य को आवंटित की गई राशि का राज्यवार और योजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) आबंटित राशि में से कितनी राशि व्यय की गई;

(ग) पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के कितने प्रतिशत को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाया गया; और

(घ) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कितने लोग गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं और सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस समस्या का हल खोजने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री गिरधर गोमांगो) : (क) और (ख) विशेष संघटक योजना/जनजातीय उपयोजना के अन्तर्गत छठी योजना के भिन्न-भिन्न वर्षों के दौरान परिव्यय तथा खर्च और भिन्न-भिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को इस योजनावधि के दौरान भारत सरकार द्वारा विशेष संघटक योजना/अनुसूचित जनजातीय उप योजना के लिए दी गयी विशेष केन्द्रीय सहायता और उनका खर्च दर्शाने वाले विवरण सभा पटल पर रखे जाते हैं।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल० टी०–2732/80]

(ग) और (घ) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को सहायता के सम्बन्ध में योजना आयोग के मध्यावधि आकलन रिपोर्ट के अनुसार जिन परिवारों को सहायता दी गयी थी उनमें से लगभग 25% परिवारों द्वारा गरीबी की रेखा पार किये जाने का अनुमान है।

गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे परिवारों की ठीक संख्या मालूम करने के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों द्वारा अभी कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों का विस्तृत आर्थिक और मानव संसाधन का विकास करने की दृष्टि से छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान तैयार की गई विशेष संघटक योजना अनुसूचित जनजाति उप योजना की नीति सातवीं पंचवर्षीय योजना में अधिक समेकित और सगठित प्रयासों की आवश्यकता पर अधिक ध्यान देते हुए जारी रहेगी।

केन्द्रीय सरकार के संस्थानों के कर्मचारियों पर परिवार पेंशन योजना लागू करना

9148. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के सभी विभागों/संस्थानों पर परिवार पेंशन योजना लागू की गई है; और

(ख) क्या उक्त योजना रेलवे कर्मचारियों के परिवारों पर भी लागू होती है, और

(ग) यदि हां, तो यह योजना उन पर कब लागू की गई थी ?

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) जी हां। रक्षा सेवाओं में सेवा कर रहे सिविलियन सरकारी कर्मचारियों सहित ऐसे सरकारी कर्मचारियों के मामले में जो पेंशनी प्रतिष्ठानों में कार्यरत हैं/थे, कुटुम्ब पेंशन योजना, 1984 लागू कर दी गयी है।

(ख) और (ग) : रेलवे में पेंशन योजना 16-11-1957 से लागू की गई थी और जिन रेल कर्मचारियों ने इस तारीख को या इसके बाद सेवा में कार्य ग्रहण किया है, वे कुटुम्ब पेंशन योजना सहित पेंशन योजना के अन्तर्गत आते हैं। जो रेल कर्मचारी 1-4-1957 को सेवा में में थे और राज्य रेल भविष्य निधि (अंशदायी) योजना के अन्तर्गत आते थे, उन्हें भी पेंशन योजना में आने के लिए विकल्प देने का अवसर दिया गया था। जिन रेल कर्मचारियों ने रेलवे में पेंशन योजना लागू होने पर अथवा बाद में उपलब्ध कराये गये अवसरों पर पेंशन योजना में शामिल होने का विकल्प दिया था, उनके परिवारों पर कुटुम्ब पेंशन योजना लागू होती है।

ईरान-इराक युद्ध में मारे गये आंध्र प्रदेश के मजदूर

9149. **श्री एस० पल्लाकोंड्रायुड** : क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईरान-इराक युद्ध में आंध्र प्रदेश के कोई मजदूर मारे गये हैं;

(ख) यदि हां तो सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है और क्या उन देशों ने मृतकों के परिवारों को कोई मुआवजा अदा किया है; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) से (ग) : संबंधित मिशनों से सूचना एकत्र की जा रही है और इसे यथाशीघ्र भवन की मेज पर रख दिया जायगा।

मृत्यु दण्ड के विरुद्ध अपील के विचाराधीन मामले

9150. **श्री आर० एम० भोये** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मृत्यु दण्ड के विरुद्ध अपील के कितने मामले न्यायालयों में राज्य-वार तथा लिंग-वार विचाराधीन हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान कितनी स्त्रियों को मृत्यु दण्ड दिया गया;

(ग) क्या फांसी देने की तकनीक में कोई परिवर्तन किया गया है;

(घ) यदि हां; तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ.) उसके क्या कारण हैं ?

आंतरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) जी नहीं, श्रीमान ।

(घ) और (ङ.) प्रश्न ही नहीं उठता ।

शक्तिशाली राकेट

9151. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का और अधिक शक्तिशाली राकेट बनाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) 50 कि. ग्रा. भार की श्रेणी के उपग्रहों को छोड़ने की क्षमता वाले भारत के प्रथम उपग्रह प्रमोचक राकेट (एस० एल० वी० 3) के सफल प्रमोचन के बाद, अधिक शक्तिशाली राकेटों के निर्माण का कार्य प्रगति में है, अर्थात् पृथ्वी की निकट कक्षा में 150 कि. ग्रा. भार की श्रेणी के उपग्रहों को छोड़ने में सक्षम ए० एस० एल० वी० राकेट (संवर्धित उपग्रह प्रमोचक राकेट), और सूर्य-तुल्य-कालिक कक्षा में 1000 कि. ग्रा. भार की श्रेणी के उपग्रहों को छोड़ने में सक्षम पी० एस० एल० वी० (ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचक राकेट) राकेट । ए० एस० एल० वी० की प्रथम विकासात्मक उड़ान 1986 के लिए तथा पी० एस० एल० वी० की उड़ान 1989 के लिए निर्धारित है । इनके अलावा, इन्सैट की श्रेणी के उपग्रहों को छोड़ने में सक्षम भू-तुल्यकालिक उपग्रह प्रमोचक राकेट (जी० एस० एल० वी०) के निर्माण की भी योजना है । इनके बारे में विशेष विवरण अन्तरिक्ष विभाग की वार्षिक रिपोर्टों में दिया गया है ।

अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूह में ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम सम्बन्धी योजनायें

9152. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985-86 के दौरान अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह संघ राज्य क्षेत्र में ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम सम्बन्धी कितनी योजनायें मंजूर की गई थीं और कुल कितने श्रमिक-दिवसों का सृजन किया गया था और कार्य के नाम और स्थान का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त कार्य कब शुरू किया गया था;

(ग) क्या मजदूरी के साथ गेहूं/चावल दिया जाता है;

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ.) क्या इसी योजना के अन्तर्गत मोहनपुर, (उत्तर अण्डमान) के श्रमिकों को अप्रैल के प्रथम सप्ताह तथा फरवरी, 1986 की मजदूरी की अदायगी नहीं की गई थी, यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) और (ख) संघ शासित क्षेत्र अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में आर० एल० ई० जी० पी० के अन्तर्गत वर्ष 1985-86 के दौरान 36 योजनायें स्वीकृत की गई। 36 योजनाओं में से वर्ष 1985-86 के दौरान केवल 28 योजनायें प्रारम्भ की जा सकीं। (इन योजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं) शेष 8 योजनायें भूमि, सीमेंट आदि के उपलब्ध न होने के कारण प्रारंभ नहीं की जा सकीं। वर्ष के दौरान 63,041 श्रमिक दिवसों का रोजगार सृजन किया गया।

(ग) कामगारों को मजदूरी के भाग के रूप में चावल के वितरण का प्रबन्ध किया गया था।

(घ) अधिकांश कामगारों ने चावल स्वीकार किया, तथापि फसल के दौरान, दूर-दराज के क्षेत्रों में कुछ कामगारों ने चावल स्वीकार नहीं किया क्योंकि उन स्थानों पर स्थानीय चावल आर० एल० ई० जी० पी० चावल की अपेक्षा कम कीमत पर उपलब्ध था।

(ङ.) मोहनपुर गांव के कामगारों को फरवरी, 1986 के लिए मजदूरी 7 अप्रैल को दी गयी थी। जूनियर इन्जीनियर के अन्य कार्यों में व्यस्त होने के कारण, मोहनपुर गांव के लिए नियमित नौका सेवा के उपलब्ध न होने इत्यादि के कारण विलम्ब हुआ।

विवरण

अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में 1985–86 में शुरू किये गये आर० एल० ई० जी० पी० कार्यों का ब्यौरा

क्रम सं०	कार्य का नाम	कार्य का स्थान/गांव	शुरू किये जाने की तारीख
1	2	3	4
1.	स्टेवर्टगंज टंकी बस्ती से बेंगुला पहाड़ तक 1420 मीटर कच्ची सड़क का निर्माण	स्टेवर्ट गंज (विम्बरली गंज पंचायत)	7-4-85
2.	पोर्ट मोट से ओगराब्रांज तक ग्रामीण सड़क का निर्माण (270 मीटर)	पोर्ट मोर्ट से ओबरा ब्रांज	14-9-85
3.	मंझीरी गांव में ग्रामीण सड़क का निर्माण (915 मीटर)	मंझीरी	7-4-85

1	2	3	4
4.	बट लाइन खेल के मैदान का निर्माण	कालीकट	19-9-85
5.	गोविन्दपुरम में ग्रामीण सड़क का निर्माण (53 मीटर)	गोविन्दपुर बम्बू फ्लैट	8-4-85
6.	मुख्य सड़क से सन्तानू तक ब्रिडल पथ का निर्माण (1 कि०मी०)	सन्तानू	6-5-85
7.	डिस्पेंसरी से गांव के अन्दर तक पैदल पथ का निर्माण (0.50 कि०मी०)	कौशल्यानगर	4-10-85
8.	मुख्य सड़क से 5 फैमिली ब्लाक तक ब्रिडल पथ का निर्माण (0.50 कि०मी०)	शबरी	28-2-86
9.	मुख्य सड़क से गांव के अन्दर बसन्तीपुर तक ब्रिडल पथ का निर्माण	बसन्तीपुर	1-9-85
10.	मुख्य सड़क से जे० बी० स्कूल तक ब्रिडल पथ का निर्माण (300 मीटर)	तुंगापुर–7	1-2-86
11.	मंदिर से धर्मपुर तक पैदल पथ का निर्माण (1 कि०मी०)	धर्मपुर	2-1-86
12.	कर्मार्टिंग सं० 9 से 10 तक सड़क का निर्माण (1 कि०मी०)	कर्मार्टिंग	25-4-85
13.	सी० सी० पैदल पथ का निर्माण	हरिनगर	25-3-86
14.	मुख्य सड़क से सन्तानू गांव तक ब्रिडल पथ का निर्माण (दक्षिणी किनारा) (1 कि०मी०)	सन्तानू	1-4-86
15.	मुख्य रोड, से बम्बू फ्लैट तक ग्रामीण सड़क का निर्माण (1 कि०मी०)	कदमतला	8-4-86
16.	मुख्य सड़क से पुरानी जे० टी० तक ग्रामीण सड़क का निर्माण (1 कि०मी०)	कदम–तलां	20-2-86
17.	पिनाकी नगर से कमालपुर तक सड़का का निर्माण	पिनाकीनगर–कमारपुर	1-2-86
18.	सिबपुर से पूर्वी दिशा तक ग्रामीण पथ का निर्माण (0.50 कि०मी०)	सिबपुर	18-4-86
19.	विद्यासंग्रापली में ग्रामीण पथ का निर्माण	विद्यासंग्रापली	6-4-85
20.	मिडिल स्कूल के नजदीक मुख्य सड़क से गांव के अन्दर तक ग्रामीण सड़क का निर्माण (0.50 कि०मी०)	केरलापुरम्	1-2-86
21.	सड़क से गांव तक ग्रामीण पथ का निर्माण (0.50 कि०मी०)	बी० एस० पाली सीतानगर	16-4-85

I	2	3	4
22.	रविन्द्रपाली में ब्लाक सड़क से कृष्णापुरी तक ग्रामीण पथ का निर्माण (0.50 कि०मी०)	रविन्द्रपाली कृष्णापुरी	20-4-85
23.	देशपाड़ा में ग्रामीण पथ का निर्माण (0.50 कि०मी०)	आर० के० ग्राम	16-4-85
24.	नेताजी सुभाष स्कूल के नजदीक ए० टी० रोड से पुनर्वास गांव तक ग्रामीण पथ का निर्माण (0.50 कि०मी०)	सुभाष ग्राम	5-2-86
25.	राधानगर में डिस्पेंसरी से नबा कताई तक ग्रामीण सड़क का निर्माण (0.50 कि०मी०)	राधानगर	1-9-85
26.	लोकनिर्माण विभाग से सेटलमेंण्ट तक ग्रामीण सड़क का निर्माण	कालीघाट	3-1-86
27.	प्राथमिक स्कूल से गांव तक ग्रामीण पथ का निर्माण (0.50 कि०मी०)	कालीपुर	5-3-86
28.	मोहनपुर गांव में गांव की दक्षिण दिशा तक ग्रामीण पथ निर्माण (0.50 कि०मी०)	मोहनपुर	6-4-85

रक्षा उत्पादन यूनिटों से रहित राज्य

9153. **श्री के० मोहनदास** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनमें कोई रक्षा उत्पादन यूनिट नहीं है;

(ख) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ऐसे प्रत्येक राज्यों से कम से कम इस प्रकार की यूनिट स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा उत्पादन और रक्षा पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री सुखराम) : (क) इस समय असम, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, केरल, मणीपुर, मेघालय, नागालैण्ड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम और त्रिपुरा राज्यों में कोई रक्षा उत्पादन यूनिट स्थित नहीं है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

आन्ध्र प्रदेश में भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्वास

9154. **श्री श्रीहरि राव** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में कितने भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्वास किया गया है;

(ख) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने अन्य राज्यों की भांति भूतपूर्व सैनिकों तथा युद्ध में मारे गए सैनिकों की विधवाओं को मकान बनाने के लिए आवंटन हेतु भूखण्डों का आरक्षण किया है; और

(ग) यदि हां, तो मकानों के निर्माण के लिए दी जा रही वित्तीय सहायता सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुणसिंह) : (क) पिछले दो वर्षों के दौरान आन्ध्र प्रदेश में 1401 भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्वास किया गया है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) 1984 और 1985 के दो वर्षों के दौरान भूतपूर्व सैनिकों/युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों की पत्नियों को मकानों के 3110 भू-खण्ड निःशुल्क आवंटित किए गए हैं । मकानों के निर्माण के लिए बैंकों से लिए गए ऋणों पर लगे ब्याज के लिए सैनिक बोर्ड आर्थिक सहायता देता है ताकि 30,000 रुपए तक के ऋणों पर ब्याज 4% हो और 1 लाख रुपये तक के ऋणों पर ब्याज 7% हो ।

सिलिकान प्रौद्योगिकी के लिए विदेशी मुद्रा

9155. **श्री आर० एस० माने** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जैसा कि समाचार पत्रों में छपा है क्या देश में पहले से उपलब्ध सिलिकोन प्रौद्योगिकी के लिए इलैक्ट्रॉनिकी विभाग का विचार विदेशी-मुद्रा खर्च करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) फरवरी, 1985, में "सरकार ने तकनीकी एवं आर्थिक व्यवहार्यता तथा स्वदेश में विकसित प्रक्रिया कितनी किफायती है, इसकी वर्तमान स्थिति का सावधानी पूर्वक मूल्यांकन करने के उपरान्त ही संयुक्त राज्य अमेरिका के हेमलांक सेमीकण्डक्टर कारपोरेशन के साथ एक करार करने का निर्णय किया है । इसके साथ-साथ, सरकार वाणिज्यक स्तर पर स्वदेशी प्रक्रिया का विकास करने की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों को पूर्ण सहायता प्रदान करेगी तथा राष्ट्रीय सिलिकेन सुविधा के सम्बन्ध में पूंजी निवेश करने का निर्णय केवल तभी लिया जायेगा जब मेत्तूर केमिकल्स द्वारा स्थापित किए जा रहे 25 टी० पी० ए० के उत्पादन एकक द्वारा हासिल किए गए परिणामों का मूल्यांकन कर लिया जाएगा ।"

मेटकेम सिलिकन लिमिटेड जो मेत्तूर केमिकल्स एण्ड इंडस्ट्रियल लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व की एक सहायक कम्पनी के रूप में गठित की गई है, ने सरकार को दिनांक 3 मार्च, 1986 को

सूचित किया था कि "उनके उत्पादन संयंत्र में आरम्भिक कार्य सुव्यवस्थित ढंग से चल रहा है।" 12 अप्रैल, 1986 को कम्पनी ने सरकार को सूचित किया कि संयंत्र में कुछ फेर बदल करने और कुछ वाल्वों एवं यंत्रीकरण में पाए गए कतिपय दोषों को ठीक करने के लिए मार्च, 1986 के अन्तिम सप्ताह में उसे बन्द करना पड़ा। ये फेरबदल करने के बाद संयंत्र को पुनः चालू कर दिया गया है।

दिनांक 24 अप्रैल, 1986 को मेटकेम सिलिकन लिमिटेड ने सरकार को सूचित किया कि "अब उनके संचालन-कार्य सुस्थिर से हैं" और जब तक संयंत्र उचित उत्पादन क्षमता के साथ और बगैर बाधा या व्यवधान के साथ काम नहीं करता तब तक प्रचालन के परिणामों के बारे में बताना भ्रामक होगा "और यह भी कि" हम जैसे ही अपने उचित और अभिष्ट संचालन कार्य का लक्ष्य हासिल कर लेंगे वैसे ही तकनीकी एवं आर्थिक प्रचालन के आंकड़े उपलब्ध हो जायेंगे।

उड़ीसा में सामाजिक वानिकी कार्यक्रम

9156. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान उड़ीसा में सामाजिक वानिकी के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है; और

(ख) सरकार का सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित करने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) उड़ीसा राज्य में छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के तहत लक्ष्य एवं उपलब्धियां नीचे दी गयी हैं :—

ब्लाक पौधरोपण (हेक्टेयर में)		बाल पौधों का वितरण (लाख में)	
लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य	उपलब्धियां
1,36,100	86,771	284	363

लक्ष्य की तुलना में समग्र उपलब्धियों में कुछ कमियां रही हैं।

(ख) 1985-86 के लिए वनरोपण लक्ष्य 21.42 करोड़ बाल पौधे निर्धारित किये गये जिसके विपरीत 28-2-86 तक 18.10 करोड़ बाल पौधे रोपे गये थे। 1986-87 के लिए लक्ष्य प्रायोगिक तौर पर 48 करोड़ बाल पौधे निर्धारित किये गये। सातवीं पचवर्षीय योजना में परवर्ती वर्षों के लिए लक्ष्य वर्ष-दर-वर्ष आधार पर निर्धारित किये जायेंगे।

प्रत्येक श्रेणी के कम्प्यूटर लगाना

9157. **श्री के० एस० राव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कम्प्यूटर की मुख्यतः तीन श्रेणियां हैं, अर्थात् "माइक्रो" "मिनि", तथा मेनफ्रेम" और यदि हां, तो देश में प्रत्येक श्रेणी के कितने कितने कम्प्यूटर लगाये गये हैं।

(ख) इनमें से प्रत्येक श्रेणी के कितने कम्प्यूटरों का आयात किया गया है।

(ग) पांच शीर्षस्थ भारतीय कम्प्यूटर निर्माताओं के नाम क्या हैं और उनके उत्पादन सम्बन्धी मुख्य ब्यौरा क्या है।

(घ) क्या कोई भारतीय कम्प्यूटर निर्माता विदेशों में भी कम्प्यूटरों का निर्माण कर रहा है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है।

(ङ) "हार्डवेयर" और "साफ्टवेयर" के क्षेत्र में कम्प्यूटर कर्मचारी प्रशिक्षित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं। तथा उठाए जाने का विचार है जिससे कि देश में इन क्षेत्रों को उनकी बढ़ती हुई मांग पूरी की जा सके; और

(च) विभिन्न श्रेणियों के कितने कम्प्यूटर व्यावसायिक कर्मचारी उपलब्ध हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां; कम्प्यूटर को मोटेतौर पर तीन श्रेणियों अर्थात् माइक्रो (सूक्ष्म), मिनी (लघु) तथा मेनफ्रेम (बड़े आकार का) में वर्गीकृत किया जा सकता है। किन्तु प्रौद्योगिकी में तेजी से विकास होने के कारण, माइक्रो तथा मिनी कम्प्यूटरों के बीच सीमा रेखा समाप्त होती जा रही है। इस तथ्य को स्वीकार करते हुए, औद्योगिक लाइसेंस/लघु क्षेत्र के अनुमोदन प्रदान करने के उद्देश्य से कम्प्यूटर के क्षेत्रों को दो शीर्षकों अर्थात् (1) मेनफ्रेम/सुपर मिनी कम्प्यूटर तथा मिनी कम्प्यूटर/सूक्ष्म संसाधित्र (माइक्रोप्रोसेसर) पर आधारित प्रणालियों में वर्गीकृत किया गया है। इस समय देश में लगभग 17,000 से 18,000 तक कम्प्यूटरों की प्रतिष्ठापना की गई है, जिसमें से लगभग 2 प्रतिशत मेनफ्रेम रेंज की कम्प्यूटर श्रेणी में आते हैं, 20 प्रतिशत मिनी कम्प्यूटर की श्रेणी में, तथा शेष माइक्रो कम्प्यूटर की श्रेणी में आते हैं, जिनमें शब्द संसाधक (वर्ड-प्रोसेसर), वैयक्तिक कम्प्यूटर तथा लेखांकन/बीजांकन मशीनें शामिल हैं।

(ख) मेनफ्रेम रेंज के सभी कम्प्यूटरों का आयात किया जाता है। मिनी कम्प्यूटरों की रेंज में लगभग 70 प्रतिशत तथा सूक्ष्म कम्प्यूटरों की रेंज में लगभग 10 प्रतिशत कम्प्यूटरों का आयात किया जाता है।

(ग) वर्ष 1985 के लिए उत्पादन रिपोर्ट के आधार पर पांच शीर्षस्थ भारतीय कम्प्यूटर विनिर्माण कर्ताओं का चयन किया गया है, उनसे सम्बन्धित ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) जी, हां, मेसर्स हिन्दुस्तान कम्प्यूटर्स लिमिटेड ने सिंगापुर में मेसर्स फार-ईस्ट कम्प्यूटर्स प्रा० लि० के नाम से एक एकक की स्थापना की है और इस कम्पनी में मेसर्स हिन्दुस्तान

कम्प्यूटर्स के 42 प्रतिशत साम्या-पूंजी (इक्विटी) शेयर हैं। विदेश में स्थित यह कम्पनी कम्प्यूटरों के विनिर्माण और उसके विपणन सम्बन्धी गतिविधियों में कार्यरत है।

(ङ.) सरकार ने विभिन्न स्तरों पर अनेक कम्प्यूटर-पाठ्यक्रम आरम्भ किए हैं। कम्प्यूटर शिक्षा के लिए वर्तमान शैक्षणिक आधार का विस्तार किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त सतत् शिक्षा, सेवा कालीन प्रशिक्षण, अल्पावधि पाठ्यक्रम, सायंकालीन पाठ्यक्रम, अध्यापक प्रशिक्षण पाठ्क्रम तथा कम्प्यूटर पर आधारित शिक्षा देने में नई तकनीकों का प्रयोग, श्रव्य-दृश्य (ऑडियो/विजुअल) शिक्षण के साथ-साथ दूरदर्शन नेटवर्क का प्रयोग जैसे अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं/उनकी योजना बनाई जा रही है।

(च) कम्प्यूटर विषय में डिप्लोमा-धारक कार्मिकों की अनुमानित संख्या 3000 है। इसके अतिरिक्त, लगभग 2000 लोगों ने अन्य विषयों में अपने-अपने पाठ्यक्रमों के एक भाग के रूप में कम्प्यूटर शिक्षा ग्रहण की है।

विवरण

पांच शीर्षस्थ भारतीय कम्प्यूटर विनिर्माण कर्ताओं के ब्यौरे

क्रम सं०	एक्क का नाम तथा उनके उत्पाद	कारखाना बाह्य कारोबार (करोड़ रुपयों में)
1.	मेसर्स डेटा प्रोडेक्ट्स लि० (डी. सी. एम. लि०) मिनी कम्प्यूटर/सूक्ष्म संसाधित्र पर आधारित प्रणालियां, डेटा लागर्स/डेटा अभिग्रहण प्रणालियां/डेटा एंटरी प्रणालियां तथा लेखांकन/बीजांकन मशीनों का विनिर्माण।	9.54
2.	मेसर्स इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन ऑफ, इण्डिया लि० अंकीय कम्प्यूटर, डेटा लागर्स तथा डेटा अभिग्रहण प्रणालियों के विनिर्माण में कार्यरत।	15.23
3.	मेसर्स हिन्दुस्तान कम्प्यूटर्स लि० मिनी कम्प्यूटर/सूक्ष्म संसाधित्र पर आधारित प्रणालियां, डेटा एंटरी प्रणालियां तथा लेखांकन, बीजांकन मशीनों का विनिर्माण।	17.11
4.	मेसर्स इन्टरनेशनल कम्प्यूटर्स इन्डियन मैन्यूफैक्चर लि० आई. आई. सी. एल. 2900 सिरीज के कम्प्यूटर, कम्प्यूटर उपान्त उपस्कर तथा मिनी कम्प्यूटर/सूक्ष्म संसाधित्र पर आधारित प्रणालियों का विनिर्माण।	12.18
5.	मेसर्स वाइपरो इन्फोर्मेशन टेक्नालॉजी लि० मिनी कम्प्यूटर/सूक्ष्म संसाधित्र पर आधारित प्रणालियों का विनिर्माण	11.94

दोहरे/बहुराष्ट्रीय पासपोर्ट रखने वाले भारतीय नागरिक

9158. **श्री सी० सम्बु** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने भारतीय नागरिकों के पास दोहरे और बहुराष्ट्रीय पासपोर्ट हैं;

(ख) क्या सरकार ने उसके दोहरे और बहुराष्ट्रीय पासपोर्ट रद्द करने के लिए कोई कार्यवाही की है; और

(ग) यदि हां, तो प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ।

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) भारत के संविधान में दोहरी अथवा बहुराष्ट्रीय नागरिकता की व्यवस्था नहीं है । जहां तक उन भारतीय नागरिकों की संख्या का सम्बन्ध है, जिसके पास भारतीय पासपोर्टों के अलावा अन्य देशों के पासपोर्ट भी हैं, सूचना उपलब्ध नहीं है । अधिकतर देश भारतीय राष्ट्रिकों को अपनी नागरिकता प्रदान करने की सूचना स्वतः ही हमें नहीं देते हैं । कनाडा और जर्मन संघीय गणराज्य जैसे कुछ देशों में निजी गोपनीयता सम्बन्धी कानून हैं जो उन्हें ऐसी सूचना देने की तब तक इजाजत नहीं देता जब तक उन्हें सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा इस सम्बन्ध में विशिष्ट रूप से प्राधिकृत नहीं कर दिया गया हो । नागरिकता बदलने के मामले में सूचना के आदान-प्रदान के लिए अब तक हमने यूनाइटेड किंगडम और आस्ट्रेलिया के साथ करार किये हैं ।

(ख) जब कभी भी सरकार को यह पता चलता है कि किसी भारतीय राष्ट्रिक के पास विदेशी पासपोर्ट भी है, तो उसका भारतीय पासपोर्ट रद्द कर दिया जाता है क्योंकि तब वह भारतीय नागरिक नहीं रहता ।

(ग) आस्ट्रेलिया की सरकार के साथ एक करार किया गया जो 13.12.1985 से लागू हो गया है, जिसके अनुसार जब वे एक दूसरे देश के नागरिकों को अपनी नागरिकता देंगे तो इस सम्बन्ध में वे एक दूसरे को सूचित करेंगे । हम अन्य सरकारों के साथ भी इसी प्रकार के करार करने की सम्भावना का पता लगा रहे हैं ।

सुन्दरवन में नरभक्षी बाघों से सुरक्षा

9159. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नरभक्षी बाघों ने हाल ही में पश्चिम बंगाल के सुन्दरवन क्षेत्र में गांवों के अनेक निरीह लोगों को मार दिया है; और

(ख) यदि हां, तो सुन्दरवन बाघ परियोजना प्राधिकारियों ने इन नर भक्षी बाघों से निरीह ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रेल, 1986 के दौरान क्रमशः 3, 2, 3 और 3 व्यक्तियों की

नर-भक्षी बाघों द्वारा मारे जाने की सूचना है। एक के अतिरिक्त ये सभी हत्यायें, सुन्दरवन बाघ रिजर्व के भीतर, जहां मानव गतिविधि प्रतिबंधित है, हुयी हैं।

(ख) परियोजना अधिकारियों ने नर-भक्षण की घटनाओं को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये हैं। ये हैं—

(i) मधु इकठ्ठा करने, लकड़ी आदि काटने के समय बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में क्षेत्र के आस-पास रहने वाले लोगों को शिक्षित करना।

(ii) आक्रमण करने वाले पशुओं से प्रभावित क्षेत्रों के चारों ओर विद्युत बाड़ा लगाना।

(iii) विद्युन्मय मानव पुतलों को सामरिक महत्व वाले स्थानों पर रखना जहां, जब वे उन पर हमला करें तो विद्युत का झटका लगे तथा ऐसे शिकार न करना सीखें।

(iv) वनों में अनधिकृत प्रवेश को रोकने के लिए गहन गश्त लगाना।

(v) मानव निवास स्थलों की ओर भटकने वाले या अन्यथा मानव जीवन को खतरा पैदा करने वाले पशुओं को पकड़ना।

आन्ध्र प्रदेश में पुलिस संचार प्रणाली का विकास करने के लिए केन्द्रीय सहायता

9160. **श्री बंजाबाड़ा पपी रेड्डी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में पुलिस संचार प्रणाली का विकास करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत की गई धनराशि पर्याप्त है;

(ख) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या आन्ध्र प्रदेश पुलिस संचार व्यवस्था के लिए माइक्रोवेव प्रणाली प्राप्त करने के लिए अनुमति देने का कोई प्रस्ताव है ?

आंतरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) और (ख) पुलिस का विषय राज्य सूची में है और राज्य पुलिस के कार्य में सुधार लाना प्राथमिक रूप से राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है। फिर भी भारत सरकार ने राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए एक योजना प्रायोजित की थी और राज्य पुलिस तन्त्र की कार्यात्मक कुशलता में सुधार लाने के लिए राज्य सरकारों के प्रयासों में उनकी सहायता कर रही है। वर्ष 1985-86 के दौरान आन्ध्र प्रदेश सरकार को इस योजना के अधीन केन्द्रीय सहायता के तौर पर 63.01 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई थी जिसका एक अवयव पुलिस संचार पद्धति है। 86-87 की सहायता 1985-86 के सम्बन्ध में उपयोग रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही जायेगी।

(ग) भारत सरकार को आन्ध्र प्रदेश सरकार से माइक्रोवेव सिस्टम के लिए कोई अलग प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन पर व्यय तथा राशि आबंटन

9161. **श्री टी० बशीर** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन पर कितनी राशि व्यय की गई है और यह कुल रक्षा बजट प्रावधानों की तुलना में कितने प्रतिशत है; और

(ख) इन निधियों का रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की विभिन्न प्रयोगशालाओं/प्रतिष्ठानों में कैसे आबंटन किया जाता है ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण सिंह) : (क) रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन का वर्षवार व्यय इस प्रकार है—

वित्तीय वर्ष	रक्षा व्यय (वास्तविक) (करोड़ रुपयों में)	रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन का व्यय (वास्तविक) (करोड़ रुपयों में)	प्रतिशतता
1982-83	5408.31	119.30	2.21
1983-84	6309.17	164.25	2.60
1984-85	6660.51	212.35	3.19
1985-86*	7862.00	309.70	3.94

(संशोधित प्राकलन)

*(1985-86 का लेखा अभी बन्द नहीं किया है)

(ख) विभिन्न रक्षा अनुसंधान तथा विकास स्थापनाओं/प्रयोगशालाओं को दी जाने वाली निधियों का आबंटन उनके द्वारा चलाई जा रही विभिन्न परियोजनाओं की आवश्यकताओं और संसद द्वारा अनुमोदित निधि की उपलब्धता पर निर्भर करता है ।

अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के लिए संसद सदस्यों के शिष्टमण्डल

9162. **संसद शाहबुद्दीन** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1983-84 के दौरान विदेशों के लिए सरकारी शिष्टमण्डलों अथवा अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के लिए शामिल किये गये संसद सदस्यों के नाम क्या हैं ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : भारत सरकार के सभी मन्त्रालयों और विभागों से सूचना एकत्र की जा रही है और इसे यथाशीघ्र सदन की मेज पर रख दिया जाएगा ।

लोगों द्वारा रक्षा मंत्रालय के सुरक्षा क्षेत्रों में अनधिकृत प्रवेश

9163. **श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कार ड्राइविंग लाइसेंस दिखाकर रक्षा मंत्रालय के सुरक्षा क्षेत्रों में लोगों के प्रवेश करने के मामले उनके मंत्रालय की जानकारी में आये हैं;

(ख) क्या उनके मंत्रालय के असैनिक कर्मचारियों को जारी किए गए पहचान पत्र कार ड्राइविंग लाइसेंसों जैसे दिखाई देते हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में समुचित सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है क्योंकि कई गैर-सरकारी संगठन भी विभिन्न प्रयोजनों के लिए लैमिनेटेड पहचान-पत्र बनाने हेतु अब "पोलोराइड" कैमरों का इस्तेमाल कर रहे हैं ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुणसिंह) : (क) और (ख) रक्षा मंत्रालय में काम करने वाले अराजपत्रित सिविलियन कर्मचारियों और रक्षा सेनाओं के गैर-कमीशन प्राप्त अफसरों को लाल पृष्ठभूमि की परत का फोटो पहचान पत्र जारी किया गया है। दिल्ली प्रशासन ने भी लाल पृष्ठभूमि की परत के फोटो ड्राइविंग लाइसेंस जारी किये हैं।

(ग) ड्राइविंग लाइसेंस से रक्षा मंत्रालय के पहचान पत्र की अलग स्पष्ट पहचान करने के लिए इनकी बनावट में परिवर्तन किया जा रहा है।

फ्लोपी डिस्कस/डिस्केट्स का आयात

9164. **श्री आशुतोष लाहा** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान फ्लोपी डिस्कस/डिस्केट्स का कितनी मात्रा में तथा मूल्य-वार कुल कितना आयात किया गया;

(ख) अगले तीन वर्षों के दौरान देश में फ्लापी डिस्कस/डिस्केट्स के आयात की कितनी आवश्यकता होगी; और

(ग) उद्योग में इकाई-वार फ्लोपी डिस्कस/डिस्केट्स के प्रयोग का ब्योरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान फ्लापी डिस्कस/डिस्केट्स जो इस समय खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत आते हैं, का कुल अनुमानित आयात नीचे दिए अनुसार है :—

वर्ष	सं० लाखों में	मूल्य लाख रुपयों में
1983	1.9	35.0
1984	5.0	73.0
1985	7.0	75.0

(ख) देश में अगले तीन वर्षों के दौरान फ्लॉपी डिस्कस/डिस्केट्स के आयात की अनुमानित आवश्यकता 50 लाख है।

(ग) फ्लॉपी डिस्क/डिस्केट एक उपभोग्य वस्तु है और इसलिए इसका मुख्य रूप से कम्प्यूटरों की प्रतिष्ठापना करने में प्रयोग किया जाता है। यह अनुमान लगाया गया है कि औसतन एक वर्ष में कम्प्यूटर की प्रतिष्ठापना करने में लगभग 50 डिस्केट्स/फ्लॉपी डिस्कों का प्रयोग होगा।

भारत-पाक सीमा पर मारे गये शरारती तत्व

9165. **श्री जनक राज गुप्ता** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, 1986 से राजस्थान में भारत पाक सीमा पर कुल कितने शरारती तत्व मारे गए; और

(ख) क्या सीमा सुरक्षा बल के जवानों द्वारा चुनौती दिए जाने पर इन शरारती तत्वों ने उन पर गोली चलायी ?

आंतरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) राजस्थान में भारत पाक-सामा पर 1-3-1986 से 30-4-1986 तक सीमा सुरक्षा बल के दलों से भिन्न-भिन्न मुठभेड़ों में 29 शरारती तत्व मारे गए।

(ख) 11 मुठभेड़ों में, सीमा सुरक्षा बल के जवानों द्वारा चुनौती दिये जाने पर इन शरारती तत्वों ने उन पर गोली चलाई।

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् द्वारा आरम्भ की गई अनुसंधान परियोजनायें

9166. **श्री मुरलीधर माने** : क्या **प्रधान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् द्वारा आरम्भ की गई अनुसंधान परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन अनुसंधानों का उद्योगों में कितना उपयोग किया गया है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) गत कई वर्षों से मूलभूत अनुसंधान के साथ-साथ वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (सी० एस० आई० आर०) को अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों से सम्बन्धित अनुसंधान और विकास (आर० एण्ड डी०) गतिविधियां जैसे-उद्योग, कृषि, सिंचाई, स्वास्थ्य, खनन, बिजली, उपयोगिताएं, परिवहन, रक्षा आदि सौपी गई हैं और ये व्यापक स्तर पर चल रही हैं। परिषद् में पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1983-84 में 1540, 1984-85 में 1330 तथा 1985-86 में 1340 अनुसंधान तथा विकास परियोजनायें चल रहीं थीं। अनुसंधान और विकास के इन परियोजनाओं की परिधि में माइक्रो इलैक्ट्रोनिक्स से धात्विकी, औषधि संयंत्रों से मशीन एवं द्रव्य से अणुजैविकी तक के क्षेत्र शामिल हैं।

(ख) जिन क्षेत्रों ने सी० एस० आई० आर० के अनुसंधान विकास से मुख्यत: लाभ उठाया है वे हैं–पैट्रोलियम, कृषिरसायन, औद्योगिक रसायन, औषधि, खाद्य, चमड़ा, कोयला, खनन, परिवहन, निर्माण आदि। सी० एस० आई० आर० द्वारा विकसित अप्रतिबंधित तकनीकी–जानकारियों का वाणिज्यिकरण एन० आर० डी० सी० के माध्यम से किया जाता है। एन० आर० डी० सी० को सौंपी गई सी० एस० आई० आर० की जानकारियों में से लगभग 40 प्रतिशत को लाइसेंस दिया जा चुका है।

सिक्किम का विकास

9167. **श्रीमती डी० के० भंडारी** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सिक्किम, जो भारतीय संघ का नवीनतम राज्य है को अन्य विकसित राज्यों के समतुल्य लाने के लिए सामान्य योजना निधि के अतिरिक्त कोई विशेष सहायता प्रदान करने का है; और

(ख) क्या सरकार का इस राज्य के पिछड़े हुए लोगों को अन्य राज्यों के लोगों के समान स्तर पर लाने का कोई प्रस्ताव है ?

योजना मंत्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) और (ख) सिक्किम को पहले ही विशेष श्रेणी राज्य माना गया है और इसकी योजनाओं की वित्त व्यवस्था पूरी तरह से केन्द्रीय सहायता द्वारा की जाती है। राज्य की सातवीं योजना के लिए 230 करोड़ रु० का परिव्यय निर्धारित किया गया है जिसके मकाबले 247.62 करोड़ रु० की केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई है जिसमें योजनेतर व्यय की पूर्ति के लिए 17.62 करोड़ रु० भी शामिल हैं।

क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करना, योजना के उद्देश्यों में से एक है। इसके अनुसरण में जनजातीय उपयोजना, अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजनायें, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण श्रमिक रोजगार गारंटी कार्यक्रम, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, इत्यादि जैसे विशेष कार्यक्रम, सिक्किम सहित देश में कार्यन्वित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों के लिए भी केन्द्रीय सहायता दी जाती है।

पेड़ों को लगाना और उनके पनपने की दर

9168. **श्री मानिक रेड्डी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कागज, लुगदी और अन्य सहायक उद्योगों द्वारा कच्चे माल के रूप में पेड़ों का प्रचुर मात्रा में इस्तेमाल किए जाने के कारण वनों की कटाई का गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है जिससे पहले बाढ़ों और अन्य पर्यावरणीय नुकसान के रूप में देश को पहले ही काफी हानि हो चुकी है ;

(ख) क्या वास्तव में लगाए गए पेड़ों और उनके पनपने की दर के आंकड़ों को बढ़ा चढ़ा कर बताया गया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सुधारात्मक उपाय करने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) कागज, लुगदी एवं अन्य उत्पादों के निर्माण सहित विभिन्न अन्तिम प्रयोग के लिए वनों पर आधारित कच्चे माल के प्रचुर मात्रा में इस्तेमाल किये जाने के कारण वनों की कटाई को गंभीर खतरा पैदा हो गया है।

(ख) बाल पौधों को रोपा जाना तथा उत्तर जीविता का प्रबोधन और उनकी वृद्धि प्रारम्भिक रूप में राज्य सरकारों के विभिन्न अभिकरणों द्वारा किया जा रहा है। इन आंकड़ों की यथार्थता को जांचने के लिए कोई स्वतन्त्र मूल्यांकन नहीं किया गया है।

(ग) बाल पौधों का उत्पादन (विभागीय तथा विकेन्द्रीकरण नर्सरियों, दोनों के माध्यम से) पौध रोपण के लिए विवरण, उत्तरजीविता दर, निधियों का उपयोग एवं वृक्ष पट्टा योजना जैसी मदों की प्रगति का प्रबोधन करने के लिए राज्य सरकारों एवं गैर सरकारी संगठनों द्वारा कार्यान्वित वनरोपण कार्यक्रमों के प्रबोधन एवं मूल्यांकन के लिए सरकार एक परिचालन दिशा निर्देश का विकास कर रही है।

बिहार में परती भूमि का विकास

9169. **श्री० सी० पी० ठाकुर** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में परती भूमि के बिकास के लिए किन योजनाओं को शुरू करने का सरकार का विचार है, और

(ख) तत्सम्बन्धी प्रगति क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड ने परती भूमि विकास के लिए एक कार्यकारी योजना तैयार की है। इस योजना की एक प्रति संलग्न विवरण में दी गई है। योजना में उल्लिखित विभिन्न तत्व बिहार राज्य में भी लागू होंगे।

(ख) बिहार में परती भूमि के विकास में प्रगति का विवरण संग्रह किया जाएगा एवं सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

विवरण

परती भूमि के विकास के लिए कार्यकारी योजना

1. **परती भूमि का अभिनिर्धारण** : प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकार से अपने क्षेत्र में परती भूमि के अभिनिर्धारण का अनुरोध किया गया है, चाहे वे वन क्षेत्र, राजस्व/सामान्य भूमि या अवनत कृषि भूमि हो।

2. **जनता की भागीदारी** : इसको निम्नलिखित उपायों से सुनिश्चित किया जाएगा :—

(क) विकेन्द्रित नर्सरियां : जनता की नर्सरियां अर्थात् किसानों, स्कूलों, महिलाओं, युवा दलों, स्वैच्छिक एजेंसियों इत्यादि को पौधों की बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा ।

(ख) फार्म वानिकी : किसानों को उनकी सीमांत भूमि और खेती की मेंढ़ों पर वृक्षों की फार्मिंग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा । पौधों के वितरण हेतु एक विवेकशील नीति तैयार की जानी चाहिए ।

(ग) वृक्ष उगाने वालों की सहकारी समिति : पौधों को लगाने और वितरण में तथा वृक्ष लगाने के लिए वृक्ष उगाने वालों की सहकारी समितियों को संगठित किया जाना चाहिए ।

(घ) स्वैच्छिक संगठन : व्यापक आधार वाले संगठनों; महिला मण्डलों, युवा दलों को नर्सरी उगाने और पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा ।

(ङ.) पेड़ों के पट्टे : सड़कों, रेल, नहरों इत्यादि और अन्य निम्नीकृत भूमि को ग्रामीण निर्धनों को इस जमीन पर उनके द्वारा लगाये गये वृक्षों पर भोगाधिकार सहित, दे दिया जाना चाहिए ।

3. **नोडल एजेंसी** : राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से विभिन्न अभिकरणों, सरकारी व अन्यों द्वारा क्रियान्वित किये जा रहे कार्यक्रमों को अमल में लाने के लिए एक समेकित नीति को सुनिश्चित करने हेतु एक एकल नोडल एजेंसी के अभिनिर्धारण के लिए अनुरोध किया गया है ।

4. **बीज** : राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से किसानों को व्यापारिक आधार पर चारा घास और फलीदार बीजों की आपूर्ति हेतु विद्यमान राज्य बीज निगमों के क्रियाकलाप की भूमिका में विस्तार करने का अनुरोध किया गया है ।

5. **भूमि को पट्टे पर देना** : राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से ग्रामीण निर्धनों को वनरोपण हेतु वन तथा गैर-वन परती भूमि पट्टे पर देने के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त तैयार करने का अनुरोध किया गया है ।

6. **वन-आधारित उद्योग** : उनके द्वारा अपेक्षित कच्चे माल के उत्पादन हेतु परती भूमि पर वनरोपण के लिए, प्रोत्साहित किया जाना चाहिए । ग्रामीण निर्धनों को रोजगार प्रदान करने के साथ-साथ उन्हें लाभप्रद आधार पर वृक्ष उगाने के योग्य बनाने की दृष्टि से परती भूमि पर वृक्ष आवरण उगाने के लिए उद्योगों को उत्साहित भी किया जाना चाहिए । राज्य सरकारों से, इस विषय में उद्योगों को परती-भूमि पट्टे पर दिये जाने के लिए, मार्गदर्शी सिद्धांत तैयार करने का अनुरोध किया गया है ।

7. **शहरी ईंधन की लकड़ी और हरित पट्टियां** : राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों से सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है कि शहरी ईंधन की लकड़ी और चारे की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ईंधन की लकड़ी और चारे के पौधों की हरित पट्टियां कस्बों और शहरों में लगायी जायें ।

8. **निम्नीकृती वन क्षेत्र** : राज्यों से, निम्नीकृत वन-भूमि के अभिज्ञान और ईंधन की लकड़ी और इनके चारे की प्रजातियों से पुनः वनरोपण करने का अनुरोध किया गया है ।

9. **वन विकास निगम** : वन विकास निगमों को ईंधन की लकड़ी और चारे के पौधे लगाने के लिए सरकारों से परती भूमि पट्टे पर लेनी चाहिए।

10. **सरकारी विभाग** : सरकारी विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य निकाय/संस्थानों जिनके पास पर्याप्त अप्रयुक्त भूमि है, ऐसी भूमि को वृक्षारोपण के अन्तर्गत लाना चाहिए ।

11. **माध्यम एवं संचार** : जनता में जागरूकता लाने के लिए लोक कला और संस्कृति के परम्परागत माध्यम रेडियो, टेलिविजन और अन्य श्रव्य-दृश्य माध्यमों के द्वारा व्यापक प्रचार अभियान चलाया जाना चाहिए ।

12. **प्रबोधन एवं मूल्यांकन** : राज्य/संघ राज्य सरकारों को कार्यक्रम के गुणात्मक क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त प्रबोधन और मूल्यांकन तंत्र विकसित करना चाहिए ।

[हिन्दी]

गैर सरकारी स्वतन्त्रता सैनानी सलाहकार समिति का पुनर्गठन

9170. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैर-सरकारी स्वतन्त्रता सैनानी सलाहकार समिति के गठन के बारे में क्या आधार अपनाया गया और उसमें नामित सदस्यों के नाम क्या हैं ।

(ख) क्या नई गठित सलाहकार समिति की 18 फरवरी, 1986 को नई दिल्ली में कोई बैठक हुई थी. और

(ग) यदि हां, तो उक्त बैठक में लिए गए निर्णयों का ब्योरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा : (क) से (ग) स्वतन्त्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना को कार्यान्वित करने के दौरान उठे नीति सम्बन्धी मामलों पर गृह मंत्रालय को सलाह देने के लिए भारत सरकार द्वारा अप्रेल, 1981 में गैर सरकारी सलाहकार समिति गठित की गयी थी। समिति में योजना के कार्यान्वयन से सम्बन्धित गृह मंत्री के अतिरिक्त अखिल भारतीय स्तर के प्रमुख स्वतन्त्रता सेनानी जिन्हें देश के स्वतन्त्रता आन्दोलन की जानकारी है, शामिल हैं ।

2. समिति को अब पुनर्गठित किया गया है तथा इसमें निम्नलिखित व्यक्ति शामिल हैं ।

1.	गृह मंत्री	अध्यक्ष
2.	गृह राज्य मंत्री (आन्तरिक सुरक्षा)	सदस्य
3.	गृह राज्य मन्त्री (राज्य)	सदस्य

4.	प्रोफेसर एन. जी. रंगा, सांसद	सदस्य
5.	श्री कमलापति त्रिपाठी, सांसद	सदस्य
6.	श्री उमाशंकर दीक्षित, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल	सदस्य
7.	श्री जी०राजावेलू, संयोजक तमिलनाडु, स्वतन्त्रता सेनानी समिति	सदस्य
8.	श्री शील भद्र याजी, भूतपूर्व सांसद	सदस्य
9.	जनरल मोहनसिंह, भूतपूर्व—आजाद हिन्द फौज	सदस्य
10.	श्री जगदीश चटर्जी, अध्यक्ष पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी (स्वतन्त्रता सैनानी सैल)	सदस्य
11.	पदम श्री रतनाप्पा कुम्भर कोल्हापुर (महाराष्ट्र)	सदस्य

3. समिति की आठवीं बैठक 18-2-1986 को नई दिल्ली में हुई थी। 8 वीं बैठक के विचार विमर्श की महत्वपूर्ण बातें संलग्न विवरण में हैं।

विवरण

(क) यह तय किया गया कि स्वतन्त्रता सेनानियों को केन्द्र सरकार के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के समान केन्द्र सरकार के अस्पतालों में बिःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के मामलों को स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालय जो इस मामले से सम्बन्धित है, के साथ उठाया जाये।

(ख) आर्य समाज आन्दोलन, 1938-39 में भाग लेने वालों को जिसे सरकार द्वारा सम्मान पेंशन के प्रयोजन के लिए राष्ट्रीय स्वतन्त्रता संग्राम के भाग के रूप में हाल में मान्यता प्रदान की गई है, सम्मान पेंशन के लिए आवेदन करने के लिए नये अवसर दिये जायें।

(ग) मदुरैई षड्यन्त्र मुकदमे को मान्यता: यह तय किया गया कि इस मामले की पृष्ठभूमि पर आगे सलाह/विचार के लिए भेजा जाये और इसे स्वतन्त्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना के लिए पात्र आन्दोलनों में शामिल करने की उपयुक्तता की जांच की जाये।

(घ) 4/1 हैवी ए० ए० रेजीमेण्ट की ए० ए० गन्नर्स की "नौकरी खोने" के आधार पर पेंशन की पात्रता। यह तय किया गया कि मामले को रक्षा मंत्रालय के साथ उठाया जायेगा।

[अनुवाद]

स्वतन्त्रता दिवस/गणतन्त्र दिवस के अवसर पर सरकारी कर्मचारियों को पुरस्कार

9171. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी कर्मचारियों को उनके अच्छे कार्यों के लिए स्वतन्त्रता दिवस अथवा गणतन्त्र दिवस के अवसर पर पुरस्कार दिये जाते हैं;

(ख) यदि नहीं, तो सरकारी कर्मचारियों को अच्छे कार्य के लिए पुरस्कृत करने के बारे में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ग) क्या इस समय किसी राज्य सरकार की ऐसी कोई योजना है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) और (ख) : सरकारी कर्मचारियों के उनके अच्छे कार्यों के लिए स्वतन्त्रता दिवस अथवा गणतन्त्र दिवस पर पुरस्कार दिये जाने की कोई योजना नहीं है। तथापि, सरकारी कर्मचारियों द्वारा सामान्य रूप से की जाने वाली सेवा सहित, किसी क्षेत्र में विशिष्ट सेवाओं के लिए पद्मश्री पुरस्कारों की श्रृंखलायें विद्यमान हैं। केन्द्रीय पुलिस संगठनों में कार्यरत पुलिस कार्मिकों और साथ ही राज्यों के पुलिस कार्मिकों को समग्र रूप से उनके श्रेष्ठ कार्यनिष्पादन के आधार पर प्रति वर्ष गणतन्त्र दिवस और स्वतन्त्रता दिवस के अवसर पर उनके द्वारा की गई विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक और सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक प्रदान किये जाते हैं। होमगार्डों, सिविल सुरक्षा कार्मिकों और अग्निशमन सेवा कार्मिकों को भी उनकी विशिष्ट/सराहनीय सेवाओं के लिए गणतन्त्र दिवस/स्वतन्त्रता दिवस पर इसी प्रकार के पदक प्रदान किये जाते हैं।

(ग) स्वतन्त्रता दिवस/गणतन्त्र दिवस के अवसरों पर किसी राज्य सरकार द्वारा केवल अपने ही कर्मचारियों के लिए प्रारम्भ की गई किसी पुरस्कार योजना से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध नहीं है।

कम लागत वाली सामुदायिक जलपूर्ति योजना के लिये डिजाइन

9172. **डा० डी० एम० रेड्डी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जादवपुर विश्वविद्यालय में कम लागत वाली सामुदायिक जल पूर्ति योजना के लिए एक उपयुक्त और सादा डिजाइन तैयार करने की प्रौद्योगिकी में सफलता मिली है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी सम्पूर्ण ब्यौरा क्या है और इसका व्यवहारिक उपयोग क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) जादवपुर विश्वविद्यालय में जल वितरण प्रणाली के लिए बहाव के इष्टतम आबंटन के सिद्धान्त पर आधारित तकनीक विकसित की गई है। यह भी सूचित किया गया है कि प्रणाली का भौतिक स्वरूप लागत कम करने तथा अन्तिम विरामों पर दाब ह्रास पर प्रभाव डालता है। महत्वपूर्ण रूप से तकनीक की लागत कम करने की क्षमता का दावा किया गया है। जल-वितरण प्रणाली में उपयोग के लिए शिराविन्यास के प्रतिमानों पर आधारित, जैसा कि पौधों के पत्तों में होता है, तरीके को विकसित करने के लिए अध्ययन में प्रयास किये गए हैं।

[हिन्दी]

आसाम के आदिवासी क्षेत्र से गैरआदिवासी लोगों का निष्कासन

9173. **डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम के आदिवासी क्षेत्रों में बसे गैर-आदिवासी लोगों को वहां से निष्कासित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उनको वहां से निष्कासित करने से पहले उनके पुनर्वास की कोई योजना पर विचार किया है;

(ग) यदि हां, तो उक्त योजना की रूपरेखा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और समापटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

कर्नाटक में लाभान्वित हुये अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के परिवार

9174. **श्री श्रीकान्त दत्त नरसिंह राज वाडियर :** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक राज्य में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उत्थान के लिए गत तीन वर्षों के दौरान कौन कौन सी योजनाएं कार्यान्वित की जाती रही हैं,

(ख) आदिवासी कल्याण कार्यक्रमों के अन्तर्गत कर्नाटक को इन वर्षों के दौरान कितनी केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई गई है; और

(ग) कर्नाटक में इन वर्षों के दौरान इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कितने परिवार लाभान्वित हुए हैं ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (ग) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना

अनुसूचित जातियों के विकास के लिए विशेष संघटक योजना (वि०स०यो०) की नीति तैयार की गयी है और छठी पंचवर्षीय योजना से अपनाई गयी है। विशेष संघटक योजना के अधीन

राज्य सरकारें अनुसूचित जाति के आर्थिक विकास के लिए भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में विभिन्न योजनाएं तैयार करती हैं और कार्यान्वित करती हैं। कर्नाटक राज्य में भी भिन्न-भिन्न क्षेत्रों जैसे कृषि, बागवानी, पशु-पालन तथा पशु चिकित्सा सेवायें, मत्स्य पालन, वन, विशेष-कार्यक्रम जैसे अन्तोदय, एस० एल० पी० पी०, आई० आर० डी० पी०, लघु तथा सीमान्त किसानों की सहायता, भू-संरक्षण, भूमि सुधार, सहकारिता, मुख्य तथा मध्यम सिंचाई, लघु सिंचाई, रेशम उत्पादन, उद्योग तथा वाणिज्य, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति कल्याण विभाग, विद्युत, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति विकास निगम, आवास, परिवहन, तथा संचार, पोषण तथा मध्याह्न भोजन, शिक्षा तथा क्षेत्रीय विकास आदि में अनेक योजनाओं को कार्यान्वित किया जाता है।

अनुसूचित जन जातियों के लिए आदिवासी उप योजना

अनुसूचित जन जातियों के विकास के लिए आदिवासी उपयोजना की नीति पांचवीं पंचवर्षीय योजना से अपनाई गयी है। इस नीति के अन्तर्गत 5 एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनायें जिनमें जन जातीय सघन जन-संख्या के क्षेत्र हैं, तैयार की गयी हैं। इस नीति के अन्तर्गत विकास के सभी क्षेत्रों को एकीकृत ग्रामीण विकास परियोजना क्षेत्रों में अनुसूचित जन जातियों के विकास के लिए धनराशियां निर्धारित करनी होती हैं। कर्नाटक राज्य में गत 3 वर्षों में कार्यान्वित किये गये मुख्य कार्यक्रम जिनसे अनुसूचित जन जातियों को लाभ हुआ कृषि, बागवानी, पशु पालन, वानिकी, सहकारिता, रेशम उत्पादन, ग्रामोद्योग, लघु सिंचाई कार्य, मत्स्य पालन, ग्रामीण विकास, शिक्षा तथा स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में थे।

(ख) कर्नाटक को उनके जनजातीय कल्याण विभाग के अन्तर्गत गत 3 वर्षों के दौरान दी गयी केन्द्रीय सहायता इस प्रकार है:—

1983–84	रु० 77.98 लाख
1984–85	रु० 122.61 लाख
1985–86	रु० 148.13 लाख

(ग) गत 3 वर्षों के दौरान जिन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के परिवारों को इन कार्यक्रमों के अन्तगेत लाभ प्राप्त हुआ, उनकी संख्या इस प्रकार है:—

विशेष संघटक योजना के अधीन

1983–84	1,40,084 परिवार
1984–85	1,57,817 परिवार
1985–86	91,149 परिवार

आदिवासी उपयोजना के अधीन

1983–84	3,299 परिवार
1984–85	9,113 परिवार
1985–86	8,572 परिवार

विदेशियों द्वारा बच्चों को गोद लेना

9175. **श्री बृज मोहन महन्ती** : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशियों द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान कितने बच्चों को गोद लिया गया है,

(ख) क्या सरकार को विदेशों में गोद लिए गये बच्चों के साथ अभद्र व्यवहार और उनकी अनुचित परिचर्या के बारे में जानकारी है,

(ग) क्या बच्चों की बिक्री सहित इस प्रकार के गोद लेने के मामलों में कदाचारों को रोकने के लिए कोई निश्चित मार्ग निर्देश तैयार किये गये हैं, और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) संरक्षक तथा प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 के तहत, विदेशियों द्वारा विदेश में ले जाये जाने वाले बच्चों को उन विदेशियों के अपने देश के कानूनों के अनुसार गोद लिया जाता है। सरकार के पास ऐसे गोद लिए जाने वाले बच्चों सम्बन्धी आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, कुछ उच्च न्यायालयों/जिला न्यायलयों से प्राप्त सूचना के अनुसार, विदेशी राष्ट्रकों ने संरक्षक तथा प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 के तहत 1983, 1984 तथा 1985 के दौरान क्रमश: 906, 696 तथा 759 बच्चों को गोद लिया।

(ख) दुरुपयोग के एक मामले की रिपोर्ट की गई थी। गोद ली हुई अपनी लड़की से दुर्व्यवहार के लिए विदेशी पिता को दोषी पाया गया और उसे जेल भेजा गया।

(ग) और (घ) सर्वोच्च न्यायालय ने, श्री लक्ष्मीकांत पांडिय द्वारा दायर रिट याचिका (सी० आर० एल०) सं० 1171/1982 पर दिये दिनांक 6 फरवरी, 1984 तथा 27 सितम्बर, 1985 के अपने निर्णयों में मार्ग निर्देश निर्धारित किये हैं। इस निर्णय के अनुसार विदेशियों द्वारा बच्चे गोद लिए जाने सम्बन्धी मामले केवल सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समाज/शिशु कल्याण ऐजेंसियां ही सक्षम भारतीय न्यायालयों में प्रायोजित तथा दायर कर सकती हैं। इसी प्रकार विदेश स्थिति हमारे मिशनों अथवा विदेशी राष्ट्रों की सरकारों की सिफारिशों पर भारत सरकार द्वारा "सूचीबद्ध" विदेशी समाज/शिशु कल्याण एजेंसियां ही बच्चों के गोद लिए जाने सम्बन्धी मामलों पर भारतीय न्यायालयों में विदेशियों के आवेदन पत्रों पर कार्यवाही करने के लिए, भारत की मान्यता प्राप्त समाज/शिशु कल्याण एजेंसियों से सम्पर्क कर सकती हैं। 'सूचीकृत" विदेशी एजेंसी को, पहले दो वर्ष के दौरान बच्चे की तिमाही प्रगति रिपोर्ट, तत्पश्चात् तीन वर्ष तक अथवा विदेशी राष्ट्र में बच्चे के कानूनी तौर से गोद लिए जाने तक छमाही प्रगति रिपोर्ट सम्बन्धित न्यायालय तथा सबंधित भारतीय एजेंसी को प्रस्तुत करनी होती है।

असम समझौता

9176. **(श्री हुसैन दलवाई)** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम समझौते की एक शर्त यह थी कि भारत द्वारा असम की बंगला देश

के साथ लगने वाली सीमा पर कांटेदार तार की बाड़ लगाई जाएगी; और

(ख) क्या यह सच है कि बाड़ लगाने के कार्य पर होने वाले भारी व्यय को देखते हुए भारत सरकार सीमा पर बाड़ लगाने के विकल्प पर विचार कर रही है ?

संचार मंत्रालय के तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) सरकार असम समझौते के अनुसार घुसपैठ रोकने के सभी कारगर उपाय करने के लिए वचनबद्ध है। खण्ड 9.1 तथा 9.2 के अन्तर्गत परिकल्पित उपायों में उचित स्थानों पर कांटेदार तार की बाड़ इत्यादि लगाना तथा सीमा पर सड़क के निर्माण की व्यवस्था करना है।

असम-बंगलादेश सीमा पर सड़क इत्यादि के निर्माण के लिए सर्वेक्षण कार्य को प्राथमिकता दी जा रही है और कार्य शीघ्र ही शुरू होने वाला है। इसके साथ-साथ सीमा सुरक्षा बल द्वारा सीमा पर सतर्कता को और सुदृढ़ करने का कार्यक्रम भी शुरू किया गया है।

[हिन्दी]

पूतपूर्व सैनिकों का विशेष पुलिस बल तैयार करना

9177. **श्री काली प्रसाद पाण्डेय** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तत्कालीन, रक्षा मन्त्री ने सितम्बर, 1982 में सभी राज्य सरकारों को इस आशय के आदेश जारी किये थे कि ऐसे विशेष पुलिस बल गठित किये जायें जिनमें केवल भूतपूर्व सैनिक हों;

(ख) क्या बिहार में इस विशेष पुलिस बल का मुख्यालय गोपालगंज जिले के हथुआ में स्थापित किया गया था और भूतपूर्व सैनिकों की भर्ती करने सम्बन्धी उपबन्ध का पालन नहीं किया गया और मुजफ्फरपुर में, जहां राज्य के साढ़े तीन लाख भूतपूर्व सैनिक रहते हैं तथा उनमें से 50 प्रतिशत बेरोजगार हैं, जन साधारण से 500 सिपाहियों की भर्ती की गई;

(ग) क्या बिहार सरकार ने 25 फरवरी, 1986 को एक निर्णय लिया है जो भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास तथा पुनर्नियुक्ति के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये पूर्ववर्ती आदेशों के प्रतिकूल हैं; और

(घ) क्या सरकार का इस मामले की जांच करने के बाद कारगर कदम उठाने का विचार है ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) दिसम्बर, 1981 में बिहार सरकार ने विशेष श्रेणियों के भूतपूर्व सैनिकों की भर्ती करके एक विशेष सशस्त्र पुलिस बटालियन खड़ी करने का निर्णय किया था। अप्रेल 1983 में तत्कालीन रक्षा मन्त्री ने भी बिहार की उक्त योजना को अन्य राज्य सरकारों को विचारार्थ भेजा था। यह राज्य सरकारों के लिए कोई आदेश या निर्देश नहीं था।

(ख) और (ग) : यह सही है कि हथुआ में बटालियन मुख्यालय स्थापित किया गया था

जिसकी प्राधिकृत संख्या में 738 सिपाही थे। बिहार की राज्य सरकार ने यह सूचना दी है कि उक्त बल को गठित करने के लिए उन्हें पर्याप्त संख्या में भूतपूर्व सैनिक उपलब्ध नहीं हुए अतः 25 फरवरी, 1986 को राज्य सरकार ने अन्य श्रेणियों से सिपाही भर्ती करने का निर्णय लिया। इसके परिणाम स्वरूप मार्च 1986 में मुजफ्फरपुर में 426 गैर-भूतपूर्व सैनिकों को भर्ती किया गया। बिहार राज्य में भूतपूर्व सैनिकों की कुल संख्या 2.5 लाख आंकी गयी है। बेरोजगार भूतपूर्व सैनिकों के कोई विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(घ) भूतपूर्व सैनिकों की भर्ती को सुविधा जनक बनाने के लिए बिहार सरकार ने अब उस पुलिस नियमावली (मैनुअल) में उस निर्धारित शारीरिक मानदण्ड के स्तर को हटाने/छूट देने पर विचार करने का निर्णय किया है जो भूतपूर्व सैनिकों की भर्ती में एक अड़चन के रूप में सामने आ रहा है।

[अनुवाद]

सिक्किम के राज्य विहीन व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान करना

9178. **डा० ए० के० पटेल** :

श्री सी० जंगा रेड्डी : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिक्किम सरकार ने यह मांग की थी कि सिक्किम विषय विनियमन अधिनियम 1961 के अनुसरण में राज्य विहीन माने गये सिक्किम ने 30,000 व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान की जानी चाहिए क्योंकि ये वहां सदियों से रह रहे हैं तथा लेप्चा भूटिया तथा नेपाली जैसे समुदायों को आरक्षण प्रदान किया जाये और नेपाली भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाये; और

(ख) ऐसे व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

आन्तरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) मामले पर ध्यान दिया जा रहा है।

रक्षा सप्लाई स्रोतों का विविधिकरण करने का प्रस्ताव

9179. **श्री भट्टम श्री राममूर्ति** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का रक्षा सप्लाई स्रोतों का विविधिकरण करने और गैर-सरकारी क्षेत्र को उन क्षेत्रों में, जिन्हें संवेदनशील नहीं माना गया है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की अनुमति देने का विचार है;

(ख) क्या विदेशों और उनकी व्यापारिक फर्मों तथा अन्य देशों में भारतीय उद्यमों के लिए रक्षा उत्पादन की अनुमति देने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या गैर-सरकारी क्षेत्र को कतिपय अत्याधुनिक इन्जीनियरी और प्रौद्योगिकी के विकास से सम्बद्ध करने के लिए कोई प्रस्ताव है ?

रक्षा उत्पादन और रक्षा पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री सुखराम) : (क) और (घ) सरकार की यह नीति रही है कि इन्जीनियरी सामान सहित रक्षा मदों के निर्माण में, जहां तक आवश्यक और सम्भव हो निजी क्षेत्र के सहयोग को बढ़ावा दिया जाए । बशर्ते इसका सुरक्षा पर कोई कोई प्रभाव न पड़े ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

खाड़ी के देशों के कारागारों में बन्द भारतीय लोग

9180. **श्री वक्कम पुरषोत्तमन** : क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय खाड़ी के देशों के कारागारों में इस समय बन्द भारतीय लोगों जिन्होंने वैध परिपत्र के बिना ही उक्त देश में प्रवेश किया था । की संख्या सम्बन्धी आंकड़े भारत सरकार के पास उपलब्ध हैं;

(ख) यदि हां, तो उनकी कुल संख्या कितनी है; और

(ग) सरकार द्वारा उन्हें रिहा कराने तथा उनको भारत में लाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है;

विदेश मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) एक विवरण संलग्न है जिसमें ये तथ्य दिखाए गए हैं ।

(ख) पच्चीस व्यक्ति ।

(ग) भारतीय मिशन संबंधित सरकारों से सम्पर्क बनाए हुए हैं । इस समय भारत में संबद्ध प्राधिकारियों से इन व्यक्तियों के राष्ट्रीय दर्जे के सत्यापन का कार्य चल रहा है । इस औपचारिकता के पूर्ण होने पर मिशन इन व्यक्तियों को रिहा कराने तथा उन्हें भारत भेजने/देश प्रत्यावर्तित कर सकेगा ।

देश का नाम	विवरण (क)	(ख)	(ग)
1. ईराक (भा०रा० बगदाद)	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं
2. सऊदी अरब (भा०रा० रियाद और भा० का प्रधान का० जेद्दा)	शून्य	–वही	–वही–
3. कातार (भा० रा० दोहा)	एक	एक	यह मामला राष्ट्रीयता सत्यापन के लिए राज्य सरकार के पास भेजा गया है। इसकी पुष्टि होने पर प्रत्यर्पण/वापसी के लिए कार्यवाही शुरू की जाएगी।
4. बहरीन (भा० रा० बहरीन)	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं
5. ओमान (भा० रा० मस्कट)	24	24	इन व्यक्तियों के राष्ट्रीय दर्जे के सत्यापन का कार्य चल रहा है और इसके पूरा होने पर उन्हें भारत प्रत्यावर्तित कर दिया जायगा।
6. यमन अरब गणराज्य (भा०रा० साना)	शून्य	शून्य	शून्य
7. संयुक्त अरब अमीरात (भा०रा० आबू धाबी)	विश्वस्त आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। (इस वर्ग में लोगों की संख्या बहुत कम होगी)	—	यदि किन्हीं मामलों की जानकारी मिलती है तो लोगों को रिहा कराने और उन्हें वापिस भेजने के लिए हर सम्भव सहायता दी जाएगी।
8. कुवैत (भा०रा० कुवैत)	शून्य	शून्य	शून्य
9. ईरान (भा०रा० तेहरान)	सही आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।	—	गिरफ्तारी के ज्ञात मामलों की रिहाई और देश प्रत्यावर्तन के मामले उठाये गए हैं। वैसे इस वर्ग के लोगों को रिहा कराने और उन्हें देश वापिस भेजने में मिशन आमतौर से सफल रहा है।
10. यमन लोकतांत्रिक जन गणराज्य (भा०रा० अदन)	शून्य	प्रश्न नहीं उठता	प्रश्न नहीं उठता।

गरीबी–उन्मूलन कार्यक्रम के लिए छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान राशि आवंटन

9.181. **श्री० वी० एस० विजयराघवन :** क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए कुल राशि में से प्रत्येक राज्य को कितने-कितने प्रतिशत राशि मिली है;

(ख) क्या इस धनराशि के उपयोग के बारे में कोई मूल्यांकन किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं और प्रत्येक राज्य ने उस राशि में से कितने प्रतिशत धन खर्च किया है ?

योजना मंत्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री श्री (ए० के० पांजा) : (क) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम जैसे गरीबी दूर करने से सम्बन्धित कार्यक्रमों के अन्तर्गत छठी पंचवर्षीय योजना (1980–85) में प्राप्त आवंटन के प्रतिशत का राज्यवार ब्यौरों का विवरण I संलग्न है। (ख) और (ग) राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम और आवंटन/दी गई राशि के उपभोग का प्रतिशत संलग्न विवरण II में दिया गया है।

विवरण I

छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के लिए प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा प्राप्त आवंटन/राशि (रिलीजेज) का प्रतिशत।

क्र०सं०	राज्य	एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम	ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम
1	2	3	4	5
1	आंध्र प्रदेश	6.47	10.32	10.18
2	असम	2.65	1.92	2.18
3	बिहार	11.62	11.76	14.04
4	गुजरात	4.31	3.31	3.29
5	हरियाणा	1.77	1.03	0.84

1	2	3	4	5
6	हिमाचल प्रदेश	1.36	0.71	0.60
7	जम्मू और कश्मीर	1.82	0.71	0.45
8	कर्नाटक	3.46	5.61	4.75
9	केरल	2.91	4.34	4.75
10	मध्य प्रदेश	9.08	8.76	7.88
11	महाराष्ट्र	5.86	7.67	7.98
12	मणिपुर	0.51	0.08	0.04
13	मेघालय	0.52	0.08	0.09
14	नागालैंड	0.41	0.15	0.06
15	उड़ीसा	6.22	4.66	4.28
16	पंजाब	2.32	1.30	1.36
17	राजस्थान	4.63	3.50	2.91
18	सिक्किम	0.08	0.07	0.04
19	तमिलनाडु	7.47	9.48	10.80
20	त्रिपुरा	0.33	0.35	0.33
21	उत्तर प्रदेश	17.45	17.47	17.53
22	पश्चिम बंगाल	6.63	5.98	4.67
23	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.09	0.08	0.03
24	अरुणाचल प्रदेश	0.95	0.07	0.06
25	चण्डीगढ़	0.02	0.01	0.01
26	दादरा और नगर हवेली	0.02	0.01	0.01
27	दिल्ली	0.09	0.01	0.04
28	गोवा, दमन और दीव	0.23	0.08	0.10
29	लक्षद्वीप	0.09	0.03	0.02
30	मिजोरम	0.39	0.07	0.08
31	पांडिचेरी	0.08	0.06	0.09

विवरण II

छठी पंचवर्षीय योजना (1980–85) में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के लिए आवंटित/दी गई धनराशियों का प्रतिशत उपभोग ।

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम	ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम
1	आंध्र प्रदेश	116.49	94.59	88.94
2	असम	89.98	96.35	82.44
3	बिहार	83.13	99.44	60.12
4	गुजरात	97.90	97.53	95.05
5	हरियाणा	106.77	99.17	84.87
6	हिमाचल प्रदेश	96.01	91.00	75.96
7	जम्मू और कश्मीर	62.03	97.31	95.02
8	कर्नाटक	129.35	94.03	82.39
9	केरल	100.48	98.29	72.97
10	मध्य प्रदेश	94.26	94.76	67.22
11	महाराष्ट्र	100.83	96.54	97.05
12	मणिपुर	44.64	90.54	386.85
13	मेघालय	27.93	52.79	14.17
14	नागालैंड	84.90	99.66	250.00
15	उड़ीसा	69.63	89.58	46.84
16	पंजाब	111.68	101.42	85.18
17	राजस्थान	109.76	114.60	70.87
18	सिक्किम	72.78	89.13	56.93
19	तमिलनाडु	110.98	67.45	107.19
20	त्रिपुरा	110.59	93.67	92.73
21	उत्तर प्रदेश	99.18	100.83	77.08
22	पश्चिम बंगाल	46.00	100.89	40.93
23	अंडमान निकोबार और द्वीप समूह	5.99	92.80	19.64
24	अरुणाचल प्रदेश	45.34	98.37	उ०न०
25	चण्डीगढ़	9.49	81.39	46.70
26	दादरा और नगर हवेली	82.68	96.93	उ०न०
27	दिल्ली	115.43	85.64	24.29
28	गोवा, दमन और दीव	98.92	98.83	81.07
29	लक्षद्वीप	57.06	77.39	74.21
30	मिजोरम	58.59	98.95	85.67
31	पांडिचेरी	99.00	84.02	40.85
अखिल भारत		94.02	97.89	77.88

उ० न०–उपलब्ध नहीं ।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों की सूची में कुछ जातियों को शामिल करना

9182 **श्री भद्रेश्वर तांती** : क्या **कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम में ओराव, मुंडा, संथाल, पानलो गौंडा भूमिजी, पान और कोया जातियों के प्रवासी चाय बागान श्रमिकों आसाम में अनुसूचित जातियों/जनजातियों के रूप में मान्यता दी गई है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार इन जन जातियों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने का है ?

कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) और (ग) : अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों की सूचियों में प्रस्तावित विस्तृत संशोधन करने के संदर्भ में इसी प्रकार के अन्य प्रस्तावों सहित असम की अनुसूचित जन जातियों की सूची में चाय बागान श्रमिकों को शामिल करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है । इसके अतिरिक्त अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों की विद्यमान सूचियों में कोई संशोधन संविधान के अनुच्छेद 341 (2) और 342 (2) को ध्यान में रखते हुए संसद में अधिनियम पारित करके ही किया जा सकता है ।

भारत में तमिल शरणार्थी शिविरों पर फिल्म

9183. **श्रीमती किशोरी सिंह** : क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि श्रीलंका टेलीविजन उस देश में वापस लौटे तमिल शरणार्थियों से भेंटवार्ता कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है जिससे भारत को गलत ढंग से पेश किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने भारत में श्रीलंका से आये शरणार्थियों के शिविरों और श्रीलंका में हो रही घटनाओं के बारे में उनकी भावनाओं के विषय पर एक फिल्म बनाने के लिए कदम उठाये हैं ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी हां । सरकार को यह मालूम हुआ है कि श्रीलंका सरकार के टेलिविजन, रूपवाहिनी पर और श्रीलंका के अखबारों में भी ऐसे लोगों की भेंटवार्तायें दिखाई गई या छपी हैं जिनके बारे में यह कहा गया है कि वे भारत से लौटे शरणार्थी हैं और इन भेंटवार्ताओं में उन्होंने यह कहा है कि वे भारत में शरणार्थी शिविरों में कठिन परिस्थितियों के कारण लौटे हैं ।

(ख) जी नहीं। शरणार्थी शिविरों पर फिल्म बनाने की सरकार की कोई योजना नहीं है। भारत में 126,000 श्रीलंकाई शरणार्थियों में से यदि कुछ शरणार्थी वास्तव में श्रीलंका लौटे हैं तो उसमें तथ्य यह है कि शरणार्थी शिविरों की स्थिति उतनी ही संतोषजनक है जितनी होनी चाहिए तथा श्रीलंका में सुरक्षा व्यवस्था ठीक नहीं होने के कारण ही वे अपने घरों को वापस नहीं लौट सक रहे हैं।

तेजी से बढ़ने वाले पौधों की जातियों का विकास

9184. **श्री एस० जयपाल रेड्डी** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लकड़ी विश्व ऊर्जा सप्लाई स्रोतों का चौथा सबसे बड़ा स्रोत है और पुनः प्रयोग में आने वाले स्रोतों में प्रथम है और यदि हां तो अनुसंधान और विकास प्रयत्नों के माध्यम से इसकी सप्लाई को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं;

(ख) क्या तेजी से बढ़ने वाले किन्हीं नई जातियों के पौधों का अब तक विकास किया गया है और यदि हां, तो 93 प्रतिशत भारतीय जनता की बायोमास पर निर्भरता को देखते हुए तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या यह सच है कि वर्ष 1974 में वन क्षेत्र घटकर 12 प्रतिशत तक रह गया था और यदि हां, तो उपग्रहों द्वारा पता लगाई वर्तमान स्थिति क्या है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) लकड़ी, ऊर्जा सप्लाई स्रोतों में से एक महत्वपूर्ण स्रोत है। विभिन्न जलवायु एवं पारिस्थितिकीय क्षेत्रों के लिए बेहतर अनुकूल होने वाली प्रजातियों की पहचान करने के लिए तेजी से बढ़ने वाले तथा अधिक फसल देने वाली नस्लों के विकास के लिए और बेहतर उत्पादकता प्राप्त करने के सिलसिले में सक्षम पादप प्रवर्धन पद्धति को निश्चित करने के लिए अनुसंधान एवं विकास प्रयास चल रहे हैं।

(ख) वृक्ष विकास कार्यक्रम में यूकेलिप्टस हार्डब्रिड एफ० आर० आई०–4 तथा एफ० आर० आई–5 का विकास एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। प्रवर्धन खोजों के लिए इन नस्लों के बीज स्टाक राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों को सप्लाई किये हैं।

(ग) उपग्रह बिम्बावली का प्रयोग कर राष्ट्रीय दूरस्थ संवेदन एजेंसी द्वारा 1972-75 के दौरान निर्धारित वन क्षेत्र कुल भौगोलिक क्षेत्र के 16.89 प्रतिशत में फैला हुआ था परन्तु 1980-82 के दौरान 14.10 प्रतिशत तक नीचे आ गया है।

बंजर भूमि क्षेत्रों से वृक्षारोपण

9185. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन ग्रामीण निर्धन व्यक्तियों को, जो अकृष्य बंजर भूमि में पेड़ लगाते हैं, प्रोत्साहन देने की एक योजना बनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो बनाई गई योजना की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) राज्य सरकारों से परती भूमि को ग्रामीण गरीबों को पट्टे पर दिये जाने के लिये स्पष्ट दिशा निर्देश निर्धारित करने का अनुरोध किया गया है। ग्रामीण गरीबों और भूमिहीनों को शामिल करके, ग्रामीण समुदायों के सामीप्य में निम्नीकृत वन भूमि पर ईधन और चारे हेतु मध्यवर्ती क्षेत्र बफर जोन विकसित करने पर भी बल दिया जा रहा है ।

ग्रामीण निर्धनों को परती भूमि पर पेड़ लगाने और जीवन पर्यन्त उनका भोगाधिकार दिलाने के उद्देश्य से, राज्य सरकारों को जहां पर उनके पास पेड़ों को पट्टे पर देने जैसी कोई स्कीम पहले से नहीं है, स्कीम बनाने का अनुरोध किया गया है। जिन राज्यों के पास इस प्रकार की स्कीमें हैं, उनसे इसकी प्रक्रिया के सरलीकरण का अनुरोध किया गया है।

इसके अतिरिक्त सामाजिक वानिकी में ग्रामीण निर्धनों को शामिल करने और उन्हें प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एन. आर. ई. पी. और आर. एल. ई जी. पी. के अन्तर्गत उपलब्ध धनराशि में से कम से कम 25% वनरोपण हेतु निर्धारित की गयी है।

पाकिस्तानी जेलों में बन्द भारतीय

9186. **प्रो० राम कृष्ण मोरे** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बलसाड़ जिले और संघ राज्य क्षेत्र दमण के तटवर्ती गांवों के वैध पासपोर्ट प्राप्त अनेक मछुआरों सहित अनेक भारतीय राष्ट्रिक एक वर्ष से अधिक समय से पाकिस्तानी जेलों में बन्द हैं और इस सम्बन्ध में सरकार को भेजे गए पत्रों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उन्हें पाकिस्तानी जेलों से जल्द रिहा कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

विदेश मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी हां। लेकिन यह कहना ठीक नहीं है कि सरकार ने इस सम्बन्ध में पत्रों पर गौर नहीं किया है।

(ख) जैसे ही ये मामले सरकार की जानकारी में आये वैसे ही इन्हें दिल्ली में और इस्लामाबाद में भी पाकिस्तान के प्राधिकारियों के साथ उठाया गया। 20-4-86 को इस्लामाबाद स्थित भारत के राजदूतावास के अधिकारियों को मुल्तान की जेल में 124 बंदियों को मिलने की अनुमति दी गई थी जिनमें 55 मछेरे हैं जो मुख्य रूप से गुजरात के हैं। इन सभी बंदियों को तत्काल रिहा करने के लिए और उनकी वापसी के लिए विचार-विमर्श इस समय पाकिस्तान की सरकार के साथ चल रहा है।

भारी जल संयंत्र

9187. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने भारी जल संयंत्र हैं और प्रत्येक संयंत्र की अधिष्ठापित उत्पादन क्षमता कितनी है तथा गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार, वास्तविक उत्पादन कितना हुआ; और

(ख) परमाणु बिजलीघरों को चलाने और अन्य प्रयोजनों के लिए भारी जल की वार्षिक आवश्यकता कितनी है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) हमारे देश के चालू भारी पानी संयंत्रों की संख्या और वार्षिक स्थापित क्षमता निम्नलिखित है :—

(क) भारी पानी संयंत्र, नांगल	–	14.20 मीटरिक टन
(ख) भारी पानी संयंत्र, बड़ौदा	–	45.00 मीटरिक टन
(ग) भारी पानी संयंत्र, तूतिकोरिन	–	49.00 मीटरिक टन
(घ) भारी पानी संयंत्र, तलचर	–	50.00 मीटरिक टन
(ङ.) भारी पानी संयंत्र, कोटा	–	85.00 मीटरिक टन

भारी पानी का उत्पादन हमारे बिजलीघरों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त है ।

(ख) 235 मेगावाट क्षमता के एक यूनिट के लिए आरम्भ में लगभग 250 मीटरिक टन भारी पानी आवश्यक होता है । ऐसे यूनिट में प्रचालन के दौरान होने वाली भारी पानी की क्षति को पूरा करने के लिए प्रति वर्ष 12–18 मीटरिक टन भारी पानी की जरूरत पड़ती है ।

आंध्र प्रदेश में केरल इलैक्ट्रानिक उद्योग के लिए औद्योगिक क्षेत्र

9188. **श्री सी० जंगारेड्डी** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से आन्ध्र प्रदेश राज्य के वारन्गल जिले में पूर्णरूप से इलैक्ट्रॉनिक उद्योगों के लिए क्रियात्मक औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने का अनुरोध किया था; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गये हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) सरकार देश के सभी भागों में औद्योगिक बस्तियों की स्थापना करने के लिए प्रोत्साहन देती है । किन्तु, इन औद्योगिक बस्तियों की स्थापना करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन की है । पता चला है कि आन्ध्रप्रदेश सरकार ने वारंगल में अनन्यतः इलैक्ट्रोनिक उद्योगों के लिए व्यावसायिक औद्योगिक बस्ती की स्थापना करने का निर्णय किया है और आन्ध्रप्रदेश इलैक्ट्रोनिक विकास निगम ने इस उद्देश्य के लिए भूमि का भी अधिग्रहण कर लिया है ।

तुर्की के प्रधान मंत्री की यात्रा का परिणाम

9189. **श्री चित महाता :**
श्री शरद दिघे :
श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल, 1986 में तुर्की के प्रधान मंत्री भारत की राजकीय यात्रा पर आए थे ।

(ख) यदि हां, तो उनके साथ हुई बातचीत का क्या परिणाम निकला ।

(ग) क्या दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए एक भारत-तुर्की संयुक्त आर्थिक आयोग बनाने पर सहमति हुई है, और

(घ) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी हां ।

(ख) इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच वाणिज्यिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए कई निर्णय लिए गए थे । एक नागरिक उड्डयन करार तथा दूरदर्शन सहयोग के एक प्रोतोकोल पर भी हस्ताक्षर किए गए ।

(ग) अधिकारी स्तर पर तकनीकी और आर्थिक सहयोग सम्बन्धी एक भारत-तुर्की संयुक्त समिति पहले से ही कार्य कर रही है । यह निर्णय लिया गया है कि इसका दर्जा बढ़ा कर इसे मंत्रिस्तर का दर्जा देने का निर्णय लिया गया है ।

(घ) समिति की मंत्रिस्तरीय बैठक अंकरा में बुलाने के लिए आवश्यक कार्यवाई की जा रही है ।

राजस्थान सरकार द्वारा परती भूमि का विकास

9190. **श्री बुद्धि चन्द्र जैन :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने परती भूमि के विकास के लिए एक योजना तैयार की है और विशेष सहायता के लिए इसे केन्द्रीय सरकार के पास भेजा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) जी, हां ।

(ख) 1. परियोजना का 7.5 मिलियन हेक्टेयर परती भूमि में वनरोपण का लक्ष्य निम्न रूप में है—

क्र. सं०	पंचवर्षीय योजना अवधि		वनरोपण किए जाने वाले मिलियन हेक्टेयर
1.	सातवीं	—	1.25
2.	आठवीं	—	2.50
3.	नौवीं	—	3.75
		कुल	7.50

2. दिये जाने वाले कार्य की मदें—

(i) दर्रों और मरुस्थल क्षेत्रों में बीजों का हवाई बीजन ;
(ii) बंजर क्षेत्रों में हाथ से बीजारोपण ;
(iii) रेतीले परती क्षेत्रों में झुंजा पौधरोपण ;
(iv) जड़युक्त परती क्षेत्रों का सुधार ;
(v) बंजर क्षेत्रों का पुन.वनरोपण ;
(vi) शुष्क अंचलों में पुनःवनरोपण एवं चरागाह विकास;
(vii) छितरी वनस्पति वाले क्षेत्रों का सघन वनस्पतीकरण ;
(viii) शुष्क क्षेत्रों में पौधशालाओं में अवसंरचनात्मक विकास ।

3. 1985-86/1986-87 में निधियों की प्रस्तावित कुल आवश्यकता 42.27 करोड़ रुपये है ।

(ग) इस परियोजना के लिए कोई विशेष सहायता उपलब्ध नहीं कराई गयी थी । जहां कहीं संभव हो, बजट की सीमाओं के भीतर; विद्यमान सामाजिक वानिकी कार्यक्रमों के अंदर ही कार्य किया जाना है । 1985-86 में विभिन्न स्कीमों के अन्तर्गत वनरोपण के लिए राजस्थान को केन्द्रीय सहायता निम्नलिखित है—

क्र. सं०	योजना का नाम	केन्द्रीय सहायता (लाख रुपयों में)
	वानिकी क्षेत्र	
1.	ग्रामीण ईंधन की लकड़ी पौधरोपण सहित सामाजिक वानिकी	88.70
	ग्रामीण विकास	
2.	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम	44.50
3.	ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम	186.20
4.	सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम	180*
5.	मरुस्थल विकास कार्यक्रम	1096*

* इस स्कीम के अंतर्गत यह कुल सहायता है । वानिकी घटक के लिए आबंटनों का निर्धारण नहीं किया गया है ।

राहत रोजगार के लिए सहायता

9191. **श्री प्रकाश वी० पाटिल :**

श्री० आर० एस० माने : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने महाराष्ट्र सरकार की, महाराष्ट्र रोजगार गारंटी अधिनियम के अन्तर्गत राहत रोजगार देने की योजना को मंजूरी दे दी है;

(ख) क्या महाराष्ट्र सरकार ने अप्रैल–जून, 1986 के दौरान संकट की सम्भावनाओं को देखते हुए केन्द्रीय सरकार से राहत रोजगार उपायों के लिए अग्रिम योजना सहायता को मंजूरी देने का अनुरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा मंजूरी कब दी जायेगी ?

योजना मन्त्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) कृषि मन्त्रालय को राहत रोजगार से सम्बन्धित कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) महाराष्ट्र सरकार ने 1 अक्तूबर, 1985 को 561.53 करोड़ रु० (1985-86 के 383.37 करोड़ रु० और अप्रैल से जून, 1986 के लिए 178.16 करोड़ रु०) की सहायता के लिए एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था इसमें से, राज्य सरकार ने अप्रैल–जून, 1986 की अवधि के लिए रोजगार सृजन के लिए 50.65 करोड़ रु० मांगे थे। 28 अप्रैल, 1986 को राज्य सरकार ने वर्ष 1985–86 और 1986–87 के लिए सूखा राहत हेतु 201.22 करोड़ रु० की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के लिए एक पूरक ज्ञापन प्रस्तुत किया। इसमें से वर्ष 1986-87के लिए 113.22 करोड़ रु० की राशि मांगी गई है। इस पूरक ज्ञापन में, वर्ष 1986–87 (अप्रैल-जून, 1986 तक) के लिए रोजगार सृजन हेतु 13.16 करोड़ रु० की धनराशि मांगी गई है।

(घ) अक्तूबर, 1985 में प्राप्त ज्ञापन के उत्तर में, 27 दिसम्बर, 1985 को 52.74 करोड़ रु० (1986–87 के लिए 21.68 करोड़ रु० शामिल करते हुए) की धनराशि केन्द्रीय सहायता की उच्चतम सीमा के रूप में मंजूर की गई। 21.68 करोड़ रु० की सहायता में से 7.15 करोड़ रु० अप्रैल–जून, 1986 में रोजगार सृजन कार्यों के लिए निर्धारित किए गए हैं। जहां तक पूरक ज्ञापन का सम्बन्ध है, स्थिति का मौके पर जायजा लेने के लिए महाराष्ट्र में एक केन्द्रीय दल नियुक्त करने का निर्णय किया गया है। दल की जल्दी ही महाराष्ट्र का दौरा करने की सम्भावना है।

[हिन्दी]

500 मेगावाट क्षमता वाले परमाणु बिजलीघर

9192. **श्री तेजासिंह वर्दो :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में 500 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता वाला एक और परमाणु बिजली-घर लगाने की एक योजना सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस परियोजना के लिए स्थान का चुनाव कर दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस स्थान का नाम तथा इसे चुनने के कारण क्या हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) 500 मेगावाट क्षमता वाला परमाणु बिजलीघर लगाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ।

(ख) परमाणु ऊर्जा विभाग ने 1985 से 2000 तक के 15 वर्षों के लिए परमाणु बिजली सम्बन्धी कार्यक्रम की जो रूपरेखा तैयार की है उसमें यह कहा गया है कि इस अवधि में 235 मेगावाट क्षमता वाले 12 यूनिट और 500 मेगावाट क्षमता वाले 10 यूनिट लगाए जायेंगे । इन यूनिटों के रिएक्टर दाबित भारी पानी किस्म के होंगे ।

(ग) और (घ) देश के विभिन्न भागों में भविष्य में लगाए जाने वाले परमाणु बिजलीघरों के वास्ते स्थल चुनने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा गठित स्थल चयन समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है । वह रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है ।

[अनुवाद]

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम

9193. **श्रीमती एन० पी० झांसी लक्ष्मी** : क्या **योजना** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन ने समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम सम्बन्धी मूल्यांकन रिपोर्ट में अतिदेय (जो कि 50 प्रतिशत से 60 प्रतिशत के बीच में है और कुछ जिलों में यह 70 प्रतिशत तक है) की अधिक प्रतिशतता के बारे में उठाई गई समस्याओं को सुलझाने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

योजना मन्त्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पांजा) : कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन के समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर अध्ययन के निष्कर्ष सुधारात्मक कार्यवाही के लिए विभिन्न राज्य सरकारों के ध्यान में लाए गए हैं ।

संयुक्त राज्य अमरीका से कम्प्यूटर

9194. **श्री के० वी० शंकरगौड़ा** : क्या **प्रधान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत ने सुपर कम्प्यूटरों की सप्लाई के लिए संयुक्त राज्य अमरीका की "कन्ट्रोल डाटा कारपोरेशन" को औपचारिक क्रयादेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार ने सुरक्षोपाय व्यवस्था (सिफ गार्ड रेजीम) तैयार की है, जिसे भारत ने अभी तक स्वीकार नहीं किया है;

(ग) यदि हां, तो वह सुरक्षापाय व्यवस्था क्या है, जिसे भारत ने स्वीकार नहीं किया है; और

(घ) इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब तक लिए जाने की सम्भावना है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, नहीं, भारत ने सुपर कम्प्यूटरों के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के कन्ट्रोल डेटा कार्पोरेशन को कोई क्रयादेश नहीं दिया है ।

(ख) से (घ) ये प्रश्न ही नहीं उठते ।

लीबिया की सेना में भारतीयों की भर्ती

9195. **श्री अमर राय प्रधान :**
श्री यशवन्त राव गडाख पाटिल :
श्री जय प्रकाश अग्रवाल :
श्री कमलाप्रसाद सिंह : क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि लीबिया सरकार ने अपनी सेना में भारतीयों की भर्ती की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि कुछ दिन पूर्व "कौमी आवाज" में एक विज्ञापन प्रकाशित हुआ था कि लीबियाई दूतावास अपनी सेना में भर्ती के लिए भारतीयों का साक्षात्कार ले रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है;

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) से (घ) नई दिल्ली स्थित लीबियाई मिशन ने कुछ भारतीय समाचार-पत्रों में इस आशय के विज्ञापन दिये थे जिनमें अरब और मुस्लिम नवयुवकों को लीबियाई सशस्त्र सेनाओं में भरती होने के लिए आमंत्रित किया गया था । यह मामला लीबियाई मिशन के साथ उठाया गया था जिसमें स्पष्ट रूप से यह आश्वासन दिया कि न तो उसने अब तक लीबियाई सशस्त्र सेनाओं, में किसी भी भारतीय की भरती की है और न ही भविष्य में ऐसा करेगा । यह बात भी स्पष्ट की गई थी कि उक्त विज्ञापनों का आशय लीबियाई सशस्त्र सेनाओं में पश्चिम एशियाई और अरब देशों से भरती करने का था, न कि भारत से ।

[हिन्दी]

दक्षिण-एशियाई देशों के बीच आर्थिक एवं सांस्कृतिक सम्बन्ध

9196. **श्री कुंवर राम** : क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ढाका घोषणा (क्षेत्रीय सहयोग सम्बन्धी दक्षिण एशियाई संघ) के अनुसरण में दक्षिण एशियाई देशों के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक सम्बन्ध बढ़ाने के लिए भारत ने किन देशों से प्रस्ताव किया है और इनमें से प्रत्येक देश को क्या प्रस्ताव भेजा गया है; और

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ।

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) और (ख) "सार्क" के अन्तर्गत पहलकदमी करने और निर्णय लेने के उद्देश्य से दक्षिण एशिया के देशों में जो विभिन्न मंच बनाये गए हैं "सार्क" के तत्वावधान में उन्हीं मंचों पर सभी पहलकदमियां की जाती हैं और निर्णय लिए जाते हैं । अतः ढाका सार्क शिखर सम्मेलन में लिए गए निर्णयों के अनुसरण में सदस्य देशों के समक्ष अलग-अलग प्रस्ताव भेजने का प्रश्न नहीं उठता है ।

[अनुवाद]

देश में परमाणु ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करना

9197. **श्री के० राममूर्ति** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं के लिए स्थानों का चयन कोयला खानों के समीप किया जाता है जो जीवाश्म ईंधन क्षेत्रों से दूर स्थान चुनने की पुरानी पद्धति के विपरीत है ;

(ख) यदि हां, तो क्या स्थान चुनने की इस नई पद्धति के कारण केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे दक्षिण के राज्य भविष्य में ऐसी परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं से उचित रह जायेंगे ; और

(ग) देश में अनुसूची के अनुसार उपकरण प्राप्त न होने की समस्या का सामना कर रही परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं के कार्यकरण में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परिमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) स्थलों का चुनाव करते समय हमेशा बहुत सी बातें ध्यान में रखी जाती हैं । इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि कोयला क्षेत्र कहां स्थित हैं ।

(ग) इस विभाग द्वारा उद्योगों को सहायता दी जाती है । यह सहायता तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराने, विशेष उपस्करों तथा सुविधाओं कार्मिकी के प्रशिक्षण, सामग्री की सप्लाई तथा वित्तीय सहायता के रूप में होती है, ताकि परमाणु विद्युत परियोजनाओं के लिए जरूरी महत्वपूर्ण उपस्करों की डिलिवरी तेजी से पूरी की जा सके । ऐसी परियोजनाओं के आरंभ होने से लेकर पूरा होने तक में लगने वाले समय को घटाने के उद्देश्य से कच्चे माल और उपस्करों के आर्डर भी जल्दी दे दिए जाते हैं ।

परती भूमि विकास निगम

9198. **श्री एस० जी० घोलप** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने परती भूमि विकास निगम का गठन किया है, यदि हां, तो इसका किस प्रकार गठन किया गया है;

(ख) वर्ष 1985-86, 1986-87 और 1987-88 के लिए वनरोपण का लक्ष्य क्या है और इसके लिए बजट में क्या प्रावधान किया गया है; और

(ग) गैर-सरकारी वनों और इनके विकास के सम्बन्ध में सरकार की नीति क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंन्सारी) : (क) भारत सरकार ने राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड की स्थापना की है। बोर्ड के सदस्यों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है। भारत सरकार ने किसी परती भूमि विकास निगम को स्थापना नहीं की है।

(ख) वर्ष 1985-86 के लिए 1.4 मिलियन हेक्टेयर तथा वर्ष 1986-87 के लिए 3.25 मिलियन हेक्टेयर वनरोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। फिर भी, कुछ राज्यों में समस्यायें हैं जैसे गंभीर सूखा तथा वित्तीय संसाधनों का अभाव, जिसके फलस्वरूप, लक्ष्यों को परिशोधित करने की आवश्यकता है। वर्ष 1987-88 के लिए लक्ष्य विचाराधीन है।

प्रारम्भ में राज्य योजना निधियों तथा ग्रामीण विकास निधियों के बजटों के साथ वनरोपण क्रियाकलापों को प्रारम्भ किया गया है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड तथा कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा पर्यवेक्षित कुछ केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें हैं।

वर्ष 1985-86 के दौरान वनरोपण के लिए कुल परिव्यय 400 करोड़ रुपये था। वर्ष 1986-87 के लिए कुल परिव्यय 450 करोड़ रुपये होगा। वर्ष 1987-88 के लिए परिव्यय को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

(ग) सरकार, लोगों को उनकी अपनी या आबंटित या पट्टे की परती भूमि पर पेड़ों के रोपण के लिए प्रोत्साहित कर रही है। इसके अतिरिक्त, वन आधारित उद्योगों को, किसानों की अपनी भूमि व्यक्तिगत रूप से या सामुदायिक संस्थानों द्वारा फार्म वानिकी स्कीमों द्वारा परती भूमि में वनरोपण के लिए उत्साहित किया गया है। फार्म वानिकी कार्यक्रमों के लिए किसानों को बीजों की आसानी से उपलब्धता को भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

विवरण

राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड की संरचना

1.	डा० कमला चौधरी	—	अध्यक्ष
2.	प्रो० एम० जी० के० मेनन सदस्य, योजना आयोग	—	सदस्य
3.	ऊर्जा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष	—	सदस्य
4.	श्री आनन्द सिंह संसद सदस्य	—	सदस्य

5.	सुश्री फूलरेणु गुहा संसद सदस्य	—	सदस्य
6.	प्रो॰ बी॰ रामचन्द्र राव संसद सदस्य	—	सदस्य
7.	श्री आर॰ के॰ कोल अध्यक्ष, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक	—	सदस्य
8.	डा॰ वी॰ कुरियन अध्यक्ष, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड	—	सदस्य
9.	डा॰ बी॰ वी॰ परमेश्वर राव सचिव, भगवततुला चेरीटेबल ट्रस्ट	—	सदस्य
10.	श्री चण्डी प्रसाद भट्ट दशोली ग्राम स्वराज्य मंडल	—	सदस्य
11.	सचिव (व्यय)	—	सदस्य
12.	सचिव (ग्रामीण विकास)	—	सदस्य
13.	सचिव (कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा) तथा महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद	—	सदस्य
14.	सचिव (पर्यावरण और वन)	—	सदस्य
15.	सचिव (कृषि एवं सहकारिता)	—	सदस्य
16.	विशेष सचिव (वन व वन्यजीव) एवं वन महानिरीक्षक	—	सदस्य
17.	सदस्य सचिव, राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड	—	सदस्य सचिव

अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद की समस्या पर निर्गुट आन्दोलन की मतैक्यता

9199. **श्री यशवन्तराव गडाख पाटिल** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने 16 अप्रैल, 1986 से नई दिल्ली में निर्गुट आन्दोलन सम्बन्धी मंत्री-स्तरीय सम्मेलन में अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद की समस्या उठाई थी; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सर्वसम्मति से क्या निर्णय लिया गया।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के॰ आर॰ नारायणन) : (क) और (ख) आतंकवाद के बारे में भारत के विचार प्रधान मंत्री ने समन्वय ब्यूरो की मंत्री स्तरीय बैठक में अपने उद्-घाटन भाषण में स्पष्ट रूप से बता दिए हैं। आतंकवाद की निन्दा करते हुए प्रधान मंत्री ने सभी देशों से अन्तर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकृत मानदन्डों की रूपरेखा के अन्दर इस समान संकट का सामना करने के लिए साथ मिलकर काम करने की अपील की।

बाद में सम्मेलन ने अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद के बारे में दो पैराग्राफ सर्वसम्मति से पारित किए। मंत्रियों ने आतंकवादी सभी गतिविधियों की निन्दा की चाहे वह अलग-अलग व्यक्तियों द्वारा की गई हों या दलों या राज्यों द्वारा की गई हों। इसके साथ ही यह स्पष्ट किया गया कि

संयुक्त राष्ट्र चार्टर के उद्देश्यों और सिद्धान्तों के अनुरूप आत्मनिर्णय तथा स्वाधीनता के लिए उपनिवेशवादी और जातिवादी शासनों के अन्तर्गत लोगों के विशेषकर दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और फिलिस्तीन की जनता के वैध संघर्ष को न तो किसी भी तरह आतंकवाद कहा जा सकता है और न उसके बराबर माना जा सकता है। इस घोषणा में भाड़े पर सैनिक रखने की भी निन्दा की गई और यह कहा गया कि इस प्रकार की गतिविधियां अन्तर्राष्ट्रीय अपराध हैं।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति पूंजी निवेश और आय

9200. **श्री हरीश रावत :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति पूंजी निवेश की दर क्या रही तथा प्रति व्यक्ति आय में कितनी वृद्धि हुई है;

(ख) क्या यह राष्ट्रीय औसत से कम है; और

(ग) यदि हां, तो उनके मंत्रालय का सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति पूंजी निवेश तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

योजना मंत्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) छठी योजना की तुलना में सातवीं योजना में उत्तर प्रदेश के राज्य योजना के आकार में और केन्द्रीय सहायता की मात्रा में तथा विशेष केन्द्रीय सहायता में भी पर्याप्त वृद्धि हुई है, जैसा कि निम्नलिखित आंकड़ों से पता चलता है;

(करोड़ रु०)

		छठी योजना	सातवीं योजना	छठी योजना की तुलना में प्रतिशत वृद्धि
1.	कुल योजना आकार	5850.00	10447.00	78.6
2.	केन्द्रीय सहायता	1929.04	3614.85	87.4
3.	विशेष केन्द्रीय सहायता			
	(क) पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम	350.00	553.00	58.0
	(ख) जनजातीय उपयोजना और विशेष संघटक योजना	141.56	206.08	45.6

सातवीं योजना अवधि में उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने के लिए सातवीं योजना में प्रति व्यक्ति राज्य योजना व्यय छठी योजना अवधि के 563 रु० से बढ़ा कर 832 रु० कर दिया गया है।

विवरण

अवधि	प्रति व्यक्ति आय (चालू कीमतों पर)				प्रति व्यक्ति निवेश (राज्य योजना व्यय) (चालू कीमतों पर)			
	उत्तर प्रदेश		अखिल भारत		उत्तर प्रदेश		अखिल भारत	
	धनराशि* (रु० में)	पिछली पंच-वर्षीय योजना की तुलना में प्रतिशत वृद्धि	धनराशि* (रु० में)	पिछली पंच-वर्षीय योजना की तुलना में प्रतिशत वृद्धि	धनराशि (रु० में)	पिछली पंच-वर्षीय योजना की तुलना में प्रतिशत वृद्धि	धनराशि (रु० में)	पिछली पंच-वर्षीय योजना की तुलना में प्रतिशत वृद्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. पहली पंचवर्षीय योजना	213	—	236	—	25	—	38	—
2. दूसरी पंचवर्षीय योजना	252	18	306	30	32	28	52	37
3. तीसरी पंचवर्षीय योजना	373	48	426	39	73	128	95	83
4. चौथी पंचवर्षीय योजना	669	79	870	104	132	81	145	53
5. पांचवीं पंचवर्षीय योजना	935	40	1253	44	296	124	333	130
6. छठी पंचवर्षीय योजना	1764	89	2344	87	563	90	706	112

*प्रत्येक पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष से राशि सम्बन्धित है।

[अनुवाद]

राज्यों में नागरिक सुरक्षा

9201. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों में नागरिक सुरक्षा उपाय केन्द्रीय सरकार से 50 प्रतिशत अंशदान के आधार पर कार्यान्वित किये जा रहे हैं;

(ख) यदि हां तो केन्द्र द्वारा ऐसे उपायों को कार्यान्वित करने के लिए उड़ीसा में ऐसे कितने कस्बों को अब तक नागरिक सुरक्षा कार्यों के रूप में स्वीकृति दी गई है; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

आंतरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) जी हां, श्रीमान्। फिर भी, पांच उत्तरी–पूर्वी राज्यों तथा पश्चिम बंगाल के पांच उत्तरी जिलों में नागरिक सुरक्षा उपायों के प्राधिकृत पदों के पूरे खर्चे को केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

(ख) और (ग)–उड़ीसा के छः कस्बों, भुवनेश्वर, हिराकुण्ड, पारादीप, राउरकेला, कोरापुट तथा तल्चेर को नागरिक सुरक्षा वर्ग–II के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

गंगा परियोजना में किये गये पूंजी निवेश से लाभ

9202. **श्री दिग्विजय सिंह** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंगा परियोजना में किए गए पूंजी निवेश से होने वाले लाभ के बारे में कोई आर्थिक सम्भाव्यता का अध्ययन किया गया है ताकि अन्य नदी बेसिन व्यवस्थाओं में गंगा प्राधिकरण के कार्यक्रमों को अपनाया जा सके;

(ख) इन कार्यक्रमों को जारी रखने के लिए अगले दशक में कितने संसाधनों की आवश्यकता होगी; और

(ग) क्या इस बात का मूल्यांकन करने के लिए कोई अध्ययन किया गया है कि इन संसाधानों को कहां से जुटाया जाएगा ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) गंगा कार्यकारी योजना के अन्तर्गत विचार की गई स्कीमों को मोटे तौर पर तीन वर्गों में बांटा जा सकता है।

—अवरोधकों तथा पम्पिंग स्टेशनों के नवीनकरण/प्रतिष्ठापन सहित अपशिष्ट जल के दिकपरिवर्तन की स्कीमें।

—व्यवहार्य जैव ऊर्जा तथा अन्य संसाधान प्रतिपूर्ति तत्वों के सहित मलजल उपचार संयंत्रों के नवीकरण या प्रतिष्ठापन के लिए स्कीमें ।

—कम लागत वाले सफाई प्रबन्ध यथा आवश्यक नदी मुख हेतु सुविधायें तथा जैवकीय संरक्षण स्कीम सहित अन्य स्कीमें ।

इन स्कीमों के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप होने वाला लाभ यह होगा कि गंगा नदी के प्रदूषण स्तर में शीघ्र कमी होगी । रुपयों के रूप में लाभ का परिमाण बताना मुश्किल होगा क्योंकि स्कीमें बिखरी हुई हैं तथा कई मामलों में मलजल नेटवर्क के भाग के रूप में काम करती है । फिर भी, उपयुक्त मामलों में विशेष रूप से, उपचार संयंत्रों के लिए, यह आशा है कि कुछ संसाधनों, को जैव ऊर्जा के रूप में या कीचड़ से खाद बनाने के रूप में प्राप्त किया जा सकता है । उपयुक्त मामलों में, लाभ लागत विश्लेषण या सम्बद्ध प्राचलों की गणना जैसे आन्तरिक पर लाभ की जा सकती है ।

(ख) प्रारम्भ में, विभिन्न प्रकार का स्कीमों के लिए प्रति व्यक्ति अप्रयोगमूलक लागत पर परिकलित, 27 श्रेणी I शहरों में स्कीमों के क्रियान्वयन के लिए निधियों की आवश्यकता 250 करोड़ रुपये आंकी गई थी । केन्द्रीय गंगा प्राधिकरण ने अपनी पहली बैठक में, इस शर्त के आधार पर कि सभी स्कीमों पर परिव्यय 240 करोड़ रुपये तथा सीमित होगा, जिसका आवंटन सातवीं पंचवर्षीय योजना में गंगा कार्यकारी योजना के लिए किया गया था, 292.31 करोड़ रुपये की लागत पर एक कार्य योजना को अनुमोदित किया । यह अनुमान केवल 27 श्रेणी I शहरों तथा नदी के किनारों पर बसे शहरों के लिए है । इसमें श्रेणी II शहरों तथा छोटी बस्तियों को सम्मिलित नहीं किया गया है । सातवीं पचवर्षीय योजना से बाहर निधियों की आवश्यकताओं के सम्बन्ध में कोई प्रक्षेपण नहीं किया गया है ।

(ग) गंगा कार्यकारी योजना के दायरे के अन्तर्गत सम्मिलित स्कीमें तथा केन्द्रीय गंगा प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित कार्यक्रमों को, केन्द्रीय योजना के भाग के रूप में भारत सरकार के आवश्यक प्रावधानों में से वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी ।

खाड़ी के देशों में स्थित भारतीय दूतावासों के विरुद्ध शिकायतें

9203. **श्री के० कुन्जम्बु** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान खाड़ी के देशों में केरल के कितने व्यक्तियों की रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हुई;

(ख) क्या सरकार को उन देशों में स्थित भारतीय दूतावासों द्वारा सहयोग/सहायता न दिए जाने के सम्बन्ध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) यदि हां, तो शिकायतों और उन पर की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ;

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और इसे यथाशीघ्र सदन की मेज पर रख दिया जाएगा ।

मिदनापुर में जलजीवशाला कार्य

9204. **डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुहा** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिदनापुर जिले के दिघा में जलजीवशाला का कार्य प्रारम्भ हो गया है;

(ख) यदि हां, तो यह कब प्रारम्भ हुआ था और जलजीवशाला का कार्य कब तक पूरा हो जाएगा; और

(ग) इसके लिए कितना धन मंजूर किया गया है और कितना धन दिया जा चुका है और शेष धनराशि कब तक दी जाएगी तथा वह राशि कितनी है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) से (ग) भारतीय प्राणि सर्वेक्षण ने दीघा में एक जलजीवशाला–सह–अनुसंधान केन्द्र का प्रस्ताव किया है जहां मनोरंजन/शैक्षणिक उद्देश्य के लिए समुद्री जीव प्रदर्शित किये जा सकेंगे तथा चुनी हुई समुद्री आकृतियों पर अनुसंधान किया जा सकेगा। सर्वेक्षण ने पश्चिम बंगाल सरकार से 6.50 एकड़ भूमि पट्टे पर ली है तथा अनधिकार प्रवेश को रोकने के लिए एक अहाता दीवार खड़ी करने के लिए कदम उठाया है ।

प्रस्ताव की अनुमानित लागत 4.50 करोड़ रुपये है और अब भी विचार की प्रारम्भिक स्थिति में है एवं स्वीकृत की जाने वाली निधि की मात्रा क्या हो सकती है तथा यह कब मुक्त हो सकती है, कहना असामयिक है ।

[हिन्दी]

सीमा सुरक्षा बल के लिए कर्मचारियों की भर्ती

9205. **श्री शान्ति धारीवाल** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सीमा सुरक्षा बल की स्थापना 1965 में की गई थी जब कि इस बल में श्रेणी–क के अधिकारियों के भर्ती/चयन सम्बन्धी नियमों को 1985 में प्रकाशित किया गया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस बल में श्रेणी क के अधिकारियों की भर्ती संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किए बिना 1966 से की जा रही है;

(ग) क्या सरकार इस पद्धति से सन्तुष्ट है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इस बल में अधिकारियों की भर्ती तथा चयन का कार्य संघ लोक सेवा आयोग को सौंपने का है ?

आंतरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) 29-2-85 को संशोधित भर्ती नियमों के अधिसूचित करने तक सीमा सुरक्षा बल में सहायक कमाण्डेंट (ग्रुप–क पद) की भर्ती, अधिसूचित भर्ती–नियमों या समय-समय पर लागू कार्यकारी निर्देशों के अनुसार की गई थी ।

(ख) सीमा सुरक्षा बल में भर्ती को संघ लोक सेवा आयोग के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा गया है।

(ग) और (घ) असन्तोष का कोई तात्कालिक कारण नहीं है। तथापि प्रणाली की समय-समय पर पुनरीक्षा की जाती है।

[अनुवाद]

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की असफलता के कारण

9206. **श्री मोहम्मद महफूजअली खां** : (क) क्या **योजना** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की कथित असफलता के बारे में योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन के निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार ने स्थिति में सुधार करने और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए क्या कदम उठाए हैं/उठाने का विचार है ?

योजना मंत्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) और (ख) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में निष्कर्षों का ब्यौरा, कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन की रिपोर्ट में दिया गया है जिसकी प्रतियां संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं और संख्या 309.24 आर० एम० पर सूचीबद्ध की गई हैं।

कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन अध्ययन के निष्कर्ष सुधारात्मक कार्यवाही के लिए विभिन्न राज्य सरकारों के ध्यान में लाए गए हैं।

इसके अतिरिक्त, सदन के सभा पटल पर पहले ही रखे गए सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985–90) के दस्तावेज के खण्ड 2 के, अध्याय 2 में छठी पंचवर्षीय योजना (1980–85) के दौरान समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्यसंचालन पर, आधारित उपयुक्त संशोधन करने का सुझाव दिया गया है।

केन्द्रीय सचिवालय सेवा के बारे में संवर्ग पुनरीक्षण

9207. **श्री एम० सुब्बा रेड्डी** : क्या **प्रधान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्रम संख्या 7 में निर्दिष्ट सेवा अर्थात् सी० सी० एस० (सी० सी० ए०) नियमावली, 1965 की अनुसूची में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सम्बन्ध में कोर्ट संवर्ग पुनरीक्षण शुरू किया गया है;

(ख) यदि हां, तो कब और उसके क्या परिणाम निकले हैं;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इस प्रकार का संवर्ग पुनरीक्षण शुरू करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य (मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) से (घ) केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण तथा अपील) नियमावली, 1985 की अनुसूची में उल्लिखित केन्द्रीय सचिवालय सेवा–(क) चयन ग्रेड तथा (ख) ग्रेड–1 के सम्बन्ध में संवर्ग पुनरीक्षा कार्य में सेवा के चयन ग्रेड की प्राधिकृत स्थायी पद संख्या की त्रिवार्षिक और उक्त सेवा के ग्रेड–1 की वार्षिक पुनरीक्षा शामिल है। दोनों ही ग्रेडों की अन्तिम पुनरीक्षा वर्ष 1985 में की गई थी।

विशेष संघटक योजना के कार्यान्वयन के लिए मध्य प्रदेश को सहायता

9208. **कुमारी पुष्पा देवी** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विशेष संघटक योजना के कार्यान्वयन के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष (1986–87) के दौरान मध्य प्रदेश को कितनी धनराशि जारी की गई है ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : वर्ष 1985-86 के लिए अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए मध्य प्रदेश राज्य द्वारा विशेष संघटक योजना के लिए निर्धारित अनुमोदित परिव्यय सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष के लिए 63 करोड़ 32 लाख रुपए था। इस वर्ष के दौरान, विशेष संघटक योजना के लिए अतिरिक्त राशि के रूप में केन्द्र सरकार द्वारा मध्य प्रदेश राज्य को 11 करोड़ 10 लाख 54 हजार रुपए की विशेष केन्द्रीय सहायता दी गयी।

1986–87 के लिए विशेष संघटक योजना का प्रस्तावित परिव्यय, सातवीं योजना के दूसरे वर्ष के लिए 76 करोड़ 66 लाख रुपए का है। वर्ष 1986–87 के लिए मध्य प्रदेश सहित राज्यों को ग्राह्य विशेष केन्द्रीय सहायता का आंकलन किया जा रहा है और उचित समय पर दे दी जाएगी।

सिंचाई परियोजना के लिए वन भूमि की मंजूरी

9209. **श्रीमती पटेल रमाबेन** :

रामजी भाई मावणि : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वन विभाग ने गुजरात सरकार द्वारा बार-बार स्मरण कराये जाने के बावजूद नर्मदा सिंचाई परियोजना में सरदार सरोवर के जलमग्न क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली 356 हैक्टेयर भूमि को मंजूरी नहीं दी है;

(ख) उपर्युक्त भूमि की मंजूरी के लिए गुजरात सरकार द्वारा कितने स्मरण-पत्र भेजे गये हैं और मंजूरी न देने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या विभाग को इस बात की जानकारी है कि नर्मदा सिंचाई परियोजना पर 300 करोड़ रुपये अधिक की राशि खर्च हो चुकी है और सम्बन्धित भूमि की मंजूरी न दिये जाने के कारण उक्त परियोजना की आगे प्रगति अवरुद्ध हो गई है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) से (ग) गुजरात के भड़ौच जिले में सरदार सरोवर परियोजना के लिए गुजरात में 4165.91 हेक्टेयर, महाराष्ट्र में 6488.54 हेक्टेयर तथा मध्य प्रदेश में 2731 हेक्टेयर वन भूमि के दिकपरिवर्तन के लिए प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है। गुजरात राज्य सरकार से कोई अनुस्मारक प्राप्त नहीं हुए थे। राज्य सरकार से प्राप्त सभी पत्र-व्यवहार केन्द्रीय सरकार द्वारा अनिवार्य सूचना माँगते हुए भेजे गये पत्रों, जिनमें सूचनाओं की कमी थी के उत्तर में थे। राज्य सरकार ने परियोजना में अब तक 328.97 करोड़ रुपये की राशि खर्च किये जाने की सूचना दी है।

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन की सूचना भी ध्यान में आयी है। परियोजना में 9733 परिवारों का विस्थापन भी शामिल है। उनके पुनर्वास के लिए उपयुक्त योजना की प्राप्ति पर निर्णय लिया जायेगा।

भारत में विदेशी एजेन्सियों द्वारा प्राप्त किए गए उपहार

9210. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमारे देश में काम कर रही विदेशी और अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान सहायता के रूप में आयात किये गये उपहारों का ब्यौरा क्या है; और इन एजेंसियों के

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान लोक कल्याण कार्यों और विवदा के मामलों में राहत कार्यों में लगी भारतीय एजेंसियों के नाम क्या हैं तथा प्रत्येक मामले में वर्षवार आंकड़े क्या हैं ? के क्या नाम हैं;

आंतरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) और (ख)—भारत में काफी बड़ी संख्या में एजेंसियाँ प्रति वर्ष विदेशी अभिदान प्राप्त करती हैं। आंकड़े एकत्र करने के काफी विस्तृत कार्य को ध्यान में रखते हुए अपेक्षित सूचना प्रस्तुत करना व्यवहार्य नहीं है। फिर भी, यदि मानवीय सदस्य किसी विशेष एजेंसी के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो वह प्रस्तुत की जा सकती है।

जिन्स बोर्डों को उद्योग के रूप में मान्यता

9211. **डा० जी० विजय रामाराव** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विज्ञान और औद्योगिकी विभाग द्वारा कृषि मन्त्रालय जिन्स बोर्डों की "उद्योग" के रूप में मान्यता दी गई है;

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों के दौरान उन्हें कितना अनुदान दिया गया;

(ग) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के आयकर फायदों के अलावा कोई अन्य अनुदान दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा और प्रयोजन क्या है; और

(ङ.) राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड डी० डी० बी० की उपलब्धियां क्या हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी नहीं।

(ख) उपर्युक्त के सन्दर्भ में प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) से (ङ.) सूचना एकत्रित की जा रही और सभा के पटल पर प्रस्तुत की जायेगी।

[हिन्दी]

देश में विषाक्त भोजन के मामले

9212. **श्री कमला प्रसाद रावत** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) क्या देश में विभिन्न स्थानों पर विषाक्त भोजन करने से बहुत से बच्चों की मृत्यु हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह अनाज उचित दर की दुकानों से खरीदा गया और पामालीन तेल में पकाया गया था;

(ग) यदि हां, तो क्या इस मामले में कोई जांच कराई गई है; और

(घ) यदि हां, तो दोषी पाये गये व्यक्तियों के नाम क्या हैं और इस सम्बन्ध में ब्यौरे सहित उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

संचार मंत्रालय के तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) केवल गुजरात सरकार से सूचना प्राप्त हुई है कि पामोलिन तेल खाने के कारण 6 बच्चों की मृत्यु हुई।

(ख) जी हां, श्रीमान्।

(ग) गुजरात सिविल सप्लाईज़ कार्पोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर द्वारा प्रारम्भिक जांच पड़ताल की गई है।

(घ) गुजरात सिविल सप्लाईज़ कार्पोरेशन के जिला प्रबन्धक, गोदाम प्रबंधक और जिला सप्लाई मामलतदार को उनकी कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही के सम्बन्ध में कारण बताओ नोटिस जारी किये गये हैं। गुजरात सरकार द्वारा आगे कार्यवाही राज्य स्वास्थ्य प्राधिकारियों और पुलिस द्वारा लिए गये नमूनों के सम्बन्ध में विश्लेषण रिपोर्ट प्राप्त होने पर की जाएगी।

[अनुवाद]

भूतपूर्व सैनिकों द्वारा स्थापित की गई परिवहन कम्पनियों को प्रोत्साहन

9213. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान भूतपूर्व सैनिकों द्वारा स्थापित की गई परिवहन कम्पनियों को सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों/राज्य सरकारी सीमेंट कारपोरेशन जैसे औद्योगिक उद्यमों द्वारा प्रोत्साहन दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो हिमाचल प्रदेश, राजस्थान तथा बिहार राज्यों में कोयले तथा सीमेंट की ढुलाई के लिए स्थापित की गई कम्पनियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इनमें से किसी एक स्रोत से पर्याप्त समर्थन तथा संरक्षण न मिलने के बारे में किसी परिवहन कम्पनी से कोई शिकायतें मिली हैं; और

(घ) यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या है और इन कम्पनियों की सफलता के लिए उनके मन्त्रालय द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

आंतरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण सिंह) : (क) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों/राज्य सरकारों से भूतपूर्व सैनिकों द्वारा चलाई जा रही परिवहन के ठेके दिलवाकर, जहां भी ऐसे साहसिक कार्य वित्तीय रूप से व्यवहार्य हों, प्रोत्साहित करने और सुरक्षा प्रदान करने के प्रयास किए गए हैं भूतपूर्व सैनिकों की ऐसी परिवहन कम्पनियां पिछले तीन वर्षों से कोल इण्डिया लिमिटेड के साथ सफलतापूर्वक कार्य कर रही हैं।

(ख) कोयले और सीमेंट के परिवहन के लिए राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में ऐसी कोई परिवहन कम्पनियां स्थापित नहीं की गई हैं किन्तु सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड (कोल इण्डिया लिमिटेड द्वारा नियन्त्रित) के अन्तर्गत कोयले के परिवहन के लिए बिहार में स्थापित भूतपूर्व सैनिकों की पांच परिवहन कम्पनियों के ब्यौरे नीचे दिये गये हैं :—

1. जे० पी० कैरियर्स प्राइवेट लिमिटेड, हजारी बाग
2. एक्स–सर्विसमेन्स आंबी कोल कैरियर्स (प्रा०) लिमिटेड, हजारी बाग।
3. जवान ट्रांसपोर्ट कम्पनी (प्रा०) लिमिटेड, रांची।
4. एक्स–सर्विसमैन्स स्पार्टन कैरियर्स (प्रा०) लिमिटेड, रांची।
5. अरुण एण्ड ढल्ल कैरियर्स (प्रा०) लिमिटेड, बिहार।
   (क्षेत्र आबंटित किया जाना है)।

(ग) और (घ) : कोल इण्डिया लिमिटेड के प्रबन्धकों के खिलाफ भूतपूर्व सैनिकों की परिवहन कम्पनियों से कोई विशिष्ट शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। भुगतान आदि की दरों से सम्बन्धित परिचालन की इन छोटी-मोटी समस्याओं, जो प्रायः उठती रहती है, को यदि आवश्यक हो पुनर्वास महानिदेशालय की सहायता से आपस में बातचीत करके हल कर दिया जाता है।

नई रेलवे लाइनों का निर्माण कार्य पूरा किया जाना

9214. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या योजना मंत्री पर्याप्त धनराशि के आवंटन न किये जाने के कारण अपूर्ण पड़ी परियोजनाओं के बारे में 5 मार्च, 1986 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1484 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों में आरम्भ की गई प्रत्येक 14 नई रेलवे लाइनों, दो राष्ट्रीय राजमार्गों तथा 17 पन बिजली परियोजनाओं के निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ख) क्या इन परियोजनाओं के लिए वर्ष 1980–84 के लिए अनुमोदित परिव्यय को पूरा उपयोग किए जाने के लिए राज्यों द्वारा कोई कारण बताए गए हैं;

(ग) क्या योजना आयोग धन के अभाव में अपूर्ण पड़ी निर्माणाधीन परियोजनाओं के परिव्यय में वृद्धि करेंगे। और जिन परियोजनाओं के संबंध में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रगति नहीं हो रही है, उन पर पूरी निगरानी रखने पर विचार करेगा; और

(घ) उनमें से प्रत्येक परियोजना की आधारशिला कब रखी गई थी तथा वास्तव में प्रत्येक परियोजना पर काम कब आरम्भ किया गया और 1 अप्रैल 1986 को उनकी अनुमानित लागत कितनी थी।

योजना मंत्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां। जो कारण दिए गए हैं उन में अन्य बातों के साथ–साथ कठिन स्थल दिशाएं, भूमि अधिग्रहण की समस्याएं, उपस्कर की पूर्ति में विलम्ब शामिल है।

(ग) प्रत्याशित प्रचालन अनुसूची के अनुरूप पर्याप्त परिव्यय उपलब्ध कराए जाएंगे। परियोजनाओं की प्रगति का पर्याप्त रूप से प्रबोधन किया जाता है।

(घ) परियोजनाओं की आधार शिला रखने के बारे में कोई सूचना सुलभ नहीं है। संलग्न विवरणों I, II और III में अनुमानित लागतों आदि के बारे में अपेक्षित सूचना दी गई है।

विवरण I

परियोजना का नाम	रेलवे बजट कार्यक्रम में शामिल करने का वर्ष	लम्बाई (कि० मी०)	अद्यतन अनुमानित लागत (करोड़ रु०)	31.3.86 तक अनुमानित व्यय (करोड़ रु०)	अवस्थिति	स्थिति पूरा होने का प्रत्याशित वर्ष
1	2	3	4	5	6	7
1. मोटुमरी जग्गापेट	1980-81	32	19.22	13.82	आंध्र प्रदेश	1987
2. भुज-नलिया	1981-82	110	40.06	12.79	गुजरात	1989
3. कोटा-नीमच	1980-81	235	97.87	32.44	राजस्थान	1990
4. तलचर-सम्बलपुर	1984-85	172	57.97	5.00	उड़ीसा	आठवीं योजना
5. कोरापुट-रायगडा	1981-82	174	260.00	33.04	उड़ीसा	-वही-
6. कारूर-डींडीगुल-मनीयाची तूतीकारी-तीरूनेवेली	1981-82	324	95.90	23.63	तमिलनाडु	-वही-
7. जम्मू-उधमपुर	1981-82	53	69.76	7.80	जम्मू और कश्मीर	-वही-
8. नांगल बांध-तलवाड़ा और मुकेरियां तलवाड़ा साईडिंग का काम सम्भालना	1981-82	113	37.68	4.60	पंजाब/हिमाचल	-वही-

1	2	3	4	5	6	7
9. जरेगीघोपा से गौहाटी ब्राड-गेज लाइन सहित जोगीघोपा में ब्रह्मपुत्र पर रेल और सड़क पुल का निर्माण	1983-84	142	87.73	1.37	असम	आठवीं योजना
10. चित्रदुर्ग-रायदुर्ग	1981-82	100	20.20	3.16	कर्नाटक/आंध्र प्रदेश	—वही—
11. एल्लपी—कायानकुलम	1982-83	43	16.00	0.62	केरल	—वही—
12. एकलखी-बालुरघाट	1983-84	93	48.85	3.37	पश्चिम बंगाल	—वही—
13. मथुरा-अलवर	1983-84	120	34.75	2.49	उत्तर प्रदेश/राजस्थान	—वही—
14. अलिदाबाद-पिम्पलकोटी	1983-84	21	15.65	1.94	आंध्र प्रदेश/महाराष्ट्र	—वही—

विवरण II

परियोजना नाम	स्वीकृति/निवेश अनुमोदन का वर्ष	अद्यतन अनुमानित लागत (करोड़ रु०)	पूरा करने की स्थिति प्रत्याशित तारीख
1. कृष्णा पुल	1983	13.15	1985
2. पम्बन पुल	1973	16.80	1988

विवरण III

परियोजना का नाम	स्वीकृति/निवेश अनुमोदन वर्ष	अद्यतन प्रत्याशित लागत (करोड़ रु०)	पूरा करने/शुरू करने का वर्तमान प्रत्याशित वर्ष
1	2	3	4
जल विद्युत सृजन परियोजनायें			
1. पश्चिमी यमुना नहर हरियाणा (6 × 8 मे०वा०)	11-3-80	85.22	3/86,6/86,2/87,3/87,6/88,9/88
2. आंध्र प्रदेश जल विद्युत परियोजनायें एच० पी०	21-9-76	30.00	10/86,1/87
3. माही बजाज जल विद्युत परियोजनायें, राजस्थान			
पावर हाऊस 1 (1 × 25+1 × 45 मे० वा०)	28-12-77	166.09	2 × 25 मे० वा० शामिल की जाती है।
पावर हाउस 2 (1 × 25+1 × 45 मे० वा०)	5-1-79		2 × 45 मे० वा० 12/88,4/89
4. कदना जल विद्युत परियोजना (4 × 60 मे० वा०)—गुजरात	1972	यूनिट 1 और 2 86,57	9/87,12/87
		यूनिट 3 और 4 34.10	8वीं योजना
5. पेंच जल वि० प० (2 × 80 मे० वा०) (मध्य प्रदेश/महाराष्ट्र)	12/72	143.58	3/86 में यूनिट–1 शुरू किया गया 9/86 में यूनिट 2
6. तिल्लरी ज० वि० प० (1 × 60 मे० वा०) महाराष्ट्र	6/72	55.24	3/86
7. मीरा टेलरेस (2 × 40 मे० वा०) महाराष्ट्र	1970	63.14	12/86,3/87

1	2	3	4
8. बाली मेला ज० वि० प० (2×40 मे० वा०) आंध्रप्रदेश	फरवरी, 77	31.15	3/88,3/87
9. ईदमलेयर (2 × 37.51 मे० वा०) केरल (विद्युत भाग)	सितंबर, 73	70.00	6/86
10. कक्कड़ (2.55 मे० वा०) केरल	सितंबर, 76	50.00	7/89
11. सेरवलर (1 × 20 मे० वा०) तमिलनाडु	जुलाई, 74	39.44	2/86
12. कदमपराय (पंपड स्टोरेज स्कीम) तमिलनाडु (4 × 100 मे० वा०)	फरवरी, 73	164.51	6/87 से 7/88
13. (क) रेंगली ज० वि० प०–चरण–1	6/73	119.99	यूनिट 1 शुरू की गई 8/85 यूनिट–2
(ख) रेंगली ज० वि० प०–चरण–2	11/85	(विद्युत संघटक)	3/86, यूनिट–3 9/88, यूनिट–4
(3 × 50 मे० वा०) उड़ीसा		40.55	3/89, यूनिट–5 9/89
14. अपर कोलाब ज० वि० प० (3 × 80 मे० वा०) उड़ीसा	8/75	186.04	3/87,9/87 3/88
15. रम्मान ज० वि० प० चरण–2 (4 × 12. 5 मे० वा०) पश्चिम बंगाल	4/77	56.42	9/88,4/89
16. मनचेट हिल ज० वि० प० यूनिट–2 (1 × 40 मे०वा०) डी० वी० सी०	1977	41.29	6/87
17. निचली बोरपाणि ज० वि० प० (2 × 50 मे० वा०) असम	9/79	78.50	6/88,12/88

जाली दस्तावेजों द्वारा यात्रा

9215. **श्री एन० डेनिस** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1986 की पहली तिमाही में पुलिस तथा आव्रजन अन्वेषकों ने पालम हवाई अड्डे पर बड़े पैमाने पर की गई एक अप्रत्याशित पकड़ में जाली यात्रा पत्रों के 85 मामलों का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि लोग कदाचार में शामिल होकर जाली यात्रा पत्रों द्वारा यात्रा न करें क्या कदम उठाये हैं ?

संचार मन्त्रालय के तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) 1986 की पहली तिमाही के दौरान दिल्ली में ऐसे 87 मामले दर्ज किए गए हैं। इन 87 मामलों में से सात मामले रद्द कर दिये गये हैं, क्योंकि जांच करने पर दस्तावेज वास्तविक पाये गए थे।

(ख) चूंकि मामलों की विभिन्न स्तरों पर जांच पड़ताल की जा रही है, इसलिए इस स्तर पर इनके ब्यौरे प्रकट करना लोकहित में उचित नहीं होगा।

(ग) पालम हवाई अड्डे पर आव्रजन कर्मचारियों द्वारा सूक्ष्म जांच की जा रही है और उन व्यक्तियों के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्यवाही की जाती है जिनके यात्रा दस्तावेज जाली पाये जाते हैं।

टी० वी० सेटों के निर्माताओं द्वारा वारन्टी का उल्लंघन

9216. **श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की जानकारी में कुछ ऐसे मामले आये हैं कि कुछ टेलीविजन सेटों का निर्माण करने वाली कुछ कम्पनियां ग्राहकों को दी गई वारंटी का उल्लंघन कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) ऐसी शिकायतें मिली हैं कि समाश्वासन (वारण्टी) अवधि के दौरान दूरदर्शन विनिर्माणकर्ता/विक्रेता अपने दायित्वों का ठीक ढंग से निर्वाह नहीं करते और शिकायतों पर सही ढंग से ध्यान नहीं देते।

(ख) आमतौर पर ऐसी शिकायतों का सम्बन्ध निम्नलिखित बातों से है; उचित ध्यान न देना; घटिया किस्म की सेवा; दोषपूर्ण/अविश्वसनीय सेट, बार-बार उन्हीं खराबियों का होना; और उसके बाद भी कल-पुर्जों/सेटों के बदलने में आना-कानी करना आदि।

(ग) समाश्वासन (वारण्टी) विनिर्माणकर्ता/विक्रेता तथा ग्राहक के बीच एक करार जैसी व्यवस्था है। फिर भी इलैक्ट्रानिकी विभाग शिकायत के इन मामलों को सम्बद्ध विनिर्माणकर्ता के साथ उठाता है और यदि वह विनिर्माणकर्ता भारतीय दूरदर्शन विनिर्माता संघ (आई० टी० एम० ए०) का सदस्य है तो ये मामले उक्त संघ के साथ उठाए जाते हैं।

इलैक्ट्रॉनिकी विभाग के मानकीकरण परीक्षण तथा गुणवत्ता नियंत्रण संगठन ने विनिर्माणकर्ताओं/विक्रेताओं से यादृच्छिक रूप से (नमूने के तौर पर) रंगीन दूरदर्शन सेटों को उठाना शुरू कर दिया है ताकि पूरी तरह से उनकी गुणवत्ता का परीक्षण किया जा सके और गुणवत्ता में सुधार लाने का प्रयास किया जा सके।

भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों द्वारा समय-पूर्व सेवा निवृत्ति प्राप्तकरना

9217. **श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा के कितने अधिकारियों ने सेवा से त्याग पत्र दिया है;

(ख) इस अवधि के दौरान समय पूर्व सेवा निवृत्ति प्राप्त करने वाले भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों की संख्या कितनी है;

(ग) 1 जुलाई, 1985 को इन सेवाओं के कितने अधिकारी निलंबित थे; और

(घ) पिछले दो वर्षों के दौरान इन सेवाओं के कितने अधिकारियों का सेवा-काल बढ़ाया गया ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) वर्ष 1984-85 के दौरान भारतीय प्रशासनिक सेवा के सात अधिकारियों ने सेवा से त्याग-पत्र दिया था। इस अवधि के दौरान भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों द्वारा दिए गए त्यागपत्र से सम्बन्धित सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायगी।

(ख) इस मन्त्रालय के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, वर्ष 1984-85 के दौरान भारतीय प्रशासनिक सेवा के 18 अधिकारी स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हुए थे। इस अवधि के दौरान स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हुए भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों से सम्बन्धित सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) पहली जुलाई, 1985 की स्थिति के अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा के 3 अधिकारी निलंबित थे। पहली जुलाई, 1985 को निलंबित भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों से सम्बन्धित सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल

तथा संघ राज्य क्षेत्रों के भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग के सम्बन्ध में गृह मन्त्रालय से प्राप्त हुई सूचना के अनुसार, 1984–85 के दौरान भारतीय प्रशासनिक सेवा के 20 अधिकारी ऐसे थे जो बढ़े हुए सेवाकाल पर काम कर रहे थे। शेष राज्य सरकारों अर्थात् असम, बिहार, कर्नाटक महाराष्ट्र, मणिपुर त्रिपुरा तथा उड़ीसा से सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी। भारतीय पुलिस सेवा के जिन अधिकारियों के सेवाकाल में पिछले दो वर्षों के दौरान वृद्धि की गई थी उनमे सम्बन्धित सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

संघ राज्य क्षेत्रों के शिक्षा विभागों में छोड़े गये वर्गों के वेतनमान

9218. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली, अण्डमान, निकोबार द्वीप समूह और पांडिचेरी प्रशासन के शिक्षा विभाग में छोड़े गये वर्गों के वेतनमान क्या हैं और ये कब लागू किये गये थे; और

(ख) क्या किसी संघ राज्य क्षेत्र में इन छोड़े गये वर्गों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई छूट प्रदान की गई है, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय के तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ग्रामीण सड़कें

9219 : **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1970 तक संघ राज्य क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कितनी ग्रामीण सड़कों की स्वीकृति दी गई है; और

(ख) ऐसी सड़कों के नाम क्या हैं प्रत्येक सड़क की कितने किलोमीटर लम्बाई है, और इनका निर्माण कार्य कब पूरा हुआ और इन पर कुल कितनी धनराशि खर्च हुई है ?

संचार मंत्रालय के तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) :(क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अन्डमान और निकोबार द्वीप समूह सम्बन्धी सलाहकार समिति की बैठक

9220. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्डमान और निकोबार द्वीपसमूह सम्बन्धी, गृह मन्त्री की सलाहकार समिति की गत तीन वर्षों के दौरान कितनी बैठकें हुई हैं,

(ख) उक्त समिति की शर्तों के अन्तर्गत प्रति वर्ष कितनी बैठकें होनी चाहिये; और

(ग) यदि अपेक्षित संख्या में बैठकें नहीं हुई हैं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के तथा गृह मंत्रालय में राज्यमन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान, अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह सम्बन्धी गृह मंत्री की सलाहकार समिति की तीन बैठकें हुई ।

(ख) समिति की शर्तों के अनुसार प्रति वर्ष दो बैठकें होनी चाहिये ।

(ग) प्रशासनिक आवश्यकताओं के कारण अपेक्षित संख्या में बैठकें नहीं की जा सकीं ।

अन्डमान और निकोबार द्वीप समूहों के सेवारत कर्मचारियों को कृषि प्रशिक्षण के लिए भेजना

9221. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्डमान और निकोबार प्रशासन को सेवारत कृषि डिमान्स्ट्रेटरों अथवा ऐसी ही श्रेणियों के कर्मचारियों को बी० एस० सी० (कृषि) पाठ्यक्रम के लिये भेजने के सुझाव प्राप्त हुये हैं,

(ख) यदि हां तो उन संस्थाओं के नाम क्या हैं जिन्होंने इस प्रकार की सुविधायें प्रदान करने की पेशकश की है तथा यह पेशकश कब प्राप्त हुई थी,

(ग) ऐसे कितने कर्मचारियों को बी० एस० सी० (कृषि) पाठ्यक्रम के लिये भेजा गया है; और

(घ) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्रालय के तथा गृह मन्त्रालय में राज्यमंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

बरसार और ए० एम० बी० में कैन्टीन स्टोर डिपार्टमेंट की कैन्टीन

9222. **प्रो०नारायण चन्द पराशर** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हिमाचल प्रदेश में बरसार (जिला हमीरपुर) और ए० एम० बी० (जिला ऊना) में कैन्टीन स्टोर डिपार्टमेंट की कैन्टीनें खोलने की मांग प्राप्त हुई है,

(ख) यदि हां; तो उस पर क्या निर्णय लिया गया है, और

(ग) यदि नहीं तो कौन सी तारीख तक निर्णय लिये जाने की संभावना है ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) इस सम्बन्ध में अप्रैल 1986 में एक अनुरोध प्राप्त हुआ है ।

(ख) और (ग) : इस स्तर पर निर्णय की संभावित तिथि बताना संभव नहीं है । संभाव्यता रिपोर्ट होने पर इस सम्बन्ध में निर्णय लिया जायेगा ।

पहाड़ी क्षेत्रों सम्बन्धी कार्य दल की सिफारशें

9223. **प्रो०नारायण चन्द पराशर** : क्या योजना मंत्री पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम में जनजातीय क्षेत्रों को शामिल करने के बारे में 2 अप्रैल, 1986 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4863 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा गठित पर्वतीय क्षेत्रों सम्बन्धी कार्य दल ने क्या सिफारशें की हैं और वे सिफारशें सरकार को किस तारीख को भेजी गई थीं; और

(ख) कार्य दल के सदस्यों के नाम और उनके पदनाम क्या हैं तथा यह कार्य दल किस तारीख को गठित किया गया था और किस तारीख को उसने सरकार को अपनी सिफारशें भेजीं ?

योजना मंत्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री(श्री ए०के०पांजा) : (क) कार्यकारी दल की सिफारशें पहाड़ी क्षेत्र विकास के लिये योजनाएं तैयार करने में मुख्यत: पारिस्थितिक, अर्थशास्त्रीय तथा समाज शास्त्रीय पहलुओं के एकीकृत दृष्टिकोण तथा क्षेत्रीय और राष्ट्रीय ढांचे के अन्तर्गत पहाड़ी तथा मैदानी इलाकों की पूरकता पर संकेन्द्रण से सम्बन्धित है । कार्यनीति,लोगों की, विशेष रूप से महिलाओं की खाद्य, ईधन, चारा, पीने का पानी, स्वास्थ्य शिक्षा आदि जैसी आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्रिय सहभागिता पर केन्द्रित होनी चाहिए दल ने नए पहाड़ी क्षेत्रों के निरूपण के लिए मापदण्डों की भी सिफारश की है ।

(ख) कार्यकारी दल अक्तूबर, 1983 में गठित किया गया था और इसने अपनी रिपोर्ट जून 1985 में प्रस्तुत की थी । कार्यकारी दल के सदस्यों के नाम और उनके पदनामों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है ।

विवरण

सातवीं योजना के दौरान पहाड़ी क्षेत्रों से सम्बन्धित कार्यकारी दल के सदस्यों की सूची

1.	डा० भूपिन्दर सिंह सलाहकार (राज्य योजनायें) योजना आयोग, नई दिल्ली	अध्यक्ष
2.	श्रीमती पी० पी० त्रिवेदी, मुख्य सचिव, मेघालय सरकार, शिलांग ।	सदस्य

3.	डा० पी० वी० जोशी, सलाहकार (आई० ई०), योजना आयोग, नई दिल्ली	अध्यक्ष
4.	श्री एन० डी० जयाल, सलाहकार (राज्य योजनायें), योजना आयोग, नई दिल्ली	,,
5.	डा० बी० डी० शर्मा, कुलपति, उत्तर–पूर्व पहाड़ी विश्वविद्यालय, शिलांग	,,
6.	डा० एच० आर० कालिया, कुलपति, हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर–176062	,,
7.	श्री एव० सुन्दरराजन, संयुक्त सचिव (राज्य योजनायें), योजना आयोग, नई दिल्ली	,,
8.	डा० डी० एन० बोरठाकुर, निदेशक, आई० सी० ए० आर० काम्पलैक्स, शिलांग, मेघालय ।	,,
9.	श्री पी० आर० मिश्रा, प्रभारी अधिकारी, केन्द्रीय भू द जलसंरक्षण अनुसंधान तथा प्रशिक्षण संस्थान, सैक्टर 27–ए, मध्य मार्ग, चंडीगढ़	,,
10.	श्री टी० एन० धर, सचिव, पहाड़ी विकास विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ	,,

11.	श्री एस० डी० फैने, आयुक्त, असम पहाड़ी क्षेत्र, असम सरकार, दिसपुर	अध्यक्ष
12.	डा० एस० वासुदेव, अध्यक्ष, विज्ञान व तकनीकी पर राज्य समिति, केरल सरकार, त्रिवेन्द्रम,	"
13.	डा० सी० वी० शेषाद्री, निदेशक, मुरूगप्पा अनुसंधान केन्द्र, मद्रास	"
14.	श्री माधव आशिष, मीरटोला आश्रम, बरास्ता पीनाऊनाला, अल्मोड़ा, उत्तर प्रदेश	"
15.	डा० एस० पी० नौटियाल, द्वारा वाडिया इंस्टीट्यूट, ऑफ हिमालयान जिआलाजि, देहरादून, उत्तर प्रदेश	"
16.	डा० देवकी कुट्टी, चिकित्सा अधिकारी, शिवनन्दा आश्रम, मुनी की रेती, टेहरी गढ़वाल, उत्तर प्रदेश	"
17.	श्री ए० बी० चौधरी, आई० एफ० एस०, रीजेन्ट पार्क, गवर्नमैन्ट हाउसिंग एस्टेट, ब्लॉक–10, फ्लैट–4, कलकत्ता–700 040, पश्चिम बंगाल	"
18.	श्री चंडी प्रसाद भट्ट, दशौली ग्राम स्वराज्य मंडल, पोस्ट आफिस गोपेश्वर, जिला चमोली, उत्तर प्रदेश	"

19.	प्रो० वाई० आर० मल्होत्रा, डीन, लाइफ साइंसिस, जम्मू विश्वविद्यालय, जम्मू और कश्मीर	अध्यक्ष
20.	श्री पी० एच० त्रिवेदी, सचिव, उत्तर-पूर्वी परिषद, शिलांग	,,
21.	डा० ए० बी० रामाकृष्णा राव, संयुक्त आयुक्त (एस० सी० पी०), कृषि मंत्रालय (वानिकी और भू संरक्षण) नई दिल्ली	,,
22.	प्रतिनिधि, सिंचाई मन्त्रालय, नई दिल्ली	,,
23.	श्री एस० एन० एस० नायर, निदेशक (आई० आर० डी०), ग्रामीण विकास मन्त्रालय, नई दिल्ली	,,
24.	श्री एल० आर० खोड़ीयाली, मुख्य इंजीनियर (योजना), नौवहन व परिवहन मंत्रालय, नई दिल्ली	,,
25.	परियोजना निदेशक (राज्य संचार) रक्षा मन्त्रालय, नई दिल्ली	,,
26.	श्री बी० के० सूद, उप सचिव, ऊर्जा मन्त्रालय, नई दिल्ली	,,
27.	श्री पी०सी० रावल, निदेशक, औद्योगिक विकास विभाग, नई दिल्ली	,,

28.	श्री नरेश नारद, निदेशक (आवास), निर्माण व आवास मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली	अध्यक्ष
29.	श्री आयागरी वी० राव, मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी, विज्ञान व तकनीकी विभाग, तकनीकी भवन, न्यू महरौलीरोड, नई दिल्ली—110016	,,
30.	श्री एस० सी० मुदगल, निदेशक, पर्यावरण विभाग, बीकानेर हाऊस, शाहदरा रोड, नई दिल्ली	,,
31.	श्री आर० के० टक्कर, विकास आयुक्त व सचिव योजना, जम्मू और कश्मीर सरकार, श्रीनगर	,,
32.	श्री डी० के० शर्मा, निदेशक, योजना, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला	,,
33.	श्री आर० सी० सिन्हा, सचिव, योजना, महाराष्ट्र सरकार, बम्बई	,,
34.	डा० वीरेन्द्र कुमार, परामर्शदाता (पहाड़ी क्षेत्र), योजना आयोग, नई दिल्ली	सदस्य सचिव

व्यक्तिगत कम्प्यूटरों की लागत में वृद्धि

9224. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कम्प्यूटर निर्माताओं को सरकार

द्वारा विभिन्न प्रकार की छूट की सुविधायें देने के बावजूद भी उन्होंने स्वदेशी व्यक्तिगत कम्प्यूटरों की कीमतों में काफी वृद्धि कर दी हैं;

(ख) क्या यह सच है कि स्वदेशी व्यक्तिगत कम्प्यूटर निर्माता मुनाफाखोरी कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो दोषी निर्माताओं के नाम क्या हैं; और

(घ) सरकार का विचार उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ स्वदेशी वैयक्तिक कम्प्यूटरों की कीमत समतुल्य प्रणालियों की अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों की तुलना में अधिक है। किन्तु, कम्प्यूटरों के लिए सरकार द्वारा नीति को तर्क संगत बना दिए जाने के कारण, विनिर्माणकर्ताओं में प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है, वर्ष 1984 तथा 1985 के कैलेण्डर वर्ष के बीच स्वदेशी वैयक्तिक कम्प्यूटरों की कीमतों में 60 प्रतिशत से भी अधिक गिरावट आई है। इससे मुनाफाखोरी की प्रवृत्ति में तेजी से कमी हुई है।

(ग) और (घ) कम्प्यूटर उद्योग में प्रतिस्पर्धा के बढ़ने से, अधिकांश विनिर्माणकर्ताओं का मुनाफा कुल मिलाकर समान है और इस प्रकार व्यक्तिगत रूप से दोषी विनिर्माणकर्ताओं के नामों को सूची बद्ध करने का प्रश्न ही नहीं उठता। चूंकि ये समूचे उद्योग की समस्यायें हैं, अतः सरकार ने उद्योग के लिए नीति गत रूप रेखा तैयार की है जिससे मुनाफाखोरी पर अंकुश लगाया जा सके।

"लीबिया प्रोमिसिज नॉट टू रिक्रूट इण्डियन्स" शीर्षक से समाचार

9225. **श्री के० प्रधानी** : क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 12 अप्रैल, 1986 के "इण्डियन एक्सप्रैस" नई दिल्ली में "लीबिया प्रोमिसिज नॉट टू रिक्रूट इण्डियन्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसमें किन तथ्यों का हवाला दिया गया है; और

(ग) क्या किसी विदेशी मिशन द्वारा अपने देश की सेना में भर्ती के लिए किसी देश के अखबारों में विज्ञापन देने से पूर्व उस देश की सरकार से पूर्वानुमति लेने की परम्परा है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) भारत इस बात के पक्ष में नहीं है कि उसके नागरिकों की भर्ती विदेशों की सशस्त्र सेनाओं में हो। अतः किसी मिशन द्वारा इस तरह का कोई विज्ञापन देना अनुचित है। इस सम्बन्ध में नई दिल्ली स्थित लीबियाई पीपुल्स ब्यूरो के साथ यह मामला उठाया गया था जिसने स्पष्ट रूप से यह आश्वासन दिया था कि उसने अभी तक अपनी सशस्त्र सेनाओं के लिए किसी भारतीय राष्ट्रिक की भर्ती नहीं की है और वह भविष्य में भी ऐसा नहीं करेगा।

समुद्र सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय कानून

9226. **श्री के० प्रधानी :**

डा० बी० एल० शैलेश : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में स्वीकृत समुद्र सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय कानून से, जिसके अन्तर्गत किसी समुद्र का 200 मील तक का क्षेत्र उसके साथ लगने वाले राष्ट्र का अनन्य आर्थिक क्षेत्र घोषित किया गया है, भारत के लिए विकट स्थिति उत्पन्न हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा समुद्र के संबंधित भाग को अपना अनन्य आर्थिक क्षेत्र बनाये रखने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई अन्य देश इसके किसी हिस्से का उपयोग नहीं करता; क्या कदम उठाए गये हैं या उठाये जा रहे हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी नहीं, श्रीमान। 200 मील के अनन्य आर्थिक क्षेत्र की स्थापना से भारत के लिए ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है।

(ख) सम्बद्ध विधियों और विनियमों को लागू करने के लिए और समुद्री क्षेत्रों में भारत के हितों की रक्षा करने के लिए तट रक्षकों द्वारा उपयुक्त कदम उठाये जाते हैं।

राज्यों में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी का विकास

9227. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूरे देश का संतुलित विकास करने के लिए प्रत्येक राज्य में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी का विकास करने का कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है,

(ख) यदि हां, तो सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किए जाने वाले ऐसे कार्यक्रमों का ब्योरा क्या है; और

(ग) इस समय कितने तथा किन-किन राज्यों में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संस्थान कार्य कर रहे हैं तथा वे कहां-कहां स्थित हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) जी हां। भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत "विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए राज्य परिषदों के विकास हेतु सहायता" नामक एक स्कीम शुरू की थी। यह स्कीम सातवीं पंचवर्षीय योजना में भी जारी है। इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर राज्य परिषदें स्थापित

करने के लिए सहायता देना है; जो अपने-अपने राज्यों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सम्बन्धी गतिविधियों के निर्माण, नियोजन समन्वय और संवर्द्धन के लिए केन्द्रीय मंच के रूप में कार्य कर सकें। उनसे राज्यों की विज्ञान और प्रौद्योगिकी सम्बन्धी योजनाएं तैयार करने, विज्ञान और प्रौद्योगिकी सम्बन्धी सूचना का संकलन और प्रचार करने तथा विज्ञान को लोकप्रिय बनाने में सहायता करने की भी प्रत्याशा की जाती है।

(ग) राज्यों की बजट-शीर्ष "वैज्ञानिक सेवाएं और अनुसंधान" के अन्तर्गत विज्ञान और प्रौद्योगिकी सम्बन्धी अपनी योजनाएं हैं, जिसका सृजन योजना आयोग द्वारा योजना परिव्यय के प्रयोजनार्थ किया जाता है। राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी की अपनी योजनाओं के अन्तर्गत राज्य की विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थाओं आदि के बारे में निर्णय करते हैं।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने विभिन्न राज्यों तथा संघ-शासित क्षेत्रों में केन्द्रीय तथा राज्य परिषदों के अधीन अनुसंधान और विकास संस्थाओं की एक डायरेक्टरी निकाली है। यह प्रकाशित दस्तावेज है।

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान परमाणु विद्युत संयंत्र

9228. **श्री चिन्तामणित जेना** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान देश में परमाणु विद्युत संयंत्रों की स्थापना के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा गठित स्थान चयन समिति ने अपने सुझाव प्रस्तुत कर दिए हैं;

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान विशेषकर पूर्वी क्षेत्र और उड़ीसा में नए परमाणु विद्युत घरों के लिए दिए गए सुझावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) पूर्वी क्षेत्र और विशेषकर उड़ीसा में परमाणु विद्युतघरों की स्थापना करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी. हां।

(ख) और (ग) दक्षिणी, उत्तरी, पश्चिमी और पूर्वी विद्युत क्षेत्रों में भविष्य में लगाए जाने वाले परमाणु बिजलीघरों के लिए उपयुक्त स्थलों के बारे में सिफारिशें देने के वास्ते इस विभाग द्वारा गठित स्थल चयन समिति की रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है। उड़ीसा राज्य पूर्वी विद्युत क्षेत्र का एक हिस्सा है।

डिजीटल टेलीविजन संबंधी कार्यदल की रिपोर्ट

9229. **डा० वी० एल० शैलेश** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलैक्ट्रानिक्स विभाग द्वारा स्थापित डिजीटल टेलीविजन संबंधी कार्य दल ने

अपनी रिपोर्ट अभी तक प्रस्तुत नहीं की है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इसमें कितना समय लगने की संभावना है;

(ख) क्या यह सच है कि डिजीटल टेलीविजन टेक्नालोजी के विकास में लगी पश्चिम जर्मनी की आई० टी० टी० और जापानी फर्मों को सहित कुछ बहुराष्ट्रीय कम्पनियां उक्त कार्यदल को अथवा भारतीय निर्माताओं को डिजीटल टेलीविजन टेक्नोलाजी के विभिन्न तकनीकी आर्थिक पहलुओं के बारे में कोई सूचना देने की इच्छुक नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो इस स्थिति से निपटने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि ये बहुराष्ट्रीय कम्पनियां इस सम्बन्ध में अपने आविष्कारों और नई टेक्नालोजी के बारे में मूल सूचना उपलब्ध कराएं, सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का विचार है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग) चूंकि अंकीय दूरदर्शन एक उभरती हुई प्रौद्योगिकी है, अतः विदेशी विनिर्माणकर्ता इसके विभिन्न तकनीकी एवं आर्थिक पहलुओं पर जानकारी देने में आनाकानी करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप, इलैक्ट्रानिकी विभाग द्वारा गठित कार्यकारी दल इस विषय में अपनी रिपोर्ट को अन्तिम रूप नहीं दे पाया है ।

इलैक्ट्रानिकी विभाग ने अपने मानकीकरण, परीक्षण तथा गुणवत्ता नियन्त्रण (एस. टी. क्यू.सी.) कार्यक्रम के अन्तर्गत कुछ अंकीय दूरदर्शन सेटों का आयात करने के लिए उपयुक्त कदम उठाना आरम्भ कर दिया है । इन सेटों का परीक्षण हमारी प्रयोगशालाओं में इस दृष्टि से किया जायेगा कि वे कार्य निष्पादन की दृष्टि से एनालाग दूरदर्शन सेटों के मुकाबले कहां तक ठहर सकते हैं और भारतीय परिस्थितियों के अनुसार वे कहां तक उपयुक्त हैं । इन परीक्षण-परिणामों के आधार पर, और साथ ही अन्य उपलब्ध प्रकाशित जानकारी के आधार पर, कार्यकारी दल अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा । इस कार्य के लगभग 1 वर्ष में पूरा होने संभावना है ।

अंकीय दूरदर्शन प्रौद्योगिकी का जो विकास बहुराष्ट्रिक कम्पनियों ने किया है, उसका कारण यह है कि इन कम्पनियों ने अनुसंधान तथा विकास के कार्यों में भारी पूंजी-निवेश किया है । इसका सुनिश्चय करने के लिए ऐसा कोई तकनीकी तन्त्र नहीं हैं जिससे ये बहुराष्ट्रिक कम्पनियां अपने आविष्कारों एवं नई प्रौद्योगिकी के विकास के विषय में मूलभूत जानकारी उपलब्ध कराएं ।

[हिन्दी]

त्रिपुरा के अनुसूचित जनजातियों के लोगों का उत्थान

9230. **श्री बसवन्त सिंह रामूवालिया** : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अगरतला, त्रिपुरा में ट्राइबल नेशनल वाल्युन्टियर्स द्वारा आदिवासियों को परेशान किया जा रहा है;

(ख) क्या सरकार ने इन आदिवासी लोगों के उत्थान के लिए कोई समयबद्ध योजना तैयार की है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस योजना के कार्यान्वयन की समय-समय पर पुनरीक्षा की गई है; और

(ङ.) यदि हां, तो सत्सम्बन्धी पूर्ण ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री गिरधर गोमांगो) : (क) अगरतला, त्रिपुरा ट्राइबल नेशनल वाल्युन्टियर्स की गतिविधियां अधिकांश रूप से गैर आदिवासियों के विरुद्ध हैं।

(ख) और (ग) त्रिपुरा के आदिवासी उपयोजना क्षेत्रों के लिए छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान आवंटित 85.35 करोड़ रुपए के मुकाबले सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधी (1985–90) के दौरान 144.50 करोड़ रुपए की व्यवस्था है। सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आदिवासी उप योजना के 8.11 करोड़ रुपए के आवंटन के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में 11.80 करोड़ रुपये का प्रावधान है। राज्य सरकार से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार छठी पंचवर्षीय के दौरान कृषि, बागवानी, पशु पालन, सहकारिता, रेशम उत्पादन, लघु ग्रामीण तथा कुटीर उद्योग जैसे विभिन्न परिवारोन्मुखी कार्यक्रमों के अन्तर्गत, 43,823 अनुसूचित जनजाति परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की गयी है।

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत 44,000 अनुसूचित जनजाति परिवारों को आर्थिक सहायता देने का प्रस्ताव है।

(घ) और (ङ.) इन योजनाओं के कार्यान्वयन की इस मन्त्रालय में वार्षिक आदिवासी उप-योजना बैठकों में समीक्षा की जाती है। 1985–86 के दौरान गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के अन्तर्गत लाभान्वित परिवारों की, की गयी मासिक तथा तिमाही समीक्षा से पता चलता है कि 8644 परिवारों के लक्ष्य के मुकाबले, फरवरी 1986 तक 6289 परिवारों को लाभान्वित किया गया।

[अनुवाद]

देश में विस्फोट, तोड़फोड़ तथा विद्रोही गतिविधियां

9231. **श्री बालासाहेब विखे पाटिल** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में सीमावर्ती राज्यों से विस्फोट, तोड़फोड़ और विद्रोही गतिविधियों के कई मामले हुए हैं;

(ख) क्या सरकार ने यह पता लगाने के लिए कि उनमें कहां तक पाकिस्तान का हाथ था; पाकिस्तान द्वारा कहां तक वित्तीय सहायता दी गई और सक्रिय प्रोत्साहन दिया गया; इन सभी मामलों का विश्लेषण किया है;

(ग) गत चार महीनों के दौरान ऐसे कितने मामले सरकार की जानकारी में आये हैं; और

(घ) इस खतरे को समाप्त करने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय करने पर विचार किया जा रहा है ?

आंतरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) सरकार ऐसे मामलों का विश्लेषण कर रही है ।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(घ) राष्ट्रीय सुरक्षा को बनाये रखने के लिए सतत सतर्कता बरती जा रही है । केन्द्रीय तथा राज्य स्तर पर सभी सम्बन्धित सुरक्षा ऐजेन्सियों को तोड़फोड़, विघटनकारी इत्यादि किसी प्रयास को जानने, पता लगाने और निष्क्रिय करने के कार्य के लिए चुस्त बनाया जा रहा है ।

पुलिस कार्मिकों के बच्चों के लिए शैक्षिणिक संस्थाओं में स्थानों का आरक्षण

9232. **श्रीमती डी० के० भण्डारी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कार्य करते हुए मारे गये अथवा अपंग हुए पुलिस कार्मिकों के बच्चों के लिए केन्द्रीय विश्वविद्यालयों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में स्थानों का आरक्षण किया जाता है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार पुलिस कार्मिकों के बच्चों को उसी तरह की सुविधायें प्रदान कर रही है जिस तरह की सुविधायें युद्ध में अथवा कार्य करते हुए मारे गये अथवा अपंग हुए अर्ध–सैनिक कार्मिकों सहित सेवा बलों के व्यक्तियों तथा अधिकारियों के बच्चों को प्रदान की जा रही है ?

आंतरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) और (ख) हाल के वर्षों में स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय के अधीन सैनिक संगठनों के कार्मिकों (सेवारत अथवा अपंग अथवा मारे गए) के बच्चों के लिए विभिन्न राज्यों के मेडिकल कालेजों में केन्द्रीय कोटे में से प्रति वर्ष छः सीटें आबंटित करता रहा है । टैक्नोलोजिकल/इंजीनियरिंग संस्थानों में कोई केन्द्रीय आरक्षण नहीं है । फिर भी; ऐसे संस्थानों के अध्यक्षों को सलाह दी गई है कि स्थाई तौर से अपंग हुए अथवा किसी कार्यवाही में मारे गए कार्मिकों के आश्रितों पर प्रवेश के लिए सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाए, यदि वे निर्धारित न्यूनतम अर्हतायें पूरी करते हों । राज्य के पुलिस कार्मिकों के बच्चों के सम्बन्ध में कोई केन्द्रीय आरक्षण नहीं है और ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

उदार आयात नीति के सम्बन्ध में इलेक्ट्रॉनिकी कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड के कर्मचारियों का विरोध

9233. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इलेक्ट्रॉनिक कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड के कर्म-

धारियों ने सरकार की उदार आयात नीति के प्रति विरोध प्रकट किया है क्योंकि इससे स्वदेशी प्रौद्योगिकी के विकास में अवरोध आया है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1985-86 के दौरान इलेक्ट्रॉनिकी के क्षेत्र में आयात के लिए कितने लाइसेंस जारी किए गए हैं; और ई० सी० आई० एल० द्वारा विरोध किए जाने के बावजूद कितने लाइसेंसों पर अनुकूल विचार किया गया. यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) उक्त इलेक्ट्रॉनिकी की वस्तुओं का आयात कौन-कौन सरकारी विभाग करते हैं तथा आयात की मदों का ब्योरा क्या है और उन पर कुल कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई; और

(घ) क्या सरकारी विभागों के लिए इलेक्ट्रॉनिकी सामान के आयात के मामलों पर इलेक्ट्रॉनिकी विभाग द्वारा कार्यवाही की जाती है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी हां; इलेक्ट्रोनिक्स कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि० (ई० सी० आई० एल०) के कर्मचारियों ने इलेक्ट्रॉनिकी विभाग द्वारा प्रस्तावित कतिपय वस्तुओं का आयात करने के सम्बन्ध में विरोध प्रकट किया है ।

(ख) से (घ) आयात-निर्यात् नीति 1985-86 के पैरा 127 (1) (i) में किए गए प्रावधानों के अनुसार सरकार एक निश्चित मूल्य से अधिक मूल्य की इलेक्ट्रॉनिकी वस्तुओं के आयात से सम्बन्धित कार्यवाही इलेक्ट्रॉनिकी विभाग के जरिए करती है । सम्बन्धित कार्यवाही इलेक्ट्रॉनिकी विभाग के जरिये करती है । सम्बन्धित प्रावधान नीचे दिए अनुसार हैं :–

"जिन मामलों में पांच लाख रुपए अथवा उससे अधिक लागत बीमा भाड़ा मूल्य की इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का आयात, जिसमें प्रतिदर्श (फेसीमाइल) उपस्करों का आयात शामिल हैं, तथा किसी भी मूल्य के सामुद्रिक इलेक्ट्रॉनिक उपस्कर या उनके कल पुर्जों का आयात अन्तर्ग्रस्त है अथवा एक लाख रुपये से ऊपर मूल्य के संचार उपस्करों का आयात अन्तर्ग्रस्त है, उनमें आयात केवल तभी किया जा सकता है, जब इलेक्ट्रॉनिकी विभाग इसकी अनुमति दे दे" ।

जारी किए गए आयात लाइसेंसों के ब्यौरे आयात लाइसेंसों, निर्यात लाइसेंसों तथा औद्योगिक लाइसेंसों के साप्ताहिक बुलेटिनों में प्रकाशित किए जाते हैं और उनकी प्रतियां संसदीय पुस्तकालय में नियमित रूप से भेजी जाती हैं और वे आसानी से प्राप्त की जा सकती हैं। किन्तु सरकारी विभागों के मामले में सम्बन्धित प्राधिकारियों से आयात करने की अनुमति प्राप्त कर लेने के उपरान्त ही उनको खुले सामान्य लाइसेंस (ओ. जी. एल.) के अन्तर्गत आयात करने की अनुमति प्रदान की जाती है, बशर्ते कि आर्थिक कार्य विभाग (डी० ई० ए०) द्वारा विदेशी–मुद्रा उपलब्ध कराई हो । ऐसे मामले में अलग से आयात–लाइसेंस जारी नहीं किये जाते । इनमें जो सरकारी विभाग शामिल हैं उनमें अन्यों के साथ-साथ संचार मन्त्रालय, बेतार आयोजना समन्वय, विदेशी संचार सेवा (ओ० सी० एस०), रक्षा तथा रेलवे शामिल हैं । विरोध का सम्बन्ध इनसे है ।–(1) संचार मंत्रालय जो स्टोर तथा फारवर्ड (भण्डार तथा प्रेषण) तार प्रणाली (एस० एफ० टी०) का आयात कर रहा है, और जिसकी आपूर्ति ई० सी० आई० एल० ने दूरसंचार विभाग को पहले भी की थी और वह उसकी भावी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है, (2)

रेलवे मन्त्रालय, जो निरन्तर स्वचालित ट्रेन संरक्षण उपस्कर (सी० ए० टी० पी०) का आयात करने की कोशिश कर रहा है, जिसकी आपूर्ति (ई० सी० आई० एल०) करने में सक्षम है। इस पर ई० सी० आई० एल० ने काफी अनुसंधान तथा विकास कार्य किये हैं, (3) एन० टी० पी० सी०, जो 11 एम एन्टिना का आयात करने की कोशिश कर रहा है। इस सम्बन्ध में ई० सी० आई० एल० अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप आपूर्ति करने में सक्षम है। ई० सी० आई० एल० ने उपर्युक्त तीन प्रयोग कर्ताओं के साथ बातचीत की है।

तिहाड़ जेल से पाकिस्तानी जासूसों का समय से पहले रिहा किया जाना

9234. **श्री सोमनाथ रथ :**

प्रो० रामकृष्ण मोरे ।

डा० ए० के० पटेल : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले कुछ जासूसों को समय से लगभग एक वर्ष पहले तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके लिए कौन जिम्मेवार था और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

आन्तरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन से प्राप्त सूचना के अनुसार भा० द० स० की धारा 120 ख के साथ पठित शासकीय गुप्त अधिनियम की धारा 10 के तहत सीमापुरी थाने में दर्ज एक मामले एफ. आई. आर. सं० 263/76 दिनांक 15-11-76 में एक अभियुक्त को 10 फरवरी, 1986 को रिहा किया गया था। उसकी रिहाई नियमों के अनुसार निश्चित तारीख पर की गयी थी और सजा पूरी होने से पहले नहीं ।

पर्यावरण की सुरक्षा के लिए अग्रिम वित्तीय प्रतिभूति

9235. **श्री बाला साहेब विखे पाटिल** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय में श्री रामफूड एण्ड फर्टिलाईजर्स को अगले तीन वर्षों के लिए उसकी इकाईयों से गैस रिसाव की क्षतिपूर्ति की अदायगी के लिए 20 लाख रुपये की प्रतिभूति तथा भविष्य में गैस रिसाव के विरुद्ध 15 लाख रुपये की गारंटी जमा करने के निर्देश दिये हैं। यदि हां, तो क्या सरकार का पर्यावरण को प्रदूषण से मुक्त रखने की दृष्टि से गैस आधारित इकाई को लाइसेंस देते समय उस पर किन्हीं शर्तों को लागू करने का क्या विचार है; और

(ख) यदि नहीं, तो सरकार किसी त्रासदी के घटित होने से पूर्व ऐसा विस्त्रीय रक्षोपाय करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार कर रही है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) जी नहीं।

(ख) सुरक्षा एवं स्वास्थ्य दुर्घटना कम करने की कार्यवाही (सहारा) के लिए समेकित योजना के भाग के रूप में खतरनाक उद्योगों को अपने प्रतिष्ठानों की सुरक्षा जांच कराने और पर्यावरणीय प्रदूषण को कम करने के लिए आकस्मिक उपाय सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के लिए यह निश्चय किया गया है कि इन उद्योगों की स्थापना के लिए पर्यावरणीय दृष्टि से पुर्वानुमति ली जानी चाहिए।

पाकिस्तानी जासूस

9236. **श्री के० वी० शंकरगौडा** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मार्च, 1986 में जम्मू और कश्मीर; पंजाब में तथा राजस्थान में अनेक पाकिस्तानी जासूस पकड़े गये और उनके दस्तावेजों की बरामद किये गये थे;

(ख) यदि हां, तो क्या पाकिस्तानी जासूसों के बरामद किये गये दस्तावेज इस बात के प्रमाण हैं कि पाकिस्तान कई राज्यों में, विशेषतः सीमावर्ती क्षेत्रों में गड़बड़ी पैदा कर रहा है; और

(ग) यदि हां, तो कितने पाकिस्तानी जासूस गिरफ्तार किये गये और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है तथा उन्हें रोकने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

आंतरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) से (ग) 3 घुसपैठिये जो सभी पाकिस्तानी राष्ट्रिक थे और जो 29 मार्च, 1986 को राजस्थान के अनूपगढ़ क्षेत्र में एक मुठभेड़ में मारे गये थे, में से एक के पास से एक पाकेट डायरी बरामद हुई थी जिससे मालूम हुआ था कि उनका लक्ष्य जासूसी करना था।

भारत-पाक सीमा-पार से घुसपैठ रोकने और जासूसी के किसी प्रयास का पता लगाने, खोज निकालने और निष्क्रिय करने के लिए सीमा सुरक्षा बल तथा अन्य सम्बन्धित सुरक्षा अभिकरणों द्वारा लगातार सतर्कता बरती जा रही है।

[हिन्दी]

नदियों के प्रदूषण को रोकने के लिए कानून बनाने के लिए बोर्ड स्थापित करना

9237. **श्री काली प्रसाद पांडेय** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है, कि देश की सभी 15 प्रमुख नदियां प्रदूषित हो गई हैं जिसके परिणामस्वरूप 60 प्रतिशत बीमारियां प्रदूषित जल के इस्तेमाल से होती हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार गंगा नदी को साफ करने के लिए आरम्भ की गई परियोजनाओं की भांति अन्य बड़ी नदियों को साफ करने और उन्हें प्रदूषण मुक्त रखने के लिए कोई कानून बनाने के लिए एक बोर्ड स्थापित करने के उद्देश्य से विस्तृत परियोजना आरम्भ करने का है;

(ग) क्या केन्द्रीय जल प्रदूषण नियन्त्रण और निवारक बोर्ड के अनुसार देश भर में ऐसे 1700 उद्योग हैं जिनमें प्रदूषित जल साफ करने के संयंत्र लगाने की आवश्यकता है किन्तु अब तक केवल 150 उद्योगों में इस प्रकार के संयंत्र लगाए गए हैं; और

(घ) इस सम्बन्ध में की गयी कार्यवाई का ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) कुछ नदियों के फैलाव क्षेत्र अत्यधिक प्रदूषित है। प्रदूषित जल के प्रयोग से बहुधा आन्त्र ज्वर, पेचिश जैसी जल संक्रामक बीमारियां हो जाती हैं। बीमारियों को सीधे रूप में प्रदूषण से जोड़ना मुश्किल है।

(ख) नदी प्रदूषण नियंत्रण सहित पर्यावरणीय सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं पर कार्यवाही करने के लिए पर्यावरणीय सुरक्षा पर एक व्यापक कानून पेश करने के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया गया है। अभी तक गंगा परियोजना की तरह अन्य नदियों की सफाई करने के लिए कोई परियोजना नहीं है। तथापि अन्य नदियों में गहन जल गुणवत्ता प्रबंधन और नदी घाटी सर्वेक्षण किये जा रहे है।

(ग) और (घ) केन्द्र तथा राज्य जल प्रदूषण नियन्त्रण बोर्डों द्वारा किये गये सर्वेक्षण के अनुसार बड़े और मझोले क्षेत्रों में 4054 प्रदूषक उद्योग हैं जिनमें से अब तक केवल 2076 उद्योगों ने बहिस्त्राव उपचार संयंत्र स्थापित किये हैं।

उद्योगों को प्रदूषण नियन्त्रण उपाय स्थापित करने के लिए समझाया जाता है और दोषी ईकाईयों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाती है। प्रदूषण नियन्त्रण उपाय स्थापित करने तथा उनके सन्तोषजनक रूप से कार्य करने के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

आदिवासी शरणार्थियों का अगरतला में आना

9238. **श्री के. वी. शंकरगौड़ा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बांगलादेश की सेना तथा चिटगांव के पहाड़ी क्षेत्रों में अर्ध-सैनिक जवानों की टुकड़ियों के साथ मुठभेड़ से बचने के लिए आदिवासी शरणार्थियों के बड़े पैमाने पर त्रिपुरा में आने के समाचार को ध्यान में रखते हुए वहां तैनात सीमा सुरक्षा बल के गार्डों को सचेत कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो अगरतला में आने वाले आदिवासियों की संख्या कितनी है; और

(ग) इस सम्बन्ध में अन्य कौन से उपायों पर विचार किया जा रहा है ?

आन्तरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) 29 अप्रैल तथा 2 मई 1986 के बीच बंगलादेश से दक्षिणी त्रिपुरा जिले में 2389 आदिवासी शरणार्थी दाखिल हुए हैं।

(ग) सीमा सुरक्षा बल के कार्मिकों को सतर्क कर दिया गया है। उन्होंने लगभग 100 शरणार्थियों को वापस भेज दिया है और आगे घुसपैठ रोकने के लिए कदम उठा रहे हैं। सीमा सुरक्षा बल के स्थानीय प्राधिकारियों ने बंगलादेश के अपने समान स्तर के अधिकारियों के साथ मामला उठाया है। इस मामले पर बंगलादेश प्राधिकारियों के साथ राजनयिक माध्यम से भी बातचीत की जा रही है।

इम्फाल में मुक्ति सेना (लिबरेशन आर्मी) की गतिविधियां

9239. **श्री के० वी० शंकरगौड़ा** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 3 मार्च, 1986 को इम्फाल में भूमिगत जन मुक्ति सेना (पीपल लिबरेशन आर्मी) द्वारा 5 व्यक्ति मारे गये थे और अनेक लोग घायल किए गए थे;

(ख) यदि हां, तो इन हमलों से इम्फाल में भारी अशांति पैदा होगई है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा मुक्ति सेना (जन मुक्ति सेना) की गतिविधियों को रोकने में राज्य की सहायता करने के लिए क्या उपाय करने का विचार है ?

आंतरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) 2 मार्च 1986 को सशस्त्र व्यक्तियों के एक ग्रुप में जिनके बारे में मैतई उग्रवादी होने का संदेह है, इम्फाल नगर के नजदीक थोनगंजू गांव में 5 व्यक्तियों को मारा।

(ख) जी नहीं, श्रीमान्। इम्फाल में स्थिति नियंत्रण में है।

(ग) मैतई संगठनों, अर्थात पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पी० एल० ए०) पीपुल्स रिवोल्यूसनरी पार्टी आफ कांगलीपाक (प्रेपाक), कांगलीपाक कम्यूनिस्ट पार्टी (के० सी० पी०) और उनके सहबद्ध निकायों को अवैध गतिविधियां (निवारक) अधिनियम 1967 के अन्तर्गत ता० 18-10-85 की अधिसूचना के तहत गैर कानूनी घोषित किया गया है, राज्य सरकार को उग्रवादियों की गतिविधियों को रोकने के लिए आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियां (निवारक) अधिनियम 1985 के उपबन्धों का प्रयोग करने की सलाह दी गई है। राज्य सरकार के अधिकार में अर्ध सैनिक बलों को भी कर दिया है। जनवरी, 1986 से 22 अप्रैल, 1986 के मध्य मणिपुर में 19 मैतई उग्रवादियों को पकड़ा गया है।

भारत में रह रहे विदेशी मिशनरियां

9240. **श्री मानिक रेड्डी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कितनी विदेशी मिशनरियां एक वर्ष से अधिक समय से रह रही हैं वे किस राज्य में रह रही हैं तथा वे मूल रूप से किस देश की हैं तथा किस धर्म के मानने वाले हैं; और

(ख) कितने भारतीय मिशनरियां एक वर्ष से अधिक समय से विदेशों में रह रहे हैं तथा वे किस देश में ठहरे हैं ?

आंतरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, 31-12-84 तक भारत में 2447 विदेशी मिशनरियां विद्यमान थी। ब्यौरे संलग्न विवरण I तथा II में दिए गए हैं। हम उनके धर्म सम्बन्धी आंकड़े नहीं रखते हैं।

(ग) ऐसे आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

विवरण I

31-12-1984 को भारत में विद्यमान पंजीकृत विदेशी मिशनरियों की राज्यवार संख्या

क्रम सं०	राज्य	संख्या
1	असम	12
2	बिहार	264
3	अहमदाबाद शहर, गुजरात	26
4	हरियाणा	5
5	जम्मू और कश्मीर	14
6	कर्नाटक	726
7	केरल	89
8	मध्य प्रदेश	105
9	महाराष्ट्र (बम्बई को छोड़कर)	138
10	मेघालय	75
11	उड़ीसा	42
12	पंजाब	15
13	राजस्थान	60
14	सिक्किम	1
15	तमिलनाडु	436
16	उत्तर प्रदेश	225
17	चण्डीगढ़	57
18	दिल्ली	116
19	गोवा, दमण और दीव	15
20	पाण्डिचेरी	26
	जोड़	2447

टिप्पणी : 1. इसमें आन्ध्र प्रदेश, गुजरात (अहमदाबाद शहर को छोड़कर) हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र का बम्बई शहर तथा पश्चिमी बंगाल के आंकड़े शामिल नहीं हैं।

2. 2447 मिशनरियों का देशवार, ब्यौरा संलग्न विवरण II में दिया गया है।

विवरण II

भारत में 31-12-1984 को विद्यमान विदेशी मिशनरियों की राष्ट्रीयतावार संख्या

क्रम संख्या	राष्ट्रीयता	संख्या
1	अमेरीकन	338
2	अरजेंटिनियन	1
3	आस्ट्रेलियन	69
4	आस्ट्रीयन	11
5	बेलजीयन	107
6	ब्रिटिश	712
7	ब्रिटिश प्रोटेक्टेड	1
8	ब्रिटिश सब्जेक्ट	13
9	ब्राजिलियन	1
10	बर्मीज	8
11	कनाडीयन	138
12	चाइनीज	1
13	चेकास्लवाकियन	6
14	डेनिस	13
15	डच	33
16	फ्रेंच	144
17	जर्मन (पूर्वी)	1
18	जर्मन (पश्चिमी)	136
19	हंगारियन	3
20	आई सलेंडिक	1
21	इन्डोनेसियन	8
22	ईरानियन	2
23	आरिश	146
24	इटालियन	168
25	लोटिमन	1
26	जापनीज	7
27	केन्यान	2
28	मलेसियन	34
29	माल्टेज	47
30	मालदीवियन	2

क्रम सं०	राष्ट्रीयता	संख्या
31	नौरवेइजियन	11
32	न्यजीलैन्डर	25
33	फिलीपीनों	6
34	पोर्तम्यूज	2
35	पोलिश	4
36	रोमानियन	1
37	रसियन	6
38	सिंगापोरियन	2
39	दक्षिणी अफ्रीकी	5
40	श्रीलंका	22
41	स्पेनिश	108
42	स्वीडिश	25
43	स्वीस	37
44	सेंट विनसेंट	1
45	स्टेटलेस	1
46	तंजानियन	10
47	थाई	3
48	तिब्बतन	13
49	वियतनामीज	9
50	यूगोस्लावियन	2
	कुल	2447

कुवैत एअरलाइन्स के विमान में गिरफ्तार किए गए आतंकवादी

9241. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली हवाई अड्डे पर कुवैत एयरलाइन्स के एक विमान में कुछ आतंकवादी पकड़े गए थे;

(ख) यदि हां, तो इस विमान में गिरफ्तार किए गए आतंकवादियों की संख्या कितनी है; और

(ग) क्या इन आतंकवादियों का पंजाब की समस्या से कोई सम्बन्ध है ?

संचार मंत्रालय के तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

रक्षा विकास के लिए मित्र अफ्रीकी तथा एशियाई देशों को भारत द्वारा प्रदान की गई सुविधाएं

9242. **प्रो. निर्मला कुमारी शक्तावत**: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मित्र अफ्रीकी तथा एशियाई देशों की रक्षा क्षमता के सर्वांगीण विकास के लिए उन्हें सुविधाएं प्रदान करती है और क्या इन देशों के छात्रों को हमारे सैनिक स्कूलों, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी अथवा आर्मी कैडेट कालेज में प्रवेश किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन देशों से छात्र भारत में प्रशिक्षण के लिए आए हैं;

(ग) किन-किन देशों को उनकी सर्वांगीण रक्षा क्षमता के विकास के लिए भारत द्वारा सहायता दी गई; और

(घ) प्रतिवर्ष उस पर कितनी धनराशि खर्च हुई ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) हमारे संस्थानों में प्रशिक्षण की सुविधा कुछ अफ्रीकी तथा एशियाई मित्र देशों के रक्षा कार्मिकों को प्रदान की जाती है। भूटान के छात्रों के लिए सैनिक स्कूलों में दस सीटें आरक्षित हैं।

(ख) 1985 के दौरान निम्नलिखित अफ्रीकी तथा एशियाई देशों के रक्षा कर्मिकों ने भारत में प्रशिक्षण की असुविधाओं का उपयोग किया : अफगानिस्तान, बंगलादेश, बेनिन, भूटान, बोट्सवाना, इथोपिया, घाना, ईरान, ईराक, इण्डोनेशिया, जोर्डन, केनिया, मलेशिया, मारिशिस, नेपाल, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, श्रीलंका, सूडान, तंजानिया, थाइलैण्ड; युगांडा तथा जाम्बिया।

(ग) और (घ) इस सम्बन्ध में ब्यौरा देना लोकहित में नहीं होगा।

[अनुवाद]

विलंबित परियोजनाओं को स्वीकृति देना

9243. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या **कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत सात महीनों के दौरान जिन परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है उनके नाम क्या हैं, किस मंत्रालय से सम्बन्धित हैं, परियोजना का नाम क्या है, उनमें कितना विलम्ब हुआ है और उसको देरी से शुरू करने के कारण कितनी धनराशि खर्च हुई है; और

(ख) उनके मंत्रालय को इन परियोजनाओं को स्वीकृत कराने में किन मुख्य कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और उसके लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री ए. बी. ए. गनी खान चौधरी) : (क) इस मंत्रालय द्वारा

प्रबोधन की जा रही केन्द्रीय क्षेत्रक परियोजनाओं में से कोई ऐसी परियोजना नहीं है जो गत सात महीनों में पूरी की गयी हो और जिसमें विलम्ब अथवा लागत वृद्धि हुई हो।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि परियोजनाओं के पूरा होने के बारे में संबंधित मन्त्रालयों/विभागों द्वारा प्रस्ताव किये जाने पर भारत सरकार, वित्त मन्त्रालय, व्यय विभाग में सार्वजनिक निवेश बोर्ड/व्यय वित्त समिति के माध्यम से प्रक्रिया की जाती है।

सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा समाज विज्ञान के स्कूल

9244. **श्री आनादिचरण दास** : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में शिक्षित व्यवसायिक सामाजिक कार्यकर्ताओं का अब तक कोई अनुमान लगाया गया है,

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के अन्तर्गत उनके रोजगार का पृथक-पृथक प्रतिशत कितना है,

(ग) इस समय देश में कार्यरत समाज विज्ञान के द्वारा विद्यालयों की संख्या कितनी है तथा उनसे प्रतिवर्ष कितने शिक्षित सामाजिक कार्यकर्ता निकलते हैं,

(घ) सामाजिक कार्यकर्ताओं को रोजगार दिलाने से पहले क्या लाइसेंस देने की कोई प्रणाली है, और

(ड.) क्या देश में सामाजिक कार्यकर्ताओं का कोई राष्ट्रीय संगठन है ?

कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी नहीं

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नियुक्त "भारत में समाज कार्य शिक्षा" पर द्वितीय पुनरीक्षण समिति रिपोर्ट के असनुार, देश में जनवरी, 1978 की स्थितिनुसार 34 समाज कार्य स्कूल हैं।

(घ) जी नहीं,

(ड.)भारतीय प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ता संघ जिसका कार्यालय, ई-67 अन्सारी नगर नई दिल्ली में स्थित है, प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ताओं की एक राष्ट्रीय स्तर की संस्था है।

प्रशासनिक सुधार

9245. **डा० जी० विजय रामाराव** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 23 मार्च 1986 के "टाइम्स आफ इण्डिया" में छपे समाचार के अनुसार क्या बड़े प्रशासनिक सुधार सरकार के विचाराधीन हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी सम्पूर्ण ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या प्रशासनिक सुधारों सम्बन्धी नई योजना के बारे में कोई निर्णय लेने से पूर्व जनता जन प्रतिनिधियों और सरकारी अधिकारियों को इसमें शामिल किये जाने का विचार है और यदि हां, तो किस प्रकार ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) और (ख) 5 जनवरी, 1985 को प्रधान मन्त्री के राष्ट्र के नाम प्रसारण को कार्यरूप देने के लिए अनेक उपाय किये गए हैं। केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों में प्रशासनिक संगठन, पद्धतियों तथा क्रियाविधियों की विस्तृत पुनरीक्षा आरम्भ की गई है। पुनरीक्षा के उद्देश्य निम्नलिखित हैं :—

(i) निर्णय लेने की प्रक्रिया का विकेन्द्रीकरण;

(ii) जिम्मेदारी लागू किया जाना;

(iii) नियमों तथा क्रियाविधियों का सरलीकरण;

(iv) क्रियाविधियों की तुलना में परिणामों को अग्रता देना;

(v) नागरिकों के प्रति तत्काल तथा विनम्र सेवा सुनिश्चित करना;

(vi) लोक शिकायतों के निवारण के लिए कारगर तन्त्र की स्थापना।

भर्ती, प्रशिक्षण, चयन, कैरियर योजना, कार्मिकों का स्थानन तथा निष्पादन मूल्यांकन की क्रियाविधियों सहित कार्मिक प्रबन्ध के विभिन्न पहलुओं की पुनरीक्षा की जा रही है। सिविल सेवकों के प्रशिक्षण पर विशेष बल दिया गया है जिससे न केवल शीघ्रता से बदलते हुए कार्य वातावरण की चुनौतियों का सामना करने के लिए उनमें ज्ञान तथा कौशल को अद्यतन बनाया जा सकेगा, बल्कि विचारात्मक परिवर्तन भी लाए जा सकेंगे।

लोक शिकायतों के निवारण के क्षेत्र में क्रियाविधि सम्बन्धी कमियों का पता लगाकर उन्हें दूर करने का प्रस्ताव है ताकि शिकायतों के अवसर कम से कम रह जायें।

प्रशासन को परिणामोन्मुखी बनाने के प्रयासों के एक अंग के रूप में भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्यों के लिए गोपनीय रिपोर्ट का एक संशोधित प्रपत्र तैयार किया जा रहा है ताकि जिन अधिकारियों की रिपोर्ट लिखी जानी है उनके लिए निर्धारित लक्ष्यों, उद्देश्यों तथा ध्येयों को ध्यान में रखकर परिमाणात्मक और गुणात्मक मूल्यांकन किया जा सके। इसे अन्य सेवाओं पर भी लागू किया जाएगा।

फिर भी, प्रशासनिक सुधार एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है क्योंकि लोक प्रशासन को देश के आर्थिक राजनैतिक तथा सामाजिक वातावरण की गति के अनुकूल बनाया जाना है।

(ग) जनता तथा सरकारी सेवकों से परामर्श करने के लिए विभिन्न तरीकों का प्रयोग किया जा रहा है। कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री की अध्यक्षता में प्रशासनिक सुधार तथा कार्मिक नीतियों सम्बन्धी एक कार्यकारी दल कार्य कर रहा है। इस दल में वरिष्ठ सिविल सेवक, सेवानिवृत्त सिविल कर्मचारी, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और निजी

उद्योग आदि से प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल किए गए हैं। प्रशासन में क्रियाविधि सम्बन्धी परिवर्तन लाये जाने के उद्देश्य से स्वैच्छिक संगठनों की सहायता प्राप्त करने के लिए उनका पता लगाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, प्रशासन के विशिष्ट क्षेत्रों में सुधारों पर विचार विमर्श करने के लिए "खुली बैठकें" आयोजित की जा रही हैं। अखिल भारतीय तथा केन्द्रीय सेवाओं के बारे में कतिपय महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार विमर्श करने के लिए इन सेवाओं के प्रतिनिधियों के साथ भी विचार-विमर्श हुआ है।

गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत केरल में वितरित किए गये ऋण

9246. **श्री वि० एस० विजय राघवन** : क्या **योजना** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के अन्तर्गत वर्ष 1985-86 में केरल में कुल कितनी राशि के ऋण वितरित किये गये;

(ख) कितने प्रतिशत लाभार्थियों को इससे लाभ हुआ है; और

(ग) वर्ष 1986-87 के लिए इस बारे में क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया तथा कितनी धनराशि वितरित करने का प्रस्ताव है ?

योजना मंत्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम ही गरीबी दूर करने का एक मात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसका वित्त पोषण सरकार द्वारा प्रदान की गई आर्थिक राज सहायता तथा बैंकिंग संस्थाओं द्वारा दिए गए ऋण को संयोजित करके किया जाता है। केरल को वर्ष 1985-86 के दौरान (जनवरी, 1986 तक) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वितरित किए गए सावधिक ऋण की कुल राशि 343.81 लाख रु० थी।

(ख) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता पाने वाले सभी परिवारों को लाभ मिला है।

(ग) समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत केरल के लिए वर्ष 1986-87 के लिए अनंतिम वास्तविक लक्ष्य 85,500 परिवार हैं। वर्ष 1986-87 के दौरान इस कार्यक्रम के अन्तर्गत केरल में वितरित की जाने वाली, आर्थिक राज सहायता तथा सावधिक ऋण की राशि के क्रमशः 1,180 लाख तथा 2,360 लाख रु० होने का अनुमान लगाया गया है।

अमरीका से कम्प्यूटरों का आयात

9247. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या **प्रधान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985-86 के दौरान अमरीका से कितने कम्प्यूटरों का आयात किया गया है;

(ख) विदेशी मुद्रा में कितनी धनराशि का भुगतान किया गया है; और

(ग) ये आयातित कम्प्यूटर किनको दिये गए हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) इलेक्ट्रॉनिकी विभाग ने वर्ष 1985-86 के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका से लगभग 300 कम्प्यूटरों का आयात करने की अनुमति प्रदान कर दी है।

(ख) विदेशी मुद्रा के रूप में अन्तर्ग्रस्त अनुमानित राशि 145 करोड़ रुपये है।

(ग) अन्य प्रयोगकर्ताओं के लिए इन कम्प्यूटरों की निम्नलिखित श्रेणियों के अन्तर्गत अनुमति प्रदान की गई है :—

(क) विश्वविद्यालय	104
(ख) सरकारी संगठन	79
(ग) सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन	53
(घ) निजी क्षेत्र के संगठन	44
(ङ.) अन्य	20

विभिन्न राज्यों द्वारा आरम्भ की गई लाटरी स्कीमों की समान पद्धति

9248. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों ने दैनिक, सप्ताह में दो बार, पाक्षिक और मासिक जैसी विभिन्न प्रकार की लाटरी स्कीम आरम्भ की है;

(ख) क्या यह सच है कि बड़े इनामों वाली ये लाटरी लोगों को अपनी तमाम दैनिक आय इसमें लगाने का प्रलोभन देती है;

(ग) यदि हां, तो इस हानिकारक प्रवृत्ति को रोकने के लिए भारत सरकार क्या कदम उठाने पर विचार कर रही है; और

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार देश भर के लिए एक समान नीति बनाने का है ताकि यह लाटरियां सभी राज्यों में सप्ताह या पखवाड़े में केवल एक बार निश्चित तारीख को ही निकाली जाएं जिससे लोगों को सप्ताह या पखवाड़े में केवल एक ही बार धन व्यय करना पड़े ?

संचार मंत्रालय के तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) सरकार के पास इस आशय की कोई सूचना नहीं है कि लोग अपनी तमाम दैनिक आय को लाटरी योजनाओं में खर्च कर देते हैं।

(ग) और (घ) जून 1984 में विभिन्न राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को कुछ दिशा–निर्देश जारी किए गए थे जिनमें वर्ष में 52 साप्ताहिक ड्रा और 12 बम्पर ड्रा

निकालने के सुझाव दिए गए थे। इस प्रकार के दो ड्रा में इनाम की अधिकतम राशि क्रमशः 1 लाख रुपये और 25 लाख रुपये सुझायी गयी थी। बाद में राज्यों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों से इन दिशा निर्देशों का पूरी तरह अनुपालन करने का अनुरोध किया गया था।

आर्थिक सहयोग की पुनरीक्षा करने के लिए गुट निरपेक्ष आन्दोलन तथा अन्य विकासशील देशों के अधिकारियों के बीच बैठक

9249. **श्री कृष्ण सिंह** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुट निरपेक्ष आन्दोलन के सदस्य देशों के अधिकारियों तथा अन्य विकासशील देशों के अधिकारियों के बीच इन देशों के बीच आर्थिक सहयोग सम्बन्धी कार्यवाही कार्यक्रम में हुई प्रगति की पुनरीक्षा करने के लिए अप्रैल में नई दिल्ली में एक बैठक हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो इस पुनरीक्षा के क्या परिणाम निकले और उक्त कार्यक्रम के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उसके परिप्रेक्ष्य में क्या निर्णय लिए गए;

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी हां सातवें शिखर सम्मेलन के बाद सक्रिय कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा करने लिए गुटनिरपेक्ष देशों के आर्थिक सहयोग से सम्बद्ध सक्रिय कार्यक्रम के समन्वय देशों की बैठक 7 से 11 अप्रैल, 1986 के दौरान नई दिल्ली में हुई।

(ख) इस बैठक में बहुत सी सिफारिशें की गई हैं जिनका उद्देश्य बेहतर क्रियान्वयन, समन्वय और निगरानी के जरिये सक्रिय कार्यक्रम की प्रभावकारिता बढ़ाना है इस संदर्भ में इसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि इस कार्यक्रम तथा 77 देशों के समूह के सक्रिय कार्यक्रम में बेहतर तालमेल बहुत जरूरी है। बैठक में इस बात के महत्व पर भी बल दिया गया कि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय मंचों में गुटनिरपेक्ष देशों की नीतियों का समन्वय किया जाए तथा गुटनिरपेक्ष देशों के बीच क्षेत्रीय, उप क्षेत्रीय तथा अन्तर क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा दिया जाए।

नई दिल्ली में 16 से 20 अप्रैल तक हुए गुट निरपेक्ष देशों के समन्वय ब्यूरो की मंत्रि-स्तरीय बैठक में उक्त बैठक की सिफारिशों का अनुमोदन किया गया।

"वृक्षारोपण"

9250. **श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत गत दो दर्षों के दौरान विशेषकर उड़ीसा राज्य में लगाये तथा चालू वर्ष में उगाये जाने वाले वृक्षों की संख्या के सम्बन्ध में कोई अनुमान लगाया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) उड़ीसा राज्य में रिपोर्ट की गयी वनरोपण की उपलब्धि निम्न प्रकार से है:—

वर्ष	सामाजिक वानिकी (हैक्टेयर)	फार्म वानिकी (करोड़ बाल पौधे)	कुल वनरोपण (करोड़ बाल पौधे)
1984-85	13712	0.48	10.68
1985-86 (फरवरी 86 तक)	उपलब्ध नहीं		18.10

उत्तरजीविता का मूल्यांकन यदा-कदा किया गया है जो कि बहुत नियमित आधार पर नहीं है। यह महसूस किया जाता है कि ये मूल्यांकन अपने क्षेत्र में सीमित हैं और इसलिए कोई विश्वस्त निष्कर्ष नहीं निकलते हैं।

जम्मू और कश्मीर में सीमा पार से आतंकवादियों की घुसपैठ

9251. **श्री बालासाहेब विखे पाटिल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जम्मू और कश्मीर तथा देश के अन्य पश्चिमी अंचल (पंजाब) में आतंकवादियों की घुसपैठ में हाल ही के महीनों में कई गुणा वृद्धि हुई है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

(ख) क्या वर्तमान परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए भविष्य में आतकवादियों की घुसपैठ को रोकने के लिए पूरी सीमा को बन्द करने का सरकार का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए जा चुके हैं या निकट भविष्य में उठाने का विचार है ?

आन्तरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) जम्मू तथा कश्मीर में हाल के महीनों के दौरान घुसपैठ का कोई मामला ध्यान में नहीं आया है। पंजाब में घुसपैठ के कुछ प्रयास किये गये हैं।

(ख) और (ग) भारत सरकार ने पहले ही भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा बल की अतिरिक्त कम्पनियां तैनात करके तथा गश्त आदि को गहन करके सीमा की प्रभावी ढंग से रक्षा करने के लिए पर्याप्त उपाय कर लिये हैं।

भारतीय समाज सेवा का गठन

9252. **श्री अनादिचरण दास** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुशल सामाजिक प्रशासन व्यवस्था के लिए अनेक देशों में व्यावसायिकों के नियमित संवर्ग बनाये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो हमारे देश में समाज नीति, आयोजना और विकास-सम्बन्धी क्षेत्रों में विशेषज्ञों का एक संवर्ग न बनाने के क्या कारण हैं;

(ग) देश में सामाजिक प्रशासन व्यवस्था के निरन्तर हो रहे विस्तार को ध्यान में रखते हुए क्या भारतीय आर्थिक सेवा, भारतीय सांख्यिकी सेवा आदि की तरह एक भारतीय समाज सेवा गठित करने का सरकार का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) से (घ) प्रत्येक देश ने समाज सेवा को शासित करने के लिए अपनी आवश्यकताओं और विकास की स्थिति के अनुसार अपना अलग तन्त्र विकसित किया है।

सेवा के क्रियाकलापों की एकरूपता और उसकी व्यवहार्यता को ध्यान में रखते हुए एक सेवा गठित किए जाने की आवश्यकता की जांच करना उन्हीं मंत्रालयों/विभागों का दायित्व है जिनमें बहुत बड़ी संख्या में समाज-वैज्ञानिक कार्यरत हैं। अभी हाल में, इस प्रकार का कोई प्रस्ताव इस मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है।

मिराज 2000 विमान की खरीद

9253. **श्री मोहन भाई पटेल :**
श्री चिन्तामणि जेना :
श्री अमर राय प्रधान :
श्री यशवन्त राव गडाख पाटिल :
श्री पी० एम० सईद : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिराज 2000 विमान की खरीद के लिए फ्रांस की किसी कम्पनी के साथ करार किया गया है,

(ख) क्या सरकार का विचार भारतीय वायुसेना को और अधिक मजबूत बनाने के लिए ऐसे और विमान खरीदने का है,

(ग) यदि हां, तो कितने विमान खरीदने की संभावना है,

(घ) क्या सरकार का इन विमानों का देश में निर्माण करने का भी विचार है,

(ङ) यदि हां, तो क्या फ्रांस की कम्पनी के साथ ऐसा करार किया गया है, और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) से (ग) जी, हां। फ्लाइ-अवे शर्त पर कुछ मिराज-2000 विमान खरीदने के लिए फ्रांस की एक कम्पनी के साथ एक समझौता हुआ था। इस सम्बन्ध में आगे ब्यौरे देना लोक हित में नहीं होगा।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) और (च) प्रश्न ही नहीं उठते।

सिलिकान की आवश्यकता और उत्पादन

9214. **श्री आनन्दसिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वदेशी साधनों से स्थापित मैंट्टूर सिलिकान परियोजना के अतिरिक्त अमरीका की मैसर्स हेमलोक के सहयोग से आयातित तकनीक और उर्वरकों से बड़ौदा सिलिकान परियोजना स्थापित किये जाने के कारण सिलिकान की कुल उत्पादन क्षमता आगामी पांच वर्षों में देश की अनुमानित आवश्यकता से बहुत अधिक हो जाएगी;

(ख) यदि हां, तो आगामी पांच वर्षों के लिए सिलिकान की कितनी अनुमानित आवश्यकता होगी और उसका कुल कितना उत्पादन होने की सम्भावना है; और

(ग) आवश्यकता से अधिक सिलिकान का उपयोग किस प्रकार किया जाएगा और इसके निर्यात की क्या संभावनाएं हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) सरकार ने तकनीकी एवं आर्थिक व्यवहार्यता तथा स्वदेश में विकसित प्रक्रिया कितनी किफायती है, इसकी वर्तमान स्थिति का सावधानी पूर्वक मूल्यांकन करने के उपरान्त ही संयुक्त राज्य अमेरिका के हेमलॉक सैमीकण्डक्टर कारपोरेशन के साथ एक करार करने का निर्णय किया है। इसके साथ-साथ, सरकार वाणिज्यिक स्तर पर स्वदेशी प्रक्रिया का विकास करने की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों को पूर्ण सहायता प्रदान करेगी तथा राष्ट्रीय सिलिकन सुविधा के सम्बन्ध में पूंजी निवेश करने का निर्णय केवल तभी लिया जायेगा जब मेत्तूर केमिकल्स द्वारा स्थापित किए जा रहे 25 टी०पी०ए० के उत्पादन एकक द्वारा हासिल किए गए परिणामों का मूल्यांकन कर लिया जाएगा। अतः जहां तक उपर्युक्त अनुमानित आवश्यकता के लिए उत्पादन क्षमता विनिर्माण करने का सम्बन्ध है, यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(ख) इलेक्ट्रॉनिकी विभाग द्वारा गठित समझौतावार्ता समिति की रिपोर्ट के अनुसार पोलिक्रिस्टलाइन (बहु-क्रिस्टलीय) के लिए अनुमानितः वार्षिक मांग वर्ष 1990-91 में लगभग 230 मीट्रीक टन होगी। इस मांग का अधिकांश भाग सौर प्रकाशकीय (फोटोवाल्टेइक माड्यूलों के विनिर्माण के कारण उत्पन्न होगा। सौर प्रकाशकीय माड्यूलों को एक मेगावाट की उत्पादन क्षमता प्राप्त करने के लिए लगभग 25 टन पालिमिलिकन की आवश्यकता होगी।

(ग) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

सिविल सेवा परीक्षा, 1985 की उत्तर पुस्तिकाओं का गुम हो जाना

9255. **श्री आनन्द सिंह :**

श्री बनवारीलाल बेरवा : क्या **प्रधान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित की गई सिविल सेवा परीक्षा, 1985 में परीक्षा देने वाले लगभग 100 अभ्यार्थियों को एक पर्चे में दोबारा परीक्षा देने के लिए कहा गया है, क्योंकि उन अभ्यार्थियों की सामान्य ज्ञान पर्चे की उत्तर-पुस्तिकाओं का बंडल गुम हो गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में जिम्मेदारी निश्चित करने के लिए किसी जांच का आदेश दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या निष्कर्ष निकला है, और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) चूंकि सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा, 1985 में बैठने वाले 94 उम्मीदवारों के सामान्य ज्ञान के प्रश्नपत्र–II की डाक द्वारा भेजी गई उत्तर पुस्तिकायें मार्ग में गुम हो गई थीं इसलिए संघ लोक सेवा आयोग ने इन उम्मीदवारों के लिए इस प्रश्नपत्र की पुनः परीक्षा आयोजित की थी।

(ख) और (ग) चूंकि डाक से भेजी गई उत्तर पुस्तिकायें मार्ग में गुम होगई थीं इसलिए आयोग ने इस मामले को डाक प्राधिकारियों के ध्यान में ला दिया है। उन्होंने डाक विभाग से यह भी अनुरोध किया है कि परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की आवाजाही के लिए विशेष प्रबन्ध करने पर विचार करें ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

लाटरी टिकट

9256. **श्री आनन्द सिंह** : क्या **गृह** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान समाचार पत्रों में बार-बार प्रकाशित हो रहे इस आशय के समाचारों की ओर दिलाया गया है कि कुछ लाटरी एजेंटों ने यह धन्धा बना लिया है कि लाटरी जीतने वाले टिकटों को फालतू पैसा/देकर खरीद लेते हैं और इसके बाद इससे अधिक धन लेकर धनी व्यापारियों को बेच देते हैं जिससे व्यापारियों द्वारा इस प्रकार दिया गया 67 प्रतिशत काला धन सफेद धन में बदल जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन समाचारों की जांच की है और अनुमान लगाया है कि इस प्रकार प्रतिवर्ष कितना काला धन सफेद धन में बदला जा रहा है और यदि हां, तो जांच के निष्कर्ष क्या हैं; और

(ग) सरकार ने इस प्रकार के कदाचारों को प्रभावी ढंग से रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

संचार मन्त्रालय के तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) से (ग) सरकार को, समाचार पत्रों में प्रकाशित ऐसे समाचारों की जानकारी है। जब कभी सरकार के ध्यान में कोई विशिष्ट घटनायें आती हैं, तो विभिन्न प्रत्यक्ष कर अधिनियमों के अन्तर्गत उपयुक्त कार्यवाही की जाती है।

नकली शराब की खपत

9257. **श्री एन० डेनिस** : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन वर्षों के दौरान नकली शराब पीने से प्रत्येक राज्य में कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई और कितने व्यक्ति स्थायी रूप से विकलांग हुए ?

कल्याण मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : देश में वर्ष 1983 से 1985 के दौरान निषिद्ध/नकली शराब पीने से हुई मौतों की संख्या दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। ऐसी शराब पीने से स्थायी रूप से विकलांग हुए व्यक्तियों के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है।

विवरण

देश में वर्ष 1983 से 1985 के दौरान निषिद्ध/नकली शराब पीने से हुई मौतों की संख्या दर्शाने वाला विवरण।

क्रम सं०	राज्य/के० शा० प्रदेश	1983	1984	1985
1	2	3	4	5
	राज्य			
1	आन्ध्र प्रदेश	6	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
2	असम	—	—	उपलब्ध नहीं
3	बिहार	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
4	गुजरात	8	30	उपलब्ध नहीं
5	हरियाणा	—	13	—
6	हिमाचल प्रदेश	—	1	1
7	जम्मू कश्मीर	—	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
8	कर्नाटक	29	97	95
9	केरल	1	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
10	मध्य प्रदेश	14	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
11	महाराष्ट्र	—	उपलब्ध नहीं	—
12	मणिपुर	—	—	उपलब्ध नहीं
13	मेघालय	—	2	उपलब्ध नहीं
14	नागालैण्ड	—	—	शून्य

1	2	3	4	5
15	उड़ीसा	—	30	उपलब्ध नहीं
16	पंजाब	—	29	उपलब्ध नहीं
17	राजस्थान	6	19	2
18	सिक्किम	—	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
19	तमिलनाडु	उपलब्ध नहीं	77	उपलब्ध नहीं
20	त्रिपुरा	—	—	उपलब्ध नहीं
21	उत्तर प्रदेश	उपलब्ध नहीं	30	उपलब्ध नहीं
22	पश्चिम बंगाल	—	5	उपलब्ध नहीं
	कुल (राज्य)	65	339	98
	केन्द्र शासित प्रदेश			
23	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	—	7	उपलब्ध नहीं
24	अरुणाचल प्रदेश	—	—	उपलब्ध नहीं
25	चण्डीगढ़	—	उपलब्ध नहीं	1
26	दादरा और नगर हवेली	—	—	—
27	दिल्ली	1	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
28	गोवा, दमन और दीव	—	—	उपलब्ध नहीं
29	लक्षद्वीप	—	—	—
30	मिजोरम	—	1	शून्य
31	पांडिचेरी	—	—	उपलब्ध नहीं
	कुल (केन्द्र शासित प्रदेश)	1	8	1
	कुल योग	66	347	99

टिप्पणी : आंकड़ों को अनंतिम माना जाए ।

दक्षिण ध्रुव (अंटार्कटिका) में किये गये अध्ययनों और वहां पाये गये पशुओं के बारे में प्रदर्शनार्थ चलचित्र बनाना

9258. **श्री टी. बाल गौड़** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण ध्रुव (अंटार्कटिका) को कितने भारतीय वैज्ञानिक दल भेजे गये हैं;

(ख) इन यात्राओं पर कुल कितनी राशि व्यय की गई और उनके क्या निष्कर्ष निकले हैं;

(ग) क्या दक्षिण ध्रुव के बारे में किये गये गवेषणात्मक अध्ययनों और वहां पाये जाने

वाले पशुओं के संबंध में सामान्य जनता की जानकारी हेतु कोई चलचित्र बनाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, यो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी. पाटिल) :(क) अंटार्कटिका को अब तक पांच वैज्ञानिक अभियान दल भेजे जा चुके हैं ।

(ख) प्रथम चार अभियानों के दौरान कुल व्यय 15.75 करोड़ रुपये किया गया और पांचवें अभियान पर 5 करोड़ रुपये की लागत का अनुमान है । भूविज्ञान, भूभौतिकी, हिमनद विज्ञान मौसम विज्ञान, जैविकी एवं समुद्र विज्ञान के क्षेत्रों में वैज्ञानिक प्रयोग किए गए हैं और महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त की गयी है । उपग्रह एवं हाई फ्रीक्वेंसी से भारत और अंटार्कटिका के मध्य सीधे संचार सम्पर्क स्थापित किये गये हैं । रहने और कार्य करने की सुविधाओं वाले एक स्थायी मानव-युक्त स्टेशन"दक्षिण गंगोत्री" की स्थापना की जा चुकी है जहां हमारे कार्मिक वर्ष भर रह रहे हैं ।

(ग) और(घ) अभियानों के चलचित्र बनाने के दायित्व के लिए प्रत्येक अभियान दल में एक प्रशिक्षित सदस्य शामिल होता है । प्रथम चार अभियानों के वृत्तचित्र सामान्य जनता को दिखाने के लिए पहले ही रिलीज किए जा चुके हैं । पांचवें अभियान का चलचित्र अभी तैयार किया जा रहा है इन सभी चलचित्रों में पेंग्विनों, अन्य प्रकार के पक्षियों, सीलों,व्हेलों आदि जैसे प्राणि–जगत पर बहुत सामिग्री है ।

सिकन्दराबाद छावनी में राष्ट्रीय राजमार्ग पर संख्या 7 पर पुल की मरम्मत

9259. **श्री टी. बाल गौड़** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिकन्दराबाद छावनी में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-7(सिकन्दराबाद से निजामाबाद होकर नागपुर तक)पर बना हुआ पुल वर्ष 1983 में ढह गया था और उसकी अभी तक मरम्मत नहीं की गयी है,

(ख) क्या लगभग 10,000 वाहनों को मजबूरन परिवर्तित मार्ग से होकर जाने के कारण प्रतिदिन लगभग 40,000 रुपये का अतिरिक्त ईंधन खर्च करना पड़ता है,

(ग) उस पुल की मरम्मत/पुनः निर्माण कब तक हो जाने की संभावना है, और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्यमंत्री (श्री अरुणसिंह) : (क) और (घ) जी, हां, पुल 1983 में ढह गया था । छावनी बोर्ड सिकन्दराबाद ने इसकी मरम्मत की और जनवरी, 1984 में यह हल्के वाहनों के यातायात के लिए खोल दिया । कई भारी वाहन परिवर्तित मार्ग से गुजरते हैं और इसके कारण अतिरिक्त ईंधन की लागत का पता नहीं लगा है । यह निर्णय

लिया गया है कि छावनी बोर्ड से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग के रख-रखाव का दायित्व आंध्रप्रदेश सरकार को हस्तान्तरित किया जाय। आंध्रप्रदेश सरकार इस निर्णय से सहमत है। पुल की मरम्मत पुनर्निर्माण पर राज्य सरकार को विचार करना होगा।

[हिन्दी]

लघु रक्षा उपकरणों का आयात

9260. **प्रो० निर्मलाकुमारी शक्तावत** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में लेंसर रेंज फाइंडर थर्मल गणवेश रात्रि दर्शन चश्मो वांकी–टाकी आदि जैसे छोटे रक्षा उपकरणों का भी आयात किया जा रहा है;

(ख) क्या अभी तक देश में इसका निर्माण आरम्भ नहीं किया जा रहा है; और

(ग) उपर्युक्त उपकरणों का आयात किन-किन देशों से किया जा रहा है, और वर्ष 1986–87 के दौरान उन पर कितना धन व्यय होने की सम्भावना है ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण सिंह) : (क) और (ख) हमारी सुरक्षा आवश्यकताओं को मद्देनजर रखते हुए उपकरण की खरीद में सरकार की पहली प्राथमिकता, सेनाओं की लड़ाकू क्षमता सुनिश्चित करना होता है। इससे प्रारम्भिक लक्ष्य के रूप में, प्रथम कदम, स्वदेशी उपकरण प्रदान करना होता है। जहां ऐसे उपकरण उपलब्ध नहीं होते वहां इनका आयात किया जाता है।

(ग) रक्षा आयातों के ब्यौरे देना लोकहित में नहीं होगा।

प्रमुख सामरिक टैंक "अर्जुन" का निर्माण

9261. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रमुख सामरिक टैंक "अर्जुन" कब तक तैयार हो जाएगा;

(ख) क्या यह टैंक पूर्ण स्वदेशी प्रौद्योगिकी से बनाया जा रहा है; और

(ग) इसकी युद्ध मारक क्षमता कितनी होगी और क्या यह लेसर रेंज फाइंडर से युक्त होगा ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुणसिंह) : (क) और (ख) मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन का स्वदेशी प्रौद्योगिकी के अन्तर्गत विकास किया जा रहा है। अन्तरिम उपाय के रूप में उसका केवल इन्जन पश्चिम जर्मनी से आयात किया गया है। इन्जन का देश में ही विकास करने के लिए प्रयास भी जारी है। मुख्य युद्धक टैंक–अर्जुन का देश में विकास पूरा हो जाने के पश्चात् इसका उत्पादन किया जाएगा।

(ग) मुख्य युद्धक टैंकों की युद्ध मारक क्षमता सक्रियात्मक क्षेत्र पर निर्भर करती है। मुख्य युद्धक टैंक–अर्जुन को लेसर रेंज फाइंडर से सज्जित किया जाएगा।

[अनुवाद]

"साल पेड़ के बीजों का वाणिज्यिक स्तर पर उपयोग"

9262. **श्री राधाकान्त डिगाल** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) साल पेड़ के बीजों का उत्पादन करने वाले राज्यों के नाम क्या हैं;

(ख) क्या सरकार ने साल पेड़ के बीजों का वाणिज्यिक स्तर पर उपयोग करने के लिए कोई कदम उठाये हैं;

(ग) यदि हां, तो उड़ीसा में इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गये हैं;

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, मेघालय, उड़ीसा, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल ।

(ख) राज्य सरकारों द्वारा व्यापारिक दोहन किया जा रहा है ।

(ग) और (घ) उड़ीसा में साल बीजों का व्यापारिक दोहन उड़ीसा राज्य द्वारा उड़ीसा वन निगम लिमिटेड, सिमलिपहाड़ वन विकास निगम लिमिटेड और आदिवासी विकास सहकारिता निगम के अभिकरणों के जरिए किया जाता है ।

सिलिकन परियोजनाओं की मंजूरी

9263. **श्री कृष्णसिंह** :

श्री महेन्द्रसिंह : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेट्टूर कैमिकल्स को सिलिकन, पोलिसिलिकन तथा मोनो क्राइस्टलाइन वेफरों तथा सिल्लिपो के निर्माण का लाइसेंस दिया गया है और क्या इस सम्बन्ध में प्रौद्योगिकी सहित पूरी प्रक्रिया स्वदेशी होगी;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार दिये गये लाइसेंस की मद-वार उत्पादन-क्षमता कितनी होगी;

(ग) यदि अब तक उत्पादन की मंजूरी नहीं दी गई है तो, इसके क्या कारण है;

(घ) क्या सरकार की संयुक्त राज्य अमरीका की फर्म मैसर्स हेमलॉक की प्रौद्योगिकी से बड़ौदा में राष्ट्रीय सिलिकन योजना को आरम्भ करने में अभी भी रुचि है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी

और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां। जनवरी, 1979 में आशय पत्र जारी किया गया तथा औद्योगिक लाइसेंस मार्च, 1982 में जारी किया गया जो मार्च, 1984 तक मान्य था। इसकी अवधि मार्च, 1986 तक बढ़ा दी गई थी। कम्पनी ने परीक्षण के तौर पर उत्पादन करना शुरू कर दिया है।

(ख) मेटकेम सिलिकन लि०, जो मेत्तूर केमिकल्स की एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी है, की लाइसेंसशुदा उत्पादन क्षमता नीचे दिए अनुसार है : "सिलिकन (धातु) शुद्ध इलैक्ट्रानिक ग्रेड तथा सिलिकन वेफर–वार्षिक उत्पादन क्षमता 10,000 (दस हजार किलोग्राम)"

(ग) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) और (ङ.) फरवरी, 1985 में "सरकार ने तकनीकी एवं आर्थिक व्यवहार्यता तथा स्वदेश में विकसित प्रक्रिया कितनी किफायती है, इसकी वर्तमान स्थिति का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करने के उपरान्त ही संयुक्त राज्य अमेरिका के हेमलॉक सेमीकण्डक्टर कारपोरेशन के साथ एक करार करने का निर्णय किया है। इसके साथ-साथ, सरकार वाणिज्यिक स्तर पर स्वदेशी प्रक्रिया का विकास करने की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों को पूर्ण सहायता प्रदान करेगी तथा राष्ट्रीय सिलिकन सुविधा के सम्बन्ध में पूंजीनिवेश करने का निर्णय केवल तभी लिया जायेगा जब मेत्तूर केमिकल्स द्वारा स्थापित किए जा रहे 25 टी० पी० ए० के उत्पादन एकक द्वारा हासिल किए गए परिणामों का मूल्यांकन कर लिया जाएगा"।

मेटकेम सिलिकन लिमिटेड जो मेत्तूर केमिकल्स एण्ड इंडस्ट्रियल लि० की पूर्ण स्वामित्व की एक सहायक कम्पनी के रूप में गठित की गई है, ने सरकार को दिनांक 3 मार्च, 1986 को सूचित किया था कि "उनके उत्पादन संयंत्र में आरम्भिक कार्य सुव्यवस्थित ढंग से चल रहा है।" 12 अप्रैल, 1986 को कम्पनी ने सरकार को सूचित किया कि संयंत्र में कुछ फेरबदल करने और कुछ वाल्वों एवं यंत्रीकरण में पाए गए कतिपय दोषों को ठीक करने के लिए मार्च, 1986 के अन्तिम सप्ताह में उसे बन्द करना पड़ा। ये फेरबदल करने के बाद संयंत्र को पुनः चालू कर दिया गया है।

दिनांक 24 अप्रैल, 1986 को मेटकेम सिलिकन लि० ने सरकार को सूचित किया कि "अब उनके संचालन–कार्य सुस्थिर है" और "जब तक संयंत्र उचित उत्पादन क्षमता के साथ और बगैर बाधा या व्यवधान के साथ काम नहीं करता, तब तक प्रचालन के परिणामों के बारे में बताना भ्रामक होगा" और यह भी कि "हम जैसे ही अपने उचित और अभिष्ठ संचालन कार्य का लक्ष्य हासिल कर लेंगे वैसे ही तकनीकी एवं आर्थिक प्रचालन के आंकड़े उपलब्ध हो जायेंगे।

मेत्तूर सिलिकन परियोजना की लागत और उत्पादन क्षमता

9264. **श्री कृष्ण सिंह** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मेत्तूर सिलिकन परियोजना के पूरा होने पर कितनी लागत आई है और इसमें कितनी मुद्रा व्यय हुई है; विदेशी

(ख) इसकी अधिष्ठापित उत्पादन क्षमता क्या है और उत्पादन क्षमता के किस स्तर तक उत्पादन हो रहा है; और

(ग) आगामी पांच वर्षों में नोनो और पोलीक्रिस्टेलीन सिलिकन की अनुमानित आवश्यकता क्या है और यदि मेत्तूर सिलिकिन परियोजना में कोई प्रस्तावित वृद्धि अथवा संशोधन करने का विचार हो तो उससे आवश्यकता को किस सीमा तक पूरा किया जा सकेगा ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) मेटकेम सिलिकन लि०, जो मेत्तूर केमिकल्स एण्ड इंडस्ट्रियल लि० की एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी है, से जानकारी देने के लिए अनुरोध किया गया है । उनके उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है । अद्यतन प्रगति रिपोर्ट के अनुसार, पॉलिसिलिकन उत्पादन क्षमता के केवल एक भाग को ही चालू किया गया है तथा कम्पनी इस समय परीक्षणात्मक उत्पादन कर रही है ।

(ग) पॉलिक्रिस्टेलिन सिलिकन जिससे मोनोक्रिस्टेलिन सिलिकन बनाया जाता है, इलैक्ट्रॉनिकी विभाग द्वारा स्थापित की गई समझौता वार्ता समिति की रिपोर्ट के अनुसार, पॉलिक्रिस्टेलिन सिलिकन की अनुमानित वार्षिक मांग नीचे दिए अनुसार थी :—

1984–85	20 मीटरी टन
1990–91	230 मीटरी टन

मुख्य मांग सौर–प्रकाशिकीय सेल्स के लिए होगी । फोटो वोल्टेइक माड्यूल क्षमता को 1 मेगावाट की उच्चतम उत्पादन क्षमता के लिए लगभग पालिसिलिक 25 टन की आवश्यकता होगी ।

मेटकम सिलिकन लि० द्वारा प्रस्तावित पॉलिसिलिकन संयंत्र की क्षमता 25 मीटरी टन से कम है । सरकार के पास मेत्तूर सिलिकन परियोजना के लिए उसमें परिवर्द्धन करने अथवा संशोधन करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

भारतीय आतंकवादियों को प्रशिक्षण न देने के बारे में अमरीकी आश्वासन

9265. **श्री कृष्ण सिंह** : क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी सरकार ने हाल ही में भारत सरकार को आश्वासन दिया है कि वे तोड़-फोड़ की गतिविधियों के लिए प्रशिक्षण शिविरों में भारतीय आतंकवादियों सहित किसी भी विदेशियों को अनुमति नहीं देंगे;

(ख) यदि हां, तो क्या अब तक भारतीय आतंकवादियों सहित विदेशियों को अमरीका में उनको अनुमति अथवा बिना अनुमति के शिविरों में ऐसा प्रशिक्षण दिया जाता रहा था;

(ग) क्या हाल ही में दिए गए आश्वासन को देखते हुए भारत-अमरीकी सम्बन्धों में सुधार करने की दिशा में कोई नया मोड़ आया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) भारत सरकार को सूचित किया गया है कि अमरीकी सरकार भारत के विरुद्ध कार्यवाहियों के लिए संयुक्त राज्य अमरीका में उग्रवादियों की गतिविधियों का अड्डा न बनने देने के लिए अपने प्रयास जारी रखेगी। जनवरी, 1985 से संयुक्त राज्य अमरीका के कानून में यह प्रावधान कर दिया गया है कि किसी भी प्रशिक्षण को किसी विदेशी राष्ट्रिक को हथियारों का प्रयोग का प्रशिक्षण देने से पूर्व लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक होगा।

(ख) जी हां। हमें यह मालूम है कि भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों ने जनवरी, 1985 से पूर्व जबकि विदेशियों के सम्बन्ध में इसके लिए अनुमति आवश्यक नहीं थी, संयुक्त राज्य अमरीका में इस प्रकार का प्रशिक्षण प्राप्त किया था।

(ग) और (घ) इस प्रकार की कार्यवाहियों से भारत-अमरीका सम्बन्धों के विकास के लिए स्थिति को सुधारने में सहायता मिली है।

देश में आपराधिक मामलों को निपटाने के लिए विशेष न्यायालय स्थापित करने का प्रस्ताव

9266. **श्री सी० अंगा रेड्डी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में बकाया पड़े आपराधिक मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए विशेष न्यायालय स्थापित करने का विचार है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

आंतरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) और (ख) सरकार का विभिन्न राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में बकाया पड़े आपराधिक मामलों को निपटाने के लिए विशेष न्यायालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के साथ परामर्श करके दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अन्तर्गत न्यायालयों की संख्या बढ़ाकर बकाया मामलों को निपटाया जा सकता है और इस प्रयोजन के लिए विशेष न्यायालय स्थापित करना आवश्यक नहीं है।

[हिन्दी]

राजस्थान के बीकानेर जिले में चांदमारी के लिए भूमि का अर्जन

9267. **श्री बुद्धि चन्द्र जैन** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार राजस्थान के बीकानेर जिले में चांदमारी के लिए 34 गांवों की समस्त भूमि का अर्जन कर रही है;

(ख) क्या यह भी सच है कि भूमि, रिहायशी मकानों आदि के अर्जन के लिए अदा की जा रही मुआवजे की राशि पूर्णतः अपर्याप्त है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार के सहयोग से उन्हें इंदिरा गांधी नहर के साथ चंद्रावल बांध सिस्टम में बसाने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ङ.) यदि नहीं, तो क्या उन्हें वहीं कहीं पर पुनः बसाने के लिए एक योजना तैयार करने का विचार है ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण सिंह) : (क) सरकार पहले 34 गांवों की भूमि अर्जित करना चाहती थी लेकिन अन्त में उसने इस अर्जन में फुलेजी गांव को शामिल न करने का निर्णय किया ।

(ख) जी, नहीं । मुआवजा राजस्थान भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1953 की शर्तों और दिए गए मुआवजे से असन्तुष्ट भू-धारकों द्वारा दायर की गई "रिट" के सम्बन्ध में राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा 18-10-1985 को पारित किये गये आदेशों के अनुसार अदा किया जा रहा है ।

(ग) से (ङ.) बेदखल लोगों के पुनर्वास के लिए एक योजना बनाई गई है और इससे 23-11-1985 को राजस्थान सरकार ने विज्ञापित किया है और उन्हीं के द्वारा इसे कार्यान्वित किया जाएगा ।

सम्बन्धित अधिसूचना सभा पटल पर रखी जाती है ।

[ग्रन्थालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 2733/86]

[अनुवाद]

सामाजिक वानिकी परियोजना के लिए विश्व बैंक से सहायता

9268. **श्री बुद्धि चन्द जैन** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में विश्व बैंक की सहायता से राष्ट्रीय सामाजिक वानिकी की परियोजना प्रारम्भ की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्यमन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) जी, हाँ ।

(ख) ब्यौरे निम्न प्रकार से हैं :–

1.	परियोजना परिव्यय	:	39.19 करोड़ रुपये ।
2.	परियोजना अवधि	:	1985-86 से 1989-90.
3.	विश्व बैंक/यू० एस० ए० आई०डी० से सहायता	:	यू.एस. 25.2 $ मिलियन (अर्थात लगभग 30.24 करोड़ रुपये)
4.	परियोजना 1,28,800 हेक्टेयर के क्षेत्र में वनरोपण के लिए विचार करती है ।		

केरल के समुद्र तट पर तटरक्षक केन्द्र

9269. **श्री मूल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल के समुद्र तट पर कितने तट रक्षक केन्द्र हैं;

(ख) क्या ये केन्द्र समुद्र तट की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार कालीकट तथा कन्नानौर में तट रक्षक केन्द्र स्थापित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरूण सिंह) : (क) कोई नहीं । कोचीन में जिला मुख्यालय स्थापित किया जा रहा है । इस समय इसमें केवल कुछ ही कर्मचारी कार्य कर रहे हैं किन्तु इस वर्ष यह पूरी तरह से कार्य करना शुरू कर देगा ।

(ख) फिलहाल केरल के समुद्र तट सहित पश्चिमी घाट, क्षेत्रीय मुख्यालय, बम्बई के अधीन आता है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

शिक्षा संस्थाओं को साइंस रिपोर्टर पत्रिका की मानार्थ प्रतियां

9270. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (सी० एस० आई० आर०) की मासिक पत्रिका "साइंस रिपोर्टर" अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां देश की सभी शिक्षा संस्थाओं तथा पुस्तकालयों को निःशुल्क सप्लाई की जाती हैं;

(ख) नहीं हों, तो क्या सरकार का विचार सभी मान्यता प्राप्त स्कूलों और कालेजों के पुस्तकालयों को उक्त मासिक पत्रिका की मनार्थ प्रतियां सप्लाई करने का है; और

(ग) क्या "साइंस रिपोर्टर" तथा सी० एस० आई० आर० की विज्ञान सम्बन्धी अन्य पत्रिकाओं को खुले बाजार में बेचने के लिए उनके मूल्यों में वृद्धि करने का सरकार का विचार है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु, ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी नहीं । साइंस रिपोर्टर की प्रतियां केवल तीन राष्ट्रीय पुस्तकालयों (कलकत्ता, बम्बई और मद्रास) और संसद सदस्यों को निःशुल्क भेजी जाती हैं ।

(ख) अभी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है । तथापि, साइंस रिपोर्टर की कीमत को बहुत ही कम अर्थात एक रुपए की प्रति और दस रुपये वार्षिक शुल्क रखा गया है जिससे विद्यालयों और महाविद्यालयों के पुस्तकालय आसानी से इसे खरीद सकें ।

(ग) जी हां । साइंस रिपोर्टर का नया मूल्य दो रु० की एक प्रति और 20 रुपये वार्षिक होगा । साइंस रिपोर्टर के अतिरिक्त "विज्ञान प्रगति" और "साइंस की दुनियां" दो अन्य लोकप्रिय पत्रिकाओं का शुल्क भी संशोधित किया जा रहा है। तथापि, प्रकाशन एवं सूचना निदेशालय (पी० आई० डी०) द्वारा प्रकाशित वैज्ञानिक और तकनीकी पत्रिकाओं का शुल्क अभी वर्तमान में संशोधित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

अनुसूचित जातियों/जनजातियों के भारतीय प्रशासकीय सेवा के अधिकारियों का अपने राज्य संवर्ग में आबंटन

9271. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में भारतीय प्रशासकीय सेवा के अधिकारियों के आबंटन के लिए निर्धारित मानदण्ड क्या है; और

(ख) क्या सरकार एक राज्य विशेष के पिछड़े समुदायों, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के भारतीय प्रशासकीय सेवा के अधिकारियों का एक निश्चित प्रतिशत उसी राज्य को आबंटित करने जिससे कि वे संबंधित हैं सम्बद्ध नियमों में संशोधन करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ।

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) और (ख) भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रत्येक संवर्ग में सीधी भर्ती के उम्मीदवारों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों में से, एक तिहाई रिक्तियां उसी राज्य के अधिकारियों द्वारा और बाकी रिक्तियां अन्य राज्यों के अधिकारियों द्वारा भरी जाती हैं। आन्तरिक (इन्साइडर्स) अधिकारियों का आबंटन उनके द्वारा अपने मूल राज्य के लिए दी गई तरजीह के अध्यधीन उनके रैंक के अनुसार किया जाता है । बाह्य (आउटसाइडर्स) अधिकारियों का आबंटन एक निर्धारित रोस्टर के आधार पर किया जाता है । अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जातियों के अधिकारियों को भी प्रत्येक संवर्ग में, उनके लिए निर्धारित रिक्तियों पर जिसमें आन्तरिक (इन्साइडर्स) और बाह्य (आउटसाइडर्स) दोनों किस्म की रिक्तियां होती हैं, उपर्युक्त सिद्धान्तों के अनुसार विभिन्न राज्यों को आबंटित किया जाता है ।

चूंकि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के लिए उपलब्ध आरक्षण संविधान के उपबन्धों के अनुरूप ही होता है और यह कि पिछड़े समुदायों के लिए कोई ऐसा आरक्षण उपलब्ध नहीं होता अतः सरकार का ऐसी व्यवस्था करने का कोई इरादा नहीं है कि किसी विशिष्ट राज्य के पिछड़े समुदायों के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का कोई प्रतिशत उसी राज्य को आबंटित किया जाए ।

केरल में रक्षा सेनाओं के भर्ती कार्यालय

9272. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में रक्षा सेनाओं के कितने भर्ती कार्यालय हैं तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) केरल में वर्ष 1983 से अब तक वर्षवार तथा वर्गवार कितने व्यक्ति भर्ती किये गये ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण सिंह) : (क) केरल में रक्षा सेनाओं के तीन भर्ती कार्यालय इस प्रकार हैं :

(1) थल सेना और नौसेना :

1. त्रिवेन्द्रम और
2. कालीकट

(2) वायु सेना : कोचीन

(ख) ब्यौरे प्रकट करना लोकहित में नहीं होगा ।

[हिन्दी]

अनाथ बच्चे तथा उनकी देखभाल

9273. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में कितने अनाथ बच्चे हैं और उनकी देखभाल कौन करता है और गत तीन वर्षों के दौरान मद-वार कितनी धनराशि खर्च की गई तथा प्रत्येक अनाथ बच्चे पर औसतन कितनी धनराशि खर्च की गई,

(ख) देश में अनाथ बच्चों की देखभाल करने वाली स्वयं सेवी संस्थाओं/संगठनों के नाम क्या हैं, तथा ये संस्थायें किन-किन स्थानों पर कार्य कर रही हैं,

(ग) क्या सरकार इन संस्थाओं–संगठनों को कोई वित्तीय सहायता देती है, और

(घ) यदि हां तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष प्रत्येक संस्था को कितना अनुदान दिया गया ?

कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री गिरधर गोमांगो) : (क) देश में अनाथ बच्चों की संख्या का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है । सरकार तथा स्वयंसेवी संगठन (दोनों ही) इनकी देखभाल करते हैं । केन्द्र सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान निम्नलिखित धनराशि खर्च की है :—

1983-84 — 1,46,78,838 रुपये

1984-85 — 1,69,99,465 रुपये

1985-86 — 1,84,27,552 रुपये

सुरक्षा और देखभाल के जरूरत मंद बच्चों के कल्याण की योजना के तहत प्रत्येक बच्चे के अनुरक्षण पर 150/- रुपये प्रतिमास औसत खर्च होता है। इसके अलावा, गृह-निर्माण, फर्नीचर आदि जैसे अनावर्ती खर्चों के लिए भी अनुदान दिए जाते हैं।

(ख) मंत्रालय, देश में अनाथ बच्चों की देखभाल करने वाले स्वयंसेवी संगठनों की सूची नहीं रखता।

(ग) जी हां,

(घ) संस्थाओं को अनुदान सीधे न देकर राज्य सरकारों के माध्यम से दिया जाता है। सुरक्षा और देखभाल के जरूरत मन्द बच्चों के कल्याण की योजना के तहत गत तीन वर्षों के दौरान राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों को दिए गए अनुदान (लाभ भोगियों की संख्या सहित) दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क्रम संख्या	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश का नाम	1983–84		1984–85		1985–86	
		लाभ भोगियों की संख्या	राशि रु०	लाभ भोगियों की सं०	राशि रु०	लाभ भोगियों की सं०	राशि रु०
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आंध्र प्रदेश	2750	17 65,713	2900	11 71,550	3025	25,63,348
2	असम	475	3,44,580	525	3,66,709	665	5,87,421
3	बिहार	1225	4,20,983	1325	5,13,715	1350	2,74,138
4	गुजरात	675	5,03,851	725	3,92,856	900	4,90,133
5	हरियाणा	440	1,33,492	440	1,76,000	465	2,13,638
6	हिमाचल प्रदेश	50	21,500	70	2,20,991	70	40.200
7	जम्मू एवं कश्मीर	—	—	–	—	—	
8	कर्नाटक	3640	15,39,878	3640	15,77,500	3740	8,83,610
9	केरल	1200	9,29,700	1200	4,80,000	1200	2,40,000
10	मध्य प्रदेश	525	90,511	575	2,67,826	775	8,78,250
11	महाराष्ट्र	1870	10,67,486	1920	9,53,900	2170	20,45,143
12	मेघालय	500	2,88,000	500	2,00,000	500	5,82,740
13	मणिपुर	150	74,528	150	60,000	175	1,08,811
14	नागालैण्ड	275	2,00,000	275	1,98,730	325	6,94,612
15	उड़ीसा	810	4,35,258	874	4,84,464	924	7,79,938
16	पंजाब	225	69,611	225	90,000	275	1,82,000
17	राजस्थान	1625	4,94,929	1700	7,26,725	2100	3,67,346

1	2	3	4	5	6	7	8
18	सिक्किम	50	1,23,345	50	20,000	50	10,000
19	तमिलनाडु	6486	33,46,343	7161	44,92,156	7961	31,81,665
20	त्रिपुरा	400	72,742	400	3,39,523	450	1,31,525
21	उत्तर प्रदेश	2800	4,93,388	2825	11,20,000	3000	2,69,001
22	पश्चिम बंगाल	2365	11,43,398	2640	19,51,344	3765	23,49,112
	योग	28536	1,35,59,336	30120	1,58,03,989	33885	1,68,72,631
23	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	75	86,400	75	1,74,162	100	1,15,450
24	अरूणाचल प्रदेश	145	2,42,175	145	1,16,000	145	58,000
25	चंडीगढ	—	—	—	—	—	—
26	दादर एवं नगर हवेली	—	—	—	—	—	—
27	देहली	150	2,23,629	1098	2,58,545	1098	6,36,900
28	गोवा, दमन, दीव	255	2,45,952	280	3,46, 69	280	1,02,000
29	लक्षद्वीप एवं मिनीकाय द्वीप समूह	—	—	—	—	—	—
30	मिजोरम	25	28,800	25	20,000	25	—
31	पांडिचेरी	350	2,92,566	350	2,80,000	350	6,42,571
	योग (केन्द्रशासित प्रदेश)	1000	11,19,502	1973	11,95,476	1998	15,54,921
	कुल योग (राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश)	29536	1,46,78,838	32093	1,69,99,465	35883	1,84,27,552

[अनुवाद]

असम के चाय बागानों में 20-सूत्री कार्यक्रम

9274. **श्री भद्रेश्वर तांती** : क्या **कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 20 सूत्री कार्यक्रम असम के चाय बागानों पर भी लागू किया गया है;

(ख) यदि हां, तो असम के चाय बागान श्रमिकों को अब तक क्या सहायता प्रदान की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री ए०बी०ए० गनी खान चौधरी) : (क) से (ग) संशोधित 20 सूत्री कार्यक्रम को असम सरकार द्वारा पूरे राज्य में कार्यान्वित किया जा रहा है। असम में चाय बागानों के मजदूरों को दी गई वित्तीय सहायता के बारे में विशिष्ट सूचना उपलब्ध नहीं है।

अनुसंधान के रूप में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के कार्य-निष्पादन में सुधार हेतु कदम

9275. **प्रो०पी०जे० कुरियन** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्च प्रौद्योगिकी अथवा आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान परिषद् में वैज्ञानिक और औद्योगिक के समग्र कार्यनिष्पादन का कोई मूल्यांकन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अनुसंधान के रूप में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के कार्यनिष्पादन में सुधार करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) यद्यपि सरकार द्वारा इनका कोई मूल्यांकन नहीं किया गया है। सी० एस० आइ० आर० की प्रत्येक प्रयोगशाला के अनुसंधान कार्यक्रम उसकी कार्यकारी समिति और अनुसंधान सलाहकार परिषद् द्वारा अनुमोदित तथा नियमित रूप से मूल्यांकित किए जाते हैं। इनमें सरकारी विभागों, उद्योगों और विश्वविद्यालयों के वरिष्ठ स्तर के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। एक वर्ष में कार्यकारी समिति की कम से कम चार और अनुसंधान सलाहकार परिषद् की दो बैठकें करना आवश्यक हैं।

(ख) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (सी०एस०आई०आर०) के अनुसंधान की कार्यकुशलता को और अधिक उन्नत करने के लिए उठाये गये उपायों में से कुछ इस प्रकार हैं :—

(1) पुरानी प्रयोगशालाओं में अनुसंधान सुविधाओं का आधुनिकीकरण ।

(2) संसाधनों के निर्धारित परिमाणों के निवेश और उत्पादन के उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के साथ अनुसंधान परियोजनाओं का गंभीर और परिणामदर्शी चयन ।

(3) सरकारी विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और अन्य उपयोगर्ताओं के साथ निकटतस्थ सम्बन्धों के माध्यम से उपयोगकर्ता प्रायोजित अनुसंधान के प्रतिशत अनुपात में वृद्धि करना ।

(4) उच्चस्तरीय विज्ञान को प्रोत्साहन देना ।

(5) प्रयोगशालाओं की प्रबंध व्यवस्था (प्रणाली) का आधुनिकीकरण ।

(6) राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति में अनुसंधान और विकास का योगदान ।

देश में 430 जिलों का कम्प्यूटरीकरण

9276. **श्री यशवन्तराव गडाख पाटिल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय सूचना केन्द्र द्वारा देश के सभी 430 जिलों का कम्प्यूटरीकरण करने के लिए कोई कार्यक्रम तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस काम पर अनुमानित व्यय क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र (एन०आई०सी०) के कम्प्यूटरीकरण के विस्तार कार्यक्रम के अन्तर्गत देश के सभी जिलों को लाने का प्रस्ताव है ।

(ग) राष्ट्रीय कम्प्यूटर नेटवर्क (एन०आई०सी०एन०ई०टी०) का विकास करने के लिए जिसमें कम्प्यूटरों की प्रतिष्ठापना करना तथा क्षेत्रीय कम्प्यूटर केन्द्रों, राज्य कम्प्यूटरों तथा जिला स्तर के कम्प्यूटर केन्द्रों को आपस में जोड़ना शामिल है, के कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिकी विभाग की सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र (एन० आई०सी०) के लिए 62 करोड़ रु० की राशि की व्यवस्था की गई है ।

यमुना नदी में प्रदूषण

9277. **डा० ए० के० पटेल** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) यमुना नदी में प्रदूषण के क्या स्रोत हैं और इनमें से प्रत्येक स्रोत (कृषि अपशिष्ट सहित) से कितना प्रदूषण होता है; और

(ख) यमुना की सफाई के कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) यमुना नदी को प्रदूषित करने वाले मुख्य स्रोत अनुपचारित घरेलू मलजल, पशु-पालन सम्बन्धित गतिविधियां और उद्योगों से छोड़े गये बहिस्राव हैं। इन स्रोतों द्वारा किये गये योगदान के आंकड़े संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ख) 1977 की तुलना में, नजफगढ़ नाले से मलजल के विचलन और उसको नदी में छोड़े जाने से पूर्व सफाई के कारण संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में नदी का प्रदूषण भार 35 प्रतिशत कम हो गया है।

विवरण

यमुना नदी में प्रदूषण भार

कुल जैव—रसायन आक्सीजन मांग (बोड) योगदान किग्रा०/प्रतिदिन

फैलाव	लम्बाई किमी०	शहरी घरेलू	औद्योगिक	पशु		ग्रामीण जनसंख्या	कुल
				जलग	अन्य		
1	2	3	4	5	6	7	8
ताजे वाला का ऊर्ध्व प्रवाह	200	—	—	600	6,000	4,500	11,100
ताजेवाला से वजीराबाद	250	70,000	90,800	24,000	48,000	63,000	295,800
वजीराबाद से ओखला	25	229,300	7,500	1,125	2,250	6,000	246,175
ओखला से इटावा	375	87,200	5,800	57,750	115,500	144,000	409,250
इटावा से इलाहाबाद	550	22,700	—	4,300	43,000	69,000	139,000

संस्कृत कम्प्यूटर भाषा के रूप में

9278. **डा० ए० के० पटेल :** क्या **प्रधान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह देखा गया है कि संस्कृत, जो एक प्राकृतिक भाषा है, कृत्रिम बुद्धि विकास आदि के लिए विश्व में सर्वोत्तम कम्प्यूटर भाषा का स्थान ले सकती है और क्या इस सम्बन्ध में गहराई से अनुसंधान अध्ययन किया जा रहा है, यदि हां तो अब तक के वास्तविक निष्कर्ष क्या हैं;

(ख) क्या यह सच है कि सरकार ने पांचवीं पीढ़ी कम्प्यूटर प्रणाली के अन्तर्गत गहराई से किए गए उपरोक्त अनसंधान कार्य को शामिल करते हुए ज्ञान पर आधारित कम्प्यूटर प्रणाली के विकास के लिए एक परियोजना संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम को प्रस्तुत की है;

(ग) यदि हां, तो संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम को प्रस्तुत की गई परियोजना की रूपरेखा और उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रॉनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) कृत्रिम बुद्धि के लिए संस्कृत को कम्प्यूटर की एक प्राकृतिक भाषा के रूप में प्रयोग करने के संबंध में अध्ययन करने की दृष्टि से गहन अनुसंधान एवं अध्ययन किए जा रहे हैं ।

(ख) जी, हाँ ।

(ग) इलेक्ट्रॉनिकी विभाग ने कम्प्यूटर इंजीनियरी के अग्रणी क्षेत्रों में अनुसंधान तथा विकास कार्य को क्रियान्वित करने के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ज्ञान पर आधारित कम्प्यूटर प्रणालियों/पाँचवें सोपान की कम्प्यूटर प्रणालियों से सम्बन्धित एक परियोजना चालू की है । इस परियोजना का उद्देश्य के० बी० सी० एस०/एफ० जी० सी० एस० के क्षेत्र में अनुसंधान डिजायन और इस प्रकार की प्रणाली के प्रोटोटाइप विकास करके उसमें विशेषज्ञता हासिल करना है तथा इस प्रौद्योगिकी पर आधारित समाधानों को प्रमुख सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं पर लागू करना है । इस परियोजना के अन्तर्गत टाटा मौलिक अनुसंधान संस्थान बम्बई, राष्ट्रीय यंत्र-सामग्री प्रौद्योगिकी केन्द्र, बम्बई, भारतीय सांख्यिकी संस्थान, कलकत्ता, भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास तथा इलेक्ट्रॉनिकी विभाग के साथ मिलकर जिन महत्वपूर्ण क्षेत्रों का पता लगाया गया है उनमें अनुसंधान तथा विकास कार्यों को क्रियान्वित करने के लिए केन्द्र बिन्दु के रूप में 6 प्रमुख केन्द्रों की स्थापना की जा रही है । जिन विशिष्ट क्षेत्रों में अनुसंधान तथा विकास कार्य किए जायेंगे उनमें निम्नलिखित शामिल है : कृत्रिम बुद्धि, प्रतिरूप पहचान (पैटर्न ऐकगनिशन), कम्प्यूटर दृष्टि (चित्र वाहन) प्राकृतिक भाषा संस्थान, वाकशक्ति विश्लेषण, प्रयोजन मूलक भाषाएं, विशेषज्ञ प्रणालियाँ, कम्प्यूटर वास्तुकला आदि । इस परियोजना को योजना आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया है तथा इसको संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू० एन० डी० पी०) द्वारा सहायता की गई है ।

(घ) उपर्युक्त के अनुसार ।

चार्ल्स शोभराज को थाइलैंड भेजना

9279. **डा० ए० के० पटेल** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या थाइलैंड ने चार्ल्स शोभराज को वापस थाइलैंड भेजने का अनुरोध किया था जिसकी वहां कई घृणित अपराधों के लिए तलाश थी और यदि हां, तो अनुरोध कब किया गया था;

(ख) क्या उसको वापस भेजने का आदेश दिल्ली के मुख्य मेट्रोपोलिटिन मजिस्ट्रेट ने दिया था और उच्च न्यायालय ने भी अपनी स्वीकृति प्रदान की थी; और

(ग) थाइलैंड सरकार के अनुरोध को स्वीकार न करने के क्या कारण हैं ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) जी, हां। थाइलैंड की सरकार ने 25-10-76 को चार्ल्स शोभराज के प्रत्यर्पण के लिए अनुरोध किया था। उन्होंने 24-4-1980 को अपना यह अनुरोध फिर दोहराया था।

(ख) 1962 के प्रत्यर्पण अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसरण में दिल्ली के चीफ मैट्रोपोलिटिन मजिस्ट्रेट ने उन कथित अपराधों की जांच-पड़ताल की, जो थाइलैंड में चार्ल्स शोभराज ने किए थे। चीफ मैट्रोपोलिटिन मजिस्ट्रेट ने अपनी जांच पड़ताल के परिणामों की रिपोर्ट 30-9-85 को केन्द्र सरकार को प्रस्तुत की। उन्होंने पाया कि चार्ल्स शोभराज के विरुद्ध दो मामले ऐसे हैं जिनमें प्रथम दृष्ट्या उसे थाइलैंड को प्रत्यार्पित करने का मामला बनता है और उसके थाइलैंड प्रत्यर्पण के प्रश्न के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार के आदेश मिलने तक उसे जेल भिजवा दिया। चार्ल्स शोभराज ने चीफ मेट्रोपोलिटिन मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट के विरुद्ध दिल्ली उच्च न्यायालय में अपील की। उसने अपने थाइलैंड प्रत्यार्पण के विरुद्ध दिल्ली उच्च न्यायालय से 'स्टे आर्डर' भी ले लिया लेकिन उच्च न्यायालय ने मामले की सुनवाइयों के बाद 12-12-85 को उसकी अपील खारिज कर दी।

(ग) चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, दिल्ली की रिपोर्ट के आधार पर, जिसका बाद में दिल्ली उच्च न्यायालय की अपील में समर्थन किया गया, चार्ल्स शोभराज के प्रत्यावर्तन के लिए थाइलैंड की सरकार के अनुरोध के समर्थन में प्रथम दृष्ट्या मामला बनता है। लेकिन उच्चतम न्यायालय में शोभराज के विरुद्ध दो मामले, इस समय, विचाराधीन हैं। प्रत्यर्पण अधिनियम की धारा 31 (घ) के अनुसार फरार अपराधी किसी विदेशी राज्य को तब तक सौंपा नहीं जाएगा यदि वह किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी पाया गया हो जो उस अपराध से भिन्न हो जिसके लिए उसकी सुपुर्दगी अथवा प्रत्यर्पण की मांग की गई हो जब तक वह दोषी न पाये जाने पर या सजा की मियाद पूरी होने पर अथवा अन्यथा छोड़ नहीं दिया जाता। इस आदेशात्मक उपबन्ध और कानूनी जटिलताओं को देखते हुए उसका प्रत्यर्पण अभी तक नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

तराई के वन क्षेत्रों में आग लगना

9280. **श्री हरीश रावत** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि उत्तर प्रदेश के तराई और पहाड़ी क्षेत्रों में वनों से प्रतिवर्ष बड़े पैमाने पर आग लगती है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके परिणामस्वरूप वनों, वन उत्पादों तथा वन्य जीवों की प्रति वर्ष होने वाली हानि का निर्धारण किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस प्रकार हानि न होने देने के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं तथा इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा सम्बन्धित राज्य सरकार को दी जाने वाली सहायता का ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, हां ।

(ख) केवल वनों की क्षति का प्राक्कलन उपलब्ध है ।

(ग) राज्य सरकार के अनुसार, 1982-83 में 4,317.17 हेक्टेयर क्षेत्र जला था और 1,97,318 रुपये की क्षति का अनुमान लगाया गया था । 1983-84 के दौरान 9,603.69 हेक्टेयर क्षेत्र जला था और अनुमानित क्षति 2,30,872.35 रुपये थी । 1984-85 के दौरान 1,24,170.65 हेक्टेयर क्षेत्र जला था और अनुमानित क्षति 42,15,494 रुपये की थी । वनों की सुरक्षा के लिए राज्य क्षेत्र स्कीमे हैं जिसमें आग से सुरक्षा के उपाय शामिल हैं । उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों में यू० एन० डी० पी० की सहायता से सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के लिए दावानल के रोकने, पता लगाने उन्मूलन के लिए युक्ति करने परीक्षण एवं सिद्धान्तों और तकनीकियों के प्रदर्शन करने के लिए एक केन्द्रीय क्षेत्र प्रायोगिक परियोजना आरम्भ की गई है ।

उत्तर प्रदेश में रक्षा भर्ती कार्यालय

9281. **श्री हरीश रावत** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में रक्षा सेवाओं के तीनों अंगों के प्रत्येक के कितने भर्ती कार्यालय कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या वर्तमान भर्ती कार्यालय की संख्या पर्याप्त है; और

(ग) यदि नहीं, तो रक्षा सेनाओं के किस अंग के भर्ती कार्यालय निर्धारित संख्या की तुलना से कम हैं और उनकी संख्या बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण नेहरू) : (क) उत्तर प्रदेश में 11 रक्षा भर्ती कार्यालय इस प्रकार है :—

थल सेना एवं नौ सेना के लिए :

1. लखनऊ	2. मेरठ	3. वाराणसी
4. बरेली	5. आगरा	6. अल्मोड़ा
7. लैन्सडौन	8. पिथौरागढ़	9. अमेठी
10. कुनराघाट		

वायु सेना के लिए :

कानपुर 1 इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश के उत्तरी–पश्चिमी जिले वायु सेना स्टेशन नई दिल्ली के अधिकार-क्षेत्र में आते हैं।

(ख) और (ग) मौजूदा भर्ती कार्यालय राज्य की आवश्यकता के लिए पर्याप्त हैं। उत्तर प्रदेश में और भर्ती कार्यालय स्थापित करने के बारे में लगातार समीक्षा की जाती है।

"पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को वानिकी अपनाने के लिये प्रोत्साहन-देना"

9282. **श्री हरीश रावत** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को अपनी भूमि पर वन लगाने के लिए प्रोत्साहित करने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजन के लिए कितनी राशि निर्धारित की गई है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) परती भूमि विकास कार्यक्रम में देश में निजी भूमि सहित निम्नीकृत भूमि में व्यापक पैमाने पर वनरोपण का लक्ष्य है। कार्यक्रम जो कि फार्म वानिकी की परिभाषा के तहत आयेगा, वह देश के पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए समान रूप से लागू होगा।

(ख) इस सम्बन्ध में कार्यकारी योजना का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। वर्ष 1986-87 में सामाजिक वानिकी के लिए प्रमुख केन्द्रीय स्त्रोतों से 255 करोड़ रुपये का परिव्यय है तथा राज्यों द्वारा लगभग 150 करोड़ रुपये की व्यवस्था किए जाने की आशा है। निजी स्वामित्व वाले पहाड़ी क्षेत्रों के लिए कोई विशिष्ट योजना नहीं है।

विवरण

परती भूमि विकास के लिये कार्यकारी योजना

(1) **परती भूमि का अभिनिर्धारण :**

प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकार से अपने क्षेत्र में परती भूमि के अभिनिर्धारण

का अनुरोध किया गया है चाहे वे वन क्षेत्र, राजस्व/सामान्य भूमि या अवनत कृषि भूमि हों।

(2) **जनता की भागीदारी** :

इसको निम्नलिखित उपायों से सुनिश्चित किया जाएगा :–

(क) विकेन्द्रित नर्सरियां : जनता की नर्सरियां अर्थात किसानों, स्कूलों, महिलाओं, युवा दलों, स्वैच्छिक ऐजेंसियों इत्यादि को पौधों की बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

(ख) फार्म वानिकी : किसानों को उनकी सीमांत भूमि और खेती की मेढ़ों पर वृक्षों की फार्मिंग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। पौधों के वितरण हेतु एक विवेकशील नीति तैयार की जानी चाहिए।

(ग) वृक्ष उगाने वालों की सहकारी समिति : पौधों को लगाने और वितरण में तथा वृक्ष लगाने के लिये वृक्ष उगाने वालों की सहकारी समितियों को संगठित किया जाना चाहिए।

(घ) स्वैच्छिक संगठन : व्यापक आधार वाले संगठनों, महिला मण्डलों, युवा दलों को नर्सरी, उगाने और पेड़ लगाने के लिये प्रोत्साहित किया जाएगा।

(ड.) पेड़ों के पट्टे : सड़कों, रेल, नहरों इत्यादि और अन्य निम्नीकृत भूमि को ग्रामीण निर्धनों को इस जमीन पर उनके द्वारा लगाये गये वृक्षों पर भोगाधिकार सहित, दे दिया जाना चाहिए।

(3) **नोडल एजेंसी** :

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से विभिन्न अभिकरणों, सरकारी व अन्यों द्वारा क्रियान्वित किये जा रहे कार्यक्रमों को अमल में लाने के लिये एक समेकित नीति को सुनिश्चित करने हेतु एक एकल नोडल एजेंसी के अभिनिर्धारण के लिये अनुरोध किया गया है।

(4) **बीज** :

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से किसानों को व्यापारिक आधार पर चारा घास और फलीदार बीजों की आपूर्ति हेतु विद्यमान राज्य बीज निगमों के क्रियाकलाप की भूमिका में विस्तार करने का अनुरोध किया गया है।

(5) भूमि को पट्टे पर देना : राज्य/संघ क्षेत्र सरकारों से ग्रामीण निर्धनों को वनरोपण हेतु वन तथा गैर वन परती भूमि पट्टे पर देने के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त तैयार करने का अनुरोध किया गया है।

(6) वन आधारित उद्योगों को, उनके द्वारा अपेक्षित कच्चे माल के उत्पादन हेतु परती भूमि पर वनरोपण के लिए, प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ग्रामीण निर्धनों को रोजगार प्रदान करने के साथ-साथ उन्हें लाभप्रद आधार पर वृक्ष उगाने के योग्य बनाने की दृष्टि से परती भूमि पर वृक्ष आवरण उगाने के लिए उद्योगों को उत्साहित भी किया जाना चाहिए। राज्य सरकारों

से, इस विषय में उद्योगों को परती भूमि पट्टे पर दिये जाने के लिए, मार्गदर्शी सिद्धान्त तैयार करने का अनुरोध किया गया है ।

(7) **शहरी ईंधन की लकड़ी और हरित पट्टियां :**

राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है कि शहरी ईंधन की लकड़ी और चारे की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ईंधन की लकड़ी और चारे के पौधों की हरित पट्टियां कस्बों और शहरों में लगाई जायें ।

(8) **निम्नीकृत वन क्षेत्र :**

राज्यों से, निम्नीकृत वन-भूमि के अभिज्ञान और ईंधन की लकड़ी और इनके चारे की प्रजातियों से पुनः वनरोपण करने का अनुरोध किया गया है ।

(9) **वन विकास निगम :**

वन विकास निगमों को ईंधन की लकड़ी और चारे के पौधे लगाने के लिये सरकारों से परती भूमि पट्टे पर लेनी चाहिए ।

(10) **सरकारी विभाग :**

सरकारी विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य निकाय/संस्थानों जिनके पास पर्याप्त अप्रयुक्त भूमि है, ऐसी भूमि को वृक्षारोपण के अन्तर्गत लाना चाहिए ।

(11) **माध्यम एवं संचार :**

जनता में जागरुकता लाने के लिए लोक कला और संस्कृति के परम्परागत माध्यम, रेडियो, टेलिविजन और अन्य श्रव्य-दृश्य माध्यमों के द्वारा व्यापक प्रचार अभियान चलाया जाना चाहिए ।

(12) **प्रबोधन एवं मूल्यांकन :**

राज्य/संघ राज्य सरकारों को कार्यक्रम के गुणात्मक क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त प्रबोधन और मूल्यांकन तंत्र विकसित करना चाहिए ।

"बांज के पेड़ को राष्ट्रीय वृक्ष घोषित करना"

9283. **श्री हरीश रावत :** क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय का विचार हिमालय क्षेत्र में पाये जाने वाले बांज के पेड़ की पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण राष्ट्रीय वृक्ष घोषित करने का है;

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना में हिमालय क्षेत्र में बांज के पेड़ लगाने के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है;

(ग) क्या सातवीं पचवर्षीय योजना के दौरान इस क्षेत्र में बांज के पेड़ लगाने के लिये विशेष प्रयत्न करने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं और इस योजना के अन्तर्गत कितने पेड़ लगाने और उन पर कितनी राशि खर्च होने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) विवरण एकत्र किए जा रहे हैं और सभा पटल पर रख दिये जाएंगे।

(ग) और (घ) स्थानीय लोगों के लिए महत्वपूर्ण देशज वृक्षों के पौधरोपण पर बल देने के लिये राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी कर दिए गये हैं। बांज वृक्षारोपण की किसी विशेष योजना का प्रस्ताव नहीं है, यद्यपि बांज वृक्ष कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण भाग होगा। स्थान विशेष की प्रजातियों का निर्णय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को करना होगा जो कि निस्सन्देह जनता की अभिरूचि सहित तमाम संगत कारणों पर विचार करेगी।

[अनुवाद]

नौसैनिक क्रिया कलापों के संवर्धन और प्रोत्साहन के लिए किए गए उपाय

9284. **श्री हुसैन दलवाई** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश को अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए अपने तटवर्ती क्षेत्रों में नौसैनिक जागरूक रखना होगा;

(ख) सरकार द्वारा भारत में नौसैनिक क्रियाकलापों के संवर्धन और प्रोत्साहन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या नौसैनिक क्षेत्रों में नौसेना संवर्ग में लोगों की रूचि पैदा करने के लिए भारत में नौसैनिक क्रिया कलापों का सवर्धन करना आवश्यक है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) युद्ध के समय देश के समुद्री हितों की रक्षा करने के लिए स्वयं को सक्षम बनाना नौसेना के क्रियाकलापों में शामिल है और इसका तदनुसार विकास करने के लिए सरकार उचित कदम उठाती है।

(ग) नौसैनिक क्रियाकलापों को प्रोत्साहन देने का सम्बन्ध भारतीय युवाओं का विकास, हमारी समुद्री संपदाओं के उपयोग में सहायता देना और नौसेना के लिए आवश्यक कार्मिक उपलब्ध कराने से भी है।

(घ) नौसेना की नौकरी के लिए युवाओं में रूचि पैदा करने के उद्देश्य से टेलीविजन तथा रेडियो में इस सम्बन्ध में कार्यक्रम प्रदर्शित किए जाते हैं। सरकार ने राष्ट्रीय कैडिट कोर के नौसैनिक विंग को प्रोत्साहन दिया हैं और समुद्री कैडेट कोर जैसे संगठनों को बढ़ावा दिया जाता है।

खाड़ी के देशों के नियोजकों द्वारा नौकरी के इच्छुक भारतीयों से भारी धनराशि वसूल किया जाना

9285. **श्री हुसैन दलवाई** : क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खाड़ी के देशों में नौकरी के इच्छुक भारतीयों से खाड़ी के देशों के नियोजकों द्वारा भारी धनराशि वसूल की जाती है;

(ख) क्या यह भी सच है कि भारी धनराशि खर्च किए जाने के बाद जब भारतीयों को खाड़ी के देशों में ले जाया जाता है तो उन्हें वह नौकरी नहीं दी जाती जिसका आश्वासन भर्ती के समय दिया जाता है;

(ग) क्या यह भी सच है कि नियोजकों द्वारा ऐसे लोगों के साथ की गई धोखाधड़ी के बड़ी संख्या में मामले सरकार के ध्यान में लाए गए हैं;

(घ) क्या यह भी सच है कि खाड़ी के देशों में असहाय छोड़ दिए जाने के बाद अनेक भारतीय स्वदेश वापस आना चाहते हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक उपाय करने का विचार है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है जो सदन की मेज पर रख दी जाएगी ।

वनों के काटे जाने के कारण मौसम पर प्रभाव

9286. **श्री वी० एस० विजयराघवन** : क्या **प्रधान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में, विशेषकर वर्षा ऋतु वाले क्षेत्रों में अब तक जो वन काटे गए हैं उनके कारण मौसम चक्रों पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में कोई अध्ययन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) मौसम चक्रों पर वनों के काटे जाने के प्रभाव की जांच करने के लिए भारत में कोई विशिष्ट अध्ययन नहीं किया गया है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

विदेशों से अंशदानों की प्राप्ति में वृद्धि

9287. **श्री टी० बशोर** : क्या **गृह** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान देश में विदेशों से प्राप्त होने वाले अंशदानों में वृद्धि हो गई है; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान विदेशों से भारत में इस प्रकार प्रति वर्ष कितनी धनराशि प्राप्त हुई ?

आंतरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) और (ख) विदेशी अभिदान (विनियमन) अधिनियम, 1976 के अधीन प्राप्त विदेशी अभिदान के बारे में हमारे पास उपलब्ध सूचना के अनुसार वर्ष 1980 से 1982 तक देश में निम्नलिखित धनराशियां प्राप्त की गई थी :—

1980	209.11 करोड़ रुपए
1981	230.46 करोड़ रुपए
1982	233.78 करोड़ रुपए

अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी में उपलब्धियां

9288. **श्री के० एस० राव** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी विशेष कर संचार उपग्रहों के क्षेत्र में प्राप्त शानदार उपलब्धियों के परिणाम स्वरूप देश के दूर दराज के गांवों में रहने वाले लाखों ग्रामीणों के लिए टेलिविजन देख पाना सम्भव हुआ है;

(ख) यदि हां, तो अन्तरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम से जन संचार के क्षेत्र में प्राप्त होने वाले अन्य लाभों का विस्तृत ब्यौरा क्या है; और

(ग) अन्तरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम से जनसाधारण के जीवन से सम्बन्धित अन्य पहलुओं को किस प्रकार लाभ मिलने की सम्भावना है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय सन्दर्भ में, इन्सैट–टी० वी० भरण क्षमता की सहायता से टी० वी० आवरण में उल्लेखनीय विस्तार हुआ है। उपग्रह दूरदर्शन का उपयोग शैक्षिक कार्यक्रमों के लिए तथा चुने हुए ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विशेष कार्यक्रमों के लिए भी किया जा रहा है। इसी प्रकार से 69 मार्गों में लम्बी दूरी के घरेलू दूरसंचार के काफी बड़े भाग की पूर्ति अब इन्सैट प्रणाली द्वारा हो रही है। इस उपग्रह के माध्यम से सभी 93 रेडियो स्टेशनों को अब संचारजाल में जोड़ दिया गया है। देश के पूर्वी तट में 100 आपदा चेतावनी प्रणालियां लगा दी गई हैं।

(ग) बाह्य अन्तरिक्ष के भारतीय प्रयोग से तीन प्रमुख राष्ट्रीय समस्याओं–जन–निरक्षरता का उन्मूलन तथा प्रौढ़ एवं अनौपचारिक शिक्षा का राष्ट्रव्यापी प्रसार, प्राकृतिक संसाधनों का कुशल सर्वेक्षण और प्रबन्ध तथा उन्नत राष्ट्र-व्यापी दूरसंचार–के हल में उल्लेखनीय योगदान मिलने की सम्भावना है। उपग्रह आधारित संचार, दूरदर्शन, रेडियो संचारजाल और मौसम के मानीटरन ने भी हमारी जनता के जीवन-स्तर को उन्नत बनाने में योगदान दिया है। ग्रामीण टेलीग्राफी जैसी नूतन नयी प्रणालियों को विशेष रूप में देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में इन कठिन भौगोलिक क्षेत्रों की मूल संचार सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपनाया जा रहा है।

6-1-1986 को साबरमती एक्सप्रेस के यात्रियों का लूटा जाना

9289. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 6 जनवरी, 1986 को पश्चिमी रेलवे में दानोड तथा रतलाम रेलवे स्टेशनों के बीच साबरमती एक्सप्रेस रेलगाड़ी में सवार लुटेरों के एक दल ने यात्रियों को मारा पीटा और उनसे नकदी तथा जेवर लूट लिये;

(ख) यदि हां, तो कितने व्यक्ति घायल हुए और लुटेरों द्वारा कितने मूल्य की नकदी तथा जेवरात लूट लिए गए;

(ग) क्या रेलवे विभाग ने उन यात्रियों को, जो घायल हुए और लुटेरों द्वारा जिनका सामान लूटा गया था, कोई मुआवजा दिया था;

(घ) क्या यात्रियों के बयान रिकार्ड किये गये थे; और

(ङ) क्या यह सच है कि घायल यात्रियों का प्रथमोपचार नहीं किया गया था ?

आन्तरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) 6 व्यक्ति घायल हुए थे तथा 4740/- रु० के मूल्य की नकदी तथा जेवर लुटेरों द्वारा लूटे गए थे ।

(ग) अभी तक नहीं श्रीमान् ।

(घ) जी हां, श्रीमान् ।

(ङ) घायल यात्रियों का प्रथमोपचार किया गया था ।

केन्या से भारतीयों का निकाला जाना

9290. **श्री कालीप्रसाद पाण्डेय** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केन्या की नागरिकता प्राप्त न होने के कारण पांच हजार से भी अधिक भारतीय संकट में हैं और केन्या का आप्रवास विभाग उन्हें अपने देश से निकालने के लिए तेजी से कार्यवाही कर रहा है;

(ख) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में अभी तक कोई कार्यवाही की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) से (ग) सरकार को 1985 के कीनिया (संशोधन) बिल के संविधान की जानकारी है जिसमें कीनिया की नागरिकता की शर्तें निर्धारित की गई हैं और उसे इस बात की भी जानकारी है कि इससे दूसरों के अलावा भारतीय मूल के उन लोगों पर भी प्रभाव पड़ सकता है जो ब्रिटेन के पासपोर्ट पर कीनिया में रह

रहे हैं। सरकार इस बात का सुनिश्चय कर रही है कि इस बिल का क्या और कहां तक प्रभाव पड़ सकता है। यदि इस मामले में समुचित कदम उठाने की आवश्यकता पड़ेगी तो ऐसे कदम कीनिया की सरकार के परामर्श से उठाये जायेंगे।

"वनों के संरक्षण के सम्बन्ध में राज्य सरकारों को दिशा निर्देश"

9291. **श्री राधाकान्त डिगाल** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वनों के संरक्षण और उनकी रक्षा के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को विभिन्न दिशा निर्देश भेजे गये हैं; और

(ख) राज्य सरकारों द्वारा इन दिशा निर्देशों को किस सीमा तक कार्यान्वित किया गया है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये दिशा निर्देशों में, अन्य बातों के साथ-साथ इनमें प्राकृतिक वनों की पूर्ण कटाई पर प्रतिबन्ध, पहाड़ों में कटाई पर प्रतिबन्ध, बंजर एवं निम्नीकृत क्षेत्रों में वनरोपण, सुरक्षा क्षेत्रों का अभिनिर्धारण, एकधान्य कृषि पर रोक, फसल भोगाधिकारों में ह्रास और वनों की वहनीय क्षमता की सीमा तक चराई का नियंत्रण शामिल है।

(ख) राज्य सरकारों द्वारा इन दिशा निर्देशों का समग्र कार्यान्वयन पर्याप्त नहीं है।

"केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत वृक्षारोपण कार्यक्रम"

9292. **श्री राधाकान्त डिगाल** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम तथा समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जैसी विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत व्यापक वृक्षारोपण कार्यक्रम आरम्भ किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रमों के अन्तर्गत गत तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा में आरम्भ किये गये वृक्षारोपण कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उपर्युक्त अवधि के दौरान उड़ीसा में वृक्षारोपण कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल कितने हेक्टेयर भूमि को शामिल किया गया ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) आर० एल० ई० जी० पी०, एन० आर० ई० पी० एवं डी० पी० ए० पी० के तहत एक सामाजिक वानिकी पौधरोपण कार्यक्रम चल रहा है।

आई० आर० डी० पी० के तहत एक विशिष्ट वानिकी घटक व्यवस्था नहीं की गयी है, तथापि योजना के तहत बैंक-ग्राह्य वानिकी योजनायें अभिकल्पित की गयी हैं।

(ख) और (ग) सूचना संलग्न विवरण में दी गयी है।

विवरण

क्रम सं०	योजना का नाम	वर्षों के दौरान उड़ीसा में बढ़ायी गयी पौधरोपण (हेक्टेयर में)			टिप्पणी
		1983–84	1984–85	1985–86	
1	2	3	4	5	6
1.	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (एन० आर० ई० पी०)	916	4,516	13,406*	
2.	ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम** (आर० एल० ई० जी० पी०)	—	1,870	1,611*	
3.	सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी० पी० ए० पी०)	7,655	1,373	3,329*	
	योग	8,571	7,759	18,346	

*दिसम्बर, 1985 तक के आंकड़े

**इस योजना के तहत 1984–85 में वनरोपण कार्यक्रम शुरू किया गया था।

चरागाह विकास कार्यक्रम

9293. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को कार्यान्वयन के लिए वित्तीय सहायता दे रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में उक्त प्रयोजन के लिए कर्नाटक राज्य को कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई; और

(ग) गत तीन वर्षों में कर्नाटक राज्य में कार्यान्वित किये गये चरागाह विकास कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) ऐसी कोई केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम नहीं है जिसके अन्तर्गत चरागाह विकास कार्यक्रम के लिए राज्य सरकार को केन्द्रीय सहायता दी जाती है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) राज्य सरकार से पिछले 3 वर्षों में राज्य कार्यक्रम के विवरण एकत्रित किये जा रहे हैं ।

प्रशासनिक स्टाफ कालेज की नई शाखाएं

9294. **कुमारी पुष्पा देवी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशासनिक स्टाफ कालेज की नई शाखायें खोलने का सरकार का विचार है;

(ख) यदि हां, तो क्या कोई नई शाखा मध्य प्रदेश में खोलने का विचार है क्योंकि यह राज्य देश के मध्य स्थित है; और

(ग) प्रशासनिक स्टाफ कालेज की नई शाखाएं खोलने के लिए अन्य कौन-कौन से स्थानों को चुना गया है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) जी, नहीं । भारत का प्रशासनिक स्टाफ कालेज, हैदराबाद समिति पंजीयक अधिनियम, 1860 के अधीन लाभ न कमाने वाली एक समिति के रूप में संस्थापित किया गया है । यह कालेज, कुछ विशिष्ट प्रयोजनों के लिए समय समय पर, मानव संसाधन विकास मंत्रालय से तदर्थ सहायता प्राप्त करता है ।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय से यह पता चला है कि न तो मंत्रालय में और न ही कालेज के पास ऐसा कोई प्रस्ताव है कि भारत के प्रशासनिक स्टाफ कालेज की नई शाखाएं खोली जाएं ।

(ख) और (ग) उक्त (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए ये प्रश्न ही नहीं उठते।

श्रीहरिकोट राकेट छोड़ने का केन्द्र

9295. **श्री टी० बाल गौड** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आन्ध्र प्रदेश, नेल्लोर में स्थित राकेट छोड़ने के स्थल श्रीहरिकोट को गत वर्ष तूफान में नुकसान पहुँचा था;

(ख) क्या उक्त केन्द्र की आवश्यक मरम्मत/सुधार के बाद राकेटों को छोड़ने का कार्य शुरू किया गया है;

(ग) इस केन्द्र से कितने उपग्रहों को छोड़ने का विचार है और इनके छोड़ने से क्या प्रयोजन सिद्ध होगा, और

(घ) क्या श्रीहरिकोट में राकेट छोड़ने के केन्द्र के विस्तार की योजनाएं हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जबकि 1984 में आए भारी चक्रवात के कारण श्रीहरिकोटा में व्यापक नुकसान पहुँचा था, 1985 में आए तूफान के परिणामस्वरूप कोई भारी क्षति नहीं हुई।

(ख) 1984 में आए चक्रवात के कारण हुई क्षतिग्रस्त सुविधाओं की आवश्यक मरम्मत/सुधारों के बाद श्रीहरिकोटा से परिक्षपी राकेटों का प्रमोचन शुरू कर दिया गया है।

(ग) स्वीकृत अन्तरिक्ष कार्यक्रम के अनुसार, श्रीहरिकोटा से संवर्धित उपग्रह प्रमोचक राकेट (ए०एस०एल०वी०) का उपयोग करते हुए विस्तृत रोहिणी शृंखला (श्रोस) (150 कि.ग्रा. भारी की श्रेणी के उपग्रहों) के तथा ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचक राकेट (पी०एस०एल०वी०) का उपयोग करते हुए भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह (आई०आर०एस०) (1000 कि०ग्रा० भार की श्रेणी के उपग्रह) के छोड़ने की योजना है। ये उपग्रह वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकीय और सुदूर संवेदन संबंधी परीक्षण करेंगे।

(घ) केन्द्र में आवश्यकताओं के आधार पर विद्यमान सुविधाओं के विस्तार का कार्य एक जारी रहने वाली प्रक्रिया है। इस सम्बन्ध में आवश्यकतानुसार कार्यवाही की जा रही है।

समुद्र विज्ञान सम्बन्धी अध्ययन के लिये नई प्रयोगशालाएं स्थापित करना

9296. **श्री टी० बाल गौड** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में किए जा रहे समुद्र विज्ञान सम्बन्धी अध्ययन की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या महासागर विकास विभाग की स्थापना के पश्चात् इसे पर्याप्त महत्व दिया गया है;

(ग) देश में समुद्र तल से प्राप्त होने वाले नए खनिज भण्डारों, तेल भण्डारों, मछली और अन्य उपयोगी वस्तुओं का पता लगाने के लिए किए गए अध्ययन के क्या परिणाम निकले;

(घ) सातवीं योजना में समुद्र विज्ञान अध्ययन के लिए कितनी नयी प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी; और

(ङ.) इनमें से कितनी प्रयोगशालाएं आन्ध्र प्रदेश के तट पर स्थापित की जायेंगी ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) भारत ने समुद्र विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में महत्वपूर्ण प्रगति की है। देश में उत्कृष्ट संस्थागत आधार, प्रशिक्षित जनशक्ति एवं अत्यन्त परिष्कृत अनुसंधान जलयान हैं।

(ख) जी हां, श्रीमान्। नये विभाग की स्थापना के पश्चात् समुद्र विज्ञान को यथेष्ट महत्व दिया गया है।

(ग) अनन्य आर्थिक क्षेत्र में सजीव और निर्जीव संसाधनों के विस्तृत सर्वेक्षण के फलस्वरूप प्रॉन, लॉबस्टर, शेलफिश के नये स्थलों की खोज कर ली गई है। इसी प्रकार, इल्मेनाइट, स्टाइल, जिरकॉन, मोनानाइट, फास्फोराइट जैसे खनिजों और तेल एवं गैस का भी पता लगाया गया है। मध्य हिन्द महासागर में वाणिज्यिक रूप से महत्वपूर्ण बहुधात्विक पिंडों वाले दो खान स्थलों का पता लगा लिया गया है।

(घ) और (ङ.) सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान समुद्र वैज्ञानिक अध्ययनों के लिए किसी नयी प्रयोगशाला की स्थापना करने का अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

नये अल्पावधि आवास खोलना

9297. **डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुहा** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अल्पावधि आवास गृहों की राज्य-वार संख्या क्या है,

(ख) वर्ष 1986-87 के दौरान कितने अल्पावधि आवास गृह खोले जाने की संभावना है,

(ग) क्या सरकार का पश्चिमी बंगाल में कोई अल्पावधि आवास गृह स्थापित करने का विचार है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) इस समय देश में 26 गृह चल रहे हैं, जैसा कि संलग्न विवरण में दिखाया गया है।

(ख) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश का नाम	अल्पावास गृहों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	2
2.	बिहार	1
3.	गुजरात	1
4.	हरियाणा	2
5.	मध्य प्रदेश	1
6.	महाराष्ट्र	3
7.	मणीपुर	1
8.	केरल	1
9.	उड़ीसा	1
10.	पंजाब	1
11.	गोवा	1
12.	तमिलनाडु	2
13.	पश्चिम बंगाल	2
14.	उत्तर प्रदेश	6
15.	दिल्ली	1
	जोड़	26

सिर पर मैला ढोना

9298. श्री मानिक रेड्डी : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अध्ययन के अनुसार देश में सिर पर मैला ढोने की प्रथा अब भी प्रचलित है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा यह कार्य करने वाले पुरुषों, महिलाओं तथा बच्चों की अनुमानित संख्या क्या है;

(ग) इस प्रथा को पूरी तरह समाप्त करने के लिए क्या अनुदेश/दिशा निर्देश जारी किये गये हैं; और

(घ) सफाई कर्मचारियों को इस कार्य से मुक्ति दिलाने और शुष्क शौचालयों को बदलने के लिए, अनुदान के रूप में अब तक कितनी धनराशि दी गई है तथा इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा शुरू किया गया अध्ययन कुछ चुने गए कस्बों तक सीमित था और समग्र समस्या पर विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध नहीं कराता है।

(ग) और (घ) कल्याण मन्त्रालय ने, केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत चुने गए कस्बों में वर्तमान शुष्क शौचालयों को सैनेटरी शौचालयों में बदलकर, मलवा ढोने वालों की मुक्ति के लिए 1980-81 से एक कार्यक्रम शुरू किया है। 1985-86 तक 89 कस्बों के लिए राज्य सरकारों को 16.63 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता दी गई है 16 कस्बों में कार्यक्रम सफलता पूर्वक पूरा किया गया और शेष कस्बों में कार्य प्रगति पर है।

नीति नियोजन एवं पुनरीक्षा समिति

9299. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रेल, 1986 को नीति नियोजन एवं पुनरीक्षा समिति का गठन क्या था;

(ख) वर्ष 1985-86 के दौरान किन-किन तारीखों को इनकी बैठक हुई;

(ग) इसने किन मुख्य मामलों पर सरकार को अपनी सिफारिशें अथवा विचार प्रस्तुत किये हैं; और

(घ) क्या भारत के अन्य देशों के साथ, सम्बन्ध के विस्तृत क्षेत्र में विदेश मन्त्रालय और रक्षा, वाणिज्य, वित्त और संस्कृति जैसे अन्य मन्त्रालयों के सहयोग के लिए कोई अन्य तंत्र हैं ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) 1 अप्रैल, 1986 को इस समिति का गठन नीचे लिखे अनुसार था :—

1. अध्यक्ष
2. विदेश राज्य मन्त्री
3. विदेश सचिव
4. सचिव (पूर्व)
5. सचिव (ई० आर०)
6. अपर सचिव
7. सदस्य–सचिव

(ख) और (ग) शुरू से ही इस समिति का बुनियादी काम यह था कि पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों का निरन्तर मूल्यांकन होता रहे और इन परिवर्तनों के संदर्भ में क्या किया जाना चाहिए। निगरानी और विश्लेषण के इस कार्य में सावधिक औपचारिक परामर्शों की अपेक्षा व्यापक क्षेत्र के मसलों पर निकट और सतत परामर्श जरूरी है। इन सतत परामर्शों में जिन मामलों की ओर विशेष ध्यान दिया गया था वे हैं–पड़ोसी देशों, विशेष रूप से पाकिस्तान,

श्रीलंका और चीन के साथ सम्बन्ध, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग एसोसिएशन के गठन से सम्बद्ध कार्य और संयुक्त राज्य अमरीका तथा सोवियत समाजवादी गणतन्त्र संघ के साथ संबंध। यह समिति गुट-निरपेक्ष आंदोलन की महत्वपूर्ण घटनाओं और सम्मेलनों से भी जुड़ी रही और इसने संयुक्त राष्ट्र तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत की नीति निर्धारित करने का भी काम किया।

नीति नियोजन समिति के स्थान पर अब नीति सलाहकार समिति बनाई गई है जो प्रशासन की दृष्टि से मंत्रिमंडल सचिवालय से संबद्ध है।

(घ) विदेश मन्त्रालय और अन्य मन्त्रालयों के बीच समन्वय का कार्य अब भी पहले की तरह ही सचिवों की समिति और मंत्रिमंडल की राजनीतिक कार्य समिति के माध्यम से ही होता है। वैसे भी विदेश मन्त्रालय और अन्य मन्त्रालयों के बीच निरन्तर परस्पर कार्यवाही होती रहती है।

सिक्किम में अर्द्ध-सैनिक भर्ती केन्द्र

9300. **श्रीमती डी० के० भण्डारी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिक्किम में केन्द्रीय आरक्षित पुलिस बल और सीमा सुरक्षा बल जैसे अर्द्ध सैनिक बलों के लिए कोई भर्ती केन्द्र है;

(ख) यदि हां, तो वह कहां पर स्थित है और पिछले तीन वर्षों के दौरान इन बलों में कितने युवक भर्ती किए गए; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार सिक्किमी युवकों को इन बलों में भर्ती करने के लिए भर्ती केन्द्र स्थापित करने हैं ?

आंतरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) जी नहीं, श्रीमान्। वास्तव में देश में कहीं भी इस प्रकार के कोई निश्चित केन्द्र नहीं हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता। पिछले तीन वर्षों के दौरान सिक्किम से 14 युवक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में और 40 युवक सीमा सुरक्षा बल में भर्ती किए गए थे।

(ग) सीमा सुरक्षा बल/केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में भर्ती आयोजित भर्ती रेलियों द्वारा की जाती है, जिनमें सिक्किम सहित देश के सभी भागों को सम्मिलित किया जाता है।

केन्द्रीय भण्डार की गतिविधियों का विस्तार

9301. **श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी सहकारी उपभोक्ता भण्डार समिति लिमिटेड की व्यापारिक गतिविधियों का विस्तार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या समिति के उप-नियमों को अद्यतन और सरकारी सोसाइटी अधिनियम के अनुरूप बना दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) और (ख) जी, हां। दिल्ली के रिहायशी क्षेत्रों में जब भी स्थान उपलब्ध होता है तो केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति लिमिटेड के और अधिक शाखा भण्डार खोले जा रहे हैं। जिन क्षेत्रों में शाखा भण्डार नहीं है उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दो "चलते फिरते भण्डार" हाल ही में चालू किए गए हैं और "चलते फिरते भण्डारों" की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव है। बम्बई, कलकत्ता और मद्रास जैसे अन्य नगरों में जहां केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी काफी बड़ी संख्या में है, केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता समितियां स्थापित किए जाने की सम्भावना का पता लगाया जा रहा है।

(ग) और (घ) उक्त समिति की उपविधियां दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम, 1972 के अनुरूप ही हैं।

नदी जल की किस्म की जांच करना

9302. **श्री आर० एस० भाने** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नदियों के प्रदूषण का पता लगाने के लिए नियमित समयावधि पर नदी जल की किस्म की जांच की जाती है;

(ख) सर्वाधिक रसायनिक प्रदूषण वाली नदी का नाम क्या है;

(ग) क्या नदियों के तट पर स्थित रसायनिक अपशिष्ट पदार्थ बहाने वाले सभी उद्योगों की जांच करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं; और

(घ) सातवीं योजना के दौरान इस परियोजना के लिए कितनी राशि नियत की गई है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी हां।

(ख) उपलब्ध प्रबोधन आंकड़ों के अनुसार जैव-रसायन आक्सीजन मांग (बोड) के रूप में मापे गये आधार पर साबरमती नदी के फैलाव में सर्वाधिक प्रदूषण भार है।

(ग) जी, हां।

(घ) इस उद्देश्य के लिए अलग से निधियां निर्धारित नहीं की गयी हैं। जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 को लागू करने के लिए सम्बन्धित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को आवंटित निधियों में से चलाई जा रही गतिविधियों का यह एक अभिन्न अङ्ग है।

कृत्रिम अङ्ग केन्द्र/संस्थान

9303. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शारीरिक दृष्टि से विकलांग लोगों के लिए कृत्रिम अंग तैयार करने और सप्लाई करने वाले भारत सरकार के केन्द्रों/संस्थानों के नाम क्या हैं और ये किन-किन स्थानों पर स्थित हैं; और

(ख) क्या वर्तमान संस्थान कृत्रिम अङ्गों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने में समर्थ हैं ?

कल्याण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) भारतीय कृत्रिम अङ्ग निर्माण निगम, कानपुर कृत्रिम अङ्ग निर्माण के लिए भारत सरकार के अन्तर्गत एक मात्र एजेंसी हैं। विकलांग व्यक्तियों को कृत्रिम अङ्ग सप्लाई करने हेतु देश भर में 76 स्वयंसेवी संगठनों को भारत सरकार ने मान्यता दी है और उन्हें वित्तीय सहायता दे रही है। विकलांग व्यक्तियों को उपकरण और सहायक यन्त्र सप्लाई करने वाले स्वयंसेवी संगठनों के जिन्हें भारत सरकार से सहायता प्राप्त होती है, नाम और पते दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

(ख) ये केन्द्र, कृत्रिम अंगों की बढ़ती हुई मांग को आंशिक रूप से पूरा करने में समर्थ हैं।

विवरण

राज्य/संगठन	श्रेणी
आंध्र प्रदेश	
1. रायलसीमा सेवा समिति 329–नेताजी रोड, तिरूपती (आंध्र प्रदेश)	ओ० एच०
2. आंध्र प्रदेश विकलांग व्यक्ति कल्याण सहकारिता वित्त निगम मकान नं० 10-2-289/120/1 हैदराबाद	ओ० एच०/बधिर
असम	
3. लायन्स क्लब आफ गोहाटी केअर आफ मैं० गुप्ता क्लोनिक एस० एस० रोड, लखोटोकिया, गुआहाटी–781001	डोरमेन्ट
4. समिति नर्सिंग होम स्टेशन रोड, करीमगंज, पी० ओ० करीमगंज डि० कछार	–तदैव–

	राज्य/संगठन	श्रेणी
	बिहार	
5.	सचिव बिहार पुनर्वास एवं कल्याण संस्थान, रोड नं० 2 बी, राजेन्द्र नगर, पटना–16 (बिहार)	ओ० एच०
6.	भारतीय रेड क्रास सोसाइटी, बिहार राज्य शाखा, रेड क्रास भवन, उत्तरी गांधी मैदान, पटना–1	सामान्य
	गुजरात	
7.	ब्लाईन्ड मैन्स एसोसिएशन डा० विक्रम साराभाई रोड, वस्त्रपुर, अहमदाबाद	नेत्रहीन/ओ० एच०
8.	अपंग मानव मंडल डा० विक्रम सारा भाई रोड, अहमदाबाद।	ओ० एच०
9.	भारतीय रेड क्रास-सोसाइटी भावनगर, गुजरात	सामान्य
10.	श्री के० एल० बधिर संस्थान 5–विद्या नगर, भाव नगर	–तदैव–
11.	अन्ध सर्वोदया मण्डल, ठेबर रोड, राजकोट, गुजरात	–तदैव–
12.	वी० बन० सोसाइटी कमल काटेज न्यू इंडियन मिल रोड, बड़ौदा–390005	–तदैव–
	हरियाणा	
13.	भारतीय रेड क्रास सोसाइटी हरियाणा राज्य शाखा, 315–सैक्टर 9–डी, चण्डीगढ़	सामान्य

राज्य/संगठन	श्रेणी
जम्मू और कश्मीर	
14. जम्मू रेड क्रास विकलांग गृह (उद्योअल्ला) जम्मू, पी० ओ० अकालपुर, जम्मू	बधिर/ओ० एच०
जम्मू	
15. जे० एण्ड के० मारकाजी बेहबूदी खातीन मेसकीन बाग, नानपोरा गिरिनगर	सामान्य
कर्नाटक	
16. अखिल भारतीय वाणी एवं श्रवण संस्थान, मंसागंगोतरी, मैसूर–570006	बधिर
17. वाणी एवं श्रवण संस्थान, हेन्नूर रोड, बंगलौर	तदैव
18. कस्तूरबा मैडिकल कालेज होस्पिटल मनिपाल–576119	सामान्य
केरल	
19. केरल राज्य विकलांग व्यक्ति कल्याण निगम लि० श्री अन्नपूर्ण बिल्डिंग, त्रिवेन्द्रम–695014	ओ० एच०/बधिर
20. चौरिटेबल सोसाइटी आफ साउथ केरल डायोसीज, दी चर्च आफ साउथ इंडिया, एल० एम० एस० कम्पाउन्ड, त्रिवेन्द्रम	सामान्य
मध्य प्रदेश	
21. कृत्रिम अंग केन्द्र राशि महल, 91, सर हुकम चन्द मार्ग इन्दौर–452002	सामान्य

	राज्य/संगठन	श्रेणी
22.	भारतीय रेड क्रास सोसाइटी मध्य प्रदेश राज्य शाखा रेड क्रास प्लाट लिंक रोड, नं० 2 शिवाजी नगर, भोपाल	सामान्य
23.	एम० पी० एसोसिएशन फार दी ब्लाइन्ड 33 बी/डी फोर्ट, एरिया, इन्दौर	सामान्य
24.	सुपरिंटेंडेंट, वोकेशनल रोहेबिलटेशन सेंटर फार दी फिजीकली हैंडीकैप्ड, जबलपुर (एम० पी०)	सामान्य
	मणिपुर	
25.	दी डिसेबल्ड सैल मणिपुर एक्स सर्विस लीग, "गिल्बेन" चाहसाद ऐवेन्यू, इम्फाल–795001	ओ० एच०/बधिर
	महाराष्ट्र	
26.	आर्टिफिशल लिम्ब सेंटर पी० बी० नं० 86, पुणे।	ओ० एच०
27.	इंडियन कैंसर सोसाइटी, नेशनल हैडक्वार्टर्स, ई० बार्गेस मार्ग पेरोल, बम्बई।	ओ० एच०
28.	तारे दिस होम्स, रिहेबिलोटेशन सेंटर, के० ई० एम० अस्पताल, रास्तो पोथ, पुणे	ओ० एच०/बधिर
29.	विदर्भ रिलीफ कमेटी, कमीशनर्स आफिस, नागपुर	ओ० एच०/बधिर
30.	फेल्लोशिप फार दि फिजीकली हैंडीकैप्ड, एफ० पी० जी० बिल्डिंग, लाला लाजपत राय मार्ग, हाजी अली पार्क, बम्बई।	बधिर

	राज्य/संगठन	श्रेणी
31.	नैशनल सोसाइटी फार इक्वल अपार्च्यूनिटीज फार दी हैंडीकैप्ड, पोस्टल कालोनी रोड, चेम्बूर, बम्बई–400071	बधिर
32.	शिक्षण प्रसारक मण्डली एस० पी० कालिज कैम्पस तिलक रोड, पुणे ।	बधिर
33.	एन० एम० वाडिया चेरीटेबल अस्पताल सीलापुर–413001	बधिर
34.	अलीयावर जंग राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान ब्लाक नं० 6/7, कला नगर, बान्द्रा ईस्ट बम्बई–400051	बधिर
	नागालैंड	
35.	नागालैंड स्टेट सोशल वेल्फेयर एवाइजरी बोर्ड, कोहिमा, पी० ओ० नागालैंड–797001	सामान्य
	उड़ीसा	
36.	राष्ट्रीय पुनर्वास प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, पो० ओ० बैराई, कटक (उड़ीसा)	ओ० एच०
37.	सुपरिटेंडेंट वोकेशनल रिहेबिलीटेशन सैंटर फार हैंडीकैप्ड, एस० आई० आर० डी० कैम्पस भुवनेश्वर (उड़ीसा)	सामान्य
	पंजाब	
38.	डा० सत्यपाल खोसला चेरीटेबल ट्रस्ट शहीद ऊधमसिंह मार्ग	बधिर
39.	नवोदेओ प्रास्थेटिक सैंटर दौलत सिंह वाला 158, सैक्टर 11–ए, चण्डीगढ़	सामान्य

	राज्य/संगठन	श्रेणी
	राजस्थान	
40.	भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति सेवाई मानसिंह होस्पीटल जयपुर–302001	ओ० एच०
	सिक्किम	
41.	सिक्किम महिला परिषद राजभवन, गंगटोक	सामान्य
	तमिलनाडु	
42.	मियरा (मद्रास इंस्टीच्यूट टू रिहेबिलोटेशन टू रिटारर्यड एफलिक्ड), 802, आर० बी० नगर, अन्ना नगर, मद्रास	ओ० एच०
43.	भारतीय रैड क्रास सोसाइटी, तमिलनाडु ब्रांच 50, मोटीथ रोड़, एग्मोरे, मद्रास	ओ० एच०
44.	दि फरोड उनरीमा सोसाइटी ट्रस्ट सेंगोदामपालयम, बिहाल (पो० ओ०) फरोड–608009	ओ० एच०
45.	बर्थ ट्रस्ट 48, न्यू तिरूवलन रोड कटपडी, वैलोर	ओ० एच०/बधिर
46.	पंजाब एसोसिएशन लाजपतराय भवन, पी० बी० नं० 416 पोटर्स रोड, रावापेटह, मद्रास	ओ० एच०/बधिर
47.	क्रिकलांगों के पुनर्वास की तमिलनाडु संस्था, 28, कासा मेजर रोड, एग्मोरे।	–तदैव–
48.	एफेक्टरड हर्ट लेप्रोसी सेन्टर सरकोथाई–612401 कुम्बकानम, थंजावर, तमिलनाडु।	ओ० एच०/बधिर

	राज्य/संगठन	श्रेणी
49.	निदेशक तमिलनाडु महिला स्वैच्छिक सेवाएं तमिलनाडु, 25 कमाण्डर–इन–चीफ रोड, एग्मोरे, मद्रास	सामान्य
50.	भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम जी०टी० रोड, कानपुर	ओ० एच०
51.	राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ विकलांग संस्थान, राजपुर रोड, देहरादून (यू०पी०)	नेत्रहीन
52.	शारीरिक विकलांगों का व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, ए०टी०आई० कैम्पस, उद्योग नगर, कानपुर–22	ओ० एच०
53.	रोटरी स्पोसरड क्रिपल्ड एंड यूथ वेल्फेयर सोसाइटी, 13–लुकारगंज, इलाहाबाद	ओ० एच०
54.	मंगलम 1–ए०पी० सेन रोड, लखनऊ–226001	ओ० एचस०/बधिर
55.	राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान बी०टी० रोड, बोन हुगली, कलकत्ता ।	ओ० एच०
56.	बाल पुनर्वास केन्द्र 59–मोती लाल गुप्ता रोड, बारीसा, कलकत्ता	ओ० एच०
57.	विकास भारती वेल्फेयर सोसाइटी, 20/1–बी लाल बाजार स्ट्रीट कलकत्ता	ओ० एच०/बधिर
58.	वेस्ट बंगाल स्पास्टिक सोसाइटी 15–बेलवेदेरा कोर्ट, 11 एवं 13 अलीपुर रोड, कलकत्ता ।	ओ. एच./बधिर

राज्य/संगठन	श्रेणी
चण्डीगढ़	
59. भारतीय रेड क्रास सोसाइटी, चंडीगढ़, यू. टी. ब्राच, कम्यूनिटी सैन्टर बिल्डिग, सैक्टर—15 डी० चण्डीगढ़	ओ. एच,
दिल्ली	
60. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली	"
61. डा० राजेन्द्र प्रसाद नेत्र विज्ञान केन्द्र, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, अंसारी नगर, नई दिल्ली।	"
62. विकलांगों के लिए संस्थान, 4– विष्णु दिगम्बर मार्ग, नई दिल्ली	"
63. मंगलम कमरा नं० 1, द्वितीय मंजिल, विश्वा युवक केन्द्र चाणक्यपुरी, नई दिल्ली।	ओ. एच./बधिर
64. अखिल भारतीय बधिर संघ, 18–नार्थ एण्ड कैम्पलैक्स रामाकृष्णा, आश्रम मार्ग, नई दिल्ली।	बधिर
65. सैनिक पत्नियों के कल्याण के लिए संघ, कमरा नं० 208—बी साउथ ब्लाक, नई दिल्ली	ओ. एच.
66. मौलाना आजाद मेडिकल कालिज और अस्पताल नई दिल्ली।	बधिर .
गोवा दमन और दीव	
67. जन सहायता संस्थान (प्रोवडोरिया) पाना जी, गोवा पिन—430001	ओ. एच./बधिर

राज्य/संगठन	श्रेणी
बिहार	
68. विकलांग व्यक्तियों के लिए व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, नालान्धरा, त्रिवेन्द्रम—695015	सामान्य
आंध्र प्रदेश	
69. विगलांग व्यक्तियों के लिए व्यवसायिक पुनर्वास केन्द्र ए. टी. आई. कैम्पस विजय नगर, हैदराबाद—500007	,,
70. जिला पुनर्वास केन्द्र,	सीतापुर (उत्तर प्रदेश)
71. ,, ,,	विंगल पेट (तमिलनाडु)
72. ,, ,,	भुवनेश्वर (उड़ीसा)
73. ,, ,,	खडवापुर (पश्चिम बंगाल)
74. ,, ,,	मैसूर (कर्नाटक)
75. ,, ,,	बिरार (महाराष्ट्र)
76. लारिंगाटोमी कल्ब आफ इंडिया, नई दिल्ली ।	

राजधानी में लक्ष्मी नारायण मंदिर को उड़ाने का षडयंत्र

9304. **श्री जनक राज गुप्ता** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को संदेहास्पद आतंकवादियों द्वारा राजधानी में प्रसिद्ध लक्ष्मीनारायण मंदिर को उड़ा देने के एक बड़े षडयंत्र की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कितने आतंकवादी गिरफ्तार किए गए हैं;

(ग) मंदिर से हथियारों, हथगोलों, तथा विस्फोटक पदार्थों की कुल कितनी मात्रा बरामद की गई; और

(घ) निकट भविष्य में राजधानी में क्या सुरक्षा उपाय करने का विचार है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा): (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) एक ।

(ग) शून्य ।

(घ) आतंकवादियों से निपटने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये जा रहे हैं :-

(i) आतंकवादी/उग्रवादी गतिविधियों से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस में कार्यवाही एकक गठित किया गया है ।

(ii) सामरिक महत्व के स्थानों पर पिकेट तैनात किये गये हैं ।

(iii) आतंकवादियों के मालूम और सम्भव निशानों को सशस्त्र गार्ड और अन्य सुरक्षा उपाय प्रदान किये गये हैं ।

(iv) अति विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए जिन पर आतंकवादियों द्वारा आक्रमण किया जा सकता है और आक्रमण करने पर आतंकवादियों को पकड़ने के लिए, क्षेत्र सुरक्षा योजना वाहन लगाये गये हैं ।

(v) उग्रवादियों/आतंकवादियों की गतिविधियों का प्रबोधन करने तथा सूचना के आदान प्रदान के लिए पड़ोसी राज्यों केन्द्रीय जांच ब्यूरो तथा आसूचना ब्यूरो के अधिकारियों से नियमित रूप से समन्वय-बैठकें की जाती हैं ।

(vi) राजधानी के सभी महत्वपूर्ण मन्दिरों की प्रबन्धक समितियों को अपनी सुरक्षा मजबूत करने तथा मन्दिर में आने वाले संदिग्ध व्यक्तियों पर नजर रखने की सलाह दी गयी है ।

विमान वाहक पोत की खरीद

9305. **श्री जनक राज गुप्ता** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ब्रिटेन से विमान वाहक पोत "हर्मीज" की खरीद के लिए भारत और ब्रिटेन के बीच कुल कितनी धनराशि के करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं ।

(ख) क्या सरकार का विचार भारतीय जहाजी-बेड़े के लिए एक अन्य विमान वाहक पोत, "रायल आर्क" का डिजायन खरीदने का विचार है: और

(ग) भारत ने ब्रिटेन को कितने विमान वाहकों के लिए क्रयादेश दिया है ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) लगभग 63 मिलियन पौण्ड ।

(ख) भारतीय नौसेना, विमान वाहक के देश में ही निर्माण करने के लिए आर्क रायल सहित विभिन्न डिजाइनों की जांच कर रही है । भारतीय नौसेना द्वारा इस सम्बन्ध में बातचीत की जा रही है । जो कि अन्वेषणात्मक प्रकृति की है । भारत सरकार ने यू०के० सरकार के साथ मामला नहीं उठाया है ।

(ग) केवल एक, एच० एम० एस० हर्मीज के लिए ।

वी० सी० आर० का आयात

9306. **श्री राम पूजन पटेल** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इलेक्ट्रॉनिकी व्यापार तथा प्रौद्योगिकी विकास निगम लिमिटेड ने 1000 वी० सी० आर० का आयात किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रॉनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, नहीं ।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए, यह प्रश्न नहीं उठता ।

[हिन्दी]

बीसलपुर बांध परियोजना को स्वीकृति

9307. **श्री बनवारी लाल बेरवा** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीसलपुर बांध परियोजना की मंजूरी हेतु राजस्थान सरकार से प्राप्त प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के पास लम्बित पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो कब से और मंजूरी देने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार का उक्त परियोजना को कब तक मंजूरी देने का विचार है ?

योजना मन्त्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) जी, हां ।

(ख) बीसलपुर बांध परियोजना की मई, 1982 से केन्द्रीय जल आयोग में जांच की जा रही है । यद्यपि, केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों पर राज्य सरकार से प्राप्त कुछ जवाबों पर, केन्द्रीय जल आयोग द्वारा जांच की जा रही है, फिर भी जल विज्ञान आदि जैसे कुछ अन्य पहलुओं पर राज्य सरकार से राज्य के उत्तर की अभी प्रतीक्षा की जा रही है । राज्य सरकार को, इस परियोजना को शुरू करने के लिए, राज्य वित्त विभाग की सहमति सूचित करनी है और वर्तमान मूल्य स्तर पर परियोजना अनुमानों को भी अद्यतन बनाना है । पर्यावरण विभाग से स्वीकृति भी प्राप्त होनी है । इन सभी के कारण स्वीकृति देने में देरी हुई है ।

(ग) अपेक्षित ब्यौरे प्राप्त होने पर, तकनीकी-आर्थिक-व्यवहारता स्थापित होने पर और राज्य योजना में इसके कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त धनराशियां उपलब्ध होने पर परियोजना को स्वीकृति दी जाएगी ।

[अनुवाद]

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार

9308. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :**

श्री गंगा राम :

श्री सुभाष यादव :

श्री धर्म पाल सिंह मलिक : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को इस बात की जानकारी है कि बिहार में, विशेषकर गया जिले की जहानाबाद सब-डिवीजन में, जनवरी से अप्रैल, 1986 तक की अवधि के दौरान बहुत बड़ी संख्या में अनुसूचित जाति के निर्दोष लोगों की हत्या की गई;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इन हत्याओं की कोई जांच कराई गई है;

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है और केन्द्रीय सरकार द्वारा इस मामले में क्या कदम उठाये गये हैं;

(घ) क्या सरकार ने राज्य सरकारों को अपने-अपने राज्यों में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए ठोस उपाय करने के लिए कोई अनुदेश जारी किये हैं;

(ङ.) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कल्याण मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (ग) बिहार सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, गया जिले के जहानाबाद उप मण्डल में आरवल में, हाल ही में, किसान मजदूर संगम समिति के सदस्य जो अवैध शस्त्रों से लैस थे, भारतीय दण्ड संहिता की धारा-144 का उल्लंघन करते हुए काफी संख्या में एकत्र हुए और पथराव किया। समिति के सदस्य भूमि के बन्दोबस्त का विरोध कर रहे थे जो "गैर मजरूआ मालिक भूमि" है। कुछ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया तथा पुलिस थाने ले जाया गया। हिंसक समूह ने अभियुक्तों को रिहा करने की मांग करते हुए पुलिस थाने तक उनका पीछा किया। पुलिस ने गंभीरता को भांपते हुए जहानाबाद पुलिस को संदेश भेजा। जब पुलिस अधीक्षक तथा एस० डी० ओ० जीप में वहां पहुँचे तो उन पर आक्रमण किया गया। आगे मुसीबत को देखते हुए पुलिस को गोली चलानी पड़ी, परिणामस्वरूप 11 व्यक्ति घटनास्थल पर मर गए और 20 घायल हुए जिनमें से 9 को अस्पताल में मृत्यु हो गई। 19 पुलिस कार्मिकों को भी चोटें आयीं जिनमें गोली लगने के कारण चोटें शामिल हैं। 44 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने अवैध अग्नास्त्र भी जब्त किये। मृत श्री भरत राव तथा अन्य 46 व्यक्तियों के विरुद्ध भा० दं० सं० की विभिन्न धाराओं तथा शस्त्र अधिनियम के अधीन मुकदमे दर्ज किये गये हैं।

राज्य सरकार ने राजस्व बोर्ड के सदस्य द्वारा जांच के आदेश दे दिए हैं।

(घ) से (च) भारत सरकार, अनुसूचित जातियों पर हो रहे अत्याचारों से अत्यधिक चिन्तित है और इस बुराई का अन्त करने के लिए कृत संकल्प है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, अनुसूचित जनजाति के बचाव के लिए विभिन्न दिशा-निर्देश भेज दिए गए हैं। मुख्य मन्त्रियों को अंतिम पत्र नवम्बर, 1985 में लिखा गया।

अनेक राज्य सरकारों ने सूचित किया है कि उन्होंने अनुसूचित जातियों के प्रति अपराधों की समस्या को कारगर ढंग से निपटने और शिकार हुए अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को राहत देने के लिए इन दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त कदम उठाए हैं।

सरकारी क्वार्टरों के पानी और बिजली के बिलों की वसूली

9309. **श्री धरमपाल सिंह मलिक** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में नई दिल्ली नगर पालिका के क्षेत्रों में स्थित सरकारी क्वार्टरों के पानी और बिजली की राशि का भुगतान इन क्वार्टरों के आबंटितियों के सम्बन्धित विभागों द्वारा उनसे राशि वसूल करके किया जाता है;

(ख) क्या यह भी सच है कि दिल्ली नगर निगम के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों में स्थित सरकारी क्वार्टरों के पानी व बिजली के बिलों की राशि का भुगतान उन क्वार्टरों के आबंटितियों के सम्बन्धित विभागों द्वारा उनसे वसूल करके नहीं किया जाता है बल्कि इनका भुगतान आबंटितियों द्वारा सीधे किया जाता है;

(ग) यदि हां, तो दोनों मामलों में एक समान प्रक्रिया न अपनाने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार दिल्ली नगर निगम को सरकारी क्वार्टरों के बिजली और पानी के बिलों का भुगतान इन क्वार्टरों के आबंटितियों के सम्बन्धित विभागों द्वारा वसूल करने के निर्देश देने का है ?

संचार मंत्रालय के तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) यह सुविधा उन अराजपत्रित सरकारी कर्मचारियों के सम्बन्ध में उपलब्ध है जिन्हें नई दिल्ली नगर पालिका के क्षेत्र में सरकारी आवास आबंटित किए गए हैं।

(ख) और (ग) दिल्ली नगर निगम का क्षेत्र विस्तृत होने तथा प्रशासनिक कठिनाइयां होने के कारण दिल्ली नगर निगम के क्षेत्रों में यह सुविधा देना सम्भव नहीं है। दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान ने उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए कैश कलैक्शन सैन्टर/मोबाइल कैश कलैक्शन वैन्स का पर्याप्त नैट-वर्क स्थापित किया है। पानी के बिल दिल्ली नगर निगम के कैश कलैक्शन केन्द्रों पर अदायगी करने के अतिरिक्त विशिष्ट बैंक शाखाओं में जमा कराये जा सकते हैं। वर्तमान व्यवस्थायें संतोषजनक ढंग से कार्य कर रही हैं।

(घ) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

केरल में रह रहे पाकिस्तान के नागरिक

9310. **श्री सुरेश कुरूप** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान के कुछ नागरिक काफी लम्बे अर्से से केरल में रह रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उन व्यक्तियों के नाम क्या हैं और तत्संबंधी अन्य ब्यौरा क्या है;

(ग) केरल में उनके प्रवास का पता न लगने के क्या कारण हैं; और

(घ) उनको गिरफ्तार करने और निर्वासित करने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं ?

आंतरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) से (घ) विदेशी राष्ट्रिक विशिष्ट अवधि के लिए वीसा के साथ भारत में आते हैं। वीसा की समाप्ति पर वे विभिन्न आधारों पर समय वृद्धि मांगते हैं और मैरिट के आधार पर समयवृद्धि दी जाती है। भारत में आने वाले पाक राष्ट्रिकों के साथ भी यही मामला है। जो समय वृद्धि नहीं मांगते हैं उन्हें यह माना जाता है कि वे निश्चित अवधि से अधिक समय तक ठहरे हैं और उनके विरुद्ध कानून के अन्तर्गत उपयुक्त कार्यवाही की जाती है। केरल में भी इस प्रकार के कुछ मामले हुए हैं। केरल सरकार ने, समय अवधि से अधिक समय तक ठहरे हुए पाकिस्तानी राष्ट्रिकों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए विशेष अभियान चलाया है।

जम्मू और कश्मीर में समाज-विरोधी व्यक्तियों को हथियारों के लाइसेंस जारी करना

9311. **श्री पी० एम० सईद** :
श्री जनकराज गुप्त : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जम्मू और काश्मीर में अनेक जिलाधीशों द्वारा भारी संख्या में हथियारों के लाइसेंस जारी किए जाने की रिपोर्ट मिली है;

(ख) यदि हां, तो मामले में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या संवेदनशील सीमावर्ती जिलों में वैध जांच पड़ताल किए बिना जारी किए गए हथियार के लाइसेंसों को इस बीच रद्द कर दिया गया है और हथियार जमा करा लिए गए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

आंतरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) से (घ) राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सेना के कार्मिकों के लिए शराब का कोटा

9312. **श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शांति क्षेत्रों में सेना के कार्मिकों का शराब का कोटा घटाने और ब्रिगेडियर तथा समकक्ष अधिकारी स्तर तक प्राधिकरण स्लिप पर शराब लेने पर पाबन्दी लगाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को किस प्रकार और कब से कार्यान्वित किया जाएगा ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

गिरफ्तार किए गए तथा पाकिस्तान को निर्वासित किए गए पाकिस्तानी

9313. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985—86 के दौरान वैध यात्रा कागजातों के बिना भारत में कितने पाकिस्तानी नागरिकों को पकड़ा गया तथा कितनों को पाकिस्तान वापिस भेजा गया ।

(ख) इस अवधि के दौरान केरल में कितने पाकिस्तानियों को इस प्रकार पकड़ा गया और उनका ब्यौरा क्या है , और

(ग) क्या इन खाड़ी के नागरिकों की देश—विरोधी गतिविधियों, जिनके कारण केरल में साम्प्रदायिक अशांति फैली, के बारे में सरकार को कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है ?

आंतरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) से(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

केन्द्रीय संयुक्त सदाचार समिति के कार्य—कलाप

9314. **डा० वी० वेंकटेश** :

श्री रामसमुझावन : क्या गृह मंत्री केन्दीय सदाचार समिति के कार्य कलापों के बारे में 25 अगस्त 1976 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1435 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय संयुक्त सदाचार समिति के कार्य कलापों के स्वरूप और उपर्युक्त समिति के दिल्ली में पदाधिकारियों के कार्यकलापों के बारे में कोई जाँच की है, और

(ख) यदि हाँ तो जाँच के क्या परिणाम निकले हैं और उस पर क्या कार्यवाही की गई है?

संचार मंत्रालय के तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा): (क) जी नहीं श्रीमान ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

जासूसी के आरोप में ताइवान की दो नौकाओं का पकड़ा जाना

9315. **श्री एल० जवपाल रेड्डी :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1976 में मद्रास से लगने वाले तटवर्ती क्षेत्र में ताइवान की दो मत्स्य नौकाएं पकड़ी गयी थीं और उन पर जासूसी का आरोप था, और

(ख) यदि हां, तो क्या इन नौकाओं को एक लाख रुपये के जुर्माने की अदायगी करने पर छोड़ दिया गया था ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) रक्षा मन्त्रालय को ऐसे किसी कब्जे की जानकारी नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन

9316. **कुमारी पुष्पादेवी :** क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं, जिन्होंने आदिवासियों को शोषण से बचाने के लिए बेहतर प्रशासन हेतु अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में केन्द्रीय सरकार को अनुमोदनार्थ विधेयक भेजे हैं, और

(ख) उनके अनुमोदनार्थ क्या कार्यवाही की गई है ?

कल्याण मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) मध्यप्रदेश राज्य ने गृह मंत्रालय के अनुमोदन के लिए एक विनियम "मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति क्षेत्र प्रशासन विनियम 1984" भेजा है।

(ख) विनियम की जांच की जा रही है और राज्य सरकार से विचार-विमर्श किया जा रहा है। राज्य से कुछ मुद्दों पर स्पष्टीकरण मांगा गया है जिसकी प्रतीक्षा है।

सरकार को देय धन की अदायगी के लिए दिल्ली में "वन विन्डो" योजना

9317. **डा० बी० एल० शंकेश :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राजधानी में लोगों को नई दिल्ली नगर निगम और दिल्ली नगर निगम को अपने सरकार को देय धन की अदायगी के लिए विभिन्न कार्यालयों में घण्टों लाइनों में खड़े रहने की बजाय शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करने के लिए "वन विन्डो" योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य रूप रेखा क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्रालय के तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) और (ख) जी नहीं, श्रीमान् । फिर भी दिल्ली प्रशासन द्वारा आयोजित सेमिनार में यह सुझाव दिया गया था कि लोगों द्वारा करों की अदायगी को सुविधाजनक बनाने के लिए राष्ट्रीय-कृत बैंकों अथवा एक बैंक की शाखाओं अथवा डाकखानों को विभिन्न देय धन की अदायगी को स्वीकार करने की अनुमति दी जाये ।

(ग) नगर पालिका निकायों/दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के नकदी प्राप्ति केन्द्रों पर बिजली तथा पानी के बिलों की अदायगी के अतिरिक्त, बैंकों की कुछ विनिर्दिष्ट शाखाओं को भी ऐसी अदायगी स्वीकार करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अधिक-संख्या में नकदी प्राप्ति केन्द्र/बैंक शाखायें होने से चूंकि जमा की समस्या उत्पन्न हो जायेगी ।

अग्नि-शमन के उपाय

9318. **श्री जयप्रकाश अग्रवाल** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में बहुमंजली तथा गगनचुम्बी इमारतों में अग्नि-शमन उपायों तथा तत्संबंधी विनियमनों का पालन सुनिश्चित करने के लिए उनकी समय-समय पर जांच की जा रही है, और

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार अग्नि-शमन सेवा के रख-रखाव के लिए दिल्ली प्रशासन को धनराशि दे रही है और यदि हां, तो गत 3 वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी धनराशि दी गई है ?

संचार मन्त्रालय के तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) भवन उप-विधि 1983 में यह अनिवार्य है कि मुख्य अग्नि शमन अधिकारी से ऊंची इमारतों में अग्नि की रोकथाम तथा अग्नि की सुरक्षा के लिए की गई व्यवस्था को प्रमाणित करते हुए अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाये । 1983 से पहले की ऊंची इमारतों के सम्बन्ध में, अग्निशमन सलाहकार समिति ने इन भवनों का निरीक्षण किया और मालिकों/काबिजों द्वारा पालन किये जाने के लिए अनिवार्य अग्नि बचाव और अग्नि सुरक्षा पूर्वोपायों के सम्बन्ध में सिफारिशें की । उन्हें अपने भवनों की अग्नि से सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाये जाने वाले विशिष्ट कदमों का पालन करने के निर्देश दिये गये हैं ।

(ख) दिल्ली अग्नि शमन सेवायें दिल्ली नगर निगम द्वारा संचालित की जाती हैं । 5 और अग्निशमन केन्द्र स्थापित करने तथा उपकरण खरीदने के लिए भारत सरकार द्वारा 11.83 करोड़ रु० का सहायता अनुदान स्वीकृत किया गया है ।

श्रीलंका के तमिल शरणार्थियों की श्रीलंका को वापसी

9320. **प्रो० के० के० तिवारी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीलंका से आये तमिल शरणार्थियों को श्रीलंका वापिस भेजने के लिए सरकार द्वारा कोई प्रयास किए गए हैं अथवा किये जा रहे हैं, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

आन्तरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) और (ख) भारत सरकार, श्रीलंका सरकार और श्रीलंका तमिल ग्रुपों के साथ सीधी बातचीत करके श्रीलंका में जातीय संकट के समाधान के लिए सहायता करने के प्रयत्न करती रही है, जिससे समस्या का शांतिपूर्ण समाधान होगा और बदले में श्रीलंका के शरणार्थियों का इज्जत और सम्मान के साथ श्रीलंका लौटना सुनिश्चित होगा।

बंगला देश से घुसपैठिये

9321. श्री लैंबर शाहबुद्दीन : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984 और 1985 के दौरान बंगलादेश की सीमा से लगे प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में कुल कितने बंगलादेशी घुसपैठियों को पकड़ा गया;

(ख) प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की प्रति वर्ष की अधिकतम और न्यूनतम संख्या क्या है,

(ग) क्या यह सच है कि वर्ष 1971–1981 की अवधि के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सीमावर्ती जिलों में जनसंख्या में असाधारण वृद्धि हुई है, और

(घ) ऐसे जिलों के नाम क्या हैं ?

आंतरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) और (ख) वर्ष 1984 और 85 के दौरान सुरक्षा बलों और राज्य अभिकरणों द्वारा पकड़े गए बंगलादेशी घुसपैठियों की संख्या और प्रत्येक वर्ष के लिए न्यूनतम और अधिकतम मासिक आंकड़े नीचे दिए गये हैं :—

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	घुसपैठियों की संख्या		मासिक आंकड़े			
			न्यूनतम		अधिकतम	
	1984	1985	1984	1985	1984	1985
पश्चिम बंगाल	21,331	30,080	1,149	1,838	2,563	2,967
असम	703	1,241	24	45	114	228
मेघालय	121	196	1	3	39	30
मिजोरम	5,167	500	9	4	4,199	199
त्रिपुरा	2,616	2,439	55	74	930	1,053

उपर्युक्त सभी घुसपैठियों को बंगलादेश वापस भेज दिया गया है।

(ग) और (घ) 1971 और 1981 की जनगणना आंकड़ों के पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के सीमान्त जिलों में जनसंख्या का विवरण संलग्न है। असम में 1981 में जनगणना नहीं की गयी थी।

विवरण

राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	जिला	1971 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या	1981 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या
मेघालय	जेनतिया हिल्स	113562	156402
	ईस्ट खासी हिल्स	380650	511414
	वेस्ट खासी हिल्स	110872	161576
	वेस्ट गारो हिल्स	303917	369877
त्रिपुरा	वैस्ट त्रिपुरा	751605	976252
	नार्थ त्रिपुरा	405009	541248
	साउथ त्रिपुरा	399728	535558
पश्चिम बंगाल	कूच बिहार	1414183	1771643
	जलपाईगुडी	1750159	2214871
	दार्जिलिंग	781777	1024269
	वेस्ट दीनाजपुर	1859887	2404947
	मालदाह	1612657	2031871
	मुर्शीदाबाद	2940204	3697552
	नदिया	2230270	2964253
	24-परगना	8449482	10739439
मिजोरम	एजवल	229112	340826
	लुंगलेई	62136	86511
	छिमतुईपुई	41142	66420

[हिन्दी]

रेल गाड़ियों में डकैतियां और लूटपाट

9322. डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत दो महीनों के दौरान गाड़ियों में डकैतियों और लूटपाट की अनेक घटनाएं सामने आई हैं,

(ख) यदि हां, तो ये घटनाएं किन-किन रेल गाड़ियों में हुई हैं, और

(ग) ऐसी घटनाओं में कितने जान और माल की हानि हुई है ?

आन्तरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

[अनुवाद]

बिना बिके लाटरी टिकटों पर इनाम

9323. **श्री आनन्द सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा आयोजित लाटरियों के ड्रा कुल मुद्रित लाटरी टिकटों में से निकाला जाता है न कि वास्तविक रूप में बिके लाटरी के टिकटों में से और बिना बिके लाटरी टिकटों से निकाले गए इनाम वे एजेन्ट ले जाते हैं जो लाटरी के टिकट बेचते हैं, और

(ख) यदि हां, तो क्या गत दो वर्षों के दौरान ठेकेदारों द्वारा इस प्रकार से इनाम की राशि रखने के बारे में कोई वास्तविक मूल्यांकन किया गया है, यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

संचार मंत्रालय के तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) केन्द्र सरकार कोई लाटरी आयोजित नहीं कर रही है । जहां तक राज्यों का सम्बन्ध है, बेचे गये या मुद्रित टिकटों के आधार पर लाटरी के ड्रा निकालने में कोई एकरूपता नहीं है । राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में जहां लाटरियां विभाग द्वारा चलायी जाती हैं, सामान्यतः केवल बेचे गये टिकटों को ही ड्रा में सम्मिलित किया जाता है । जिन राज्यों में लाटरियां केवल विक्रेता एजेन्टों के मार्फत ही आयोजित की जाती हैं, ड्रा निकालने की प्रथा अलग-अलग राज्य में अलग-अलग है ।

(ख) इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों द्वारा कोई मूल्यांकन नहीं किया जाता है ।

दिल्ली में छुटपुट चोरियों की जांच

9324. **श्री कमल नाथ :**
श्रीमती गीता मुखर्जी :
श्री काली प्रसाद पाण्डेय : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस ने निर्णय लिया है कि छुटपुट चोरियों की जांच करने की आवश्यकता नहीं है और ऐसे मामले दर्ज किये जाएंगे उन पर आगे कार्यवाही नहीं की जाएगी, और

(ख) इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

सिक्किम में भारत इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड के कार्यकलाप

9325. **श्रीमती डी०के० भण्डारी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसर्स भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड ने सिक्किम राज्य में कोई कार्य आरम्भ नहीं किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

रक्षा उत्पादन और रक्षा पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) और (ख) मैसर्स भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड रक्षा क्षेत्र का एक सरकारी उपक्रम है, जिसकी देश के विभिन्न भागों में उत्पादन यूनिटें हैं। भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड की सिक्किम में कोई यूनिट नहीं है।

इंजीनियरी अनुसंधान संस्थानों की स्थापना

9326. **श्री के० प्रधानी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एक इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान स्थापित करने का है जो उद्योग और अनुसंधान प्रयोगशालाओं तथा राज्य स्वामित्व वाले अन्य संस्थानों के बीच सेतु का कार्य करेगा, और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य रूपरेखा क्या है, और

(ग) इस प्रयोजन के लिए कौन-कौन से स्थान निर्धारित किये जाने की संभावना है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

समुद्री सतह से खनिज संसाधन जुटाने के लिए तकनीकी बोर्ड या निगमित निकाय

9327. **श्री के० प्रधानी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार समुद्री सतह से खनिज संसाधन जुटाने के लिए एक पृथक तकनीकी बोर्ड या निगमित निकाय स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो यह मामला किस स्थिति में है; और

(ग) निगमित निकाय का संभावित ढांचा क्या है और आवश्यक आधारभूत ढांचा सम्बन्धित प्रौद्योगिकी तैयार करने में कितना समय लगेगा ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) समुद्री संसाधनों,

जिनमें समुद्र तल खनिज भी शामिल हैं, के समन्वित विकास और उपयोग के लिए भारत सरकार ने हाल ही में एक समुद्री विज्ञान और तकनीकी बोर्ड गठित किया है।

(ख) बोर्ड ने कार्य करना शुरू कर दिया है और इसकी पहली बैठक मई, 1986 में होनी प्रस्तावित है।

(ग) बोर्ड में भारत सरकार के सचिव के स्तर के अनेक अधिकारी और समुद्र विज्ञान के क्षेत्र में प्रतिष्ठित वैज्ञानिक शामिल हैं।

संस्थागत आधार, प्रशिक्षित जनशक्ति और अनुसंधान जलयानों के रूप में आधारभूत ढांचा देश में पहले ही उपलब्ध है। तेल एवं गैस, इल्मेनाइट, रूटाइल, जिरकॉन, मोनाजाइट आदि के उपयोग के लिए प्रौद्योगिकी भी भारत में विद्यमान है। केवल गहन समुद्र संसाधनों के लिए आवश्यक सुविज्ञता प्राप्त की जानी है जिसमें लगभग 10 वर्ष लगेंगे।

हैदराबाद हाऊस के लिए किराया

9328. **श्री एन० वेंकट रत्नम** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस के लिए कितना मासिक किराया और कुल कितना किराया आन्ध्र प्रदेश सरकार को देय है;

(ख) मासिक किराया और किराये की शर्तें निर्धारित करने और राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार को उसकी बिक्री करने के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार और आन्ध्र प्रदेश के बीच बातचीत किस कारण में हैं; और

(ग) जसवन्त सिंह रोड पर आन्ध्र प्रदेश भवन की ओर के हिस्से और टूटे फूटे मकानों के बारे में दोनों सरकारों के बीच चल रही बातचीत की वर्तमान स्थिति क्या है।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० नारायणन) : (क) 1954 में 1.25 लाख रुपये प्रतिवर्ष वार्षिक किराया तय किया गया था।

(ख) विदेश मंत्रालय हैदराबाद हाऊस को खरीदने के लिए आन्ध्र प्रदेश सरकार के साथ पत्र-व्यवहार कर रहा है। इस समय, मासिक किराया तय करने के लिए कोई बातचीत नहीं चल रही है।

(ग) 1982 के बाद इस सम्बन्ध में और आगे विचार-विमर्श नहीं हुआ है।

आंध्र प्रदेश में नई औद्योगिक परियोजनायें

9329. **श्री टी० बाल गौड़** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा सातवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल करने के लिए प्रस्तुत की गई मौजूदा औद्योगिक इकाइयों की विस्तार परियोजनाओं सहित नई औद्योगिक परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है, और

(ख) इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और उठाने का विचार है ?

योजना मन्त्रालय तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) और (ख) आंध्र प्रदेश सरकार ने, योजना आयोग को प्रस्तुत अपने सातवीं पंचवर्षीय योजना प्रस्तावों में, राज्य क्षेत्रक में माप–तोल सहित उद्योग और खनिज के लिए 50820 लाख रु० के परिव्यय का प्रस्ताव रखा था। इन प्रस्तावों पर योजना आयोग में विचार विमर्श किया गया। विभिन्न क्षेत्रकों की पारस्परिक प्राथमिकता और उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए, माप–तोल सहित उद्योग और खनिज के लिए 31290 लाख रु० के परिव्यय का अनुमोदन किया गया। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार द्वारा दिये गये उपर्युक्त परिव्ययों के स्कीमवार ब्यौरों का विवरण संलग्न है।

विवरण

स्कीम/परियोजनायें	(लाख रु० में) 7वीं पंचवर्षीय योजना	
	राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित परिव्यय	अनुमोदित परिव्यय*
1	2	3
(क) बड़े और मझोले उद्योग		
1. उद्योग आयुक्त	6372.00	5170.00
2. आंध्र प्रदेश औद्योगिक आधार संरचना निगम	2000.00	800.00
3. आंध्र प्रदेश राज्य वित्तीय निगम	1950.00	1500.00
4. आंध्र प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम (आंध्र प्रदेश इलैक्ट्रानिक्स विकास निगम सहित)	8000.00	4800.00
5. राज्य लोक उद्यम ब्यूरो	150.00	100.00
6. नागार्जुन उर्वरक और रसायन 7. गोदावरी उर्वरक और रसायन 8. अन्य सरकारी कम्पनियां	5500.00	750.00
9. निजाम चीनी मिल लि०	1020.00	600.00
10. आंध्र प्रदेश और गैर प्रवासी भारतीय निवेश निगम	300.00	140.00
11. चीनी महानिदेशालय	3000.00	1300.00
12. नागर आपूर्ति महानिदेशालय	58.00	50.00
13. आधार संरचनात्मक और जल सुविधाओं के लिए प्रावधान (क) विजाग में इस्पात संयंत्र (ख) रेनीगुंटा में कैरिज वर्कशाप (ग) ओर्डनिन्स फैक्टरी, मेड़क	2000.00	1000.00
उप–जोड़–बड़े और मझोले उद्योग (क)	30350.00	16210.00

1	2	3
(ख) खनिज विकास	7700.00	5670.00
(ग) ग्राम और लघु उद्योग†		
1. लघु उद्योग	4620.00	2620.00
2. खादी और ग्रामोद्योग	400.00	200.00
3. हथकरघा	3900.00	3600,00
4. बिजली करघा	100.00	50.00
5. रेशम कीट पालन	3500.00	2670.00
6. नारियल जटा	68.00	80.00
7. हस्तशिल्प	112.00	140.00
उप–जोड़–ग्राम और लघु उद्योग (ग)	12700.00	9360.00
(घ) माप और तोल	70.00	50.00
कुल जोड़–उद्योग और खनिज तथा माप और तोल (क+ख+ग+घ)	50820.00	31290.00

*राज्य सरकार द्वारा स्कीमवार ब्यौरे यथा प्रस्तुत किए गए हैं।

†राज्य सरकार के स्कीमवार ब्यौरों की अनुपस्थिति में योजना आयोग के ग्राम तथा लघु उद्योग प्रभाग द्वारा प्रस्तुत ग्राम तथा लघु उद्योगों के लिए अनुमोदित परिव्यय का स्कीमवार ब्यौरा।

रेडियो सेटों का निर्माण

9330. **कुमारी डी० के० तारादेवी** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में वर्ष 1980, 1985 में कितने रेडियो सेटों का निर्माण हुआ और 1990 में कितने रेडियो सेटों के निर्माण किए जाने की सम्भावना है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : वर्ष 1980, 1985 के दौरान भारत में विनिर्मित तथा वर्ष 1990 तक जिनके विनिर्माण किए जाने की सम्भावना है, ऐसे रेडियो सेटों की संख्या नीचे दी गई है :

1980	—	58.1 लाख
1985	—	75 लाख
1990	—	100 लाख (अनुमानित)

अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में ताड़ के बागान लगाने के लिए भूमि आबंटन का प्रस्ताव

9331. **श्री हुसैन दलवाई** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड ने अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में बड़े पैमाने पर ताड़ के बागान लगाने के लिए केन्द्रीय सरकार से वहां भूमि आबंटन के लिए अनुरोध किया है;

(ख) केन्द्रीय सरकार के विचारार्थ लंबित पड़ा वास्तविक प्रस्ताव क्या है;

(ग) उस प्रस्ताव पर केन्द्रीय सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(घ) क्या यह भी सच है कि हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड ने यह प्रस्ताव एक औद्योगिक परियोजना के रूप में नहीं बल्कि इससे वाणिज्यिक लाभ उठाये बिना एक विकास परियोजना के रूप में प्रस्तुत किया है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) . (क) और (ख) मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड ने अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में, रेड आयल ताड़ बागानों को बढ़ाने के लिए 10,000 हेक्टेयर भूमि के पट्टे के आबंटन के लिए अनुरोध किया है ।

(ग) सरकार अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में रेड आयल ताड़ बागानों की सम्पूर्ण पारिस्थितकीय तथा पर्यावरणीय प्रभाव का पुनरीक्षण कर रही है ।

(घ) देश में खाद्य तेल आपूर्ति तथा रोजगार अवसरों को बढ़ाने के लिए, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में रेड आयल ताड़ बागानों को बढ़ाने के लिए कम्पनी ने अपने पास उपलब्ध कार्यकुशलता प्रदान करने के लिए प्रस्ताव किया है ।

अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में "रेड पाम आयल" की खेती की अधिक उपज

9332. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को संघ राज्य क्षेत्र अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में "रेड आयल पाम" की खेती की अधिक उपज के बारे में जानकारी है; और

(ख) यदि हां तो क्या सरकार का इस द्वीपसमूह में बड़े पैमाने पर इसकी खेती करने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्यमन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह वन एवं पौधरोपण विकास निगम ने अब तक रेड आयल पाम की पौधरोपण 1600 हेक्टेयर के क्षेत्र तक बढ़ा ली है ।

(ख) अण्डमान निकोबार द्वीपसमूह में रेड आयल पाम की कृषि को बढ़ाने के लिए कोई निर्णय लेने से पूर्व रेड आयल पाम के पौधरोपण के बढ़ाने से पड़ने वाले समग्र पारिस्थितिकीय एवं पर्यावरणीय प्रभाव को ध्यान में रखा जायेगा ।

बंजर भूमि का अनुमान

9333. **श्री आर० एस० माने :** क्या **प्रधान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितनी बंजर भूमि होने का अनुमान लगाया गया हैं और इससे देश को गत एक दशक के दौरान बंजर भूमि में वृद्धि के कारण कितना नुकसान हुआ है;

(ख) क्या इस नुकसान को रोकने और इसका उत्पादक कार्यों के लिए प्रयोग में लाने की कोई योजना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) परती भूमि का सुस्पष्ट निर्धारण करने हेतु पूरे देश का कोई व्यापक सर्वेक्षण उपलब्ध नहीं है। राष्ट्रीय कृषि आयोग (1976) सहित कुछ रिपोर्टों में दी गई सूचना के अनुसार कुल मिलाकर अनुमान यह है कि देश का 175 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र मृदा कटाव और भूमि के निम्नीकरण की समस्या से प्रभावित है।

राष्ट्र को वनों की कटाई से होने वाली हानि के सम्बन्ध में 1972–75 के लिए और दोबारा 1980–82 में राष्ट्रीय दूरस्थ संवेदन एजेंसी द्वारा प्राप्त भू–उपग्रह चित्रों के अनुसार 10% से अधिक सघनता वाले वन आच्छादन के अन्तर्गत कुल क्षेत्र 55 से गिरकर 46 मिलियन हेक्टेयर रह गया। यह वन आच्छादन में आ रही गिरावट को दर्शाता है जो कि 1.5 मिलियन हेक्टेयर प्रतिवर्ष की गति से हो रहा है। इसके अतिरिक्त, अत्यधिक चराई, भूमि एवं जल संसाधनों के अवैज्ञानिक प्रबन्ध, घटिया जल–निकास एवं खनन जैसे विभिन्न क्रियाकलापों की वजह से भूमि निम्नीकरण होता है। विगत तीन वर्षों में परती भूमि के फैलाव का सही अनुमान ज्ञात नहीं है।

(ख) और (ग) वनरोपण एवं परती भूमि के सुधार के लिए भारत सरकार ने नीतियां, योजनायें एवं कार्यकारी योजना तैयार करने के लिए राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड की स्थापना की है। बोर्ड ने एक कार्यकारी योजना तैयार की है जो विवरण I के रूप में संलग्न है।

इसके अतिरिक्त भूमि को उत्पादक प्रयोग में लाने के लिए कृषि और ग्रामीण विकास विभाग के पास योजनायें हैं। महत्वपूर्ण योजनायें विवरण II के रूप में संलग्न है।

विवरण I

कार्यकारी योजना

राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड द्वारा तैयार की गयी और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा कार्यान्वयन के लिए स्वीकृत कार्यकारी योजना के निम्नलिखित मुख्य तत्व हैं :—

(1) परती भूमि का अभिनिर्धारण

प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकार से अपने क्षेत्र में परती भूमि के अभिनिर्धारण का अनुरोध किया गया है चाहे वे वन क्षेत्र, राजस्व/सामान्य भूमि या अवनत कृषि भूमि हो।

(2) **जनता की भागीदारी**

इसको निम्नलिखित उपायों से सुनिश्चित किया जाएगा :—

(क) विकेन्द्रित नर्सरियां : जनता की नर्सरियां अर्थात् किसानों, स्कूलों, महिलाओं, युवा दलों, स्वैच्छिक एजेंसियों इत्यादि को पौधों की बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा ।

(ख) फार्म वानिकी : किसानों को उनकी सीमांत भूमि और खेती की मेढ़ों पर वृक्षों की फार्मिंग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा । पौधों के वितरण हेतु एक विवेकशील नीति तैयार की जानी चाहिए ।

(ग) वृक्ष उगाने वालों की सहकारी समिति : पौधों को लगाने और वितरण में तथा वृक्ष उगाने के लिए वृक्ष उगाने वालों की सहकारी समितियों को संगठित किया जाना चाहिए ।

(घ) स्वैच्छिक संगठन : व्यापक आधार वाले संगठनों, महिला मण्डलों, युवा दलों को नर्सरी उगाने और पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा ।

(ङ) पेड़ों के पट्टे : सड़कों, रेल, नहरों इत्यादि और अन्य निम्नीकृत भूमि को ग्रामीण निर्धनों को इस जमीन पर उनके द्वारा लगाये गये वृक्षों पर भोगाधिकार सहित, दे दिया जाना चाहिए ।

(3) **नोडल एजेंसी** :

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से विभिन्न अभिकरणों, सरकारी व अन्यों द्वारा क्रियान्वित किये जा रहे कार्यक्रमों को अमल में लाने के लिए एक समेकित नीति को सुनिश्चित करने हेतु एक एकल नोडल एजेंसी के अभिनिर्धारण के लिए अनुरोध किया गया है ।

(4) **बीज**

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से किसानों को व्यापारिक आधार पर चारा, घास और फलीदार बीजों की आपूर्ति हेतु विद्यमान राज्य बीज निगमों के क्रियाकलापों की भूमिका में विस्तार करने का अनुरोध किया गया है ।

(5) **भूमि को पट्टे पर देना**

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से ग्रामीण निर्धनों को वनरोपण हेतु वन तथा गैर–वन परती भूमि पट्टे पर देने के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त तैयार करने का अनुरोध किया गया है ।

(6) वन–आधारित उद्योगों को, उनके द्वारा अपेक्षित कच्चे माल के उत्पादन हेतु परती भूमि पर वनरोपण के लिए, प्रोत्साहित किया जाना चाहिए । ग्रामीण निर्धनों को रोजगार प्रदान करने के साथ-साथ उन्हें लाभप्रद आधार पर वृक्ष उगाने के योग्य बनाने की दृष्टि से परती भूमि पर वृक्ष आच्छादन को बढ़ाने के लिए उद्योगों को उत्साहित भी किया जाना चाहिए । राज्य सरकारों से, इस विषय में उद्योगों को परती भूमि पट्टे पर दिये जाने के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त तैयार करने का अनुरोध किया गया है ।

(7) **शहरी ईधन की लकड़ी और हरित पट्टियां**

राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गवा है कि शहरी ईधन की लकड़ी और चारे की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ईधन की लकड़ी और चारे के पौधों की हरित पट्टियां कस्बों और शहरों में लगायी जायें।

(8) **निम्नी कृत क्षेत्र**

राज्यों से, निम्नीकृत वन–भूमि के अभिज्ञान और ईधन की लकड़ी और इनके चारे की प्रजातियों से पुनः वनरोपण करने का अनुरोध किवा गया है।

(9) **वन विकास निगम**

वन विकास निगमों को ईधन की लकड़ी और चारे के पौधे लगाने के लिए सरकारों से परती भूमि पट्टे पर लेनी चाहिए।

(10) **सरकारी विभाग**

सरकारी विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य निकाय/संस्थानों जिनके पास पर्याप्त अप्रयुक्त भूमि है, ऐसी भूमि को वृक्षारोपण के अन्तर्गत लाना चाहिए।

(11) **माध्यम एवं संचार**

जनता में जागरूकता लाने के लिए लोककला और संस्कृति के परम्परागत माध्यम रेडियो, टेलीविजन और अन्य श्रव्य–दृश्य माध्यमों के द्वारा व्यापक प्रचार अभियान चलाया जाना चाहिए।

(12) **प्रबोधन एवं मूल्यांकन**

राज्य/संघ राज्य सरकारों को कार्यक्रम के गुणात्मक क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त प्रबोधन और मूल्यांकन तंत्र विकसित करना चाहिए।

विवरण II

	योजनाओं के नाम	विभाग
1.	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम	ग्रामीण विकास
2.	ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम	–वही–
3.	सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम	–वही–
4.	मरुभूमि विकास कार्यक्रम	–वही–
5.	सामाजिक वानिकी	राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड
6.	उत्पादन वानिकी	पर्यावरण और वन मंत्रालय
7.	तंग घाटी क्षेत्रों का विकास एवं स्थायीकरण	कृषि
8.	जलाक्रांत क्षेत्रों की सुरक्षा एवं विकास	–वही–

	योजनाओं के नाम	विभाग
9.	क्षारीय मृदा को कृषि योग्य बनाना	–वही–
10.	लवणीय मृदा को कृषि योग्य बनाना	–वही–
11.	तटीय एवं रेतीले क्षेत्रों का विकास	–वही–
12.	चरागाह एवं चराई के लिए भूमि के विकास के लिए कार्यक्रम	–वही–
13.	शुष्क भूमि में कृषि	–वही–
14.	नदी–घाटी परियोजनाओं के आवाह क्षेत्रों में मृदा संरक्षण	–वही–
15.	बाढ़-प्रवण नदियों के आवाह क्षेत्रों में समग्र जलसंभर प्रबन्ध	–वही–
16.	शुष्क क्षेत्रों में नमी की मात्रा की वृद्धि को स्थिर रखने के लिए जल संरक्षण/फसल कटाई तकनीकी के कार्यक्रम	–वही–
17.	झूम कृषि का नियत्रण	–वही–

20–सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण कृषि का विकास

9334. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत :** क्या **कार्यक्रस कार्यान्वयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 20–सूत्री कार्यक्रम को नया स्वरूप देने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या ग्रामीण कृषि विकास के लिए इसके अन्तर्गत नई योजनायें होंगी; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) से (ग) जी,हां । कार्यक्रम के उद्देश्यों के अधिक प्रभावी कार्यान्वयन के लिए 20-सूत्री कार्यक्रम की पुनः संरचना पर विचार किया जा रहा है । कार्यक्रम को अन्तिम रूप दिये जाने पर ही ब्यौरा उपलब्ध होगा ।

नैमित्तिक श्रमिकों को नियमित करना

9335. **प्रो० मधु दण्डवते:** क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार के विभिन्न विभागों में अनेक वर्षों की सेवा करने के बाद भी नैमित्तिक श्रमिकों को नियमित करने में सरकार की असफलता से श्रमिकों में भारी असंतोष है;

(ख) यदि हां तो, क्या नैमित्तिक श्रमिकों की निरन्तर सेवा ने व्यवधान देकर और उन्हें पुनः नियुक्त करके उन्हे नियमित नहीं किया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस प्रथा को समाप्त किया जायेगा और सरकार के सभी विभागों के लिए निर्णय लेकर लम्बी अवधि से सेवारत नैमित्तिक श्रमिकों को नियमित किया जायगा ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्): (क) गम्भीर असन्तोष का कोई मामला सरकार के ध्यान में नहीं आया है ।

(ख) और (ग) नैमित्तिक मजदूरों को, पूर्णतया नैमित्तिक/आवधिक/विरामी किस्त के ऐसे कार्य के लिए, जिसके लिए किसी नियमित पद का सृजन नहीं किया जा सकता, दैनिक मजदूरी के आधार पर भर्ती करना होता है । अतः जिस विशेष कार्य के लिए उन्हें भर्ती किया जाता है, जब कभी भी वह पूरा हो जाता है तो उनकी सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं ।

तथापि जब कभी भी उपयुक्त रिक्तियां होती हैं तो ऐसे नैमित्तिक मजदूरों को समूह "घ" पदों में नियुक्त करने का विचार किया जा सकता है; बशर्ते कि उन्होंने उसी कार्यालय/संस्थापन में जिसमें उन्हें नियुक्त किया गया था कम से कम दो वर्षों तक तथा प्रत्येक वर्ष के दौरान 240 दिन (5 दिनों का सप्ताह मनाने वाले कार्यालयों में 206 दिन अथवा इससे अधिक समय की सेवा की हो और वे सम्बन्धित पदों पर नियुक्ति के लिए पात्रता की शर्तें पूरी करते हों । समूह "घ" पदों पर नियुक्ति के लिए नैमित्तिक मजदूरों पर विचार करते समय उनकी सेवा की विछिन्न अवधि को भी हिसाब में लिया जाता है । इन परिस्थितियों में, नैमित्तक मजदूरों की सेवाओं का विनियमन रोकने के लिए उनकी सेवा में कोई व्यवधान पैदा करने का प्रश्न ही नहीं उठता । चूंकि समूह "ब" पदों पर नैमित्तिक मजदूरी की नियमित नियुक्तियां करना, अन्य बातों के साथ साथ, रिक्तियों की उपलब्धता पर भी निर्भर करता है, अतः उनकी सेवाओं को विनियमित करने के लिए कोई निश्चित समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है ।

[हिन्दी]

न्यायालयों में विचाराधीन मुकदमों में अभियुक्त समाज विरोधी तत्वों द्वारा न्यायधीशों को धमकी भरे पत्र

9336. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को इस बात की जानकारी है कि विभिन्न उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को उन समाज विरोधी तत्वों से, जिनके मुकदमे न्यायालयों में विचारधीन है, धमकी भरे पत्र प्राप्त होते हैं;

(ख) क्या यह सच है कि कुछ न्यायधीशों पर घातक हमले किये गये हैं अथवा कुछ ऐसे प्रयास किये गये है;

(ग) यदि हां तो, ऐसे प्रयासों को रोकने हेतु सरकार द्वारा अब तक क्या ठोस कदम, उठाये गये हैं और यदि कोई कदम नहीं उठाये गए हैं; तो उसके क्या कारण है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान ऐसे कुल कितने मामलों का पता चला हैं तथा किन-किन स्थानों पर तथा किस-किन तारीखों को ऐसे प्रयास किये गये और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

आंतरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) हालांकि, उच्चतम

न्यायालय अथवा अन्य उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को धमकी भरे पत्र प्राप्त होने के बारे में कोई समाचार नहीं है फिर भी बताया गया है कि पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय के कुछ न्यायाधीशों को धमकी भरे पत्र प्राप्त हुए हैं, लेकिन यह सिद्ध नहीं किया जा सका कि ये पत्र उन व्यक्तियों द्वारा भेजे गये थे, जिनके मामले न्यायालयों में लम्बित थे।

(ख) न्यायाधीशों पर घातक हमले करने अथवा घातक हमलों का प्रयास करने का कोई समाचार नहीं है।

(ग) चूंकि ऐसे किसी प्रयास की सूचना नहीं मिली है इसलिए कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

(घ) चूंकि हमले अथवा प्रयास की किसी घटना की सूचना प्राप्त नहीं हुई, इसलिए यह प्रश्न ही नहीं उठता।

12.00 मध्याह्न

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया है····

अध्यक्ष महोदय : क्या ऐसा करना परिपाटी है ?

श्री संफुद्दीन चौधरी (कटवा) : यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण मामला है।

श्री बसुदेव आचार्य : यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण मामला है।

कुमारी ममता बनर्जी (जादवपुर) : रवीन्द्रनाथ टैगोर की 125 वीं वर्षगांठ···

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप ऐसे मत बोलिये। मैं आपकी बात सुनूंगा। (**व्यवधान**) श्री बसुदेव आचार्य मुझे एक प्रश्न पूछना है; क्या ऐसे स्थगन प्रस्ताव इस ढंग से देना परिपाटी बन गया है ? रोजाना सैकड़ों प्रदर्शन होते हैं। मैं रोजाना सभा को कैसे स्थगित कर सकता हूँ ? (**व्यवधान**) यह कोई तरीका नहीं है।

श्री बसुदेव आचार्य : त्रिपुरा का मुख्यालय, अर्थात् अगरतला रेल मार्ग से जुड़ा हुआ नहीं है···(**व्यवधान**) त्रिपुरा के लोग कब तक पिछड़े रहेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : यदि आप इस प्रकार का लक्ष्य रखते हैं और ऐसी बात करते हैं तो यह न तो आपको ही शोभा देता है और न ही मुझे। (**व्यवधान**) अब प्रश्न यह है कि आपने इस प्रकार का व्यवहार करना कहाँ से सीखा है ? मैं यह बात समझ नहीं पा रहा हूँ; आप सुलझे हुए संसदविद हैं। मैं इस बात को नापसंद करता हूँ और मैं समझता हूँ कि यह हम सबके लिए लज्जा जनक बात है जब मैं आपसे खुला हूँ, और जब आप किसी भी विषय पर चर्चा कर सकते हैं, तो ऐसा करने से आपको क्या मिलता है ? आप ऐसा करने की परिपाटी क्यों बना लेते हैं। (**व्यवधान**) मैं इसे नहीं समझता यह पूर्णतया अवांछनीय है।

श्री बसुदेव आचार्य : परियोजनाओं को मंजूरी देने के बारे में···(**व्यवधान**)

(**व्यवधान**)**

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जायेगा । मैं कुछ भी नहीं सुनूंगा । मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि सदस्यों को क्या हो गया हैं ।

(**व्यवधान**)**

अध्यक्ष महोदय : यह अनियमित है । श्रीमान् आचार्य, आप ऐसा क्यूं करते हैं ? क्या आप में औचित्य का कोई बोध है ? आप ऐसा क्यों करते हैं ? आप रोजाना ऐसी बातें करते हैं। आप ऐसा क्यों करते हैं ? मैं नहीं जानता । आप ऐसा क्यों कर रहे हैं ? (**व्यवधान**)**

इससे क्या फर्क पड़ता है वे रोजाना आते हैं । रोजाना कोई न कोई प्रदर्शन होता रहता है । क्या मैं रोजाना सभा को स्थगित कर दूं । यह केवल बकवास है और मैं इसे नहीं सुनूंगा । मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा ।

(**व्यवधान**)**

अध्यक्ष महोदय : मैं चाहूँगा कि आप सभा से बाहर चले जायें ।

(**व्यवधान**)**

अध्यक्ष महोदय : बहुत हो चुका है ।

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, मुझे बोलने की अनुमति दी जाए । कृपया आप मेरी बात सुनिये ।

अध्यक्ष महोदय : आप क्या कहना चाहती हैं ?

कुमारी ममता बनर्जी : रवीन्द्र नाथ टेगौर की 125 वीं वर्ष गांठ को राष्ट्रीय अवकाश के रूप में घोषित किया जाए ।

(**व्यवधान**)**

अध्यक्ष महोदय : मैं इससे उकता रहा हूँ । अब श्री शंकरानंद । सभा पटल पर पत्र रखे जायेंगे ।

(**व्यवधान**)**

अध्यक्ष महोदय : पहले लोग यह जानें कि हम कैसे लोग हैं, और हम यहां क्या कर रहे हैं ।

कुमारी ममता बनर्जी : प्रधान मंत्री जी यहां उपस्थित हैं । प्रधान मंत्री जी को रवीन्द्रनाथ टेगौर की 125 वीं वर्ष गांठ को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करना चाहिए ।

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

12.05 म० प०

सभा पटल पर रखे गये पत्र

दिनांक 3 मार्च, 1986 के तारांकित प्रश्न संख्या 546 के उत्तर में शुद्धि करने वाला एक विवरण

[अनुवाद]

जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : मैं मंजूरी के लिए लंबित पड़ी सिंचाई परियोजनाओं के बारे में श्री भट्टम श्री राम मूर्ति द्वारा 3 अप्रैल, 1986 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 546 के उत्तर में शुद्धि करने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल०टी० 2649/86]

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली का वार्षिक प्रतिवेदन

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : मैं श्री बूटासिंह की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ—

(1) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1984–85 के वार्षिक प्रतिवेदन, भाग 2 (प्रशासन और वित्त) एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिये** एल० टी० 2650/86]

कोयला खान श्रमिक कल्याण संगठन धनबाद का वार्षिक प्रतिवेदन

संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : मैं श्री बसन्त साठे की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ—

(1) कोयला खान श्रमिक कल्याण संगठन, धनबाद के वर्ष 1984-85 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल० टी० 2651/86]

कॉफी बोर्ड के वर्ष 1983-84 के लेखाओं पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

योजना मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : मैं श्री पी० शिवशंकर की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ—

(1) काफी बोर्ड के वर्ष 1983-84 के लेखाओं पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (पूल निधि) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 2652/86]

भारतीय पटसन निगम लिमिटेड, और राष्ट्रीय पटसन विनिर्मिति निगम लिमिटेड, कलकत्ता आदि के वार्षिक प्रतिवेदन और उनके कार्यकरण की समीक्षा

वस्त्र मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(क) (एक) भारतीय पटसन निगम लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय पटसन निगम लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1984-85 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे, तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 2656/86]

(ख) (एक) राष्ट्रीय पटसन विनिर्मिति निगम लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय पटसन विनिर्मिति निगम लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1984-85 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 2657/86]

हिन्दी के विस्तार और विकास तथा संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए हिन्दी के उत्तरोत्तर प्रयोग में तेजी लाने के लिए कार्यक्रम और उसकी क्रियान्वित संबंधी वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : मैं हिन्दी के विस्तार और विकास तथा संघ के विभिन्न शासकीय प्रयोजनों के लिए हिन्दी के उत्तरोत्तर प्रयोग में तेजी लाने के लिए कार्यक्रम और उसकी क्रियान्वित सम्बन्धी वर्ष 1984-85 के वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2658/86]

क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय के एक अधिकारी के सम्बन्ध में भारत की आकस्मिकता निधि में से रकम निकालने के बारे में विवरण

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : मैं क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय के एक अधिकारी के सम्बन्ध में बकाया वेतन तथा भत्तों की पचास प्रतिशत राशि दिल्ली उच्च न्यायालय में जमा कराने के लिए भारत की आकस्मिकता निधि में से रकम निकालने के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2659/86]

कुदाल जांच आयोग का दूसरा और तीसरा अन्तरिम प्रतिवेदन

आंतरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : मैं जांच आयोग अधिनियम, 1052 की धारा 3 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ—

(1) गांधी शांति प्रतिष्ठान, गांधी स्मारक निधि, अखिल भारतीय सर्व-सेवा संघ, ग्रामीण विकास सम्बन्धी स्वैच्छिक अभिकरण संघ और उनसे निकट से सम्बन्धित अन्य संगठनों के कार्यकरण तथा गतिविधियों आदि की जांच के लिए नियुक्त कुदाल आयोग का दूसरा और तीसरा अन्तरिम प्रतिवेदन।

(2) उपर्युक्त प्रतिवेदनों पर की गई कार्यवाही का ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 2660/86]

उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (यात्रा भत्ता) संशोधन नियम, 1986

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : मैं उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्तें) अधिनियम, 1958 की धारा 24 की उपधारा (3) के अन्तर्गत उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (यात्रा भत्ता) संशोधन नियम, 1986 की एक प्रति (हिन्दी तथा अँग्रेजी संस्करण), जो 8 मार्च, 1986 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 175 में प्रकाशित हुए थे, सभा पटल पर रखता हूँ।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०–2661/86]

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (दसवां संशोधन) नियम, 1986, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 और सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :—

(1) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (दसवां संशोधन) नियम, 1986 की एक

प्रति (हिन्दी तथा अँग्रेजी संस्करण), जो 14 अप्रैल, 1986 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 624 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०–2653/86]

(2) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अँग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सा० का० नि० 651 (अ) से 675 (अ), जो 24 अप्रैल, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो वित्त मंत्री द्वारा 24 अप्रैल, 1986 को लोक सभा में वित्त विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव पेश करते समय घोषित परिवर्तनों के सम्बन्ध में जारी किये गये हैं।

(दो) सा० का० नि० 681 (अ), जो 25 अप्रैल, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 के अन्तर्गत प्लास्टिक से ससेचित, विलेपित, आच्छादित या प्रटलित टैक्सटाइल फैब्रिक को उक्त फैब्रिक पर उद्ग्रहणीय 50 प्रतिशत की दर से अधिक उत्पाद शुल्क से छूट देने के बारे में हैं।

(तीन) सा० चा० नि० 682 (अ), जो 25 अप्रैल, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिनके द्वारा 24 अप्रैल, 1986 की अधिसूचना संख्या 273/86–के० उ० शु० में कतिपय संशोधन किया गया है ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि शुल्क की दर अवधारित करने के लिए मुजरा की गई अधिसूचनाओं पर ध्यान नहीं दिया जायेगा।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी–2654/86]

(3) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अँग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सा० का० नि० 649 (अ) और 650 (अ), जो 24 अप्रैल 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो वीडियो कैसेटों और विडियो टेपों को, जो प्रधानतः शैक्षिक विशेषता वाले हों, उन पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण मूल तथा उपसंगी सीमाशुल्क से छूट देने के बारे में हैं।

(दो) सा० का० नि० 676 (अ), जो 24 अप्रैल, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जिनके द्वारा 1 मार्च, 1986 को अधिसूचना संख्या 165/86-सी० शु० में कतिपय संशोधन किया गया है ताकि अतिरिक्त 19 विनिर्दिष्ट इलेक्ट्रो चिकित्सा उपस्करों के निर्माण में संघटकों के सम्बन्ध में मूल्यानुसार 40 प्रतिशत की सीमाशुल्क की रियायती दर को अवधि को बढ़ाया जा सके।

(तीन) सा० का० नि० 677 (अ), जो 24 अप्रैल, 1986 को प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिनके द्वारा 1 मार्च, 1986 की अधिसूचना संख्या 150–सी० शु० में कतिपय संशोधन किया गया है ताकि पास्ट ग्रेड अथवा बैटरी ग्रेड के पी० वी० सी० रेजिन के सम्बन्ध में 15,000 रुपये प्रति मीट्रिक टन के विशिष्ट शुल्क की ऊँची दर निश्चित की जा सके ।

(चार) सा० का० नि० 683 (अ), जो 25 अप्रैल, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जो रूसी रूबल को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा की रूसी रूबल में बदलने की पुनरीक्षित विनिमय दर के बारे में हैं ।

(पांच) सा० का० नि० 684 (अ) से 722 (अ), जो 28 अप्रैल, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जिन्हें उन कतिपय मौजूदा अधिसूचनाओं का संशोधन करने अथवा उन्हें पुनः जारी करने के लिए जारी किया गया है, जिनके अधीन अंत्य-प्रयोग सम्बन्धी बंध-पत्रों के स्थान पर अधिसूचनाओं में यथा-विनिर्दिष्ट वचन-पत्रों की व्यवस्था की जा सके ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । **देखिए** संख्या एल० टी०–2655/86]

(4) संविधान के अनुच्छेद 151 (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अँग्रेजी संस्करण) :—

(एक) भारत के नियंत्रक-महा लेखापरीक्षक के वर्ष 1984-85 का प्रतिवेदन-संघ सरकार (सिविल)—खण्ड 1, 2 और 3 ।

[ग्रन्थालय में रखी गयी । **देखिये** संख्या एल० टी०–2662/86]

(दो) भारत के नियंत्रक–मह लेखापरीक्षक का वर्ष 1984-85 का प्रतिवेदन—संघ सरकार (सिविल) राजस्व प्राप्तियां—खण्ड 1—अप्रत्यक्षकर और खण्ड 2—प्रत्यक्षकर ।

[ग्रन्थालय में रखी गयी । **देखिये** संख्या एल० टी०–2663/86]

(तीन) भारत के नियंत्रक-मह लेखापरीक्षक का वर्ष 1984-85 का प्रतिवेदन—संघ सरकार (रक्षा सेवायें) ।

[ग्रन्थालय में रखी गयी । **देखिए** संख्या एल० टी०–2664/86

(चार) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का वर्ष 1984-85 का वार्षिक प्रतिवेदन—संघ सरकार (डाक-तार) ।

[ग्रन्थालय में रखी गयी । **देखिये** संख्या एल० टी०–2665/86]

(5) वर्ष 1984-85 के केन्द्रीय सरकार के विनियोग लेखाओं (सिविल) की एक प्रति (हिन्दी तथा अँग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखी गयी । **देखिये** संख्या एल० टी०–2666/86]

(6) वर्ष 1984-85 के लिए रक्षा सेवाओं के विनियोग लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी०-2667/86]

(7) वर्ष 1984-85 के केन्द्रीय सरकार के वित्त लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी०-2668/86]

(8) बाजार ऋणों के बारे में दिनांक 2 मई, 1986 की अधिसूचना संख्या एफ० 4 (5)-डब्ल्यू एण्ड एम/86 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी सस्करण) तथा एक ज्ञापन, जिसके द्वारा सरकारी ऋणों पर ब्याज की दरों में वृद्धि स्पष्ट की गई है।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी०-2669/86]

(9) सरकारी क्षेत्र के बैंकों के 31 दिसम्बर, 1984 के समाप्त हुए वर्ष के समेकित प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी०-2670/86]

(10) केन्द्रीय सरकार के वर्ष 1984-85 के विनियोग लेखाओं (डाक-तार) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी०-2671-86]

राष्ट्रीय शैक्षिणिक आयोजन एवं प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली का वार्षिक प्रतिवेदन और उसके कार्यकरण की समीक्षा

शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:-

(1) (एक) राष्ट्रीय शैक्षिणिक आयोजन एवं प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1984-85 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय शैक्षणिक आयोजन एवं प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1984-85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०-2672/86]

भारतीय वन प्रबन्ध संस्थान, भोपाल का वार्षिक प्रतिवेदन और उसके कार्यकरण की समीक्षा

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) भारतीय बन प्रबन्ध संस्थान, भोपाल के वर्ष 1984–85 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) भारतीय वन प्रबन्ध संस्थान, भोपाल के वर्ष 1984–85 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी०–2673/86]

केन्द्रीय लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) संशोधन विनियम, 1984, अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 की धारा 3 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) संविधान के अनुच्छेद 320 (5) के अन्तर्गत केन्द्रीय लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) संशोधन विनियम, 1986 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो 12 अप्रैल 1986 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 268 में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रन्थालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल० टी० 2674/86]

(2) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :–

(एक) भारतीय वन सेवा (काडर संख्या का नियतन) संशोधन विनियम, 1986, जो 12 अप्रैल 1986 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 266 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) भारतीय वन सेवा (वेतन) दूसरा संशोधन विनियम, 1986, जो 12 अप्रैल, 1986 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 267 में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रन्थालय में रखी गई, देखिये संख्या एल० टी० 2675/86]

12.12 म० प०

राज्य सभा से सन्देश

[अनुवाद]

महासचिव : महोदय मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न सन्देश की सूचना सभा को देनी है:

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 186 के उपनियम (6) के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे वित्त विधेयक, 1986 को, जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 28 अप्रैल, 1986 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को इसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापिस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के सम्बन्ध में कोई सिफारिशें नहीं करनी हैं।"

विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 1986

[अनुवाद]

महासचिव : महोदय, 4 अप्रैल, 19 6 को सभा को सूचित करने के पश्चात पिछले सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा अनुमति प्राप्त वित्त विधेयक को मैं सभा पटल पर रखता हूं।

12.13 म० प०

याचिका समिति

दूसरा प्रतिवेदन

श्रीमती आबिदा अहमद (बरेली) : मैं याचिका समिति का दूसरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करती हूं।

12.13 म० प०

याचिका समिति

कार्यवाही सारांश

[अनुवाद]

श्रीमती आबिदा अहमद (बरेली) : मैं याचिका समिति की दसवीं और बारहवीं बैठकों के कार्यवाही-सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं।

12.13½ म० प०

अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति

आठवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : मैं अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति का आठवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं ।

12.14 म० प०

सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति

पांचवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री बी० के० गढवी (बनासकांठा) : मैं सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति का पांचवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं ।

[अनुवाद]

श्री वसुदेव आचार्य (बांकुरा) : आप हमें अपनी बात कहने की अनुमति क्यों नहीं देते ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे केवल यही कहना है कि मैं इस प्रकार की बात सहन नहीं करूंगा । यह एक दम अचानक उठाई गई बात है, यह बिना किसी आधार के हैं और तथ्य रहित है, खोखली है और किसी भी नियम के अन्तर्गत नहीं आती । मैं क्या कर सकता हूं ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं चाहूंगा कि आप सभा से बाहर चले जायें ।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : आप हमें एक-एक करके बुलाइये ।

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे किन नियमों के अन्तर्गत निर्देश दे रहे हैं ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं ऐसा क्यों करूं ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने यह काफी सहन कर लिया है। मेरी सहनशक्ति समाप्त हो चुकी है। मैं इसे सहन नहीं करूंगा, काफी हो चुका है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्यों को इस तरह पेश आना चाहिए ?

श्री वसुदेव आचार्य : लोगों को गुस्सा आ रहा है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : हम गुस्सा नहीं कर रहे। आपको भी गुस्सा नहीं करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं जानना चाहता हूं कि आप किस नियम के अन्तर्गत मुझसे यह करना चाहते हैं ?

श्री सुरेश कुरुप : यह एक परम्परा है।

अध्यक्ष महोदय : यह कोई परम्परा नहीं है।

श्री वसुदेव आचार्य : हमने सूचनायें दी हैं।

अध्यक्ष महोदय : इससे क्या फर्क पड़ता है ? आप इस नियम का मजाक बना रहे हैं।

श्री वसुदेव आचार्य : मजाक क्यों ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने अपनी सहमति नहीं दी है।

श्री सुरेश कुरुप : आपको भी हमारी बात सुननी चाहिए।

(व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी (जादवपुर) : रवीन्द्रनाथ टैगोर की 125वीं जन्म तिथि को एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में घोषित किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे लिखकर कुछ दीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इस तरह से धमकाया नहीं जा सकता।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह केवल धमकाना ही है।

(व्यवधान)

श्री अमलदत्त (डाइमंडहार्बर) : सरकार ने आवश्यक सेवायें बनाये रखना अधिनियम प्रख्यापित कर दिया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं धमकाए में नहीं आ सकता।

श्री अमलदत्त : आप जानते हैं, कनिष्ट अभियन्ता···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं धमकाए में नहीं आऊंगा ।

श्री अमलदत्त : आप हमारी बात क्यों नहीं सुनते ?

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत : सी० पी० डब्ल्यू० डी० के 6 हजार जूनियर इन्जीनियर हड़ताल पर बैठे हैं, उनकी मांग नहीं सुनी जा रही है ।

श्री पी० आर० कुमार मंगलम : उनकी मांग सुनी जानी चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : मैं क्या कर सकता हूँ···(**व्यवधान**)····देखेंगे देखेंगे ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यहां नहीं होता यह ।

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी : मैं आपसे हाथ-जोड़ कर निवेदन कर रही हूँ । कृपया इसकी सरकारी अवकाश के रूप में घोषणा कर दीजिए ।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : एक शब्द भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा ।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मुझे धमकाया नहीं जा सकता ।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : आपको कौन धमका रहा है ?

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा । मैं धमकाए में नहीं आ सकता ।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : आप को कौन धमका रहा है ? आप को किसने धमकाया है ? कृपया हमें बताइये । आपको एक एक करके बुलाना चाहिए ।

(व्यवधान)**

श्री कुलनडईवेलू (गोबिचेट्टिपालयम) : हम आपसे श्री लंका की समस्या के बारे में

** कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

निष्कपट अनुरोध कर रहे हैं ? कल परसों आपने हमें कार्य मंत्रणा समिति में इस समस्या को आज उठाने का आश्वासन दिया था।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : ममता जी, आपके भाई सुनने नहीं देते, बड़ा भाई क्या सुने।

[अनुवाद]

प्रधान मन्त्री (श्री राजीवगांधी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, गुरूदेव टैगोर की 125 वीं जन्म तिथि के अवकाश के बारे में माननीय सदस्य ने एक प्रश्न उठाया है। इस तथ्य के बावजूद कि विपक्ष के सदस्यों ने इस सुझाव को अनसुना कर दिया है, हम इसे स्वीकार करते हैं।

(व्यवधान)

श्री एन० वी० एन० सोमू (मद्रास उत्तर) : प्रधान मन्त्री जी गलत कह रहे हैं। हम श्रीलंका की समस्या पर चर्चा कर रहे हैं....(व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य : यह बहुत गलत है...(व्यवधान)।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : वे अपने शब्द वापस लें.....

(व्यवधान)

श्री राजीव गांधी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे कुछ कहने दीजिए.....

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि आप इस तरह से चिल्लाएंगे तो मैं आपको सदन से चले जाने को कहूँगा...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बैठ जाइए। आप सभा पर कलंक लगा रहे हैं...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप में कोई शालीनता नहीं रह गई है...(व्यवधान)

श्री राजीव गांधी : केवल उस बात को दोहराते हुए जो मैंने पहले स्पष्ट करने का प्रयास किया था, मैंने जो कहा...(व्यवधान) दुर्भाग्यवश, कुछ मिनट पहले जब मैं बोल रहा था तो विपक्ष की ओर के सदस्य खड़े होकर चिल्लाने लग गए...(व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : नहीं, नहीं...(व्यवधान)

श्री राजीव गांधी : मैं जो कह रहा था मुझे उसे पूरा कर लेने दीजिए....(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : कोई डराने से डरता है। कुरुप आपके डराने से कोई डरता तो नहीं है।

[अनुवाद]

क्या आप किसी को डरा सकते हैं ?

श्री वसुदेव आचार्य : हम एक महत्वपूर्ण मामला उठाना चाहते थे...(**व्यवधान**)।

अध्यक्ष महोदय : अब सुनिए।

श्री राजीव गांधी : मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं है कि माननीय सदस्यों ने बहुत ही महत्वपूर्ण मामले उठाने हैं परन्तु मुझे बोलने का एक अवसर दिया गया था। दुर्भाग्यवश, मैं अभी बोल ही रहा था कि विपक्षी सदस्यों ने मेरे अन्तिम वाक्य को काट दिया। मैंने जो कहा था, वह यह है कि मैंने पिछली बार भी यह कह दिया था कि हम गुरुदेव टैगोर को 125 वीं जन्म तिथि को अवकाश के रूप में स्वीकार करते हैं। इसके बावजूद भी वे मेरी बात नहीं सुन रहे, महोदय...(**व्यवधान**)।

अध्यक्ष महोदय : अब समस्या यह रह गई है कि मुझे...

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : अब बैठ जाइए अपना स्थान ग्रहण कीजिए···

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कृपया, आप बैठ जाइए भगवान के वास्ते आप अपना स्थान ग्रहण कीजिये।

(**व्यवधान**)

श्री एन० वी० एन० सोमू : (**मद्रास उत्तर**) "डेली आईलैण्ड" ने एक वक्तव्य प्रकाशित किया है···

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मुझे यह ज्ञात है मेरी भावना भी आपकी भावना, जैसी है। अब आप बैठ जाइए।

श्री एन०वी० एन० सोमू : आपने एक दो दिन पहले हमें इस पर चर्चा करने का आश्वासन दिया था···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : जबकि मैं खड़ा हूँ तो आप कैसे उठने तक का शिष्टाचार नहीं जानते मुझे शर्म आ रही है। जिस तरह हम सहयोग कर रहे हैं, जिस ढंग से सभी विषयों पर बहस की जा

चुकी है—मैं चौबीसों घण्टों के लिए हूँ— मेरी समझ में नहीं आता कि इस तरह की बातें करने का अवसर क्यूं आए क्यों कि यह.....

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था बनाये रखें चिल्लाएं नहीं। मुझे मात्र यही कहना है कि इससे मुझे खीझ होती है....

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया, अब भगवान के वास्ते बैठ जाइए। यह मुझे नापसन्द है। इससे मुझे कष्ट होता है। कुछ चीजें हैं जो उचित ढंग से की जानी चाहिए।

आप इस समय उसी विषय पर इतना जोर दे रहे हैं जिसकी मैंने 377 के अन्तर्गत अनुमति दे दी थी। इस बात को आप नहीं समझते।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : 377 से काम नहीं चलेगा...

अध्यक्ष महोदय : लेकिन मेरे पास कोई और विकल्प नहीं है अगर आप मेरे पास आएं और

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जरा मेरी सुनिये मुझ पर चिल्लाइए नहीं। मुझे पहले इन महोदय को उत्तर देने दीजिए। अगर आप मुझे आश्वास्त कर दें तो मैं इस सभा से क्षमा मांग लूंगा, मैं आप से क्षमा मांग लूंगा, कि अनायास ही कुछ कर रहा हूं और नियमों के विरुद्ध जा रहा हूं। मैं सभा से हाथ जोड़कर क्षमा मांग लूंगा। लेकिन जिस तरीके से आप यह सब कर रहे है, मैं आप को बता दूं कि परिणाम चाहे कुछ भी हो मैं इस सभा के प्रति उत्तरदायी हूं। मैं इस सभा का स्वामी नहीं हूं। मैं पहले ही कह चुका हूं कि मैं इस सभा का सेवक हूं। लेकिन मुझसे इस सदन का सम्मान, गरिमा तथा मर्यादा एवं इस सदन के नियमों की रक्षा की अपेक्षा की जाती है, तथा मैं जब तक यहां हूं, मैं डराया धमकाया जाऊंगा नहीं। मुझे मेरी गलती का अहसास कराया जा सकता है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब जरा मेरी बात तो सुनिये। आप जिस तरीके से व्यवहार करते है, वह इस सभा पर कलंक है। मैं कहता हूं कि मैं चुना हुआ हूं। मैं पहले ही इसकी अनुमति दे चुका हूं। लेकिन यदि कोई आए—प्रतिदिन बोट क्लब पर प्रदर्शन होते हैं, वे रोज आ रहे हैं, लेकिन यह मेरी नहीं है...

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मैं इनमें अलग-अलग भेद नहीं करता। इसके अलावा क्या मैं प्रतिदिन सभा को स्थगित कर दूं मैं कतिपय नियमों के अन्तर्गत ही अनुमति दे सकता हूं। लेकिन यदि इस लोग आयें और चिल्लायें तो ठीक है, मैं 'ब्लैकमेल' नहीं हो सकता, मैं डराया नहीं जा सकता सभा मुझे यहां से बाहर कर सकती है और कह सकती है, "अध्यक्ष महोदय !

अपने घर वापिस जाओ" उसके बाद मैं अध्यक्षता नहीं करूंगा। लेकिन जब तक मैं इस सभा की अध्यक्षता करता हूं, इस भव्य सभा की गरिमा बनाए रखूंगा।

मैं लोकतन्त्र की जड़ें नहीं काटूंगा। मैं इसका आगे पोषण करूंगा, मैं इसे संजोये रखूंगा क्योंकि मैं इसकी रक्षा करने के लिए ही हूं, न कि इसके अंग काटने के लिए। श्री चौधरी, और श्री कुरुप मैं आपसे खुला हुआ हूं आप मेरे पास आकर मुझे अहसास कराएं मैं सभा में क्षमा मांग लूंगा।

(व्यवधान)

श्री पी० कुलनदईवेलू (गोबिचेट्टिपालयम) : कृपया मेरी बात सुनिए।

अध्यक्ष महोदय : यदि यह मुझे मिली है तो मैं ऐसा करूंगा।

श्री पी० कुलनदईवेलू : सब को एक दिन के लिए बढ़ाया जा रहा है आपने एक दिन पहले कहा था कि आपके पास समय नहीं है। कम से कम आप ध्यानाकर्षण की अनुमति तो दे हीं दें ? आपने कार्य मंत्रणा समिति में वचन दिया था।

अध्यक्ष महोदय : मुझे पता नहीं है। आप मेरे पास आइये। मैं आपसे खुला हुआ हूं। श्री कुलनदईवेलू ! आप कल क्यों नहीं आए ? आप आज आ सकते हैं। लेकिन आप ऐसा सभा में ही अनावश्यक रूप से करते हैं।

श्री पी० कुलदईवेलू : यह अनाश्यक नहीं है। आपने एक दो दिन पहले मुझे वचन दिया था।

अध्यक्ष महोदय : आप फिर वैसा ही कर रहे हैं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) । महोदय एक मिनट.....

अध्यक्ष महोदय : आप मेरे पास आ सकते हैं। मुझे बतायें कि आपकी व्यवस्था का प्रश्न क्या है। मैं नियमों के अनुसार चल रहा हूं। आपका व्यवस्था प्रश्न क्या है ?

श्री सैफुद्दीन चौधरी : यह टैगौर की 125वीं जयन्ती पर घोषित छुट्टी के बारे में है प्रधान मन्त्री ने कहा कि हम इसका समर्थन नहीं करते।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने यह नहीं कहा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने केवल इतना कहा था कि इसे सुना-अनसुना कर दिया गया।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : टैगोर की केवल 125वीं जयन्ती ही छुट्टी क्यों हो ? टैगौर की सभी जयन्ती छुट्टियों पर छुट्टी क्यों न हों ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने इसे स्पष्ट कर दिया है। मैंने भी स्पष्ट कर दिया है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। आप पर कोई भी आक्षेप नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक है। आप फिर चिल्ला रहे हैं। मैं यह और सहन नहीं कर सकता।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री चौबे ! यदि आप ऐसे ही करते रहे तो मुझे आपका नाम पुकारना पड़ेगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपने शिष्टता की सारी सीमा का उल्लंघन कर दिया है; और इसे अब आप बगैर चूके रोजाना करते हैं।

श्री सुरेश कुरुप कोट्टायम : यह अशोभनीय है (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप ऐसा क्यूं करते हैं ? आप सभा के नेताओं में से एक समझे जाते हैं।

श्री वासुदेव आचार्य : आप हमें अनुमति दे सकते थे।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति क्यों दूं ? मैं नियमों के विरुद्ध नहीं जा सकता।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह नहीं हो सकता कि आप मुझे कुछ भी दें और मैं उसे मान लूं आप मुझसे नियमों के अन्तर्गत कुछ कहिए फिर मैं अनुमति दूंगा। मैं आपके साथ हूं। लेकिन मैं इस तरह नहीं कर सकता जो आप कहें और वह भी तब जब आप नियम तोड़ें।

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : कृपया हमारी बात सुनिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : बहुत बढ़िया क्लियर हो गया।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप मेरी स्थिति नहीं समझते आप एक समय पर 50 अथवा 60 होते हैं और ऋण के आंकड़े आपके सामने हैं मैं क्या करूं ? पागल हो जाऊं ?

श्री अमल दत्त (डायमंडहार्बर) : हमें कृपया बारी-बारी से अनुमति दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : बारी-बारी का प्रश्न नहीं उठता।

(व्यवधान)

श्री अमल दत्त : मैंने स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

अध्यक्ष महोदय : कोई स्थगन प्रस्ताव नहीं। मैंने इसकी अनुमति नही दी है मैंने इसे स्वीकार नहीं किया है।

मुझे सरकार से सूचना प्राप्त हुई है कि तीन विधेयकों अर्थात वन्य-जीव संशोधन विधेयक, पर्यावरण संरक्षण विधेयक और आयकर विधेयक, पर चर्चा की जानी है और उन्हें पारित किया जाना है। मेरा सुझाव है कि उपर्युक्त कार्य को पूरा करने के लिए सदन कल भी बैठ सकता है। मेरा विचार है हम ऐसा करेंगे।

[हिन्दी]

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : अरवल में नरसंहार हुआ है। 23 तारीख को आपने आश्वासन दिया था....

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने कल आपको जवाब दिया था। मैं इसके लिए अभी तैयार नहीं हूं।

[हिन्दी]

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : आपने आश्वासन दिया था।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं है।

अब ध्यानाकर्षण प्रस्तावों पर चर्चा होगी।

12.30 म० प०

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षण

[हिन्दी]

संघ की राजभाषा के रूप में हिन्दी के प्रयोग के सम्बन्ध में संवैधानिक उपबंधों के धीमी गति से कार्यान्वयन से उत्पन्न स्थिति के बारे में

श्री नरेश चन्द्र चतुर्वेदी (कानपुर) : अध्यक्ष महोदय मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर गृह मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :-

"संघ की राजभाषा के रूप में हिन्दी के प्रयोग के सम्बन्ध में सांविधिक उपबंधों के धीमी गति से कार्यान्वयन से उत्पन्न स्थिति तथा इसके सम्बन्ध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही"

संचार मंत्रालय के तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : महोदय सदन इस तथ्य से अवगत है कि संविधान के अनुच्छेद 343 (1) के अधीन हिन्दी को केन्द्रीय सरकार को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, संसद ने भी राजभाषा अधिनियम 1963 पारित किया है जिसमें भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों द्वारा अनुपालन के लिए महत्व-पूर्ण प्रावधान रखे गए हैं। सरकारी प्रयोजनों के लिए हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को और अधिक गति देने के उद्देश्य से राजभाषा नियम, 1976 बनाए गए हैं।

(2) विभिन्न मंत्रालयों, विभागों एवं सार्वजनिक उपक्रमों में हिन्दी की प्रगति की समीक्षा करने के लिए विभिन्न स्तरों पर समितियां गठित की गई हैं। माननीय प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में गठित केन्द्रीय हिन्दी समिति सर्वोच्च समिति है जिसके द्वारा समय-समय पर देश में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन सम्बन्धी निर्देश दिए जाते रहे हैं। जैसा कि सदस्यों को ज्ञात है, दूसरी महत्वपूर्ण समिति संसदीय राजभाषा समिति है जिसके सदस्य इस सम्मानित सदन तथा राज्य सभा के सदस्य हैं। यह समिति सामान्य प्रगति की समीक्षा के लिए केन्द्रीय सरकार के विभिन्न कार्यालयों का दौरा करती रही है। इसके अतिरिक्त हरेक मंत्रालय, विभाग तथा सरकारी उपक्रम में समितियां गठित की गई हैं जिनकी बैठकें समय-समय पर हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए तीन माह में एक बार होती हैं।

(3) मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता होती है कि राजभाषा अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन में निश्चित रूप से सुधार हुआ है। उदाहरण के लिए, राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 (3) में यह निर्धारित किया गया है कि सभी सामान्य आदेश द्विभाषिक होने चाहिए। हमारे पास उपलब्ध आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि 1983 में 84.40 प्रतिशत सामान्य आदेश द्विभाषिक रूप में जारी किए गए थे, जबकि 1985 में यह संख्या बढ़कर 95.16 हो गई। इसके अतिरिक्त, राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10 (4) में यह प्रावधान है कि जिन कार्यालयों के 80 प्रतिशत कर्मचारियों ने हिन्दी में कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है उन्हें उक्त नियमों के अधीन अधिसूचित किया जा सकता है। इस बात को मददेनजर रखते हुए 65 में से 62 मंत्रालय और विभाग पहले ही अधिसूचित कर दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त दिसम्बर, 1985 तक 5,608 संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों को भी नियम 10(4) के अन्तर्गत इसी प्रकार अधिसूचित किया गया है। नियम 8 (4) के अधीन ऐसे निदेश भी जारी किए गए हैं जिनमें इन कार्यालयों के उन अनुभागों और विषयों को विनिर्दिष्ट किया गया है जिनमें अब केवल हिन्दी में ही कार्य किया जा रहा है। इस बात पर जोर दिया गया है कि इस प्रकार के अधिकाधिक कार्यालय इस तरह अधिसूचित किए जाएं।

(4) सदस्यगण इस तथ्य से अवगत हैं कि बहुत से केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को हिन्दी कार्यसाधक ज्ञान नहीं था। राजभाषा विभाग देश भर में ऐसे कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिये 155 केन्द्र चला रहा है। 1985 के दौरान पांच केन्द्र इम्फाल, अगरतल्ला, ऐजावल, कोहिमा

[श्री रामनिवास मिर्धा]

और ईटानगर में खोले गए थे ताकि इन उत्तर-पूर्व राज्यों में कम से कम एक-एक केन्द्र उपलब्ध हो सके। 1985 में, इन केन्द्रों में 25,000 से अधिक कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया जबकि 1983 में 22,000 कर्मचारी ही प्रशिक्षित किए गए थे। इस प्रगति को जारी रखते हुए हिन्दी शिक्षण-योजना के अधीन अब तक 5 लाख से अधिक कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। इसी प्रकार का प्रशिक्षण कर्मचारियों को हिन्दी टाइपिंग और आशुलिपि में भी दिया जा रहा है। विभाग के प्रयासों को और भी गति प्रदान करने के लिये सभी मंत्रालयों और विभागों से आग्रह किया गया है, कि वे अपने प्रशासनिक नियंत्रण में होने वाले विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों में हिन्दी को शामिल करें ताकि कर्मचारीगण नियुक्त होते ही हिन्दी सीख सकें।

(5) सरकारी प्रयोग में आने वाली प्राय: सभी नियम पुस्तकों और संहिताओं का अनुवाद केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो के द्वारा कर दिया गया है जिसकी अनुवाद क्षमता 40,000 मानक पृष्ठ प्रतिवर्ष है। केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो कर्मचारियों को अनुवाद करने की तकनीक का प्रशिक्षण भी देता है और 1985 के दौरान ब्यूरो ने 208 कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया है जबकि तुलना की दृष्टि से 1983 में इनकी संख्या 135 थी। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की अवधि 3 महीने की है। तथापि प्रशिक्षण की बढ़ती हुई मांग को ध्यान में रखते हुए ब्यूरो ने 9 दिवसीय पुरजोर पाठ्यक्रम भी चलाया है जिसमें देश के विभिन्न महत्वपूर्ण केन्द्रों में 1985 के दौरान लगभग 180 कर्मचारी प्रशिक्षित किए गए हैं। अधिकांश मंत्रालयों ने अपने रोजमर्रा के काम में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए तकनीकी शब्दावलियां भी प्रकाशित की हैं।

(6) राजभाषा विभाग के अधिकारियों द्वारा किए गए निरीक्षण के अलावा राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों ने सारे देश में 71 केन्द्र स्थापित किए हैं। इन समितियों की अर्धवार्षिक बैठकें होती हैं और इनमें विभिन्न विभागों और सरकारी उपक्रमों द्वारा अपने विभागों में की गई प्रगति पर उनके प्रतिनिधि परिचर्चा करते हैं। इसके अतिरिक्त वाणिज्यिक बैंकों ने 12 अलग समितियां स्थापित की हैं, जहां इन वाणिज्यक संगठनों में कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए उनकी बहुत सी बैंक शाखाएं हैं।

(7) हिन्दी में टिप्पण तथा प्रारूपण करने में कर्मचारियों का संकोच दूर करने के लिए केन्द्रीय सरकार के विभिन्न कार्यालयों में नियमित आधार पर कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं। वर्ष 1984-85 में 514 कार्यशालाएं आयोजित की गई जबकि वर्ष 1982–83 में केवल 94 कार्यशालाएं ही आयोजित की गई थीं। इसके अतिरिक्त यांत्रिक उपकरण प्रदान करने और इलैक्ट्रोनिक उपस्करों पर प्रशिक्षण देने में की गई प्रगति की समीक्षा करने के प्रयोजन से तकनीकी कक्ष भी स्थापित किया गया है। ऐसे इलैक्ट्रोनिक उपस्कर का उत्पादन सरकारी क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र, दोनों में, द्विभाषिक रूप में किया जा रहा है। यही सुनिश्चित करने का प्रयास है कि सरकारी प्रयोग के लिए यांत्रिक उपस्कर पीछे न रहें ताकि सरकारी प्रयोग में हिन्दी का विकास न रुक सके।

(8) राजभाषा विभाग के प्रयत्नों को सारे देश में शिक्षा मंत्रालय तथा कई निजी संस्थाएं बढ़ावा दे रही हैं। ये निजी संस्थाएं पत्राचार पाठ्यक्रम भी चला रही हैं जिसकी सदस्यों को पूरी जानकारी है।

(9) सदन यह सराहना करेगा कि हम सही दिशा की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तथापि, मामला संवेदनशील है और सरकारी प्रयोजनों के लिए हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने के लिए उत्साह तथा प्रोत्साहन प्रदान करने की सरकार की हमेशा नीति रही है। सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि किसी अन्य पद्धति से आगे चलकर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना है।

12.37 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

श्री नरेशचन्द्र चतुर्वेदी (कानपुर) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने ध्यानाकर्षण के सम्बन्ध में दिया गया गृह मंत्री जी का बयान सुन लिया है। मुझे इस सम्बन्ध में ज्यादा कुछ नहीं कहना है, कुछ बातों की ओर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ और उनका स्पष्टीकरण भी चाहता हूँ।

भारतीय संविधान में, भाग 17 में अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक जो धाराएं रखी गई हैं, उसमें राजभाषा हिन्दी, उसकी लिपि देवनागरी, उसके अंक अन्तर्राष्ट्रीय, भारतीय अंक, वे सब स्पष्ट निर्देश दिए हुए हैं कि वह किस तरह से प्रयोग होगी और कैसा रूप ग्रहण करेगी, इसके सम्बन्ध में भी धारा 351 में बहुत स्पष्ट उल्लेख किया गया है। यह भी उल्लेख किया गया है कि संस्कृत से मूलतः और भारतीय भाषाओं से गौणतः शब्द ग्रहण करेगी, जो हमारी राजभाषा है। हिन्दी के सम्बन्ध में कुछ भ्रम ऐसे फैला दिए गए हैं कि उनकी सफाई बहुत जरूरी है।

सबसे पहली बात तो यह कही जाती है कि हिन्दी को सम्पर्क भाषा के रूप में डवलप किए बिना, उसमें काम करना असंभव होगा। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि संक्षिप्त इतिहास के बिना हमारे संविधान की मूल धारा और धारणाओं का सारा स्पष्टीकरण नहीं हो सकेगा। जब बारहवीं शताब्दि में संस्कृत जनभाषा नहीं रह गई थी और उन्नीसवीं शताब्दि के पहले तक अंग्रेजी में कोई सम्पर्क नहीं हो सकता था। इन सात सौ वर्षों में रामेश्वरम से लेकर बद्रीनाथ तक के जाने वाले लोग और द्वारकापुरी से जगन्नाथपुरी तक जाने वाले लोग किस भाषा का इस्तैमाल करते थे, यह बात हमको बहुत स्पष्ट हो जानी चाहिए कि वह भाषा हिन्दी ही थी जो सात सौ वर्षों से लगातार इस देश की सम्पर्क भाषा के रूप में काम करती रही है। जिस राजभाषा के रूप में हिन्दी को हम जानते हैं उसका उन्नयन, उसका बढ़ावा और राष्ट्रभाषा के रूप में उसकी मांग किसी हिन्दी वाले ने नहीं की थी, यह बात हमको बहुत अच्छी तरह से जान लेनी चाहिए। सबसे पहले बंगाल को यह श्रेय है कि उसने हिन्दी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया। 1875 में श्री केशव चन्द्र सैन ने और 1878 में बंकिम चन्द्र चटोपाध्याय, रवीन्द्र नाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय, सुभाष चन्द्र बोस, इन सब लोगों ने, हिन्दी को राष्ट्रभाषा के रूप में, सबसे पहले देश का ध्यान आकर्षित किया। 1875 में केशव चन्द्र सेन ने कहा था, अगर हम हिन्दी को नहीं अपनायेंगे तो राष्ट्र की एकता को नहीं बना पायेंगे। 1878 में अपने 'बंग दर्शन' में बंकिम चन्द्र चटोपाध्याय ने अपने एक कालम में लिखा कि अगर हम सब भारत की एकता और भारत को विकसित करना चाहते हैं तो हमको हिन्दी को अपनाना पड़ेगा। सुभाष चन्द्र बोस ने कलकत्ता कांग्रेस के अवसर पर स्वागत भाषण करते हुए कहा कि बंगाल को इस बात का गौरव और गर्व है कि उसने हिन्दी को राष्ट्रभाषा के रूप में बढ़ावा दिया है और यह विचित योग-

[श्री नरेशचन्द्र चतुर्वेदी]

दान दिया है। मैं आपसे बहुत ही विनम्रता के साथ निवेदन करना चाहता हूँ कि दक्षिण के आचार्यों के बिना हिन्दी में कुछ हो नहीं सकता था। आज जो राधाकृष्ण, राम–सीता, कबीर और तुलसी की पूजा होती है, यह हमारे दक्षिण के आचार्यों की देन है। कौन नहीं जानता कि वल्लभाचार्य दक्षिण के थे। राधा-कृष्ण की पूजा और भक्ति साहित्य कृष्ण का वह सब दक्षिण की देन है, दक्षिण की विचारधारा की देन है। रामानुजाचार्य उनके शिष्य रामानन्द और रामानन्द के शिष्य कबीर अद्वैत के सिद्धान्त को जो भी हिन्दी साहित्य में आया सोलहवीं शताब्दि में, वह सब दक्षिण के आचार्यों की देन है। रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य और एाधवाचार्य, इन चारों लोगों की विचारधाराओं को आप देखें और इससे पहले केरल से कालड़ी से जन्मे हुए आचार्य शंकर जिन्होंने सम्पूर्ण भारत को सांस्कृतिक एकता और धार्मिक एकता देकर पूरे देश का निर्माण किया था। अद्वैत के नाम पर आठवीं शताब्दि में उन्होंने जो कुछ भी दिया, हिन्दी में वही साहित्य मौजूद है। मेरा आपसे निवेदन है कि आठ सौ वर्षों से जिसे हिन्दी ने सम्पर्क भाषा के रूप में सारे देश का ध्यान आकर्षित किया और बंगाल, जिसने आधुनिक भारत के निर्माण का सबसे पहले काम शुरू किया, उसने हिन्दी को राष्ट्रभाषा के रूप में शुरू कराया। आपको यह जानकर सुखद आश्चर्य होगा कि सबसे पहले बंगाल ने नेतृत्व किया, उसके बाद नेतृत्व गया आधुनिक भारत के महाराष्ट्र में। लोकमान्य तिलक जैसे नेताओं ने हिन्दी का समर्थन किया। महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता। महाराष्ट्र के रानाडे और तिलक को कौन नहीं जानता जिन्होंने हिन्दी के सम्बन्ध में राष्ट्रभाषा के रूप में व्याख्यान दिए। यह भी जानकर सुखद आश्चर्य होगा कि भारतीय संविधान में आज जब थोड़े-थोड़े विरोध के स्वर उठते हैं तो मुझे कहना पड़ता है कि भारतीय संविधान में हिन्दी को राष्ट्रभाषा किसने बनाया। तमिलनाडु के डा० गोपालास्वामी आयंगर ने संविधान के भाग सत्रह को एडोप्ट कराया था। अहिन्दी क्षेत्रों ने ही उसका समर्थन किया था। हिन्दी संस्कृतनयी, हिन्दी देवनागरी, इसका समर्थन संविधान परिषद में हिन्दी के क्षेत्रों से कम हुआ था। यह लोगों को मालूम नहीं है कि उत्तर भारत के अनेक सदस्यों ने हिन्दुस्तानी के पक्ष में मत दिया था और सम्पूर्ण दक्षिण के गैर–हिन्दी क्षेत्रों ने हिन्दी और देवनागरी को मत दिया था, तब भारतीय संविधान में हिन्दी राजभाषा और देवनागरी लिपि हुई थी।

आपको यह जानकर भी सुखद आश्चर्य होगा कि एक संसद में श्री के० हनुमंतैया ने कहा था, पण्डित जी से कहा था कि पण्डित जी जो हिन्दी आप बोलते हैं वह हमारी समझ में नहीं आती दक्षिण उसको स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन जो हिन्दी प्रकाशवीर शास्त्री बोलते हैं वह हिन्दी दक्षिण को हमेशा स्वीकार होगी। लेकिन हिन्दी के स्वरूप के बारे में, उसके दृष्टिकोण के बारे में, आज मैं हिन्दी, गद्य के इतिहास की बात इसलिए बताना चाहता हूँ कि लोगों को मालूम होना चाहिए कि आधुनिक हिन्दी जिसे हम राष्ट्रभाषा कहते हैं इसका गद्य कहाँ से शुरू होता है। यह आन्ध्र के तेलंगाना से शुरू होता है तेलंगाना के मुस्लिम लेखकों ने इसको बढ़ाया है। आधुनिक हिन्दी गद्य की स्थापना उन मुस्लिम लेखकों से होती है जिन्हें हम दक्खिनी दक्षिण हिन्दी के नाम से जानते हैं और आधुनिक हिन्दी जिस गद्य को हम अपनाते हैं उसकी भी शुरूआत करने वाले इंशा अल्लाह खां साहब थे। रानी केतकी की कहानी में उन्होंने स्पष्ट लिखा है हिन्दी छुट और कोई भी बोली की न पुट, इस तरह इसका सृजन किया है। इस तरह उन्होंने हिन्दी को रूप दिया, वही हिन्दी अपनी राष्ट्रभाषा बनी।

हिन्दी की 3 स्थितियां हैं एक हिन्दी मातृभाषा है, एक हिन्दी राष्ट्रभाषा है और एक हिन्दी राजभाषा है। राष्ट्रभाषा के रूप में, सम्पर्क भाषा के रूप में हम हिन्दी के बारे में क्या करेंगे, वह तो हिन्दुस्तान के सभी लोग करेंगे, करोड़ों लोग कर रहे हैं और करेंगे। मातृभाषा के रूप में कोई अवधि के रूप में 'बोलता है, कोई बृजभाषा का रूप बोलता है और कोई बुन्देली का रूप बोलता है. लेकिन राजभाषा के रूप में भारत सरकार की जिम्मेवारी रही है और राज-भाषा के सम्बन्ध में हमारे संविधान में भाग 17 में 343 से लेकर 351 तक जो रूप निर्विष्ट किया है आपको उसका काम करना है, लेकिन सरकार की ओर से बार-बार यह कहा जाता है कि पहले हिन्दी को विकसित करना है, हिन्दी को सम्पर्क भाषा के रूप में विकसित करना है। मैं कहना चाहता हूं सम्पर्क भाषा के रूप में हिन्दुस्तान के करोड़ों लोग कर रहे हैं और करेंगे। आज भी अमृतसर से जो ट्रक चलता है, उसमें ड्राइवर और क्लीनर चलते हैं जब वह कोचीन तक ट्रक लेकर चलते हैं वह किस भाषा के माध्यम से सम्पर्क करते हैं, उनकी सम्पर्क भाषा कौन सी कहने की जरूरत है। करोड़ों लोग जो हिंदुस्तान के एक कोने से दूसरे कोने तक जाते हैं वह लोग किस भाषा के माध्यम से सम्पर्क करते है, क्या हिन्दी के अलावा कोई दूसरी भाषा है।

एक बात मैं और कहना चाहताहूं कि मुसलमानों का जितना योगदान हिन्दी के बारे में है उतना हिन्दी वाले भी गर्व नहीं कर सकते। कौन नहीं जानता तुलसीदास को जो पढ़े और अब्दुर्रहीम खाना को न पढ़, कबीर को न पढ़े सूर को पढ़े और रसखान को न पढ़े, घनानन्द को पढ़े, बिहारी को पढ़े और न शेख, आलम और जायसी को पढ़े। हमारे आदरणीय प्रधान मंत्री जी जायसी की जन्मभूमि वाली सीट से ही जीतकर आते हैं। कौन नहीं जानता तुलसीदास को रामचरितमानस से 40 साल पहले जायसी ने पद्मावत लिखी थी, उसमें चौपाई और दोहे की जिस शैली को तुलसीदास ने अपनाया रामचरित मानस में वह कन्सेप्ट दिया हुआ है जायसी जैसे मुसलमान का। यह कौन नहीं जानता अकबर इलाहाबादी ने कहा था कि जब उर्दू और हिन्दी का लोगों ने झगड़ा शुरू कर दिया तो, उन्होंने कहा था कि "बुत का जो मद्दा हो हिन्दी का हामी क्यों न हो"। अकबर इलाहाबादी ने इन लड़ने वालों से कहा कहा था कि :

व उर्दू को अरबी क्यों न करें
वे हिन्दी को भाषा क्यों न करें
गर हमसे फलक का दिल बदले
हम लोग तमाशा क्यों न करें।

उर्दू को अरबी बनाने तथा हिन्दी को संस्कृति बनाकर दोनों भाषाओं का कक्ष बनाने वालों को उन्होंने फटकार लगाई है।

उपाध्यक्ष महोदय, यह मामला इतना सेन्सिटव है कि ऐसी चीजों को सामने आना चाहिए जैसा मैंने कहा कि हिन्दी की उस ऐतिहासिक परम्परा को थोड़ी-बहुत नहीं बताऊंगा तो थोड़ी दिक्कत पड़ेगी हिन्दी को बनाने वाले मुख्यतः मुसलमान और गैर हिन्दी क्षेत्र वाले हैं। आज जो भारतवर्ष के संविधान की भाषा है उसके बारे में नई-नई बातें गढ़कर प्रचारित होती हैं तो मुझे दुःख होता है और इसलिए मुझे कहना पड़ा संविधान परिषद की सारी कार्यवाही मौजूद है। कभी कहा जाता है एक मत से हिन्दी राष्ट्रभाषा हुई, कितना बड़ा भ्रम है। यहां की

[श्री नरेश चन्द्र चतुर्वेदी]

लाइब्रेरी में सारी संविधान परिषद की कार्यवाही रखी गयी है, लोगों को मालूम नहीं है। एक मत से हिन्दी और हिन्दुस्तान के नाम का निर्णय हुआ था कांग्रेस के दल में, लेकिन संविधान परिषद में सर्वसम्मत से हिन्दी राष्ट्र भाषा बनाई गयी थी। कहीं पर कोई मतभेद नहीं था, गड़बड़ नहीं थी, कहीं कोई बोझ या विरोध नहीं था। आज इन सब बातों को लेकर कुछ चीजें उलझाई जाती हैं। मेरी सरकार से शिकायत है कि सारी चीजों को, तथ्यों को समझे बिना बहुत सी बातें कुछ लोग कहते रहते हैं मुझे बहुत दुःख होता है जब कहा जाता है हिन्दी किसी पर थोपी नहीं जायेगी···

हिन्दी किसी पर लादी नहीं जाएगी। मुझे दुःख होता है कि अगर सम्पूर्ण संविधान लादा हुआ नहीं है तो संविधान का भाग 17 कैसे लादा हुआ है। कैसी बात आप कहते हैं कि हिन्दी लादी नहीं जाएगी या हिन्दी थोपी नहीं जाएगी। भारतीय संविधान के 22 भागों में से 21 भाग तो लागू हैं परन्तु एक भाग के बारे में आप कैसे कहते हैं कि उसे लादा नहीं जायेगा। अगर संविधान लागू है तो हिन्दी राजभाषा भी लागू है। अगर संविधान लादा हुआ है तो हिन्दी राजभाषा को भी लादा हुआ है। लेकिन जैसा मैंने मुस्लिम महिला विधेयक पर बोलते हुए भी कहा था कि हमारी कांग्रेस की यह परम्परा रही है कि बहुमत के आधार पर कोई भी काम जबर्दस्ती नहीं किया जाएगा और ऐसा काम हम अब भी नहीं करेंगे। संविधान में स्पष्ट निर्देश था कि 5 वर्ष बाद एक कमीशन बनाया जायेगा, लेकिन वह 9 साल बाद बना। तीन कमीशन क्रमशः 1955, 1960 और 1965 में बनाये जाने थे, लेकिन तीन में से केवल एक बना और उसकी रिपोर्ट भी 1963 में जाकर आई। शेष दो 1960 और 1965 के कमीशन बने ही नहीं। जब संविधान लागू हो गया और राजभाषा हिन्दी हो गई तो अहिन्दीभाषी राज्यों की ओर से एक आवाज उठी कि 15 वर्षों में हम अंग्रेजी को हटाकर पूरी तरह से हिन्दी नहीं सीख सके हैं। अतः 1963 में हमारे पूज्य पण्डित जवाहर लाल नेहरू ने इसी सदन में एक दूसरा राजभाषा अधिनियम पास किया, क्यों कि संविधान में स्पष्ट निर्देश था कि 15 साल के बाद 26 जनवरी, 1965 को हिन्दी सारे देश की राजभाषा हो जाएगी, इसलिए उसमें संशोधन हुआ कि अंग्रेजी तब तक इस देश में चलेगी जब तक कि हिन्दी उसका पूरा-पूरा स्थान न ले ले। इस 1963 के निर्णय के बाद, 1968 में एक और संशोधन हुआ और उसके बाद 1976 में हमारी स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी, जिनकी आज मुझे बहुत याद आती है, ने राजभाषा की नीति के सम्बन्ध में स्पष्ट आदेश दिलवाये थे और एक अधिनियम पास किया था जिसको देखकर हमें बड़ी खुशी हुई क्यों कि अब किसी आदमी को कुछ कहने का, शिकायत करने का मौका नहीं रह गया था। उन्होंने सम्पूर्ण देश के विभिन्न राज्यों को तीन भागों में बांट दिया और स्पष्ट रूप से सरकार को निर्देश दिये गए कि "क" वर्ग के राज्यों के साथ, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश और केन्द्र शासित प्रदेश आदि हिन्दी क्षेत्र आते हैं, केवल हिन्दी में ही काम होगा, "ख" वर्ग के राज्यों के साथ, जिनमें गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल, उड़ीसा आदि प्रदेश थे, यदि वे चाहेंगे तो हिन्दी में काम होगा तथा "ग" वर्ग के राज्यों के साथ, जिनमें शेष भारत के राज्य आते हैं, उन्होंने यह कहा था कि यदि वे चाहेंगे तब उनके साथ हिन्दी में पत्र-व्यवहार किया जायगा। यदि उनको किसी दूसरे प्रदेश या केन्द्र से दूसरी भाषा में कोई चीज जाएगी तो उसका अंग्रेजी अनुवाद साथ जाएगा दूसरे उन्होंने यह भी निर्देश

दे रखे थे कि हिन्दी भाषी राज्यों को यदि कोई पत्र अंग्रेजी में भेजा जाता है तो उसका हिन्दी अनुवाद भी साथ जायगा । लेकिन आज हम देखते हैं कि स्थिति बिल्कुल उल्टी है । आज स्थिति यह है कि केवल अंग्रेजी भाषा में ही सारा पत्र व्यवहार हो रहा है । मैं मन्त्री जी से पूछना चाहता हूँ जब वे कहते हैं कि संविधान के सभी प्रावधानों का पालन हो रहा है तो कहां हो रहा है । हिन्दी भाषी राज्यों से जब हिन्दी में पत्र व्यवहार होना चाहिए तो केन्द्र की ओर से उनको अंग्रेजी में ही पत्र क्यों भेजे जा रहे हैं और केन्द्रीय सरकार की नीति के कारण ही उनको भी अंग्रजी में पत्र भेजने के लिये बाध्य होना पड़ रहा है । अन्यथा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे हिन्दी भाषी क्षेत्रों में तो कम से कम पूर्णतः राजभाषा हिन्दी होनी चाहिए । उनका सारा काम हिन्दी में होना चाहिए । लेकिन आप उनको भी अंग्रेजी में पत्र लिखते हैं, क्यों कि आपकी व्यवहार नीति दूसरी है, आप सिद्धान्त में जो कुछ कर रहे हैं, व्यवहार में ठीक उससे उलट कर रहे हैं ।जहां भारत सरकार के स्पष्ट निर्देश हैं कि सभी काम द्विभाषी रूप में होने चाहिए, आपका आधे से ज्यादा काम एक ही भाषा में होता है । हम जैसे लोग जब जोरदार तरीके से मांग करते हैं तो हमें भले हीं हिन्दी भाषा में मिल जाए लेकिन यह बात सच है कि हिन्दी के पत्रकारों को कोई भी रिपोर्ट,वक्तव्य, प्रेस-सामिग्री आदि हिन्दी में उपलब्ध नहीं होती । हिन्दी को द्वितीय श्रेणी का नागरिक बनाकर आपने रख दिया है । हम नहीं चाहते कि लोग हिन्दी को नहीं चाहते, वे हिन्दी में काम करें लेकिन जो लोग हिन्दी में काम करना चाहते हैं, उन पर आप अंग्रेजी क्यों थोपते हैं । यह बात 1976 के प्रावधानों में स्पष्ट रूप से कही गयी है लेकिन आज 10 वर्ष बाद भी, ठीक उसी के उलट काम हो रहा। इन्दिरा जी ने जिस काम को शुरू किया था, उसको आपने बिल्कुल उलट दिया । मैं चाहता हूँ कि आप इसको सुधारिये । मैं यहां आपसे एक बातस्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि यदि आप हिन्दी को उसका यथोचित अधिकार नहीं देंगे तो, मत भूलिये कि हिन्दी को राजभाषा मानने वाले लोग, जो इस देश में लगभग 60 करोड़ हैं, जिनकी मातृभाषा हिन्दी है उनकी संख्या भी लगभग 40 से 45 करोड़ है, हम यह भी नहीं चाहते कि जनबल के आधार पर हिन्दी लादी जाए···लेकिन जो लोग हिन्दी में काम करना चाहें वे हिन्दी में काम क्यो नहीं कर सकें । आपने कहा तकनीकी···(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री एन० वी० एन० सोमू (मद्रास उत्तर) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । यह अधिकांश लोगों की भाषा नहीं है । वे गलत जानकारी दे रहे हैं ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : ध्यानाकर्षण के दौरान मैं व्यवस्था के प्रश्न की अनुमति नहीं दूंगा । कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री नरेशचन्द्र चतुर्वेदी : उपाध्यक्ष महोदय, इस बात पर बड़ी नाराजी हुई, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से आपसे कहता हूं डा० सुनीति कुमार चटर्जी का अंग्रेजी का ज्ञान और हिन्दी को पढ़ लीजिए,

[श्री नरेन्द्रचन्द्र चतुर्वेदी]

डा० ग्रियर्सन का "सर्वे आफ इंडियन लैंग्वेज" को पढ़ लीजिए, उसमें क्या लिखा है, पिंकाड को पढ़ लीजिए, जो लन्दन से लिखता था, ग्रीड को पढ़िए, तब आपको मालूम पड़ जायगा कि हिन्दी में क्या कहा गया है, उनकी संख्या कितनी है मैं उस संख्या के बारे में कुछ नहीं कहता हूँ। आप हिन्दी के जिस रूप को ग्रहण करके कह रहे हैं, वह उसमें नहीं है। मेरा कहने का मतलब यह है कि दक्षिण में हिन्दी का काम सबसे अधिक हुआ है।

इस बात से कौन इंकार करेगा कि महात्मा गांधी ने सन् 1918 में मद्रास में दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा की स्थापना की। (गांधी जी के पुत्र देवदास और) राजा की पुत्री ने वहां उस हिन्दी को बढ़ावा दिया है। माहरी सत्यनारायण ने, हरिहर शर्मा ने, इन लोगों ने हिन्दी को बढ़ावा दिया है।···(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री एम० वी० एम० सोमू : उन्हें गलत जानकारी न देने दें वे गलत जानकारी दे रहे हैं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अन्यों को बोलने की अनुमति नहीं दे रहा हूँ। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए मैं दूसरों को बोलने की अनुमति नहीं देता।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री नरेशचन्द्र चतुर्वेदी : उपाध्यक्ष, महोदय, फिर वही बात कही जा रही है। 1937 में जब राजा जी मुख्यमंत्री थे वहां के, उस समय हिन्दी अनिवार्य···(व्यवधान)···कर के किस आदमी ने जेल में भेजा था, उन्हीं राजगोपालाचारी जी ने और आज आप कहते हैं कि राजनीतिक परिस्थितियों से कोई आदमी काम करता है, तो आज आप उसकी चर्चा करते हैं। मैं उन विचारधाराओं में नहीं जाता। आप इस विचारधारा को छोड़ दें। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री एम० वी० एम० सोमू : उन्हीं राजा जी ने हिन्दी का विरोध किया वे गलत जानकारी दे रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं नहीं चाहता कि दूसरे सदस्य बोलें। कुछ कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री नरेशचन्द्र चतुर्वेदी : आप उन आधिकारिक व्यक्तियों को पढ़िए, उस आधिकारिक रिकार्ड को देखिए। लेकिन मैं उस विवाद में नहीं जाता तो मैं तो गृह मंत्री जी से यह निवेदन करता हूँ कि भारत के संविधान में उसके बाद आपने सन् 1963, 1968 और 1976 में जो प्रावधान किए हैं, उनका पूरी तरह से पालन कीजिए।

1.00 म० प०

मैं पूछता हूं क्या कारण है कि आई० आई० टी० दिल्ली में किसी ने अपना शोध-प्रकल्प हिन्दी में दिया, तो हमको अपने आदरणीय प्रधान मन्त्री जी की शरण लेनी पड़ी, तब उसकी थीसिस स्वीकार हुई। उसके बाद राष्ट्रभाषा में ही नहीं, सम्पूर्ण भाषाओं में प्रकल्प रिपोर्ट नीति पास हो गई और आज भी अमरेन्द्र सिंह की थीसिस लटकी हुई है। भारत के शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में आई० आई० टी० को प्रस्ताव पास करना होगा कि सब भारतीय भाषाओं में प्रकल्प स्वीकार किए जाएंगे। यह काम सरकार नहीं करेगी तो कौन करेगा।

मैं कहना चाहता हूं कि मद्रास में दक्षिण हिन्दी प्रचार सभा में 2 लाख 82 हजार लड़के-लड़कियां हिन्दी की परीक्षा देते हैं, क्या यह भी रौंग इन्फर्मेशन है ? अगर दक्षिण भारत में हिन्दी का प्रचार-प्रसार न हुआ होता, तो कैसे पौने तीन लाख बच्चे प्रति वर्ष हिन्दी की परीक्षाएं देते। बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि उत्तर भारत में जितने आफिसर दक्षिण भारत के जाते हैं, वे सब बड़े-बड़े आफिसर हिन्दी में जितना अच्छा काम करते हैं और जितना अच्छा ज्ञान रखते हैं हिन्दी में, हमारे हिन्दी वाले आफिसर भी बहुत ऐसे हैं जो उतना अच्छा काम और वैसा हिन्दी का ज्ञान नहीं रखते हैं।

आज हम देखते हैं जब हमारे श्री नरसिंह राव जी बोलते हैं, श्री शंकरानन्द जी और श्री शिवशंकर जी बोलते हैं या दक्षिण के अन्य लोग बोलते हैं तो आपने देखा होगा कि हिन्दी के लोग उतनी अच्छी हिन्दी नहीं बोलते जितनी अच्छी वह बोलते हैं। इसमें हिन्दी का सवाल नहीं है, इसमें कोई झगड़ा थोड़े ही है जिसको नहीं करना हो न करे।

(व्यवधान)

श्री नरेशचन्द्र चतुर्वेदी : विरोध में आप कुछ भी बोलें, तमिल हमारे सिर के ऊपर है। मैं तो यह भी कहूंगा कि अगर आप कर सकें, राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्दी के बजाय तमिल स्वीकार करते हों तो मैं कहता हूं कि तमिल को स्वीकार करो। आप लाइये, इस संविधान सभा में अगर वह चीज आ सके तो आज लोक-सभा उसके लिए सक्षम है, आप प्रस्ताव लाइये, अगर हिन्दी के अलावा हिन्दुस्तान आज भी दूसरी भाषा को स्वीकार करेगा तो हम सब सिर झुकाकर स्वीकार करेंगे।

मैं आपसे यह कहता हूं कि जब तक हिन्दी राष्ट्र-भाषा है, उसके साथ इस तरह की भाषा का व्यवहार नहीं करना चाहिए।

1.02 म० प०

[श्री अंजुल बशर पीठासीन हुये]

हमारे गृह-मंत्री जी ने जो यह प्रावधान किया है, यह केवल अपने उत्तर में दे दिया है, वास्तविकता यह नहीं है। संसदीय कार्यमन्त्री जी का भी मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि राजभाषा समिति में और हिन्दी की समितियों में आपने जिन आदमियों को रखा है, उनको हिन्दी का कोई

[श्री नरेशचन्द्र चतुर्वेदी]

ज्ञान नहीं है, इसलिए हिन्दी का काम वहां पर नहीं होता। आप योग्य आदमियों को, सक्षम आदमियों को जिनको इसके बारे में जानकारी हो, उन्हें वहां पर रखिये उनका योगदान लीजिए।

गृह मन्त्री जी का वक्तव्य बहुत साधारण है, केवल कागजी है। मैं एक बात कहना चाहता था कि जो लोग हिन्दी की प्राज्ञ और प्रबोध की सरकार की परीक्षा दे चुके हैं, हिन्दी जानने के बाद भी क्या वह काम हिन्दी में करते हैं। अगर हिन्दी जानने के बाद भी अंग्रेजी में करते हैं तो हिन्दी कब आयेगी ? सम्पर्क भाषा बनने नहीं देंगे, शिक्षा का माध्यम बनने नहीं देंगे, काम करने की भाषा बनने नहीं देंगे तो क्षेत्रीयता निरन्तर बढ़ती जायेगी। केन्द्रीय भाषा को बढ़ावा नहीं है। आप पंजाब में जाइये।

सभापति महोदय : चतुर्वेदी जी, आप एक मिनट ठहर जाइये।

[अनुवाद]

संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : महोदय, मेरा प्रस्ताव है कि आज हम मध्याह्न भोजन अन्तराल न करें।

सभापति महोदय : क्या सदन इससे सहमत है।

कुछ माननीय सदस्य : जी हां।

सभापति महोदय : अतः इसके लिए अनुमति है। आज हम मध्याह्न भोजन अन्तराल नहीं करेंगे।

[हिन्दी]

श्री नरेश चन्द्र चतुर्वेदी : सभापति महोदय, मैं तो बहुत जल्दी ही भाषण खत्म करना चाहता था, लेकिन मेरे मित्रों ने समय ले लिया। मेरा गृह-मंत्री जी से निवेदन है कि आज जो सरकार के उपबन्ध हैं, भारतीय संविधान के 17वें भाग के अनुच्छेद 343 से 351 तक, उनमें जो संशोधन हुए हैं, जो सरकार के नियम बने हैं, उनका पूरी तरह से पालन करिये। अगर आप पालन करेंगे तो करोड़ों लोग ही नहीं, सम्पूर्ण भारत को इस बात से प्रसन्नता होगी।

हिन्दी केवल हिन्दी वालों को मैं नहीं मानता। बिना मुसलमानों के और बिना अहिन्दी क्षेत्रों के हिन्दी का कोई अस्तित्व मैं नहीं मानता। हिन्दी का अस्तित्व ही इन लोगों के कारण से है। जिन लोगों को राजनीतिक कारण से हिन्दी के नाम पर उलझन होती है, वह लोग देश के लिए खतरा ही बनेंगे। हमेशा के लिए उस खतरनाक स्थिति को मत आने दीजिए और हिन्दी के प्रति संविधान के उपबन्धों को पूरी निष्ठा के साथ लागू कीजिए, यही मेरा आपसे निवेदन है।

[अनुवाद]

श्री के० रामचन्द्र रेड्डी (हिन्दुपुर) : महोदय, मैं एक बात बताना चाहता हूं।

सभापति महोदय : ध्यानाकर्षण के दौरान व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता।

श्री के० रामचन्द्र रेड्डी : उन्होंने यह कहा था कि जो लोग हिन्दी में नहीं बोल रहे हैं वे देश का बटवारा करा देंगे।

सभापति महोदय : उन्होंने यह नहीं कहा है।

श्री के० रामचन्द्र रेड्डी : इसे कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया जाए।

सभापति महोदय : यदि कोई चीज कार्यवाही वृतान्त से निकालनी है तो वह निकाल दी जाएगी।

[हिन्दी]

श्री अजय मुशरान (जबलपुर) : सभापति महोदय, इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के लाने का कोई हिन्दी को विस्तृत रूप से बढ़ावा देने के लिए विज्ञापन-मात्र नहीं था। इसका उद्देश्य केवल यह है कि जो संविधान में, जिसकी कि हम लोगों ने रक्षा करने की शपथ ली है, चाहे हम हों, चाहे वह लोग हों, चाहे कोई लोग हों, इस संविधान में हिन्दी को राजभाषा बनाने के लिए बगैर थोपे हुए प्रावधान है और उसके कार्यान्वियन में जितनी उत्सुकता दिखाई जानी चाहिए, उतनी नहीं दिखाई जा रही है। इस ओर शासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया गया है। यह इसलिए नहीं लाया गया है कि इसके माध्यम से हिन्दी भाषा-भाषी और जो हिन्दी नहीं बोलते हैं, उनके बीच में कोई डिबेट हो।

राज्य गृह–मन्त्री जी ने जो यहां वक्तव्य दिया है, मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि जो भी शासन के माध्यम से हिन्दी को राजभाषा बनाने के लिए प्रयत्न हो रहे हैं, जो नियम बने हैं और उनके अनुसार जो समितियां बनी हैं, और जो भी कार्य किये जा रहे हैं, उसके पीछे जो उद्देश्य हैं, उनसे हम भलीभांति परिचित हैं और भलीभांति प्रभावित हैं, मगर जहां तक उनके कार्यान्वियन का प्रश्न है, प्रत्येक बार और प्रत्येक स्टेज पर यह देखा जा रहा है कि उनका कार्यान्वियन जितना होना चाहिए, उतना नहीं होता है। लगातार इस लोक-सभा में और राज्य–सभा में भी इस बात के मुद्दे उठाये गये हैं और उनके जवाब में यही कहा गया है कि शुरू में तीन भाषाओं का जो फार्मूला था, उसके माध्यम से हिन्दी को राज–भाषा बनाने के लिए जल्द से जल्द उपाय किये जायेंगे।

कल आपने सुना होगा कि दक्षिण भारत के एक हमारे माननीय सदस्य ने शिक्षा नीति पर बोलते हुए इस बात की पुरजोर सिफारिश की थी कि हिन्दी को बढ़ावा देने से और हिन्दी को न केवल राजभाषा, बल्कि एक सम्पर्क भाषा बनाने से भारत की एकता को कुछ सहायता मिलेगी।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया जायेगा ।

(व्यवधान)**

[हिन्दी]

सभापति महोदय : आप उनको बोलने दीजिए, वह बोल रहे हैं ।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : जो भी उन्होंने कहा उसे कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया जायेगा ।

(व्यवधान)**

[हिन्दी]

सभापति महोदय : यह लोग जो बात कर रहे हैं, यह कोई रिकार्ड पर नहीं जायेगी ।

सभापति महोदय, मेरे माननीय मित्र ने कहा कि तमिल इज दी बैस्ट लैंगुएज । मैं भी कहता हूँ कि तमिल इज दी बैस्ट लैंगुएज लेकिन इस समय इस ध्यानाकर्षण के माध्यम से तमिल बर्सेज हिन्दी का कोई फुटबाल मैच यहां नहीं हो रहा है । इस ध्यानाकर्षण के माध्यम से जो संवैधानिक जिम्मेदारी सरकार के ऊपर है । हिन्दी को राजभाषा बनाने के लिए, जो कि संविधान में दिया गया है ।

माननीय सभापति जी, मैं अपने मित्रों से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि बीच में टोका-टाकी न करें । हम तो राष्ट्रीय भाषा या सम्पर्क भाषा बनाने के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं । हम चाहते हैं कि जो संविधान में दिया गया है कि हिन्दी को राजभाषा बनाया जाये, उसको कार्यान्वित किया जाये । हमारी सरकार ने सब को यह आश्वासन दिया है कि हिन्दी किसी पर जबरदस्ती थोपी नहीं जायेगी और जब हिन्दी भाषा–भाषियों को छोड़कर दूसरे भारतीय इस हिन्दी भाषा को स्वीकार करेंगे तभी इसको राजभाषा बनाया जावेगा और तब तक के लिए अंग्रेजी को सामानांतर भाषा के रूप में इस्तेमाल किया जायेगा । इसलिए मेरा माननीय सदस्यों से निवेदन है कि वे कम से कम टोका-टाकी न करें ।

आज हम राष्ट्रीय एकता के प्रति काफी चिंतित हैं । 26 वर्ष तक सेना में रहने के बाद मैंने देखा है कि चाहे सेना में दक्षिण से कोई आता हो या उत्तर से आता हो वह सेना में 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद हिन्दी में अपनी बात कहने में सक्षम हो जाता है । दक्षिण के यहां से जो हमारे जवान आते हैं वह भी हिन्दी का उतना ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं जितना कि हमको उसका ज्ञान प्राप्त है ।

**कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

जहां तक हिन्दी बोलने, समझने और समझाने की बात है, अगर मैं यह कहूं कि राष्ट्रीय एकता को आगे बढ़ाने के लिए और राष्ट्रीय एकता के प्रतीक के रूप में यदि इसका इस्तेमाल किया जाये तो कोई अतिशयोक्ति न होगी । मेरी यह मान्यता है कि कोई भी भाषा, चाहे वह हिन्दी हो, चाहे तमिल हो, चाहे कन्नड़ हो, चाहे गुजराती हो वह हमको उतनी ही सर्वोपरि है जितनी कि सबको अपनी मातृभाषा प्रिय होती है ।

जहां तक हिन्दी को राजभाषा बनाने का प्रश्न है, इसके लिए सरकार की जिम्मेदारी है वह इस प्रकार का वातावरण बनाये जिससे सब उसे स्वीकार करें । आज जो हिन्दी के शब्द हमारे सरकारी कामों में इस्तेमाल होते हैं, उससे कभी-कभी ऐसा लगता है कि हिन्दी का मजाक उड़ाया जा रहा है । वह शब्द इतने मुश्किल होते हैं कि वह हमारी समझ से भी बाहर होते हैं । इसके लिए मेरा निवेदन है कि हिन्दी में सरल शब्दों का इस्तेमाल करके सबको प्रोत्साहित किया जाये और केवल हिन्दी और अंग्रेजी को एक प्रतिस्पर्धा का रूप न दें । गृह मंत्री महोदय ने इस विषय में जो वक्तव्य दिया है, उसके अलावा हमें इस सम्बन्ध में आश्वासन देने की भी आवश्यकता है ।

आखिर में मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमारे दक्षिण भारत में हिन्दी का सम्मान उतना ही होता है जितना कि उत्तर में होता है, लेकिन कुछ राजनीतिक तत्वों ने इस भाषा को इस प्रश्न को राजनीतिक अखाड़े में उतार दिया है ।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री पी० कुलनदईवेलू : (गोबिचेट्टिपालयम) : आप इस तरह से आरोप नहीं लगा सकते ।

श्री अजय मुशरान : यह किसी के विरुद्ध आरोप नहीं है (व्यवधान) मुझे इस सदन में जो भी कहना चाहिए वह मेरी इष्टतम आजादी है । आपने मुझे नहीं बताना है कि···· (व्यवधान)

श्री पी० कुलवदईवेलू : महोदय, उन्हें इसे राजनैतिक रंग नहीं देना चाहिए ।

(व्यवधान)

श्री रामचन्द्र रेड्डी : उन्हें यह सब नहीं बोलना चाहिए था ।

सभापति महोदय : आपको किस बात से आघात पहुँच रहा है ? कृपया बैठ जाइए ।

[हिन्दी]

श्री अजय मुशरान : मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि कुछ राजनीतिज्ञों ने जो कि भाषा के प्रश्न को राजनीतिक अखाड़े में उतारते हैं, यह किसी के हित में नहीं है । मेरी बात सुनने के बाद मुझे पूरी आशा है कि इन माननीय सदस्यों का जो गुस्सा है, वह उतर जायेगा । मैं चाहता हूँ कि इन्हीं के माध्यम से हिन्दी को राजभाषा बनाने का प्रयत्न किया जाये ताकि राष्ट्रीय एकता का जितना प्रदर्शन हम करते हैं, उतना ही हमारे यह माननीय सदस्य भी करें ।

श्री बालकवि बैरागी (मंदसौर) : माननीय सभापति जी, इस ध्यानाकर्षण के माध्यम से जो कुछ अभीष्ट लोक सभा के इस पवित्र मंदिर में हमारे भाई श्री नरेश जी और अजय जी ने कही है, उन बातों को मैं नहीं दोहराऊंगा । उनकी बात अपने आप में इतनी पुख्ता और मजबूत है कि वह किसी को पूरक जानकारी देने का अवसर दें, यह आवश्यक नहीं है ।

मैं सरकार से 2–4 छोटी-छोटी बातें निवेदन करना चाहता हूं । हिन्दी का किसी के साथ झगड़ा नहीं है । हमारे दोस्तों को भ्रम हो गया है कि हिन्दी लादी जा रही है । क्या खुशबू कभी किसी पर लादी जाती है, क्या आकाश किसी पर लादा जाता है, क्या धरती किसी पर लादी जाती है ? कोई भी भाषा चाहे तमिल, तेलगू, कन्नड़, कश्मीरी, डोगरी, मालवी, मराठी या बंगाली हो वह इस देश की आत्मा की खुशबू है, इस देश की एक छवि है, वह किसी पर नहीं लादी जायेगी, उसको लादने का सवाल ही नहीं है और हम उसको क्यों लादें ? जो चीज हमारे रक्त में, खून में, संस्कार में है, उसको लादना कतई आवश्यक नहीं है ।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री पी० कुलन्दईवेलू : महोदय यह जायके या खुशबू की बात नहीं है····(व्यवधान) आपका तर्क बिल्कुल गलत है । तमिल सबसे समृद्ध भाषा है और संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है···(व्यवधान)

श्री हरीकृष्ण शास्त्री (फतेहपुर) : वे कोई गलत बात नहीं कह रहे हैं । उन्होंने क्या गलती की है ? वे सभी भाषाओं की प्रशंसा कर रहे हैं ।

[हिन्दी]

मैं इसी सदन में अपनी ओर से एक वाक्य में एक जानकारी दूंगा और उसके बाद ही आगे बोलना ठीक समझूंगा । मैं वह व्यक्ति इस सदन में बोल रहा हूं जिसने सात बरस तक अपने बड़े बेटे को मद्रास में रह कर पहले तमिल सिखायी, उसके बाद ही कोई दूसरी भाषा सिखायी । अगर यह कहें कि तमिल केवल इन्हीं की भाषा है तो मैं इनसे कहूंगा कि तमिल मेरे बच्चों की भी भाषा है । अपने बेटे को सात वर्ष से वहां रखने के बाद यह बात कहने की हिम्मत की । मैं चाहूंगा कि यदि भाषाओं की खुशबू एक दूसरे को अर्पण नहीं की गई तो हम मूलतः देश का नुकसान करेंगे ।

सभापति महोदय, इस देश में आप हिन्दी को कब तक रोक सकेंगे ? हमें मालूम है, और पूरा देश जानता है, आप जानते हैं, हम जानते हैं, दक्षिण, उत्तर, पूर्व, पश्चिम, वायव्य, ईशान, नैऋत्य चारों दिशायें जानती हैं कि देश में से केवल अंग्रेजी जायेगी और दूसरी कोई अन्य भाषा जाने वाली नहीं । यहां तमिल, कन्नड़, तेलगू और हिन्दी को रहना है और इसके अलावा उन भाषाओं को रहना है जो आज्ञायें यहां की हैं । भारतीय हैं ।

एक भाषा जो जा रही है, एक जाती हुई भाषा के लिए हमारे मित्र इतना...(व्यवधान) एक जाती हुई भाषा को जब हमारे मित्र लोग पकड़ते हैं तो मुझे कोई अफसोस नहीं होता है । यह तो महज एक भावुकता है और समय के साथ गुजर जायेगी ।

मैं आप से इतना आग्रह करना चाहता हूं कि आजादी के 30-35-40 साल हो गये, इसी संविधान सभा में, यहीं बैठकर के वह दस्तावेज रेकार्ड में है, आप ने हिन्दी के संविधान पर दस्तखत किए, हमारे सब बड़े-बड़े नेताओं ने उस संविधन की प्रति पर हिन्दी में दस्तखत किए, उस संविधान की प्रति पर हिन्दी में दस्तखत सब बड़े बड़े नेताओं के हैं। चाहे वह जिस प्रदेश के भी थे वहां कई लोगों ने, संविधान सभा में काम करने वाले लोगों ने उस पर हिन्दी में दस्तखत किए हैं। आप जा कर देख सकते हैं, वह नेशनल दस्तावेज हमारी प्रापर्टी है, हमारी थाती है। उस संविधान को लेकर सुप्रीम कोर्ट में या हाईकोर्ट में जाना पड़ता है तो वहां संविधान का हिन्दी अनुवाद आज भी मान्यता प्राप्त नहीं कर सका। माननीय गृह मन्त्री से मैं सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह काम तो सरकार की ओर से आना था कि उस को किसी अनुवाद की आवश्यकता नहीं है, उस को वैसा का वैसा ही स्वीकार क्यों न कर लें ? इसके लिए तो सरकार की ओर से बिल आना चाहिए था।

मैं आप से एक दो छोटे छोटे आग्रह करके बैठ जाऊंगा। मैं चूंकि खुद राजभाषा समिति की तीसरी कमेटी का मैम्बर हूं, इसलिए आप से यह कहना चाहता हूं कि आप जो नए टाइप-राइटर खरीदते हैं उसमें पचास प्रतिशत आप को हिन्दी खरीदना चाहिए। क्यों नहीं वह खरीद पाते हैं। जो टाइपराइटर खराब हो जाते हैं उन के की बोर्ड बदल कर हिन्दी में कर सकते हैं। यह आपके यहां का नियम है। आप ने यह लिखकर हमें दिया है और बार बार देते हैं। लेकिन उस पर अमल नहीं होता है। अमल नहीं हो तो उस पर अमल कराने की कोशिश करनी चाहिए।

आज जब मैं बोल रहा हूं तो इतने महत्वपूर्ण दिन पर बोल रहा हूं, 7 मई कोई छोटा दिन नहीं है, यह महा कवि गुरु रवीन्द्रनाथ टैगोर का जन्म दिन है और आज यहां पर हिन्दी का यह पहला सवाल उठा है। हमें बहुत खुशी हुई इसलिए कि हम हिन्दी वाले लोग हैं, इसलिए कि हम भारत वाले लोग हैं। मैं इसलिए यह बात कर रहा हूं। पहली बार आठवीं लोक सभा के इतिहास में यदि किसी आदमी ने प्रधानमन्त्री को पहली बार हिन्दी में बोलने का मौका दिया तो वह लक्षद्वीप से आने वाले हमारे भाई सईद साहब थे और स्वयं हमारे प्रधान मन्त्री ने कहा कि आज मैं पहली बार हिन्दी में बोल रहा हूं। हिन्दी की हवा को हम लोग रोक नहीं सकेंगे। यह मेरा निश्चित मत है क्यों कि थैचर और एलिजाबेथ तो कभी नहीं रोक सकेंगी। उस को तो आना ही है। मैडम थैचर और मैडम एलिजाबेथ तो कभी नहीं रोक सकेंगी।

हमारे एक भाई ने कहा कि हिन्दी में व्याकरण नहीं है। मैं उनको निमन्त्रण देता हूं, दावत देता हूं, मेरे घर पधारें, मेरा बेटा उन से हिन्दी के व्याकरण पर तमिल में बात करेगा। वह तमिल में आप से कहेगा कि हिन्दी का व्याकरण कामता बाबू ने लिखा है, किशोरी दास बाजपेयी ने लिखा है और अम्बिका प्रसाद वाजपेयी ने लिखा है। ये तीन अगर समझ में न आएं तो मैं अपने मित्रों की जानकारी के लिए कहूंगा कि दो अंग्रेज हुए हैं मिस्टर केलार और मिस्टर नेसफील्ड, इन दोनों ने हिन्दी के व्याकरण लिखे हैं और केलार साहब का व्याकरण तो बहुत मशहूर है। अगर हमारे भाइयों को जानकारी नहीं है तो हम बुरा तो नहीं मानते इस बात का आपके और हमारे बीच में झगड़ा क्या है ? मैं तो सरकार से निवेदन कर रहा हूं, राजीव जी से निवेदन कर रहा हूं कि आप संविधान में संशोधन करके तमिल को इस देश की राष्ट्रभाषा बना

[श्री बालकवि बैरागी]

दीजिए। हम स्वीकार कर लेंगे। लेकिन अंग्रेजी को स्वीकार नहीं करेंगे। हमारा झगड़ा तमिल से नहीं था, गुजराती या अन्य किसी भाषा से नहीं था। हमारा झगड़ा कन्नड़ से नहीं था। हमारा झगड़ा एक बात से है कि इस देश में जो भी फूल खिलेगा वह इस देश की मिट्टी में खिलेगा। वह बाहर की मिट्टी और बाहर के पानी से नहीं खिलेगा। बस, यह एक ही बात है हमारा और किसी से झगड़ा नहीं हैं। मैं कड़वा नहीं बोलता हूं, मैं बहुत धन्यवाद देता हूं।

एक अन्तिम बात कह कर बैठ जाऊंगा। मेरा इतना ही निवेदन है, लोग कहते हैं कि हिन्दी समझ में नहीं आती और मैं गृह मन्त्री महोदय को एक साजिश की सूचना दे रहा हूं। वह साजिश आप के सचिवालय के कमरों में बैठ कर हो रही है। वह साजिश हिन्दी के खिलाफ है या नहीं, वह चीज अलग है, लेकिन वह साजिश मूलतः भारतीय आत्मा के खिलाफ है। मैं आप को सूचना दे रहा हूं। आप इस कुचक्र से हिन्दी को बचाइए। वह साजिश यह है कि हिन्दी के नए शब्द जो आपके विभाग के अन्दर बनते हैं वे इतने कठिन बना दिये जायं कि उनको अंग्रेजी में समझना पड़े। कृपा करके इस साजिश से हिन्दी को बचाइए। हिन्दी इतनी सरल है जैसे मां का दूध। मां का दूध तो कुदरत की तरफ से ऐसा मिलता है कि जिसके लिए न पानी मिलाने की आवश्यकता है, न उसमें चर्बी डालने की आवश्यकता है। लेकिन उस को कठिन बनाने का एक कुचक्र आपके सचिवालय में जगह जगह हो रहा है। इसलिए आप इस कुचक्र से हिन्दी को बचाइए

दूसरे, हिन्दी के शब्द गलत छापकर प्रसारित करना यह दूसरी साजिश चल रही है। मैं सदन के माध्यम से आपसे कहूंगा कि आप इसको रोकिए। समाज में हम लोग इस लड़ाई को लड़ लेंगे। हम हिन्दी वाले जो भी हिन्दी प्रान्त के हैं, अगर मेरे बस में होता और मेरे हाथ में पैदा होना होता।

माननीय सभापति महोदय; मैं बहुत भावना से कहता हूं यदि ईश्वर ने पैदा करने के लिए मुझसे पूछा होता पहले, तू कहां पैदा होना चाहता है बता दे तो मैं खुद कहता मुझे सुब्रह्मण्यम भारती की भूमि में पैदा करो, मुझे तमिलनाडु में पैदा करो। मैं खुद कहता ईश्वर से लेकिन अगर हिन्दी प्रदेश में पैदा हुआ हूं मि० कुलनदईवेलु, तो मैं सदन के माध्यम से कहता हूं इट इज नाट माई सिन, यह मेरे हाथ की बात नहीं थी। यह मैं आप से कह सकता हूं कि हमें पैदा होने के लिए ईश्वर ने जो आकाश और मां-बाप दिए हैं वह भारत के दिए हैं यही ईश्वर का बड़प्पन है, उसकी हमारे ऊपर कृपा है। हम सब भारतीय होने की कोशिश करें। इस पवित्र सदन के माध्यम से मैं एक बार पुनः सभी का आह्वान करता हूं यह जो पानी पर दीवारें खिंच रही हैं, पानी पर लकीरें बन रही हैं अलग-अलग भाषाओं के माध्यम से उसमें हम हिन्दी को ढूंढें, शायद हिन्दी आपके हमारे सभी के काम आ सके। धन्यवाद।

(व्यवधान)

श्री बालकवि बैरागी : सभापति महोदय, मैं मेरे भाई को अधिकार देता हूं.....

(व्यवधान)

सभापति महोदय : आप बैठिये ।

श्री बालकवि बैरागी : मेरे भाई को मैं अधिकार देता हूं कि ये अगले जन्म में मुझे खुद अपने घर में पैदा करें । (व्यवधान)

सभापति महोदय : अभी बहुत से जन्म आप ले सकते हैं । आप बैठिये । श्री जय प्रकाश अग्रवाल ।

श्री जय प्रकाश अग्रवाल (चांदनीचौक) : सभापति महोदय, आज का ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जो यहां पर पेश किया गया है उसका मतलब किन्हीं दो भाषाओं के बीच में दीवार खड़ी करना नहीं था । आज का जो प्रस्ताव है उसका मकसद यह है कि 14 सितम्बर, 1949 को संविधान में जो धारा रखी गई थी कि सरकारी भाषा हिन्दी होगी, उस पर कहां तक अमल किया गया है । उसके लिए कई बार कमीशन भी बने, कमेटियां भी बनीं लेकिन उनकी रिपोर्ट या तो आई नहीं और आई तो उसमें यह कहा गया कि इसका जो रूप है वह ठीक नहीं था और कहीं पर भी इसका इस्तेमाल सरकारी तौर पर नहीं किया गया है । मैं छोटी सी रिपोर्ट आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूँ :

[अनुवाद]

"केन्द्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति ने खेद प्रकट किया है कि कुछ मन्त्रालय और विभाग राजभाषा अधिनियम का अक्षरतः कार्यान्वयन नहीं कर रहे हैं और पिछले कुछ वर्षों से वार्षिक कार्यक्रम के विभिन्न मदों के अन्तर्गत निर्धारित किए गए लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया गया है ।"

[हिन्दी]

मेरे कहने का मकसद यह था कि जब तक हम सरकारी रूप में हिन्दी को देश के सारे हिस्सों में नहीं पहुंचा पायेंगे इसको देश की मातृभाषा नहीं बनायेंगे और तब तक मतलब पूरा नहीं होता, हम एक दूसरे को जोड़ नहीं सकते हैं । जो एकता का नारा हम देते हैं देश में, जब तक हम हिन्दी को शिक्षा का माध्यम नहीं बनायेंगे हम देश को एक सूत्र में बांधने में कामयाब नहीं हो सकते हैं । यह बहुत जरूरी है । आज अगर उत्तरी भारत का कोई नागरिक दक्षिण भारत में जाय तो वह हिन्दी में बात नहीं कर सकता । क्या वजह है कि देश के एक कोने में रहने वाला कोई भी भारतीय देश के दूसरे कोने में जाये तो वह दूसरे से बात न कर सके ?

सभापति महोदय : हिन्दी में हर जगह बात हो सकती है ऐसी कोई जगह नहीं है जहां हिन्दी में बात न हो सके । दक्षिण भारत के हर शहर में आप हिन्दी में बात कर सकते हैं । मैंने हर जगह बात की है ।

[अनुवाद]

श्री पी० कुलनदईवेलू : आप मद्रास में नहीं बोल सकते ।

सभापति महोदय : मैंने मद्रास में कई स्थानों पर हिन्दी में बोला है । आप मद्रास के बारे में नहीं जानते ।

[हिन्दी]

श्री जयप्रकाश अग्रवाल : क्या कारण है कि जो कमीशन या कमेटियां बिठाई गई थीं उनकी रिपोर्ट आज तक नहीं आयी है। हमने अपने संविधान में जो धारा बनायी थी उसके माध्यम से हिन्दी का प्रचार ज्यादा क्यों नहीं किया गया ? स्कूलों के माध्यम से जो बच्चों को हिन्दी पढ़ाई जानी चाहिए थी वह क्यों नहीं पढ़ाई गयी ? जो यह बाद में दिक्कत आती है, जो सरकारी काम काज होता है उसमें सरकारी भाषा के रूप में हिन्दी का प्रयोग कम होता है इसलिए शुरू से ही इसका प्रचार क्यों नहीं किया जाता ? आप दुनिया के किसी भी देश में जाकर देखिये, सोवियत रूस एक बहुत बड़ा देश है वहां किसी को भी रशियन समझने या समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। उसी प्रकार से हिन्दी का भी देश के हर कोने में प्रचार होना चाहिए। मैं यह जानना चाहता हूँ जो कमीशन बिठाए गए उनकी क्या रिपोर्ट थी।

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : विद्वान अधिष्ठाता महोदय, ...

श्री एम० रघुमा रेड्डी : महोदय, वे तेलगू जानते हैं, उनको तेलगू में बात करनी चाहिए।

[अनुवाद]

श्री हरीश रावत : कोन्चम, कोन्चम् तेलगू वोस्तोन्ती।

श्री पी० कुलनवेईवेलू : महोदय, कोन्चम, कोन्चम एक तेलगू शब्द है।

सभापति महोदय (श्री जेनुलबशर) : तो आपको इसकी सराहना करनी चाहिए।

श्री हरीश रावत : अगली बार, मैं तेलगू में बोलने का प्रयास करूंगा।

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत : विद्वान अधिष्ठता महोदय,

श्री एम० रघुमा रेड्डी : नार्दन यूनिवर्सिटी में सदर्न रीजनल लैंग्वेज तेलगू, तमिल, कन्नड़ सैकेण्ड लैंग्वेज के रूप में पढ़ानी चाहिए। इससे नेशनल इंटिग्रेशन होता है। जो आप पॉलिसी बोल रहे हैं···

(व्यवधान)

सभापति महोदय : एजूकेशन पॉलिसी की बहस चल रही है, आप उस पर अपनी बात कहिए। एजूकेशन पॉलिसी की बहस पर आप अपने सुझाव दीजियेगा।

श्री एम० रघुमा रेड्डी : गवर्नमेंट को एक सजैशन दें। **(व्यवधान)**....

[अनुवाद]

सभापति महोदय : जो भी यह कहते हैं उसे कार्यवाही-वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जायगा। **(व्यवधान)****

** कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : मुश्किल तो यही है कि इनका नाम इसमें नहीं है। एजूकेशन पॉलिसी की बहस चल रही है, उसमें आप कह सकते हैं। श्री हरीश रावत।

श्री हरीश रावत : विद्वान अधिष्ठाता महोदय, आज हमारा कालिंग एटेंशन का विषय किसी एक भाषा का प्रचार करना या उसको लादन के उपाय सोचना नहीं है। उसका मकसद केवल संविधान के अन्तर्गत और उसमें भी राजभाषा अधिनियम के तहत, जिसको इस माननीय सदन द्वारा स्वीकृति प्रदान है, उसके प्रावधनों को लागू करने में कहां तक कौन सी कोताही हो रही है, कहां पर कमी है, उसके संदर्भ में माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकृष्ट करना है। सारा सदन इस बात से सहमत होगा कि हम लोगों को दुःख इस बात का नहीं है कि राजभाषा अधिनियम को लागू करने के विषय में सरकार के द्वारा तेजी बरती नहीं जा रही है। हम सरकार की कठिनाइयों को समझते हैं, दिक्कत को समझते हैं। हम इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि भारत जैसे बहुभाषीय देश के अन्दर यदि हम किसी एक भाषा को किसी दूसरी भाषा बोलने वाले व्यक्ति को एहसास करवायेंगे कि लादी जा रही है, उसके ऊपर थोपी जा रही है, तो निश्चित तौर पर उससे राष्ट्रीय एकता के तार कमजोर होंगे। मगर साथ ही साथ हमको इस बात को भी देखना होगा कि कहीं हम इसकी आड़ में अंग्रेजी मानसिकता को बढ़ावा तो नहीं दे रहे हैं। आज सब को इस बात का दुःख है कि सरकारी कार्यालयों में, चाहे सदन के अन्दर या सदन के बाहर भी, लोग अंग्रेजी मानसिकता से ग्रसित हैं। देखने में यह आता है कि अंग्रेजी मानसिकता की आड़ में, टैक्नीकैलिटीज की आड़ में और कभी कभी इस आड़ में कुछ लोगों की भावनाओं को इससे ठेस पहुंचेगी, राजभाषा अधिनियम को लागू नहीं किया जाता है। उसको न लागू करने के पीछे लोगों का निहित स्वार्थ है। उन लोगों का निहित स्वार्थ है, जो अंग्रेजी की आड़ में अपने शोषण को इस देश के अन्दर कायम रखना चाहते हैं। जिसके स्वार्थ अंग्रेजी के साथ जुड़े हुए हैं, अंग्रेजी मानसिकता के साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि सबसे पहले हमारा प्रयास इस बात का होना चाहिए कि हमारे कार्यालयों में विशेष तौर पर जो उच्च वर्ग के अधिकारी हैं, उनसे अंग्रेजी की मानसिकता को हटाना चाहिए उनको अपनी अंग्रेजी की मानसिकता को दूसरों के ऊपर थोपने से रोका जाना चाहिए।

राजभाषा अधिनियम 1963 यह स्पष्ट करती है कि उसने देश के अन्दर विभिन्न क्षेत्रों में कार्यालय स्थित हैं, उनको अलग-अलग खण्डों में बांटा है। कोई "क" क्षेत्र के कार्यालय हैं, कोई "ख" क्षेत्र के कार्यालय हैं और कोई "ग" क्षेत्र के कार्यालय हैं। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि इन विभिन्न क्षेत्रों में जो कार्यालय स्थित हैं, वहां कोई ऐसी मशीनरी है, जो राजभाषा अधिनियम के प्रावधानों का शत-प्रतिशत अनुपालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, जांच कर सके ? यदि "क" क्षेत्र के कार्यालय में राजभाषा अधिनियम के तहत जितना उनको पत्राचार एक विशेष भाषा के अन्दर करना चाहिए, उतना पत्राचार नहीं कर रहे हैं, तो वहां कार्यरत कर्मचारियों को भाषा विशेष का ज्ञान देने के लिए कोशिश नहीं की जा रही है निश्चित प्रतिशत तक। उसके लिए कोई तरीका है और उसके लिए क्या आपके पास कोई सूचना आती है ? क्या आपके पास कोई दण्ड देने का प्रावधान है, तो व्यक्ति उसका अनुपालन नहीं कर रहा है, जो कार्यालय अध्यक्ष उसका अनुपालन नहीं कर रहा है, उसके ऊपर कोई एक्शन ले सकें ? मैं यह निवेदन के तौर पर

[श्री हरीश रावत]

माननीय गृह मन्त्री जी से कहना चाहूँगा कि इस समय स्थिति यह है कि आपके पास कोई दंडात्मक प्रावधान नहीं है। कोई बहुत अच्छा काम कर रहा है राजभाषा अधिनियम के प्रावधानों के पालन करने में, तो उसकी पीठ सिर्फ एक सर्टीफिकेट देकर ठोक दी जाती है और यदि कोई पालन नहीं कर रहा है, तो उसको दण्ड देने में, कुछ भी करने में आप सक्षम नहीं हैं और आपका मंत्रालय केवल काआर्डीनेशन वोडी का काम करता है। उससे अधिक कुछ कर सकने की स्थिति में वह नहीं है।

दूसरी बात यह कहना चाहता हूँ कि विभिन्न मन्त्रालयों के लिए और विभिन्न विभागों के लिए हिन्दी सलाहकार समितियां हैं। मुझे बहुत दुःख के साथ कहना पड़ता है कि अधिकांश मंत्रालय ऐसे हैं जिनकी निर्धारित समय पर बैठकें नहीं होती हैं। आपने अपने उत्तर में कहा है कि हर तीन महीने में एक बार बैठक होती है लेकिन में स्पष्ट तौर पर यह निवेदन करना चाहता हूँ कि शायद ही कोई मन्त्रालय ऐसा हो, कोई विभाग ऐसा हो, जो अपने कोटे को पूरा करता हो और जितनी बैठकें होनी चाहिए उतनी बैठकें करता हो और इससे भी बदतर हालत आज हमारे मन्त्रालय के और विभागों के, टौप को छोड़कर, जो मातहत कार्यालय है, उनकी है। उनमें राजभाषा अधिनियम के प्रावधानों के पालन करने की जो स्थिति है, वह और भी चिन्तनीय है। मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि न केवल टौप पर इस तरह की सलाहकार समतियां होनी चाहिए बल्कि हर विभाग के अन्दर जो हिन्दी सलाहकार समितियां हैं और जो मातहत कार्यालयों में हिन्दी सलाहकार समितियां हैं, उनकी समय पर बैठकें हों, इस बात को सुनिश्चित करने की कोशिश होनी चाहिए। अभी हमारी जितनी पब्लिक अन्डरटेकिंग्स हैं, वे शतप्रतिशत अंग्रेजी मानसिकता से ग्रसित हैं। और बातों को तो छोड़िये, उन्होंने जो अपने लोगों और अपने नाम रखे हुए हैं, वे भी अंग्रेजी में रखे हुए हैं जैसे आई० टी० डी० सी०, एयर इन्डिया है और दूसरे इस तरीके के विभाग हैं, उनसे आप यह कहिये कि वे किसी भी भारतीय भाषा में अपने नाम रखें मैं यह नहीं कहता कि वे हिन्दी में अपने नाम रखें। वे अपने नाम किसी भी भारतीय भाषा में रखें। हिन्दुस्तान में एक से एक सुन्दर भाषा है। उनमें अपने नाम रखने की वे कोशिश करें। इस समय तक जो लोग हिन्दी नहीं जानते हैं, उनको प्रशिक्षित करने के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करने का प्रावधान होना चाहिए। माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि सारे भारत में इस समय 155 हिन्दी प्रशिक्षण केन्द्र काम कर रहे हैं। भारत जैसे विशाल देश में जहां हजारों हजार कार्यालय हैं, 155 को छोड़िये, कई सौ 155 पब्लिक अन्डरटेकिंग्स हैं, उन सबको प्रशिक्षण देने के लिए यदि हिन्दी कार्य साधक ज्ञान देना है, तो ये 155 केन्द्र काफी नहीं हैं। इनकी संख्या कई अधिक होनी चाहिए। हिन्दुस्तान जैसे विशाल देश में, जहां कर्मचारियों की इतनी बड़ी संख्या है, उसमें आपने कितने लोगों को प्रशिक्षण अभी तक दिया है। जो संख्या आपने बताई है, वह न केवल न्यून है बल्कि हास्यास्पद है। कृपा करके इसकी तह में आप जाकर इस बात को देखिए और हिन्दी में प्रशिक्षण देने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। केवल एक सर्कूलर जारी कर देने से काम नहीं चलेगा। उसके लिए आप उचित प्रलोभन देने की व्यवस्था करें। अभी तो आप केवल सर्टीफिकेट देते हैं गैर-हिन्दी भाषी लोगों को तमिल भारतीय होने के बावजूद जो हिन्दी सीखना चाहता है और उसकी ट्रेनिंग लेना चाहता है और निर्धारित समय के अन्दर प्रशिक्षण ले लेता है, टाइप करने का प्रशिक्षण ले लेता है या हिन्दी में कार्य करने का प्रशिक्षण ले लेता है, तो उसे

प्रलोभन के तौर पर आप क्या देते हैं। उसको 20 और 25 रुपये ही आप देते हैं। इससे कैसे काम चलेगा। इस धनराशि को बढ़ाने के लिए आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ मैं यह भी आग्रह करना चाहूँगा कि न केवल हिन्दी में बल्कि हिन्दी भाषी व्यक्ति भी अगर किसी दूसरी भाषा में कार्य साधक ज्ञान प्राप्त कर लेता है, मद्रास में काम करने वाला कोई व्यक्ति, जो हिन्दी भाषी है, तमिल सीख लेता है, तो उसके लिए भी प्रलोभन की उचित व्यवस्था होनी चाहिए।

मैं एक और बात कहना चाहता हूँ। टाइपराइट्स इत्यादि का मामला मेरे मित्रों ने उठाया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि सी० एम० सी० ने लिपि नाम का कम्प्यूटर डेवलप किया है, जो मल्टी-लिंगुएल है। वह केवल द्विभाषी नहीं है बल्कि कई भाषाओं में काम करता है। नये कम्प्यूटर कई मन्त्रालयों में खरीदे जा रहे हैं। तो क्या आप यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार के कितने मंत्रालय ऐसे हैं, जिन्होंने कम्प्यूटर खरीदे हैं और ऐसे कम्प्यूटर खरीदे हैं, जो मल्टी-लिंगुएल हैं। मैं समझता हूँ कि ऐसा कोई विभाग नहीं होगा, जिसने मल्टी-लिंगुएल कम्प्यूटर खरीदा हो। उनको तो छोड़िये। आपका मंत्रालय का, गृह मंत्रालय का यह दायित्व है और आपके ऊपर जिम्मेवारी है कि राज भाषा अधिनियम के प्रावधानों को लागू करवाने के बारे में देखे। आपके यहां भी ऐसा कम्प्यूटर नहीं खरीदा गया है और जो खरीदा गया है वह मल्टी-लिंगुएल नहीं है। जो टेलीप्रिंटर रखे गये हैं, वे भी मल्टी-लिंगुएल नहीं है। हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स ने इस तरह के टेलीप्रिंटर डेवलप किये हैं। इसलिए इस चीज को भी आपको देखना चाहिए।

अब मैं आपका ध्यान हिन्दी अनुवाद ब्यौरों की स्थिति की तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ। जो आपका हिन्दी अनुवाद ब्यौरो है, उसकी स्थिति इस वक्त खराब है और दयनीय है।

1.40 म० प०

[श्री सोमनाथ रथ पीठासीन हुए]

उसमें इस समय इतनी कम क्षमता है कि यदि कोई जनरल आर्डर है, सामान्य आदेश है और वह अनुवाद के लिए उनके पास जाता है तो एक-एक अनुवाद वहां से निकलने में तीन-तीन, चार-चार महीने का समय लग जाता है। कृपा कर यह देखें कि उसकी आड़ में दूसरे लोगों का फायदा तो नहीं हो रहा है जो राजभाषा के प्रावधानों को लागू करना नहीं चाहते हैं। कम से कम आप हिन्दी अनुवाद ब्यारों में अनुवाद करने वाले सक्षम लोगों को बढ़ाइये, तकनीकी अनुवाद करने वालों को बढ़ाइये।

अन्त में मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि हम राजभाषा अधिनियम के प्रावधानों को तब तक लागू नहीं कर सकते जब तक कि इसको एक पब्लिक मूवमेंट बनाने की कोशिश नहीं करते। पब्लिक मूवमेंट बनाने से मेरा मतलब यह नहीं है जैसा कि कुछ लोग एक भाषा विशेष के संदर्भ में या विरोध में बैनर उठाते हैं। मेरा मतलब यह है कि हिन्दी के प्रावधानों को लागू करने के लिए, पौपुलराइज करने के लिए सरकार को आवश्यक व्यवस्था करनी होगी। इस समय ऐसी व्यवस्था करने के मामले में सरकार की तरफ से कई उपाय किये जा सकते हैं। जहां हिन्दी अनुवादक होने चाहिए, हिन्दी स्टेनोग्राफर होने चाहिए, हिन्दी अधिकारी होने चाहिए वहां उन्हें रखा

[श्री हरीश रावत]

जाना चाहिए। आपके अधिकांश मंत्रालय और विभाग ऐसे हैं जिनमें कि पद स्वीकृत हैं मगर स्वीकृत पद पर नियुक्ति इसलिए नहीं की जा सकती कि वित्त मंत्रालय ने उनको भरने पर रोक लगा रखी है। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ कि आप वित्त मंत्रालय से आग्रह कर के इस पर रोक हटवाएं और उससे कहें कि इन पदों को भरना इसलिए आवश्यक है कि संविधान के तहत स्टेच्युटरी आवलीगेशन है उसको पूरा करना है। उसी को पूरा करने के लिए ये पद स्वीकृत किये गये थे और इनको भरने पर इकोनोमिक ड्राइव का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।

मैं अन्त में अपने मित्रों से आग्रहपूर्वक यह कहना चाहता हूँ कि हम में से कोई भी व्यक्ति आपकी भावना को या किसी दूसरी भाषा के व्यक्ति की भावना को ठेस पहुँचाना चाहता है। हम अगर किसी चीज के खिलाफ हैं तो अंग्रेजी मानसिकता के खिलाफ हैं। मैं समझता हूं कि जब तक अंग्रेजी मानसिकता नहीं हटेगी, तब तक न आपकी भाषा आगे बढ़ सकती है और न कोई और भाषा आगे बढ़ सकती है।

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : श्रीमन् ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का एक बहुत ही सीमित दायरा था कि केन्द्रीय सरकार की राज के काम में जो भाषा की नीति है, उसके अनुसार भाषा का कैसे प्रयोग किया जाए, उसमें हिन्दी का क्या स्थान है, हिन्दी के बारे में जो आदेश है, जो प्रावधान हैं, उनको पूर्ण रूप से कार्यान्वित किया जा रहा है या नहीं। इस ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए यह प्रस्ताव आया था। इसके लिए मैं माननीय सदस्यों का बहुत आभारी हूँ।

श्रीमन्, कुछ बातें इधर-उधर चली गयी हैं जो कि नहीं जानी चाहिए थीं। क्योंकि राष्ट्रीय जीवन में हिन्दी का एक विशेष स्थान है। इसके साथ साथ स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में राष्ट्रीय भावना का जो प्रादुर्भाव हुआ, उन दिनों भी हिन्दी का बड़ा भारी महत्व का प्रश्न था और करीब करीब सभी प्रदेशों के प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने, साहित्यकारों ने स्वाधीनता संग्राम में विशेष तौर से हिन्दी के महत्व को पहचाना और इसके माध्यम से एक राष्ट्रीय भावना किस प्रकार से फैल सके, इसके लिए उन्होंने अपने अपने विचार रखे और बड़ी दृढ़ता से रखे।

फिर वह दौर आया, वह क्यों आया उसमें जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज स्थिति यह है कि हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाएं द्विभाषिक तौर पर बहुत अर्से तक चलेंगी और जिस दौर से अभी हम गुजर रहे हैं वह कब खत्म होगा और किस तरह से खत्म होगा यह एक बहुत बड़ी व्यापक बहस का विषय है। लेकिन जब तक यह दौर चले, उसके अनुरूप या उसको ध्यान में रखते हुए हिन्दी के काम को राजकाज में किस तरह से बढ़ाया जाए, उसके लिए विभाग बहुत ही सतर्क है और बहुत कार्य कर रहा है।

हिन्दी के थोपने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। क्योंकि संविधान में, कानूनों और नियमों में जो प्रावधान है वे बहुत स्पष्ट हैं। किस प्रकार से हम इसके कार्य को आगे बढ़ा सकें, महत्व की बात यह है। जैसा कि रावत जी ने कहा—अंग्रेजी का हमारे ऊपर मानसिक दबाव इतना है कि

जब तक हम अपनी शिक्षा व्यवस्था पर से, अपने सामाजिक जीवन से उससे नहीं निकल पाते तब तक न हिन्दी बढ़ सकेगी, न दूसरी प्रादेशिक भाषाएं बढ़ सकेंगी।

यह किस प्रकार हटे, यह एक बहुत व्यापक प्रश्न है। शिक्षा-पद्धति में हिन्दी का क्या स्थान हो, जो तकनीकी शिक्षा है, उसमें उसका क्या स्थान हो, ये सब प्रश्न जुड़े हुए हैं। इसलिए जो सरकार करना चाहती है, अपने एक सीमित दायरे में कि प्रशासनिक क्षेत्र में किस प्रकार हिन्दी का प्रयोग बढ़ाया जाए, उसमें सबसे बड़ी अड़चन यह आ रही है कि हम केवल एक सीमित दायरे में काम कर रहे हैं, जबकि देश का वातावरण बिल्कुल दूसरा है। इसलिए इस व्यापक प्रश्न को जब तक हम हल नहीं कर सकेंगे, दरअसल में कभी-कभी यह एक बड़ा कृत्रिम सा प्रयास लगता है। उनको शिक्षित करना, उनको प्रोत्साहित करना, वे हिन्दी का स्तेमाल करें, अगर इस्तेमाल न करें तो उन पर क्या दण्ड लगाएं, यह सब इस प्रकार की प्रक्रिया है, जिससे कोई भी भाषा चाहे प्रशासन की हो या कोई हो, किसी तरह से बढ़ नहीं सकती। जब तक यह दूसरी समस्या हल नहीं होगी और देश का वातावरण हिन्दी के प्रति और भारतीय भाषाओं के प्रति नहीं सुधरेगा, तब तक ये कमियां जो माननीय सदस्यों ने बताई हैं, संभवतः बनी रहेंगी। फिर भी मैंने अपने वक्तव्य में जो आंकड़े दिए हैं, हमारी राजभाषा कमेटी की जो रिपोर्ट है उसमें बहुत ही विस्तार से बताया है कि किस प्रकार से प्रगति हो रही है, मैं स्वयं स्वीकार करने को तैयार हूँ कि अभी बहुत कुछ हमें करना है। हिन्दी की जो स्थिति है वह आदर की किसी रूप में नहीं कही जा सकती, लेकिन एक बात अवश्य है कि प्रगति अवश्य हो रही है और माननीय सदस्यों ने यहां पर सदन में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से चर्चा उठाई है, जो समितियां हैं उनमें माननीय सदस्य भी सदस्य हैं, उन सबके प्रयास करने से मैं समझता हूँ कि हमारे अधिकारी भी आगे सचेष्ट होकर चलेंगे और इस तरह से मैं समझता हूँ कि सारी चीज ठीक चलेगी।

बहुत बातें जैसे टंकण के बारे में कही गई, कम्प्यूटर के बारे में कही गई, टेलीप्रिंटर के बारे में कही गई, हमारी निश्चित रूप से यह नीति है कि चाहे कम्प्यूटर हों, टेलीप्रिंटर हों, ये द्विभाषी हों, ये चीजें अभी-अभी आई हैं और हमारे देश में बननी शुरू हुई हैं, हमने निश्चित रूप से यह निर्णय लिया है कि ये द्विभाषी बनें, ज्यादा भाषाओं में बन सकें, ज्यादा भाषाओं का इस्तेमाल हो सके। इसके लिए कहा जा रहा है कि इस समय एक भाषा अंग्रेजी चल गई तो पता नहीं कब दूसरी भाषाओं के टेलीप्रिंटर और कम्प्यूटर आ सकें, इसलिए हमारी नीति है और इसी आधार पर हम कर रहे हैं।

जहां तक प्रशिक्षण योजना का प्रश्न है, सही है कि इतने केन्द्र नहीं हैं, जितने होने चाहिए। 514 केन्द्र हैं और उन केन्द्रों के अलावा भी कई गैर-सरकारी संस्थायें हैं जो इस काम में हमारा हाथ बंटा रही हैं और हमारा निश्चित मत है कि केवल सरकारी क्षेत्र में ही नहीं बल्कि इन गैर-सरकारी संस्थाओं ने अपने आप में बहुत बड़ा काम किया है। "दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार समिति" का उल्लेख किया गया। पिछले कई वर्षों में उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया हिन्दी को बढ़ावा देने में, सामान्य नागरिकों तक पहुंचाने में, उनका योगदान हम अपने कार्यों में भी लेना चाहते हैं और हमारी यह भावना है कि ज्यादा से ज्यादा इस प्रकार की संस्थाओं को अपने प्रशिक्षण कार्य में जोड़ा जाए ताकि हमारे जो कर्मचारी हैं, उनको और भी ज्यादा हिन्दी का ज्ञान दिया जा सके।

[श्री रामनिवास मिर्धा]

शब्दावली के बारे में प्रश्न आया कि बहुत कृत्रिम रूप से बनाई जाती है और यह भी कहा गया है कि इसके पीछे भी कोई बड़ी साजिश है। मैं नहीं समझता कि इसमें कोई साजिश है, लेकिन शिक्षा मंत्रालय ने जो शब्दावली आयोग के द्वारा जो शब्दावली बनाई है, उसमें निश्चित रूप से संस्कृत ही नहीं, बल्कि दूसरी प्रादेशिक भाषाओं से भी शब्द लिए गये हैं, यह एक तरह से नियम है, नीति है। यह प्रसन्नता का विषय है कि स्थिति में सुधार हुआ है और भविष्य में भी होगा। जो संवैधानिक दायित्व है उसका एक पहलू यह भी है कि सारे देश की भाषाओं के ठीक शब्दों को लेकर, उनके बहुत अच्छे साहित्य की मदद लेकर नई शब्दावली का निर्माण करें, वह देवनागरी में अवश्य लिखा जाएगा लेकिन सही मायनों में हिन्दी और राष्ट्र की सेवा होगी, इसी आधार पर हम आगे काम करना चाहते हैं।

उस वजह से विशेष भाषाओं को नज़दीक में आने का मौका मिलेगा और एक दूसरे से समझने का मौका मिलेगा मैं समझता हूँ, इस तरह से जो भी शब्दावली आयेगी, व्यावहारिक होगी और समझ में आ सकेगी। हमारे यहाँ ही नहीं बल्कि दूसरे प्रदेश वाले भी उसको समझ सकें, इसी प्रकार करेंगे। माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है, वह बहुत ही सुन्दर है। मैं फिर दोहराना चाहूँगा कि कार्यान्वयन का जहां तक प्रश्न आता है, कुछ कसर अवश्य है। लेकिन हमने जो समितियां और जो भी प्रावधान रखे हैं, उनका विस्तृत उल्लेख मैंने अपने वक्तव्य में दिया है। प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में केन्द्रीय हिन्दी समिति है। हर विभाग में समितियां हैं। प्रशासनिक दृष्टिकोण से कई बड़े-बड़े शहरों में समितियां बनी हुई है। सब लोग वहां मिलते हैं और हिन्दी का काम किस तरह से उत्तरोत्तर बढ़ता रहे सरकारी काम-काज में, उस पर विचार करते रहते हैं। माननीय सदस्यों को यह विश्वास दिलाना चाहूँगा कि···(**व्यवधान**)

[**अनुवाद**]

श्री पी० कुलनदईवेलू : इसका अर्थ यह नहीं है कि आप गैर-हिन्दी भाषी लोगों पर हिन्दी थोप रहे हैं ?

(**व्यवधान**)

[**हिन्दी**]

श्री हरीश रावत : अगर किसी को नाराज होना चाहिए था तो हमको नाराज होना चाहिए था। ···(**व्यवधान**)

[**अनुवाद**]

श्री प्रताप भानु शर्मा : कृपया हिन्दी सीखने का प्रयास कीजिए और हम तमिल सीखने का प्रयास करेंगे।

सभापति महोदय : कृपया शान्ति रखिए (**व्यवधान**) कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया जाए। (**व्यवधान**) मन्त्री कृपया अपनी बात समाप्त करें।

[हिन्दी]

श्री राम निवास मिर्धा : मैंने प्रारम्भ में ही यह कह दिया था कि हिन्दी को थोपने का प्रश्न ही नहीं उठता। हमारे संविधान में, नियमों में, कानून में, जो हिन्दी की स्थिति है, वह अच्छी तरह से सुदृढ़ रहे, उसको क्रियान्वित किस प्रकार कर सकें, यह नीति हम अवश्य चलायेंगे। जो भी माननीय सदस्य सोचते हैं हिन्दी थोपी जा रही है, उनको यह सोचना चाहिए कि हमारे संविधान में, नियमों में और कानूनों में जो लिखा हुआ है, उसका कम से कम ध्यान रखें। उसके अन्तर्गत काम करते हुए जो भी बढ़ावा दिया जायेगा। वह दिया जायेगा।

1.52 म० प०

विधेयक

(एक) वन्य-जीव (संरक्षण) संशोधन विधेयक

[अनुवाद]

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि वन्य-जीवन (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वन्य-जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री जिया उर्रहमान अन्सारी : महोदय, मैं विधेयक को पुरः स्थापित करता हूँ।

(दो) पर्यावरण (संरक्षण) विधेयक

श्री जियाउर्रहमान अन्सारी : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि पर्यावरण के संरक्षण और सुधार तथा उससे सम्बन्धित विषयों की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि पर्यावरण के संरक्षण और सुधार तथा उससे सम्बन्धित विषयों की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री जियाउर्रहमान अन्सारी : महोदय, मैं विधेयक को पुरः स्थापित करता हूँ।

नियम 377 के अधीन मामले

[हिन्दी]

(एक) राजस्थान के विभिन्न भागों में जलरोध के कारण जिन लोगों के मकानों तथा फसलों को क्षति पहुँची उन्हें मुआवजा तथा पुनर्वास अनुदान देने की आवश्यकता

श्री बीरबल (गंगानगर) : इन्दिरा गान्धी कैनाल तथा घग्घर बाढ़ कंट्रोल के फर्स्ट हेड मस्तिवाली से प्रारम्भ होकर सूरतगढ़ हेड (राजस्थान) तक के क्षेत्र में नहरों के पानी के वाटर लोगिंग के कारण भूमि की सतह पर निरन्तर पानी भरा हुआ है। यह वाटर लोगिंग पिछले दो-तीन वर्ष से निरन्तर है। इस वाटर लोगिंग के कारण उस क्षेत्र में स्थित ग्रामों की आबादी में पानी भरा रहता है और जिसके कारण रिहाइशी मकान गिर गए हैं तथा वाटर लोगिंग के कारण कृषि भूमि में फसलें नहीं बोई जा सकती हैं और कृषि फसलें बोई जाने योग्य नहीं रहीं हैं। इस प्रकार इस क्षेत्र के लोगों की आजीविका का साधन कृषि पैदावार बिलकुल समाप्त हो गया है। इन लोगों को सरकार की ओर से अभी तक आर्थिक सहायता कुछ एक लोगों को वराये नाम की दी गई है।

अतः मैं भारत सरकार से पुरजोर मांग करता हूँ कि उपरोक्त क्षेत्र में आबाद जिन लोगों के मकानात वाटर लोगिंग के कारण गिर गए तथा समाप्त हो गए हैं उन्हें रिहेबिलिटेशन ग्रांट तथा मुआवजा राशि दी जाये तथा जिन लोगों की कृषि भूमि खेती के अयोग्य हो गई है उनकी भूमि को आधुनिक उपकरणों के माध्यम से कृषि के योग्य बनाया जाए तथा उनसे विभिन्न प्रकार के ऋण तथा सरकारी एवम् बैंकों द्वारा की जाने वाली धनराशि की वसूलियों पर रोक लगाई जाये।

(दो) राजस्थान की अरावली पहाड़ियों में राणकपुर जैन मन्दिर को वायुदूत सेवा से जोड़ने की आवश्यकता

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : भारतवर्ष में अनेक पर्यटन स्थल हैं उसमें राजस्थान का अरावली पहाड़ियों के बीच एक सुन्दर और प्रसिद्ध राणकपुर जैन मन्दिर है। यह एक सुन्दर कलाकृति है। इसे देखने के लिए हजारों यात्री दूर-दूर से आते हैं। अब इसकी तरफ विदेशी पर्यटकों का ध्यान भी आकर्षित हो गया है। परन्तु वह सुन्दर पर्यटन स्थल आवागमन के साधनों से कटा हुआ है और न कोई आवागमन का सरल सुलभ और समय की बचाने वाला कोई माधन है।

यदि इस सुन्दर पर्यटन स्थल को वायुदूत से जोड़ दिया जाए तो अहमदाबाद या उदयपुर से सीधा पर्यटक वहां पहुँच कर रमणीय स्थान का आनन्द ले सकता है।

यह वायुदूत सीधा अहमदाबाद से सम्पर्क जोड़ सकता है और वही वायुदूत राजस्थान को झीलों की सुन्दर नगरी उदयपुर तक आ-जा सकता है और जैसलमेर के कलापूर्ण स्थलों का आनन्द लेने के लिए उसका उपयोग किया जा सकता है। मैं समझता हूँ यदि पर्यटन मन्त्री व नागर विमानन मन्त्री इस तरफ ध्यान दें तो उन्हें आवश्यक सहयोग भी राजस्थान के प्रवासी भारतीयों

में भी मिल सकता है। मुझे आशा है कि इसका सर्वेक्षण सभी दृष्टिकोणों का उपयुक्त हो तो वायुदूत की व्यवस्था सरकार करके पर्यटकों को इस सुन्दर कलाकृति के आनन्द से वंचित नहीं करेगी। न इससे सरकार को कोई आर्थिक हानि उठानी पड़ेगी।

[अनुवाद]

(तीन) त्रिवेन्द्रम और कोचीन को पश्चिमी घाट क्षेत्र स्थित कुमाली से जोड़ने के लिए वायुदूत सेवा शुरू कराने की आवश्यकता

प्रो० पी० जे० कुरियन (इदुक्की) : महोदय, वर्तमान घरेलू वायु सेवाओं में सहयोग देने के लिए देश के विभिन्न भागों में वायुदूत सेवा शुरू की गयी थी। यह बहुत सफल सिद्ध हुई है और इस सेवा को अधिक से अधिक क्षेत्रों में विस्तार करने की भारी मांग हो रही है। सरकार के हाल ही के निर्णय के अनुसार वायुदूत सेवाओं का विस्तार 1986–87 में 44 नये स्टेशनों के लिए भी किया जा रहा है। यह स्वागत योग्य निर्णय है।

परन्तु, केरल राज्य को अभी तक भी वायुदूत सेवा के नक्शे में नहीं रखा गया है। वर्तमान वायु सेवायें राज्य के अन्दर बढ़ते हुए अन्तरक्षेत्रीय यातायात की आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक दम अपर्याप्त है। केरल सरकार ने राज्य में वायुदूत सेवा प्रारम्भ करने के लिए एक प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया है। यह सेवा पश्चिमी घाट क्षेत्र में त्रिवेन्द्रम और कोचीन को कुमाली से जोड़ सकती है जो पर्यटकों के लिए अत्यन्त आकर्षण का केन्द्र है। यदि कुमाली को वायुदूत सेवा से जोड़ दिया जाय तो पर्यटक यातायात कई गुना बढ़ जायेगा और इससे भारी मात्रा में वित्तीय लाभ भी होगा।

इसलिए, मैं सरकार से यह अनुरोध करता हूँ कि वह त्रिवेन्द्रम और कोचीन को कुमाली से जोड़ने वाली वायुदूत सेवा शुरू करने के लिए शीघ्र कदम उठाये।

2.00 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

(चार) उड़ीसा के कालाहांडी जिले को "उद्योगहीन जिला" घोषित करने की आवश्यकता

श्री जगन्नाथ पटनायक (कालाहांडी) : महोदय, कालाहांडी पश्चिमी उड़ीसा का एक पिछड़ा हुआ जिला है। इस जिले में अभी तक उद्योग स्थापित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है। मैसर्स वेजिटेबल लेबर काम्प्लेक्स को छोड़कर इस जिले में कोई और मध्यम दर्जे को अथवा बड़ा उद्योग स्थापित नहीं किया गया है। भारत सरकार की यह नीति है कि पिछड़े इलाकों में उद्योग स्थापित करके क्षेत्रीय असंतुलन को दूर किया जाय। इसलिए कालाहांडी को 'उद्योगहीन जिला' घोषित किया जाय, क्योंकि यह अभी तक भी पिछड़ा हुआ है। औद्योगिक उद्यमियों को इस जिले में उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और उन्हें सभी तरह की सुविधायें उपलब्ध करायी जानी चाहिए। केन्द्र सरकार द्वारा कालाहांडी जिले में उद्योग

[श्री जगन्नाथ पटनायक]

स्थापित करने के लिए राज्य सरकार को सहायता दी जानी चाहिए। बड़े उद्योगों के मामले में, यदि आवश्यक हो, तो विश्व बैंक की सहायता प्राप्त की जानी चाहिए।

कालाहांडी जिला वन और खनिज संसाधनों से भरपूर है। इस जिले में वन और खनिज आधारित उद्योग स्थापित करने की भारी गुंजाइश है। राज्य के अन्य जिलों की तुलना में कालाहांडी जिले में श्रम की लागत भी सस्ती ही है। उद्योगों की स्थापना से स्थानीय लोगों को काफी मात्रा में रोजगार उपलब्ध हो सकेगा।

इस बात को ध्यान में रखते हुए, मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह कालाहांडी जिले को 'उद्योग हीन' जिला घोषित करें और इस जिले में उद्योग स्थापित करने के लिए अविलम्ब प्रोत्साहन दिये जायें।

(पांच) अग्रिम बाढ़ पूर्वानुमान डिवीजन को बुरला में ही रहने देने की आवश्यकता

श्रीमती जयन्ती पटनायक (कटक) : अनेकों प्राकृतिक विपदाओं में से, जो उड़ीसा राज्य में आती रहती हैं, बाढ़ एक ऐसी अनवरत विपदा है जो हर दो साल में एक बार आती ही है, जिससे फसलों, पालतू पशुओं और जनजीवन को भारी हानि पहुँचती है। कभी-कभी तो बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के लोगों को बाढ़ के समय सुरक्षित स्थानों में पहुँचने तक का समय नहीं मिल पाता क्योंकि अग्रिम बाढ़–पुर्वानुमान सूचना की कोई व्यवस्था यहां नहीं है। इसलिए यह जरूरी है कि उड़ीसा में कुछ अग्रिम बाढ़-पूर्वानुमान कार्यालय स्थापित किये जायें। बहुत कहने सुनने के पश्चात, भारत सरकार ने बुरला में एक अग्रिम बाढ़ पूर्वानुमान डिवीजन खोला है। यह डिवीजन कार्यालय सही समय पर बाढ़ की सूचना का पुर्वानुमान लगा रहा है और इस प्रकार से बहुत हद तक लोगों की सहायता कर रहा है। परन्तु यह बड़े खेद की बात है कि कुछ स्वार्थी तत्व इस कार्यालय को मध्य प्रदेश से जाने के लिए उच्च अधिकारियों पर जोर डालने की कोशिश कर रहे हैं। यदि इस प्रस्ताव को कार्यान्वित कर दिया गया तो उड़ीसा के लोगों में भारी असन्तोष फैल जायेगा क्योंकि वे संभावित बाढ़ के बारे में अग्रिम सूचना प्राप्त करने से वंचित हो जायेंगे और अपने आपको सुरक्षित स्थानों पर ले जाने में सफल नहीं हो पायेंगे।

इस बात को ध्यान में रखते हुए, मैं यह मांग करती हूँ कि बुरला स्थित अग्रिम बाढ़–पूर्वानुमान डिवीजन को किसी भी परस्थिति में किसी अन्य स्थान पर न ले जाया जाये। साथ ही साथ मैं यह भी मांग करती हूँ कि भुबनेश्वर में भी एक बाढ़ पूर्वानुमान डिवीजन स्थापित किया जाये। बाढ़ पूर्वानुमान कार्यालय की शाखायें उड़ीसा में बांकी, टिकरपाड़ा और अन्य स्थानों में भी स्थापित किये जाये।

[हिन्दी]

(छः) राजस्थान में चित्तौड़गढ़ इलाके में "सालर" पेड़ों के संरक्षण के लिए आवश्यक उपाय करने की आवश्यकता

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत (चित्तौड़गढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहती हूँ।

मान्यवर, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में बेरहमी से जंगल साफ हो रहे हैं, उस ओर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी। राजस्थान में 25 प्रतिशत के स्थान पर सरकारी रिकार्ड के अनुसार केवल 10 प्रतिशत जंगल हैं जब कि वास्तविकता यह है कि केवल 3 प्रतिशत ही वहां जंगल हैं और वे भी कोटा तथा चित्तौड़गढ़ सिरोही जिले में बचे हुए हैं। चित्तौड़गढ़ के प्रतापगढ़, छोटी सादड़ी, रावतभाटा तथा बड़ी सादड़ी में किसी समय घने जगल थे पर इस समय वे अवैध रूप से काटे जा रहे हैं और उसे रोकने के सम्बन्ध में कोई प्रभावशाली कार्यवाही नहीं हो पायी है। यही नहीं राज्य सरकार का व्यापार मण्डल (जो सरकारी विभाग है) स्वयं हरी लकड़ी काट कर कोयले बना रहा है।

अभी हाल ही में इस जिले में "सालर" नाम के कीमती वृक्षों से गोंद निकालने का राज्य सरकार ने ठेका दिया है। वन विशेषज्ञों की राय है कि गोंद के लिए इन सालर के पेड़ों का जो छेदन होगा उसके बाद ये हरे-भरे पेड़ सूख जाएंगे और नष्ट हो जाएंगे।

अतः सरकार तुरन्त इस पर हस्तक्षेप करके 'सालर' वृक्ष को बचाये तथा हरी लकड़ी काट-कर कोयला बनाने के कार्य को भी तुरन्त रोके। वरन् राजस्थान पहले ही सूखा प्रान्त है। दिन पर दिन वृक्ष कटने तथा बेरहमी से वृक्षों के छेदन से यहां के बचे-खुचे पेड़ तथा हरा-भरा जिला चित्तौड़गढ़ भी भयंकर रेगिस्तान में बदल जायेगा। पहाड़ी तथा पथरीला रेगिस्तान, रेतीले रेगिस्तान से भी अधिक भयंकर होता है। कृपया केन्द्र तुरन्त हस्तक्षेप करके, इस ओर ध्यान दें।

[अनुवाद]

(सात) उड़ीसा में तलचर में प्रस्तावित सुपर ताप-विद्युत परियोजना को शीघ्र मंजूरी देने की आवश्यकता

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : महोदय, केन्द्रीय सरकार की पर्यावरण मूल्यांकन समिति द्वारा उड़ीसा में तलचेर में 3000 मेगावाट के सुपर ताप विद्युत संयंत्र के लिए प्रस्तावित स्थल के बारे में कुछ आपत्तियां उठाये जाने के कारण, सातवीं योजना में उड़ीसा के लिए इस अनिवार्य विद्युत परियोजना का निर्माण शुरू करने में, अत्यधिक विलम्ब हो रहा है।

उड़ीसा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 1984 में ही इस परियोजना के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र दे दिया था। विश्व बैंक ने भी इस परियोजना के लिए धन देने का वायदा कर लिया था।

उड़ीसा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में कार्यरत प्रमुख वैज्ञानिकों ने पर्यावरण मूल्यांकन समिति द्वारा उठाई गई आपत्तियों का उत्तर देते हुए यह कहा है कि सल्फर डायोक्साइड को ऊंची चिमनी बनाकर और यदि जरूरी हो, तो फ्लैम गैस द्वारा और डिसल्फरराइजेशन संयंत्र की स्था-पना करके नियंत्रित किया जा सकता है। नाइट्रोजन मोनोआक्साइड और नाइट्रोजन डाईआक्साइड से सुरक्षा के लिए समुचित डिजाइन की भट्टियां तैयार की जा सकती हैं।

क्योंकि परियोजना को स्वीकृत नहीं की जा रही है इसलिये प्रदूषण नियंत्रण के लिए उप-युक्त बताई गई विद्यमान वैज्ञानिक प्रणालियों के होते हुए उड़ीसा के लोगों में यह धारणा फैल

[श्री चिन्तामणि पाणिग्रही]

रही है कि इस परियोजना को किसी और स्थान पर ले जाने के लिए चुपके चुपके प्रयास किये जा रहे हैं।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि उड़ीसा के लोगों के मस्तिष्क से इस बढ़ती हुई आंशका को दूर किया जाय कि इस परियोजना को जो कि बहुत ही उपेक्षित और पिछड़े हुए राज्य के तीव्रतर आर्थिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और जो अभी तक अपने अन्तिम चरण में नहीं है उड़ीसा से बाहर नहीं ले जाया जायेगा।

(आठ) त्रिपुरा के शीघ्र आर्थिक विकास के लिये आवश्यक आधारभूत ढांचे का निर्माण करने की आवश्यकता

श्री हम्मान मोल्लाह (उलूबेरिया) : महोदय, त्रिपुरा उत्तर-पूर्व क्षेत्र का एक भाग है। इसमें अभूतपूर्व समस्यायें हैं। इसमें राजनैतिक और आर्थिक तथा राष्ट्रीय अखंडता की समस्यायें हैं। स्वतंत्रता के 39 वर्षों के बाद भी यह क्षेत्र अत्यधिक पिछड़ा हुआ है। इस चुनौती का सामना करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण यहां तेजी से आर्थिक प्रगति के वास्ते एक मूलभूत ढांचे का निर्माण करना है। रेलवे का विस्तार न केवल त्रिपुरा में बल्कि इस क्षेत्र के अन्य राज्यों में भी इस पहलू से अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं अनिवार्य है। त्रिपुरा में बहुत अधिक कच्चा माल है, पर्याप्त मात्रा में गैस है और वन उत्पाद है। यदि उनका समुचित उपयोग किया जाए तो इस राज्य की 22 लाख की आबादी को रोजगार और जीविका उपलब्ध करायी जा सकती है। उत्तर-पूर्वी परिषद के गठन से भी इस क्षेत्र को कोई खास लाभ नहीं हुआ है। दिनेश सिंह समिति की सिफारिशें भी अभी तक अएल में नहीं लाई गयी हैं। त्रिपुरा राज्य में इस समय भी केवल 34 किलोमीटर मीटर-गेज रेलवे है।

इसलिए त्रिपुरा में रेलवे प्रसार कार्य और गैस आधारित उर्वरक उद्योग की स्थापना, कताई मिल तथा जूट मिल की स्थापना के अत्यधिक महत्व पर जोर देने के उद्देश्य से त्रिपुरा के छात्रों और युवकों ने 7 मई, 1986 को संसद के सत्र के दौरान संसद के सामने अपनी मांगे रखने के लिए अगरतला से नई दिल्ली तक लगभग 2700 किलोमीटर की लम्बी यात्रा की है। यह उनके राज्यव्यापी संघर्ष का चरम बिन्दु है जिनमें नागरिक अवज्ञा और गिरफ्तारी देना भी शामिल है। इसके साथ-साथ राज्य विधान सभा को भी इन मांगों के समर्थन में सर्वसम्मति से संकल्प पारित किये हैं। संसद में भी सदस्यों ने इस क्षेत्र के सभी राज्यों में रेलवे के प्रसार की मांग की है। इसलिए, मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि इस क्षेत्र की अरसे से चली आ रही मांगों को पूरा किया जाये।

(नौ) अखिल भारतीय केन्द्रीय विद्यालय संगठन की कानूनन मान्यता प्रदान करने की आवश्यकता

सैयद शाहबुद्दीन (किशनगंज) : केन्द्रीय विद्यालय संगठन के अध्यापकगण अपनी 11 सूत्री मांगों पर जोर देने के लिए पिछले तीन वर्षों से आन्दोलन कर रहे हैं। उनकी मांगों में प्रमुख मांग

है पदोन्नति कोटा में वृद्धि, प्रबन्ध में भागीदारी, आवासीय सुविधाओं की व्यवस्था, वेतनमानों में सुधार आदि।

संगठन इस आधार पर उनकी प्रतिनिधि निकाय अर्थात् ए० आई० के० बी० टी० ए० से बातचीत नहीं कर रहा है कि यह विधिवत रूप से मान्यता प्राप्त नहीं है। दूसरी ओर इसने 18 फरवरी, 1986 को एक कागजी संगठन राष्ट्रीय केन्द्रीय विद्यालय अध्यापक संघ को यहां तक कि मान्यता के लिए प्रार्थना पत्र देने की तारीख समाप्त होने से पहले ही और वह भी 9 जनवरी, 1986 के अपने स्थायी अनुदेशों का पूर्ण उल्लंघन करके विधिवत मान्यता प्रदान की है। माननीय शिक्षा राज्य मन्त्री श्रीमती सुशीला रोहतगी ने 7 मार्च, 1986 के अपने इस आश्वासन को अभी तक पूरा नहीं किया है कि एक सप्ताह के भीतर इस मामले की समीक्षा की जायेगी।

18 अप्रैल 1986 को कलकत्ता उच्च न्यायालय ने इस संघ को गैर कानूनी मान्यता दिये जाने के बारे में रोकादेश दे दिये हैं। 16 अप्रैल को दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी इस संघ को संयुक्त सलाहकार समिति बनाने से रोक दिया है।

इस कार्यवाही ने 25,000 अध्यापकों को आन्दोलन करने के लिए विवश कर दिया है।

मैं माननीय मानव संसाधान विकास मन्त्री से आग्रह करता हूँ कि वह सद्भावनापूर्ण नियोजक-कर्मचारी सम्बद्ध स्थापित करने के लिए ए० आई० के० बी० टी० ए० को कानून मान्यता प्रदान करें। मैं इसके साथ तत्काल फिर से वार्ता करने के लिए संगठन का आह्वान करता हूँ ताकि केन्द्रीय विद्यालयों के अध्यापकों की बहुत पुरानी शिकायतों और मांगों के बारे में कोई संतोषजनक समझौता हो सके, क्योंकि अध्यापकगण हमारे शैक्षिक जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

2.12 म० प०

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रारूप के बारे में संकल्प—जारी

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री पी० वी० नरसिंह राव द्वारा 6 मई 1986 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर अब सभा में आगे चर्चा आरम्भ होगी।

"यह सभा 2 मई 1986 को सभा पटल पर रखे गये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के प्रारूप का अनुमोदन करती है।"

अब श्री ए० सी० षण्मुख बोलेंगे।

***श्री ए० सी० षण्मुख** (वेल्लोर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अपनी पार्टी आल इण्डिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम की ओर से, माननीय मानव संसाधन मन्त्री द्वारा सभा के समक्ष प्रस्तुत नयी शिक्षा नीति पर, मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूँ।

---

*मूलतः तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्री ए० सी० षण्मुख]

सर्व प्रथम मैं इस बात की ओर संकेत करूंगा कि इस नयी शिक्षा नीति में शिक्षा पर वित्तीय व्यवस्था के विषय में कोई उल्लेख नहीं है।

जब तक इस नीति में बताये गये उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु खर्च की व्यवस्था नहीं की जाती है, तब तक नयी शिक्षा नीति शब्दों और मुहावरों का एक दस्तावेज ही रह जाती है। मैं चाहता हूँ कि माननीय मानव संसाधन मन्त्री को चर्चा के उत्तर में इस नयी शिक्षा नीति को लागू करने के लिए वित्तीय आवश्यकताओं के सम्बन्ध में एक संकेत देना चाहिए।

संविधान की राज्य सूची में शिक्षा को रखने के प्रत्येक पहलू का गहराई से अध्ययन करने के बाद, हमारे संविधान के निर्माताओं ने सर्वसम्मति से शिक्षा को राज्य सूची में सम्मलित किया था। वे आश्वस्त थे कि राज्य जो कि अधिकार की निकटतम संस्थायें हैं, ही केवल शिक्षा के त्वरित विकास को सुनिश्चित करेंगे। लेकिन केन्द्र सरकार, जो कि सदैव अपनी शक्ति को बढ़ाने की ताक में रहती है, ने संविधान के 42वें संशोधन के माध्यम से शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में कर दिया है। अब इस नयी शिक्षा नीति के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षा को केन्द्र सूची में लाया जा रहा है। मैं नहीं जानता कि डा० राधाकृष्णन आयोग, जिसने कि विश्वविद्यालय शिक्षा की समस्याओं का विस्तृत अध्ययन किया है और अपनी महत्वपूर्ण रिपोर्ट प्रस्तुत की है, की सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की गयी है। उसी प्रकार से डा० लक्ष्मणस्वामी मुदालियर आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के पहलुओं की जांच की और अपनी विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की। मैं जानना चाहता हूँ कि इस आयोग की सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की गयी है। 1964-66 के मध्य में कोठारी आयोग ने शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन किया और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसके आधार पर 1968 में शिक्षा नीति बनायी गयी थी। इन सभी तीनों प्रतिष्ठित आयोगों ने शिक्षा को राज्य-सूची से हटाकर समवर्ती सूची में मिलाने की सिफारिश नहीं की थी। केन्द्र ने स्वय ऐसा किया है। अब अखिल भारतीय शिक्षा सेवा को गठित करने का प्रस्ताव है यदि ऐसा होता है, तो यह शिक्षा को संघ सूची में मिलाने के बराबर है।

शिक्षा विकास का एक शक्तिशाली माध्यम केवल तभी बनेगी जब शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होगी। पेरारिग्नार अन्ना कहा करते थे कि लोग केवल राज्य सरकार से न कि केन्द्र सरकार से सीधे और तत्काल सम्बन्ध रखते हैं। मुझे आश्चर्य है कि केन्द्रीय सरकार दुनिया की समस्त शक्तियां अपने हाथ में लेने की अनधिकार चेष्टा क्यों कर रही है। केन्द्र को मुद्रा, रक्षा और विदेशी कार्यों तक ही अपने कार्य क्षेत्र को सीमित रखना चाहिये अन्य समस्त कार्य राज्य सरकारों को अन्तरित कर दिये जाने चाहिये। यदि सभी शक्तियां केन्द्र सरकार के हाथों में केन्द्रित कर दी गयी तो यह एक बेकार का प्रयास होगा। केन्द्र सरकार के हाथों में इस प्रकार के शक्ति के केन्द्रीयकरण से कोई ठोस परिणाम नहीं निकलेगा। इसलिए, इस अवसर पर मैं मांग करता हूँ कि शिक्षा को समवर्ती सूची से निकालकर पुनः राज्य सूची में कर दिया जाय।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में यह व्यवस्था थी कि शिक्षा में व्यय को धीरे-धीरे, राष्ट्रीय आय के छः प्रतिशत तक, जितनी जल्दी सम्भव होगा, बढ़ाया जायेगा। छठी योजना की समाप्ति तक, शिक्षा में व्यय का स्तर केवल तीन प्रतिशत के स्तर तक पहुँचा है। राष्ट्रीय विकास परिषद

की हाल की बैठक में हमारे माननीय प्रधान मन्त्री ने बताया है कि राष्ट्रीय आय का छः प्रतिशत स्तर 1989-90 तक प्राप्त किया जायेगा। यहां यह उल्लेख करना उपयुक्त होगा कि छठी पंचवर्षीय योजनावधि के समय में शिक्षा की कितनी उपेक्षा की गयी है। प्रथम योजना में शिक्षा पर सकल राष्ट्रीय आय का 7.5 प्रतिशत खर्च किया गया था और छठी योजना के अन्त में यह 1.5 प्रतिशत तक कम हो गया। जैसे एक हाथी को एक खम्भे से बांधकर और उसे खिला-पिला कर नहीं रखा जा सकता। इसे स्वतन्त्र विचरण और अपना भोजन स्वयं लाने की छूट होनी चाहिये। उसी प्रकार शिक्षा को राज्यों की देख रेख पर, न कि केन्द्र सरकार की दया पर, छोड़ देना चाहिये। यद्यपि संविधान में ही देश के लोगों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित की गयी है, परन्तु केन्द्रीय सरकार की शिक्षा की ओर इस तरह की उदासीनता के कारण आज तक यह वास्तविकता नहीं बन पायी है। मुझे आश्चर्य है कि कैसे भारत सरकार 1995 तक 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा योजना की अधीन लाने के उद्देश्य को प्राप्त करेगी। छठी योजना के अन्त तक सभी के लिये निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करने की असफलता की जिम्मेदारी सीधे केवल केन्द्रीय सरकार के कन्धों पर आती है। अपने सीमित संसाधनों और पंगु शक्तियों की परिधि में डा० एम० जी० आर० के नेतृत्व में तमिलनाडु की राज्य सरकार ने वार्षिक बजट का 30 प्रतिशत से 40 प्रतिशत तक खर्च करके राज्य में शैक्षिक पुनरुत्थान के उत्कर्ष को प्राप्त किया है। नयी शिक्षा नीति में लड़कियों के लिए जमा-2 शिक्षा की व्यवस्था है। अनेक वर्ष पहले से ही तमिलनाडु में लड़कियों को निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है। यहां तक कि अनेक कांग्रेस (आई) शासित राज्यों में जमा-2 शिक्षा व्यवस्था अभी तक लागू नहीं की गयी है। इस नीति में प्राथमिक शिक्षा और पौष्टिक भोजन योजना का भी उल्लेख है। 1980 से तमिलनाडु सरकार 250 करोड़ रु० वार्षिक लागत से पौष्टिक भोजन योजना को लागू कर रही है। 85 लाख बच्चे अपने बौद्धिक और शारीरिक विकास के लिये पौष्टिक भोजन प्राप्त कर रहे हैं। प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन में बढ़ोत्तरी और स्कूल छोड़ने में कमी हुयी है। मेरा सुझाव है कि पौष्टिक भोजन योजना में तमिलनाडु सरकार द्वारा किये जा रहे व्यय को केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकार को अनुदान के रूप में देना चाहिए।

सम्पूर्ण राज्य में अनेकों आई० आई० टीज, और पालीटेक्नीकल्स की स्थापना करके शिक्षा के व्यवसायीकरण में तमिलनाडु सरकार ने क्रान्ति ला दी है। तकनीकी शिक्षा की बढ़ती हुयी मांग को पूरा करने के लिये पचास से भी अधिक इन्जीनियरिंग कालेज खोले गये हैं। चिकित्सकों और अभियन्ताओं की पढ़ाई के लिये प्रवेश का संगणकीकरण किया गया है। इसने कदाचार की सभी सम्भावनाओं को समाप्त कर दिया है। भरतियार विश्वविद्यालय, भारती दासन विश्वविद्यालय, तमिल विश्वविद्यालय, मदर टेरेसा द्वारा प्रारम्भ किया गया कोडाइकनाल में केवल लड़कियों का विश्वविद्यालय, अलगप्पा चेट्टियार विश्वविद्यालय और अन्य विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा की बढ़ती हुयी मांग को पूरा करने के लिये खोले गये हैं। मेरा सुझाव है कि उच्च शिक्षा की इन सभी संस्थाओं को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता मिलनी चाहिये।

जब हमारे नेता श्री कुलनईवेलु तमिलनाडु में स्थानीय स्वशासन मन्त्री थे ? तब आत्म-निर्भरता योजना के अधीन 300 करोड़ रुपये की लागत से राज्य के सभी गांवों में सभी सुविधाओं से युक्त स्थायी विद्यालय भवन बनाये गये थे। प्राथमिक स्तर पर राज्य सरकार सभी बच्चों को निःशुल्क वर्दी (ड्रेस) और निःशुल्क पुस्तकें उपलब्ध करा रही है। विश्वविद्यालय

[श्री ए० सी० षण्मुख]

अनुदान आयोग जिससे कि देश के सभी विश्वविद्यालयों की कार्य प्रणाली में एकरूपता सुनिश्चित करने की आशा थी, की स्थापना ने विश्वविद्यालयों में मतभेद उत्पन्न किया है। केन्द्रीय विद्यालयों की स्थापना ने राज्य सरकार के विद्यालयों और स्थानीय संस्थाओं द्वारा चलाये जा रहे विद्यालयों में भेदभाव को जन्म दिया है।

नवोदय विद्यालय खोलने से विद्यालयों के बीच यह भेदभाव और बढ़ेगा। नवोदय विद्यालय गैर सरकारी क्षेत्र के विद्यालयों के समान ही हैं। नवोदय विद्यालयों के माध्यक से हिन्दी सम्पूर्ण देश पर थोप दी जाएगी। जहां तक शिक्षा का सम्बन्ध है राज्यों के अधिकारों को कम करने के बजाय यह अच्छा होगा कि केन्द्र शिक्षा को केन्द्रीय सूची में शामिल कर ले। कम से कम राज्य प्रतिदिन शिक्षा के मामले में केन्द्र के अतिक्रमण से छुटकारा पा जाएंगे।

आज सुबह ध्यानाकर्षण के दौरान हिन्दी की समस्या को उठाया गया था। यह दावा किया गया था हिन्दी थोपी नहीं जा रही है और त्रिभाषा फार्मूले के राज्यों के गले में जबरदस्ती नहीं ठूंसा जा रहा है। माननीय मंत्री ने भी यह कहा था कि हिन्दी को अन्य राष्ट्रीय भाषाओं की कीमत पर अनपेक्षित महत्व नहीं दिया जा रहा है। परन्तु यहां क्या हो रहा है? श्रीलंका में भारतीय तमिलों की हत्या की जा रही है और उन पर बम फेंके जा रहे हैं। हमारे माननीय मंत्री श्री चिदम्बरम् इस जातीय समस्या पर श्री लंका सरकार से वार्ता के लिए एक शिष्टमंडल लेकर वहां गए थे। हमारे नेता श्री कुलनदईवेलू ने मंत्री जी से एक वक्तव्य की, और श्रीलंका द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन पर चर्चा की मांग की थी। उस अनुरोध को अस्वीकृत कर दिया था। परन्तु हिन्दी के प्रसार पर चर्चा की अनुमति दे दी गई थी। इस सभा में भी पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया जाता है। यहां पर कथनी और करनी में अन्तर है। आप अन्य राष्ट्रीय भाषाओं के विकास के लिए केन्द्रीय सरकार से न्याय की आशा कैसे कर सकते हैं? राजभाषा समिति का 1976 में गठन किया गया था। पिछले 10 वर्षों के दौरान इस समिति ने क्या काम किया है? इस समिति ने विदेशों में स्थित हमारे दूतावासों में हिन्दी के प्रयोग का मूल्यांकन करने के लिए पूरे विश्व की यात्रा पर लाखों रुपए बहा दिए हैं। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या अनुसूचीबद्ध राष्ट्रीय भाषाओं के सम्बन्ध ऐसा कोई कार्य किया गया है। मेरा सुझाव है कि केन्द्रीय सरकार पिछले 39 वर्ष के दौरान देश में राष्ट्रीय भाषाओं के विकास पर व्यय की गई धनराशि का पता लगाने और इस सभा को प्रतिवेदन देने हेतु एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया जाए। यह सभा देश का सबसे बड़ा प्रतिनिधि मंच है, जिसे यह जानने का अधिकार है कि अन्य राष्ट्रीय भाषाओं के विकास में कितनी प्रगति हुई है। अन्य राष्ट्रीय भाषाओं के विकास पर उस धनराशि का सौवां भाग भी नहीं व्यय किया गया है जितनी हिन्दी पर व्यय की गई है। संविधान में अनुसूचीबद्ध 14 राष्ट्रीय भाषाओं के विकास पर कितने करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं? ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के दौरान एक सदस्य ने कहा था केवल एक भाषा राजभाषा होनी चाहिए। स्विट्जरलैंड में, जो कि एक छोटा-सा देश है, चार राजभाषायें हैं। सिंगापुर में, जो उससे भी छोटा देश है, पांच राजभाषाएं हैं। इन दोनों देशों में इन सभी भाषाओं में सरकारी काम होता है। अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों का कार्य उन देशों की वर्तमान राजभाषाओं में भेदभाव किए बिना किया जाता है। परन्तु हमारे देश में, जहां की जनसंख्या 70 करोड़ है, जहां विभिन्न धार्मिक

मत और विभिन्न संस्कृतियां हैं, जहां जातीय अन्तर और वेशभूषा में अन्तर है, सभी चौदह अनुसूचीबद्ध राष्ट्रीय भाषाओं के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं किया जा रहा है।

उदाहरण के लिए स्वयं संसद को ही लें। कुछ सदस्य अंग्रेजी को नहीं चाहते हैं, वे केवल हिन्दी ही चाहते हैं, परन्तु केवल अंग्रेजी से हिन्दी और हिन्दी से अंग्रेजी में साथ-साथ भाष्यान्तर की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। मुझे यह कहना है कि देश में 14 राष्ट्रीय भाषाओं को बोलने वाले लोगों की भावनाओं के प्रति कम सम्मान प्रदर्शित किया जाता है। क्या हम देश के विभिन्न क्षेत्रों के सदस्यों के लाभार्थ उन्हें अपनी भाषा में सभा की कार्यवाही सुनने के लिए साथ-साथ भाष्यान्तर हेतु 14 चैनलों की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं? क्या हम देश के लोगों की भावनाओं को सम्मान देने के लिए कुछ लाख रुपए खर्च नहीं कर सकते हैं? यदि संसद में ऐसा नहीं किया जा सकता है, तो आप यह आशा कैसे कर सकते हैं कि अन्य अनुसूचीबद्ध राष्ट्रीय भाषायें प्रगति करेंगी?

यह दावा करना अत्यन्त गलत बात है कि भारत पर हिन्दी से शासन किया जाना चाहिए, जो चार या पांच उत्तरी राज्यों के लोगों की मातृभाषा है। आज सुबह एक सदस्य ने दावा किया है कि केवल हिन्दी ही देश की राजभाषा होनी चाहिए। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या हिन्दी सभी 70 करोड़ लोगों द्वारा या जनसंख्या के 75 प्रतिशत द्वारा बोली जाती है। हिन्दी केवल जनसंख्या के 35 प्रतिशत द्वारा बोली जाती है और इस देश की जनसंख्या का 65 प्रतिशत भाग अन्य भाषाएं बोलता है। यहां हमारे तेलगू मित्र, कन्नड़, बंगाली मित्र और मलयालम मित्र बैठे हैं। आज सुबह एक सदस्य ने कहा था कि दक्षिण के मित्र हिन्दी क्यों नहीं सीख लेते। मैं उन्हें यह बताना चाहता हूं कि दक्षिण राज्यों के लोग तब तक हिन्दी नहीं अपना सकते हैं जब तक उत्तर के लोग कन्नड़, मलयालम, तेलगू या तमिल जैसी दक्षिणी भाषाओं में से एक को अपना नहीं लेते हैं। दक्षिण पर हिन्दी थोपने का प्रयास करके आप दक्षिण के लोगों की अपेक्षा उच्च होने का प्रयास कर रहे हैं। कथनी-करनी के हिसाब से दक्षिण की उपेक्षा की जा रही है। कोच फैक्टरी जिसे आन्ध्र प्रदेश में लगना चाहिए था अब पंजाब चली गई है। ऐसा नहीं है कि भारत केवल चार या पांच उत्तरी राज्यों तक ही है। भारत पूरा 22 राज्यों का देश है। केन्द्रीय सरकार उन 22 राज्यों के लोगों की भावनाओं के समझने में असफल रही है। हमने खालिस्तान की मांग पर अपना पूरा-पूरा विरोध व्यक्त किया था। परन्तु यदि आप हिन्दी खालिस्तान हम पर थोपेंगे, तो स्वाभाविक है कि लोग इसका अपने आप ही विरोध करेंगे। हिन्दी दक्षिण के लोगों को दास नहीं बना सकती है। हम इस कार्य का सम्पूर्ण विरोध करते हैं। क्या भारत में केवल एक भाषा बोली जाती है? क्या यहां पर एक ही संस्कृति या एक ही वेशभूषा या एक ही प्रकार के भोजन की आदत है?

आज सुबह एक सदस्य ने कहा था कि यदि हिन्दी किसी भी व्यक्ति द्वारा नहीं सीखी जाती है, तो वह उसे राष्ट्र का शत्रु मानेंगे। मैं इस सभा में इस प्रकार हिन्दी के कट्टरवाद की निन्दा करता हूं। किसी ने कहा था कि हम अंग्रेजी के प्रचारक हैं। नहीं हम हिन्दी का विरोध नहीं करते हैं। हम केवल हिन्दी थोपने का विरोध करते हैं। यदि आप यह कहें कि अंग्रेजी एक पराई भाषा है, तो हम भी यह कहते हैं कि हिन्दी हमारे लिए एक पराई भाषा है। हम अपने पर

[श्री ए० सी० षण्मुख]

हिन्दी थोपे जाने का सम्पूर्ण विरोध करते हैं। कुछ सदस्यों ने भाषा नीति में राजनीतिक स्वार्थ का उल्लेख किया था। एक सदस्य ने हिन्दी के विरोध में राजनीतिक षड़यन्त्र की बात कही थी। 5 करोड़ तमिल लोग हिन्दी थोपे जाने का मिलकर और व्यक्तिगत रूप से विरोध करेंगे।

देश में अल्पसंख्यकों की संरक्षा के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है। हमने उस दिन मुस्लिम महिला विधेयक का समर्थन किया था। जब हम अल्प संख्यकों की संरक्षा के लिए सब कुछ करते हैं, तो क्या हमें देश में विभिन्न अल्पसंख्यक वर्गों द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं के विकास के लिए कुछ नहीं करना चाहिए? एक माननीय सदस्य ने कहा था कि उनके पुत्र ने तमिल सीखी है। हम इस व्यक्तिगत प्रयास की सराहना करते हैं। हम चाहते हैं यह देश में एक समान बन जाय। एक मांग है कि यू० सी० एस० सी०, रेलवे आदि जैसे अंग्रेजी नामों को हिन्दी नामों में बदल दिया जाय। यदि केन्द्र उत्तर में चार या पाँच हिन्दी भाषी राज्यों के साथ हिन्दी में पत्र व्यवहार करता है, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु केन्द्र को गैर हिन्दी भाषी राज्यों के साथ वर्तमान सम्पर्क भाषा 'अर्थात' अंग्रेजी और सम्बद्ध राज्य की भाषा में ही पत्र-व्यवहार करना चाहिए। कुछ मित्रों ने, राजाजी, कामराज, डा० राधाकृष्णन और अन्य जो तमिलनाडु के थे, द्वारा हिन्दी के प्रति दिखाए गए उत्साह की बात कही थी। कामराज स्वयं एक राजनीतिक संस्थान थे, जिन्होंने राष्ट्रीय नेता पैदा किए। जैसा कि मैंने पहले कहा था, हम केवल हिन्दी थोपे जाने का विरोध करते हैं। हम यह स्वीकार नहीं कर सकते कि हिन्दी भारत की एकमात्र मातृभाषा हो। ईसाई धर्म यूरोप में एक समान फैला हुआ है। परन्तु ईसाई धर्म से यूरोप में पूरा एक राष्ट्र तो नहीं बन गया। विभिन्न राष्ट्र ईसाई धर्म को मानते हैं। यदि धर्म राष्ट्रों के बीच कोई अन्तर नहीं कर सकता है,तो क्या आप समझते हैं कि एक भाषा लोगों के बीच अन्तर मिटा देगी? हिन्दी इस स्तर तक विकसित हो गई है कि बोली जाने वाली और लिखी जाने वाली भाषा में अन्तर है। अब केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के राज्य उपक्रमों के नाम हिन्दी में बदलने का प्रयास किया जा रहा है। यदि आप उत्तर प्रदेश में उपक्रमों के नाम बदल देते हैं तो ठीक है। आई. टी. डी. सी. या किसी अन्य सरकारी उपक्रम, जिसमें कन्याकुमारी से कश्मीर तक से जनता का पैसा लगा है, का नाम कैसे बदल सकते हैं।

हमें इस प्रकार के कट्टरवाद का विरोध करते हैं। हिन्दी का विरोध करके हम राष्ट्रीय एकता के विरोधी नहीं हो जाते हैं। हमारे डा० एम० जी० आर० की भांति कोई भी नेता नहीं है जो राष्ट्रीय एकता और अखंडता के प्रखर समर्थक हैं वह राष्ट्रीय प्रभुसम्पन्नता और अखंडता को बनाये रखने के लिए वचनबद्ध थे। हम उनके सच्चे अनुयायी हैं। हम सब यह चाहते हैं कि भारत किसी एक भाषा, विशेष रूप से हिन्दी भाषा को लागू करके छिन्न भिन्न न हो। हम असम, पंजाब, आन्ध्रप्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु के लोगों की भावनाओं को समझ सकते हैं केन्द्र में सत्तारूढ़ दल को राज्यों में इस प्रकार की घटनाओं के लिये अपने आपको दोषी ठहराना चाहिए। केन्द्र का संकीर्ण पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण देश के राज्यों में इस प्रकार की भावनात्मक उथल-पुथल के लिए मुख्यरूप से उत्तरदायी है। जब हम एक हिन्दू भारत की स्थापना करने के इच्छुक नहीं हैं तो क्या हम हिन्दी भारत की स्थापना कर सकते हैं? इससे भारत छिन्न—भिन्न

हो जायेगा अनुसूची में दी गई देश की 14 भाषाओं को राष्ट्रीय स्वरूप में उचित स्थान दिया जाना चाहिए। जितना पैसा हिन्दी के विकास पर खर्च किया जा रहा है उतना पैसा संविधान में निर्दिष्ट अन्य भाषाओं के विकास पर भी खर्च किया जाना चाहिए। इन शब्दों के साथ में अपना भाषण समाप्त करता हूँ।

[हिन्दी]

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर (दुर्ग) : उपाध्यक्ष महोदय, आज हम यहां पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में चर्चा कर रहे हैं। यह अत्यन्त आवश्यक है कि हमारे देश की शिक्षा नीति बदली हुई परिस्थितियों के अनुकूल बनायें और इसके लिए हमारी सरकार ने तथा श्री राजीव गांधी जी ने बहुत स्पष्ट कह दिया था कि हम शिक्षा नीति में जल्द परिवर्तन करेंगे। उसके लिए हम शीघ्र एक विस्तृत शिक्षा नीति घोषित करेंगे। कोई शक नहीं कि नेशनल पॉलिसी आन एजूकेशन का प्रारूप जो तैयार किया गया है, वह बहुत संतुलित और सभी आसपैक्ट्स, सभी विभिन्न विषयों को लेकर संक्षेप में, लेकिन बहुत अच्छे ढंग से तैयार किया गया है। वैसे इस प्रारूप में प्रायः शिक्षा सम्बन्धी सभी मुद्दों को इसमें लिया गया है, लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि हम किसको प्राथमिकता दें। यह सभी जानते हैं, मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूँ आज ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के बीच खाई बहुत बढ़ रही है शिक्षा के क्षेत्र में, उसको हम जल्दी से जल्दी कम करें और इसके लिए हमको बहुत व्यावहारिक कदम उठाने की आवश्यकता है। वैसे इस प्रारूप में भी इसकी चर्चा है। लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि जो खाई बढ़ती जा रही है, उसको हम कैसे दूर करें। उसके लिए बहुत स्पष्ट और ठोस कदम उठाने की जरूरत है।

1968 में जो शिक्षा नीति घोषित की गई थी, उस शिक्षा नीति में यह कहा गया था, सब जगह समूचे देश में विज्ञान और गणित, (साइन्स और मैथेमैटिक्स) की शिक्षा को सब जगह प्रचार किया जाएगा और ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसको प्राथमिकता दी जाएगी। हम सभी जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में विज्ञान की पढ़ाई की व्यवस्था नाम मात्र के लिए है। न वहां पर लैबोरेट्रीज की व्यवस्था है और न ही वहां उसके लिए प्रशिक्षक हैं। यदि हैं भी, तो न के बराबर हैं। ...**व्यवधान**...अभी मैं शिक्षा की बात कह रहा हूँ। इसके लिए हमको सबसे पहले कदम उठाने की जरूरत है। आज हम जिस शिक्षा नीति के ऊपर जोर दे रहे हैं, उसको कार्यान्वित कैसे करें? असल समस्या उसको कार्यान्वित करने की है। शिक्षा चूंकि कनकरेंट लिस्ट में है, प्राइमरी, हाई-स्कूल राज्य सरकारों को करना है, राज्य सरकार अक्सर कह देती हैं कि हमारे पास धन की कमी है या शिक्षक की भर्ती नहीं कर सकते हैं, चूंकि पैसे की कमी है। आप सभी जानते हैं हमारे प्रधान मन्त्री, श्री राजीव गान्धी, देश को सन् 2001 विकसित भारत के रूप में ले जाना चाहते हैं और इस समय देश में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या 37 प्रतिशत है, तो निःसन्देह उनके इस कार्यक्रम के मुताबिक 2001 में प्रवेश करने तक गरीबी की रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या हमारे देश में 5–7 प्रतिशत से अधिक नहीं रहेगी। अभी हमारे यहां शिक्षितों की संख्या बहुत कम है।

इतने कम लोग हमारे यहां शिक्षित गिने जाते हैं, लिटरेरी फीगर में इतने कम लोग आते हैं। 2001 ई० में जब हम प्रवेश करेंगे तो हमारे कितने लोग लिटरेट कहे जायेंगे। यह कठिन काम अवश्य है क्योंकि जो स्कूल जाने योग्य बच्चे हैं, उनको अनिवार्य रूप से, चाहे वह लड़की हो

[श्री चन्दूलाल चन्द्राकर]

या लड़का हो, स्कूल भेजने की हम पूरी तैयारी करें और उसके लिए स्कूलों और शिक्षकों की व्यवस्था हो। इसके साथ ही साथ प्रौढ़ शिक्षा को भी महत्व दें। कम से कम हम यह करें कि हमारे देश में कोई भी स्कूल जाने योग्य लड़का या लड़की ऐसी न हो, जिसको अनिवार्य रूप से शिक्षा प्राप्त करने में कोई कठिनाई हो। शिक्षा नीति के प्रारूप में चीजें लिखी हुई हैं लेकिन फिर भी इसके लिए तैयारी करने की जरूरत है। स्कूलों की जरूरत होगी और उसके साथ में मकान की भी जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा जो शिक्षक हैं, उनको भी आज के युग के मुताबिक ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है और ट्रेनिंग के जो करीकुलम हैं, उनको भी देखना होगा। निसंदेह इसके लिए पूरी तैयारी करनी होगी कि स्कूल जाने के उम्र के बच्चे अनिवार्य शिक्षा से वंचित न रह जायें। इसमें सबसे बड़ी समस्या जो है, वह इम्पलीमैंटेशन की समस्या है और शिक्षक तैयार करने की समस्या है। उनको अच्छी तरह से तैयार नहीं करेंगे, तो फिर यह काम अधूरा रह जाएगा।

दूसरी बात, जिस पर मैं जोर देना चाहता हूँ वह यह है कि शिक्षा की जो पद्धति है, शिक्षा की जो नीति है, उसको रचनात्मक कार्यों से जोड़ना चाहिए। जब तक रचनात्मक कार्यों से नहीं जोड़ेंगे, यह काम पूरा नहीं होगा। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जितने भी बच्चे हैं, प्राइमरी स्कूल से लेकर कालेज तक जो पढ़ने वाले लड़के और लड़कियां हैं, उनके लिए रचनात्मक कार्य में भाग लेना अनिवार्य किया जाना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि फिजीकल वर्क उनसे करवाना चाहिए जैसे सड़क बनाने का काम है या मिट्टी खोदने का काम है। उसको रचनात्मक और विकास कार्यक्रम से अवश्य जोड़ा जाए। बहुत पहले केरल में जब त्रिवेन्द्रम राज्य प्रिंसली स्टेट था, वहां पर इस तरह की व्यवस्था थी। अब हमारे यहां लगभग 5092 ब्लाक्स हैं और उतने ही हमारे देश में लगभग कालेज हैं और लगभग 70 हजार हाई स्कूल हैं। शहरों में भी गन्दी बस्तियों में रहने वाले लोग हैं और गांवों में भी रहने वाले लोग हैं और वहां की समस्या बड़ी कठिन है। वहां की समस्या को जानने के लिए हमारे युवकों को वहां भेजने की जरूरत है। किस तरह से इसको किया जाए, यह कठिन काम है और सरल काम नहीं है। लेकिन कम से कम ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर रचनात्मक कार्यों में युवकों को हाथ बटाना चाहिए। ऐसी कोई व्यवस्था आप करें कि साल में एक महीना चाहे कोई सा भी महीना हो, कार्यक्रम बनाकर एक महीना स्कूल की शिक्षा बन्द करके गांवों में उनको भेजा जाना चाहिए और वहां जाकर रचनात्मक कार्य करें जैसे महात्मा गांधी ने रचनात्मक कार्य करने के लिए कहा था। इसलिए डेपलपमेंटल वर्क में बच्चों को सम्मिलित करना चाहिए जिससे उनको मालूम हो कि हमारे देश की समस्या क्या है और साथ ही साथ उनको डिगनिटी आफ लेबर भी मालूम हो और श्रम के प्रति उनमें श्रद्धा हो। जब तक शिक्षा में श्रम को नहीं जोड़ेंगे, तब तक हमारी शिक्षा अधूरी रह जाएगा। पश्चिमी शिक्षा और हमारी शिक्षा में बहुत फर्क है और आगे भी रहेगा। इसलिए इस बात की तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है।

अभी मैं ठीक से आंकड़े नहीं बता सकता लेकिन ऐसा लगता है कि जब हम दो हजार एक में प्रवेश करेंगे तो उस समय हमारे देश में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या 5–7 परसेंट होगी और अपने देश के 70–75 प्रतिशत बच्चों को हम शिक्षित कर सकेंगे। यह हमारी बहुत बड़ी सफलता होगी। लेकिन इसके लिए अभी से प्रयास करने की बहुत जरूरत है।

उपाध्यक्ष महोदय, हमने देखा है कि शिक्षा में लड़कियों की शिक्षा की तरफ बहुत कम ध्यान दिया जाता है। किसी-किसी राज्य में ऐसे-ऐसे जिले भी हैं जहां मुश्किल से दो प्रतिशत महिलायें ही शिक्षित होंगी। जब तक हमारे गृह मन्त्रालय के मन्त्री इसके लिए ठीक से मोनिटरिंग नहीं करेंगे कि लड़कियों की शिक्षा किस तरह से प्रगति कर रही है, किस तरह से लड़कियों को पढ़ाया जा रहा है, किस जिले में, किस ब्लाक में शिक्षित लड़कियों का क्या प्रतिशत है तब तक लड़कियों को शिक्षा देने में हम प्रगति नहीं पायेंगे। आज हम देखते हैं कि लड़कियों को माता-पिता किसी और काम में लगा देते हैं, कई कारणों से वे उनको शिक्षा नहीं देते। इसलिए हमें इसके लिए वातावरण तैयार करना होगा और लड़कियों को पढ़ाने की ओर ज्यादा जोर देना होगा।

इसके साथ-साथ जब हाई स्कूल से लड़कियां पढ़कर निकलती हैं और खास कर गांवों की लड़कियां शहरों में आकर कालेज में शिक्षा लेना चाहती हैं तो शहरों में उनके लिए यह कठिनाई होती है कि वे कहां रहें। इसलिए हरेक शहर में, हरेक ब्लाक में लड़कियों के लिए कम से कम एक होस्टल अवश्य होना चाहिए। जब तक हरेक ब्लाक में लड़कियों के लिए एक-एक होस्टल नहीं होगा तब तक लड़कियों की शिक्षा को बढ़ाने का कार्यक्रम सफल नहीं होगा, इसके लिए चाहे हम कितनी ही बातें करें। मैं नरसिंह राव जी से अनुरोध करता हूँ कि वे इसकी ओर ध्यान दें। बराबर यह कहा जाता है कि इतना धन कहां है कि हम इतने होस्टल बना सकें। हमें मालूम है कि हमारे पास धन की कमी है। हमारे पास जो धन है उसकी और क्षेत्रों में भी आवश्यकता है। लेकिन शिक्षा में हम जितना अधिक धन लगायेंगे उससे देश का उतना ही स्तर ऊंचा होगा। हमें शिक्षा की मद में अधिक धन लगाने की आवश्यकता है और किसी मद से भी काटकर धन लगाने की आवश्यकता है।

जो इस ड्राफ्ट में कहा गया है कि प्राइमरी स्कूल में दो शिक्षक होंगे तो उनमें से एक पुरुष और एक महिला शिक्षक होंगे। यह अच्छी बात है। आप देखें कि दुनिया के कई देशों में शिक्षा देने, पढ़ाने का भार महिलाओं को सौंपा हुआ है। अगर हम अपने देश में भी प्राइमरी स्कूल से लेकर हाई स्कूल तक पढ़ाई का भार महिलाओं को सौंपते है तो शिक्षा में जो आज एक उदासीनता देखी जाती है वह दूर होकर एक सक्रियता आयेगी। जब महिलायें बच्चों को पढ़ाती हैं तो बच्चे अधिक ध्यान से पढ़ते हैं। हम सभी जानते हैं कि प्राइमरी स्कूलों में जो शिक्षक हैं उनमें से अधिक लोगों के बारे में, मैं सभी के बारे में ऐसा नहीं कह सकता, यह शिकायत आती है कि वे समय पर पढ़ाने नहीं पहुंचते, किसी और काम में लगे रहते हैं। प्राइमरी स्कूलों में अगर महिला शिक्षक हो जायें तो वे समय पर आयेंगी और वे बच्चों पर अनुशासन भी अधिक रख सकेंगी।

शिक्षा के सम्बन्ध में इस ड्राफ्ट में जो कहा गया है, मैं समझता हूँ कि इसमें पुस्तकालयों की चर्चा नहीं है। हमारे यहां जो ड्राप आऊट्स हों या जो जनरल-नालिज पढ़ना चाहते हों तो ऐसे बच्चों के लिए पुस्तकालय होने चाहिए। सन् 1947 के बाद से जो स्कूली किताबें हैं, स्कूली पाठ्यक्रम है, वह अनिवार्य रूप से बच्चों को पढ़ना पढ़ रहा है। बच्चे जनरल-नालिज बहुत कम पढ़ पाते हैं। स्कूली पढ़ाई के अलावा अगर थोड़ा-बहुत पढ़ते हैं तो सिनेमा के बारे में पढ़ते हैं। अगर हमारे देश में हरेक ग्राम पंचायत में एक-एक लाइब्रेरी हो, अच्छा पुस्तकालय हो तो बच्चों को हमारे विभिन्न क्षेत्रों की जनरल नालिज, कृषि, उद्योग, देश के भूगोल, इतिहास और हमारे देश के

[श्री चन्दूलाल चन्द्राकर]

जो स्वतन्त्रता सेनानी हैं, जिन्होंने बड़ी-बड़ी सेवा की है उन सबके बारे में ज्ञान प्राप्त हो सकेगा। साथ ही साथ सर्कुलेटिंग लायब्रेरी के लिए भी आवश्यकता है, किसी को एनकरेज करके, आर्थिक सहायता देकर, आई० आर० डी० पी० आदि के अन्तर्गत हो सके, जैसे भी हो सर्कुलेटिंग लाइब्रेरी की हमारे देश में बहुत आवश्यकता है।

हमारे संविधान में कई चीजों की व्यवस्था है, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में व्यवस्था है और उन पर नियम के मुताबिक अमल भी हो रहा है, लेकिन एक धारा पर जो कि बैकवर्ड क्लासेस के सम्बन्ध में है, उस पर अभी तक अमल नहीं हो रहा है। मुझे विश्वास है कि मन्त्री जी इस ओर ध्यान देंगे और इसमें कोई बहुत ज्यादा रोक-टोक न करके इस विषय में आगे बढ़ेंगे। यही मेरा कहना है। खासतौर से इंप्लीमेंटेशन के बारे में ध्यान देना चाहिए, नीति अच्छी है, उसके कार्यान्वयन पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। यही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ रथ (आसका): उपाध्यक्ष महोदय, जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रारूप को कार्यान्वित किया जायेगा तो यह हमारे माननीय प्रधान मन्त्री के नेतृत्व में इस सरकार की एक और आश्चर्य जनक सफलता होगी। मैं माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री को बधाई देता हूँ।

शिक्षा नीति के बारे में 1968 में निर्णय लिया गया था। तब से स्कूल जाने वाले बच्चों के कार्य-भार को कम करने सहित शिक्षा में आमूल परिवर्तन करने के बारे में तीव्र इच्छा व्यक्त की जाती रही है। इस शिक्षा नीति में जो प्रारम्भिक शिक्षा के बारे में है, यह विचार गया है कि शिक्षा के स्तर में पर्याप्त सुधार करके 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा को एक समान बनाया जाना चाहिए।

इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा में भी यह विचार किया गया है कि व्यवसायिक शिक्षा को इस समय लागू किया जाना चाहिए। सारे देश में 10+2+3 शिक्षा का सामान्य ढ़ाँचा है। 10-वर्षीय कार्यक्रम के अनुसार 5 वर्ष प्राथमिक शिक्षा के लिए, 3 वर्ष उच्च प्राथमिक शिक्षा के लिए और दो वर्ष हाईस्कूल के लिए है इस नीति में यह एक नई विशेषता बताई गयी है और इसके अलावा राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा, जो कि एक मामान्य सूत्र के साथ होगी, और जिसमें भारत के स्वन्तत्रता आन्दोलन का इतिहास, संवैधानिक दायित्व, राष्ट्रीय पहचान और भारत की संस्कृति विरासत, लोकतन्त्र, तथा धर्म निरपेक्षवाद, लिंग की समानता को बढ़ावा देना, पर्यावरण-संरक्षण, सामाजिक बन्धनों तथा अन्धविश्वासों को दूर करना, छोटा परिवार मानदण्ड अपनाना, वैज्ञानिक स्वभाव, अर्थात् विज्ञान और प्रौद्योगिकी उत्पन्न करना तथा राष्ट्रीय एकता शामिल हैं।

यह भी बताया गया है कि शिक्षा का प्रयोग सम्पूर्ण विश्व को एक परिवार के रूप में मानते हुए विश्व शान्ति तथा प्रगति के लिए किया जाएगा, जैसा कि गीता में कल्पना की गई है। राष्ट्रीय और एकात्मक स्वरूप को गुण और मानकों के साथ बनाये रखा जायेगा। सबसे अधिक

बल महिलाओं की भागीदारिता तथा विभिन्न स्तरों पर व्यावसायीकरण, तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया गया है। चूंकि जनसंख्या वृद्धि पर नियन्त्रण किया जाना चाहिए इसलिए छोटा परिवार और परिवार नियोजन मानदण्ड को आवश्यकता को महत्व दिया जाना चाहिए।

अनौपचारिक शिक्षा पर जोर दिया गया है। जो भी महत्वपूर्ण है। यह बताया गया है कि स्वेच्छिक एजेंसियों और पंचायतों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। लेकिन मैं माननीय मन्त्री महोदय को सचेत करना चाहूंगा कि जब इन स्वेच्छिक एजेंसियों को शामिल किया जाए तो इस बात का ध्यान रखा जाए कि इन स्कूलों को दी गई धनराशि का उचित रूप से इस्तेमाल हो; अधिकारियों के अधिक पदों का सृजन न किया जाए क्यों कि इससे स्थापना आदि पर अधिक धनराशि खर्च होती है और शिक्षा पर धनराशि का छोटा सा भाग खर्च होता है।

इसी प्रकार शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के सम्बन्ध में ऐसा कार्यक्रम बनाया जाए ताकि संस्थानों में शिक्षा देने के लिए सही व्यक्तियों का चयन किया जा सके और सही तरह का प्रशिक्षण मिल सके। शिक्षकों का कार्य पढ़ाना है और विद्यार्थियों का कार्य पढ़ना है।

जहां तक उच्च शिक्षा का सम्बन्ध है, इसे गतिशील बनाया जाना है। कालेजों को सम्बद्ध करने की पद्धति की पूर्ण रूप से जांच किये जाने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में मैं यह कहना चाहता हूँ कि राज्यों में ऐसे कालेज हैं जहां प्राइवेट कालेजों तथा सरकारी कालेजों द्वारा शिक्षा दी जाती है इन प्राइवेट कालेजों द्वारा प्रति व्यक्ति शुल्क इकट्ठा किया जाता है विशेष रूप से तकनीकी और प्रबन्ध शिक्षा के लिए। जब हम यह कहते हैं कि किसी प्रकार की असमानता नहीं होनी चाहिए और शिक्षा का आधार बराबर होना चाहिए, यह देखा गया है कि इन प्राइवेट कालेजों में धनी परिवार के विद्यार्थी कम अंक प्राप्त करने के बावजूद भी हजारों रुपये देकर प्रवेश पा जाते हैं और हम यह भी जानते हैं कि उनको डिग्रियां कैसे मिलती हैं। अतः ऐसी बातों को रोका जाना चाहिए। वे प्राइवेट कालेजों में प्रति व्यक्ति शुल्क को इकट्ठा करने पर रोक लगाने के लिए चिल्ला रहे हैं और कालेजों को सम्बद्ध करते समय इस पहलू पर विचार किया जाना चाहिए और ऐसे कालेजों को सम्बद्ध नहीं किया जाना चाहिए।

विधि विद्यार्थियों 40 को प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर ही प्रवेश दिया जाता है। इसी प्रकार तकनीकी और प्रबन्ध कालेजों में प्रवेश पाने के लिए, चाहे वे प्राइवेट कालेज हों अथवा सरकारी कालेज, अंकों का कम से कम प्रतिशत निर्धारित किया जाना चाहिए ताकि कम अंक पाने वाले विद्यार्थियों को प्राइवेट कालेजों में अधिक धनराशि देकर प्रवेश न मिल सके।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सम्बन्ध में मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को अपनी इस प्रक्रिया को छोड़ देना चाहिए कि वह राज्य विश्वविद्यालयों को इस शर्त पर अनुदान देगा कि राज्य सरकार भी उसी अनुरूप में अंशदान देगी जिस रूप में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उन्हें देगा। होता यह कि वित्तीय कठिनाइयों के कारण राज्य उसी अनुरूप में अनुदान देने के लिए आगे नहीं आते हैं जिसके परिणामस्वरूप विश्वविद्यालयों को अनुदान नहीं मिल पा रहा है। विश्वविद्यालय अनुदान द्वारा विश्वविद्यालयों को जो भी अनुदान दिया जाता है वह बिना शर्त दिया जाना चाहिए। यह प्रसन्नता की बात है कि इस नीति में

[श्री सोमनाथ रथ]

एक विशेष प्रस्ताव यह किया गया है कि 1990 तक 10 प्रतिशत उच्चतर माध्यमिक विद्यार्थियों को व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में शामिल किया जाएगा और 1995 तक 25 प्रतिशत विद्यार्थियों को। 1968 की शिक्षा नीति में यह कहा गया था कि राष्ट्रीय आय का 6 प्रतिशत शिक्षा पर खर्च किया जाना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं किया गया।

1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यह निर्धारित किया गया है कि शिक्षा में निवेश की दर धीरे-धीरे इस स्तर तक बढ़ाई जाये कि वह यथाशीघ्र बढ़ कर के राष्ट्रीय आय का 6 प्रतिशत तक हो जाये। परन्तु क्योंकि ऐसा नहीं किया गया है, इसलिए इस नीति के कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराने की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। जब तक कि धनराशि उपलब्ध नहीं कराई जाती, तब तक इस नीति को कार्यान्वित नहीं किया जा सकता।

मैं अपने वक्तव्य को इस रिपोर्ट का अंश पढ़ते हुए समाप्त करूंगा :

"मुख्य कार्य पिरामिड के आधार को सुदृढ़ बनाना है, जो इस शताब्दी के समाप्त होते-होते लाखों-करोड़ों लोगों तक पहुँच सके। साथ ही साथ यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक है कि पिरामिड के शिखर पर बैठे हुए लोग विश्व में सर्वोत्तम लोग हैं विगत में हमारी सांस्कृतिक सरिता ने दोनों ही विचारों को भलीभांति संजोया था; इसके विदेशी प्रभुत्व एवं प्रभाव का भी अपने अनुकूल समावेश किया है। अब मानव संसाधन विकास के राष्ट्रव्यापी प्रयासों को और सुदृढ़ किया जाना संभव होना चाहिए जिसमें शिक्षा अपनी बहुमुखी भूमिका निभा सके।"

श्री पराग चालिहा (जोरहाट) : महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में 40 वर्षों की विनम्र सेवा में और संगीत, कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में 55 वर्षों की सेवा में, मैं अनेकों योजनाओं घिसी पिटी बातों आयोगों की रिपोर्टों, शिक्षा, कला एवं संस्कृति विषयक नीतियों के बारे में पढ़ और सुन चुका हूँ तथा देख चुका हूँ। ये सभी सार्थक, कल्याणकारी एवं आशावादी दिखाई पड़ती हैं। वास्तव में सभी नीतियां प्रथम दृष्टि में अच्छी दिखाई देती हैं। परन्तु नीतियां स्वयं में ही लक्ष्य नहीं हैं। ये तो एक विशेष लक्ष्य प्राप्त करने का साधन हैं। यह उन्हीं नीतियों में से एक नीति है। लेकिन मैं इसे कोई अलग से ठोस प्रभावकारी दस्तावेज नहीं मानता। इस दस्तावेज में बहुत से सब्ज बाग दिखाये गये हैं। यहां तक कि पहला ही वाक्य उल्लेखनीय है। यह वाक्य है "शिक्षा अनवरत है।" इसमें एक विशिष्ट वर्गीय पुट है।

(व्यवधान)

मैं जो कुछ कहना चाहता हूँ उसका अर्थ यह है कि हालांकि सब्ज बाग और घिसी-पिटी बातों से भरपूर होने के बावजूद इसमें कुछ नयापन भी है। कम से कम इसके संदर्भ में तो ऐसा है ही। कल्याण सम्बन्धी नीति में आशा और खुशी की एक किरण होती है परन्तु वास्तविक रूप से इसे प्रभावी बनाने के लिये इसे वास्तविकता से मुंह नहीं मोड़ना चाहिये। जब तक नये आदर्शों को प्राप्त करने की दिशा में कोई व्यवहारिक प्रयास नहीं किया जाता तब तक कोई भी नीति एक दस्तावेज मात्र बनकर रह जाती है। दुर्भाग्यवश हमें इस बेहतरीन पुस्तक में कार्यान्वयन सम्बन्धी अंश नहीं दिखाई दे रहा है वैसे यह पुस्तक बहुत अच्छी है।

शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में लम्बे समय तक कार्यशील रहने तथा स्कूलों और कालेजों को स्थापित करने के हमारे प्रयासों के दौरान, हमें बार-बार दोहराये जाने वाले इस एक ही राग से हमेशा हतोत्साहित किया जाता रहा है कि "शिक्षा एक अनुत्पादक उद्यम है।" परन्तु पहली बार हमें सरकारी नीति सम्बन्धी दस्तावेज में शामिल किया गया यह विवरण देखा है जो इस प्रकार है :—

"शिक्षा वर्तमान और भविष्य में एक बेजोड़ निवेश है और यह एक आधारभूत सिद्धान्त है तथा नई शिक्षा नीति की कुंजी है।"

मैं यह स्वीकार करता हूँ कि जब कुछ माह पूर्व भूतपूर्व शिक्षा मंत्रालय का नाम बदलकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय रखा गया था, उसी समय हमें इसके महत्व का आभास हो गया था। यह समयानुकूल ही है कि यह दस्तावेज उस मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया है जिसका प्रमुख एक होशियार विद्वान एवं भाषाविद है जिसे केन्द्र तथा राज्य दोनों में ही प्रशासन का पर्याप्त अनुभव है। किसी सरकारी प्रकाशन में पहली बार सदियों पुरानी इस कहावत को दोहराया गया है और इसमें सामंजस्य स्थापित किया गया है कि मानव एक सार्थक संपत्ति एवं अमूल्य राष्ट्रीय संपत्ति है जिसे बड़ी कोमलता एवं सावधानी तथा सक्रियता से संजोये रखना है, इसकी सेवा करनी है तथा इसका विकास करना है। यह प्रवृत्ति लीकों से हटकर है जिसे हम स्वतंत्रता पश्चात के पिछले 39 वर्षों तक पीटते रहे हैं और मैं इसका स्वागत करता हूँ।

महोदय, परिवर्तन समय की पुकार है। जैसा कि किसी विकसित देश के व्यक्ति ने कहा है कि "हमें जिस चीज से समझौता करना चाहिये, वह है परिवर्तन" यह परिवर्तन निर्धनता से सम्पन्नता की दिशा में है अज्ञानता से ज्ञान एवं बौद्धिकता की ओर है ..यह परिवर्तन अंधेरे से रोशनी की तरफ है।

3.00 म० प०

महोदय, मैं एक बार फिर यह बात कहता हूँ कि शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का एक साधन है परन्तु इसे सापेक्ष एवं सर्वव्यापी होना चाहिये। शिक्षा अकेले ही कार्य नहीं कर सकती। शैक्षिक नीति में परिवर्तन मात्र कर देने से ही कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। इसके साथ ही साथ राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक मूल्य भी बदलने होंगे। हम सर्वोत्तम शिक्षा प्रणाली अपने यहां अपना सकते हैं परन्तु यदि हमारी अर्थव्यवस्था खराब है, यदि राजनीतिक वातावरण दूषित रहता है और तनावपूर्ण, विनाशकारी एवं विघटनकारी प्रवृत्तियों के बोझ से दबा रहता है; यदि सामाजिक मूल्यों को समुचित रूप में नहीं अपनाया और स्थापित किया जाता तो यह प्रणाली कार्य नहीं कर सकती। मुझे प्रसन्नता है कि इस नई नीति में मूल्य सम्बन्धी शिक्षा जैसे सामाजिक परिवर्तन के इन सम्बन्धित तत्वों में से कम से कम कुछ तत्वों का कुछ हद तक तो उल्लेख किया ही गया है—हालांकि पर्याप्त रूप से ध्यान फिर भी नहीं दिया गया है। एक विशेष चीज जिसका यहां उल्लेख किया जा सकता है यह है कि गणित की शिक्षा पर जोर दिया गया है जिस पर अब तक किसी भी नीति में जोर नहीं दिया गया था। इसके पश्चात इस रिपोर्ट में ग्रामीण विश्वविद्यालय के सिद्धान्त का भी जिक्र है जो स्वागत योग्य है। अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा पर भी विशेष जोर दिया गया है। परन्तु यहां मुझे एक बात से आघात

[श्री पराग चालिहा]

पहुंचा है कि शिक्षा की आश्रम व्यवस्था केवल अनुसूचित जनजातियों के लिये ही क्यों निर्धारित की गई है, यह व्यवस्था अनुसूचित जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों और यहां तक कि तथाकथित उच्च वर्गों के लिये भी क्यों नहीं निर्धारित की गई है। यूनेस्को की एक रिपोर्ट में यह कहा गया है कि "तीसरी दुनिया में शैक्षिक प्रणाली को सामान्य अध्ययन की दिशा में मोड़ दिया गया है– जिसका देश की विकास सम्बन्धी आवश्यकताओं विशेष रूप से ग्रामीण लोगों की आवश्यकताओं से दूर का भी सम्बन्ध नहीं है।" इस रिपोर्ट में हमें ऐसी कुछ बातों पर भी विचार करना है जिस पर अभी तक ध्यान नहीं दिया गया था।

हम आज तक जिस शिक्षा प्रणाली का अनुपालन करते आरहे हैं उसका क्या परिणाम निकला है? विश्व बैंक की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि हमारे देश में अभी तक भी 52 करोड़ लोग अशिक्षित हैं। 126 देशों में से केवल 26 देशों में ही साक्षरता की दर कम है। हमारे देश में 1.23 करोड़ शिक्षित बेरोजगार हैं। 26 करोड़ काम करने वाले लोगों में से 15 करोड़ अशिक्षित हैं। 5 लाख लोवर प्राइमरी स्कूलों में से, 2 लाख लोवर प्राइमरी स्कूलों के पास आवास ही नहीं है। 1.5 लाख स्कूलों के पास ब्लैक बोर्ड तक नहीं हैं। 2 लाख लोवर प्राइमरी स्कूलों में केवल एक-एक अध्यापक है। इसलिये इन बातों पर विचार करते समय यह बेहतर होगा कि इस पहलू को "आपरेशन ब्लैक बोर्ड" का नाम दिया जाये। हम तो केवल यही चाहते हैं कि "आपरेशन ब्लैक-बोर्ड" निरर्थक प्रयास मात्र न रह जाये।

शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। मैं यह स्वीकार करता हूँ कि असम में हमें यदि किसी चीज से डर है तो वह दिल्ली वालों के नियंत्रण से है। भौतिकीय, भूभौतिकीय, जातीय तथा अन्य विशिष्ठताओं के होते हुये, हमें हर उस चीज के प्रति मनोवैज्ञानिक भय है जो दिल्ली से नियंत्रित होती है। हम यह स्वीकार करते हैं कि हमारी इन मामलों में जो भी पहचान है, हमें उसके गुम हो जाने का भय है। इसलिये हम हमेशा ही यह महसूस करते हैं कि दिल्ली हमारी सभी भावी योजनाओं के प्रति सहानुभूति नहीं रखती। हमें राष्ट्रीय कोर कार्यक्रम के बारे में एक नोट दिया गया है। परन्तु इस कोर का प्रतिशत 50% से अधिक नहीं होना चाहिये। एकता एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी उत्पत्ति अन्दर से होनी चाहिये न कि इसे बाहर से थोपा जाना चाहिये। स्वतंत्रता आन्दोलन के मामले में भारतीय समाज के विकास के सम्बन्ध में हम हमेशा ही गांधीजी, टैगोर, तांतिया टोपे और भगत सिंह का सम्मान करते हैं।

लेकिन क्या हमें कणकलता, पिथोली, फुकन, मणिराम दीवान और कुशल कुवर जैसे अपने स्वतन्त्रता सेनानियों एवं नेताओं को भूल जाना चाहिए? महोदय, मैं अत्यधिक असन्तोष की एक बात कहने से अपने को नहीं रोक पा रहा हूँ कि आसाम के महान समाज सुधारक, धार्मिक उपदेशक और सन्त श्री शंकर देव को किसी राष्ट्रीय पाठ्य पुस्तक में स्थान मिलने की तो बात ही छोड़िये, भारत के सन्तों की सीरीज तक में स्थान नहीं मिला है।

इसके अलावा, महोदय भारतीय शिक्षा सेवा के सम्बन्ध में हमारी आशंकाएं भी इसी प्रकार की हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अभी तक कोई भी असमी भारत सरकार में संयुक्त सचिव के पद पर नहीं पहुँच सका है, पूर्ण सचिव की तो बात छोड़िए। ऐसा इसलिए है कि ऐसी

सेवाओं में अन्यत्र, बेहतर सुविधाएं हैं तथा छलसाधन के लिये प्रभाव का बहुत ही अधिक प्रयोग किया जाता है। हमारे राज्य के प्रशासन में जो कुछ है वह इस नई भारतीय शिक्षा सेवा से समाप्त हो सकता है।

क्षेत्रीय विशेषताओं एवं विलक्षणताओं को प्रौढ़ शिक्षा और समाचार जगत को अनदेखा नहीं करना चाहिए। नवोदय विद्यालयों को एक आदर्श के रूप में देखा जा रहा है लेकिन इसमें शहरी उच्चवर्गीय लोगों के प्रति झुकाव नजर आता है। जिस समाज में 80 प्रतिशत लोग गांवों में रहते हों, वहां पर शहरों की भावना से बचा जाना चाहिए। वास्तव में अच्छी बात तो यह होगी कि प्रत्येक विद्यालय को नवोदय विद्यालय होना चाहिए। अध्यापक ही वह धुरी है जिसके चारों ओर कड़ी के पहिये घूमते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख है कि "न्याय पर आधारित समाज के प्रति अध्यापक को वचनबद्ध होना चाहिए और इसलिए पूरे समाज में इन मूल्यों को पहुंचाने एवं ज्ञान और दक्षता को बढ़ाने के लिए उसे प्रयास रत रहना चाहिए। वस्तुतः सामाजिक परिवर्तन और विकास की प्रक्रिया में अध्यापक को एक प्रभावशाली साधन बनना चाहिए। हमारी मूल्य अवधारणा को बदलने में अध्यापक को मुख्य भूमिका निभानी चाहिए सामाजिक परिवर्तन के एक कारक के रूप में उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु अध्यापक को कार्य करना पड़ता है। लोगों की महत्वाकांक्षाओं एवं लोगों की आवश्यकताओं से शिक्षा को सम्बन्धित होना चाहिए।" लेकिन हम अपने चारों ओर क्या-देखते हैं ? हम देखते हैं कि आसाम में, विशेष रूप से जब हम अध्यापकों में कार्याधिक होने की बात करते हैं तो वहां आन्दोलन होते हैं। लेकिन अध्यापकों के भविष्य को ही केवल मिश्चिल बना दिया गया है। उनके लिए पदोन्नति के अवसर नहीं हैं। अब, प्रबन्ध के सवाल पर यहां इस पुस्तक में उचित तरह से कुछ भी नहीं कहा गया है, राजनीतिज्ञों को शिक्षा के क्षेत्र से सदैव दूर रहने को कहा जाता है। लेकिन क्या यह सम्भव है ? इस क्षेत्र में राजनीतिज्ञों की सबसे कम दखलंदाजी होनी चाहिए। अन्त में, मैं यह कहूंगा कि मेरा यह प्रबल मत है कि यदि शिक्षा असफल होती है तब क्या सफल होगा और यदि शिक्षा सफल होती है तब क्या चीज सफल होगी।

[हिन्दी]

श्री बोगेश्वर प्रसाद बोगेश (चतरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षा मन्त्री जी को बधाई देता हूं। विगत कई वर्षों से इस बात की आवश्यकता महसूस की जा रही थी कि शिक्षा की पद्धति में परिवर्तन होना चाहिये और राष्ट्रीय तथा सामाजिक जीवन में उसकी उपयोगिता बढ़ाने की आवश्यकता है और उसी दृष्टिकोण से इसमें आमूल परिवर्तन की आवश्यकता होगी।

मुझे खुशी है कि सरकार ने, विशेषकर हमारे प्रधान मन्त्री जी ने देश के अनेक छूटे हुए पहलुओं पर नया दृष्टिकोण अपनाया है और शिक्षा की पद्धति में एक नई नीति निर्धारित करने का प्रावधान किया है और सदन के सामने यह सारी बातें आई हैं और उनको अमली जामा पहनाने का प्रयास किया जा रहा है।

मैं इस सदन का और सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि शिक्षा नीति चाहे जितनी व्यावहारिक हो और चाहे जितनी उपयोगिता से भरी हो, जब तक शिक्षा के सम्बन्ध में

[श्री योगेश्वर प्रसाद योगेश]

एक अच्छा वातावरण पैदा नहीं किया जायेगा, एकेडैमिक वातावरण का जब तक सृजन नहीं होगा, तब तक शिक्षा का लाभ देश को नहीं मिल सकेगा ।

अभी देश में बहुत काफी संकीर्ण भावनायें उभर रही हैं, चाहे धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, क्षेत्रीयता के नाम पर और कई बातें ऐसी हैं जो देश में विघटन पैदा कर रही हैं और देश में अशांति हो रही है । पहले के जमाने में शिक्षा के आचार्य हमारे सामाजिक जीवन के लिए काफी उपयोगी थे । जब दीक्षांत समारोह होता था तो उसमें बराबर यह कहा जाता था कि बड़े-बड़े इन्स्टीट्यूशन और विद्यालयों में एक ऐसा वातावरण हो कि जब वहां से विद्यार्थी निकलें तो वह देश और समाज दोनों के लिए बहुत उपयोगी व्यक्ति सिद्ध हो । इसके साथ ही दीक्षांत समारोह में कहा जाता था कि :

"मधु मन्ये निष्क्रमणं, मधुमन्मे परायणम

वाया वदामि मधुमह भूव या समधु सदृशम ।"

हमारा यहां आना मधुर हो, यहां से लौटकर जाना मधुर हो, हम मधुर वाणी बोलें और हमारी वाणी में क्षमतायुक्त उपयुक्त माधुरी हो । इसके लिए हमारे पूर्व पुरुषों ने जो चेष्टा की वह प्रशंसनीय है । उनका प्रयास था कि विद्या का जो वातावरण है, उसकी सारी दुनिया में एक छाप पड़े । यही कारण था कि भारत ने काफी तरक्की की ।

मैं इन शब्दों के साथ यह कहने की आवश्यकता महसूस नहीं करता कि पुरानी पद्धति की तरह ही आज की शिक्षा पद्धति हो । आज स्कूलों और कालेजों में यूनियनों और ट्रेड यूनियनों का जो धन्धा चल रहा है इसने हमारी शिक्षण संस्थाओं को काफी नष्ट किया है । यह संगठन और यूनियनें जातीयता और संकीर्णता का अखाड़ा बन चुकी हैं । इससे शिक्षा का जो मूल उद्देश्य है, उससे हम अलग होते जा रहे हैं । इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि सबसे पहले एक ऐसी पद्धति को ईजाद करना होगा जिससे हमारे विद्यार्थियों में राष्ट्र की एकता, अखण्डता और परस्पर भाईचारे की भावना का विकास हो और वह देश हित में काम करें ।

आज सुबह हिन्दी के सम्बन्ध में बहुत सारी बातें सुनने में आईं और हमारे दोस्तों में काफी आक्रोश व्यक्त किया । यह कुछ ऐसे कारण हैं जो कि राजनीतिक कुत्सा का आधार बन जाते हैं । आज शिक्षकों की जो बहाली हो रही है उसमें शिक्षकों के प्रति जो हमारी अपेक्षायें हैं, वह नहीं होती हैं, जिसका असर हमारे विद्यार्थियों पर पड़ता है । आज शिक्षकों को प्रशिक्षण ठीक से नहीं मिलता है । उन शिक्षकों के प्रशिक्षण का जो तरीका है, उसे भी बदलना होगा और उसमें सुधार लाना होगा । ऐसा करने से ही देश से अच्छे नागरिक बनकर निकल सकते हैं ।

जो जंगली और देहाती इलाके हैं, वहां के छात्र शिक्षा प्राप्त करने के बाद, वहां रहने में शर्म महसूस करते हैं । वह शहरों की तरफ भागने की कोशिश करते हैं । ऐसी जगहों में ऐसे रेजिडेंशल स्कूल कायम हों जो कि रोजगार पर आधारित हों । जिससे कि स्कूल से पढ़ाई खत्म होने के बाद उन्हें रोजगार प्राप्त करने के लिए शहरों के चक्कर न लगाने पड़ें ।

हमने देखा है कि देहातों में किसानों के बच्चे शिक्षा के अभाव में सही ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते हैं। आप उनके लिए ऐसे स्कूलों की व्यवस्था करें जहां पर उन्हें प्रॉपर शिक्षा मिले। ऐसा करने के बाद ही वह देहातों में रहकर एक अच्छी भूमिका अदा कर सकते हैं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अभी भी सूची में 70 सदस्य हैं। अतः मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूँ कि उनमें से प्रत्येक केवल 4–5 मिनट ही लें।

श्री के० एस० राव : हमें कम से कम पाँच मिनट मिलने चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : तो फिर हमें सूची में से नाम कम करने पड़ेंगे।

श्री जैनुल बशर : हमें पर्याप्त समय मिलना चाहिए, अन्यथा क्या लाभ है।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य पहले उल्लेख की गई बातों की पुनरावृत्ति न करें।

श्री जैनुल बशर : हम शिक्षा नीति पर विचार कर रहे हैं। क्या हमें केवल अपनी ही बात कहनी चाहिए ?

श्री थम्पन थामस : इसके लिए समय बढ़ाया जा सकता है। मुस्लिम महिला विधेयक के लिए यदि हम सारी रात बैठ सकते हैं तो शिक्षा नीति को ज्यादा समय देने में क्या गलत बात है ?

उपाध्यक्ष महोदय : प्रत्येक सदस्य केवल कुछ ही मिनटों का समय लें। अब श्री के० एस० राव बोलेंगे।

श्री के० एस० राव (मछलीपतनम) : महोदय, जिस दिन भारत सरकार द्वारा इस मन्त्रालय का नाम शिक्षा से मानव संसाधन विकास परिवर्तित करने का निश्चय किया गया था, उसी दिन हमारी आशाओं को बल मिला था। हम लोगों ने महसूस किया कि सरकार ने शिक्षा के महत्व को समझा है। मानव संसाधन में देश सम्पन्न है। समस्या यह है कि इन मानव संसाधनों को इस प्रकार नहीं प्रशिक्षित किया जाता है जिससे कि वे अपने प्राकृतिक संसाधनों को लाभदायक सम्पत्ति या धन में परिवर्तित कर सकते, जिससे कि अब तक हम लोग निश्चित रूप से संसार के किसी भी विकसित देश के समकक्ष होते।

जैसे-जैसे सरकार तेजी से आगे बढ़ने की आशा करती है और इक्कीसवीं सदी तक यह प्रमाणित करना चाहती है कि संसार में किसी भी विकसित देश से हम पीछे नहीं है, वैसे-वैसे मानव संसाधन विकास को सर्वोच्च महत्व मिलनी चाहिए।

तथापि यहां पर हम लोगों को भी अभी आश्वस्त किया जाना है कि इस उद्देश्य के लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था की गई है या नहीं क्योंकि मैं सदैव महसूस करता हूँ कि राष्ट्र की समस्त बुराइयां केवल इसलिये है कि इस विभाग को कम महत्व दिया जाता है या इसकी ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता है।

[श्री के० एम० राव]

राष्ट्रीय विकास परिषद एवं अन्य अनेक स्थानों पर इन बातों में पहले ही गहनता से विचार किया जा चुका है। राष्ट्रीय विकास परिषद की अनेक सिफारिशें बहुत ही उचित हैं और निश्चित रूप से इस बात का संकेत करती हैं कि वे इसके विषय में निश्चय ही चिंतित हैं। इसके परिणाम-स्वरूप शिक्षा का निश्चय ही बेहतर विकास होगा। लेकिन ऐसा करने में प्रभावशाली क्रियान्वयन और सरकार की वचनबद्धता के सम्बन्ध में समस्या सदैव बनी रहती है।

विभिन्न लोगों द्वारा अनेक विरोध किये जाते हैं। मैं केवल कुछ बातों पर ध्यान देना चाहता हूँ। मैंने एक-दो दिन पहले सुना था कि कुछ राज्य इस बात के लिए दबाव डाल रहे थे कि किंडरगार्टन स्तर से लेकर स्नातकोत्तर स्तर तक की शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए। हमें इस बात पर विचार करते हुए भारत को एक राष्ट्र के रूप में लेना है कि सभी लोगों के हित एक समान हैं। प्रशासनिक सुविधा के लिए या यह देखने के लिए, कि स्थानीय भाषाओं एवं संस्कृतियों की अपेक्षा न हो, और निश्चित रूप से राज्यों को स्वतन्त्र इकाई, न समझने के लिए, राज्यों का गठन किया गया है। यदि कोई राज्य किंडर-गार्टन स्तर से लेकर स्नातकोत्तर स्तर तक मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाता है, तब मुझे संदेह है कि समय के साथ यह प्रवृत्ति बन जायेगी कि यह स्वयं को एक स्वतन्त्र इकाई मानने लगेगा या उस राज्य के लोग केवल अपने क्षेत्र तक ही सीमित रहेंगे। बाहर रोजगार के लिये या दूसरे प्रकार की उन्नति के लिये वे बाहर जाने हेतु समर्थन नहीं होंगे।

मैं मातृभाषा के महत्व का निश्चित रूप से कम मूल्यांकन नहीं कर रहा हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : अनेक भाषाओं का सीखना शिक्षा के माध्यम पर जोर देने से भिन्न बात है।

श्री के० एस० राव : यही बात मैं कहने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं शिक्षा के माध्यम की बात कर रहा हूँ। कला, प्रबन्ध, इतिहास और ऐसे ही अन्य विषय निश्चित रूप से मातृभाषा में पढ़ाये जा सकते हैं। लेकिन जब विज्ञान, प्रौद्योगिकी अभियान्त्रिकी अनुसंधान आदि की बात आती है, तब उनको मातृभाषा या स्थानीय भाषा तक सीमित नहीं किया जा सकता है।

जब देश और विश्व बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है, जब विकास बहुत तेजी से हो रहा है और जब आज की प्रौद्योगिकी कल बेकार हो जाती है, उस स्थिति में प्रत्येक विषय के लिए स्नातकोत्तर स्तर तक शिक्षा के माध्यम का मातृभाषा होना राष्ट्र के हित में नहीं होगा। लेकिन वे विषय जो स्थानीय संस्कृति दर्शाते हैं, और वे विषय जिनके माध्यम में कुछ सीख सकते हैं। या अपने क्षेत्र के लिए उपयुक्त हैं, निपुणता में सुधार कर सकते हैं, को मातृभाषा में पढ़ाया जा सकता है।

इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए विशेष रूप से महत्वपूर्ण विषयों के सम्बन्ध में समान पाठ्यक्रम होना चाहिए। पाठ्यक्रम को प्रत्येक राज्य पर नहीं छोड़ा जा सकता। यहां तक कि भारतीय शिक्षा सेवा, जिसके बारे में सुझाव दिया गया है। वारंगल में इंजीनियरिंग कालेज के विद्यार्थी के रूप में मेरा अपना अनुभव है कि जहाँ समस्त देश के विद्यार्थी पढ़ने आते हैं। उन दिनों, मैं राष्ट्रीय एकता लाने की दृष्टि से नेहरू जी ने यह शुरू किया हुआ था कि तीन विस्तर

वाले एक कमरे में, एक लड़का दक्षिणी भारत से होता था, एक उत्तरी भारत से और एक आन्ध्र प्रदेश से। मुझे इसका काफी अनुभव है। हमारे विचार पहले विचार जैसे भी रहे हों किन्तु संस्था से जब हम बाहर आए तो हमने इसकी महत्ता समझी और हम सभी ने यह महसूस किया कि हम उन सभी लड़कों की अपेक्षा में काफी बेहतर थे जिन्होंने स्थानीय संस्थाओं में शिक्षा ग्रहण की थी। इस प्रकार से भी वास्तव में राष्ट्रीय एकता प्राप्त की जा सकती है। परन्तु हमारे कुछ मित्रों ने अपना संदेह प्रकट किया है कि शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े हुए होने के कारण उन्हें भारतीय शिक्षा में स्थान नहीं मिल सकता मेरा मतलब राज्यों के उन लड़कों से है जिन्होंने स्थानीय संस्थाओं में अध्ययन किया है। भारत सरकार इस संदर्भ में शिक्षा सेवा में भी आनुपातिक प्रतिनिधित्व देने के बारे में विचार कर सकती है ताकि कोई भी राज्य इस लाभ से वंचित न रहे।

इसी प्रकार से हम सभी हिन्दी को सम्पर्क भाषा के रूप में चाहते हैं। कल हमने अल्पसंख्यकों की भावनाओं का सम्मान किया क्योंकि हमारी नीति किसी को दुःख पहुँचाने तथा किसी पर कुछ थोपने की नहीं है। यही भावना उन लोगों के लिए होनी चाहिए जो विशेष रूप से दक्षिणी राज्यों में हैं। यदि आप इन सभी बातों के लिए दबाव डालेंगे और उन पर हिन्दी को थोपेंगे तो वे एक बार फिर कड़ा रवैय्या अपनाएंगे और वे केवल यही कहेंगे कि केवल मातृ-भाषा ही वहाँ रहेगी और कुछ नहीं। सरकार ने कल अथवा उससे एक दिन पहले सही कदम उठाया था। इसी प्रकार से अन्य राज्यों को भी अपने तरीके से स्वयं महसूस करनेदिया जाए अथवा हिन्दी सीखने दिया जाए और हमें उन्हें प्यार से प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वे भी महसूस करें कि हिन्दी सीखना आवश्यक है और हमारी उन्नति के लिए हमारे देश में एक सम्पर्क भाषा अवश्य होनी चाहिए। उन्हें यह नहीं सोचना चाहिए कि यह उन पर थोपी जा रही है।

हिन्दी को जो प्रोत्साहन दिया जा रहा है वह वास्तव में उचित है, सभी इससे सहमत हैं परन्तु इस सम्बन्ध में और दबाव डालने अथवा उनमें इस तरह की भावना लाने कि यह उन पर थोपी जा रही है अथवा इसे न सीखने पर अन्यत्र वे अपने विशेषाधिकारों अथवा रोजगार और अन्य चीजों से वंचित हो जायेंगे जैसी भावनाओं से सहमति नहीं है। विचारार्थ शिक्षा प्रणाली, प्रशंसनीय है। इसके साथ-साथ मेरी यह अभिलाषा है कि भारत सरकार ग्रामीण प्रौद्योगिकी के लिए ऐसे ग्रामीण शिक्षा केन्द्रों पर अधिक ध्यान दें जिनमें ऐसे लोगों को भी जिन्होंने पहले कभी पढ़ाई नहीं की अथवा अपनी पढाई बीच में छोड़ दी थी। को उन कलाओं का पूरा प्रशिक्षण दिया जा सके जो उनके इलाकों के लिए उपयोगी हैं मकान, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, खेती-बाड़ी (कृषि), रेशम उत्पादन, इन सभी कलाओं में उन्हें प्रशिक्षण दिया जा सकता है उन्हें वित्तीय संस्थाओं से जोड़ा जा सकता है। केवल तभी गरीबी दूर करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों के अधीन खर्च किए जा रहे हजारों करोड रुपए बेहतर परिणाम दिखा पाएंगे, अधिकाधिक सम्पत्ति उत्पन्न कर पाएंगे और फिर हमें यह महसूस करने की आवश्यकता नहीं होगी कि हम पिछड़ रहे हैं। मैं इस तरह से इस नीति का पूर्ण रूप से समर्थन करता हूँ परन्तु माननीय मन्त्री तथा प्रधान मन्त्री से भी मेरा केवल यह अनुरोध है कि केवल नीति बनाने से ही सन्तुष्ट नहीं होजाना चाहिए बल्कि यह भी सुनिश्चित करना है कि बजट में इसके लिए पर्याप्त आबंटन किया जाए और यह देखने के लिए कि अपेक्षित परिणाम प्राप्त हो रहे हैं अथवा नहीं कार्यान्वयन पर नियमित रूप से निगरानी रखी जाए।

मेरी यह अभिलाषा है कि आठवीं कक्षा से ही शिक्षा का व्यावसायीकरण होना चाहिए।

[श्री के० एस० राव]

अर्जन करते हुए सीखने के सिद्धान्त को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। लोगों को डिगरी से ही खाना थोड़े ही मिलना है। केवल अभिनव विचारों के (प्रखर बुद्धि) लोगों को ही अनुसंधान करने अथवा उच्च अध्ययन की अनुमति दी जानी चाहिए। यहां तक कि स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए कड़ी जांच परीक्षा ली जानी चाहिए और केवल सक्षम लोगों को ही प्रवेश दिया जाना चाहिए न कि उन सभी को जो प्रवेश चाहते हैं।

[हिन्दी]

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, एक पौराणिक कथा है कि महापुरुष शंकराचार्य ने शंख की ध्वनि की, उसको जिसने सुना वह हिन्दू हो गया। नरसिंह राव जी भी एक ध्वनि करें, नयी शिक्षा नीति की इस ध्वनि से इस देश की जो ज्वलन्त समस्यायें हैं उनका निराकरण हो जायेगा। प्रश्न हमारे सामने हैं, आज भी देश में 36 परसेन्ट एजूकेटेड लोग हैं। हमारे प्रधान मंत्री जी बैठे हुए हैं, आज भी हमारी योजना में 15 हजार करोड़ धनराशि की कमी है। क्या आप यह विश्वास दिला सकते हैं कि जिस शिक्षा नीति का आपने निर्णय लिया है और जो चुनौतियां हमने स्वीकार की हैं—निरक्षरता, ड्राप-आउट की प्राब्लम, अनएम्पलायमेंट की यह जो सारी समस्यायें हैं इनका निराकरण हो जायेगा ? सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आज देश का ध्यान इस बात की ओर गया है कि आध्यात्मिकता का विकास किया जाये। जहां तक व्यक्तित्व की बात है, आज के जो टीचर हैं, आज के जो शिक्षक गांवों में हैं क्या उन शिक्षकों के ज्ञान के हथौड़े से ऐसे लोगों को घड़ा जायेगा ? आज के शिक्षकों की क्या हालत हो रही है ? शिक्षा मंत्री जी, मैं आपका ध्यान आकर्षित करते हुए एक बात कहता हूँ-किस्मत फूटी फटीचर हो गया और कोई नौकरी नहीं मिली तो टीचर हो गया—यही शिक्षकों की हालत है। क्या उन शिक्षकों के ज्ञान के हथौड़े से आप इस देश में स्वाभिमान युक्त व्यक्तियों को पैदा करना चाहते हैं ? जिन व्यक्तियों पर निखार हो, चेहरे पर आभा हो, जिनका व्यक्तित्व आकर्षक हो—ऐसे लोगों की आवश्यकता होगी लेकिन मैं पूछना चाहूँगा कि आज शिक्षक की हैसियत और इज्जत समाज में क्या है, समाज में उसकी प्रतिष्ठा क्या है। आज एक मेकेनिक, एक डाक्टर, एक वैद्य की तनख्वाह अच्छी है लेकिन एक शिक्षक की तनख्वाह क्या है ? आप मेहरबानी करके ऐसे शिक्षक बनाइये जो विद्वान और कुशाग्र बुद्धि के लोग बना सकें। आप नैतिकता के मूल्य स्थापित करना चाहते हैं। शिक्षा के माध्यम से चरित्र का विकास करके ही उसकी बुनियाद पर भारत की भावी इमारत खड़ी हो सकती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके पास साधनों की कमी है और गांवों में आपको अच्छे टीचर नहीं मिल रहे हैं।

कालेजेज में भी जो हालत है वह भी आप अच्छी से जानते हैं। आप जैसे महान लोग इस देश के प्रधान मंत्री श्री राजीव गान्धी हैं और श्री नरसिंह राव शिक्षा मंत्री हैं लेकिन हमारे राज्यों में जो लोग हैं क्या उनके चेहरे पर आभा है, उनका कोई व्यक्तित्व है, क्या वे शिक्षित हैं ? और जो सचिवालय में सेक्रेटरीज बैठते हैं जो किताबों से शिक्षित हैं लेकिन योग्यता उनके पास फटकती नहीं है। मेरे कहने का मतलब यह है कि आप उनको शिक्षक बनाने से पहले ईमानदार बनायें, उनके चेहरे पर आभा रहे और उनका व्यक्तित्व हो। (व्यवधान)

इनसे पूछा जायेगा कि अन्दर का सौन्दर्य चेहरे पर क्यों निखर आया है। आपने कैसे मन की लगाम को बस में कर लिया। आपने यहां पर कहा था कि इनर–स्प्रिट डेवलप कीजिए। आज आप चाहते हैं कि आध्यात्मिक विकास हो और आप अपने सचिवालय से, उन इन्सपैक्टरों से और उन शिक्षकों से आशा करना चाहते हैं। नरसिंह राव जी आपने स्वाध्याय किया है। गांव में रहने वाले शिक्षकों के पास किताबें नहीं हैं। गांव में रहने वालों के पास अखबार नहीं हैं। उनकी जिन्दगी आप किन हाथों में सौंप रहे हैं। शिक्षा नीति में छागला साहब ने भी काम किया है। आज आप जैसे शिक्षा शास्त्री मंत्री बने हैं। अपनी देखरेख में आपने इस नीति को बनाया है। इस नीति की प्रशंसा एक कोने से दूसरे कोने में सुनी जा सकती है। इसके कारण आप यह न समझें कि देश के अन्दर वे लोग आप पैदा कर देंगे, जैसा राजीव जी का स्वप्न है–इनर स्प्रिट। अन्दर की शक्ति का विकास करने के लिए भौतिकवाद पर उसका संयम होगा। शिक्षा के लिए अच्छे शिक्षकों की जरूरत है। शिक्षकों की तनख्वाहें मेहरबानी करके आई० ए० एस० के बराबर कर दीजिए, फिर आप उनका जीवन देखिए। आप चाहते हैं कि मॉडल स्कूल बन जायें। आपके चेहरे पर तो मुस्कराहट है, फिर आप क्यों घण्टी बजा रहे है। आपके चेहरे से हमने बहुत कुछ सीखा है। आप में बहुत करामात है और फिर आप घण्टी बजाने लग गये। आपने सारे कारण बताए हैं। आपने अच्छे ढंग से इसको घड़ा है। इस शिक्षा नीति को बढ़ने में आपने मेहनत की है। उसके लिए आप को धन्यवाद। आपको ड्राफ्ट बनाना बहुत अच्छा आता है। एक-एक शब्द को चुना है। उस शब्द के एक-एक शब्द को आप देख लीजिए कि गागर में सागर भरने की कोशिश की है। आप चाहते हैं कि शिक्षा को रोजगारोन्मुखी बना देंगे। यदि आप पांच हजार कालेजेज या 50 हजार स्कूल्स या 150 विश्वविद्यालयों में क्रान्ति ले आएं, तो देश की एकता और अखण्डता कायम रहेगी। इसलिए लोग कहते हैं कि कुछ बात ऐसी हैं कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। जब यह बात कायम होगी तो हस्ती क्यों मिटेगी, जबकि आप विवेकानन्द पैदा कर देंगे, स्वामी रामतीर्थ पैदा कर देंगे और ऐसे विद्वान पैदा कर देंगे। आपने कहा शिक्षा नीति बना दी और सब कुछ ठीक कर देंगे। मैंने उसे पढ़ा है, तो मालूम हुआ कि राजस्थान में 11 प्रतिशत महिलायें पढ़ी-लिखी नहीं हैं, लेकिन उनके अन्दर समझ है।

एक माननीय सदस्य : पढ़–लिख लेगी तो काम नहीं करेगी।

श्री मूलचन्द डागा : पढ़ लिख लेगी तो उसमें कला होगी। एक बात मैं और कहना चाहता हूं। आप सरस्वती वन्दना करते हैं। आप गृह मंत्री रहे हैं और गृहणी भी शिक्षा मंत्री हैं। यहां भी बड़ा सहयोग है। स्टेट मंत्री गृहणी हैं और वे भी समझती हैं कि मातृ हृदय में कितना प्रेम होता हैं। शिक्षक आदर से बच्चों को सिखाएगा, जिनका महान जीवन होगा। जो स्वाभिमान से खड़े रह सकेंगे। जिनकी अन्तरआत्मा से शब्द उद्वेलित होंगे। जो अपनी वाणी में होंगे। हिन्दुस्तान का व्यक्ति जहां भी जाएगा, तो धरती का सौन्दर्य बढ़ जाएगा। इस प्रकार आप शिक्षा की रूप रेखा को सुन्दर बनाइए।

माननीय नरसिंह राव ने बड़े अच्छे शब्द गढ कर इसको रखा है लेकिन इस नीति का पालन करने के लिए बड़ी धनराशि की आवश्यकता है और यह अच्छा अवसर है कि हमारे प्रधान मंत्री जी भी यहां इस समय बैठे हैं। प्रधान मंत्री जी, अगर आप ने कह दिया और वालन्ट्री आर्गेनाइजेशन्स से कह दिया, तो मैं समझता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में करोड़ों रुपया आप

[श्री मूलचन्द डागा]

की सेवा में आ सकता है और उससे आप गांवों के अन्दर स्कूलों के लिए अच्छी बिल्डिंग बनवा सकते हैं।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आज बहुत से स्कूलों में लाइब्रेरी नहीं हैं और जो लाइब्रेरीज हैं, उनकी हालत बहुत खराब है। मैं अखबार में पढ़ रहा था कि त्रिचूर के अन्दर लाइब्रेरी में किताबें बैंचों में रखी हुई हैं और बोरियों में रखी हुई हैं। आज यह हालत है। जहां लाइब्रेरी नहीं है और लोग पढ़ते नहीं हैं, उनका ज्ञान वासी है। जो शिक्षक हैं, वे भी रोज नहीं पढ़ते हैं। हमने देखा है कि मंत्री जी और प्रधान मंत्री जी गाड़ी में लाइट जला कर पढ़ते जा रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि पुस्तकालय हों और उनमें किताबें पढ़ने के लिए हों। आपने जो नीति बनाई है, वह बड़ी सुन्दर नीति है लेकिन उस नीति को कार्य रूप में राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में, कब तक लागू करेंगे। अच्छी नीति आप ने बनाई है और वह स्वागतयोग्य है लेकिन नीति को कार्य रूप में आपको जल्दी से जल्दी परिणत करना है। कृपा करके शीघ्र कदम उठा कर इसको कार्य रूप में परिणत करें और इसके लिए हम आप का आभार मानेंगे और श्री राजीव गांधी का आभार मानेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी (पसेकुरा) : महोदय, 5 मिनट में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सम्बन्ध में चर्चा करना किसी के लिए उपलब्धि होगा। इसीलिए, मैं इस चर्चा को मात्र धार्मिक-अनुष्ठान मानूंगी।

उपाध्यक्ष महोदय : यह धार्मिक-अनुष्ठान नहीं है। इसके लिए समय आवंटित किया हुआ है और हम चर्चा कर रहे हैं।

श्रीमती गीता मुखर्जी : यदि सरकार एक नई शिक्षा नीति तैयार करने के बारे में वास्तव में चिन्तित है और इसके लिए संसद को शामिल करना चाहती है तो इसके लिए संसदविदों की एक समिति नियुक्त करना ही सबसे अच्छा रास्ता होगा जो छठे दशक के अपने पूर्ववर्तियों की भांति इस विषय पर गहनता से विचार कर सकती हैं और उचित तथा ठोस प्रारूप प्रस्तुत कर सकती है।

मुझे दिए गए इस थोड़े से समय में, मैं कुछ बातों का उल्लेख कर सकती हूं।

जरा नीति-सम्बन्धी वक्तव्य पर ध्यान दीजिए। यह वाक्पटुता और शब्दाडम्बर से भरा पड़ा है और इसमें काम की बात बिल्कुल नहीं है। इस दस्तावेज में सबसे बड़ी मूल त्रुटि यह है कि इसमें हमारे देश के राष्ट्रीय विकास के परिप्रेक्ष्य का कहीं पर भी उल्लेख नहीं है। शिक्षा नीति का उद्गम इसी परिप्रेक्ष्य से हुआ है। मेरे पास इस पर विस्तार से कहने का समय नहीं है। पहले उचित शिक्षा नीति का अभाव मुख्य समस्या नहीं थी, मुख्य समस्या इसे कार्यान्वित न करने की थी। इस प्रश्न पर सही ढंग से चर्चा नहीं हुई है। इसका अर्थ यह नहीं है कि पहले वाली नीति में कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है बल्कि अति

महत्वपूर्ण बात कार्यान्वयन के विफल होने के कारणों का पता लगाना है और इससे सबक सीखना है। राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में लक्ष्य निर्धारित किए जाने के पश्चात प्रारम्भिक शिक्षा को सर्व-सुलभ बनाने के क्षेत्र जिनमें नई बातों पर बल दिया गया है उनमें से कुछ को मैंने समझने का प्रयास किया है। किन्तु मेरा प्रश्न यह है कि लक्ष्यों को किस प्रकार से प्राप्त किया जाना है ? यह कहा गया है कि :

> "यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जो बच्चे 1990 तक 11 वर्ष की आयु प्राप्त करेंगे वे अनौपचारिक धारा के माध्यम से 5 वर्ष तक स्कूली शिक्षा अथवा उसके समकक्ष शिक्षा पूरी कर चुके होने चाहिये।"

मेरे विचार से अब इस नई बात अथवा : अनौपचारिक शिक्षा, पर बल दिया गया है।

मैं इस बात से पूर्णतः असहमत हूँ कि वर्तमान ढांचे में प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए अनौपचारिक शिक्षा नियमित विद्यालयों के समतुल्य कदापि नहीं हो सकती। यह कभी नहीं हो सकता। इसलिए, मुझे डर है कि यह सामाजिक रूप से पिछड़े समुदायों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए एक अनाथालय बनकर रह जायेंगे क्योंकि उनमें अधिकतर छात्र ऐसे होंगे जो बीच में ही स्कूल छोड़ देते हैं। इससे बच्चों के लिए दो प्रकार की शिक्षा हो जाएगी जिसे पूर्ववर्ती क्षेत्रिक सुधारकों और समितियों ने अस्वीकार किया है। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। इस दुस्साहसिक कार्य में करदाताओं के धन करोड़ों रुपये व्यर्थ जायेंगे और असमानता चलती रहेगी।

अब मैं बीच में ही स्कूल छोड़ देने वाले बच्चों की समस्या को लेता हूँ। इस बात से सभी सहमत होंगे कि यदि बच्चों द्वारा बीच में ही स्कूल छोड़ देने की समस्या को समाप्त करना है तो यह पर्याप्त वित्तीय प्रोत्साहन देकर ही किया जा सकता है। इतने से ही काम नहीं चलेगा, इसे उत्पादक प्रक्रिया, आर्थिक प्रक्रिया तथा ठोस आर्थिक कार्य द्वारा किया जाना चाहिए ताकि अविभावक स्कूली शिक्षा को उद्देश्यपूर्ण समझ सकें। यहां मैं एक उदाहरण देता हूँ। वियतनाम में प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर ही विद्यालयों के साथ प्रयोगशालायें होती हैं जिनमें विद्यार्थी स्वयं कुछ कार्य करते हैं और उन्हें कृषि कार्य की बेहतर वैज्ञानिक जानकारी प्राप्त होती है कि और यह पता चलता है कि उन्हें किस वस्तु का उत्पादन करना है, मेरे पास समय कम है वरना मैं और कई उदाहरण देता।

पाठ्यचर्या बहुत महत्वपूर्ण है। पाठ्यचर्या के सम्बन्ध में क्या नई बात है ? यह है कोर पाठ्यचर्या। अब तो यह एक नारा सा बन गया है—राष्ट्रीय कोर पाठ्यचर्या। लेकिन इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्रकाशित पूर्ण सामग्री को पढ़ने के बाद भी यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि इस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के सम्बन्ध में सरकार का इरादा क्या है। निस्संदेह, इसमें धर्म निरपेक्षता समाजवाद, प्रजातंत्र, राष्ट्रीय अखंडता और इससे सम्बद्ध मूल्यों का उल्लेख किया गया है और इस पर कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन प्रश्न यह है कि इसे क्रियान्वित कैसे किया जाएगा। पहले ही एक मानक पाठ्यचर्या है। इसमें नया क्या जोड़ा जाएगा ? इस सम्बन्ध में दो महत्वपूर्ण बातें सामने आती हैं। यदि शिक्षा, विशेषकर विश्वविद्यालयी शिक्षा को उद्देश्यपूर्ण बनाना है तो, जैसा कि मैंने पहले कहा है, क्षेत्रों, अंचलों और राज्यों के आर्थिक तथा सामाजिक जीवन की ठोस स्थितियों के अनुरूप शिक्षा दी जानी चाहिए। कोर पाठ्यचर्या के

[श्रीमती गीता मुखर्जी]

नाम में यदि अत्यधिक केन्द्रीकरण किया जाता है तो वह, न केवल राज्यों के अधिकारों की दृष्टि से बल्कि अन्य पहलुओं को दृष्टि से भी अनुत्पादक सिद्ध होगा। यह ऐसा क्षेत्र है जहां नीचे से पहल की जानी चाहिए, अध्यापकों के द्वारा, यह बहुत आवश्यक है, उन्हें परिवर्तन में अग्रणी होना चाहिए। अतः मेरे विचार में यह नई नीति भी अधिक लाभकारी नहीं होगी। हां, मैं मानता हूँ कि वैज्ञानिक पाठ्यचर्या होनी चाहिए। लेकिन इसमें राज्य के निकायों का व्यापक सहयोग होना चाहिए तथा अध्यापकों द्वारा पहल की जानी चाहिए, जबकि इस सम्बन्ध में इसमें कोई उल्लेख नहीं है।

अब नवोदय स्कूलों की नयी कहे जानी वाली परिकल्पना लाई गई है। मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहती क्योंकि कई माननीय सदस्य अपनी शंकाएं पहले ही व्यक्त कर चुके हैं। फिर भी सरकार इस पर अड़ी हुई है। मेरे विचार में, उत्कृष्टता के नाम पर, इससे और असमानता बढ़ेगी तथा माध्यमिक शिक्षा में एक केन्द्रीय सेक्टर बन जाएगा। मुझे विश्वास है कि नवोदय स्कूलों की परिकल्पना में यही इरादा है, जिसकी कई माननीय सदस्यों ने आलोचना की है।

अब भाषा का प्रश्न आता है। इस दस्तावेज में इस पर विचार नहीं किया गया है। हमारे देश में भाषा का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर यहां कई मत केन्द्रित किये गए हैं। इस पर उपयुक्त चर्चा होनी चाहिए थी और त्रिभाषा फार्मूला तथा अन्य बातों पर स्पष्टीकरण होना चाहिए था। क्या आप इन बातों पर विचार कर रहे हैं। यह स्पष्ट नहीं है।

दूसरी बात संगठनात्मक सहायता के बारे में है। मुझे लगता है कि यह संगठनात्मक सहायता की संरचना भी केन्द्रीयकरण हेतु ही है जबकि शिक्षा को समवर्ती सूची में आते समय ऐसा विचार नहीं था। यह समझा गया था कि समवर्ती सूची न्यूनाधिक सैद्धान्तिक होगी। लेकिन सभी केन्द्रीय निकायों को अत्यधिक महत्व दिया गया है और राज्य-निकायों के साथ इनके सम्बन्धों के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा गया है। यह संयोगवश नहीं हुआ है। यह प्रबन्ध का केन्द्रीकरण करने का और प्रयास है। प्रबन्ध में अध्यापकों तथा विद्यार्थियों तथा उनके निर्वाचित प्रतिनिधियों को सम्मिलित करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। पता नहीं क्यों। आप अध्यापकों से यह कैसे आशा कर सकते हैं कि वे अपने कार्य तथा उत्तरदायित्व दोनों के प्रति समर्पित रहें, जब तक उन्हें शिक्षा के प्रबन्ध में सहभागी नहीं बनायेंगे। यह बात मेरी तो समझ नहीं आती। मैं यह नहीं कह रहा कि अध्यापक जो कुछ कर रहे हैं सब सही है लेकिन यह भी नहीं कहा जा सकता कि वे जो कुछ कर रहे हैं वह गलत है। यह उन्हीं की जिम्मेदारी नहीं है। वर्तमान स्थिति को बदलना चाहिए। मेरे विचार में इस दस्तावेज से प्रस्तावित नीति की झलक नहीं मिलती।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य का समय समाप्त हो गया है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : इतने कम समय में नई शिक्षा नीति पर चर्चा नहीं हो सकती। मैं अंतिम बात कहती हूँ। एक बात मैं कहना चाहती हूँ क्योंकि माननीय बहन सुशीला जी यहां हैं। स्त्री शिक्षा के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। यह मुझे पसंद है लेकिन पुडिंग का स्वाद तो खाने से ही पता चलेगा। देखते हैं कि परिणाम क्या होगा। जो वित्तीय व्यवस्था प्रस्तावित है पता नहीं इससे क्या होगा।

यह रोचक स्थिति है भारत सरकार ने स्वयं अपने दस्तावेज में उल्लेख किया है कि वे वित्त देने पर अधिक ध्यान देंगे। अब मैं इस प्रश्न पर नहीं कह रही हूँ कि कौन से समुदाय हैं, समाज के कौन से लोग हैं जो दान देंगे, वे कैसे योगदान करेंगे आदि। कहा गया है कि यह सीमांत स्रोत है आदि। मैं दूसरे भाग पर अर्थात् सरकारी स्रोत के बारे में कहूँगी। निस्संदेह सरकारी अंश मुख्य स्रोत होगा। आखिर वह मुख्य स्रोत होगा। यह सब मानते हैं। जब सरकार इस पर दृढ़ है तो वह पर्याप्त धन का आवंटन क्यों नहीं करती ? पता नहीं किस कारण से वे बजट में 10 प्रतिशत भी विनिधान नहीं कर रहे हैं। इसे बार-बार दोहराया जा रहा है लेकिन इसे मूर्तरूप नहीं दिया जा रहा है। दृढ़ता बातों में कृत्यों में नहीं स्थिति ऐसी नहीं होनी चाहिए। महाविद्यालयों की स्वायत्तता, डिग्रियों को रोजगार से पृथक करने के बारे में बहुत प्रश्न हैं। इस दस्तावेज को गहराई से देखना होगा जिसके लिए समय नहीं है। इसलिए मैं एक बार फिर अपने इस प्रस्ताव को दोहराती हूँ कि इस पर विस्तृत अध्ययन के लिए संसदीय समिति गठित की जाए जैसा कि सन् 60 के दस्तावेज के बारे में किया गया था और बाद में इसको अंतिम रूप दिया जाए। इसके बिना यह सब गड़बड़ तथा दिखावा मात्र रहेगा और फिर से अपव्यय होगा।

[हिन्दी]

श्री अनूप चन्द शाह (बंबई उत्तर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन के सामने नेशनल पालिसी आफ एजूकेशन जो रखी गई है, उसके बारे में मैं अपने विचार सदन के सामने व्यक्त करना चाहता हूँ।

पिछले 16-17 महीनों से जब से इस देश की सत्ता राजीव जी ने संभाली है तब से हर क्षेत्र में कुछ न कुछ क्रान्तिकारी कदम हमने उठाने का प्रयत्न किया है। जहां तक शिक्षा का सम्बन्ध है और आज शिक्षा जिस स्थिति से गुजर रही है, हमने सोचा कि शिक्षा-पद्धति में कुछ तब्दीली करनी चाहिए, कुछ क्रान्तिकारी तब्दीली करनी चाहिए और इसी वजह से आज हमने एक नए दृष्टिकोण के साथ नेशनल पालिसी आफ एजूकेशन बनाई है। पालिसी के अन्दर जो भी बातें रखी गई हैं, वे बहुत अच्छी हैं। साथ ही साथ हमें जो डर है, वह डर इस बात का है कि ऐसी अच्छी बातें अमल करने का जो समय आता है, तब हमें जिस ढंग से काम करना चाहिए, उस ढंग से नहीं करते हैं। एजूकेशन स्टेट का सबजेक्ट है। टैन प्लस टू प्लस थ्री का जो फार्मूला एडोप्ट कर चुके हैं वह सभी राज्यों ने एडोप्ट नहीं किया है। इस फार्मूला में ग्यारहवीं और बारहवीं का जो स्टैण्डर्ड है वह स्कूल के साथ है या कालेज के साथ है, आज हम इस दुविधा में हैं, इसके बारे में सरकार को निर्णय लेना चाहिए। इसका स्टैण्डर्ड मात्र स्कूल के साथ रहना चाहिए। कालेज और स्कूल में रहने की वजह से जो दो स्टैण्डर्ड हैं तो वहां सफीशियन्ट स्टूडेन्ट नहीं होते हैं और कालेज में एडमिशन के लिए तो बड़ी-बड़ी लाइनें लगती हैं। इसलिए, मेरा सरकार से अनुरोध है कि टैन प्लस टू प्लस थ्री में ग्यारहवीं और बारहवीं को स्कूल के साथ रखना चाहिए।

एक प्वाइन्ट और कहना चाहता हूँ। एजूकेशन के मामले में जैसी इन्सटीट्यूशन्स गवर्नमेंट की ओर से या और भी तरीके से हम चला रहे हैं, उसके साथ-साथ मैट्रोपोलिटिन सिटीज में पैरेलल एजूकेशन इन्स्टीट्यूशन्स चल रही हैं। आज विद्यार्थी का स्कूल या कालेज में आने में उतना इन्टरेस्ट नहीं है जितना प्राईवेट इन्सटीट्यूशन्स में जाने में है। वहां गारन्टी मिलती है कि अगर

[श्री अनूपचन्द शाह]

वे क्लासेज अटैन्ड करेंगे तो पास हो सकते हैं तथा डिग्री मिल सकती है। वहां जो कमाई हो रही है, प्राईवेट इन्सटीट्यूशन्स में, सबसे पहले उसके ऊपर बैन लगना चाहिए। ऐसे इन्सटीट्यूशन्स के लोगों ने हमारे स्टैण्डर्ड को नीचे कर दिया है। कालेज और स्कूल की जो शिक्षा है, उसकी कोई वैल्यू नहीं रही है। जिन लोगों ने एजूकेशन को इन्डस्ट्री बना दिया है, पैसा कमाने के लिए फैक्टरी बना दी है, उसको रोकना जरूरी है। दो-चार महीनों में कोर्स कम्पलीट कराकर वे लोग आज स्टूडेन्ट को ब्लैकमेल करते हैं, उनको सबसे पहले रोकना चाहिए। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। एजूकेशन पालिसी में कहा गया है :

[अनुवाद]

हम चौराहे पर खड़े हैं। वास्तव में हम चौराहे पर है।

[हिन्दी]

अगर हम इस एजूकेशन को क्रास नहीं करेंगे तो क्राम रोड में गलत रास्ते पर चले जाएंगे। आने वाले वर्षों में जो इक्कीसवीं सदी में हम जिस तैयारी के साथ जाना चाहते हैं, वहां हम नहीं जा सकेंगे। बड़े-बड़े शहरों में और कुछ राज्यों में नए स्कूलों की परमिशन नहीं मिलती है। कहीं-कहीं पर तो अगर स्कूल है तो स्टूडेन्ट नहीं है, अगर स्टूडेन्ट हैं तो स्कूल नहीं हैं। मेरी सरकारसे नम्र प्रार्थना है कि यहां से इन्सट्रक्शन्स जानी चाहिए कि अगर कोई चेरीटेबल इन्स्टीट्यूट या इन्स्टीट्यूट स्कूल बनाना चाहते हैं तो उनको परमिशन दी जानी चाहिए। आज बड़े-बड़े शहरो में बच्चे एडमिशन के लिए घूम रहे हैं। बम्बई, कलकत्ता और मद्रास जैसे शहरों में ऐसा होता है, दिल्ली में भी हो सकता है। हमारे पास दो-चार लोग रोज आते हैं कि हमें एडमिशन करवाना है इसलिए चिट्ठी दे दीजिए। मैं यह कहना चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा स्कूल खोलने के लिए परमिशन दी जाए। साथ ही साथ शिक्षा नीति में हमें जो सबसे ज्यादा जरूरी है वह इस बात की जरूरत है कि जो हमारी नई पीढ़ी आ रही है इसको इस देश को आजादी कैसे मिली, आजादी लेने के लिए कौन-कौन से हमारे बड़े लीडरों और बड़े नेताओं ने अपने जीवन का पूरा त्याग किया, यह बताना है, क्योंकि यह किसी को मालूम नहीं है। हमारी जो नई राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली बन रही है उसके अन्दर हमें सबसे पहले, जो हमारे स्वतन्त्रता सेनानी हैं, जो फ्रीडम का मूमेंट था उसको बढ़ावा देना चाहिए। जिससे आने वाली पीढ़ी के अन्दर एक नई भावना का निर्माण होगा, वह भावना राष्ट्रीय भावना होगी। साथ ही साथ इस एजूकेशन पालिसी में कहा गया है पीस फुल को एग्जीसटेंस इसके बारे में भी बात कही गई है, मैं इसके साथ यह भी कहना चाहता हूँ पीसफुल को-एग्जीसटेंस जितना जरूरी है, इसकी जितनी जरूरत है वह राष्ट्रीय एकता, अखंडता और भावना की है। अगर हम ट्री लेंगुएज फार्मूला मानते हैं, साथ ही साथ भाषा के इंस्ट्रक्शन मातृभाषा में हो सकते हैं। जहां तक देश का सवाल है, हमारे सम्माननीय सदस्य ने कहा कि अगर यही शिक्षा रहेगी तो मैं नहीं समझता महाराष्ट्र का आदमी मद्रास में जाकर बोल सकेगा, गुजरात का आदमी और कहीं जाकर अपनी बात कह सकेगा। इसीलिए जो हमारी राष्ट्रीय भाषा हिन्दी है, हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली है यह सिर्फ हमारी जो राष्ट्रीय भाषा है वह राजभाषा के माध्यम से हो सकती है, वह इंग्लिश के माध्यम से नहीं होनी चाहिए। राष्ट्रभाषा को महत्व दिया जाये तो इसके द्वारा हो सकता है।

जहां तक वूमन एजूकेशन का सवाल है। महाराष्ट्र देश का एक ऐसा राज्य है जिसने सबसे पहले इस दिशा में कदम उठाया था। अब तो हमारी केन्द्र सरकार की तरफ से भी स्त्री शिक्षा शुरू हो चुकी है। महाराष्ट्र में सबसे पहले वूमन एजूकेशन फ्री हमने शुरू की थी। इसलिए इसी तरह से इस देश के अन्दर स्त्रीशिक्षा को फ्री किया जाये। केन्द्र सरकार को इसके बारे में कुछ प्रयत्न करना चाहिए। जो नई पालिसी नई दिशा के साथ हमारे सामने रखी गई है मैं इसका समर्थन करता हूँ और इसके इम्पलिमेंटेशन के लिए हम ज्यादा से ज्यादा राज्यों के ऊपर कड़ी निगाह रखें और इसका इम्पलिमेंटेशन कराने के लिए प्रयत्न करें।

[अनुवाद]

श्री सुनीलदत्त (बम्बई उत्तर पश्चिम) : मैं बहुत आभारी हूँ कि मुझे राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर बोलने का अवसर प्रदान किया गया है।

यह अत्यन्त व्यापक विषय है···

उपाध्यक्ष महोदय : और समय भी बहुत कम है।

श्री सुनीलदत्त : मैं अपनी बात बहुत ही संक्षेप में कहना चाहूँगा। परन्तु यह विषय काफी व्यापक है और इस विषय पर दिया गया समय बहुत ही कम है जबकि इसके लिए और अधिक समय की जरूरत है।

मैं केवल प्राइमरी शिक्षा की ही बात करूँगा, केवल छोटे बच्चों की ही शिक्षा की, बजाय इसके कि मैं उच्चतर शिक्षा के ब्यौरे में जाऊँ, क्योंकि हम एक बेहतरीन पिरामिड की स्थापना कर रहे हैं, इसलिए इस पिरामिड की बुनियाद बहुत ही मजबूत होनी चाहिए अन्यथा यह ढह जायेगा।

मुझे इस रिपोर्ट को पढ़कर बड़ी प्रसन्नता हुई है और मैं इसकी प्रशंसा करता हूँ कि इसे बड़ी अच्छी तरह से तैयार किया गया है और यह किसी भी राष्ट्र का गौरव हो सकती है। यदि इसे कार्यान्वित कर दिया जाये और यदि इसमें दी गई सभी बातों को वास्तविक रूप से अमल में ले आया जाये तो मेरा ख्याल है कि हम अपने देश पर गर्व कर सकते हैं कि हम अपने देश में अपने बच्चों को ऐसी बेहतरीन शिक्षा भी दे सकते हैं। इसके लिए मैं अपने माननीय प्रधानमन्त्री जी की प्रशंसा करता हूँ जिन्होंने शिक्षा के महत्व को समझा है और उन्होंने यह महसूस किया है कि हमारे देश के बच्चों तथा युवकों के लिए शिक्षा का कितना महत्व है और हमारे राष्ट्र से अज्ञानता को दूर करने में यह कितनी महत्वपूर्ण है। और इसके लिए मैं सामान्यतः यह अनुभव करता हूँ कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण भाग यह है कि हमें शिक्षा की व्यवस्था प्रारम्भ से ही, सबसे निचले स्तर से और एक समान आधार पर ही शुरू करनी चाहिए और इसमें देश की आम जनता तथा देश के सभी बच्चों को शामिल किया जाना चाहिए मैं जोर देकर यह कह सकता हूँ कि अभी

4.00 म० प०

तक हम अंग्रेजी शिक्षा की शैली को ही पूरी तरह आधार मानकर चल रहे थे। जब अंग्रेज यहां आये तभी से शिक्षा की यह नई शैली यहां शुरू की गई थी। वे राजाओं, महाराजाओं को खुश करना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने सुन्दर-सुन्दर स्कूलों की स्थापना की। अजमेर में एक कालेज

[श्री सुनीलदत्त]

है और मुझे याद है कि उस कालेज में, कुछ राजकुमार मुझे बताया करते थे, कुछ लोग हाथी पर जाया करते थे, कुछ लोग घोड़ों पर जाया करते थे और कुछ लोग राल्स रायस में जाया करते थे जबकि छोटे-छोटे गांवों के स्कूलों में गरीब लड़के-लड़कियां नंगे पैरों जाया करते थे। यह बड़ी भारी विषमता थी। मैं आमतौर से महसूस करता हूँ कि एक लोकतांत्रिक देश में, धर्म निरपेक्ष देश में इस तरह की विषमता नहीं होनी चाहिए। यदि इस तरह की विषमता आज विद्यमान है तो इस शिक्षा का कोई लाभ नहीं होगा क्योंकि हमारे देश में बड़े लोग हैं, छोटे लोग हैं, अमीर हैं और गरीब हैं। मुझे याद है कि जब मैंने अपने बेटे को लारेंस स्कूल में भरती कराया था जो एक बहुत ही बढ़िया स्कूल है, जिसके पास 150 एकड़ जमीन है—मुझे अपना बचपन याद आ गया था जब मैं अपने गांव के उस स्कूल में जाया करता था जहां बरसात के मौसम में हमें छुट्टी करनी पड़ती थी क्योंकि स्कूल की छत टपकती थी।

लारेंस स्कूल में जहां मैं अपने बेटे को भरती करा रहा था वहां ठीक इसके विपरीत वातावरण है। खेलने के लिए विशाल मैदान हैं, बेहतरीन छात्रावास है और बहुत अच्छे अध्यापक भी हैं। क्या इस सबकी हमारे लाखों बच्चों के लिए व्यवस्था की जा सकती है···(व्यवधान)····और बेहतरीन सामग्री भी। और यही कारण है कि मैं वहां जाया करता हूँ।

[हिन्दी]

श्री बालकवि बैरागी (मंदसौर) : अब तो मेरा विश्वास है कि डागाजी को यकीन होगया होगा कि उन्होंने जो कुछ कहा बहुत ठीक कहा था।

[अनुवाद]

श्री सुनीलदत्त : इसलिए, मेरा विनम्र निवेदन यह है कि शिक्षा और स्कूलों में समानता होनी चाहिए। हम एक बेहतरीन मकान में रह सकते हैं। लेकिन जब मेरा बच्चा स्कूल जाता है तो वह एक हरिजन बच्चे, किसान के बच्चे अथवा किसी भी अन्य बच्चे के समान है। यदि ऐसी समानता नहीं है तो हमारे देश में कोई भी विकास नहीं हो सकता। यही चीज है जिसे मैं पुरजोर महसूस करता हूँ। यही वह महान बुनियाद है जो हमारा देश भावी पीढ़ियों के लिए तैयार कर सकता है। इसी तरह से हम 21वीं सदी में प्रवेश कर पायेंगे।

मेरा निवेदन है कि जब तक धार्मिक स्कूल हैं, धर्म के पैसे पर चलने वाले स्कूल हैं, इस्लामिक स्कूल हैं, खालसा स्कूल हैं, सनातन धर्म स्कूल हैं, तब तक वे केवल धर्म और कट्टरतावाद की फसल पैदा करते रहेंगे। अतः मेरा सुझाव है कि इन स्कूलों को समाप्त किया जाना चाहिए। यदि आप भारतीयता का सृजन करना चाहते हैं, यदि आप राष्ट्रीयता पैदा करना चाहते हैं, यदि आप राष्ट्रीय एकता का निर्माण करना चाहते हैं तो आपको ऐसे स्कूलों की स्थापना करनी होगी जहां हर व्यक्ति एक साथ रह सके और एक साथ पढ़ सके—चाहे वह हरिजन हो, मुस्लिम हो सिख हो या कोई और हो। असमानता क्यों हों? मुस्लिमों के लिए मुस्लिम स्कूल क्यों हों? केवल हिन्दुओं की पढ़ाई के लिए सनातन धर्म स्कूल ही क्यों हों? यही वह बात है जिसकी हमें जरूरत है। यह धर्म निरपेक्षता के विरुद्ध है।

महोदय, जब मुस्लिम स्कीम विधि पर चर्चा की गई थी, एक बहुत ही सम्मानित संसद सदस्य श्री सैयद शाहबुद्दीन ने कहा था "यदि मैं मुस्लिम हूँ तो मैं इस देश में मुस्लिम होकर ही रहूँगा।" क्या इस संसद का एक सम्मानित सदस्य ऐसा कह सकता है ? वह मुस्लिम हो सकते हैं। लेकिन उन्हें इस देश में भारतीय बनकर रहना चाहिए । वह विदेश सेवा में थे । क्या यही वह तरीका है जिसके जरिये वह हमारे देश का प्रतिनिधित्व कर रहे थे । क्या यही वह शिक्षा है जो उन्होंने इस देश में प्राप्त की है ? क्या यही वह रास्ता है जिससे वह देश को 21वीं सदी में ले जाएँगे ? हमारे प्रधान मंत्री ने बड़ी सोच-समझकर इस नीति सम्बन्धी दस्तावेज तैयार किया है ताकि इसे अमलीजामा पहनाया जा सके। परन्तु यदि हमारे देश में और हमारी संसद में हमारे इन जैसे माननीय मित्र रहे तो इस नीति को मूर्त रूप नहीं दिया जा सकता···(व्यवधान)

एक बात और है जो मैं कहना चाहूँगा । ऐसे बहुत से लोग हैं। महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि एक वर्ष से छह वर्ष तक का समय बच्चे के मस्तिष्क के विकास का समय होता है और मैं समझता हूँ बच्चों पर छह वर्ष की आयु तक बोझ नहीं डालना चाहिए। उन्हें अपने प्राकृतिक वातावरण में रहना चाहिए और प्रकृति का अध्ययन करना चाहिए। उन्हें अपने आस-पास के पक्षियों से बातें करनी चाहिए। उन्हें अच्छा मनुष्य बनना चाहिए। अभिभावकों को उन्हें राजनीति की बातें नहीं बतानी चाहिए या यह नहीं सिखाना चाहिए कि वे हिन्दू, मुसलमान, आदि हैं। उन्हें सर्वोत्तम मनुष्य बनने देना चाहिए।

महोदय, छह वर्ष से दसवीं कक्षा तक उन्हें मुगल कालीन या किसी भी काल का इतिहास नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। उन्हें भारत की स्वतन्त्रता का इतिहास पढ़ाया जाना चाहिए। हमारे बच्चों को यह बात जाननी चाहिए कि हमारे वे नेता कौन थे जिन्होंने हमारे देश की स्वतन्त्रता के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया था । उन्हें यह जानना चाहिए कि वे महान नेता कौन थे जिन्होंने देश को एक जुट किया था। परन्तु महोदय, हमारे बच्चे हमारे उन नेताओं के बारे में अधिक नहीं जानते हैं जिन्होंने हमारे देश की स्वतन्त्रता के लिए संघर्ष किया था। (व्यवधान)

महोदय, यह मेरा नम्र निवेदन है कि दसवीं कक्षा तक के बच्चों को भारत के राष्ट्रीय इतिहास की जानकारी होनी चाहिए। जब वे महाविद्यालयों में जायें और इतिहास में ऑनर्स या अनुसंधान करना चाहें तब वे प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, मुगल इतिहास या विश्व के अन्य इतिहास का अध्ययन कर सकते हैं परन्तु तब तक हमें उन्हें उचित व्यक्ति बनाना चाहिए।

महोदय, हमारे यहां ही पाठ्य चर्या होनी चाहिए । मैं किसी भाषा के विरुद्ध नहीं हूँ। मेरा विश्वास है कि हमारे महान नेताओं ने देश का विभाजन क्षेत्रीय भाषा के आधार पर किया था क्योंकि उनका दृष्टिकोण व्यापक था। पंडितजी और अन्य महान नेताओं ने हमारे देश की सभी भाषाओं के महत्व को समझा था। सभी भाषाओं की अपनी समृद्धि, सौन्दर्य और काव्य होता है। हमने कभी भी उन भाषाओं को उस सौन्दर्य से वंचित नहीं करना चाहा है। हमने चाहा है कि स्थानीय लोग स्वयं को समृद्ध बनाएँ और अपने विचारों को भारत की सभी भाषाओं में व्यक्त करें ताकि प्रत्येक व्यक्ति को हमारे जीवन के सांस्कृतिक पहलुओं का पता चले। हमारे नेताओं का यही दृष्टिकोण था जिसके आधार पर विभिन्न राज्य बनाए गए, हमें कभी पता न था कि स्थानीय राजनीति इस पहलू को अपने हाथों में सत्ता हथियाने का अस्त्र बना लेगी।

[श्री सुनीलदत्त]

परन्तु दूसरी ओर हमारे महान नेताओं का यह व्यापक दृष्टिकोण था कि उन्होंने प्रत्येक राज्य को अपना सौन्दर्य और संस्कृति स्थापित करने और उसे विश्व के समक्ष व्यक्त करने का अवसर दिया था।

महोदय, यहां एक पाठ्यचर्या और एक विचार-प्रक्रिया होनी चाहिए। यह ठीक है कि इसे देश की किसी भाषा में अनुदित किया जा सकता है परन्तु यह विचार एक जैसा होना चाहिए। यदि मेरा बेटा हिन्दी बोल रहा है तो तमिलनाडु में वहां के बेटे द्वारा तमिल में बोलने में वही विचार होने चाहिए। इस प्रकार भारत को एकजुट बना सकते हैं और अपने देश को एक बना सकते हैं अन्यथा हम कितना ही प्रयास कर लें यह देश एक नहीं हो सकता है क्योंकि रूढ़िवादी और क्षेत्रीयतावादी लोग हमारे देश के सौन्दर्य को नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं ?

महोदय, दसवीं कक्षा तक एक ही पाठ्यचर्या होनी चाहिए। प्रत्येक को उसकी अपनी भाषा में वही पाठ्यचर्या पढ़ाई जानी चाहिए। मैं इस सभा का समय बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि मेरे विपक्षी मित्र मेरे कथन से बहुत खुश नहीं है....क्योंकि जब हम कोई अच्छी बात कहते हैं तो वे कभी खुश नहीं होते हैं। परन्तु महोदय, जब वे कोई अच्छी बात कहते हैं तो हम उनकी प्रशंसा करते हैं। जब हम सबके लिए अच्छी बात कहते हैं, तो वे चिल्लाते हैं। यह अच्छी बात नहीं है।

अन्त में, महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस असमानता को दूर किया जाना चाहिए। हमारे प्रधानमन्त्री का माडर्न स्कूलों के बारे में अपना दृष्टिकोण है, मैं यहाँ पर सोवियत संघ में प्राप्त अपने व्यक्तिगत ज्ञान का उल्लेख करना चाहता हूँ। महोदय, मैंने वहाँ पर एक पायोनियर कैम्प में भाग लिया था। पायोनियर कैम्प केवल 13 या 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए होते हैं। प्रतिवर्ष, गर्मियों की छुट्टियों के दौरान, रूस में केजार-सम्राटों के सभी महल विद्यार्थियों और प्रत्येक बच्चे के लिए खुले रहते हैं चाहे वह राष्ट्रपति या प्रधानमन्त्री का बेटा हो, चाहे वह किसी श्रमिक या कर्मचारी का बेटा हो—उसे दो माह के लिए इनमें से एक कैम्प में जाना होता है और इन कैम्पों में उन्हें अपनी रसोई स्वयं तैयार करनी होती है, अपना कार्य स्वयं करना होता है, ताकि उनमें आत्मानुशासन की भावना लाई जा सके, उनके मस्तिष्क में स्व-पहचान की भावना पैदा की जा सके। उस समय वहाँ पर्यवेक्षक भी होते हैं और वे प्रत्येक बच्चे की रुचि पर नजर रखते हैं। उन्हें विज्ञान से कृषि की सामग्री और मुर्गीपालन की सामग्री आदि उपलब्ध कराई जाती है। वे पर्यवेक्षक उन पर नजर रखते हैं और वे यह रिपोर्ट देते हैं कि अमुक-अमुक छात्र की कृषि में, विज्ञान में रुचि है। इसके बाद उन विद्यालयों के प्राधिकारी उन बच्चों के अभिभावकों को बुलाते हैं और उन्हें बताते हैं कि उनके बच्चे की रुचि विज्ञान या कृषि या इतिहास या संगीत या नाच आदि में है। फिर उन रिपोर्टों के आधार पर अभिभावक अपने बच्चों को उनकी रुचि के विषय में उच्च शिक्षा के लिए तैयार करते हैं, इसीलिए जब वे बच्चे बड़े होते हैं तो विषय विशेष के विशेषज्ञ बन जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमारे देश में इन स्कूल, लारेंस स्कूल या मेयो कालेज, जैसे सभी पब्लिक स्कूलों में सोवियत संघ की तरह छुट्टियों के दौरान शिक्षा की आधुनिक प्रणाली आरम्भ की जानी चाहिए ताकि जैसे-जैसे वे बड़े हों, अपने स्कूल पाठ्यक्रम में किसी विषय में प्रदर्शित अपनी रुचि के विषय विशेष में विशेषज्ञ बन सकें।

अन्त मे, मैं एक अत्यधिक महत्वपूर्ण बात का उल्लेख करना चाहता हूँ, वह है निम्न स्तर पर शिक्षा, जो अधिक महत्वपूर्ण है। मैं यहां पर एक उदाहरण देना चाहता हूँ। महोदय, मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र में घूम रहा था और मैं वहां पर कुछ लोगों से मिला था। उनमें से कुछ सड़क से चिथड़े चुनने वाले थे। वे प्रतिदिन लगभग 9 या 10 रुपये कमाते हैं और मैं तीन बच्चों वाले एक परिवार से मिला और परिवार के मुखिया से पूछा कि चिथड़े बेचकर वह कितना कमा लेता है। उसने कहा कि प्रतिदिन 10 रुपये। फिर मैंने उससे पूछा, "खाते क्या हो ?" उसने कहा, "हम दाल और चावल खाते हैं।" मैंने उससे पूछा कि क्या वह मछली या 'मटन' खाता है। उसने कहा वह तो 20 रुपये किलो है और वह नहीं खा सकता है। परन्तु उसने कहा वह एक बार एक प्रकार से चावल के साथ मछली खा लेता है। फिर मैंने उससे प्रश्न पूछा कि क्या तुम अपने बच्चे को दूध पिलाते हो। उसने कहा,

[हिन्दी]

हां साहब मेरे बच्चों ने दूध जरूर पिया है, लेकिन मां का ही दूध पिया है।

[अनुवाद]

अतः महोदय, हमें इस सब पर चिन्ता होनी चाहिए और हमें उन गरीब लोगों का जीवन स्तर ऊँचा उठाना चाहिए। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है और मैं समझता हूँ कि शिक्षा इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। महोदय, मैं यह जानकर बहुत प्रसन्न हूँ कि शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रीय नीति विषयक यह पुस्तक में सब कुछ बता रही है और इसमें अनेक अच्छी चीजें हैं। मैं महसूस करता हूँ कि यह एक मूल्यवान पुस्तक है और इसका किसी भी पक्ष से किसी भी प्रकार का विरोध नहीं होना चाहिए क्योंकि उनके अपने बच्चों को भी इससे लाभ होगा।

[हिन्दी]

श्री केयूर भूषण (रायपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस राष्ट्र की शिक्षा नीति का प्रारूप जो यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है इसका अध्ययन करने के बाद मन में वह सब भावनायें उत्पन्न हुई जो हम अपने देश के विकास के लिए जरूरी समझते हैं। मैं आपके सामने यही निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारी शिक्षा नीति ही एक ऐसा आधार है जिस पर हम आज जो कुछ देश में देख रहे हैं, बिखराव, अलगाव या ऊँच नीच की भावना, वर्गवाद की भावना, इन सबसे ऊपर उठकर इस देश को एक राष्ट्र के रूप में हम जो देखना चाहते हैं उसका माध्यम सही रूप में अगर हम देखें तो वह शिक्षा की नीति ही हो सकती है। वह सब नीतियां हमने इस प्रारूप में देखी हैं। हरिजनों और आदिवासियों के बीच में, ऊपर के वर्ग के बीच में और ग्रामीण लोगों के बीच में किस ढंग से शिक्षा के माध्यम से उन्हें प्रभावित किया जा सकता है, ये सारी चीजें हमने इस प्रारूप में देखी हैं। साथ ही साथ जो हमने घोषणा की थी कि शिक्षा नीति के अन्दर हम परिवर्तन करेंगे वह परिवर्तन हमें इस प्रारूप के अन्दर दिखाई दे रहा है। यह बुनियादी परिवर्तन है। आज तक की चली आई हमारी शिक्षा में और अब जो हम आगे शिक्षा देने जा रहे हैं उसमें यह एक क्रान्तिकारी शिक्षा नीति के नाम से जानी जायगी और शिक्षा जगत के इतिहास में यह एक परिवर्तन का दिन ही नियत होगा।

इस सबके बावजूद भी मैं एक बात के लिए सशंकित हूँ। उस ओर मैं शिक्षा मन्त्री जी का

[श्री केयूर भूषण]

ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि इसे आप लागू किस तरह से करेंगे ? आपने इसमें सब कुछ किया । पूरे तरीके से हर चीज इसमें ला दी गई है । उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, ग्रामीणों को किस तरह से शिक्षित किया जायगा, बहनों की शिक्षा, इन सभी के ऊपर इसमें ध्यान है । नीचे के वर्ग के ऊपर भी पूरी तरह से ध्यान है । ये सारी चीजें एक फूल की तरह चुन-चुन कर इसमें ला दी गई हैं । लेकिन आप एक साथ किस पद्धति से इन सबको ले जा पायेंगे ? क्या आप सभी पद्धतियों को एक साथ ले जा पायेंगे ? एक साथ आप नहीं ले जा पायेंगे और जब तक पूरी शिक्षा पद्धति के लिए पूरी शिक्षा के लिए एक पद्धति आप लागू नहीं करेंगे तब तक इसमें सफलता शंकास्पद हो जायगी । मैंने इसे समझने का पूरा-पूरा प्रयास किया ।

इसीलिए मैं एक सुझाव भी देना चाहता हूँ और वह यह कि शिक्षा के साथ में स्वावलम्बन और रोजगार को जब तक आप नहीं जोड़ेंगे तब तक इस शिक्षा का कोई महत्व नहीं रह जायगा । शिक्षा की नीति को देश के निर्माण में एक भागीदार के रूप में जोड़िए । अभी की जो शिक्षा है उसके अन्दर पढ़ाई के समय तक पढ़ाई विद्यार्थी के जीवन का अंग रहती है । पढ़ने के बाद, शिक्षित होने के बाद वह इस समाज के अन्दर जुड़ नहीं पाता है । यह सबसे बड़ी कमजोरी इसकी है जो अभी तक चली आई है । क्या इसे लागू करते समय आप इस बात को ध्यान में रखेंगे कि वह समाज से दूर न हो जाय ? इसके लिए हम देखते हैं तो वह इस प्रारूप के अन्दर हमें दिखाई नहीं दे रहा है । आज कोई बच्चा अपने गांव के अन्दर एक किसान के परिवार से सम्बन्ध रखता है, किसान की हैसियत से जिन्दा रहता है, लेकिन पढ़ने के बाद चाहे वह शिक्षा की कोई भी डिग्री प्राप्त कर ले वह खेती से दूर हट जाता है । शिक्षा के क्षेत्र में हर वह बच्चा जो आगे बढ़ता है, शिक्षित होने के बाद उसका व्यवसाय से कोई सम्बन्ध नहीं रह जाता है ।

आज जो सबकी आवश्यकता है, उसके मुताबिक ही आप उसको निर्माण के रूप में ले जायेंगे । आपने उसे एक रूप में कहीं रखा है । क्या उस पद्धति को जो रोजगार से जुड़ी हुई है केवल कहीं प्रयोग के रूप में सामने लायेंगे । मेरा आपसे निवेदन है कि आप वैज्ञानिक शिक्षा जरूर दीजिए । केवल वहां पर खादी ग्रामोद्योग ही नहीं, खादी ग्रामोद्योग एक प्रतीक है कि हर एक आदमी के हाथ में काम हो । आप अपनी शिक्षा के अन्दर भी हर एक को काम के साथ-साथ बढ़ायें । जिस तरीके से मांग की गई है कि शिक्षा पद्धति को लागू करने में अधिक धन की आवश्यकता होगी । ठीक है, अधिक धन की आवश्यकता है । वे लोग इसको महसूस कर रहे हैं जिन्होंने इसके सम्बन्ध में ज्यादा अध्ययन किया है । वे आर्थिक दृष्टि कोण से भी सोचें । मेरा अपना विश्वास है कि आप बुनियादी शिक्षा के आधार से श्रम शिक्षा को आगे बढ़ाने में आपके धन की कमी उस शिक्षा पद्धति से पूरी होगी । आज महत्वाकांक्षी लोग जैसा कि अभी बताया गया है कि हम ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों को सीधे इन्जीनियरिंग या डाक्टर बनाना चाहते हैं, हम सीधे पिटर या टर्नर से आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं और जब तक श्रम को जोड़कर श्रमिक की हैसियत से आगे नहीं बढ़ेंगे तो हम उस स्थान को पा नहीं सकेंगे । आपको पूरी शिक्षा पद्धति को लागू करने के समय आपको बदलना पड़ेगा । जहां आप स्कूल चलायें, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि ग्रामीण अन्चलों में स्कूल रखिए, स्वावलम्बी बनाने के लिए सुविधा दीजिए । ग्रामीण अन्चल का स्कूल आपके विश्वविद्यालय से किसी तरह से कम नहीं होगा । आपने प्रयोग के रूप में देखा है । हमारे प्रधानमन्त्री जो उस अन्चल से निकले हैं । बस्तर के अन्दर ग्रामीण स्कूल गांधीजी के

आदर्शों के अनुकूल चल रहा है, जहां बच्चे अपना जीवन सीख रहे हैं। जहां प्रारम्भिक रूप में बच्चों की भर्ती होती है, दाखिले किए जाते हैं, उस दिन से ही वे कई पद्धतियों के साथ अपना शिक्षण शुरू करते हैं। घर में रहते हैं तो गाय चराते हैं और स्कूल में जाने के बाद गोपालक बनकर आते हैं। घर में कृषि का काम करते हैं और स्कूल में जाने के बाद कृषितज्ञ बन कर आते हैं। जो वनों में रहते हैं, वे कुशल बागवानी के तज्ञ बनकर आते हैं। उसकी विशेषता और उस कला को आगे बढ़ाने की कला को सीख कर आते हैं। हमारी जो परम्परायें हैं, उसमें नई टैक्नोलॉजी, जिसके द्वारा हम आगे बढ़ने जा रहे हैं, उन दोनों को साथ-साथ ले जायेंगे और उन्हें स्वावलम्बी बनाने की तरफ ले जायेंगे, तो उसके अन्दर हमारा विकास द्रुतगति से बढ़ेगा। वह हमारी शिक्षा के विकास के माध्यम के रूप में सामने आएगा। यह मुझे पूरा विश्वास है।

मैं एक ही बात को दोहराना चाहता हूं, हम तकनीकी ज्ञान के आधार पर आगे बढ़ने जा रहे हैं। यह जो हमारी बुनियादी विशेषता है, उसमें हमने नैतिक जागरण का शंखनाद किया है। उसको भी आपके साथ जोड़ना चाहते हैं। नैतिक जागरण का शंखनाद से अभिप्राय यह नहीं है कि कोई धार्मिक शिक्षा का प्रारूप उसके अन्दर ले जायें। मगर श्रम का आध्यात्म उसके अन्दर सम्मिलित किया जाए। इसको भी सामने लेकर चलें।

एक बात मैं और निवेदन करना चाहता हूं। आप उन लोगों को छूट न दें, जो अपने-अपने ढंग के अन्दर धर्म के रूप को बताने का प्रयत्न करते हैं। वहां पर धर्म का अलगाव करते हैं। हम धर्मनिरपेक्षता के नाम पर धर्म के सही रूप का जो विश्लेषण है, उस विश्लेषण के सही रूप को हम अपनी शिक्षा के अन्दर रखें। ताकि हमारे विद्यार्थियों को शुरू से यह महसूस हो कि हमारा राष्ट्र सब धर्मों की फुलवारी है। हम किसी भी धर्म को नष्ट नहीं होने देंगे। सभी धर्मों की रक्षा करने की भावना हमारी शिक्षा के साथ-साथ बढ़ेगी। जिस तरीके से हम विज्ञान में बढ़ रहे हैं, उसी तरह से आध्यात्मिक जगत में भी बढ़ें। जब विज्ञान और अध्यात्म का सम्मिश्रण हमारे यहां बढ़ेगा, तो हम बहुत आगे चले जायेंगे। इस प्रारूप के अन्दर हमने विज्ञान और अध्यात्म को पाया है। इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह प्रारूप जब लागू होगा, तो हर एक को रोजगार मिलेगा और इसी के आधार पर राष्ट्र को जोड़ने का अवसर मिलेगा।

इस आशा के साथ मैं इस प्रारूप का समर्थन करते हुए, आपको और इस प्रारूप के बनाने वालों को हृदय से बधाई और धन्यवाद देता हूं।

श्री रामेश्वर नीखरा (होशंगाबाद) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय प्रधानमन्त्री जी को और माननीय शिक्षा मन्त्री जी को बहुत बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का घोषणा पत्र संसद में पेश किया है और इसको बनाया है। मुझे वह दिन याद है जब हमारे प्रधानमन्त्री जी ने शपथ लेने के बाद टेलीविजन पर अपने इन्टरव्यू में कहा था कि हम शिक्षा में मूल परिवर्तन करेंगे उस समय विरोधी दल के नेता हर जगह यह बोलते रहे थे कि हर प्रधानमन्त्री ने शिक्षा में मूल परिवर्तन करने की बात तो कही, पर कोई भी नहीं कर पाया। प्रधानमन्त्री जी बधाई के पात्र हैं उनकी मूल चिन्ता के अनुरूप यह प्रारूप यहां पर पेश किया गया है और इस बात का संकल्प किया गया है कि 1990 तक प्राथमिक शिक्षा हम पूरे देश के अन्दर दे पायेंगे और 1995 तक मिडिल स्कूल की अनिवार्य शिक्षा का लक्ष्य हम पूरा कर लेंगे। मैं माननीय प्रधानमन्त्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि हो सकता है कि और जगह आप यह लक्ष्य प्राप्त

[श्री रामेश्वर नीखरा]

कर लें लेकिन मध्य प्रदेश बहुत गरीब है और आज वहां की स्थिति यह है कि 9 प्रतिशत हरिजन, 11 प्रतिशत आदिवासी, 12 प्रतिशत महिलायें कुल मिलाकर और 27, 28 प्रतिशत लोग ही पूरे देश के अन्दर शिक्षित हैं। ऐसी स्थिति में अगर वे अपना लक्ष्य 1990 तक और 1995 तक पूरा करना चाहते हैं, तो ऐसे प्रान्तों के लिए जो गरीब हैं, जो पिछड़े हैं और जो आज तक लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, उनको अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए अलग से राशि की व्यवस्था करनी होगी। मैं माननीय प्रधानमन्त्री जी को बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूँ, जिन्होंने इस प्रारूप में, नेशनल सिस्टम आफ एजूकेशन की कल्पना की है।

मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि वर्तमान में जो हमारा सिलेक्स है, उसके राजकीय स्तर पर बनने की बात है मगर वह राजकीय स्तर पर न बनकर हर स्कूल के स्तर पर बनता है कई बार जिला के स्तर पर बनता है और कई बार संभाग के स्तर पर बनता है शिक्षा के अन्दर ऐसा सिलेक्स नहीं है, जिसके अनुसार पूरे देश के अन्दर एक सी शिक्षा दी जाए। इन्होंने इस बात की कल्पना की और सही कल्पना की कि अगर देश में राष्ट्रीय एकता और अखण्डता की बात को पूरा करना चाहते हैं, तब इस तरह की शिक्षा दी जानी चाहिए। आज के बच्चे कल के नागरिक बनेंगे और वे पूरी तरह से राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत रहें और उनके दिल व दिमाग में यह बात रहे कि इस देश के अन्दर पहले क्या था आज देश में क्या-क्या तरक्की हो रही है। इस देश के बच्चों को पूरी तरह से इस बात को समझ लेना चाहिए कि उनकी बुजुर्ग पीढ़ी ने किस ढंग से इस देश को आजाद कराया और किस ढंग से कुर्बानियां दीं। इस देश को आजाद कराते समय उन्होंने कभी इस बात को नहीं सोचा कि उनके परिवार का क्या होगा, वे जेलों में रहेंगे, तो उनके बच्चे पढ़ पायेंगे या नहीं पढ़ पायेंगे, वे जेलों में रहेंगे तो उनके परिवार को खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा। राष्ट्रीयता को लेकर, राष्ट्रीय आन्दोलन को लेकर और इस देश की आजादी को लेकर जिन्होंने जेलों के अन्दर अपना सारा जीवन बिता दिया, वे चाहते हैं कि हमारे बच्चे इन तमाम बातों को सीखें और उसके लिए उन्होंने नेशनल सिस्टम आफ एजूकेशन की जो बात कही है, उसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। उन्होंने आज की शिक्षा प्रणाली को दोषपूर्ण समझा। हमने यूनियन जैक को तो 15 अगस्त 1947 को उतार कर फैंक दिया था पर अंग्रेजों द्वारा बनाई गई परीक्षा प्रणाली को आज भी हम अपने ऊपर ओढ़े हुए हैं। आज भी उस परीक्षा प्रणाली को चला रहे हैं, जिसको अंग्रेजों ने अपने देश के अन्दर फैंक दिया है, उसको समाप्त कर दिया है। इस परीक्षा प्रणाली में परिवर्तन करने की बात भी इस प्रारूप में दी गई है। इसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। वर्तमान परीक्षा प्रणाली में अगर हम देखें तो 32 प्रतिशत नम्बर जिस लड़के को मिलते हैं, तो उसको कह दिया जाता है कि अगले साल भी पूरी की पूरी बातें वही पढ़े और जिसको 33 प्रतिशत नम्बर मिल गये, वह 95 प्रतिशत नम्बर पाने वाले के साथ बैठकर आगामी परीक्षा में बैठ सकता है। वह आगे पढ़ाई को कर सकता है। आप इस परीक्षा प्रणाली को खत्म करके नयी परीक्षा प्रणाली को लायें इसके लिए आप बधाई के, धन्यवाद के पात्र हैं।

माननीय मन्त्री जी, हमारी साधारण शिक्षा में क्या कमियां हैं, शहरी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्रों में क्या कमियां हैं, हमारी परीक्षा प्रणाली में क्या कमियां हैं, उन कमियों को दूर करने के लिए न्यूनतम सहूलियतें दी जानी चाहिये। इनको आपने दिया भी है। इस प्रारूप के माध्यम से

आपने जो कल्पना की है कि पूरे देश के अन्दर कम से कम एक स्कूल के अन्दर दो कमरे हों, स्कूल के अन्दर ब्लैक बोर्ड हो। यह बहुत अच्छी बात है। आपने इसकी कल्पना भी की है कि स्कूलों में जो अव्यवस्था बनी है, कहीं बिल्डिंग नहीं है, बिल्डिंग है तो फर्नीचर नहीं है, फर्नीचर है तो ब्लैक बोर्ड नहीं है, आप इन तमाम बातों को दूर कीजिए।

शिक्षा मन्त्री जी ने इसका पूरा वायदा ब्लैक बोर्ड आप्रेशन के माध्यम से किया है। इसके लिए वे बहुत ही बधाई के पात्र हैं। मैं माननीय शिक्षा मन्त्री जी से एक ठोस बात कहना चाहता हूँ। जापान की एक जूता फैक्ट्री में हड़ताल हुई और उस हड़ताल के दौरान वह फैक्ट्री एक मिनट के लिए भी बन्द नहीं हुई। वह हड़ताल सफल हुई। हड़ताल के सफल होने पर लोगों ने जाकर देखा कि फैक्ट्री बराबर चलती रही और फैक्ट्री में जितने भी कारीगर थे वे एक पैर का जूता बनाते रहे थे और इस प्रकार उस हड़ताल को सफल कर रहे थे। इसी प्रकार से स्टेट के अन्दर जो शिक्षक कई वर्षों से एक पैर का जूता बना रहे हैं जिसकी वजह से हम जो अपेक्षा उनसे बच्चों के लिए कर पा रहे हैं, वह अपेक्षा वे पूरी नहीं कर पा रहे हैं। इसका मुख्य कारण जैसा कि डागा जी ने कहा था कि जो कुछ नहीं बन सका वह टीचर बन गया। उस टीचर को न्यूनतम सुविधायें भी हम नहीं दे पाये हैं। दिल्ली और बम्बई के जो टीचर हैं उनके लिए बड़ी-बड़ी व्यवस्थायें हैं।

जब भी कोई रिपोर्ट तैयार होती है, शिक्षा के अन्दर जब भी कोई व्यवस्था की जाती है, जब भी कोई परिवर्तन करते हैं तो उस समय क्या आपने इस बात को सोचा कि जो शिक्षक 25-30 साल से गांव के अन्दर पढ़ा रहा है, जो वह पढ़ाता है और जो आप क्रियान्वित करना चाहते हैं उसमें कितनी दूरी है जो आप चाहते हैं उसको वह क्रियान्वित नहीं कर रहा है। यह बात हम नहीं सोचते। इसका परिणाम यह सब निकलता है।

आज आपने एन०सी०आर०टी० बना रखी है। जिस पर रोज 9 लाख रुपये खर्च होते हैं। एन० सी० आर० टी० के माध्यम से बहुत बड़ी व्यवस्था आपने की है। कुछ क्षेत्रों में एन० सी० आर० टी० ने बहुत अच्छा काम किया है। पर एन० सी० आर० टी० ने जो पुस्तकें निकाली हैं उनमें से 95 परसेंट पुस्तकें अंग्रेजी भाषा में हैं जबकि देश के 95 प्रतिशत बच्चे अपनी मातृभाषा में ज्ञान प्राप्त करते हैं। उनका उन पुस्तकों से कोई सरोकार नहीं है। मैं मध्य-प्रदेश का एक छोटा-सा उदाहरण देता हूँ। एन०सी०आर०टी० ने हैण्डबुक फार साइन्स टीचर्स शीर्षक की दस हजार पुस्तकें यहां से भेजीं जो कि अंग्रेजी में थीं। वे पूरी पुस्तकें बेकार गयीं। उन पुस्तकों को न टीचर पढ़ पाया न कोई और पढ़ पाया। उन पुस्तकों को बच्चे तो क्या पढ़ पायेंगे। इससे क्या तो टीचर पढ़ायेगा क्या बच्चे पढ़ेंगे। आप जाकर मालूम कर लीजिए, करोड़ों रुपये की पुस्तकें अंग्रेजी भाषा में लिखी हुई एन०सी०आर०टी० में बेकार पड़ी हैं।

मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि एन०सी०आर०टी० के अन्दर जब भी किसी को लिया जाता है तो विश्वविद्यालय के शिक्षक को लिया जाता है, कभी ऊंची शिक्षा के शिक्षक को लिया जाता है। जबकि पूरे देश में 50 लाख टीचर हैं जिनमें से 40 लाख टीचर प्राइमरी पाठशालाओं के हैं। उनमें से बहुत कम से एन०सी०आर०टी० ने कभी-कबार कंसल्ट किया हो, उन्हें बुला कर पूछा हो। ये टीचर बच्चों की शिक्षा के विशेषज्ञ हैं। आप एन० सी० आर० टी० के माध्यम से स्कूलों के बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं तो आप इन स्कूलों के शिक्षकों को बुलवाइये। हालांकि वे

[श्री रामेश्वर नीखरा]

लोग दूर हैं, यहां के लोग अप्रोच कर लेते हैं, यहां के लोग बड़े बड़े अखबारों में लिख कर अपनी पहचान बना लेते हैं, वहां के लोग यह सब नहीं जानते और अपनी पहचान नहीं बना पाते । उन तक पहुँचने का आपका कर्त्तव्य है, आपका दायित्व है । मुझे विश्वास है कि अब आप निश्चित ही इस ओर ध्यान देंगे ।

माननीय शिक्षा मंत्री जी, माननीय प्रधान मंत्री जी भी यहां मौजूद हैं, उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि हमारा नेशनल वर्ड है, नेशनल फ्लेग है, नेशनल लेंगुएज की भी हम कल्पना करते हैं, सब कुछ नेशनल है, शिक्षा जो बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, शिक्षा के माध्यम से हम इक्कीसवीं सदी में जाने की कल्पना कर रहे हैं, हम देश को बनाने की कल्पना कर रहे हैं, सबको शिक्षित करने की कल्पना कर रहे हैं क्यों न एजूकेशन को नेशनल प्रोफेसन घोषित कर दें । उसके लिए कुछ ऐसी क्वालीफिकेशन बना दें कि जो सबसे ज्यादा पढ़े-लिखे, सबसे ज्यादा देशभक्त, सबसे ज्यादा डेमोक्रेटिक आदमी हैं वे ही इस नेशनल प्रोफेशन में जाएंगे और नेशनल प्रोफेशन का अपमान करना राष्ट्र का अपमान करना होगा । इसके माध्यम से आप देश में अच्छी बातों को ला सकते हैं ।

अन्त में मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि गांवों के अन्दर जो टीचर हैं, उनकी ओर ध्यान दें । आपने बीस सूत्रीय कार्यक्रम के माध्यम से जिनके पास मकान नहीं हैं उनको मकान देने की, पैसा देने की बात कही है, मैं सच कहना चाहता हूं कि 80 प्रतिशत ऐसे स्कूल शिक्षक हैं जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं हैं । वे कहां जाकर रहें, कैसे पढ़ाएं, इनके रहने के लिए मकान होना चाहिए । इसी तरह से उन शिक्षकों के बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो मैट्रिक में उनको ब्लाक स्कूल में, तहसील स्कूल में, कालेज में कैसे वे पढ़ा सकते हैं । अगर आप चाहते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वे ईमानदारी से गांवों के अन्दर पढ़ाएं तो आपको उनके बच्चों के लिये शिक्षा की व्यवस्था करनी होगी । आपको उनके बच्चों की कालेज में, अगर वे दिल्ली में पढ़ाना चाहते हैं तो दिल्ली में रहने की और उनकी शिक्षा की व्यवस्था करनी होगी, जो स्कूल में पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए भी उचित व्यवस्था करनी होगी । (**व्यवधान**)

अन्त में मैं कहना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी की जो कल्पना है, जिस ढंग से उसको साकार करने के लिए वे लगे हुए हैं, जिस ढंग से पिछड़े क्षेत्रों में जाकर, गरीबों के घरों के अन्दर जाकर देख रहे हैं, जिस तरह से देश की समस्याओं का अध्ययन कर रहे हैं, उससे मुझे पूरा विश्वास है कि निश्चित रूप से शिक्षा के बारे में सारी समस्याओं का अध्ययन करके आप ऐसे एटमासफियर का निर्माण करेंगे, जिसकी आपने कल्पना की है और हिन्दुस्तान का नौजवान जब इक्कीसवीं शताब्दी में जाए तो वह बड़ी शान से इस बात को कह सके कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे बड़े भाइयों ने इस देश के अन्दर ऐसी व्यवस्था की है जिससे हम अन्य देशों की तरह सारी सुविधाएं प्राप्त कर रहे हैं, उन सारी सुविधाओं को प्राप्त कर रहे हैं जिनके लिए पहले हमें विदेशों में भटकना पड़ता था ।

इन शब्दों के साथ मैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो प्रस्तुत की गई है, उसका समर्थन करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं ।

[अनुवाद]

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव (पार्वतीपुरम) : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि इस चर्चा के समय मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ, मुझे यह कहना चाहिये कि इस नीति रिपोर्ट की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसका ऊंचे स्तर पर आंकलन किया जाना है। सर्व प्रथम, यदि आप किसी नीति को सफल बनाना चाहते हैं, तो जन-साधारण तक आपको अपनी बात पहुँचाने में समर्थ होना चाहिये। मेरी समझ में नहीं आता है कि इस प्रकार की शब्दाडम्बरपूर्ण रिपोर्ट से वे साधारण आदमी को कैसे अपनी बात बतायेंगे या कैसे उनको इसका तात्पर्य समझायेंगे और फिर कैसे लागू करेंगे।

इस नीति रिपोर्ट के कुछ भाग पढ़ने में काफी रोचक लगते हैं। पैराग्राफ 1.11 निम्न प्रकार है जिसे मैं उद्धृत करता हूँ :

> "भारत का राजनीतिक और सामाजिक जीवन उस दौर से गुजर रहा है जो कि लम्बी अवधि से, स्थापित मूल्यों में ह्रास का खतरा पैदा करता है। धर्म निरपेक्षता, समाजवाद लोक-तन्त्र और व्यावसायिक नीतिशास्त्र के उद्देश्यों पर लगातार दबाव बढ़ रहा है।"

इसके अलावा मैं पृष्ठ 22 के पैराग्राफ 22.5 को उद्धृत करता हूँ :

> "सांस्कृतिक विविधता वाले समाज में, शिक्षा के माध्यम से जो मूल्य प्रतिपादित किये जाने हैं वे सबको अच्छे लगने वाले होने चाहिए तथा उनका लक्ष्य हमारे लोगों की एकता एवं अखण्डता होना चाहिए। इस प्रकार के मूल्यों पर आधारित शिक्षा को पुराणपन्थ, धार्मिक उन्माद, हिंसा, अन्धविश्वास और भाग्यवाद को समाप्त करने में सहायता करनी चाहिये।"

मैंने माननीय मानव संसाधन विकास मन्त्री के प्रति सदैव एक निश्चित श्रद्धा की भावना रखी है। हम प्रसन्न एवं आभारी हैं कि कम से कम इस नीति रिपोर्ट में, उन शब्दों को, जिनको हम भूल चुके थे और निश्चित शब्दावली जो कि अपनी पवित्रता खो चुकी थी, का उनके द्वारा प्रयोग किया गया है। यह सब कितना विश्वसनीय है, यह एक अलग प्रश्न है। एक-दो दिन पहले जिस प्रकार का विधेयक पारित किया गया था, उसे हमने देखा है और यहां पृष्ठ 22 के पैराग्राफ में यह उल्लिखित है कि "मूल्यों पर आधारित शिक्षा जो पुराणपन्थ एवं धार्मिक उन्माद के उन्मूलन में सहायता करेगी" महोदय, सर्वप्रथम, कोई भी सरकार, यदि किसी नीति, जिसका कि वह अनुसरण कर रही है, में सफल होना चाहती है, तो उसे इस नीति को कुछ विश्वसनीयता प्रदान करनी होगी। ऐसा केवल इस प्रकार के शब्दाडम्बरपूर्ण नीति निर्णयों से ही नहीं होगा बल्कि कुछ निश्चित कार्यों से इस बात को दिखाना है कि अमुक चीज की उन्हें आवश्यकता है एवं अमुक कार्य को वे करना पसन्द करेंगे। उसे व्यवहार में भी दर्शाना होगा।

महोदय, वर्ष 1976 में शिक्षा को समवर्ती सूची में लगाया गया था। लेकिन शिक्षा के लिए केन्द्र का योगदान क्या है ? प्रत्येक योजना परिव्यय में और प्रत्येक राज्य के बजट में शिक्षा के लिए 2 प्रतिशत आवंटन और यहां तक कि कभी-कभी वह एक प्रतिशत से भी कम होता है। अतः इसे समवर्ती सूची में लाने की क्या आवश्यकता थी ? जब केन्द्र कोई ठोस योगदान नहीं कर

[श्री किशोर चन्द्र एस० देव]

सकता, इस विषय के निश्चित क्षेत्र में जब तक नियन्त्रण नहीं रखा जा सकता, तब तक इसका कोई मतलब नहीं है। अन्यथा इतना अधिक समय बर्बाद करने और इस प्रकार के नीति निर्णयों को लेने के पीछे क्या उद्देश्य है ? सरकार को कुछ प्रयास करने चाहिए और इन प्रयासों का कुछ फल भी निकलना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ बातों पर प्रकाश डालना चाहूँगा, जोकि मेरे मतानुसार बहुत मौलिक एवं महत्वपूर्ण है। सम्पूर्ण शिक्षा नीति के प्रत्येक पहलू को यहां पर नहीं देखा जा सकता है माननीय मानव संसाधन विकास मन्त्री मेरे राज्य के हैं। और वह मुख्यमन्त्री भी रह चुके हैं। वह बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि प्राथमिक स्कूल और उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर पर, सम्पूर्ण जिम्मेदारी केवल राज्य सरकार की ही नहीं है बल्कि स्थानीय निकायों की भी होती है। महोदय कुछ मामलों में, यहां तक कि शिक्षा व्यवस्था में राज्य सरकार का भी नियन्त्रण नहीं होता है। अपने अनुभव से मैंने इसे प्राथमिक विद्यालय के स्तर एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के स्तर पर पाया है। आपने अनेक योजनाओं, जैसे आंगनवाड़ी विद्यालय, आदि का उल्लेख किया गया है। इनमें से ज्यादातर संस्थायें स्थानीय निकायों के नियन्त्रण के आधीन होती हैं। उनकी कार्यप्रणाली पूर्णतया भिन्न हैं। अतः इसके उत्तर के समय मैं मन्त्री जी के विचारों को जानना चाहूँगा। ऐसी स्थिति में शिक्षण को छोड़कर अध्यापकों का उपयोग अन्य समस्त उद्देश्यों के लिये किया जाता है। दुर्भाग्य से ये अध्यापक मतदान अभिकर्ता होते हैं और वे किसी भी विधायक या सांसद या स्थानीय समिति के अध्यक्ष के पीछे लगे रहते हैं और इस स्तर पर शिक्षा में गिरावट के अनेक मुख्य कारणों में यह भी एक है। अतः स्कूल छोड़ने के कारणों में यह भी एक है। कभी कभी दो समूह होते हैं। अध्यापक भी इसमें एक पार्टी बन जाते हैं और कुछ लोग अपने बच्चों को वापस बुला लेते हैं।

मैं समझता हूँ कि स्थानीय निकायों के हाथों शिक्षा को बहुत हानि उठानी पड़ी है।

भिन्न-भिन्न राज्यों के कार्यकरण भी भिन्न हैं। यही कारण है कि ऐसा हो रहा है। मेरा ख्याल है कि प्रो० रंगा भी यह जानते हैं। मुझे मालूम है कि यह राज्यों के क्षेत्राधिकार में है। किन्तु मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि क्या वे इस मामले पर राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श करेंगे। यदि उन्होंने ऐसा किया है, तो उस पर राज्यों की क्या प्रतिक्रिया रही है ? कृपया वे कम से कम हमें यह तो बताएं कि इसके बारे में उनकी क्या राय है क्योंकि मुझे इसके बारे में सख्त आपत्ति है।

4.43 म० प०

[श्री जैनुल बशर पीठासीन हुए]

सबसे पहले जब तक इन अध्यापक और विद्यालयों को इन बेईमान लोगों के चंगुल से मुक्त नहीं कराया जाता, तब तक उस स्तर पर शिक्षा का कोई अर्थ नहीं है।

दूसरी बात यह है कि आपने इन केन्द्रीय विद्यालयों, मॉडल विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों की स्थापना के बारे में जिक्र किया था। इन विद्यालयों में शिक्षण का माध्यम क्या रहेगा ? हमारे देश में भिन्न-भिन्न क्षेत्र हैं। ये क्षेत्र अपने आप में काफी बड़े हैं यहां तक कि उनका

वास्तविक अस्तित्व भी काफी प्रभावशाली है । अतः यहां के निवासी क्षेत्रीय भावना से ओत-प्रोत हैं । कम से कम उच्च प्राथमिक स्तर तक शिक्षण का माध्यम प्रादेशिक भाषा ही रहनी चाहिए । इतिहास के अतिरिक्त उनके क्षेत्रीय इतिहास के बारे में और स्थानीय इतिहास के बारे में बताया जाना चाहिए । उन्हें देश के अन्य राज्यों के इतिहास और पृष्ठभूमि के बारे में ही नहीं वरन् अपने इतिहास के बारे में भी जानना चाहिए उन्हें अपनी सांस्कृतिक विरासत पर गर्व होना चाहिए, इत्यादि ।

तो, महोदय यह बहुत जरूरी है कि छात्रों को उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि में गहरी अन्तर्दृष्टि प्रदान की जानी चाहिए ताकि वे गर्व महसूस कर सकें और भारतीय समाज में सम्बद्ध महसूस कर सकें । महोदय ऐसा नहीं है कि हम यही बात करते रहें कि जब फलां-फलां ने कुछ बहादुरी का काम किया था, तो देश के अन्य भाग में यह हो रहा था इत्यादि, बल्कि इसे बिल्कुल जड़ से शुरू होना चाहिए । अतः मैं यह चाहता हूँ कि मन्त्री महोदय यह स्पष्ट करें कि क्या इन नवोदय विद्यालयों में शिक्षण का माध्यम हिन्दी रहेगा या क्षेत्रीय भाषा ।

जहां तक मॉडल विद्यालयों का सम्बन्ध है मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ । वर्तमान विद्यालयों में से कुछ विद्यालयों का चयन कर उन्हें ही मॉडल विद्यालयों के रूप में माना जा सकता है । बुनियादी सुविधाओं की नए सिरे से व्यवस्था करने में आपको धन नष्ट नहीं करना पड़ेगा मैं व्यक्तिगत तौर पर यह महसूस करता हूँ कि केवल जिला मुख्यालयों में विद्यालयों की स्थापना करना औचित्यपूर्ण नहीं है क्योंकि अधिकांशतः जिलों के अन्य कामों की अपेक्षा जिला मुख्यालय अधिक विकसित हैं ।

मैं फिर यह महसूस करता हूँ कि जिला मुख्यालयों के स्तर पर विशिष्ट वर्गवाद की किस्म का रुख अपनाने से लक्ष्य पूरा नहीं हो पाएगा । यदि आप चाहते हैं कि इस योजना में कुछ सार्थकता रहे तो आपको प्रत्येक जिले के पिछड़े क्षेत्रों का चयन करना होगा और ऐसे विद्यालयों की स्थापना पिछड़े क्षेत्रों में करनी होगी । यदि वहां पहले से ही कोई अनुचित इमारत या विद्यालय हों तो उसमें विस्तार कर या उसका विकास कर इस प्रयोजन से उसका उपयोग किया जा सकता है ।

मानव संसाधन विकास और गृह मंत्री श्री पी० वी० नरसिंह राव : मैं आपके पास आने वाला हूँ ।

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव : अवश्य महोदय, हम निश्चित रूप से ऐसी इमारतों का पता लगायेंगे । हम ऐसा अवश्य करेंगे ।

अतः मैं समझता हूँ कि पिछड़े क्षेत्रों और स्थानीय क्षेत्रों की ओर एक विशेष प्रकार का ध्यान दिया जाना चाहिए ।

अतः मेरा ख्याल है कि जहां कहीं विभिन्न जिलों या राज्यों में ऐसे क्षेत्र विद्यमान हैं वहां यह सुनिश्चित करने के लिये प्राथमिकता दी जानी चाहिये कि इन जनजातीय क्षेत्रों या पिछड़े क्षेत्रों में यह सुविधा उपलब्ध कराई जा सके । इसके अलावा पृष्ठ 26 में अध्यापकों के बारे में काफी विस्तार से कहा गया है । दुर्भाग्यवश अध्यापक वर्ग ऐसा वर्ग है जिसके प्रति किसी को ईर्ष्या नहीं है, हालांकि यही वह शक्ति है जो हमारे देश के भविष्य अर्थात भावी

[श्री किशोर चन्द्र एस० देव]

नागरिकों को आदर्श सांचे में ढालता है और इनके द्वारा ऐसा ही लगातार किया जा रहा है। दुर्भाग्यवश अध्यापकों में खासतौर से नीचे की कक्षाओं के अध्यापकों में प्रतिबद्धता की कमी है। आजकल शिक्षण-व्यवसाय के प्रति ज्यादा झुकाव की प्रवृत्ति नहीं है, विशेष तौर से जहां पिछड़े क्षेत्र हैं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्र हैं तथा जनजातीय क्षेत्र हैं वहां ये अध्यापक जाना नहीं चाहते हैं। वे इसे सजा के तौर पर समझते हैं। जब उन्हें वहां तैनात किया जाता है तो वे वहां कार्यभार सम्हालने से पहले वे इस तैनाती को रद्द करवाने के लिए अनेक लोगों से भेंट करते हैं। अतः उन्हें प्रोत्साहन और बेहतर सुविधाएं दी जानी चाहिए तथा इन पिछड़े क्षेत्रों, जनजातीय क्षेत्रों और अनुसूचित जाति वाले क्षेत्रों में अच्छे अध्यापक भेजे जाने चाहिए ताकि वे शिक्षा के क्षेत्र में जो भी योगदान कर सकें, करें।

महोदय, आपने पृष्ठ 23 के पैरा 8:13 में यह उल्लेख किया है कि:—

"इस प्रचार माध्यम का बच्चों और बड़ों दोनों की ही मनः स्थिति पर काफी गहन प्रभाव है, उनमें से कुछ ने उपभोक्तावाद और हिंसा आदि को प्रोत्साहन दिया है और इस प्रकार इसका घातक प्रभाव पड़ा है। रेडियो और टेलीविजन के ऐसे कार्यक्रम जो समुचित शिक्षण लक्ष्यों के नितांत विरुद्ध हैं उन्हें रोका जायेगा।"

मैं इस पैरा के निहितार्थ से पूरी तरह सहमत हूँ। किन्तु इसे रोकने के लिए आप क्या करेंगे? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कि आज प्रचार-माध्यम, विशेष तौर से टेलीविजन, अत्यधिक शक्तिशाली साधन है। उपभोक्तावाद खासतौर से ग्रामीण वर्ग में इसके प्रति निश्चित रूप से रुझान बढ़ रहा है। जैसा कि आपने ठीक ही कहा है कि इसी के कारण हिंसा की प्रवृत्ति भी बढ़ रही है। आजकल भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। बिलासिता, अपनी क्षमता से उच्चतर साधनों की आकांक्षा बढ़ रही है ऐसा उसी कारण से हो रहा है जिसका आपने उल्लेख किया है। यह ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में आपको सूचना और प्रसारण मन्त्रालय से चर्चा करनी होगी। मुझे नहीं मालूम कि उसके बारे में उनकी क्या नीति है और उसके बारे में उन्होंने क्या सोचा है। यह प्रचार माध्यम है जो खतरनाक होता जा रहा है, खासतौर से बढ़ते बच्चों के लिए उसे ऐसा न बनने देने के लिए मन्त्रालय ने जो उपाय किए हैं और इस मन्त्रालय को जो प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई हैं उसके बारे में हम जानना चाहते हैं।

भाषा नीति के बारे में काफी विस्तार से बताया गया है। यह विषय अत्यन्त विवादास्पद है। मैं इस समय इस बारे में विस्तारपूर्वक कुछ नहीं कहना चाहता हूं। मैं महसूस करता हूँ कि भाषा के अतिरिक्त ऐसे अनेक मुद्दे हैं। जिन पर विचार करना ज्यादा जरूरी है। किन्तु मैं चाहता हूँ कि छात्रों पर हिन्दी थोपी न जाए। जैसा कि आपको इस तथ्य की जानकारी है कि आन्ध्र और यहां तक तमिलनाडु—वह राज्य जो हिन्दी का जोरदार विरोधी था के छात्र आज हिन्दी सीख रहे हैं। हममें से अनेक हिन्दी समझते और बोलते हैं-यद्यपि धारा प्रवाह नहीं। महोदय, आवश्यकतावश छात्र निश्चय ही हिन्दी सीख रहे हैं। यह फार्मूला सभी राज्यों में है। मैं नहीं समझता कि इसका बार-बार राग अलापने की आवश्यकता है।

परन्तु मैं एक बात का उल्लेख करना चाहूंगा। दुर्भाग्यवश इस सभा के अनेक सदस्यों ने

कहा है कि अंग्रेजी एक विदेशी भाषा है। अंग्रेजी का प्रमुखतः विरोध इसलिए है कि अंग्रेजी एक विदेशी भाषा है। अब महोदय, अंग्रेजी वह भाषा है जो हमारे देश के आंग्ल-भारतीय लोगों द्वारा बोली जाती है। आपने उन्हें सभा में सदस्यता दी है। आपने उन्हें यहां इसलिए नामनिर्देशित किया है क्योंकि आप उन्हें भारतीय मानते हैं। बात यह है। आप अंग्रेजी को विदेशी भाषा के रूप में कैसे प्रयुक्त कर सकते हैं ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : आपने इसका काफी भारतीयकरण कर दिया है।

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव : इसमें अनुचित क्या है ? उर्दू और हिन्दी भी बाहर से आई हैं। केवल आन्तरिक भाषाएं ही द्रविड़ भाषाएं हैं। अतः मैं नहीं समझता कि उसके लिए हमें इतना शोर मचाना चाहिए और अंग्रेजी का प्रयोग करके हम कुछ गंदा नहीं देंगे। मैं केवल यह अनुरोध करता हूँ कि उत्तर के दौरान आप मेरे द्वारा विशेष रूप से उठाए गए पहलुओं पर अपने विचार व्यक्त करें।

[हिन्दी]

शिक्षा और संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : सभापति महोदय, आज सारे संसार की दृष्टि, इस सदन में जिस विषय पर चर्चा हो रही है, उसकी तरफ लगी हुई है। भारतवर्ष संसार का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और लोग सोच रहे होंगे कि उसने ऐसी कौन सी नई शिक्षा नीति तैयार की है और उसको कैसे कार्यान्वित किया जाएगा, जिससे कि यह देश, जो साक्षरता के मामले में काफी नीचे रहा है, सारे संसार में ऊंचा उठकर सम्मानजनक स्थान प्राप्त कर सके।

मैं इस सदन के सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूँगी कि शिक्षा किसी एक राज्य का विषय नहीं है, बल्कि पूरे देश का है। इसलिए हमें इसे राष्ट्रीय दृष्टि से देखना चाहिए, वही हमारे लिए उचित होगा। हम लोग यहां देश के हर कोने से, हर भाषा के, हर क्षेत्र और हर जिले से आते हैं। अगर हम यही दृष्टिकोण सामने रखकर चलेंगे कि कैसे हम अच्छी से अच्छी नीति बनाकर, शीघ्र से शीघ्र और समय के अन्दर कार्यान्वित करें तो वह हम सबके हित में होगा। हम सबकी इच्छा है कि देश तमाम पिछड़े क्षेत्र जिनके यहां साधनों की कमी है, उन सबको एक समान स्तर पर लाकर, शिक्षा का प्रसार और प्रचार करें ताकि शिक्षा का प्रकाश उनके अंधकार को दूर कर सके, रूढ़िवादिता को दूर कर सके। हमारे बीच में जो गड़बड़ियां फैली हुई हैं, हम एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं, उस पर्दे को हटाकर, भारत के सभी नागरिकों को एक सूत्र में पिरोकर और एक दूसरे को समझते हुए, आगे बढ़ें।

मेरा ख्याल है कि जब प्रधानमंत्री जी ने इस मंत्रालय का नाम बदल कर ह्यूमन रिसोर्स डैवलपमैंट रखा, हो सकता है कि उनके मन में यह बात आई हो कि इसका क्या अर्थ है। हम चाहे गरीब हों या अमीर हों, बल्कि मेरा विश्वास है कि गरीब आदमी में अपने हुनर को बढ़ाने की ज्यादा शक्ति विद्यमान है, उसे अवसर नहीं मिलता और इसीलिए वह वंचित रह जाता है, हम चाहते हैं कि सभी को अपना हुनर, उनके अन्दर की शक्ति, साहस, क्षमता या कार्य-दक्षता बढ़ाने के अवसर समान रूप से प्रदान किए जाएं। उसमें किसी तरह की देर न हो तो हर इन्सान

[श्रीमती सुशीला रोहतगी]

के अन्दर एक नया दीप जल सकेगा, नये, साहस और स्फूर्ति के साथ, एक नई दिशा की ओर वह अग्रसर हो सकेगा। केवल शिक्षा ही उसके लिए सेतु का काम कर सकती है।

हमारी सभ्यता संसार भर में सबसे पुरानी है। बहुत से लोग आये, गए, बने, बिगड़े, बहुत से नक्शे बदले, परन्तु हमारी 5 हजार वर्ष पुरानी सभ्यता पर कोई आंच नहीं आई, हम अपनी जगह पर हैं। भारतीय संस्कृति की यह विशेषता है कि आपस में भिन्नता होते हुए भी, हममें एकता है और यही वह शक्ति है जिसके कारण हम बराबर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। हम पर कई आक्रमण भी हुए, यहां आक्रमण का मतलब शारीरिक आक्रमण नहीं है, बल्कि हमारी भारतीय संस्कृति पर हुए प्रहार से है, क्यों कि आक्रमण भी कई तरह के होते हैं, और उससे हमारी संस्कृति धूमिल होती जा रही थी। आज हमें उन सारी चीजों को, उन सारे मूल्यों को, सोने की तरह परख कर, पुरानी चीजों को चमका कर, सामने लाकर, विज्ञान और टैक्नोलौजी से जोड़ कर, अच्छे समान अवसर पैदा करने हैं ताकि हमारे गांवों के, शहरों के, देश के कोने-कोने के, सुदूर क्षेत्रों के लोग पूरा-पूरा लाभ उठा सकें। यदि हमारे शरीर का कोई अंग पीड़ित हो जाता है या रोगी हो जाता है तो उससे पूरा शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता। इसलिए हमें देश के सभी हिस्सों को समान दृष्टि से देखना चाहिए, सभी इलाकों की ओर समान दृष्टि से देखना चाहिए। यदि किसी कारण से कहीं कोई कमी है तो व्यापक दृष्टिकोण से देखते हुए, शिक्षा के माध्यम से, उस कमी को दूर करना है जिसका आज हमें एक अवसर मिला है।

मान्यवर, अपना पदभार ग्रहण करने के बाद, जब प्रधानमंत्री महोदय ने पहली घोषणा की थी, उसमें उन्होंने लोगों का आह्वान किया था कि हम पूरे देश के लिए एक नई शिक्षा नीति बनाना चाहते हैं।

ये नई शिक्षा नीति जो हम लोग बनाना चाहते हैं वह समान हो, जो समान अवसर दे सके, जो ऐसा मौका दे सके जिससे जो चीज है वह अन्दर ला सके, खिल सके और निखरकर वह अपनी प्रतिभा से चारों तरफ एक तरह का प्रकाश फैला सकें।

आज आवश्यकता क्या है, मैं कानपुर से आती हूँ, उत्तरप्रदेश से आती हूँ हमारी और भी जगह ऐसी हैं और आप सब लोग जानते हैं जो कि अच्छे से अच्छे और बड़े से बड़े विकास वाले क्षेत्र कहलाए जाते हैं, उनके अन्दर भी जगह-जगह ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां बहुत गरीबी और बहुत बड़ी अज्ञानता होती है, ये सभी चीजें मौजूद रहती हैं। कानपुर से होने के नाते मैंने वहां का चप्पा-चप्पा देखा है और मैं यह कहना चाहूंगी कि वहां एक तरफ तो गगनचुंबी अट्टालिकाएं हैं, तो वहीं उन्हीं ऊंची-ऊंची अट्टालिकाओं के नीचे झुग्गी-झोंपड़ी वाले हैं। वहीं पर बच्चे पैदा होते हैं। बच्चे देखते रह जाते हैं। उस बेचारे को कुछ नहीं मिलता है। एक छोटी सी बच्ची देखती रह जाती है। जेठ की धूप में उसके ऊपर क्या बीतती है, वह कोठरी में कैसे रहती है, सारी चीजें उसके समक्ष हैं, उसके दिल की आह रह जाती है। अगर वही अवसर उसको मिले, तो वह भी कुछ कर सकती है। मैं तो कहूँगी कि बच्चे को नहीं, पहले उसकी मां को अवसर मिले। जब बच्चा कोख में हो तभी अगर उसको विटामिन उसकी मां के माध्यम से मिल जाए तो बच्चा सारी जिन्दगी विकलांग होने से बचाया जा सकता है। मां को विटामिन ए देने से बच्चे की आंखों

की रोशनी बचाई जा सकती है। यह शिक्षा मां की कोख से तैयार होनी चाहिए। जब बच्चा पैदा होता है, तो वह इन चीजों से वंचित रह जाता है। वहीं से इनकी स्थापना हो जाए। बाद में जैसे-जैसे बच्चा बढ़े उसको मौका मिले और मौका मिलने के बाद वह स्कूल में प्रवेश करे, यह नहीं कि किताबों का भण्डार उसके सामने आ जाए। आजकल हम लोग देखते हैं जो बच्चे पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं उनके कंधे पर इतना भारी बोझ लदा हुआ है, वह बच्चा सात-आठ और दस साल का होता है और बोझ इतना कि उसको ले जाने में भी संकोच और उसको देखने में भी संकोच। वह बेचारा क्या पढ़ेगा ? उसकी आंखों में जो नटखटपन रहना चाहिए वह इस बोझ के कारण नहीं रह पाता है। क्या अधिकार है हम लोगों को कि उस बच्चे का जो समय खेलने का है, उसको उससे वंचित करके उसके ऊपर इतना भार डाल दें।

मेरा ख्याल है कि इस पर बहुत गहराई से हम लोगों ने विचार किया है और आप लोगों की राय भी हम जानना चाहेंगे ताकि बच्चे को उसके बचपन से वंचित न रख सकें। बाद में जब वह जैसे-जैसे बढ़ता जाता है, उसी हिसाब से उसको ज्ञान भी देना चाहिए साइन्स भी उसमें होनी चाहिए, मॉरेल वैल्यूज भी होने चाहिए। मॉरेल वैल्यूज की बात हमने अपनी नीति में कही है और आप लोगों के सहयोग से प्रयास कर रहे हैं कि जो भी चीजें कही हैं, उन्हें आप बताएं। जीवन में कभी ऐसा अवसर भी आता है जब मार्ग स्वयं ढूंढ़ना पड़ता है तब हमारे जो पुराने संस्कार हैं, वे ही काम आते हैं, जो आजकल धूमिल होते चले जा रहे हैं। तो हमें उन वैल्यूज को फिर से पनपाना है। उन वैल्यूज के अनुसार जो हमारे काम करने का ढंग है, जो हमारे देखने का ढंग है, उसको करना है। वह टोलरेशन एक दूसरे के अन्दर आवाज की, एक दूसरे के विचारों की कद्र हम कैसे एक दूसरे के साथ रहकर कर सकते हैं, और आपस में भाईचारे के साथ कैसे निभा सकते हैं, ये सब चीजें हमें देखनी और करनी हैं।

आज आप चारों तरफ देखिए, तो एक भय का वातावरण छाया हुआ है। एक बाइलेंस जगह-जगह दिखाई देती है। दीवारें ढह रही हैं आपस में, बीच में। इन सब चीजों को दूर करके, आदमी को इन्सान बना करके नये तकनीकी युग में प्रवेश करने के साथ ही साथ जो हमारे वैल्यूज हैं, हमारे संस्कार हैं उनका भी समावेश करके एक ऐसा बीच का रास्ता निकालना चाहते हैं जिसके माध्यम से हम लोग जैसे पांच हजार वर्ष से रह रहे हैं और आगे भी रहेंगे, उन चीजों को हम लोगों को ध्यान में रखना है।

मैं यही कहूंगी कि इसका बहुत बड़ा श्रेय हमारे टीचर्स के ऊपर जाता है और हमारे कई माननीय सदस्यों ने ठीक कहा कि अगर हमारे टीचर्स का दर्जा समाज में अच्छा नहीं है, हम कहीं-कहीं देखते हैं कि हमारे टीचर को बहुत कम मौके मिलते हैं, पढ़ाई तो दूर रही, उनको वेतन भी बहुत कम मिलता है यानी कि समाज में उनको जो रिकगनीशन और मान्यता मिलनी चाहिए वह नहीं मिलती है। इन सब चीजों पर बहुत गहराई से विचार किया गया है और इस नीति में उसके ऊपर लिखा भी गया है।

हम यह भी देखते हैं कि बहुत से हमारे ग्रामीण क्षेत्र ऐसे हैं जहां के बच्चे आठवीं क्लास तक भी नहीं पहुंच पाते हैं। ड्राप-आउट का रेट इतना ज्यादा है कि अगर 95 प्रतिशत बच्चों को एनरोल करते हैं, तो 70 प्रतिशत बच्चे उसमें से निकल जाते हैं, हम केवल 24 प्रतिशत को पढ़ा पाते हैं। इस नीति में यह चीज बिलकुल स्पष्ट है कि हम जिसका स्कूल में प्रवेश करेंगे उसको

[श्रीमती सुशीला रोहतगी]

देखेंगे कि वह स्कूल में रह सके और वह उस शिक्षा का पूरी तरह से और अच्छी तरह से लाभ उठा सके और उसमें कुछ आगे बढ़ने पर वोकेशन भी सीख सके। एक नई स्ट्रीम में चला जाए जिसमें जाकर के आत्म-सम्मान के साथ, आत्म-निर्भरता के साथ वह अपना जीवन बिता सके।

इसके अतिरिक्त जब ऊंची शिक्षा में लोग जाते हैं, आम तौर से, रूटीन की तरह से बगैर डिग्री प्राप्त करके, उसकी कोई मान्यता नहीं है,

5.00 म० प०

क्या कारण कि बगैर डिग्री प्राप्त किये कोई मान्यता नहीं है। लड़की को इसलिए डिग्री चाहिये कि उसकी शादी विवाह पर उसे अच्छा घर मिल जाये।

अब हमें सोचने का मौका है कि हमारे बच्चे जो डिग्री लेकर आते हैं, जगह-जगह दरवाजे ठोंकते-पीटते रहते हैं उस कागज को लेकर कि उनको नौकरी मिल जाये लेकिन उनको नौकरी मिलने में असमर्थ होना पड़ता है और बहुत सी जगह उन्हें बेकारी को ढूंढ़ना पड़ता है। इस अन-एम्पलायमैंट को हटाने के लिए, मन में सैटिस्फैक्शन लाने के लिए और डिग्री की क्या उपयोगिता है, इसी को सोचते हुए डि-लिंकिंग आफ डिग्रीज फ्राम जाब पर बहुत गंभीरता से विचार किया गया है और इन सब चीजों पर समय-समय पर गौर किया गया है और अब अच्छी तरह से बाकायदा इस नीति में इसका समावेश करके इसे रखा गया है कि डिग्रीज उन्हीं चीज के लिए जरूरी समझी जाये जब कि एक टैस्ट हो जाये जिसके लिए वह फिट होता है और उसके बाद जिस काम में, जाब में वह जाता है वहां उसकी जरूरत नहीं है। अगर डिग्री केवल डिग्री प्राप्त करने के लिये है तो उसकी यहां पर कोई जरूरत नहीं समझी जायेगी। इस पर बहुत गहराई से विचार हुआ है और डिलिंकिंग आफ डिग्रीज विद जाब्ज एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम रहेगा। मेरा ख्याल यह है कि यह साहसिक कदम भी है और इस पर बहुत अच्छी तरह से सोच-विचार किया गया है।

मैं यह भी कहना चाहूँगी कि बेकारी, बीमारी, अन्धकार, अज्ञानता, गरीबी सारी चीजें लिंक्ड हैं, अगर सारे देश का नक्शा हम देखते हैं तो उससे स्पष्ट हो जाता है कि कहां-कहां पर यह सब चीजें ज्यादा हैं। कई प्रदेश में जहां शिक्षा ज्यादा है, वहां हम देखते हैं कि लोग छोटे परिवार में विश्वास करते हैं।

अभी कल ही शिलांग में हमारा एक सैमिनार हुआ था—वीमैन एण्ड डैवलपमैंट, विकास में महिलाओं का योगदान। 50 प्रतिशत हमारी महिलाओं की आबादी है, उसमें बहुत सी ऐसी हैं जो शिक्षित नहीं हैं लेकिन अगर उनको हम पूरे मेन-स्ट्रीम में नहीं लाते तो पूरा योगदान कैसे करें ?

मैं अपने भाइयों से निवेदन करना चाहती हूं, बल्कि चेतावनी देती हूं कि कोई महिला नहीं चाहती है कि उसके बहुत से बच्चे हों। वह अपने को ठीक से रख सके, अपने स्वास्थ्य को देख सके, अपने जीवन की खुशी को रख सके यह वह चाहती है। यह वह नहीं चाहती कि अपनी उम्र से पहले वह बुढ़िया लगने लगे, घर में उसका पति आता है तो एक तनाव की पुनरावृत्ति हो।

इसलिए मैं अपने भाइयों से निवेदन करना चाहूंगी कि जो भी पढ़े-लिखे हैं, हरेक अपने क्षेत्र में, अपनी कांस्टीटुएन्सी में जाकर देखें कि शिक्षा के माध्यम से पापूलेशन कन्ट्रोल पर अधिक बल दिया जाये।

आपको आश्चर्य होगा, आज से 5, 7 साल पहले महिलाओं और पुरुषों का अनुपात 50, 50 का चलता था। आज नये उपाय आ गये हैं स्टर्लाइजेशन की टैक्नोलाजी में, उसमें पुरुष पीछे भाग गये हैं और महिलायें 80 प्रतिशत हैं जो अपने ऊपर आपरेशन का भार लेकर आपरेशन कराकर इसमें सहयोग कर रही हैं। इसलिए कि वह एक दिन सुबह जाती हैं और रात में लौटकर आती हैं और फिर दूसरे दिन खाना बनाती हैं और बच्चों को देखती हैं। मैं अपने भाइयों से कहूंगी कि कहां है वह पुरुषार्थ, कहां है वह चुनौती जिससे हमारी पौपूलेशन कन्ट्रोल नहीं होती। इस तरह से कितना भी देश का विकास हो जाये, वह चीज न्यूट्रलाइज हो जायेगी, उसका कोई लाभ हमारे पास नहीं आयेगा। हम जानते हैं कि कुछ लोग इसको मजाक के रूप में ले रहे हैं। यह मजाक नहीं है, वास्तविकता है। इस चुनौती को स्वीकार करके हमारे देश के शिक्षित नव-युवकों को इस पर विचार करना चाहिए।

श्री बाला साहेब विखे पाटिल : हम धर्म की बात कर रहे हैं।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : मैं धर्म को इसमें इंजैक्ट नहीं करना चाहती। मैं इस चीज को धर्म से बहुत पीछे रखना चाहती हूं। धर्म का विश्लेषण मैं ऐसे करना चाहूंगी कि मानव को मानव अपने को ऊंचे से ऊंचा ले जाये। इसमें कोई किसी प्रकार की दीवार नहीं है।

मेरा निवेदन है कि इस चीज पर आप अपने क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा ध्यान देंगे तो जितने हमारे प्रोग्राम बन रहे हैं, उसके माध्यम से शिक्षा होगी, उनकी अज्ञानता दूर होगी। स्वयं महिलायें चाहेंगी कि हम अपना जीवन ज्यादा खुशी रख सकें, अपने बच्चे का जीवन देख सकें और अपने पति के साथ सुखी जीवन व्यतीत कर सकें। यह वह चाहती है, इसमें पुरुषों का सहयोग चाहिए। इस पर आप अच्छी तरह से विचार करें।

कान्करेंट सबजेक्ट के बारे में हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि शिक्षा को कान्करेंट में क्यों लाया गया है। इतने दिनों से कान्करेंट में जरूर यह रहा है, पर इस पर ज्यादा कुछ करा नहीं गया। इससे हमारी पोलिटिकल-विल जाहिर हो रही है। हमने जो नीति बनायी है, उसको कार्यान्वित करना है। यह कोई कनफ्रन्टेशन से नहीं, कोई इम-पोजिशन से नहीं बल्कि सेंटर और स्टेट दोनों की राय लेकर इसको पूरा करना है। अगर हमारे में यह भावना नहीं होती तो क्यों हम दो एजुकेशन मिनिस्टरों की कांफ्रेंस पहले बुलाते, क्यों सी० ए० बी० ई० की कांफ्रेंस दो दिन बाकायदा होती, क्यों दो कमेटियां बैठायी जातीं, यह एन० डी० सी० की मीटिंग प्रधानमन्त्री क्यों करते? इसके साथ-साथ यह भी कहा गया है कि समय-समय पर देखा जाता रहेगा कि इसमें क्या कुछ किया जा सकता है? ऐसी कुछ कमेटियां भी बनायी जायेंगी जिसमें इन बातों को देखा जायेगा। यह सब चीजें मिलकर कार्यान्वित की जायेंगी।

हमारे कई भाइयों, बहनों ने नवोदय स्कूल के बारे में जिक्र किया। पता नहीं क्यों उनमें इस बारे में गलतफहमी पैदा होगई है। गीता जो जिनका काफी नाम है, काफी ज्ञान है और बोलने में भी तेजी है, उनमें भी इस सम्बन्ध में गलतफहमी पैदा होगई है। गरीबों और अमीरों

[श्रीमती सुशीला रोहतगी]

के जो होनहार बच्चे हैं आज उनको पूरा मौका है कि वह किसी प्रकार भी अच्छे स्कूल में पहुँच सकते हैं।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि जितने भी पब्लिक और प्राइवेट स्कूल हैं सबको समाप्त कर दें और एक नया अध्याय प्रारम्भ करें। क्या ऐसा करने से हम ज्यादा बच्चों की सेवा कर सकते हैं ? हमने शिक्षा का जो प्रारूप प्रस्तुत किया है इससे होनहार बच्चे को चुनकर जो कि अपने में एक विकसित क्षमता रखते हैं, उन सबके लिए इकट्ठा करके और ग्रामीण अन्चलों के अधिकांश विद्यार्थियों को अधिक से अधिक संख्या में लाकर शिक्षा प्रदान कराने का एक सुनहरा अवसर है।

मुझे विश्वास है कि यह जो शिक्षा नीति बनी है, यह काफी अच्छी साबित होगी। हमारे पास इस सम्बन्ध में करीब 10 हजार सुझाव आये थे और देश के कोने-कोने में नुक्कड़ से चौराहे तक और अनेक राज्यों व क्षेत्रीय जगहों में राष्ट्रीय स्तर की बैठकें हुईं। उनके विचारों को लेकर, उनसे लाभ उठाकर ही यह प्रारूप आप सबके समक्ष आया है। मुझे विश्वास है कि इसमें तमाम माननीय सदस्यों का सहयोग मिलेगा। भारतवर्ष जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इस सेंचुरी के अन्त तक यहां पर इतने ज्ञानी लोग आ जायेंगे कि उनकी गिनती दुनिया के देशों में होने लगेगी। वह बात ठीक साबित होगी। इस कारण फेस-वाइस वर्क करके और शिक्षा नीति को कार्यान्वित करके जगत को दिखा दें कि भारत में शक्ति और क्षमता है।

इसके साथ में मैं आपको धन्यवाद देती हूँ।

[अनुवाद]

*श्री वी० एस० विजय राघवन (पालघाट) : सभापति महोदय, मैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रारूप का समर्थन करता हूँ। मैं माननीय मंत्री श्री नरसिंह राव और सुशीला जी को बहुत बढ़िया प्रलेख तैयार करने पर बधाई भी देता हूँ। मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं है कि बहुत अनुभवी, दूरदर्शी और बुद्धिमान श्री नरसिंह राव की देख-रेख में नई शिक्षा प्रणाली को देश को 21वीं शदी में ले जाने वाला एक शक्तिशाली उपकरण बनाया जा सकेगा। मैं अपने प्रधान मंत्री को बधाई देता हूँ जो शिक्षा प्रणाली में मूलभूत परिवर्तन करने का महान कार्य कर रहे हैं और इस प्रकार देश में सामाजिक क्रांति ला रहे हैं।

महोदय, हम जिस शिक्षा प्रणाली का अनुपालन कर रहे हैं उससे सदैव विवाद ही उत्पन्न हुए हैं। हमारी शिक्षा नीति की व्यवहारिक उपयोगिता, उद्देश्य और उपलब्धि के बारे में मतभेद रहे हैं। लार्ड मैकाले ने ब्रिटिश सरकार के लिए क्लर्क तैयार करने के एकमात्र उद्देश्य से इस शिक्षा नीति को तैयार किया था और हमने बिना अधिक परिवर्तन के उसी नीति का अनुपालन किया। स्वतन्त्रता से पूर्व राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वयं स्पष्ट रूप से कहा था कि स्वतन्त्र भारत की शिक्षा नीति कैसी होनी चाहिए। इसे बेसिक शिक्षा कहा गया था, जो शिक्षा के व्यावसायिक पहलू पर बल देने की प्रणाली थी। राष्ट्रपिता का देश की आर्थिक, सामाजिक और

*मूलतः मलयालम में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

सांस्कृतिक समस्याओं के बारे में एक स्पष्ट दृष्टिकोण था। परन्तु हम उस नीति को क्रियान्वित नहीं कर सके। यह सच है कि हम बड़ी संख्या में इंजीनियर, डाक्टर और अन्य तकनीकी रूप से योग्यता प्राप्त व्यक्ति तैयार करने में सफल रहे। वास्तव में हम उन देशों में अग्रणी हैं जिनमें तकनीकी जन शक्ति का प्रतिशत बहुत बड़ा है। परन्तु दूसरी ओर बहुत बड़ी संख्या में हमारे इंजीनियर डाक्टर और कुशल तकनीशियन बेरोजगार हैं। इससे पता चलता है कि शिक्षा प्रणाली के साथ-साथ आर्थिक विकास की प्रक्रिया में कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है। यद्यपि हम राष्ट्रीय जीवन के अनेक अन्य क्षेत्रों में दूरगामी परिवर्तन करने में सफल हुए हैं, परन्तु हम शिक्षा प्रणाली में मूलभूत परिवर्तन करने में सफल नहीं हुए।

अनेक आयोगों की नियुक्ति की गई और प्रतिवेदन प्राप्त किए गए। परन्तु अनेक कारणों से शिक्षा के क्षेत्र में मूलभूत परिवर्तन लाना संभव नहीं हुआ। जैसे ही श्री राजीव गांधी सत्ता में आए, वैसे ही शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन लाने के प्रयास आरम्भ हो गए। प्रधान मंत्री इस बात से सन्तुष्ट थे कि समय की चुनौतियों का सामना करने में देश को सक्षम बनाने और देश में सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन की गति बढ़ाने के लिए एक नई शिक्षा नीति की आवश्यकता है। यही कारण है कि रिकार्ड समय में यह प्रलेख तैयार किया गया है।

1968 में तैयार की गई नीति में शिक्षा प्रणाली में मूलभूत परिवर्तन लाने की आवश्यकता पर बल दिया गया था। उस नीति में शिक्षा की गुणवत्ता पर जोर दिया गया था। इसके अतिरिक्त उस नीति का उद्देश्य राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना था। वर्तमान नीति-प्रलेख में 1968 की नीति की उपलब्धियों और असफलताओं का मूल्यांकन करने के प्रयास किए गए हैं। इस प्रलेख के अनुसार भारत का राजनीतिक और सामाजिक जीवन एक खतरनाक चरण से गुजर रहा है और अब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जो इस देश के उन मूल्यों को ध्वस्त कर देगी, जिनसे यह देश जुड़ा रहा है। यह भी कहा गया है कि धर्म निरपेक्षतावाद, समाजवाद और लोकतन्त्र पर बड़ा दबाव पड़ रहा है। यह भी स्वीकार किया गया है कि यद्यपि हमने कुछ प्रगति की है लेकिन फिर भी हम शिक्षा की गुणवत्ता अथवा इसकी व्यवहारिक उपयोगिता अथवा इसके प्रसार के सम्बन्ध में हम अधिक सुधार नहीं कर सके हैं। अतः प्रलेख में बताया गया है कि भारतीय शिक्षा एक दुविधापूर्ण स्थिति में है और समय की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसमें मूलभूत परिवर्तन किये जाने चाहिए।

सर्व प्रथम, यह आवश्यक है कि शिक्षा के लिए एक सामान्य ढांचा अपनाया जाए। सरकार कहती है कि 10+2+3 की प्रणाली को सभी राज्यों ने स्वीकार किया है लेकिन "शिक्षा की चुनौतियां नीति सम्बन्धी परिप्रेक्ष्य" नामक प्रलेख में यह भी स्वीकार किया गया है कि राजस्थान, मध्यप्रदेश, पंजाब आदि राज्यों ने इस प्रणाली को नहीं अपनाया है। इसी प्रकार हम पाठचर्या बनाने के सम्बन्ध में उचित ध्यान नहीं दे पाये हैं। इस असफलता के परिणामों को हम भुगत रहे हैं। चूंकि शिक्षा राज्य का विषय थी इसलिए इसको राजनैतिक दल अथवा दलों द्वारा, जो राज्यों में सत्ता में आते हैं, अपने संकीर्ण साम्प्रदायिक हित को पूरा करने के लिए हमेशा एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा है और इस प्रकार शिक्षा अपना राष्ट्रीय महत्व खो रही थी। इसी पृष्ठभूमि में शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया। नई शिक्षा नीति में एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचे की परिकल्पना की गई है। यह एक स्वागत योग्य प्रस्ताव

[श्री वी०एस० विजय राघवन]

है। इस ढांचे में एक ऐसी मूल बात है जिसमें भारत के स्वतन्त्रता संघर्ष, नागरिकों के संवैधानिक दायित्वों और अन्य ऐसे तत्वों को सम्मिलित किया गया है जिनसे विद्यार्थियों के मन में राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न होगी ? इसके साथ-साथ केन्द्र सरकार को पाठ्यक्रम के लचीले भाग को तैयार करते समय उचित नियन्त्रण रखना होगा, जिसे नीति के अनुसार पूर्णतः राज्य सरकारों द्वारा तैयार किया जायेगा। यदि किसी विशेष राज्य में, उदाहरण के तौर पर इतिहास की पुस्तक में किसी विशेष जाति अथवा समुदाय अथवा धार्मिक समूह का बढ़ा चढ़ाकर गुणगान किया गया है तो उस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार को अधिकार होगा कि वह ऐसे वर्णनों को निकाल दे। अन्यथा बेकार की पूर्वधारणायें बच्चों के मन में उपजती रहेंगी। ऐसा बहुत से राज्यों में हो रहा है इस सम्बन्ध में एक उदाहरण दूंगा कुछ वर्ष पहले मुझे बताया गया था कि दिल्ली में कुछ स्कूलों में पढ़ाई जा रही सामाजिक ज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में यह लिखा हुआ है कि उत्तर भारत के लोग आर्य हैं और दक्षिण भारत के लोग द्रविड़ हैं और इसीलिए उत्तर भारत के लोगों का गौरवर्ण है और दक्षिण भारत के लोगों का श्यामवर्ण। यह एक दम बेतुका है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि देश के विभिन्न भागों में बहुत से स्कूलों में जो पाठ्य पुस्तकें पढ़ाई जाती हैं उसमें इस प्रकार की ऐतिहासिक असंगतियां विद्यमान हैं। पाठ्य पुस्तकों में ऐसी बातें लिखा जाना अत्यन्त खतरनाक है, अतः मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों को तैयार करते समय अधिक ध्यान दे।

इसके बाद साक्षरता के प्रश्न की बारी आती है। भारत अनेक देशों में से एक ऐसा देश है, जहां सबसे अधिक निरक्षरता है। एक अनुमान के अनुसार 2000 ईसवी सन् तक निरक्षरता की संख्या 50 करोड़ से अधिक हो जायेगी। वास्तव में यह एक भयावह स्थिति है। मैं सरकार को स्मरण कराना चाहूंगा कि 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए हमें अपने दायित्वों को पूर्ण करना होगा। नई शिक्षा नीति में अनौपचारिक शिक्षा और प्रौढ़शिक्षा को अधिक महत्व दिया गया है। इसी प्रकार, सरकार ने यह भी कहा है कि स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की समस्या की ओर भी अधिक ध्यान दिया जाएगा। मैं इस घोषणा का स्वागत करता हूं कि वर्ष 1995 तक 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराई जायेगी। बहुत से उत्तरी राज्यों में यह समस्या विकराल रूप धारण किये हुए है। अतः सरकार द्वारा इन क्षेत्रों की ओर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए।

शिक्षा नीति में नवोदय स्कूलों के बारे में भी कहा गया है ताकि प्रतिभावान बच्चों को अच्छी कोटि की शिक्षा दी जा सके। यह एक नया कदम है और मैं इस कदम का स्वागत करता हूं। यह कदम देश के सभी स्कूलों में अच्छी कोटि की शिक्षा को सुनिश्चित करने की प्रक्रिया को आरम्भ का सूचक है। इस संदर्भ में मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि सभी जिलों में ऐसे स्कूलों की स्थापना की जाये।

नीति सम्बन्धी प्रलेख में कहा गया है कि सरकार उच्च शिक्षा पर उचित ध्यान देगी। देश में 150 विश्वविद्यालय और 5000 से अधिक कालेज हैं। अतः यह क्षेत्र अधिक महत्व रखता है। इस क्षेत्र द्वारा जिस बड़ी समस्या का सामना किया जा रहा है वह राजनैतिक अथवा

अन्य कारणों से अत्यधिक संख्या में शैक्षिक संस्थानों का खोला जाना है। ऐसे अनेक कालेज हैं जिनके पास योग्य और सक्षम अध्यापक अथवा पूर्ण रूप से सज्जित ग्रन्थालय अथवा प्रयोगशालाएं नहीं हैं। यही वे संस्थान हैं जो शिक्षा के स्तर को गिराते हैं। इस सत्य को स्वीकार करते हुए नीति सम्बन्धी प्रलेख में यह कहा गया है कि ऐसे संस्थानों की संख्या बढ़ाने की अपेक्षा वर्तमान शैक्षिक संस्थाओं में सुविधाओं में सुधार करने पर जोर दिया जायेगा। इसी प्रकार, नीति दस्तावेज में यह कहा गया है कि अधिक से अधिक स्वायत्तता प्राप्त सम्बद्धता सम्बन्धी कालेज खोले जायेंगे और वर्तमान प्रणाली के स्थान पर विश्वविद्यालय और कालेजों के बीच एक नये प्रकार का सम्बन्ध स्थापित किया जायेगा मैं इस निर्णय का स्वागत करता हूँ तथापि मैं इस सम्बन्ध में सचेत करना चाहूँगा। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि परीक्षा स्तर और ऐसे संस्थानों द्वारा दी गई शिक्षा का स्तर न गिरे। नीति सम्बन्धी प्रलेख में कहा गया है कि वर्तमान परीक्षा प्रणाली में परिवर्तन किया जायेगा और बच्चों के व्यक्तित्व का पूर्ण मूल्यांकन करने के लिए नई प्रणाली को लागू किया जायेगा। वर्तमान प्रणाली में कंठस्थ करने पर अधिक जोर दिया गया है। अतः यह प्रणाली उचित नहीं है। शिक्षा के इस महत्वपूर्ण पहलू के बारे में सरकार का मूल्यांकन-बिल्कुल स्पष्ट है। मैं चाहता हूँ कि सुधार को यथाशीघ्र लागू किया जाए।

यह सुझाव दिया गया है कि शिक्षा के सभी स्तरों पर राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य को बढ़ावा देने के लिए भारतीय शिक्षा सेवा का गठन किया जाए। यह स्वागत योग्य है। तथापि, दस्तावेज में इस सेवा के विभिन्न पहलुओं के बारे में विस्तृत रूप में नहीं बताया गया है। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री महोदय वाद-विवाद का उत्तर देते समय इस बारे में कहेंगे।

अन्त में, शैक्षणिक क्षेत्र द्वारा जिस अत्यन्त महत्वपूर्ण समस्या का सामना किया जा रहा है, यह संसाधनों की कमी है। 1968 की शिक्षा नीति में इस बात की कल्पना की गई थी कि चरणबद्ध तरीके से शिक्षा पर राष्ट्रीय आय का कम से कम 6 प्रतिशत खर्च किया जायेगा। लेकिन हम 3 प्रतिशत तक भी खर्च नहीं कर पाये हैं। वित्त की कमी के कारण हम शिक्षा के क्षेत्र में अधिक प्रगति नहीं कर सके। इस सम्बन्ध में मैं सभा को बताना चाहता हूँ कि केरल शिक्षा पर अपने बजट का 40 प्रतिशत खर्च कर रहा है।

सभापति महोदय : श्री विजय राघवन आप अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री वी० एस० विजय राघवन : महोदय, कृपया मुझे एक मिनट और दीजिए। मैं कहना चाहता हूँ कि शिक्षा के सम्बन्ध में केरल को एक आदर्श के रूप में मानना चाहिए और शिक्षा के लिए अधिक धन उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

महोदय, देश का भविष्य बच्चों पर निर्भर है। यदि आप भारत का भविष्य उज्जवल बनाना चाहते हैं तो बच्चे के व्यक्तित्व का चहुंमुखी विकास जरूरी है। सरकार ने शिक्षा के सम्बन्ध में नीति निर्धारित की है जिसका उद्देश्य बच्चे के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करना है। मैं एक बार फिर इस नीति का समर्थन करता हूँ और इन शब्दों के साथ अपना भाषण समाप्त करता हूँ।

प्रो० पी० जे० कुरियन (इडुक्की) : महोदय, माननीय मन्त्री महोदय ने संसद के समक्ष राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो प्रारूप प्रस्तुत किया है उसका मैं स्वागत करता हूँ। सबसे पहले मैं मन्त्री महोदय को बधाई देता हूँ कि उन्होंने शिक्षा के बारे में इतना व्यापक और विस्तृत नीति सम्बन्धी वक्तव्य प्रस्तुत किया है। यह सच है कि हमने 1968 में जो नीति सम्बन्धी वक्तव्य प्रस्तुत किया था उसी का विशद रूप है। वर्ष 1968 के नीति सम्बन्धी वक्तव्य में यह बताया गया था कि प्रत्येक पांच वर्ष में पुनरीक्षा की जाएगी किन्तु ऐसी पुनरीक्षा से कुछ खास मदद नहीं मिली थी। अब तो समग्र की पुनरीक्षा कर ली गई है तथा इस विषय के सभी पक्ष-विपक्ष पर विचार करने के बाद कमजोरियों का पता लगा लिया गया है और अंततः सरकार ने एक ऐसा दस्तावेज पेश किया है जिसके बारे में मेरा विश्वास है कि यदि उसका अक्षरशः कार्यान्वयन किया गया, तो हमें अपना सुविचारित लक्ष्य प्राप्त करने में काफी मदद मिलेगी।

मैं प्रधानमन्त्री को भी नई शिक्षा नीति के बारे में घोषणा करने और उसके बारे में पहल करने के लिए बधाई देता हूँ। इस समस्या की महत्वपूर्ण बात यह है कि जाति, पंथ, लिंग या धर्म पर ध्यान दिये बिना प्रत्येक को शिक्षा प्राप्त हो सके और मूलतः संसाधनों का होना अत्यन्त आवश्यक है। मेरा ख्याल है कि अनेक कारणों में से संसाधनों की कमी भी एक महत्वपूर्ण कारण है जिससे हम 1968 के संकल्प में निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए। किन्तु इसमें मुझे आशा की किरण दिखाई दे रही है। नीति सम्बन्धी इस वक्तव्य में सार्थक साझेदारी की बात की गई है। हमारी भूतपूर्व प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने 1976 में एक संवैधानिक संशोधन पेश किया था जिससे शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल कर लिया गया था। इसका अभिप्राय यह है कि यह केवल राज्यों का नहीं वरन् केन्द्र का भी दायित्व है। मेरी राय में केन्द्र अपेक्षित स्तर तक दायित्व नहीं निभा पा रहा है। किन्तु मुझे इस नीति-प्रारूप में प्रतिबद्धता दिखाई पड़ रही है। यह बताया गया है कि इस संशोधन के दूरगामी परिणाम निकलेंगे, यथा, मूल, वित्तीय और प्रशासनिक। इसके अतिरिक्त यह बताया गया है कि हालांकि शिक्षा के बारे में राज्यों की भूमिका और दायित्व मूलतः अपरिवर्तित रहेंगे फिर भी केन्द्रीय सरकार शिक्षा के राष्ट्रीय और एकात्मक स्वरूप को ठोस रूप देने के लिए वृहत्तर दायित्व स्वीकार करेगी। मैं इस कदम का स्वागत करता हूँ।

कुछ माननीय सदस्यों ने केन्द्र की भूमिका की आलोचना की है और कहा है कि शिक्षा को पूरी तरह से राज्य सूची में होना चाहिए तथा केन्द्र की इसमें कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए। मुझे इसमें आपत्ति है। केन्द्र का इसमें दखल होना चाहिए और वस्तुतः केन्द्र को चाहिए कि वह शिक्षा सम्बन्धी व्यय का वृहत्तर भाग वहन करे।

केरल एक ऐसा राज्य है जहां राजस्व का 40 प्रतिशत भाग शिक्षा पर खर्च होता है और हमने प्रारम्भिक शिक्षा की दृष्टि से अपना लक्ष्य लगभग पूरा कर लिया है। 5–11 वर्ष के आयु समूह के बच्चों में से तिरानवे प्रतिशत पढ़ रहे हैं और केरल में पढ़ाई बीच में छोड़ देने वालों की संख्या अन्य की तुलना में बहुत कम है। किन्तु हम शिक्षा के लिए केन्द्रीय सरकार से सहायता प्राप्त किए बिना ही अपनी आय का चालीस प्रतिशत उस पर खर्च कर रहे हैं। यदि हमें अपना लक्ष्य पूरा करना है, तो केन्द्रीय सरकार को चाहिए कि वह राज्यों को अधिक सहायता प्रदान करे।

महोदय मुझे यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि आजकल शिक्षा को जन-सामान्य के विभिन्न वर्गों महिलाओं, अनुसूचित जातियों, जनजातियों इत्यादि के जीवन में सुधार लाकर उन्हें समानता दिलाने के लिए साधन के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा. यहां सभी श्रेणियों का उल्लेख किया गया है। मुझे सिर्फ एक बात कहनी है कि जनजातियों और अनुसूचित जातियों के बारे में केन्द्रीय सरकार को प्रत्यक्षतः दायित्व निभाना चाहिए। केन्द्रीय सरकार को चाहिए कि केवल उन क्षेत्रों के विद्यालयों की देखभाल के लिए ही नहीं वरन् पढ़ाई बीच में ही छोड़ देने वालों को अनौपचारिक शिक्षा देने के लिए भी वह पूरा खर्च वहन करे। मैंने यह इसीलिए कहा है क्योंकि स्वाभाविक है कि जनजातीय क्षेत्रों तथा अनुसूचित जातियों में भी पढ़ाई पूरी किए बिना स्कूल छोड़ने वालों की संख्या ज्यादा होगी क्योंकि वे निम्न आय वर्ग से हैं और उनमे अन्य अनेक कमजोरियां हैं। इसीलिए केन्द्रीय सरकार को चाहिए कि जनजातियों और अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा के लिए तथा उनके पढ़ाई छोड़ देने वाले बच्चों के लिए शिक्षा का कुल व्यय वहन करे। तभी हम अपेक्षित लक्ष्य प्राप्त कर पायेंगे।

जहां तक अल्पसंख्यकों का सम्बन्ध है, नीति सम्बन्धी वक्तव्य में अल्पसंख्यकों को संरक्षण प्रदान करने के बारे में बताया गया है। मैं अल्पसंख्यकों को दिए गए संविधानक संरक्षण का स्वागत करता हूँ। जिसे कि इस दस्तावेज में दुहराया गया है। किन्तु मुझे एक बात कहनी है जो बहुत महत्वपूर्ण है। अल्पसंख्यकों के बहाने से होने वाली अनियमितताओं या भ्रष्टाचार को रोकने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। मुझे विश्वास है कि कुछ विद्यालयों और कुछ संस्थाओं में ऐसा हो रहा है। साथ ही अल्पसंख्यकों की विद्यालयों की स्थापना तथा उसके संचालन के लिए संरक्षण देते हुए अनियमितताओं को रोकने के लिए भी व्यवस्था की जाए।

आपने प्रौढ़ शिक्षा के पहलू पर प्रकाश डाला है। यह बहुत महत्वपूर्ण है हमारे कार्यक्रमों के असफल हो जाने का मुख्य कारण ही यही है कि हमारे प्रौढ़ नागरिक साक्षर नहीं हैं केवल साक्षरता के अभाव में परिवार नियोजन या छोटे परिवार के आदर्श अपने पर्यावरण के प्रति जागरूकता आदि हमारी जनता तक पहुँच नहीं पाती है और इस निरक्षता के कारण अपेक्षित परिणाम नहीं निकल पाते। मेरा सुझाव यह है कि आपने जिन बातों का उल्लेख किया है उन सभी उपायों के अतिरिक्त प्रत्येक महाविद्यालय और प्रत्येक विश्वविद्यालय को प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र के रूप में माना जाए। प्रत्येक महाविद्यालय अपने आस पास के अर्थात 5 कि०मी० के दायरे के भीतर के किसी गांव को अपना सकता है और उस महाविद्यालय के अध्यापकों और छात्रों को चाहिए कि वे छुट्टियों में कुछ समय या अन्यथा सप्ताह में कुछ समय तक चुनिंदा गांवों में जाएं और प्रौढ़ शिक्षा के प्रचार में सहायता दें। हमारे देश में 5000 महाविद्यालय हैं। इन सभी 5,000 महाविद्यालयों में आपको चाहिए कि प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम का विस्तार करें। बिना ज्यादा खर्च किए आप इस प्रकार काफी हद तक उपलब्धि प्राप्त कर सकेंगे।

प्राथमिक शिक्षा के बारे में आपने एक निश्चित लक्ष्य निर्धारित कर लिया है और आपके नीति सम्बन्धी दस्तावेज में कहा गया है: "यह सुनिश्चित किया जाएगा। कि सभी बच्चे....।"

सभापति महोदय : कृपया समाप्त करें।

प्रो० पी० जे० कुरियन : मुझे अब कितने मिनट और मिल सकते हैं ?

सभापति महोदय : हां, बस एक या दो मिनट ।

प्रो० पी० जे० कुरियन : तब मुझे कुछ मुद्दों को छोड़ देना होगा ।

महोदय, मैं आदर्श विद्यालयों के बारे में सरकार को सचेत करना चाहता हूँ क्योंकि हमारी शिक्षा प्रणाली ने पहले से ही नागरिकों के दो वर्ग तैयार कर दिए हैं । इस प्रकार के आदर्श विद्यालय इस दृष्टि से एक और वर्ग तैयार न करने पाएं । इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि इन विद्यालयों में कमजोर वर्गों,हरिजनों और अनुसूचित जातियों तथा आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के सदस्यों को दाखिला मिले । आरक्षण केवल अनुसूचित जातियों और जनजातियों तथा आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए नहीं होना चाहिए किन्तु क्षेत्रवार भी आरक्षण होना चाहिए । जहां तक संभव हो ये स्कूल गांवों में स्थापित किये जाने चाहिए न कि जिला मुख्यालयों या शहरी क्षेत्रों में ताकि वे समाज में नागरिकों की एक और श्रेणी बनाने में योगदान न करें । यदि ये सावधानियां रखी जाएं तो मैं समझता हूँ कि आदर्श विद्यालयों का विचार बहुत अच्छा है । मैं इसका स्वागत करता हूँ ।

जहां तक उच्च शिक्षा का सम्बन्ध है देश में 150 विश्वविद्यालय और 5000 महाविद्यालय विद्यमान हैं । मैं और महाविद्यालय खोलने की दलील नहीं देता लेकिन हमारे देश में अधिकतर महाविद्यालयों, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के महाविद्यालयों में आवश्यक साधन भी नहीं हैं । शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के महाविद्यालयों में कितना अन्तर है । शहर के कालेज साधनसम्पन्न हैं जबकि गांवों में जिनमें गरीब, पिछड़े हुए लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं, सुविधाएं बहुत कम हैं तो आपको चाहिए कि ग्रामीण कालेजों को अधिक धन उपलब्ध करा कर शहरी तथा ग्रामीण कालेजों के बीच के अन्तराल को दूर करें । हालांकि मैंने कहा है कि और कालेजों की आवश्यकता नहीं है लेकिन मेरा सुझाव है कि पिछड़े तथा आदिवासी क्षेत्रों में तथा जिन क्षेत्रों में अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं उनमें और कालेज खोले जाएं । उन कालेजों को केन्द्रीय मानदण्डों के अनुसार चलाए जाए तथा इनका खर्च भी केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन किया जाए ।

अध्यापक विद्यार्थी के सम्बन्ध में इसमें यह उल्लेख है कि अध्यापकों को पढ़ाना चाहिए और विद्यार्थियों को पढ़ना चाहिए और अध्यापकों को बेहतर सुविधाएं दी जायेंगी तथा उनका उत्तरदायित्व भी बहुत बढ़ जाएगा । लेकिन इस लक्ष्य की प्राप्ति कैसे होगी आपने इसका उल्लेख नहीं किया है ।

अध्यापकों के बारे में एक राष्ट्रीय आयोग बना था । इसका वर्णन नहीं है । इस आयोग ने अपनी सिफारिशें की थीं । उन्हें स्वीकार करके लागू किया जाना चाहिए ।

इस दस्तावेज में विद्यार्थियों को बेहतर सेवा देने तथा उनसे व्यवहार के स्वीकार्य मानदंडों की अपेक्षा का भी वर्णन है । विद्यार्थियों से व्यवहार के ऐसे मानदण्ड अपनाने की आशा कैसे की जा सकती है ? केरल में, कालिजों में होने वाले चुनावों की प्रणाली से वातावरण खराब हो रहा

5.31 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

है । जब कालिज खुलते हैं तो लगभग 2-3 महीने के लिए सभी विद्यार्थी चुनाव अभियान में व्यस्त हो जाते हैं और विद्यमान चुनाव प्रणाली के कारण बहुत अनुशासनहीनता आती है । मेरा

सुझाव है कि विद्यार्थियों के चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से कराये जाने के लिये कुछ किया जाना चाहिए। बेशक, उन्हें लोकतांत्रिक प्रक्रिया का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए लेकिन कालिजों के चुनाव, कालिज यूनियन तथा छात्र-संघ के चुनाव अप्रत्यक्ष होने चाहिए तभी कालिजों में अनुशासन बना रह सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : कालिजों के चुनाव हमारे चुनावों से भी शक्तिशाली होते हैं। वे प्रचार तथा पोस्टरों पर बहुत खर्च करते हैं।

प्रो० पी० जे० कुरियन : कालिजों में अनुशासनहीनता चुनावों से आती है।

प्रो० मधु दण्डवते : वहां पोस्टर तथा (इम्पोस्टर) ढोंगी दोनों होते हैं।

प्रो० पी० जे० कुरियन : छात्र कालिजों के चुनावों में हजारों रुपये खर्च करते हैं। यही भ्रष्टाचार की जड़ है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने तो यह सुना है कि छात्रों के चुने जाने के बाद वे उम्मीदवारों के दाखिले करवाते हैं जिससे उन्हें आय होती है और वे भ्रष्ट हो जाते हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : श्रीमान्, आप विशेषज्ञतापूर्ण सलाह मत दीजिए।

प्रो० पी० जे० कुरियन : अब मैं अध्यापकों के बारे में बोल रहा हूं। उनका पूर्ण उत्तरदायित्व होना चाहिए जो अब नहीं है। कोई नियन्त्रण तथा संवीक्षा नहीं है। कुछ अध्यापक विद्यार्थियों के चुनावों में राजनीति को प्रोत्साहन देते हैं। अतः यदि आप अनुशासन बनाये रखना चाहते हैं तो आपको यह सब समाप्त करवाना चाहिए।

जहां तक वैज्ञानिक शिक्षा का सम्बन्ध है, मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रौद्योगिकीय शिक्षा, विज्ञान शिक्षा, नवीनतम प्रौद्योगिकी सम्बन्धी शिक्षा या कम्प्यूटरीकरण के परिणामस्वरूप ऐसे छात्र नहीं बनने चाहिए जो अत्यधिक पश्चिम-प्रभावित हों। दुर्भाग्यवश मैं देखता हूं कि हमारे अधिकतर आयुर्विज्ञान-स्नातक, इंजीनियरी-स्नातक, तथा उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति भी पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित हैं, उन्हें अपने देश पर गर्व होना चाहिए। आधुनिकता का सम्बन्ध पश्चिम या पूर्व से नहीं है; इसका सम्बन्ध समय से भी नहीं है; इसका सम्बन्ध प्रवृत्ति और दृष्टिकोण से है। भारतीय आचार, भारतीय दर्शन तथा भारतीय विचार तथा कथित पश्चिमी विचारों से अधिक आधुनिक हैं।

छात्रों के लिए पाठ्यक्रम में ऐसा परिवर्तन किया जाना चाहिए ताकि हमारे विश्वविद्यालयों के छात्र भारतीय आचार-विचारों पर गर्व करें। चाहे वे कम्प्यूटर, औषधि आदि किसी भी विद्या के विशेषज्ञ हों लेकिन उन्हें अपने भारतीय होने पर गर्व करना चाहिए।

आपको प्राइमरी स्कूलों में शिक्षा के माध्यम के बारे में विचार करना चाहिए। क्या यह ठीक है कि प्राइमरी कक्षाओं में शिक्षा का माध्यम मातृ-भाषा के अलावा किसी अन्य भाषा में हो। मेरे विचार में यह बहुत खतरनाक है; इससे बच्चों की मानसिक योग्यता का विकास ठीक नहीं होगा।

[प्रो० पी० जे० कुरियन]

भाषा नीति के बारे में यह कहा गया है कि त्रिभाषा फार्मूला लागू किया जाएगा। लेकिन दुर्भाग्यवश यह लागू नहीं हो रहा है। त्रिभाषा फार्मूले का अर्थ है; हिन्दी, अंग्रेजी और एक और भाषा जो उत्तरी राज्यों में दक्षिण भारत की भाषा हो तथा दक्षिणी राज्यों में उत्तर भारत की भाषा होनी चाहिए। दक्षिणी राज्यों में हिन्दी पढ़ाई जा रही है, हालांकि अपेक्षित मात्रा में नहीं पढ़ाई जा रही है, लेकिन उत्तर के कई राज्यों में दक्षिण भारत की भाषा नहीं पढ़ाई जा रही है। इससे राष्ट्रीय अखंडता में कोई योगदान नहीं हो पाएगा। अतः मेरा सुझाव है कि दक्षिण भारत में हिन्दी के प्रचार के लिए तथा उत्तर भारत के स्कूलों में दक्षिण भारत की एक भाषा पढ़ाने के लिए और जोर दिया जाना चाहिए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि अंग्रेजी का महत्व किसी प्रकार से कम न हो। तभी त्रिभाषा सूत्र की भावना बनी रह सकेगी और इससे राष्ट्रीय अखंडता को बढ़ावा मिलेगा। श्रीमान्, मैं कहना तो बहुत चाहता हूँ लेकिन समयाभाव के कारण मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। मैं नीति सम्बन्धी प्रारूप विवरण का समर्थन करता हूँ।

[हिन्दी]

श्री अब्दुल रशीद काबुली (श्रीनगर) : जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, सबसे पहले मैं माननीय शिक्षा मन्त्री जी को बताना चाहूँगा कि हमारे कुछ तालीम के प्रोजेक्ट आपके पास हैं, लेकिन जो हजारों-लाखों हमारे बच्चे, जिनकी इक्तसादी हालत बहुत खराब है, वे कारखानों में और ढाबों में काम करते हैं, जबकि बुनियादी तौर पर उन बच्चों को काम नहीं करना चाहिए, कानून के मुताबिक उनको काम नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी हमारे लाखों-करोड़ों बच्चे मुल्क के अन्दर 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए, अपने मां-बाप को जिन्दा रखने के लिए मासूम बच्चे आज भी इन कारखानों में काम कर रहे हैं एक्सप्लाइटेशन का शिकार हैं। मैं अपने यहां की मिसाल देना चाहता हूँ, हमारे यहां पर कश्मीर में कालीन बनाने का काम होता है और उसमें हमारे हजारों बच्चे तालीम से महरूम उन कारखानों में 10 रुपए, 5 रुपए, 20 रुपए के लिए काम कर रहे हैं। आप उनके हाथ देख लीजिए, उनकी कमर की हड्डी तक टूट जाती है, उनके हाथ-पांव, उनका सारा शरीर हजार किस्म की बीमारियों का शिकार हो जाता है। यह हालत हमारे मुल्क के अन्दर है और हर जगह है। आज हम बच्चों की शिक्षा के लिए बड़ी बातें कर रहे हैं और यह भी कह रहे हैं कि कुछ नार्म्स हैं, कुछ कानून हैं, जिनके मुताबिक बच्चों को काम नहीं करना चाहिए, उनका एक्सप्लाइटेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन वह हो रहा है; हमारे मुल्क में हो रहा है। इसके लिए मैं यह कहना चाहूँगा कि जब तक इनइक्वेलिटी को, हमारे समाज में अमीर और गरीब की जो खाई है, उसका जब तक इलाज नहीं करेंगे तब तक इसका इलाज नहीं हो सकता और हिन्दुस्तान के लाखों-करोड़ों बच्चों को कोई सही रास्ता नहीं मिल सकता, यह बात मैं आपको कहना चाहता हूँ। इसलिए वह बात आपको कहनी पड़ी कि आप इन बच्चों के बारे में क्या सोच रहे हैं। उसका आपके पास क्या उपाय है। मैं यह अर्ज करूंगा कि जो हमारी सरकार एजूकेशन की पालिसी बना रही है, उसमें तो कोई प्लानिंग नहीं है कि आपको कितने इंजीनियर, डाक्टर, एग्रीकल्चरल साइन्टिस्ट या टैक्नोक्रेट्स चाहिए। हो यह रहा है कि हजारों की तादाद में डाक्टर, इंजीनियर और टैक्नोक्रेट्स बढ़ रहे हैं, जिनको

भी समाज में अपोरचुनिटी मिल रही है क्योंकि ये वे लोग हैं जिनकी पैसे की हालत अच्छी है। उन्हीं के बच्चे हजारों की तादाद में डाक्टर, टैक्नोक्रेट और साइन्टिस्ट बनकर निकल रहे हैं। लेकिन पूरे मुल्क में ऐसा कोई प्लान नहीं है, मनसूबा नहीं है कि उनको खपा सकें और उनका इस्तेमाल कर पाएं। फिर आप ब्रेन-ड्रेन की बात करते हैं। हमारे मुल्क में डाक्टर्स की कमी है। आप देखिए कि पर-केपिटा कितनी चाहिए और स्टेट में कितने लोगों के लिए कितने डाक्टर चाहिए। हजारों डाक्टर सरकार का फायदा उठा रहे हैं। उनको अपोरचुनिटी मिलती है। सरकार उनको कर्जा देती है, फैसिलिटी देती है ताकि जो हमारे गरीब बीमार लोग हैं उनकी बीमारी का कोई इलाज हो। लेकिन वे गल्फ या दूसरी फारेन कंट्रीज में जा रहे हैं। उनका तो फायदा हो रहा है लेकिन देश का कोई फायदा नहीं हो रहा है। उसका उपाय क्या है। इस ढंग से जो हजारों डाक्टर बढ़ रहे हैं उनके लिए खुली छूट दी गई है। हमारे पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में पावरफुल लाबीज है। जब भी कोई कदम उठाया जाता है, उनको बाहर जाने से रोकते हैं तो उस समय वह पावरफुल लाबी हमारे सर पर बैठ जाती है। इतना इनफ्लुएंस है ···(व्यवधान)

श्रीमती सुशीला रोहतगी : जो चीज आप कह रहे हैं, वह सही है। इसके ऊपर बराबर गौर किया जा रहा है। मैन पावर रिसोर्सेज के ऊपर प्लानिंग कमीशन है जिसके द्वारा पूरी स्टडी की जा रही है। जो आपने ब्रेन-ड्रेन का कहा है, अक्सर ऐसा सुनाई पड़ता है कि ब्रेन-ड्रेन बहुत ज्यादा है। इतना ज्यादा नहीं है जितना कि कहा जाता है। उस पर देखा जा रहा है कि कैसे उसको रोका जा सकता है। रोका न जा सके तो ज्यादा फैसिलिटीज दी जा सकें।

···(व्यवधान)

श्री अब्दुल रशीद काबुली : मैं यह अर्ज करना चाहूंगा कि इसका कोई इलाज नहीं है। जो हमारे गवर्नमेंट आफ इण्डिया के जितने डिपार्टमेंट हैं, उनको कहा जाए कि बाहर जाने की इजाजत रोक दी जाए। हम सफर कर रहे हैं। मैं अपने स्टेट की बात करूंगा। जितने भी अच्छे डाक्टर हैं, वह हमें नहीं मिल पा रहे हैं। हमारे जितने भी अच्छे साइन्टिस्ट हैं जिनकी वजह से फायदा हो सकता है वे लोग एक दो साल के लिए आठ-दस लाख रुपया कमाने के लिए बाहर चले जाते हैं, हम लोगों की कास्ट पर। हमारे गरीब लोगों को उसके लिए सजा भुगतनी पड़ रही है। मैं चाहूंगा कि इसकी तरफ आप अवश्य गौर फरमाएं।

प्रो० मधु दण्डवते : यह इक्कीसवीं सेन्चुरी में बदल जायेगा।

श्री अब्दुल रशीद काबुली : हमारा जातीय मुशाहिदा है, हमने अपनी आंखों से देख लिया है जितने भी सरकार की तरफ से स्कूल चल रहे हैं उनमें पीने का पानी नहीं है, ऊपर छत नहीं है जिसकी वजह से पानी टपकता है। सर्दी और गर्मी में बच्चों को बहुत तकलीफ उठानी पड़ती है। प्ले ग्राऊन्ड की कमी है और बच्चों को जो फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, वह नहीं मिल रही है। एक तरफ तो बहुत से सदस्य मांग कर रहे हैं कि और स्कूल खोले जायें लेकिन जो स्कूल पहले से ही हैं, उनकी तरफ भी आप देख लीजिए। हमारे मुल्क में लाखों की तादाद में प्राईमरी, मिडिल और हाई स्कूल हैं, लेकिन मैं दयानतदारी से कहना चाहूंगा शिक्षा मन्त्री जी से कि फैसिलिटी न मिलने से, सही एजूकेशन बच्चों को नहीं मिल सकती। जब तक आप उनको कुछ फिजीकल

[श्री अब्दुल रशीद काबुली]

फैसेलिटी नहीं देते, जब तक सही बरकत नहीं हो सकती जब तक बुनियादी लिहाज नहीं रखा जाता है। हमारे यहां कई भाषायें हैं, यह बात मानकर चलनी होगी कि इस देश के अन्दर जो मादरी जुबान हैं उनको जिन्दा रखना है, उनको बचाना है। उनमें हमारी संस्कृति है, तहजीब है, उनसे हमारी पहचान होती है, हमारा वजूद है उनसे। हजारों-लाखों सालों से जो कुछ हम संस्कृति रखते हैं उन्हीं जुबानों के द्वारा हम दे पाते हैं। मैं चाहूँगा कि जो मादरी जुबान हैं उनको बढ़ावा देने की जरूरत है। सारा जोर हिन्दी और अँग्रेजी के लिए जा रहा है। जितनी दिलचस्पी सरकार को, जितने एफर्ट्स मादरी जुबान के लिए करने चाहिए, वह नहीं कर रही है। मैं चाहूँगा इस मुल्क में हिन्दी राष्ट्रभाषा बने, अँग्रेजी की भी हमको जरूरत है, हमारे विज्ञान और टेक्नोलोजी के लिए, सारी दुनिया के साथ ताल्लुकात के लिए भी अँग्रेजी की जरूरत है। इसलिए भी अँग्रेजी को इग्नोर नहीं किया जा सकता। लेकिन इसके साथ-साथ मादरी जुबान को भी जिन्दा रखें।

हमारे यहां पर चार भाषायें हमको पढ़नी पड़ेंगी, अँग्रेजी, हिन्दी उर्दू और कश्मीरी। जब एक स्टूडेंट पर चार भाषाओं का जोर हो तो वह क्या करेगा....

श्री भानुप्रताप शर्मा : डोगरी को भी जोड़ लीजिए।

श्री अब्दुल रशीद काबुली : डोगरी एक जोन में बोली जाती है, मैं कश्मीर की बात कर रहा हूं जहां कश्मीरी बोली जाती है। उर्दू भी बोली जाती है क्योंकि आफिशियली लेंगुएज है, अँग्रेजी भी है क्योंकि नेशनल लेंगुएज है, हिन्दी भी है, क्योंकि राजभाषा है और उसके बाद हमारी मादरी भाषा कश्मीरी है। हमारी अपनी बदकिस्मती यह है कि अँग्रेजी, हिन्दी और उर्दू तो पढ़ रहे हैं, कश्मीरी की तरफ कोई तवज्जोह नहीं दी जा रही है, हम उसके विकास के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। सरकार को चाहिए कि वह इस तरफ देखे। उर्दू भाषा यू० पी०, बिहार, मध्यप्रदेश और दिल्ली में बोली जाती है, उर्दू हमारी साहिबी जुबान नहीं है। कश्मीर में उर्दू लिंक भाषा है। यू० पी०, बिहार और दिल्ली में जो स्थान उर्दू भाषा को मिलना चाहिए वह नहीं मिल रहा है ऐसी शिकायतें आ रही हैं। करोड़ों लोग उर्दू को बोल रहे हैं, यह उनकी हिन्दुस्तानी संस्कृति है, गंगा-जमुनी संस्कृति है, यह हिन्दुस्तान की भाषा है, पाकिस्तान की नहीं है। इसको जिन्दा रखने के लिए जब तक सरकार इसको मान्यता नहीं देगी, तब तक इसके विकास के लिए कोई कार्य नहीं हो सकता। हिन्दी हमारी राष्ट्रभाषा है उसको लेकर हमें आगे चलना है, लेकिन उन प्रान्तों में जहां उर्दू बोलने वाले करोड़ों हैं उनको नजरअन्दाज नहीं किया जा सकता यह बहुत नाइन्साफी है। उर्दू और हिन्दी यह दोनों जुबानें बहनें कहलाती हैं, लेकिन उर्दू के साथ अन्याय हो रहा है यह खत्म करना चाहिए। इससे हमारे समाज के अन्दर भी जोन्स आफ इरीटेशन बढ़ते हैं, तनाव बढ़ता है।

आखिर में मैं आपके माध्यम से यह बात बताना चाहता हूं कि इस मुल्क की बदकिस्मती है कि हम शिक्षा नीति को तब तक ठीक नहीं कर सकते जब तक यह प्राइवेट इन्स्टीट्यूशंस जिन्दा हैं। क्योंकि हमारा ब्यूरोक्रेट अँग्रेजी है, पढ़ा लिखा है, जिनके पास रुपया है वह अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम के इन्स्टीट्यूशंस में भेजते हैं। लेकिन लाखों की संख्या में उनके बच्चों को

सरकारी स्कूलों में जाना पड़ता है और जब इन स्कूलों से वह निकलते हैं तो अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : आप नवोदय को सपोर्ट करेंगे।

श्री अब्दुल रशीद काबुली : यह नाइन्साफी है, हम चाहते हैं इस मुल्क में जस्टिस हो···जितने भी हमारे पब्लिक सर्विस कमीशन के कम्पटीशन होते हैं, मुकाबले के इम्तहान होते हैं उनमें हिन्दी या दूसरी रीजनल भाषायें जानने वाले बच्चे, चाहे कितने ही काबिल क्यों न हों, कितने ही इन्टैलीजैंट क्यों न हों, वे काबिल-जहीन बच्चे पीछे रह जाते हैं और उनके मुकाबले प्राइवेट स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम से पढ़े बच्चे, अच्छी अंग्रेजी जानने वाले बच्चे आगे निकल जाते हैं। क्योंकि उनके मां-बाप ने उन्हें पढ़ाने लिखाने पर काफी पैसा खर्च किया है और वे इस हालत में होते हैं कि अपने बच्चों को अच्छी तरह पढ़ा सकें, अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ा सकें। यही कारण है कि वे बच्चे ऐसे इम्तहानात में आगे निकल जाते हैं और हम गरीबों के बच्चे पीछे हो जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि यह कैसा इन्साफ है, कैसा सोशलिज्म है। आपको इसका कोई न कोई उपाय करना चाहिए ताकि यह डिस्पैरिटी मुल्क में दूर हो सके।

आखिर में, आपका ध्यान मैं हिस्ट्री बुक्स की ओर दिलाना चाहता हूँ। हमारा जो साहित्य है, इतिहास है, तारीक है, उसका भी आपको ख्याल रखना चाहिए। हमारी बदकिस्मती है कि ब्रिटिश राज में हमारे मुल्क में इस किस्म की तारीक लिखी गई, इस तरह की किताबें लिखी गई जिनके जरिए हिन्दू और मुसलमानों को एक दूसरे से अलग करने की कोशिश की गई। एक दूसरे के रिलीजन में ऐसी गलतफहमियां पैदा की गई ताकि दोनों कौमों में फूट पड़ जाए। मैं आपके माध्यम से अर्ज करना चाहता हूँ कि ऐसी तमाम हिस्ट्री बुक्स को रिवाइज किया जाए और पूरे मुल्क के अन्दर ऐसी हिस्ट्री पढ़ाई जाए जिसमें सब धर्मों का मुश्तरका कल्चर मौजूद हो, एक दूसरे के लिए मान, सम्मान की भावना हो ताकि मुसलमान बच्चे हिन्दू और दूसरे मजहबों के बारे में कुछ सीख सकें, उनके दिल में सब धर्मों के प्रति सम्मान हो, वैसे ही हिन्दू बच्चे मुस्लिम कल्चर के बारे में जानकारी हासिल कर सकें। वे समझ सकें कि इस मुल्क में कई मजहबों के लोग रहते हैं और उनके रीति-रिवाज अलग-अलग होते हुए भी सब एक हैं। मैं चाहता हूँ कि आप इस तरफ तवज्जह दें।

श्री عبد الرشید کابلی (سریدگو) : جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب سب سے پہلے میں مانیہ شکشا منتری جی کو بدھائی دینا چاہوں گا کہ ہمارے کچھ تعلیم کے پروجیکٹ آپ کے پاس ہیں لیکن جو ہمارے ہزاروں لاکھوں بچے جن کی اقتصادی حالت بہت خراب ہے وہ کارخانوں میں اور ڈھابوں میں کام کرتے ہیں جبکہ بنیادی طور پر ان بچوں کو کام نہیں کرنا چاہئے قانون کے مطابق آنکو کام نہیں کرنا چاہئے لیکن پھر بھی ہمارے لاکھوں کروڑوں بچے ملک کے اندر دو وقت کی روٹی کمانے کے لئے اپنے ماں باپ کو زندہ رکھنے کے لئے معصوم بچے آج بھی ان کارخانوں میں کام کر رہے ہیں ایکسپلائٹیشن کا شکار ہیں میں اپنے بیان کی مثال دینا چاہوں گا ۔ ہمارے یہاں پر کشمیر میں قالین بنانے کا کام ہوتا ہے اور اس میں ہمارے ہزاروں بچے تعلیم سے محروم ان کارخانوں میں دو روپے پانچ روپے یومیہ روپے کے لئے کام کر رہے ہیں ۔ آپ ان کے ہاتھ دیکھئے انکی کمر کی ہڈی ٹیڑھی ہو جاتی ہے ۔ ان کے ہاتھ پاؤں انکا سارا شریر ہزار قسم کی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے ۔ یہ حالت ہمارے ملک کے اندر ہے پورے ملک میں ۔ آج ہم بچوں کی شکشا کے لئے بڑی باتیں کر رہے ہیں اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کچھ کارخانوں میں کچھ قانون ہیں جن کے مطابق بچوں کو کام نہیں کرنا چاہئے ان کا ایکسپلائٹیشن نہیں ہونا چاہئے لیکن وہ ہو رہا ہے ہمارے ملک میں ہو رہا ہے ۔ اسکے لئے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب تک ان ایکوالیٹی کو ہمارے سماج میں امیر اور غریب کی جو کھائی ہے اسکا جب تک علاج نہیں کریں گے تب تک اسکا علاج نہیں ہو سکتا اور ہندوستان کے لاکھوں کروڑوں بچوں کو روٹی صحیح راستہ نہیں مل سکتا یہ بات میں آپکو کہنا چاہتا ہوں ۔

اس لئے وہ بات آپ کو کہنی پڑی کہ آپ ان بچوں کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں ۔ اسکا آپ کے پاس کیا اپائے ہیں ۔ میں یہ عرض کروں گا کہ جو ہماری سرکلر ایجوکیشن کی پالیسی بنا رہی ہے اس میں تو کوئی پلاننگ نہیں ہے کہ آپ کو کتنے انجینئر ۔ ڈاکٹر ۔ ایگریکلچرل سائنٹسٹ یا ٹیکنوکریٹس چاہئیں ۔ ہو یہ رہا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں ڈاکٹر انجینئر اور ٹیکنوکریٹس پڑھے رہے ہیں جن کو بھی سماج میں اپورچونیٹی مل رہی ہے کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی پہنچ کی حالت اچھی ہے ۔ انہیں کے بچے ہزاروں کی تعداد میں ڈاکٹر ٹیکنوکریٹ اور سائنٹسٹ بن کر نکل رہے ہیں ۔ لیکن پورے ملک میں ایسا کوئی پلان نہیں ہے منصوبہ نہیں ہے کہ ان کو کھپا سکیں اور ان کا استعمال کر پائیں ۔ پھر آپ ہرین ڈرین کی بات کرتے ہیں ۔

ہمارے ملک میں ڈاکٹروں کی کمی ہے - آپ دیکھئے کہ ہر کھپٹا کتنی جماعتے اور اسپتال میں کتنے لوگوں کے لئے کتنے ڈاکٹر جماعتے - ہزاروں ڈاکٹر سرکار کا فائدہ اٹھا رہے ہیں - انکو اپوزیشن ملتی ہے سرکار ان کو غور دیتی ہے فیسیلٹی دیتی ہے تاکہ جو ہمارے غریب بیمار لوگ ہیں ان کی بیماری کا کوئی علاج ہو - لیکن وہ گلف یا دوسرے فارن کنٹری میں جا رہے ہیں - اس کا تو فائدہ ہو رہا ہے لیکن دیش کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے - اسکا اپائے کیا ہے - اس ڈھنگ سے جو ہزاروں ڈاکٹر پڑھ رہے ہیں ان کے لئے کھلی چھوٹ دی گئی ہے -

ہمارے پارلیمنٹ اور اسمبلی لیجسلیچر میں پاورفل لابیز ہیں - جب بھی کوئی قدم اٹھایا جاتا ہے ان کو باہر جانے سے روکتے ہیں تو اس سے وہ پاورفل لابی ہمارے سر پر بیٹھ جاتی ہیں -

اتنا انٹوٹینس ہے - ..... (انٹرپشن) .....

شریمتی سوشیلا روہتگی : جو چیز آپ کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے - اسکے اوپر برابر غور فرمایا جا رہا ہے میں پاور ریسورسز کے اوپر پلاننگ کمیشن ہے جس کے دوارا پوری اسٹڈی کی جا رہی ہے - جو آپ نے ہیومن ڈریس کا کہا ہے اکثر ایسا سنائی پڑتا ہے کہ ہیومن ڈریس بہت زیادہ ہے - اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا کہ کہا جاتا ہے - اس پر دیکھا جا رہا ہے کہ کیسے اسکو روکا جا سکتا ہے - روکا تو جا سکے تو زیادہ فیسیلیٹیز دی جا سکیں - ..... (انٹرپشن) .....

شری عبد الرشید کابلی : میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اسکا کوئی علاج نہیں ہے - جو ہمارے گورنمنٹ آف انڈیا کے منتری ڈیپارٹمنٹ ہیں ان کو کہا جائے کہ باہر جانے کی اجازت روک دی جائے - ہم سفر کر رہے ہیں - میں ویسے اسپیچ کی بات کروں گا - جتنے بھی اچھے ڈاکٹر ہیں وہ ہمیں نہیں مل پا رہے ہیں - ہمارے جتنے بھی اچھے سائنٹسٹ ہیں جن کی وجہ سے فائدہ ہو سکتا ہے وہ لوگ اپنے دو سال کے لئے آفندہ دس لاکھ روپیہ کمانے کیلئے باہر چلے جاتے ہیں ہم لوگوں کی کاسٹ پر - ہمارے غریب لوگوں کو اسکے لئے سزا بھگتنی پڑ رہی ہے - میں چاہوں گا کہ اسکی طرف آپ توجہ غور فرمائیں -

پروفیسر مدھو ڈنڈوتے : یہ ایکسپورٹ منڈیوری میں بدل جائے گا -

شری عبد الرشید کابلی : ہمارا ذاتی مشاہدہ ہے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے جتنے بھی سرکار کی طرف سے اسکول چل رہے ہیں ان میں پینے کا پانی نہیں ہے اوپر چھت نہیں ہے - جس کی وجہ سے پانی ٹپکتا ہے - سردی اور گرمی میں بچوں کو بہت تکلیف اٹھانی پڑتی ہے -

پلے گراونڈ کی کمی ہے اور بچّوں کو جو فیسلیٹیز ملنی چاہئے وہ نہیں مل رہی ہے -

ایک طرف تو بہت سے سد سے مانتی کو رہے ہیں کہ اور اسکول کھولے جائیں لیکن جو اسکول پہلے سے ہی ہیں انکی طرف بھی آپ دیکھ لیجئے - ہمارے ملک میں لاکھوں کی تعداد میں پرائمری مڈل اور ہائی اسکول ہیں لیکن میں دیانتداری سے کہنا چاہوں گا شکشا مترتی جی سے کہ فیسلیٹی نہ ملنے سے صحیح ایجوکیشن بچّوں کو نہیں مل سکتی -

جب تک آپ ان کو کچھ فیزیکل فیسلیٹی نہیں دیتے جب تک صحیح ہرکت نہیں ہو سکتی جب تک بنیادی لحاظ نہیں رکھا جاتا ہے - ہمارے یہاں کتی بھاشائیں ہیں یہ بات مان کر چلنی ہوگی کہ اس دیش کے اندر جو مادری زبان ہیں ان کو زندہ رکھنا ہے اسکو بچانا ہے - ان میں ہماری سنسکرتی ہے تہذیب ہے ان سے ہماری پہچان ہوتی ہے ہمارا وجود ہے ان سے -

ہزاروں لاکھوں سالوں سے جو کچھ ہم سنسکرتی رکھتے ہیں انہیں زبانوں کے دولت ہم نے پائے ہیں - میں چاہوں گا کہ جو مادری زبان ہیں ان کو بڑھاوا دینے کی ضرورت ہے - سارا زور ہندی اور انگریزی کے لئے جا رہا ہے - جتنی دلچسپی سرکار کو جتنے ایفرٹس مادری زبان کے لئے کرنے چاہئیں وہ نہیں کر رہی ہے - میں چاہوں گا کہ اس ملک میں ہندی راشٹر بھاشا بنے انگریزی کی بھی ہم کو ضرورت ہے - ہمارے وگیان اور ٹیکنولوجی کے لئے ساری دنیا سے ساتھ تعلق کے لئے بھی انگریزی کی ضرورت ہے - اس لئے بھی انگریزی کو اگور نہیں کیا جا سکتا -

لیکن اسکے ساتھ ساتھ مادری زبان کو بھی زندہ رکھیں -

ہمارے یہاں پر چار بھاشائیں ہم کو پڑھنی پڑیں گی - انگریزی ہندی اردو اور کشمیری - جب ایک اسٹوڈنٹ پر چار بھاشاؤں کا زور ہو تو وہ کیا کرے گا -

شری بھاؤ پرشاد شرما : ڈوگری کو بھی جوڑ لیجئے -

شری عبدالرشید کابلی : ڈوگری ایک زبان میں بولی جاتی ہے میں کشمیر کی بات کر رہا ہوں جہاں کشمیری بولی جاتی ہے - اردو بھی بولی جاتی ہے کیونکہ آفیشیلی لینگویج ہے انگریزی بھی ہے کیونکہ لیشنل لینگویج ہے ہندی بھی ہے کیونکہ راج بھاشا ہے اور اسکے بعد ہماری مادری بھاشا کشمیری ہے - ہماری اپنی بد قسمتی یہ ہے کہ انگریزی ہندی اور اردو تو پڑھ رہے ہیں کشمیری کی طرف کوئی توجہ نہیں دی جا رہی ہے ہم اسکے وکاس کے لئے کچھ نہیں

کو رہے ہیں - سرکار کو چاہئے کہ وہ اس طرف دیکھے اردو بھاشا ہو یہ بہار کی بھاشا ہے اور دلی میں بولی جاتی ہے اردو بھارت کی ساجھی زبان نہیں ہے - کشمیر میں اردو لشکر بھاشا ہے - یو پی بہار اور دلی میں جو استھانی اردو بھاشا کو ملنا چاہئے وہ نہیں مل رہا ہے - ایسی شکایتیں آ رہی ہیں - کروڑوں لوگ اردو کو بول رہے ہیں یہ ان کی مقدس استھانی سنسکرت ہے گنگا جمنی سنسکرتی ہے یہ ہندوستان کی بھاشا ہے پاکستان کی نہیں ہے - اسکو زندہ رکھنے کے لئے جب تک سرکار اسکو مانیتا نہیں دیگی تب تک اسکے وکاس کے لئے کوئی کارگر نہیں ہو سکتا - ہندی ہماری راشٹر بھاشا ہے اسکو لیکر ہمیں آگے چلنا ہے لیکن ان پراونتوں میں جہاں اردو بولنے والے کروڑوں ہیں ان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا یہ بہت نا انصافی ہے - اردو اور ہندی یہ دونوں زبانیں بہنیں کہلاتی ہیں لیکن اردو کے ساتھ انیائے ہو رہا ہے یہ ختم کرنا چاہئے - اس سے ہمارے سماج کے اندر بھی زونس آف ارپیشن بڑھتے ہیں تناؤ بڑھتا ہے -

آخر میں میں آپ کے مادھیم سے یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اس ملک کی

یہ تسمنی ہے کہ ہم شکشا نیتی کو تب تک ٹھیک نہیں کر سکتے جب تک یہ پراتھمک اندھی ٹھوشنس زندہ رہیں - کیونکہ ہمارا بیورو کریٹ انگریزی میں پڑھا لکھا ہے جن کے پاس وہ ہے وہ اپنے بچوں کو انگلش مادھیم کے انسٹی ٹیوشنس میں بھیجتے ہیں - یہ لیکن لاکھوں کی سنکھیا میں ان کے بچوں کو سرکاری اسکولوں میں جانا پڑتا ہے اور جب ان اسکولوں سے وہ نکلتے ہیں تو انہیں انگریزی بولتے ہیں -

شریمتی سوشیلا روہتگی : آپ تو یہ کو سپورٹ کریں گے -

شری عبد الرشید کابلی : یہ نا انصافی ہے ہم چاہتے ہیں اس ملک میں جمہوری ہو ...

جتنے بھی ہمارے پبلک سروس کمیشن کے کمپیٹشن ہوتے ہیں مقابلے کے امتحان ہوتے ہیں ان میں ہندی یا دوسری ریجنل بھاشائیں جاننے والے بچے چاہے کتنے ہی قابل کیوں نہ ہوں کتنے ہی انٹیلیجنٹ کیوں نہ ہوں وہ قابل نہیں سمجھے جاتے ہیں اور ان کے مقابلے پراتھمک اسکولوں میں انگریزی مادھیم سے پڑھے بچے انگریزی جاننے والے بچے آگے نکل جاتے ہیں - کیونکہ ان کے ماں باپ نے انہیں پڑھانے لکھانے پر کافی پیسہ خرچ کیا ہے اور وہ اس حالت میں ہوتے ہیں کہ اپنے بچوں کو اچھی طرح پڑھا سکیں انگریزی اسکولوں میں پڑھا

سکھن - یہی کارن ہے کہ وہ بچّے ایسے امتحانات میں آگے نکل جاتے ہیں اور ہم غریبوں کے بچّے پیچھے ہو جاتے ہیں - میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کیسا انصاف ہے کیسا سوشلزم ہے - آپکو اسکا کوئی اپائے کرنا چاہئے تاکہ یہ ڈسپیرٹی ملک میں دور ہو سکے -

آخر میں آپکا دھیان پھر ہسٹری بکس کی اور دلانا چاہتا ہوں - ہمارا جو سانسکرتک ہے اتہاس میں تاریخ ہے اسکا بھی آپکو خیال رکھنا چاہئے - ہماری یہ قسمتی ہے کہ برٹش راج میں ہمارے ملک میں اس قسم کی تاریخ لکھی گئی اس طرح کی کتابیں لکھی گئی جن کے ذریعہ ہندو اور مسلمانوں کو ایک دوسرے سے الگ کرنے کی کوشش کی گئی - ایک دوسرے کے رویہ میں ایسی غلط فہمیاں پیدا کی گئی تاکہ دونوں قوموں میں پھوٹ پڑ جائے - میں آپکے مادھیم سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایسی تمام ہسٹری بکس کو ریوائز کیا جائے اور پورے ملک کے اندر ایسی ہسٹری پڑھائی جائے جس میں سب دھرموں کا مشترکہ کلچر موجود ہو ایک دوسرے کے لئے مان سمان کی بھاونا ہو تاکہ مسلمان بچّے ہندو اور دوسرے مذہبوں کے بارے میں کچھ سیکھ سکیں ان کے دل میں سب دھرموں کے پرتی سمان ہو ویسے ہی ہندو بچّے مسلم کلچر کے بارے میں جان کاری حاصل کر سکیں - وہ سمجھ سکیں کہ اس ملک میں کتنی مذہبوں کے لوگ رہتے ہیں اور ان کے رہتی رواج الگ الگ ہوتے ہوئے بھی سب ایک ہیں - میں چاہتا ہوں کہ آپ اس طرف توجہ دیں -

[हिन्दी]

श्रीमती सुशीला रोहतगी : गैर-इन्साफी पर तो आपने अच्छी खासी काफी बड़ी तकरीर करी परन्तु कोई सुझाव आपने नहीं दिया । यदि आपका कोई सुझाव हो तो आप उसे भेज दीजिएगा । जो बात आपने बाद में कही, वही चीज इस नई नीति में भी आई है, अगर आप गौर से जरा उसे देखें तो उसका सौल्यूशन आपको इसमें मिल जाएगा ।

श्री राम प्यारे पनिका (रोबर्टसगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे सबसे पहले···

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : वह आपको सावधान कर रहे हैं कि समय उचित नहीं है ।

[हिन्दी]

श्री राम प्यारे पनिका : सबसे पहले मैं माननीय शिक्षा राज्य मन्त्री तथा कैबिनेट मंत्री, श्री राव साहब और शिक्षा मन्त्रालय को बधाई देना चाहूँगा और मुझे खुशी है कि उन्होंने एक वर्ष से कम समय में ही नई शिक्षा नीति का प्रारुप हमारे सामने रख दिया है। हमारे प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी ने अपना पदभार सम्भालने के तुरन्त बाद यह कहा था कि हम देश की शिक्षा नीति में मूलभूत परिवर्तन करेंगे और उसके लिए पिछले वर्ष ही शिक्षा नीति सम्बन्धी दस्तावेज प्रकाशित हुआ था। उस पर तुरन्त सारे देश के स्तर पर बहस शुरू हुई और आज मुझे प्रसन्नता है कि एक वर्ष के अन्दर ही मन्त्री स्तर तक के कई सम्मेलन आयोजित किए गए, शिक्षाविदों से सलाह-मश्वरा हुआ और मैं जानता हूँ कि लगभग 6-7 हजार लोगों के सुझावों को कन्सीडर करके, समेकित करके, एक छोटी सी पुस्तिका के रूप में हमारे सामने लाया गया है। देखने में तो यह छोटी सी पुस्तिका लगती है परन्तु गागर में सागर है। जैसे एक कहावत भी है कि :

"देखन में छोटे लगें, घाव करें गम्भीर।"

यह ऐसी पुस्तिका है और इसका इम्पैक्ट निश्चित रूप से बहुत अच्छा होने जा रहा है। इसीलिए मैं इनको बधाई देना चाहता हूँ।

मान्यवर, सबसे पहली बात मैं कहना चाहता हूँ कि 1976 में शिक्षा को हमारे देश में समवर्ती सूची में लाया गया परन्तु उस पर उतना ध्यान नहीं दिया गया, जितना दिया जाना चाहिए था। इस पुस्तिका में उस कमी को दूर करने की बात कही गई है और मैं समझता हूँ कि इससे प्रदेशों की शिक्षा में निश्चित रूप से सुधार आयेगा।

मान्यवर, मानव ही किसी देश के लिए सबसे मूल्यवान साधन होता है। हमारे प्रधान-मन्त्री जी ने भी कहा था कि हमारी 75 करोड़ की आबादी हमारे देश के ऊपर भार न बने, बल्कि वह असेट बने, कोई ऐसी चीज बने जिससे उत्तरोत्तर देश का आर्थिक और सामाजिक विकास होता रहे तो उसके लिए हमें अभी से तैयारी करनी है। यदि हम शुरू से देखें तो हमारे देश में प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर के अतिरिक्त टैक्निकल शिक्षा की जो व्यवस्था है, वह स्वागतयोग्य है। प्राथमिक शिक्षा हमारी बुनियाद होती है और मैं उसी की ओर संकेत करना चाहता हूँ। प्राइमरी एजूकेशन की हालत राज्यों में बहुत खराब है। न वहां स्कूल हैं, न टाट है, न पट्टी है, न ब्लैकबोर्ड हैं और न टीचर हैं।

इसलिए मैं पहली मांग करना चाहता हूँ कि आप अगर पैसा दे रहे हैं, संसाधन दे रहे हैं राज्यों को, तो आप अपनी मॉनिटरिंग सेल रखिए। मैं अपने प्रदेश की और अपने जिले की ही बात करना चाहता हूँ वहां पर जितने भी इन्फार्मल एजूकेशन सेंटर है वे सभी कागज पर चल रहे हैं, कभी कोई स्कूल खुला नहीं, कोई टीचर गया नहीं। सारा का सारा पैसा हजम कर लिया गया।

मान्यवर, मैं यह बात इसलिए कह रहा हूँ कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में ढाई करोड़ लोगों को शिक्षा देने की बात है, यह ज्यादातर वहां के लोगों के लिए है जो ट्राइबल इलाके हैं और पिछड़े इलाके हैं, तो हम सीधे प्रभावित होने जा रहे हैं। इसलिए मैं इसमें कोई विश्वास

[श्री रामप्यारे पनिका]

नहीं रखता हूँ। इनफार्मल एजूकेशन सेंटरों में उन्हीं लड़कों के नाम लिखे हुए हैं जो दिन में पढ़ते हैं। आप मिर्जापुर के इन्फार्मल एजूकेशन सेंटर का पता करवाईए, वहां की चैकिंग करवाईए। मैं वहां के सम्बन्ध में विश्वासपूर्वक कहता हूँ कि वहां एक भी स्कूल ऐसा नहीं चलता है और लाखों रुपया मिर्जापुर में शिक्षा विभाग का इन्फार्मल एजूकेशन के नाम पर खर्च हो गया है। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश और मध्यप्रदेश और सारे प्रदेशों का यही हाल है। ये सारे कागज पर चलते हैं। इसीलिए मैं पहली मांग यह करना चाहता हूँ कि आप मानिटरिंग सैल बनाइए और अपने अधिकारियों की संख्या बढ़ाईए ताकि आपको सही रिपोर्ट आए।

माननीय, आप इस शिक्षा नीति के माध्यम से शेड्यूल्ड ट्राइब, माइनॉरिटीज, हैंडीकैप्ड और इडल्ट के लिए शिक्षा की व्यवस्था करने जा रहे हैं, लेकिन न जाने कैसे आपका ध्यान कांस्टीट्यूशन का जो आब्लीगेशन है, उसकी तरफ नहीं गया है। आपका ध्यान संविधान की धारा 340 की ओर ले जाना चाहता हूँ। आप जानते हैं कि मध्यप्रदेश में अर्जुन सिंह जी मुख्य मंत्री बने तो उन्होंने बैकवर्ड क्लास के लोगों की कई जातियां बनाईं, कोई अत्यन्त बैकवर्ड, कोई वैकवर्ड, लेकिन ये कैसे छूट गया कि उनके बारे में चर्चा नहीं आई। यदि आपने इसमें कोई चर्चा उस सम्बन्ध में नहीं जोड़ी, तो निश्चित है कि अगर किसी प्रदेश से कोई ऐसा मुख्यमंत्री हो जाए, जो उनमें सहानुभूति रखता हो, तो गड़बड़ी हो जायेगी। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूँ शायद यादव जी ने भी इस पर चर्चा की थी, मैं भी चाहता हूँ कि धारा 340 के अनुसार पिछड़ी जातियों को भी इसमें जोड़ा जाए।

इसके अलावा मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जो आपने शिक्षा के लिए खासकर आदिवासियों के लिए आश्रम प्रणाली के विद्यालय और हैंडीकैप्ड के लिए हर जिले में एक सेंटर बनाने की बात कही है, यह बड़ी स्वागत करने योग्य बातें हैं। लेकिन माननीय, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, आज शिक्षा में जो विकास की गति है, उसको आप देखें। हम यह तो नहीं कह सकते कि मैकाले के पैटर्न पर ही हैं, बदलाव आया है, लेकिन अभी भी जो नीतियां हमने अपनाई हैं, उनसे बेरोजगारी फैल रही है।

अभी सबेरे इस सदन में हिन्दी भाषा पर बड़ी चर्चा हुई। मुझे यह जानकर दुःख होता है माननीय कि हमने एक नीति बनाई कि हिन्दी या लोकल भाषा में पढ़ाई हो जिससे उत्तर प्रदेश में एक वातावरण बना और वहां लोगों ने हिन्दी पढ़ी जिसके कारण आज यह स्थिति हो गई है कि हिन्दी के पढ़े हुए वहां पर डी० लिट० और डी० फिल हैं, लेकिन उनको बाबूगीरी की नौकरी भी नहीं मिल रही है। इसलिए आप ऐसी शिक्षा नीति बनाएं जिससे लोगों को बेरोजगार न रहना पड़े और जो आपने त्रिभाषा फार्मूला बनाया था, उस नियम को आप लागू करें और जो राष्ट्रभाषा है उसको धीरे-धीरे लाने का प्रयास करें और उसकी तरक्की करें। उसके विकास के लिए आपको कठोर कदम उठाने पड़ेंगे और यह भी बात सही है कि अगर आपको देश में राष्ट्रीय-एकीकरण की स्थापना करनी है और एकता की भावना और सारे देश में सद्भाव आप लाना चाहते हैं, तो निश्चित तौर से आज देश में जो राष्ट्रीय भाषाएं हैं, जो संविधान में लिखी हुई हैं, उनमें से हर जगह एक न एक भाषा जरूर कहीं न कहीं रखी जाए जिससे लोगों में सद्भावना हो और यह जो आज भावना हो रही है कि किसी के ऊपर किसी भाषा को किसी पर

जबर्दस्ती लादा न जाए, इसको भी मानना चाहिए। किसी भी भाषा को किसी पर जबर्दस्ती लादना प्रजातांत्रिक नहीं होगा। इसलिए जब तक देश के सभी लोग तैयार न हो जाएं तब तक यह काम नहीं होना चाहिए लेकिन तैयारी में मान्यवर कोई ढिलाई नहीं आने देनी चाहिए।

मान्यवर, मैं यह कह रहा हूं कि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए बड़ा शोर-गुल होता है कि बड़ा संकट आ गया। एक तरफ तो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब और बैकवर्ड को हिंसा और देश के कोप का भाजन बनना पड़ता है और दूसरी तरफ उसको सुविधाएं नहीं मिलती हैं। उससे वह वंचित होता है, तो मैं कहना चाहता हूं कि जो आप घोषणा करें वह पूरी हो। यह बात सही है कि हमने संविधान में समता का अधिकार दे दिया और अवसर की समानता का अधिकार दे दिया, लेकिन जो अवसर है, उसको प्राप्त करने की उसमें क्षमता जब तक नहीं होगी, साधन उपलब्ध नहीं होंगे, तब तक निश्चित है कि उसका उद्धार नहीं होगा। जैसे अभी हमारे एक साथी कह रहे थे कि अगर आप चाहते हैं कि आई० ए० एस० और पी० सी० एस० न रहें, और दूरदराज के क्षेत्रों में शिक्षा का प्रचार और प्रसार हो, तो सारे देश में एक शिक्षा नीति रखिए, सारे हिन्दुस्तान में एक कार्यक्रम हो, एक केरीकुलम हो, चाहे वह प्राथमिक कक्षा हो, चाहे माध्यमिक हो और उच्चतर माध्यमिक हो, सारे देश में स्टैंडर्ड आफ एजुकेशन बिलकुल एक ही रहे। जो पब्लिक स्कूल की भावना है मान्यवर वह निश्चित रूप से इस नीति के विरोधी है। पब्लिक स्कूलों से निकले हुए लोग ब्यूरोक्रेट की भावना के और सामंती भावना के होते हैं। इस भावना को हमें नहीं रखना है। यही कारण है कि एक आई०ए०एस० के परिवार का व्यक्ति ही आई० ए० एस० होता है। यहां मान्यवर अब अंग्रेजों का राज नहीं है, जिससे कलैक्टर का लड़का ही कलैक्टर हो।

6.00 म० प०

यदि प्रजातांत्रिक भावनाओं को देखना है, यदि देश को समान रूप से ले जाकर संवैधानिक तरीके से तरक्की करना है, यदि सबको लेकर चलना है तो निश्चित तौर से एक शिक्षा नीति होनी चाहिए।

अभी मैं साउथ कोरिया गया था, आपको आश्चर्य होगा कि वह 3 करोड़ 80 लाख का देश है। उन्होंने 10 बरस में ऐसी शिक्षा दी कि, आज वहां कोई आदमी बेकार नहीं है। लेकिन आज 40 बरस में भी हमने ऐसी कोई शिक्षा उत्पन्न नहीं की जिससे सारे लोग राष्ट्रीय इंटीग्रेशन के साथ सर्विसेज में लग जायें। इससे चारों तरफ असंतोष का वातावरण है, बेरोजगारी फैलती जाती है। मैं कहना चाहता हूं कि अगले वर्ष से जो शिक्षा आप लागू करें वह रोजगार परक होनी चाहिए।

ओपन यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी के बारे में मैं निश्चित तौर से कहना चाहता हूं कि यदि देश से रीजनल इम्बैलेंस दूर करना चाहते हैं तो जो क्षेत्र विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में पीछे हैं, जैसे उत्तर प्रदेश है, आप उसको लीजिए और जगह-जगह पर ऐसे सेंटर बनवाइये जिससे शिक्षा का विकास हो सके।

मैं कहना तो बहुत चाहता था, लेकिन आपने समय नहीं दिया, इसलिए अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप बोलते रहेंगे तो कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा क्योंकि सभा का समय बढ़ाया नहीं गया है।

संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : महोदय, हम सभा का समय एक घन्टा बढ़ा सकते हैं।

श्री के० रामचन्द्र रेड्डी (हिन्दुपुर) : आप समय बढ़ाते क्यों जा रहे हैं ? इस विषय को कल लिया जा सकता है।

श्री गुलाम नबी आजाद : यदि हम समय नहीं बढ़ायेंगे तो माननीय सदस्य कैसे बोलेंगे ? मंत्री महोदय कैसे उत्तर देंगे ?

श्री के० रामचन्द्र रेड्डी : आप इस विषय को कल ले सकते हैं।

श्री गुलाम नबी आजाद : हम इसे कल नहीं ले सकते। कल तो मंत्री महोदय उत्तर देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप बोलेगें तो सभा का समय बढ़ाना होगा। लगभग 30 सदस्यों को अभी बोलना है। सभी सदस्य एक घन्टे में कैसे बोल सकते हैं ? अतः मैं सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वह समय के अभाव को ध्यान में रखें। प्रत्येक सदस्य यह महसूस करता है कि इस विषय को यथा शीघ्र समाप्त किया जाये परन्तु साथ ही साथ प्रत्येक सदस्य इस विषय पर बोलना भी चाहता है। जब किसी सदस्य को बोलने के लिए कहा जाता है तो वह 10 मिनट लेता है। वह यह भूल जाता है कि अन्य माननीय सदस्यों को भी बोलना है।

मैं समझता हूं कि सभा, एक घन्टे का समय बढ़ाना स्वीकार कर लेगी।

श्री अमर राय प्रधान (कूच बिहार) : कल कोई अधिक कार्य नहीं है।

श्री गुलाम नबी आजाद : कल हमारे पास तीन विधेयक हैं। हमने इन तीन विधेयकों के लिए सारा दिन नियत किया है। इस बहस के लिए और अधिक समय नहीं बढ़ाया जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : हम एक घन्टे का समय बढ़ा रहे हैं। मैं प्रत्येक सदस्य को 2 मिनट से अधिक नहीं दूंगा। आप अपनी बात कहिये और तत्पश्चात आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री के० रामचन्द्र रेड्डी : हम इस ढंग से न्याय नहीं कर सकते हैं। आप इस विषय को कल लीजिये।

श्री गुलाम नबी आजाद : आप अपने नेताओं से पूछिये। हमने दल के नेताओं की पहले ही स्वीकृति लेली है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री प्रताप भानु शर्मा यदि आप सभा की भावना को नहीं समझ पा रहे हैं, तो कार्यवाही-वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

श्री प्रताप भानु शर्मा (विदिशा) : मैं केवल 5 से 6 मिनट लूंगा।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में परिवर्तन की बात कई वर्षों से की जा रही थी। हम अपने नौजवान प्रधान मंत्री आदरणीय श्री राजीव गांधी को धन्यवाद देना चाहेंगे, जिन्होंने इस शिक्षा नीति में परिवर्तन की तरफ पहल की और अपने पहले राष्ट्रीय प्रसारण में इस बात का आह्वान किया कि हमारी शिक्षा नीति में आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है। और ऐसी शिक्षा नीति होनी चाहिए जो राष्ट्र की वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप हो नैतिक मूल्य पर आधारित हो। इसके साथ ही सामाजिक न्याय दिलाने वाले और रोजगार उन्मुख हो।

मुझे खुशी है कि आज सदन के समक्ष शिक्षा नीति का जो प्रारूप प्रस्तुत किया गया है उसमें सभी भावनाओं को ध्यान में रखा गया है। आज इस प्रारूप के द्वारा देश की वर्तमान आवश्यकता के अनुरूप शिक्षा नीति को ढालने का जोरदार प्रयास किया गया है। इसके लिये भी मैं उन्हें बधाई देना चाहूंगा।

सबसे महत्वपूर्ण बात नवोदय विद्यालय के बारे में कही गई है। इसके द्वारा योग्य और होनहार छात्रों को पूरा मौका देने को प्रयास किया गया कदम है। अतः इसका समर्थन सभी तरफ से किया जाना चाहिए। इसमें न तो वर्ग का ध्यान रखा गया है और न ही कोई गरीब-अमीर बच्चे का ध्यान रखा गया है। एक नये दृष्टिकोण से उन योग्य बालकों को आगे बढ़ाने के लिये ही उस विद्यालय को स्थापित करने की बात कही गई है जिससे कि उन्हें अच्छी कोवेट की शिक्षा प्रदान की जा सके। इस कारण भी शिक्षा मंत्रालय का यह कदम स्वागत योग्य है।

रोजगार उन्मुख शिक्षा की तरफ भी हमारे शिक्षा मंत्रालय का ध्यान गया है। हमारे देश में जिस तरह से बेरोजगारों की समस्या कई वर्षों से देखने को मिल रही है, उसको भी दूर करना आवश्यक है। सरकार ने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से बेरोजगारी की समस्या को हल करने का प्रयास किया है। अभी जो आंकड़े मौजूद हैं, उससे पता चलता है कि छठी पंचवर्षीय योजना के आखिर तक करीब 47 लाख ऐसे लोग हैं जो हायर सेकेण्डरी या मैट्रिक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद बेरोजगार हैं। करीब 20-22 लाख लोग ऐसे हैं जो कि ग्रेजुएट है और वह शिक्षा हासिल करने के बाद बेकार बैठे हैं। उनको रोजगार के साधन सुलभ नहीं हैं। हमें विश्वास है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत उन्हें रोजगार प्राप्त होगा। जो एक नई शिक्षा नीति मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अन्तर्गत एक नये रूप में सामने आ रही है उसके द्वारा रोजगार प्रदान कराने के लिये वोकेशनल ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है। यह बात इसलिये भी आवश्यक है कि जो शिक्षा से सम्बन्धित बातें हैं जो कि कुछ विषयों में ही पढ़ायी जाती हैं, उसके सम्बन्ध में यदि व्यावहारिक ज्ञान नहीं है, वोकेशनल ट्रेनिंग नहीं है तो वह अधूरी रह जाती है। इस कारण व्यावसायिक शिक्षा को विशेष महत्व देना चाहिए। अभी तक हम आई. टी. आई. के माध्यम से और कई अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से औद्योगिक और व्यवसायिक शिक्षा की ओर ध्यान देते थे। अब हमारी सरकार ने इस ओर और अधिक ध्यान दिया है जो कि एक स्वागत योग्य कदम है।

रोजगार उन्मुख शिक्षा और प्रशिक्षण दोनों का आपस में सीधा सम्बन्ध होता है जो हमारा इम्पलायमेंट और ट्रेनिंग डिपार्टमेंट है वह आज भी लेबर मिनिस्ट्री के अन्तर्गत है जबकि उसको

[श्री प्रतापभानु शर्मा]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अन्तर्गत आना चाहिए। जब मानव संसाधन डिपार्टमेंट बना लिया है तो शिक्षा का और रोजगार का सीधा सम्बन्ध हमारे मानव संसाधनों से जुड़ता है। अतः इसको इसी मंत्रालय के अन्तर्गत लाना चाहिए।

तकनीकी शिक्षा में भी काफी गुणात्मक सुधार की आवश्यकता है। इसमें मार्डनाइजेशन की जो योजना है उसको केन्द्रीय सरकार को तेजी से लागू करना चाहिए। 1960 में जो ओपेन डोर टेकनिकल एजूकेशन पालिसी हमारी सरकार ने अपनायी थी, पंडित जवाहर लाल नेहरू का जो दृष्टिकोण था वह ठीक और सही साबित हुआ। पर आज उसमें सुधार की आवश्वकता है। आज की आवश्यकता के अनुरूप उसे बदलने की आवश्यकता है।

जो इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी हैं, आज भी वह वहीं पांच हैं। यदि हम जितने भी रीजनल इंजीनियरिंग कालेजेज हैं उनको अपग्रेड करके आई० आई० टी० का दर्जा दे देंगे तो निश्चित रूप से हमारी तकनीकी शिक्षा में सुधार होगा। और जो छोटे छोटे इंजीनियरिंग कालेज कहीं कहीं चलते हैं जो सब स्टैंडर्ड हैं और जहां पर एजूकेशन का स्टैंडर्ड प्रोफेशनलाइज्ड और कामर्शियलाइज्ड हो जाता है उनको हमें एलिमिनेट कर देना चाहिए। उच्च शिक्षा और क्वालिटी की शिक्षा की तरफ हमें ध्यान देना चाहिए।

सबसे आखिर में मैं सिर्फ यह कहना चाहूँगा कि आपने कई इंजीनियरिंग कालेजों में कुछ डेवलपमेंट सैंटर्स खोलने की योजना बनायी है। कहीं रूरल डैवलपमेंट सेंटर खोले हैं, कहीं एनर्जी डैवलपमेंट सेंटर खोले हैं, कहीं कम्प्यूटर सेंटर खोले हैं, कहीं साइंस रेंड टेक्नोलाजी के सेंटर खोले हैं, इन सबके बारे में मेरा सुझाव यह है कि जितने भी ये नयी टेक्नोलाजी और नये नौ-हाउ को विकसित करने के लिए सेंटर खोले गए हैं इनके माध्यम से इस शिक्षा का, इस ज्ञान का, इस प्रैक्टिकल एक्सपीरिएन्स का, नौ-हाउ के ट्रांसफर में उपयोग करना चाहिए। मुझे आशा है कि नयी शिक्षा नीति में इन सब सुझावों पर अवश्य ध्यान देंगे और इसको क्रियान्वित करने का प्रयास करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपको फिर समर्थन, आपको बधाई और धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री बिपिनपाल दास (तेजपुर) : मुझे इस नीति सम्बन्ध के बारे में बहुत कुछ कहना है। सर्वप्रथम मैं कहना चाहूँगा कि मैं नीति के इस प्रारूपण से बहुत प्रसन्न नहीं हूँ। मैं इस सम्बन्ध में अधिक विस्तार से नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि समय का अभाव है। मैं केवल कुछ मुद्दों के बारे में बोलूँगा।

सबसे पहले मैं यह कहना चाहता हूँ कि मैं शिक्षा को समवर्ती सूची में रखने के लिए पूर्णरूप से पक्ष में हूँ। मैं भी उन लोगों में से एक हूँ जिन्होंने शिक्षा को समवर्ती सूची में रखने का प्रस्ताव किया था।

किसी भी शिक्षा-नीति की कार्य सूची की सर्व प्रथम मद निरक्षता का उन्मूलन करना होती है। यह कार्य जन आन्दोलन के बिना तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक कि इसमें राजनैतिक दल, सामाजिक एजेंसियां प्रशासन, विद्यार्थी, अध्यापक और प्रत्येक व्यक्ति सभी पढ़े लिखे

लोग भाग न लें और सरकार को जनआन्दोलन का आयोजन करना चाहिए। केवल जन आन्दोलन के माध्यम से ही निरक्षरता को दूर किया जा सकता है। अन्यथा औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा यह कार्य नहीं कर सकती है। दूरदर्शन और आकाशवाणी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

हमारे सामने प्रश्न यह है कि किस दिशा में शिक्षा का प्रसार होना चाहिए और इसके मुख्य उद्देश्य क्या हैं मैं माननीय मन्त्रि महोदय और सरकार को बताना चाहूंगा कि शिक्षा का उपयोग सामाजिक परिवर्तन के लिए एक अत्यन्त शक्तिशाली माध्यम के रूप में किया जा सकता है इस बात को ध्यान में रखना चाहिए।

सबसे पहली बात है हमारे बच्चों को उन बुनियादी आदर्शों और सिद्धान्तों के बारे में शिक्षा देना जो राष्ट्र द्वारा स्वीकार किए गए हैं और हमारे संविधान में सम्मिलित किए गए हैं, जैसे लोकतन्त्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता। यह विचार हमारे बच्चों के मस्तिष्क में प्रारम्भ से ही बिठाये जाने चाहिए नहीं तो उनके बड़े हो जाने और वयस्क हो जाने के बाद ऐसा करना असंभव होगा। इसलिए यदि हम उन उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहते हैं जो हमने अपने समक्ष रखे हैं तो हमें अपने बच्चों को इस दिशा में बहुत शुरू से ही शिक्षित करना पड़ेगा।

इसके अलावा यह भी अत्यन्त आवश्यक हो गया है कि बचपन से ही एक वैज्ञानिक रुझान का विकास किया जाय। वैज्ञानिक रूझान का अर्थ है एक तर्क संगत दृष्टिकोण। यह दृष्टिकोण वैज्ञानिक शिक्षा के माध्यम से ही विकसित किया जा सकता है। मेरी राय में विज्ञान की शिक्षा लोवर प्राइमरी स्तर की कक्षा—I और 2 में मातृभाषा और पढ़ना लिखना तथा गणित सीखने के तत्काल बाद ही शुरू की जा सकती है। यह मेरी राय है और मैं लिखित में सरकार को भी दे चुका हूँ। इन बच्चों को प्रारम्भ में ही विज्ञान की शिक्षा देने का अर्थ होगा उन्हें आस पास की प्रकृति से साक्षात्कार कराना और प्रकृति के कार्यों के बारे में प्रारम्भिक जानकारी प्रदान कराना। जब तक हम वैज्ञानिक रुझान का विकास नहीं करते तब तक हम आधुनिक विश्व के साथ कदम मिलाकर नहीं चल सकते।

अब मैं तीसरे मुद्दे पर आता हूँ.....।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी अन्तिम बात कहिये।

श्री विपिनपाल दास : अभी अंतिम बात नहीं। मैं पाठ्यक्रम के विविधीकरण के बारे में भी कुछ कहने जा रहा था। मेरा ख्याल है कि विविधीकरण अत्यंत आवश्यक है। नीति संबन्धी विवरण में कक्षा 10 के बाद ही विविधीकरण का सुझाव दिया गया है मेरा विनम्र निवेदन यह है कि विविधीकरण कक्षा 8 से ही शुरू किया जा सकता है जबकि विद्यार्थी उच्चतर प्राइमरी स्तर पूरा कर लेता है। यह पहला चरण है जहां से विविधीकरण प्रारम्भ किया जाना चाहिए। दूसरा चरण है कक्षा 10 और तीसरा चरण है उच्चतर माध्यमिक पाठ्यक्रम पूरा हो जाने के पश्चात।

महोदय, लोकतन्त्र, समाजवाद, राष्ट्रीय एकता एवं अखण्डता तथा वैज्ञानिक रुझान पैदा करने के बारे में जो मैंने सुझाव दिए हैं उन पर तीन माध्यमों के द्वारा ही अमल किया जा

[श्री विपिनपाल दास]

सकता है अर्थात् पाठ्यक्रम द्वारा, पाठ्यपुस्तकों द्वारा और अध्यापकों द्वारा। मेरी राय में सभी पाठ्यपुस्तकों को पूर्णतः संशोधित किया जाना चाहिए ताकि साहित्य, इतिहास समाजशास्त्र और यहां तक कि अर्थशास्त्र सहित सभी पाठ्यपुस्तकों में से सभी पुरातनवादी, रूढ़िवादी, नवजागरण वादी, प्रतिक्रियावादी, जातिवादी साम्प्रदायिकता, अन्ध देशभक्तिवादी और राष्ट्र विरोधी सभी विचारों एवं बातों को निकाला जा सके। यदि आप ऐसा नहीं करते, और यदि अध्यापकों को सही तरीके से प्रशिक्षित नहीं किया जाता तो बच्चे इन पाठ्यपुस्तकों के माध्यम से प्रारम्भ से ही सभी प्रतिक्रियावादी और विघटनकारी विचारों को सीखते रहेंगे और आप आखिरकार लोगों पर ही यह आरोप लगाते रहेंगे कि उन्होंने इस देश में तनाव और संघर्ष का वातावरण पैदा कर दिया है। लोगों पर यह दोष नहीं लगाया जाना चाहिए। हमने उन्हें शुरू से ही प्रशिक्षित नहीं किया है। हमें पाठ्यपुस्तकों के माध्यम से उन्हें प्रशिक्षित करना है। इसके बाद पाठ्यक्रम की बारी आती है।

मैं इसके ब्यौरे में नहीं जाना चाहता। पाठ्यक्रम को वही आधार और वही दिशा और वही दर्शन अपनाना चाहिए। अध्यापक ऐसा केन्द्र बिन्दु है जिसके चारों तरफ शिक्षा प्रणाली घूमती है। इसलिए अध्यापकों को भी पूरी तरह से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए ताकि वह हमारे बच्चों को उसी दिशा में शिक्षा दे सकें जिसका सुझाव मैंने दिया है। यदि अध्यापक का दृष्टिकोण विपरीत होगा और वह बुनियादी सिद्धान्तों और विचारों के विरुद्ध शिक्षा देगा, तो हम अपने उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं कर सकते।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : अभिभावकों को भी शिक्षा-प्रौढ़ शिक्षा-दी जानी चाहिए।

श्री विपिनपाल दास : अभी अभिभावकों की बात नहीं हो रही है। मैं सारी चीजों का स्पष्टीकरण दे सकता हूँ।

महोदय, शिक्षा सम्बन्धी व्यवसाय के लिए अत्यधिक प्रतिभावान पुरुषों तथा महिलाओं को आकर्षित करने के प्रयास किए जाने चाहिए। यह बहुत ही जरूरी है अन्यथा इसमें कोई सुधार नहीं होगा।

शिक्षा सम्बन्धी नीति का सार मस्तिष्क, मन और हाथ होने चाहिये बजाय इसके कि हम अपने छात्रों को पढ़ने, लिखने तथा गणित सिखाने तक ही सीमित रखें, जैसाकि ब्रिटिश पद्धति है और जिसे अब अलविदा कहा जाना चाहिए। मेरे विचार से ये तीन शब्द अर्थात् मस्तिष्क, मन और हाथ ही, गांधी जी की बुनियादी शिक्षा का सार हैं। मस्तिष्क में बौद्धिक तत्व होना चाहिये। मन में मानवीय दया, सहानुभूति और भावनाएं एवं सौम्यता होनी चाहिए। हाथों को काम सीखना चाहिए, मस्तिष्क और हाथ को इकट्ठा काम करना चाहिये और तभी सही रूप में शिक्षा दी जा सकेगी तथा यही शिक्षा हमारे देश के विकास के लिये उपयोगी होगी। इसलिये मेरी राय यह है कि इन तीन बातों को गांधी जी की बुनियादी शिक्षा के सिद्धान्त का सार मानना होगा।

महोदय, आदर्श स्कूलों के सिद्धान्त के बारे में विवाद पैदा हो गये हैं। आदर्श स्कूल उन तथाकथित पब्लिक स्कूलों से पूरी तरह भिन्न हैं जिनका मैंने विरोध किया है और मैं वर्तमान पब्लिक स्कूलों का पूरी तरह विरोध करता हूं। आदर्श स्कूल हर जाति, हर सम्प्रदाय अथवा हर लिंग व वर्ग के हर लड़के और लड़की के लिए होना चाहिये। आदर्श स्कूलों में भर्ती का मानदण्ड केवल योग्यता ही होनी चाहिये। फिर भी हम अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन-जाति के लोगों को कुछ रियायत दे सकते हैं। यह अलग प्रश्न है। मुख्य प्रश्न योग्यता का होना चाहिये ताकि सामाजिक स्तर का अथवा ऊंचे वर्ग का अथवा मध्यम वर्ग का और न ही सम्पन्नता का। यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए और यह बहुत आवश्यक है। यह आवश्यक क्यों है ? मैं उन लोगों में से एक हूं जिन्होंने सरकार को आदर्श स्कूल के सिद्धान्त का सुझाव दिया था। अपने लड़कों और लड़कियों को योग्य और सर्वोत्तम बनाने के लिये यह बहुत जरूरी हो गया है। देश में प्रशासन के, व्यवसाय के, विज्ञान तथा उद्योग के, कृषि के, चिकित्सा आदि के उच्चतम पदों को भरने के लिये यह अत्यन्त रूप से आवश्यक होगा। जब तक हम शुरू से ही योग्यता के इस वर्ग का निर्माण नहीं करेंगे, तब तक इस राष्ट्र का शासन औसत दर्जे के अथवा औसत से भी कम दर्जे के लोगों द्वारा किया जाता रहेगा। इससे कार्यक्षमता पर बहुत प्रतिकूल असर पड़ेगा। इसलिये यदि हम एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर 21वीं सदी में जाना चाहते हैं तो कम से कम हर जिले में एक-एक आदर्श स्कूल अवश्य होना चाहिये।

विविधीकरण के बारे में मैं बता ही चुका हूं। एक अध्यापक के नाते मुझे विश्वविद्यालय शिक्षा, शिक्षा प्रणाली, परीक्षा प्रणाली अनुसंधान आदि के बारे में बहुत कहना था। परन्तु आप मुझे इतना समय ही नहीं दे रहे हैं इसलिये मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

श्री समर कुमार मंडल (जयनगर) : उपाध्यक्ष महोदय मान्यवर, मैं बंगला में बोलूंगा।

(बंगला में बोले)

श्री अमररॉय प्रधान (कूच बिहार) : महोदय, कोई अनुवाद नहीं आ रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं भी यही देख रहा हूं। तब उन्हें इन्तजार करने दीजिए। श्री चित्त महाता।

[हिन्दी]

श्री चित्त महाता (पुरुलिया) : उपाध्यक्ष महोदय, यह बड़ी संतोष की बात है कि इस सदन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर चर्चा चल रही है। कोई भी देश तभी आगे बढ़ सकता है, जिसकी शिक्षा नीति सही हो और आम जनता के लिए वह उपलब्ध हो। लेकिन पिछले दो दशकों पर नजर डालने से पता चलता है कि शिक्षा में वांछित सुधार इसलिए नहीं हो पाया, क्योंकि कमीशन पर कमीशन बैठाते गए और बच्चों के ऊपर एक्सपैरिमेंट होते गए। कोठारी आयोग की रिपोर्ट और 1968 की शिक्षा नीति, जिस वातावरण और उपायों की कल्पना की थी, उसको पूरा करने के न पर्याप्त साधन रहे, न समुचित उपाय। यह बात दस्तावेज में स्वीकार की गई है।

यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस सदन में पेश करने के पहले हमारे प्रधान मंत्री और मिनिस्टर आफ ह्यूमन रिसोर्स और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और शिक्षा मंत्रियों के साथ चर्चा की है।

[श्री चित्त महाता]

कुछ राज्यों के शिक्षा मंत्रियों ने नवोदय विद्यालय के बारे में विरोध भी किया है लेकिन ताज्जुब की बात है कि इस चर्चा के पहले केन्द्रीय सरकार राज्यों के प्रत्येक जिले में नवोदय स्कूल खोलने के लिए कार्यवाही शुरू कर दी है। यह बात सही है कि कुछ प्रतिभावान छात्रों को इसमें सुविधा होगी और सैन्ट्रल स्कूल से अलग ढांचा बनेगा। शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्डट्राइब्स के बच्चों को आरक्षण रहेगा, लेकिन कैसे घराने शैड्यूल्ड कास्टस और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के आयेंगे। जिन लोगों के मां-बाप शिक्षित हैं। वे बड़े-बड़े आफिसर हैं। खेतिहर मजदूर और किसान के लड़कों का इसमें भर्ती होना मुश्किल है।

दूसरी खामी इसमें यह है कि इन विद्यालयों में जितने प्रतिभावान लड़कों को पढ़ने का सहयोग मिलेगा, उससे बीस गुना ज्यादा प्रतिभावान विद्यार्थियों को साधारण स्कूल में ही पढ़ना पड़ेगा। असलियत यह है कि नवोदय विद्यालय में कुछ धनी और शिक्षित लोगों की जरूरत को ही पूरा करेंगे। इन विद्यालयों के पीछे करोड़ों रुपए खर्च होंगे उसका फायदा या लाभ कुछ आदमियों को ही मिलेगा और इसका भारी बोझ गरीब पर पड़ेगा। इसलिए नवोदय विद्यालय का विचार छोड़ देना चाहिए।

1978 के एक विशेष सर्वेक्षण से पता चला है कि हमारे देश में 80 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालयों में मिट्टी के घर हैं, 40 प्रतिशत विद्यालयों में ब्लैक बोर्ड नहीं हैं और 35 प्रतिशत स्कूलों में एक ही शिक्षक है और 60 प्रतिशत विद्यालयों में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। इसलिए हमारे देश में करोड़ों रुपए खर्च करके नवोदय विद्यालय खुलने से आम लोगों को फायदा होगा। शिक्षा के ऊपर केन्द्रीय सरकार ने दो प्रतिशत से कम बजट में रुपयों का प्रावधान किया है। पहली पंचवर्षीय योजना में 7.5 प्रतिशत शिक्षा पर खर्च किया है और उसके बाद राशि धीरे-धीरे पंचवर्षीय योजनाओं में घटती गई है। इसलिए शिक्षा नीति को कामयाब करने के लिए और व्यवहारिक रूप देने के लिए कम से कम बजट में 10 प्रतिशत रुपये का प्रावधान होना चाहिए।

एक बात यह भी कहना चाहता हूं कि पहली कक्षा और आठवीं कक्षा के बीच पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों की संख्या 75 प्रतिशत से अधिक है। शेड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्स की जातियों में तो यह संख्या इससे भी ज्यादा है। हमारे देश में करीब 50 प्रतिशत आदमी गरीबी सीमा रेखा के नीचे हैं। इसलिए बच्चों को घर के काम में लगा देते हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि हर छात्र को मुफ्त पुस्तकें दी जायें, मिड-डे मील का प्रबन्ध किया जाए, एटेंडेंस स्कोलरशिप की व्यवस्था की जाए और स्कूल का वातावरण बच्चों को आकर्षित करने लायक बनाया जाए। इनके लिए धनराशि की व्यवस्था केन्द्रीय सरकार को करनी पड़ेगी।

हमारे यहां आधी आबादी लड़कियों की है लेकिन उनके साथ शिक्षा में भेदभाव किया जाता है। यह सही है कि आरम्भ में लड़कियों की संख्या विद्यालय में खूब रहती है पर धीरे-धीरे वे पढ़ाई छोड़ती जाती हैं। अपनी आबादी के आधे भाग की हम अपेक्षा करें और आधे को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, तो यह दावा खोखला है। इसलिए महिलाओं की शिक्षा पर जोर देना जरूरी है।

हमारी शिक्षा प्रणाली में भारी विषमता है। शहरी और ग्रामीण इलाकों में शिक्षा में भारी अन्तर है। आम मान्यता यह है कि शहर के विद्यालयों मे अच्छी पढ़ाई होती है और ग्रामीण विद्यालयों में खराब। दो तरह के विद्यालय भी हैं, पब्लिक स्कूल और साधारण स्कूल। सभी वर्गों के लिए एक से स्कूल होने चाहिए।

केन्द्रीय सरकार संविधान बनाने वालों की इच्छा को देखते हुए शिक्षा को कोन्क्रेन्ट लिस्ट से निकाल कर राज्य सूची में डाल दे और शिक्षा की धनराशि राज्य सरकारों को दे दे क्योंकि हमारा देश एक विशाल देश है। सभी राज्यों में अलग अलग सांस्कृतिक स्तर और उपलब्ध साधन हैं। भाषाएं भी अलग अलग हैं। राज्य सरकार इन सबों के ऊपर नजर रख कर करीकुलम बनाएगी।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 10 जमा 2 जमा 3 शिक्षा का स्तर माना गया है लेकिन जमा 2 स्कूलों में भी है और कालेजों में भी। विद्यार्थी कालेज में भर्ती होने के लिए कोशिश करते रहें क्योंकि वहां अच्छी लाइब्रेरी की फैसीलिटी है, लेबोरेटरी की फैसीलिटी है। इसलिए जमा 2 स्कूल में रहेगी या कालेज में, इस पर सही विचार करना चाहिए क्योंकि कालेज में जो शिक्षक पढ़ाते हैं, उन लोगों को ज्यादा रुपये मिलते हैं और हायर सैकेन्डरी में शिक्षकों को कम तनखवाह मिलती है। इसलिए जमा 2 क्लास स्कूल के साथ रखी जाए और स्कूल की लाइब्रेरी फैसीलिटी और लेबोरेटरी फैसीलिटी आदि बढ़ाई जाए।

नान-फार्मल एजूकेशन और एडल्ट एजूकेशन के ऊपर भी जोर देना चाहिए और यह रियेलिस्टक बेसिस पर होनी चाहिए। यह इस तरह की होनी चाहिए कि किसान, खेतिहर मजदूर और श्रमिक इसको पा सकें।

मेरा कहना यह भी है कि शिक्षा नीति अगर ठीक ढंग से लागू नहीं करते हैं तो हमारे देश में निरक्षरों की संख्या बढ़ती ही जाएगी और 21 वीं सदी में निरक्षरों की संख्या 50 करोड़ से अधिक हो जाएगी।

इतना कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं

[अनुवाद]

***श्री आर० जीवरत्नम** (अराकोनम) : उपाध्यक्ष महोदय, मान्यवर, मैं नई शिक्षा नीति, जो माननीय मानव संसाधन विकास मन्त्री द्वारा इस सदन में पुरः स्थापित की गई है, के बारे में केवल एक दो बातों पर संक्षेप में उल्लेख करूंगा। मैं इस नई शिक्षा नीति का हार्दिक समर्थन करता हूं। सभी स्वतन्त्रता सेनानियों की जीवनियां भारतीय इतिहास के सबकों के रूप में स्कूलों में पढ़ाई जानी चाहिए। प्राथमिक स्कूल स्तर पर ही स्वतन्त्रता संग्राम का ब्यौरा बताया जाना चाहिए। समूचे देश में त्रिभाषा सूत्र को लागू किया जाना चाहिए। समूचे तमिलनाडु में नवोदय विद्यालय खोले जाने चाहिए। इन विद्यालयों के कार्यकरण की देख भाल करने के लिए प्रत्येक राज्य में एक अनन्य निदेशक की नियुक्ति की जानी चाहिए। प्रत्येक जिले में एक ऐसा कालेज होना चाहिए जिसमें त्रिभाषा सूत्र अनिवार्यतः लागू किया जाना चाहिए। विश्वविद्यालय

*मूलतः तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्री आर० जीवरत्नम]

स्तर पर वैज्ञानिक विषय अनिवार्यरूप में लागू करने की व्यवस्था की जानी चाहिए। प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान तथा इंजीनियरिंग कालेज खोले जाने चाहिए। गैर-सरकारी क्षेत्र के कालेजों और सरकारी मान्यता प्राप्त कालेजों में भी लिए जा रहे संदान और प्रतिव्यक्ति फीस पर सांविधिक रूप में प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिए। मैंने अपनी जवानी के दिनों में स्वतन्त्रता संग्राम में भाग लिया था। जब मैं प्राथमिक स्कूल में था तो विद्यार्थियों को शाम को अंग्रेजी में एक गाना गाना पड़ता था जिसका अर्थ था 'भगवान राजा की रक्षा कर और राजा प्रजा की।' ब्रिटेन के लोग प्रत्येक शाम अनिवार्यतः विद्यार्थियों से इस गाने को गवाकार भारत में अपने शासन को और मजबूत कर रहे थे। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्राथमिक विद्यालयों में ऐसा ही गाना नियमित रूप से गवाया जाना चाहिए। यह इस प्रकार होना चाहिए—'भगवान भारत के लोगों की रक्षा करे और भारत के लोग देश की रक्षा करें।' छोटे बच्चों के दिमाग में राष्ट्रीयता की भावना जागृत की जानी चाहिए। जैसा कि भरतियार कहा करते थे कि हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक भारत एक राष्ट्र है। हमारी शिक्षा को प्राथमिक स्कूल स्तर के छोटे बच्चों को एक राष्ट्र के इस सिद्धान्त को सिखाना चाहिए।

हमारे देश के कुछ स्थानों पर प्राथमिक स्कूलों और माध्यमिक स्कूलों के समीप देशी शराब की दुकानें हैं ? मैं चाहता हूं कि शिक्षा केन्द्रों के समीप देशी-शराब की ऐसी दुकानों को उठाया जाना चाहिए, यदि आवश्यकता पड़े तो इन्हें कानून बनाकर भी उठाया जाना चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दक्षिणी राज्यों के गैर-हिन्दी भाषी लोगों को यह आश्वासन दिया था कि जब तक वे चाहते हैं अंग्रेजी को जारी रखा जाएगा। इस आश्वासन को केन्द्रीय सरकार द्वारा अक्षरशः कार्यान्वित किया जाना चाहिए। मेरा यह भी सुझाव है कि जो विद्यार्थी हिन्दी सीखना चाहते हैं उन्हें प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। जो विद्यार्थी हिन्दी सीखना चाहते हैं उन्हें माध्यमिक स्कूल स्तर तक पाठ्य पुस्तकें मुफ्त दी जानी चाहिए। केन्द्र को तमिलनाडु में उन लोगों के लिए, जो हिन्दी सीखना चाहते हैं, प्रोत्साहनों की ऐसी एक योजना देनी चाहिए। यदि किसी विद्यार्थी ने हिन्दी को वैकल्पिक विषय के रूप में भी लिया है तो उसे सफल घोषित करने के लिए उसके द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंकों में यदि आवश्यकता पड़े तो हिन्दी में उसे प्राप्त अंकों को भी जोड़ दिया जाना चाहिए। यह विद्यार्थियों को हिन्दी सीखने के लिए प्रेरित करेगा। हिन्दी राष्ट्र-भाषा है और देश की एकता के हित में इसे समस्त देश में पढ़ाया जाना चाहिए। जब श्री कामराज तमिलनाडु के मुख्य मन्त्री थे तो उस समय तमिलनाडु में ऐसी एक योजना कार्यान्वित की जा रही थी। उस समय मैं राज्य विधान सभा का सदस्य था। इसीलिए मैं यह सुझाव दे रहा हूं कि हिन्दी के प्रचार-प्रसार के लिए तमिलनाडु में इस प्रकार एक योजना कार्यान्वित की जानी चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त कर रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री गिरधारीलाल व्यास (भीलवाड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष जी नेशनल पालिसी आन एजूकेशन 1986 के सम्बन्ध में जो रिजोल्युशन प्रस्तुत किया गया है, उसका मैं समर्थन करता हूं।

सबसे पहला सवाल यह है कि अरली चाइल्डहुड केअर एण्ड एजूकेशन के सम्बन्ध में आपने बहुत लम्बी-चौड़ी बातें कही हैं कि बच्चों की न्यूट्रीशन, हैल्थ, सोशल, मेन्टल, फिजिकल,

मोरल, इमोशनल डवलपमेंट सारी की सारी आप डवलपमेंट करेंगे। लेकिन यह किस तरह से करेंगे इसके सम्बन्ध में आपने कुछ नहीं बताया।

सबसे बड़ी बात यह है कि आप छोटे बच्चों को प्राइमरी एजूकेशन के लिए एजूकेट करना चाहते हैं और इसके लिए उन्हें ये सारी सुविधाएं देंगे। ये सुविधाएं कितने बड़े पैमाने पर करेंगे और इसके लिए आप कितना पैसा खर्च करेंगे? आपने पांच हजार करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है। इस राशि में क्या इतने बड़े कार्य की पूर्ति हो पायेगी? मेरे विचार में इतने धन में आप ये सारी व्यवस्था नहीं कर पायेंगे। आप बताइये कि अरली चाइल्डहुड केअर एण्ड एजूकेशन को आप किस प्रकार से इम्पलीमेंट करेंगे और अरबन एरियाज में या दूसरे एरियाज में जितने भी छोटे बच्चे हैं क्या उन सब के लिए यह व्यवस्था हो जायेगी? क्या आपके पास इतने साधन हैं जिनसे कि आप ये सारी व्यवस्था कर पायेंगे? एलीमेंट्री एजूकेशन के बारे में हमने पहले भी बताया है कि एलीमेंट्री एजूकेशन के लिए न तो स्कूल हैं, न टाट-पट्टियां हैं, न कोई व्यवस्था है, न स्कूलों में टीचर हैं, राजस्थान में मैंने देखा है कि स्कूल तो आपने खोल दिए हैं, लेकिन कम से कम 10 हजार पद टीचर्स के खाली हैं, पैसों का अभाव है जिसकी वजह से प्राइमरी स्कूल्स बिना टीचर्स के चल रहे हैं और सिर्फ टीचर्स का ही अभाव नहीं है बल्कि दूसरी सुविधाएं भी जो मिलनी चाहिए, वे नहीं हैं। आपने दो कमरे की व्यवस्था प्राइमरी स्कूल्स के लिए करने के लिए कही है, इसको आप कैसे करेंगे। एन० आर० ई० पी० के लिए तो आप सिर्फ मजदूरी का पैसा देते हैं, उसमें मटीरियल कंपोनेन्ट नहीं है, इसके बगैर वह कैसे बन सकता है, कैसे हर स्कूल के लिए दो कमरों की व्यवस्था हो सकती है। क्या आपने इसके सम्बन्ध में कोई प्रावधान किया है जिसके तहत हर प्राइमरी स्कूल के लिए दो कमरों की व्यवस्था हो सके, इसके बगैर प्राइमरी एजूकेशन कैसे चल पाएगी। इसी तरह से प्राइमरी स्कूल्स में जितने स्टाफ की नियुक्ति की गई है वह सिर्फ एप्लायमेंट उपलब्ध कराने की खातिर की गई है। टीचर्स वहां पर पढ़ाते नहीं हैं, उनको ऐजूकेट करने के लिए रेफ्रेशर कोर्सेज की व्यवस्था नहीं की गई है। इसके अभाव में कैसे वे ठीक प्रकार से इन संस्थाओं को चला सकेंगे और उन बच्चों को किस प्रकार से तैयार कर सकेंगे, जिसके बारे में आपने इस पालिसी में व्यवस्था की है।

तीसरी बात मैं माडल स्कूल्स के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। अभी हमारे माननीय सदस्य बहुत जोरों से इनका समर्थन कर रहे थे, लेकिन मुझे इससे बहुत खतरा लगता है। जितने भी डिस्ट्रिक्स आफीशियल्स होंगे, उनके बच्चों को ही इसमें सुविधा मिलेगी। गांव के बच्चों को, गरीब आदमी के बच्चों को इसमें स्थान नहीं मिलेगा। इसमें कहा गया है कि अच्छे पढ़ने वाले बच्चों को मैरिट के आधार पर इसमें लिया जाएगा, लेकिन मैरिट पर किसके बच्चे आएंगे। जिले में जो अधिकारी लोग हैं उनके बच्चे मैरिट पर आएंगे या गरीब लोगों के, किसानों के बच्चे मैरिट पर आएंगे। शेड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्स बच्चों को तो रिजरवेशन के जरिए स्थान मिल मिल जाएगा, लेकिन दूसरे बच्चों को कैसे इसमें स्थान मिलेगा। गरीब किसान के बच्चे का मैरिट पर आना नामुमकिन है। आपने कहा है कि बिना कास्ट एण्ड क्रीड के आधार पर इसमें व्यवस्था की जाएगी, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि यह व्यवस्था कैसे हो सकती है। जिले में 11-12 लाख की आबादी है और देहात में जितने किसान रहते हैं, उनको अगर परसेंटेज के हिसाब से उसमें स्थान मिले तब तो ठीक है वरना जितने जिले के अधिकारी हैं, उनके बच्चे ही इन स्कूलों

[श्री गिरधारीलाल व्यास]

में जा सकेंगे। गरीब लोगों को इसमें जाने का हक नहीं होगा, इसलिए इस व्यवस्था को माकूल तरीके से करने की आवश्यकता है। इस तरह की व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे गरीबों के बच्चों को भी इसमें एडमीशन मिल सके।

एक बात और कहना चाहता हूं। आज आप कहते हैं कि बिना भेदभाव के यूनीवर्सलाइजेशन आफ एजूकेशन करेंगे, इसको आप कैसे करेंगे। आज बड़े-बड़े लोगों के बच्चे, बड़े अधिकारियों के बच्चे पब्लिक स्कूल्स में पढ़ते हैं और यही बच्चे आई० ए०एस०, आई०पी० एस०, फारेन सर्विसेस, एलाइड सर्विसेस, स्टेट सर्विसेस में आते हैं। ये सब पब्लिक स्कूल्स में पढ़ते हैं और सरकारी प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, सेकण्डरी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे इसमें नहीं आते। शेड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्स के बच्चों को रिजर्वेशन के आधार पर इसमें स्थान मिल जाता है या इक्का-दुक्का बाकी लोग इसमें आ जाते हैं, लेकिन आमतौर पर इन सर्विसेस में बड़े लोगों के बच्चे ही आ पाते हैं जो पब्लिक स्कूल्स में पढ़ते हैं। अगर आप बराबरी का अधिकार देना चाहते हैं तो निश्चित तरीके से इन व्यवस्थाओं को रोकना होगा। अगर आप पब्लिक स्कूल्स को चलने देना चाहते हैं तो इसमें एक परसेंटेज कायम करना होगा, जिसमें गरीब आदमियों के बच्चों को परसेंटेज के मुताबिक एडमीशन मिलेगा और उसका सारा खर्चा सरकार वहन करेगी, तभी आपकी यह व्यवस्था ठीक प्रकार से चल सकेगी वरना ये सारी व्यवस्थाएं जिनके बारे में पालिसी में कहा गया है, वे सारी की सारी बेकार हो जाएंगी और इनसे किसी प्रकार का लाभ नहीं होगा। इसलिए इन व्यवस्थाओं को निश्चित तरीके से ठीक करना चाहिए।

वोकेशनल एजूकेशन के बारे में ज्यादा इसको बढ़ावा देने की बात कही गई है और बताया गया है कि इसमें ऐसे लोगों को ट्रेंड किया जाएगा, ताकि पढ़-लिखकर एम्प्लायमेंट की समस्या उनके सामने न आए, लेकिन इसको आप किस तरीके से करेंगे। आज आपके पास इतने साधन कहां हैं? आज जितने हायर सेकण्डरी स्कूल्स खुले हुए हैं, उनमें वोकेशनल एजूकेशन का प्रावधान करने के लिए आपने क्या प्रावधान किया है, क्या व्यवस्था आपने की है? आज भी बहुत सी शिक्षण संस्थाएं ऐसी हैं जहां आपने साइंस विषय शुरू कर दिया, एग्रीकल्चर विषय शुरू कर दिया, अन्य प्रकार के टेक्नीकल विषय शुरू कर दिए, लेकिन वहां पर ये सुचारू रूप से नहीं चल पा रहे हैं। न लेबोरेट्री है न वहां पर टूल्स एण्ड इक्वीनेट्स हैं। न कमरा है, न लेबोरेटरी है, न सामान है और न कोई व्यवस्था है। ऐसी हालत में जो वोकेशनल आप देना चाहते हैं, वह किस प्रकार से दे पायेंगे और उन लोगों को रोजगार के अवसर किस प्रकार से दे सकेंगे। इसमें मुझे शक लगता है। सीमित साधनों में एजूकेशन पालिसी को आपने लम्बा-चौड़ा बता दिया है। ऐसा बता दिया है जैसे कि आप स्वर्ग बना देंगे। मुझे नहीं लगता कि सारी व्यवस्था ठीक हो पायेगी।

मैं चाहता हूं कि टैक्नीकल एजूकेशन का आप ज्यादा से ज्यादा विस्तार करें। दूसरी एजूकेशन की बजाय आई० टी० आई०, पोलिटैक्नीक, और इन्जीनियरिंग कालेज में टैक्नीकल एजूकेशन का विस्तार ज्यादा से ज्यादा हो, और तहसील ब्लाक तथा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ज्यादा से ज्यादा विस्तार किया जाय। इससे लोगों को एम्पलायमेंट की फैसिलिटी मिल सकेगी और मैन पावर को ज्यादा तैयार कर सकेंगे। एम्पलायमेंट की प्राबलम जो एजूकेशन के द्वारा आप मिटाना चाहते हैं वह नहीं मिटा पायेंगे। टैक्नीकल एजूकेशन का ज्यादा से ज्यादा विस्तार हो और उसके

साथ-साथ जो इण्डस्ट्रीयलिस्ट हैं उनको हिदायत करें कि जो भी इन्डस्ट्री स्थापित हुई है, वह इन्डस्ट्रीयलिस्ट अपने यहां लोगों को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देकर लोगों को रोजगार के लिए तैयार करे। कहना बहुत कुछ चाहता था, लेकिन आप बार-बार घण्टी बजा रहे हैं इसलिए अपनी बात यहीं पर समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री राजकुमार राय : महोदय, मैं दो मिनट का समय चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं, आपको प्रतीक्षा करनी होगी। मैं आपके फायदे के लिए नियम उद्धत कर सकता हूं। नियम 115 क (3) में गया है कि "अध्यक्ष उन सूचियों अथवा क्रम से बाध्य नहीं होगा जिसमें कि दलों या वर्ग अथवा व्यक्तियों द्वारा सीधे नाम भेजे जायेंगे। सूचियां केवल उसके मार्गदर्शन के लिए होंगी और जब कभी आवश्यक हो उसे उसमें सदा परिवर्तन करने का अधिकार होगा ताकि अध्यक्ष द्वारा समय-समय पर निर्धारित किये गये सामान्य सिद्धान्तों के अनुसार वाद-विवाद का विनियमन हो सके।"

श्री राजकुमार राय : मुझे केवल दो मिनट का समय चाहिये और कुछ नहीं।

[हिन्दी]

श्री मानवेन्द्र सिंह (मथुरा) : माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय शिक्षा मन्त्री जी का राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रारूप सदन में विचारार्थ प्रस्तुत करने के लिए हृदय से आभार प्रकट करता हूं। समय कम है इसलिए सूक्ष्म में कुछ अपने विचार रखना उचित समझता हूं। आज देश में एक बड़ा चिन्ता का विषय है कि जो हम लोगों का नेशनल करैक्टर है, वह बड़ी तेजी से गिरता जा रहा है। दो वर्ष पूर्व की घटना का स्मरण करें। हमारी स्वर्गीय प्रधान मन्त्री जी की हत्या इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। उनके रक्षक ही भक्षक बन गए। यह स्पष्ट दर्शाता है कि हमारे देश का चरित्र काफी तेजी से आज गिर रहा है। मैं यह कहना चाहूंगा कि सामाजिक, राजनीतिक, व्यावसायिक या प्रशासनिक तौर पर देखें तो जो भी इसका प्रतिनिधित्व करते हैं या कर रहे हैं तो चरित्र ही आड़े आता है। हमारे देश की प्रगति गिरती जा रही है। आज आवश्यकता है कि हमारे यहां के बच्चों को चरित्र की शिक्षा दी जाय। किसी ने कहा है कि :

[अनुवाद]

जब धन चला जाता है तो कुछ नहीं जाता।
जब स्वास्थ्य गिर जाता है तो थोड़ा-बहुत जाता है।
जब चरित्र चला जाता है तो सब कुछ चला जाता है।

[हिन्दी]

मैं इस बात पर जोर दूंगा कि चरित्र निर्माण में शिक्षा को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। जहां तक प्रश्न हमारे गुरूजनों का है और जैसी कि अभी चर्चा हो रही थी, उनका स्तर जरूर गिरा है। उनका स्तर जरूर गिरा है, वह भी चरित्र से जुड़ा हुआ है। हमारे शास्त्रों में कहा है जो गुरू है उसकी महिमा है।

[श्री मानवेन्द्र सिंह]

गुरू गोविन्द दोऊ खड़े काके लागू पांय ।
बलिहारी गुरू आपने गोविन्द दियो मिलाय ।

दूसरा हमारे शास्त्रों में कहा है कि गुरू ब्रह्मा, गुरू विष्णु गुरूदेवा गुरू महेश्वर साक्षात परमेश्वर ब्रह्मा तस्मई श्री गुरूदेव नमः । आज हम उसका स्मरण करें और हम गुरूओं का ऐसा रूप समाज में प्रस्तुत करें जिससे जो हमारे बालक हैं उनको शिक्षित करें और समाज में लोगों के चरित्र का उत्थान हो । आज हमारे सामने जो दिक्कतें और परेशानियां आ रही हैं वह स्वतः ही इससे समाप्त हो जायेंगी । मैं इसी सम्बन्ध में प्राइमरी शिक्षा की तरक्की के लिए माननीय मन्त्री जी और सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा । प्राइमरी शिक्षा की आज हालत यह है कि अगर हम देहातों में देखें तो स्कूलों की इमारत टूटी हुई है, पेड़ों के नीचे बच्चे पढ़ते हैं, सर्दियों में, बरसात में या तेज धूप में वह पढ़ नहीं पाते, इसलिए उनकी दुर्दशा को अवश्य सुधारना है । जहां तक हमारी शिक्षा नीति पर जोर देने का प्रश्न है तो ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक प्रोत्साहन देना चाहिए, क्योंकि शहरों में बालक किसी न किसी रूप में शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं, मगर ग्रामों में आज भी बालकों को विशेषकर छात्राओं को यह सुविधा नहीं है । हम थोड़े रूढ़िवादी हैं, हम पसन्द नहीं करते कि हमारी छात्रायें 10-20 किलोमीटर दूर जाकर अकेले शिक्षा ग्रहण करें । इसलिए उनको शिक्षा देने का स्थान अधिक कम दूरी पर होना चाहिए और वहां पर ग्रामीण अन्चलों के लिए इसको प्राथमिकता देनी चाहिए । इसके साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करूंगा आज जो रोजगार का प्रश्न हमारे सामने खड़ा हो रहा है उसके लिए योग्यता होती है स्नातक या पोस्ट ग्रेजुएट ऐसे बहुत से लोग बेरोजगार हैं उनके लिए टैक्नीकल योजना का इसमें जरूर प्रावधान रखना चाहिए । आज हम ग्रामीण अन्चलों में देखें इलैक्ट्रिशियन नहीं मिलते हैं, बढ़ई नहीं मिलते हैं, टी० वी० मेकेनिक नहीं मिलते हैं, रेडियो बनाने वालों की कमी है, इनके लिए शिक्षा को हर स्तर पर ले जाना चाहिए, आटोमोबाइल्स में देखें, कृषि में अच्छे तरीके से सुधार हो रहा है, वहां ट्रैक्टर मेकेनिक्स नहीं मिलते हैं । ग्रामीणों को शहरों में आना पड़ता है । ग्रामीण बालकों के लिए टैक्नीकल शिक्षा का मैं समर्थन करता हूँ और मैं मांग करूंगा टैक्नीकल शिक्षा ग्रामीण स्तर पर जरूर दी जानी चाहिए जिसे कम शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी भी इस शिक्षा को ग्रहण करके वहां अपना स्वतः रोजगार चलाने का प्रयास कर सकें और दूसरे लोगों को सुविधा मिले ।

मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपका और सरकार के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ और आशा करता हूँ जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें सरकार पूरी रुचि लेकर और सख्ती से इस काम को लागू करेगी जिससे शिक्षा की पद्धति अच्छी हो सके ।

[अनुवाद]

श्री लाल विजय प्रतापसिंह (सरगुजा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षा नीति 1986 का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ । मैं कहना चाहूँगा कि राष्ट्र-निर्माण की क्रियाओं में शिक्षा का अत्यधिक महत्व है । इस सन्दर्भ में शिक्षा केवल सफलता की ही कुंजी नहीं है बल्कि यह हमारे समाज का प्राण है । यह बड़े दुःख की बात है कि इस संसार में लाखों लोग अशिक्षित हैं और उनमें से ज्यादातर भारत में रहते हैं । इसका तात्पर्य यह नहीं है कि हम लोगों ने अभी कुछ भी महत्वपूर्ण कार्य नहीं किया है ।

एक माननीय सदस्य : हम लोग चाहते हैं कि चर्चा के लिए सभा का समय एक घन्टा और बढ़ा दिया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, उनको अपनी बात कहने दीजिए समय मत बर्बाद करिए।

(व्यवधान)

श्री गिरधारीलाल डोगरा (ऊधमपुर) : आप समस्या का सामना नहीं कर रहे हैं। हम लोग समस्या का सामना कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रत्येक व्यक्ति को अवसर दूंगा। बढ़ा हुआ समय अभी भी बाकी है। श्री सिंह खड़े हुए हैं। वह अपना भाषण जारी रखें।

श्री लाल विजय प्रतापसिंह : विज्ञान और प्रौद्योगिकी, अन्तरिक्ष के अन्तर्गत हमारे कार्यक्रमों तथा शान्तिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु ऊर्जा का उपयोग करने वाले हमारे कार्यक्रमों ने, सभी ने प्रगति की है। मैं कहना चाहूंगा कि हमारी नयी शिक्षा नीति से इन कार्यक्रमों में नये आयाम जुड़ जायेंगे। हम लोग चौराहे पर खड़े हैं। हम लोग एक लम्बी उछाल के साथ इक्कीसवीं शताब्दी में पहुँचना चाहते हैं। यह हमारे युवा प्रधानमन्त्री जी की इच्छा है। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए, हमारी नयी शिक्षा नीति में यह प्रावधान किया गया है कि कमजोर वर्ग के लोगों के लिए विशेषरूप से आदिवासी क्षेत्रों में, जहां औपचारिक, शिक्षा बहुत व्यावहारिक नहीं हो पायी है, वहां अनौपचारिक शिक्षा दी जायेगी। यह सराहनीय बात है। मैं महसूस करता हूँ कि इसको सभी क्षेत्रों में विशेषरूप से जहां आदिवासी लोग रहते हैं, लागू किया जाये।

आदिवासी क्षेत्रों में, अनेक एक अध्यापक वाले विद्यालय हैं। वहां पर एक अध्यापक सभी पांच कक्षाओं को पढ़ाता है और उनका प्रबन्ध करता है। यह एक बहुत ही दयनीय स्थिति है। मैं सोचता हूँ कि इस नीति के अधीन, वे प्रत्येक विद्यालय को कम से कम दो अध्यापक देने में समर्थ होंगे। यदि ऐसा होता है, तो किसी सीमा तक यह सहायक होगा।

मैं जानता हूँ कि हमारा ज्ञान एवं संसाधन सीमित है और हमें लम्बा रास्ता तय करना है। हम पहले ही काफी उन्नति कर चुके हैं और बुलन्द ऊँचाइयों को प्राप्त कर चुके हैं। फिर भी मेरा मत है कि गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे अपने लोगों के उत्थान के लिए हमें कुछ करना चाहिए।

हमारी राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करना समय की आवश्यकता है। हम दिनप्रतिदिन मानव मूल्यों का ह्रास देख रहे हैं। यह उपयुक्त समय है कि हम अनुशासन की भावना विकसित करें। अपने विद्यार्थियों के लिए हमें एन. सी. सी. कैम्पों का उचित आयोजन करना चाहिए। हमें स्काउटों और गाइडों को रखना चाहिए जिससे कि हम अपने विद्यार्थियों में देश भक्ति की भावना का विकास करें।

मैं यह बात और जोड़ना चाहूँगा कि हमें और अधिक तकनीकी विद्यालय खोलने चाहिए। हमें इन विद्यालयों को पिछड़े क्षेत्रों में खोलना चाहिए, जहां पर कि सुविधाएं बहुत कम हैं और जहां पर कि विकास की बहुत अधिक गुन्जाइश है। श्री राजीव गांधी इन पिछड़े क्षेत्रों का दौरा करने के प्रति पर्याप्त दयालु रहे हैं। मुझे विश्वास है, कि वह इस सुझाव से सहमत होंगे।

[श्री लाल विजय प्रतापसिंह]

नारी शिक्षा एक और महत्वपूर्ण बात है जिस पर हमें विचार करना है। यह बहुत ही खेदजनक बात है कि आदिवासी क्षेत्रों में केवल 13 प्रतिशत महिलाएं शिक्षित हैं। जब तक महिलाओं को शिक्षित नहीं किया जाता है तब तक हम उस गति से 21वीं सदी में नहीं जा सकते जिस गति से हम जाना चाहते हैं।

शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने और आदिवासी क्षेत्रों में अधिक से अधिक लोगों को शिक्षित बनाने के लिए हमारे पास पूरे देश में अधिक सुविधाएं, अधिक बुनियादी सुविधाएं अधिक तकनीकी शिक्षा होनी चाहिए। हमें पब्लिक स्कूलों को बन्द नहीं करना चाहिए, हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और हमें पब्लिक स्कूलों का दौरा करना चाहिए, और उनमें जो सुविधाएं हैं हमें वे सब सुविधाएं धीरे-धीरे अपने स्कूलों में लाने का प्रयास करना चाहिए और उन्हें लगातार जारी रखना चाहिए। हमें सदैव अच्छी बात की ओर ध्यान देना चाहिए।

इन शब्दों के साथ, मैं अपने माननीय मन्त्री को इस प्रारूप नीति को पुरः स्थापित करने पर बधाई देता हूँ। यह बहुत अच्छा प्रारूप है और मुझे आशा है कि यदि इसे क्रियान्वित किया गया तो यह आगामी पीढ़ी के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा।

***श्री सनतकुमार मंडल** (जयनगर) : उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर विचार करते समय हमें पहले यह जान लेना चाहिए कि शिक्षा के मूल उद्देश्य क्या क्या होते हैं। हमारी शिक्षा नीति ऐसी होनी चाहिए कि शिक्षा अधिक से अधिक संख्या में आम आदमियों तक पहुँचे वह शिक्षा आम आदमी को उत्पादन के ढांचे को समझने और सामाजिक सजगता के साथ उत्पादन प्रक्रिया में भाग लेने में सहायक होनी चाहिए। इससे उसमें राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रभक्ति की भावना जागनी चाहिए। इससे वैज्ञानिक मानसिकता और रवैया भी विकसित होना चाहिए और इससे उसे लोकतांत्रिक मूल्यों और मानदण्डों को अनुभव करने और समझने में सहायता मिलनी चाहिए। यदि शिक्षा का राष्ट्रीय उद्देश्य यही है तो सरकार द्वारा सभा के समक्ष रखी गई वर्तमान शिक्षा नीति उस उद्देश्य को प्राप्त करने में असफल सिद्ध होती है। इसमें बहुत कुछ करने की जरूरत है। मैं तो यही समझता हूँ। शिक्षा के विस्तार और प्रसार के नाम पर वास्तव में शिक्षा प्राप्त करने के अवसर कम और संकुचित किए जा रहे हैं। महोदय, आज स्वतन्त्रता प्राप्ति के 38 वर्ष बाद प्राथमिक शिक्षा की स्थिति क्या है? हमने अपने संविधान में प्रतिज्ञा की है कि हम वर्ष 1960 तक 14 वर्ष तक के सभी लड़कों और लड़कियों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएंगे। हम ऐसा करने में असफल रहे हैं। हम असफल क्यों हो गए? हम जिस शिक्षा नीति पर चर्चा कर रहे हैं जितने भी प्रपत्र इस सम्बन्ध में प्रस्तुत किए गए हैं, उनमें उस उद्देश्य प्राप्ति में हुई हमारी असफलता का कहीं कोई कारण नहीं दिया गया है। केवल यह कहा गया है कि जागरूकता की कमी है और इसके लिए एक अभियान चलाया जाना आवश्यक है। परन्तु मैं समझता हूँ कि ऐसा अन्य अप्रिय तथ्यों को छिपाने के लिए कहा गया है। पश्चिम बंगाल में हमने रोजगारोन्मुख भूमि सुधार कार्यक्रम से एक शिक्षा नीति तैयार की है। हमने देखा है कि 14 वर्ष की आयु के उन लड़कों और लड़कियों, जो प्राथमिक विद्यालयों में जाते हैं, की संख्या में धीरे-धीरे वृद्धि हो रही है।

*मूलतः बंगला में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

अब शिक्षा नीति प्रलेख में हम मॉडल स्कूलों और नवोदय स्कूलों आदि की बात कर रहे हैं। मुझे नहीं पता उन स्कूलों में पढ़ने का मौका किनको मिलेगा। हमारे अपने अनुभव से, हम यह समझते हैं कि केवल तथाकथित विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों और धनाढ्य वर्ग के बच्चों को ही उन स्कूलों में प्रवेश मिल सकेगा। आम आदमी के बच्चों को उन स्कूलों में प्रवेश का अवसर नहीं मिलेगा। कोठारी आयोग ने स्पष्ट कहा है कि इन मॉडल स्कूलों की स्थापना करने की बजाय, यदि उन वर्तमान परम्परागत स्कूलों, जिनमें हम पढ़े हैं, के कार्यकरण में सुधार किया जाए तो बेहतर होगा। यदि हम पूरे देश में इन वर्तमान स्कूलों के कार्यकरण में सुधार ला सकते हैं और यदि हम उनकी संख्या में पर्याप्त वृद्धि कर सकते हैं, और प्रत्येक स्थान पर ऐसे अधिक स्कूल खोल सकते हैं, इससे अधिक संख्या में बच्चों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी। परन्तु अब इस रास्ते को छोड़ा जा रहा है और इसके साथ-साथ दोहरी शिक्षा प्रणाली चलाने की अनुमति मांगी जा रही है। अब केन्द्रीय सरकार दूसरे तरीकों से शिक्षा के क्षेत्र में अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकती है। वे वर्तमान शिक्षा प्रणाली के विस्तार और प्रसार के लिए और इसको सुधारने के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में अधिक धनराशि आवंटित कर सकती है। वे राज्यों में और केन्द्र शासित राज्य क्षेत्रों में लागू शिक्षा प्रणाली में सन्तुलन और समानता ला सकते हैं। ऐसा करना अधिक संख्या में छात्रों के लिए अधिक प्रभावी और लाभदायक सिद्ध हो सकता है। परन्तु ऐसा करने की बजाय वे शिक्षा के प्रसार के नाम पर जनसामान्य के लिए शैक्षिक अवसरों को कम और संकुचित कर रहे हैं। इन कारणों से मैं स्वभावतः इस नई शिक्षा प्रणाली का विरोध करता हूँ। महोदय, इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और अपना भाषण समाप्त करता हूँ।

7.00 म० प०

श्री के० रामचन्द्र रेड्डी (हिन्दुपुर) : यह एक बहुत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय नीति है। आप कल कुछ समय दीजिए। अनेक सदस्यों को इस विषय पर अभी और बोलना है।

उपाध्यक्ष महोदय : हम इसे कल देखेंगे। यदि सदस्य अभी बोलना चाहते हैं, तो उन्हें बोलने दीजिए।

श्री के० रामचन्द्र रेड्डी : आप इसके महत्व को नहीं समझ रहे हैं। यह शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रीय नीति है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूँ कि प्रत्येक बात महत्वपूर्ण है। संसद में जो भी चर्चा की जाती है, वह महत्वपूर्ण है।

श्री के० रामचन्द्र रेड्डी : आप कृपया इसे कल भी ले लीजिए। हम थक गए हैं और हम इस भार को सहन नहीं कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा की क्या राय है ? आप इसे जारी रखना चाहते हैं या यहीं रोकना चाहते हैं ?

कुछ माननीय सदस्य : जारी रखना चाहते हैं।

श्री के० रामचन्द्र रेड्डी : आपको भ्रांति हुई है। ऐसे मामले में बहुमत या अल्पमत नहीं चलता है।

उपाध्यक्ष महोदय : लोकतन्त्र में बहुमत चलता है।

श्री वसुदेव आचार्य : यहले ही घोषित किया जा चुका है कि सभा का समय केवल एक घन्टे तक ही बढ़ाया जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय : कल इसे हम आधा घन्टा और बढ़ा सकते हैं ?

श्री के० रामचन्द्र रेड्डी : **की तरह काम न करें (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप ऐसा नहीं कह सकते हैं। आप इस असंसदीय शब्द को वापस लीजिए। आप मुझे पढ़ा रहे हैं। आप कृपया बैठ जाइए। यदि सभा यह महसूस करेगी, तो मैं समय बढ़ा दूंगा। बस। आप मुझे आदेश नहीं दे सकते हैं। यदि सभा की इच्छा और बैठने की नहीं है, तो मैं इसे स्थगित कर दूंगा। आप यह कैसे कह सकते हैं कि मैं तानाशाह हूं। आप इस तरह तर्क वितर्क क्यों कर रहे हैं ? आप एक सुलझे हुए आदमी हैं। आप ऐसे शब्द का प्रयोग क्यों करते हैं ? अब, हम सभा का समय आधा घन्टा और बढ़ाते हैं। फिर उसके बाद देखेंगे··· (व्यवधान) अब, श्री रामसिंह यादव। (व्यवधान) क्या आप बोल रहे हैं या मैं अगले वक्ता को बुलाऊं ?

श्री रामसिंह यादव : वहां हम अपनी बात कहने आए हैं ताकि लोग शान्ति पूर्वक सुन सकें।

[हिन्दी]

श्री रामसिंह यादव (अलवर) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं मानव विकास एवं संसाधन श्री नरसिंह राव जी ने शिक्षा नीति के सम्बन्ध में जो अनुबन्ध सदन में प्रस्तुत किया है, उसका समर्थन करता हूँ।

माननीय उपाध्यक्ष जी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को केवल एक ही क्षेत्र में नहीं बल्कि सामाजिक अवस्था, आर्थिक अवस्था और राजनीतिक अवस्था को दृष्टिगत रखते हुए निर्धारित करना होता है। मौजूदा शिक्षा नीति के निर्धारण से पूर्व माननीय प्रधान मंत्री जी ने जो ऐतिहासिक कदम इस देश के मानव विकास के लिए उठाया वह यह था कि नए मन्त्रालय की स्थापना और उसके साथ-साथ मेरी ऐसी मान्यता है कि स्वतन्त्रता के पश्चात् प्रथम बार पूरे राष्ट्र के सामने, प्रत्येक स्तर पर, ग्रामीण स्तर से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक सभी स्तरों पर शिक्षा नीति पर विचार हुआ है, मंथन हुआ है और सभी लोगों को विचार करने का मौका दिया गया है। इस दृष्टि से यह अपने आप में एक बहुत ही मूल्यवान नीति है, सारगर्भित नीति है। इसमें जो समावेश किया गया है वह हमारे संविधान के प्रमुख जो उद्देश्य हैं, आब्जेक्टिवस् हैं, जो हमारे लक्ष्य हैं, उनको दृष्टिगत रखते हुए किया गया है और इस शिक्षा नीति में हमारे प्रधानमंत्री जी का दर्शन है और श्री नरसिंह राव जी ने इसको भाषा का कलेवर दिया है, एक स्वरूप प्रदान किया है।

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

मान्यवर, मैं मुख्य रूप से सबसे पहले यह सुझाव देना चाहूँगा मंत्री जी को कि हमारे संविधान के आमुख में, प्रियंबल में हमने यह कल्पना की है कि हमारे समाज का स्वरूप सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसायटी, समाजवादी स्वरूप होगा।

मैं यहां पर यह कहना चाहूँगा कि आप ने इस पालिसी में सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी शब्द को कहीं भी नहीं रखा है जो कि बहुत ही जरूरी है। हमारे समाज का बेस, उसका आधार सोशलिज्म होना चाहिए और सोशलिज्म ही हमारे समाज का एक आबजैक्टिव है। जब तक कि उस आबजैक्टिव की, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम प्रयास नहीं करेंगे शिक्षा के माध्यम से, अपनी कार्य प्रणाली के माध्यम से तब तक हमारे संविधान की जो भावना है उसे हम परिलक्षित नहीं कर सकते। इस नये अनुबन्ध में वह परिलक्षित और प्रतिबिम्बित नहीं होती।

इसके साथ ही मैं यह कहना चाहूँगा कि शिक्षा नीति में सबसे पहली हमारी आवश्यकता यह है कि हम अपनी शिक्षा को, जैसा कि मेरे से पूर्व वक्ताओं ने कहा, ऐसी बनाएँ जिसमें नैतिकता हो और उस नैतिकता का स्पष्ट रूप से इसमें उल्लेख होना आवश्यक है जो कि इसमें कहीं नहीं है। आज तक की जो मौजूदा शिक्षा प्रणाली है उसमें महाविद्यालय और विश्वविद्यालय तक की जो शिक्षा है उसके लिए हमारे गांवों में रहने वाला आदमी चाहे वह किसान है या मजदूर या और दूसरे वर्ग का आदमी है, वह उच्च शिक्षा को सब्सिडाइज करता है। उच्च शिक्षा को आज भी सब्सिडाइज करने वाला देहात का व्यक्ति है। आप शिक्षा के लिए जो प्रोत्साहन देना चाहते हैं, उसके लिए जो साधन कायम करना चाहते हैं उसके लिए मैं सुझाव दूँगा कि आप राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह का एक फाइनेंशियल पूल कायम करें एजूकेशन के लिए और वह फाइनेंशियल पूल यह हो कि जो इनकम टैक्स देने वाला व्यक्ति हो उसके ऊपर एजूकेशन सेस लगना चाहिए। इसके साथ-साथ ऐसी इन्डस्ट्रीज के मालिक जिनका टर्न ओवर 35 लाख रुपये से ज्यादा है उन लोगों के ऊपर यह एजूकेशन सेस लगना चाहिए। इसके साथ-साथ ही मैं सुझाव दूँगा कि राज्य सरकारें जो हैं उन राज्य सरकारों में जो एस्चीड प्रापर्टी है जो राज्य की सम्पत्ति होती है, जिनका कोई वारिस नहीं होता उस सम्पत्ति की कीमत भी यहां आनी चाहिए।

अन्तिम निवेदन यह करना चाहूँगा कि फिजिकल एजूकेशन को इसमें और शामिल करना बहुत जरूरी था जिसको इसमें शामिल नहीं किया गया है और जो मैन्युअल वर्क था, आदमी को हाथ से काम करने के लिए जो प्रोत्साहन देना चाहिए था उसके लिए भी एक थ्रस्ट होना चाहिए था। वह इसमें नहीं है। इसका भी समावेश आप इसमें करेंगे। इन्हीं सुझावों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूँ।

[अनुवाद]

श्रीमती जयन्ती पटनायक (कटक) : उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा राष्ट्रीय विकास, व्यक्तिगत विकास और राष्ट्रीय एकता के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण साधन है। इस नीति में यह बिल्कुल उचित कहा गया है कि शिक्षा वर्तमान और भविष्य के लिए एक अद्भुत निवेश है। हम प्रधानमंत्री को बधाई देते हैं क्योंकि जब उन्होंने पहली बार अपने राष्ट्रीय प्रभाषण में राष्ट्र को सम्बोधित किया था तो शिक्षा नीति की पुनरीक्षा तथा राष्ट्रीय विकास और एकता के लिए शिक्षा प्रणाली को गतिशील बनाने के लिए उसके पुनर्गठन की आवश्यकता पर बल देते हुए उसके लिए चिन्ता व्यक्त की थी।

[श्रीमती जयन्ती पटनायक]

शिक्षा समवर्ती सूची में है। केन्द्रीय सरकार पूरे देश में शैक्षिक पिरामिड के सभी स्तरों पर उत्कृष्टता बढ़ाने के लिए अब पहले से ज्यादा जिम्मेदारी लेगी। इस नई शिक्षा नीति से शिक्षा की जिस राष्ट्रीय प्रणाली को कार्यरूप दिया जाना है वह पूरे देश के लिए शैक्षिक लक्ष्य में संगति लाने की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है। आज सबसे वांछनीय बात एक सामान्य पाठ्यक्रम निश्चित करना और शिक्षा के राष्ट्रीय और एकीकृत स्वरूप को सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा दायित्व सम्भाला जाना है। प्रत्येक राज्य को चाहिए कि खासकर उच्च शिक्षा के स्तर पर राष्ट्रीय स्तर के कोर पाठ्यक्रम और एकीकृत कार्यकरण के लिए कम से कम एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना करे जहां अंग्रेजी और हिन्दी को शिक्षा की दृष्टि से उत्कृष्टता का आदर्श बनाया जाये। तथा विद्वानों के अन्तरक्षेत्रीय अन्तरण को प्रोत्साहन दिया जाये जिससे राष्ट्रीय एकता पर दूरगामी अनुकूल प्रभाव पड़ेगा।

महोदय, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी जा रही सहायता का काफी बड़ा हिस्सा बिना किसी अनुपात को ध्यान में रखे केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को दे दिया जाता है। राज्य विश्वविद्यालय जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े राज्यों में हैं और बराबर योगदान नहीं दे पाती उतना अनुदान नहीं प्राप्त करती। इसीलिए अधिक न्यायसंगत वितरण के लिए प्रत्येक राज्य में कम से कम एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय अवश्य होना चाहिए। यह अन्य राज्य विश्वविद्यालयों के लिए आदर्श के रूप में होगा। विद्यालयों के स्तर पर भी व्यापक आधार पर ऐसे आदर्श विद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए। जो इसी प्रकार के लक्ष्य प्राप्त कर सकें।

महोदय, हम जानते हैं कि सरकार समुचित निधि प्रदान कार्यक्रम शुरू करेगी। आर्थिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्र निम्नतर और उच्चतर दोनों प्रकार की शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रमों को कार्यरूप देने में तेजी लाने के लिए पर्याप्त धन नहीं जुटा पा रहे हैं। आर्थिक दृष्टि से पिछड़े राज्यों में अतिरिक्त संसाधन जुटाने की गुंजाइश सीमित है और इसीलिए केन्द्र को चाहिए कि उनकी सहायता करे। इस बारे में सोचा जा सकता है कि केन्द्रीय सरकार उद्योगों और व्यापार पर "शिक्षा उपकर" लगाये ताकि शिक्षा के लिए वितरण योग्य निधि प्राप्त हो सके। शिक्षा की दृष्टि से पिछड़ेपन के आधार पर इस पूल से राज्यों के लिए धनराशि का नियतन किया जा सकता है।

महोदय, हमारे राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में शिक्षा सभी के लिए अनिवार्य है। इस नीति में सभी को प्राथमिक शिक्षा और साक्षरता उपलब्ध कराने पर बल दिया गया है। किन्तु महोदय, सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि बच्चे विद्यालयों में लगातार पढ़ाई करें तथा बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों की संख्या में कमी आये। आप इन दो बातों पर सबसे ज्यादा बल दें। क्योंकि विद्यालयों में यदि कम बच्चे जायेंगे और ज्यादा बच्चे बीच में पढ़ाई छोड़ देंगे तो इससे शिक्षा का प्रसार और विकास निष्प्रभावी रह जाएगा इस समस्या का मूल है महिलाओं तथा जनजातीय बच्चों का अनपढ़ रह जाना। हमें इसी बात पर विचार करना होगा और इस नीति में इसके लिए विशेष सहायक सेवाओं, समयबद्ध लक्ष्य का निर्धारण तथा प्रभावी निगरानी की व्यवस्था के बारे में सुझाव दिया गया है। इसके अतिरिक्त, शिक्षित महिलाओं के रोजगार और स्वरोजगार को इसी प्रकार की प्राथमिकता दी जाये तथा उनकी शिक्षा के लिए वही आधार होना

चाहिए और इसे उत्पादकता से सम्बद्ध किया जाना चाहिए। महिलाओं के लिए माध्यमिक विद्यालय स्तर पर शिक्षा के व्यवसायीकरण को सबसे अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। महोदय, आई० सी० डी० एस० जैसी सहायक सेवाओं का व्यापक प्रचार किया जाना चाहिए और उसे प्राथमिक शिक्षा से सम्बद्ध किया जाना चाहिए। जनजातीय बच्चों में बीच में पढ़ाई छोड़ देने की प्रवृत्ति को विशेष समस्या के रूप में लिया जाना चाहिए अन्यथा यह बहुत जटिल समस्या बन जायेगी। इसके लिए भी हमें प्रत्येक जनजातीय पंचायत में कम से कम एक आवासीय विद्यालय की स्थापना के बारे में विचार करना चाहिए, जैसा कि उड़ीसा में किया गया है। सरकारी अभिकरणों, शैक्षिक संस्थानों तथा स्वयंसेवी अभिकरणों को बड़े पैमाने पर समन्वित रूप में सहभागी बनाने से ही प्रौढ़ निरक्षरों को साक्षर बनाने के लक्ष्य को पूरा किया जा सकेगा। इसके लिए विशिष्ट तथा व्यावसायिक दृष्टि से विशिष्ट शिक्षण पद्धतियों तथा महिलाओं के लिए पृथक पाठ्यक्रम तय किया जाना भी आवश्यकता है।

महोदय, समुचित स्तर पर शिक्षा का व्यावसायीकरण अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह व्यवसायिक शिक्षा रोजगार के लिए दक्षता को बढ़ाने वाली तथा ग्रामीण जीवन चर्या के अनुकूल होनी चाहिए। खण्ड स्तर पर ग्रामीण व्यवसायों के लिए प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की जानी चाहिए।

महोदय, मेरा अंतिम मुद्दा यह है कि औपचारिक प्रणाली तथा हमारे देश की परम्परा और संस्कृति के बीच समुचित तालमेल होना चाहिए। क्योंकि यदि जापान पश्चिमी विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अपनी सामाजिक और सांस्कृतिक प्रणाली से बड़े सुन्दर रूप से तालमेल बैठा सकता है तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि हम ऐसा न कर सकें।

महोदय, इक्कीसवीं शताब्दी की ओर बढ़ रहे हैं इसलिए हमें अपने देश के लिए आदर्श प्रणाली विकसित करनी चाहिए।

श्री सैयद मसूदुल हुसैन : महोदय, इस समय सभा में सत्ताधारी दल के बड़ी मुश्किल से 20 सदस्य ही उपस्थित हैं। इससे यही सिद्ध होता है कि यह नई शिक्षा नीति सत्ताधारी दल को भी स्वीकार्य नहीं है।

[हिन्दी]

श्री असलम शेर खां (बैतुल) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर जो चर्चा चल रही है उसके सम्बन्ध में आपने मुझे जो अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया है, उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

मैं इस सम्बन्ध में केवल दो-एक बातें ही कहना चाहूंगा। मन्त्री जी ने इसमें खेलों तथा फिजिकल एजूकेशन के सम्बन्ध में जो बातें रखी हैं वह तारीफ के काबिल हैं। आप स्कूलों में खेलों को बढ़ावा देना चाहते हैं।

मैं इस बात से सहमत नहीं हूं, जब तक आप स्कूल में खेलों को कम्पलसरी नहीं करेंगे, तब तक खेलों को महत्व नहीं मिल पाएगा। होता यह है कि स्कूलों में बच्चों को खेलने के लिए ग्राउण्ड्स तक नहीं हैं और खेलों से सम्बन्धित सामान नहीं है। जब तक आप इसको कम्पलसरी

[श्री असलम शेर खां]

सब्जैक्ट नहीं बनायेंगे, तब तक ये सारी चीजें मुहैया नहीं हो सकेंगी। मेरा आप से यही अनुरोध है कि आप नई एजूकेशन पालिसी बनाने जा रहे हैं तो इससे अच्छा मौका नहीं होगा कि आप इन खेलों को कम्पलसरी सब्जैक्ट बनायें।

इतना कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

[अनुवाद]

श्री गिरधारी लाल डोगरा (ऊधमपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे मानव संसाधन विकास मन्त्री द्वारा प्रस्तुत किया गया यह प्रलेख अत्यधिक ईमानदारी से तैयार किया और बहुत उपयोगी है। उस पर इस मध्यान्ह से चर्चा की जा रही है।

अपनी प्रक्रिया व्यक्त करने से पूर्व, मैं यह कहना चाहता हूँ कि विपक्ष के मेरे साथी श्री अब्दुल रशीद काबुली ने यह कहा था कि कश्मीरी और डोगरी भाषाओं की अपेक्षा की जा रही है। यहां पर यह मुद्दा संगत नहीं बैठता है। इस प्रलेख का इससे कोई मतलब नहीं है। यह काम तो राज्य सरकार को करना है और वे पहले ही इन भाषाओं की देखरेख कर रहे हैं। प्रारम्भिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम मातृभाषा ही होनी चाहिए लेकिन एक क्षेत्र में एक मातृभाषा नहीं है बल्कि सौ मातृभाषाएं हैं। उन अविकसित मातृभाषाओं का विकास किया जाना है। अन्यथा, इस प्रलेख के माध्यम से अपेक्षित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ऐसी परिस्थितियों में प्रत्येक मातृभाषा का विकास किया जाना है। डोगरी और कश्मीरी पर भी स्वत: ध्यान दिया जाएगा।

उन्होंने यह भी कहा है कि उर्दू को अन्य राज्यों में उचित स्थान नहीं दिया गया है। केवल उर्दू ही नहीं, हिन्दी तक, जो भारत की आम भाषा होनी चाहिए को भी लागू नहीं किया जा रहा है। हम राज्यों में अनिच्छुक लोगों पर उर्दू कैसे लागू कर सकते हैं? मैं उर्दू को पसन्द करता हूँ और उर्दू बोलता हूँ। परन्तु कोई भी व्यक्ति उर्दू या किसी अन्य भाषा को किसी पर थोप नहीं सकता है। हिन्दी के सम्बन्ध में ऐसा ही आश्वासन दिया गया है। वह उर्दू और अन्य भाषाओं पर भी लागू होता है। और फिर, उर्दू हर जगह नहीं बोली जाती है।

मैं यह कहना चाहता हूँ कि जहां तक पिछड़े क्षेत्रों का सम्बन्ध है, उनकी देखभाल कौन करेगा, आप राज्यों को यह प्रलेख दे सकते हैं, कार्यक्रम नीति और दर्शन तथा वित्तीय संसाधन भी दे सकते हैं परन्तु इस कार्यक्रम को क्रियान्वित करने की इच्छा राज्य सरकार को कौन देगा? जब तक दृढ़ निश्चय न हो तब तक इसे क्रियान्वित नहीं किया जा सकता है। आप अच्छे कार्यक्रम को घोषित करते हैं, परन्तु उन्हें क्रियान्वित नहीं किया जाता है। उदाहरणार्थ, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि भारत में सभी लड़कियों को 12 वीं कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। परन्तु भारत में, विशेष रूप से पहाड़ी और पिछड़े क्षेत्रों में, अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में भी ऐसी लड़कियां हैं जो 12 वीं कक्षा तक शिक्षा प्राप्त करना चाहती हैं, परन्तु उन्हें अवसर नहीं दिए जाते हैं। उन्हें सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जा रही हैं। आपकी घोषणाएं हमारे लिए कठिनाइयां पैदा करती हैं। इस प्रलेख में ठीक ही कहा गया है कि असमानताओं को दूर करना होगा। और यदि

असमानताओं को दूर नहीं किया गया, तो हम लोगों का सामना नहीं कर सकेंगे। कतिपय ऐसे अधिकारी हैं जो यह समझते हैं कि इस देश के केवल विकसित वर्ग से ही भारत बनता है। परन्तु वे उपेक्षित क्षेत्रों, पिछड़े और पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों, जो उतने ही भारतीय हैं जितने अन्य की उपेक्षा करते हैं।

मैं यही कहना चाहता हूं। मैंने आपको अपना सहयोग दिया है, धन्यवाद।

श्री एन० वी० एम० सोमू (मद्रास उत्तर) : उपाध्यक्ष महोदय, संविधान के अनुच्छेद 45 के अनुसार :

> "राज्य, इस संविधान के प्रारम्भ से दस वर्ष की अवधि के भीतर सभी बालकों को चौदह वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए उपलब्ध करने का प्रयास करेगा।"

1965 में पुनः शिक्षा नीति की पुनरीक्षा की गई थी। एक बार फिर, 1975 में, दस वर्ष बाद इन नीति की समीक्षा की गई थी। अब फिर 1985 में, यह सरकार एक और शिक्षा नीति लाई है। इन सभी घोषणाओं का केन्द्र बिन्दु एक ही नीति है। हम स्वतन्त्रता की 40 वीं वर्षगांठ मनाएंगे और इन सभी वर्षों में कांग्रेस सरकार देश पर शासन करती है। शिक्षा के क्षेत्र में हमारे देश की स्थिति क्या है ? वर्ष 1947 में निरक्षरता की दर 30 करोड़ थी। 1951 में यह 33 करोड़ थी, 1971 में यह 37 करोड़ थी : और 1981 में यह 43.7 करोड़ थी। वर्ष 2000 ई० में इसके 50 करोड़ हो जाने की संभावना है। हमारे प्रधान मन्त्री कहते हैं कि वह 21 वीं सदी में छलांग लगाने वाले हैं। क्या वह 50 करोड़ निरक्षरों के साथ 21वीं सदी में छलांग लगाने वाले हैं ? वास्तविक समस्याओं पर ध्यान देने की बजाय सरकार नीतियां घोषित करती है। हमारे स्कूलों की स्थिति क्या है ? हमारे 53% प्राथमिक विद्यालय छप्परों में हैं। 40% प्राथमिक विद्यालयों में श्याम-पट्ट नहीं हैं। 33% में बेंच और दरियां नहीं है। 77% में पुस्तकालय सुविधाएं नहीं हैं। 61% में पेय जल सुविधाएं नहीं हैं। 85% में शौचालय सुविधाएं नहीं हैं। 35% प्राथमिक विद्यालयों में केवल एक-एक ही अध्यापक है। आप भारत में विद्यालयों की जर्जर स्थिति के बारे में क्या करेंगे ? आपने अपनी शिक्षा नीति में इन बातों का उल्लेख नहीं किया है।

नोबल पुरस्कार विजेता, गुन्नार मिरडाल ने सातवें दशक में कहा था "भारत पर उच्च वर्ग के नागरिकों का शासन है। आम जनता अनपढ़ और अज्ञानी है।"

आप शिक्षा के क्षेत्र में भी राज्यों के अधिकार में हस्तक्षेप कर रहे हैं। पंचवर्षीय योजनाओं में राज्यों को केन्द्रीय आवंटन बहुत कम होता है। पहली पंचवर्षीय योजना में 7.2% आवंटन किया गया था। चौथी पंचवर्षीय योजना में 5.16% आवंटन किया गया था। पांचवी पंचवर्षीय योजना में यह 2.8% हो गया। छठी पंचवर्षीय योजना में यह केवल 2.2% था और सातवीं पंचवर्षीय योजना में यह केवल 1.5% रह जाएगा मुझे आशंका है कि केन्द्र नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन पर कभी भी सफलता पूर्वक निगरानी नहीं रख सकेगा।

केन्द्रीय सरकार सिंचाई परियोजनाओं अथवा विद्युत परियोजनाओं के क्रियान्वयन पर निगरानी रखने में असमर्थ है। निगरानी और पर्यवेक्षण के अभाव में लागत में हजारो करोड़

[श्री एन० बी०एन० सोमू]

रुपयों की वृद्धि हो गई है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के 38 वर्ष बाद, पहली बार केन्द्र में क्रियान्वयन मंत्री की नियुक्ति की गई है। उन्हें यह नहीं पता है कि अपनी निगरानी कहां से शुरू करें और कहां पर समाप्त करें।

नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन का वही हाल होगा। मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह नई शिक्षा नीति एकता और एकीकरण को प्रोत्साहित नहीं करेगी। भारत एक उप-महाद्वीप है और मुझे यह कहते हुए खेद है कि यह नई शिक्षा नीति मिली-जुली भारतीय संस्कृति की पच्चीकारी की समाप्ति का आरम्भ है।...

एक माननीय सदस्य : महोदय, उन्हें कितना समय दिया गया है ?

श्री एन० बी० एन० सोमू : भारतीय लोकतन्त्र हमारी संस्कृति की अनेकता पर निर्भर करती है। जिस क्षण देश में इस नई शिक्षा नीति के माध्यम से सभी लोगों पर हिन्दी लागू की जाएगी, उस क्षण लोकतन्त्र समाप्त हो जाएगा। पण्डित नेहरू का यह आश्वासन कि जब तक अहिन्दी-भाषी लोग अंग्रेजी को सम्पर्क भाषा के रूप में जारी रखना चाहेंगे, तब तक अंग्रेजी जारी रहेगी, को अभी तक संवैधानिक मान्यता नहीं दी गई है, यद्यपि अहिन्दी-भाषी लोग इतने वर्षों से इसकी मांग कर रहे हैं।

इस नीति के अन्तर्गत ऐसा करने की बजाय पूरे देश में नवोदय विद्यालय खोले जा रहे हैं शिक्षा का माध्यम हिन्दी होगा। पूरे देश में केन्द्रीय विद्यालय अब हिन्दी कट्टरता के केन्द्र बन गए हैं।

महोदय, किसी को उसकी मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा देने से देश में मानव संसाधन विकास सुनिश्चित होगा हिन्दी मातृभाषा वाले लोग केवल तीन या चार राज्यों में रहते हैं। उत्तरी राज्यों में हिन्दी भाषियों की संख्या बढ़ाने के लिए पंजाबी हिन्दुओं को अपनी मातृभाषा हिन्दी घोषित करने को विवश किया गया था। आज आप पंजाब में उपद्रव देख रहे हैं। मुझे इस बात का उल्लेख करने पर विवश होना पड़ा क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से हिन्दी लागू करने से पूरे देश में पंजाब वाली स्थिति देखने को मिलेगी।

1965 में तमिलनाडु में हिन्दी लागू करने के विरोध में भारी आन्दोलन हुआ था, जिससे श्री सी० सुब्रह्मण्यम और श्री ओ० वी० अलगेशन तक को मंत्रिमण्डल से त्यागपत्र देना पड़ा था।

मैं इस बात पर बल देना चाहता हूँ कि नई शिक्षा नीति को अहिन्दी भाषी लोगों पर हिन्दी लागू करने का माध्यम न बनाया जाए।

मैं यह मांग करता हूँ कि शिक्षा को वापस राज्य सूची में लाया जाए। चूंकि शिक्षा को केन्द्रीय सूची में लाने के प्रयास किए जा रहे हैं, इसलिए इसे राज्य सूची में वापस लाने की मांग उठती है। हमारे संविधान के संस्थापकों ने शिक्षा को, यह पूर्णतया महसूस करते हुए कि केवल राज्य सरकारें ही शिक्षा की उन्नति को सुनिश्चित करेंगी, राज्य सूची में रखा था।

विश्वविद्यालय शिक्षा सम्बन्धी डा० राधाकृष्णन आयोग, माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी डा०

लक्ष्मणस्वामी मुदलियर आयोग और शिक्षा सम्बन्धी कोठारी आयोग ने शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल करने की सिफारिश नहीं की थी। केन्द्र सरकार, जो कि सदैव ज्यादा शक्तियां रखना चाहती है, ने शिक्षा को समवर्ती सूची में लाने का निश्चय किया है।

यह मेरा गम्भीर सुझाव है कि शिक्षा को वापस राज्य सूची में लाया जाना चाहिए और राष्ट्र को हिन्दी आतंकवादियों से बचाया जाना चाहिए। मैं इसे केवल हिन्दी विस्तारवाद ही नहीं, हिन्दी आतंकवाद कहूँगा। गृह मन्त्रालय के दिनांक 28 जनवरी 1986 के कार्यालय ज्ञापन में कहा गया है...

[हिन्दी]

श्री के० डी० सुलतानपुरी (शिमला) : हिन्दी को उग्रवादी कहने का आपको कोई अख्तियार नहीं है ऐसे शब्द आपको नहीं कहने चाहिए। हिन्दी राष्ट्रभाषा है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इसे पढ़ लूँगा।

श्री एन० वी० एन० सोमू : समय के कारण मैं असमर्थ हूँ। वह कल अपना जवाब दे सकते हैं।

महोदय, यद्यपि केन्द्र सरकार बराबर यह आश्वासन देती रही है कि किसी के ऊपर हिन्दी को थोपा नहीं जायेगा, फिर भी इसके प्रयोग को बढ़ाने के लिए इसने सूक्ष्म और गुप्त तरीके अपना रखे हैं। गृह मन्त्रालय के सभी मन्त्रालयों एवं विभागों को दिनांक 28 जनवरी 1986 के कार्यालय ज्ञापन में देश भक्ति का विक्रय डामर के रूप में आह्वान किया है। ज्ञापन के अनुच्छेद 3 में उल्लिखित है :—

> "यदि विदेशों में हमारे अधिकारी तथा अन्य देशों का दौरा करने वाले भारतीय प्रतिनिधि मण्डल के सदस्य अपने समकक्षों के साथ हिन्दी में वार्तालाप करे, तो यह देश की प्रतिष्ठा को बढ़ायेगा।"

ज्ञापन में इस बात का उल्लेख है कि विदेश मन्त्रालय ने पहले ही एक आश्वासन दिया हुआ है कि यदि विदेश का दौरा करने वाले नेता अपने समकक्षों के साथ हिन्दी में बोलने की लालसा महसूस करते हैं तो भारतीय मिशन द्वारा दुभाषिये की सुविधायें उपलब्ध करायी जा सकती हैं। आप न केवल भारतीयों को बल्कि विदेशियों को भी हिन्दी सीखने के लिए बाध्य कर रहे हैं। एक बार स्वालिन ने पूछा था।

मैं के० पी० एस० मेनन को उद्धृत करता हूँ :—

> "स्तालिन ने पूछा था कि क्या 'हिन्दू'—उन्होंने हिन्दी नहीं हिन्दू कहा था—हमारी राष्ट्रीय भाषा है। मैंने कहा, हां भारत के अधिसंख्य लोगों की भाषा हिन्दी है। 'स्वतन्त्रता प्राप्ति से पहले आम भाषा कौनसी थी ? स्तालिन ने पूछा। मैंने कहा कि लोगों—दोनों हिन्दुओं और मुस्लिमों, की भाषा के रूप में कही जाने वाली हिन्दुस्तानी भाषा अभी स्वयं को

विकसित कर रही है, लेकिन विभाजन के बाद हिन्दी में संस्कृतनिष्ठ शब्दों का और उर्दू में फारसीनिष्ठ शब्दों का बाहुल्य हो रहा था। यह फारसी और अरबी भाषा से अनेक शब्दों को अपना रही थी। स्तालिन ने कहा था 'तब यह वास्तव में लोगों की भाषा नहीं हो सकती है'।"

यह विदेशियों की राय थी।

महोदय, इससे पहले मैं बोलना समाप्त करूं, मैं बताना चाहता हूँ कि महात्मा गांधी ने मेरी मातृभाषा तमिल के विषय में कहा था—

"स्वतन्त्रता संघर्ष में तमिलों ने जितना किया है उतना किसी अन्य भारतीय समुदाय ने नहीं किया है। इसलिए, मैंने सोचा कि किसी अन्य कारण से नहीं बल्कि उनके प्रति अपने सच्चे आभार को व्यक्त करने के लिए मुझे उनकी पुस्तकों को गम्भीरता से पढ़ना चाहिये। अतः उनकी भाषा ध्यानपूर्वक सीखने में मैंने अपना पिछला माह बिताया। जितना ही अधिक मैंने पढ़ा, उतना ही अधिक इसके आनन्द का मैंने अनुभव किया। यह एक रोचक और मधुर भाषा है और जो कुछ मैंने पढ़ा है उससे मैं पाता हूँ कि भूतकाल में और अब भी तमिलों में अनेक मेधावी, चतुर और बुद्धिमान व्यक्ति हैं।"

पुनः महात्मा गान्धी कहते हैं :

"यदि भारत में एक राष्ट्र होना है, तब उनको, जो मद्रास महाप्रान्त से बाहर रहते हैं, को तमिल भाषा का ज्ञान होना चाहिए।"

यदि हम महात्मा गान्धी के सच्चे अनुयायी हैं तो हमें उनकी सलाह माननी चाहिए।

महोदय, अन्त में, मैं उस बात को उद्धृत करना चाहूँगा जो कि हमारे प्रसद्धि कवि भारतीदासन ने गाया है।

"मंगकुयिल, कूबिनम पूंजोलई इमाइ मत्त निनैथिडम सिरैचल्ली
थीनगुल्ला हिन्दीअई नम इथिरोपोम–ऊयिर थिथिपई ईन्नीडप पोवथिलई।"

इसके अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर इस प्रकार है :

"हिन्दी लादे जाने का हम विरोध करेंगे जीवन की मधुरता का कोई अर्थ नहीं है, कारागृहों को हम लोग उन बगीचों की तरह समझते हैं जहां पर हम लोग बुलबुल के मधुर संगीत का आनन्द उठा सकते हैं।"

उपाध्यक्ष महोदय : सभा गुरुवार, 8 मई 1986 को 11 बजे म० पू० पर पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

7.33 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 8 मई 1986/17 वैशाख 1908 (शक) 11 बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।